



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271445
CG-DL-E-31032026-271445

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 214]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सा.का.नि. 233(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 की उपधारा (8क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- आयकर नियम, 1962, परिशिष्ट-2 में प्ररूप आईटीआर-अ के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप आईटीआर-यू (अद्यतन विवरणी के लिए आईटीआर) रखे जाएंगे, अर्थात् :—

भारतीय आयकर अद्यतन विवरणी [व्यक्तियों के लिए सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से अड़तालीस महीने के भीतर आय/हानि को करने को अद्यतन करने के लिए] (पात्रता के लिए निर्देश देखें) (कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12कग देखें)	आ.क.वि.- यू

भाग क साधारण जानकारी - 139(8क)

(क1) पैन	(क2) नाम	(क3) आधार संख्या (12 अंक)
(क4) निर्धारण वर्ष ()	(क5) क्या इस निर्धारण वर्ष के लिए पहले विवरणी फाइल की गई थी? ☐ हाँ ☐ नहीं	(क6) यदि हाँ, क्या धारा 139(1) के अधीन फाइल किया गया है ☐ ☐ अन्य
(क7) यदि लागू हो, तो फाइल प्ररूप दर्ज करें, पावती संख्या या रसीद संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	(कृपया ड्रॉपडाउन से आईटीआर प्रकार चुनें)	पाव.सं.और फाइल करने की तारीख / /
(क8) क्या आप धारा 139(8क) के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे परंतुक में अधिकथित शर्तों के अनुसार अद्यतन विवरणी फाइल करने के पात्र हैं? ☐ हाँ ☐ नहीं		
(क9) कृपया अपनी आय/हानि को अद्यतन करने के लिए आईटीआर प्ररूप चुनें (आईटीआर 1-7 को ड्रॉप-डाउन से चुना जाना चाहिए और ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार भरा जाना चाहिए - निर्देश देखें)		
(क10) आपकी आय को अद्यतन करने के कारण: ☐ विवरणी पहले फाइल नहीं किया गया ☐ आय की सही सूचना नहीं दी गई ☐ हानि सह रूप से नहीं रिपोर्ट की गई (हानि की कमी के मामले में) ☐ आय के गलत शीर्ष चुने गए ☐ अग्रेषित हानि में कमी ☐ शेष अवक्षयण में कमी ☐ धारा 115अख/115 जग के अधीन प्रतिदेय कर में कमी ☐ कर की गलत दर ☐ धारा 148 के अधीन नोटिस क लिए प्रतिउत्तर में विवरणी यदि दाखिल की गई है, धारा 148 के अधीन नोटिस के लिए प्रतिउत्तर दस्तावेज पहचान सं. (डीआईएन) और ऐसी सूचना की तारीख प्रविष्ट करें ऐसी सूचना की तारीख (ता/मा/वर्ष) दस्तावेज पहचान सं. ☐ अन्य		
(क11) क्या आप सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से 12 महीने तक ☐ सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से ☐ 12 से 24 महीनों के बीच की अवधि के दौरान अद्यतन विवरणी फाइल कर रहे हैं ☐ सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 24 से 36 माह के बीच ☐ सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 36 से 48 माह के बीच		
(क12) (क) क्या आप अग्रेषित हानि या शेष अवक्षयण या प्रतिदेय कर को कम करने के लिए अद्यतन विवरणी फाइल कर रहे हैं? ☐ हाँ ☐ नहीं (ख) यदि हां, तो कृपया निर्धारण वर्ष निर्दिष्ट करें जहां इस अद्यतन विवरणी के कारण अग्रेषित हानि या शेष अवक्षयण या प्रतिदेय कर प्रभावित हो रहा है। (कृपया ड्रॉपडाउन मेन्यू से चयन करें) ☐ क्या उपरोक्त (ख) में निर्धारण वर्ष के लिए मूल/पुनरीक्षित विवरणी फाइल की गई है ☐ हाँ ☐ नहीं ☐ क्या उपरोक्त (ख) में निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी फाइल की गई है ☐ हाँ ☐ नहीं		

भाग ख - कुल अद्यतन आय और देय कर की अति संगणना			
1.	क.	आय/हानि में कमी का एक शीर्ष जिसके अधीन अद्यतन विवरणी राशि के अनुसार रुपये में अतिरिक्त आय लौटाई जा रही है	रूपए में रकम
		आय का शीर्ष (यदि हों, तो कृपया अतिरिक्त आय निर्दिष्ट करें)	
	क.	वेतन से आय	
	ख.	गृह संपत्ति से आय	
	ग.	व्यापार या वृत्तिक से आय	
	घ.	पूँजीगत लाभ से आय	
	ङ.	अन्य स्रोतों से आय	
	च.	कुल अतिरिक्त आय/हानि में कमी (क+ख+ग+घ+ङ.)	
	ख.	पिछले वैध विवरणी के अनुसार कुल आय/हानि (केवल उन मामलों में जहां आयकर विवरणी पहले फाइल किया गया है)	
2.		भाग ख-टीआई के अनुसार कुल अद्यतन आय आयकर विवरणी 2/3/5/6/7 या भाग ग आ.क.वि - 1/4 (यथा लागू) की कटौती और कर योग्य कुल आय	
3.		देय राशि, यदि कोई हो (अद्यतन आईटीआर के 2/3/5/6/7 या भाग घ अद्यतन आई.टी.आर-1 को संदेय कर की संगणना या भाग घ अद्यतन आई.टी.आर-1 (यथा लागू) के कर संगणना और कर प्रास्थिति (कृपया अनुदेश देखें)	
4.		वापसी योग्य राशि, यदि कोई हो (अद्यतन किए गए आईटीआर 2/3/5/6/7 या भाग घ अद्यतन आ.क.वि.-1 के संदेय कर की संगणना या भाग घ अद्यतन आ.क.वि.4 (यथा लागू) की कर संगणना और कर प्रास्थिति के भाग ख-टीआई के "प्रतिदाय" से ली जाए)	
5.		अंतिम वैध विवरणी के आधार पर देय राशि (केवल लागू मामलों में)	
6.		(i) पिछले वैध विवरणी के अनुसार दावा किया गया प्रतिदाय, यदि कोई हो	
		(ii) पिछले वैध विवरणी के अनुसार जारी किया गया कुल प्रतिदाय, यदि कोई हो (इस राशि में प्राप्त ब्याज धारा 244क के अधीन सम्मिलित होना चाहिए) (कृपया निर्देश देखें)	
7.		पहले विवरणी के अनुसार धारा 234च के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए शुल्क	
8.		नियमित निर्धारण कर (लागू मामले में) (कृपया उस संदेय कर का उल्लेख करें जो क्रम सं. 5 में घोषित संदेय कर के अधिक है और उपर है)	
9.		अतिरिक्त आय पर सकल देयता	
		(i) $[3+6ii-(5+8+4)]$ प्रतिदाय जारी की गई है	
		(ii) $[3+6i-(5+8+4)]$ प्रतिदाय जारी नहीं किया गया है	
10.		अद्यतन आय पर अतिरिक्त आयकर देयता $[(9-7) \text{ का } 25\% \text{ या } 50\% \text{ या } 60\% \text{ या } 70\%]$ अथवा ऐसी अद्यतन आय जहां विवरणी धारा 148 के अधीन जारी सूचना के प्रतिउत्तर में फाइल की जाती है पर अतिरिक्त आयकर देयता $[(9-7) \text{ का } 35\% \text{ या } 60\% \text{ या } 70\% \text{ या } 80\%]$	
11.		देय शुद्ध रकम (9+10)	
12.		140ख के अधीन संदेय कर	
13.		देय कर (11-12)	
14.		कर संदाय (केवल अद्यतन विवरणी के अनुसार)	
	क.	धारा 140ख के अधीन अद्यतन विवरणी पर कर के भुगतान का विवरण	

140ख के अधीन कर	क्र.सं.	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	चालान रकम की क्रम संख्या	रकम(रु.)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	i					
	ii					
	iii					
	iv					
	टिप्पण ► भाग ख-अति के क्र. सं. 11 पर धारा 140ख के अधीन संदेय कर का योग					
	ख	अग्रिम कर/स्व-निर्धारण कर/नियमित निर्धारण कर के भुगतान का विवरण, जिसके लिए जमा नहीं किया गया है पहले के विवरणी में दावा किया गया है (उसके लिए धारा 140ख(2) के अधीन प्रतिदेय की अनुमति नहीं है)				
	अग्रिम/स्व-मूल्यांकन/नियमित निर्धारण कर	क्र.सं.	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	चालान राशि की क्रम संख्या	रकम(रु.)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i						
ii						
iii						
iv						
टिप्पण ► धारा 140ख(2) के अधीन उपरोक्त के लिए प्रतिदेय की अनुमति नहीं है						
15. धारा 89 के अधीन राहत जिसका दावा पहले विवरणी में नहीं किया गया है [उसके लिए धारा 140 ख (2) के अधीन राहत की अनुमति नहीं है]					रुपए	

सत्यापन

मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____ सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, विवरणी में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं हूँ इस विवरणी को _____ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान करने के लिए डाउनलोड) के रूप में अपनी क्षमता में बना रहा हूँ और मैं इस विवरणी को बनाने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मेरे पास स्थायी खाता संख्या है। (कृपया निर्देश देखें)।

तारीख: _____ हस्ताक्षर: _____

[अधिसूचना सं 52/2026/ फा.सं.370142/13/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव, कर नीति और विधायन

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का 0आ 0 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 232 (अ), तारीख 30 मार्च, 2026 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2026

G.S.R. 233(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (8A) of section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:-

- (1) These rules may be called the Income-tax (Ninth Amendment) Rules, 2026.
- (2) They shall come into force with effect from the date of publication.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix-II, after the ITR-A, the following Form ITR-U (ITR for updated return) shall be inserted, namely: —

FORM	ITR - U	INDIAN INCOME TAX UPDATED RETURN
		[For persons to update income/reduce loss within forty-eight months from the end of the relevant assessment year]
		(Refer instructions for eligibility)
		(Please see rule 12AC of the Income-tax Rules, 1962)

PART A GENERAL INFORMATION – 139(8A)																							
(A1) PAN		(A2) Name		(A3) Aadhaar Number (12 digits)																			
(A4) Assessment Year				(A5) whether return previously filed for this assessment year? ☐ Yes ☐ No								(A6) If yes, Whether filed u/s ☐ 139(1) ☐ Others											
(A7) If applicable, enter form filed, Acknowledgement no. or Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)				(Please select ITR type from dropdown)				Ack no and date of filing															
(A8) Are you eligible for filing an updated return as per the conditions laid out in first, second, third and fourth provisos to section 139(8A)? Yes No																							
(A9) Please choose the ITR form for updating your income/losses (ITRs 1-7 to be selected from drop-down and filled as per the details made available by e-filing utility – see instruction)																							
(A10) Reasons for updating your income: Return previously not filed Income not reported correctly Loss not reported correctly (In case of reduction of loss) Wrong heads of income chosen Reduction of carried forward loss Reduction of unabsorbed depreciation Reduction of tax credit u/s 115JB/115JC Wrong rate of tax Return in response to notice u/s 148 If filed, in response to a notice u/s 148 enter Document Identification Number (DIN) and date of such notice, Date of such Notice(dd/mm/yyyy) Document Identification Number (DIN) Others																							
(A11) Are you filing the updated return during the period upto 12 months from the end of the relevant assessment year between 12 to 24 months from the end of the relevant assessment year between 24 to 36 months from the end of the relevant assessment year between 36 to 48 months from the end of the relevant assessment year																							
(A12) (a) Are you filing the updated return to reduce carried forward loss or unabsorbed depreciation or tax credit? Yes No																							
(b) If yes, please specify the assessment years where carried forward loss or unabsorbed depreciation or tax credit is being affected because of this updated return. (Please select from drop down menu)																							
Whether Original / revised return has been filed for the AY in (b) above Yes No																							
Whether updated return has been filed for the AY in (b) above Yes No																							

RT B – ATI COMPUTATION OF TOTAL UPDATED INCOME AND TAX PAYABLE			
1.	A	Head of income under which additional income is being returned / loss is being reduced as per Updated Return	Amount
		Head of income (If yes, please specify additional income/reduction in loss)	
	a	Income from Salary	
	b	Income from House Property	
	c	Income from Business or Profession	
	d	Income from Capital gains	
	e	Income from other Sources	
	f	Total additional income/reduction in loss (a+b+c+d+e)	
	B	Total income/loss as per last valid return (only in cases where the Income Tax Return has previously been filed)	
2.		Total income/loss as per Part B-TI	
3.		Amount payable, if any (To be taken from “Amount payable” of part BTI of the updated return)	
4.		Amount refundable, if any (To be taken from “Refund” of part B-TTI of the updated return)	
5.		Amount payable on the basis of last valid return (only in applicable cases)	

6.	(i) Refund claimed as per last valid return, if any				
	(ii) Total Refund issued as per last valid return, if any (including interest u/s 244A received)				
7.	Fee for default in furnishing return of income u/s 234F				
8.	Regular Assessment Tax, if any (in applicable cases) [Please mention the tax paid if any which is over and above the tax payable declared in sl.no.5]				
9.	Aggregate liability on additional income, (i) in case refund has been issued [3 + 6ii- (5 + 8 + 4)] (ii) in case refund has not been issued [3 + 6i – (5+8 + 4)]				
10.	Additional income-tax liability on updated income [25% or 50% or 60% or 70% of (9-7)] or Additional income-tax liability on updated income where return is filed in response to notice issued u/s 148 [35% or 60% or 70% or 80% of (9-7)]				
11.	Net amount payable (9+10)				
12.	Tax paid u/s 140B				
13.	Tax due (11-12)				
14.	TAX PAYMENTS (ONLY as per Updated Return)				
A	Details of payments of tax on updated return u/s 140B				
TAX PAID U/S 140B	Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	NOTE ► Enter the totals of tax paid u/s 140B at Sl. No.11 of Part B-ATI				

TAX PAYMENTS					
B	Details of payments of Advance Tax / Self-Assessment Tax / Regular Assessment Tax, credit for which has not been claimed in the earlier return (credit for the same is not to be allowed again under section 140B(2))				
ADVANCE/SELF ASSESSMENT/ REGULAR ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	NOTE ► Credit for above is not to be allowed again under section 140B(2)				

15. Relief u/s 89 which is not claimed in earlier return [relief for the same is not to be allowed under section 140B(2)]	Rs.

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided in e-filing utility) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number.(Please see instruction). Date: _____ Signature:™ _____

[Notification No. 52/2026/F.No. 370142/13/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy., Tax Policy and Legislation

Note.- The Income-tax Rules, 1962 rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(ii) vide number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification GSR 232 (E), dated the 30th March, 2026



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271444
CG-DL-E-31032026-271444

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 213]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सा.का.नि. 232(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (आठवाँ संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये 31 मार्च, 2026 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2026-27 के लिए फाइल किए गए विवरणी पर लागू होंगे।
2. आय-कर नियम, 1962, के परिशिष्ट -II में,
(क) "प्ररूप आईटीआर- V" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप आईटीआर- V	भारतीय आयकर विवरणी सत्यापन प्ररूप [जहां आयकर विवरणी के डाटा प्ररूप आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में फाइल की गई है, किंतु इलैक्ट्रानिक रूप में सत्यापित नहीं की गई है] (कृपया आय-कर नियम ,1962 का नियम 12 देखें)		निर्धारण वर्ष 2026-27
नाम			
पैन		प्ररूप संख्या	
धारा ... के अधीन फाइल की गई ।		ई-फाइलिंग पावती संख्या	
सत्यापन			
मैं , ... का पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं मेरे सर्वोत्तम विश्वास तथा ज्ञान के अनुसार इस विवरणी में दी गई सूचना जिसे मेरे द्वारा पावती संख्या... द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सत्य और पूर्ण है तथा वह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।			
मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं इस विवरणी को मैं ... अपनी क्षमता के रूप में बना रहा/रही हूं और मैं इस विवरणी को बनाने तथा इसे सत्यापित करने में सक्षम भी हूं। मेरा स्थाई खाता संख्या(पैन) है।			
हस्ताक्षर			
प्रस्तुत करने की तारीख		स्रोत आई.पी पता	
सिस्टम सृजित वार कोड/क्यूआर कोड			
अनुदेश: - यह आय विवरणी फाईल करने का साक्ष्य नहीं है, क्योंकि सत्यापन अभी लंबित है। विवरणी फाईल करने की पावती विवरणी का सत्यापन विनिर्दिष्ट पद्धतियों में से किसी एक के माध्यम से होने के पश्चात ही उपबंधित किया जाएगा। - कृपया आप आधार ओटीपी का उपयोग करके नेट बैंकिंग लॉगिन के माध्यम से ई-फाइलिंग खाते के लॉगिन या पूर्व में विधिमान्य किए गए बैंक खाते/डीमेट खाते का उपयोग करके ई.वी.सी सृजित या बैंक एटीएम के माध्यम से सृजित ई.वी.सी. का उपयोग करके इलैक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई विवरणी को ई-सत्यापित करें। अनुकल्पतः, सम्यक रूप से हस्ताक्षरित (नीली स्याही में अधिमानतः) प्ररूप आई.टी.आर-V को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा “केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बंगलूरु-560500” को भेज सकेंगे। - प्ररूप आईटीआर-V आय-कर विभाग के किसी अन्य कार्यालय में या किसी अन्य रीति से प्राप्त नहीं किया जाएगा। आईटीडी-सीपीसी में इस प्ररूप आईटीआर-V प्राप्त करने की पुष्टि ई-फाइलिंग खाते में रजिस्ट्रीकृत ई-मेल आईडी को भेजी जाएगी। - सफलतापूर्वक सत्यापन पर विवरणी फाइल करने की पावती को आय विवरणी फाइल करने की प्रक्रिया के पूरा होने के सबूत के रूप में ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। - हस्ताक्षर के लिए उपबंधित खाने में ही कृपया हस्ताक्षर करें। आईटीआर-V में दिए गए खाने से भिन्न कहीं और हस्ताक्षर करना अविधिमान्य है। - जहां आईटीआर डाटा को इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जाता है और आईटीआर-v को डाटा के पारेषण से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे मामलों में डाटा को इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषण करने की तारीख को आय विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख के रूप में समझा जाएगा। - जहां आईटीआर डाटा को इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जाता है किंतु आईटीआर-v को डाटा पारेषण करने की तीस दिन की समय-सीमा से परे प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे मामलों में आईटीआर-v को प्रस्तुत करने की तारीख को आय विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख के रूप में समझा जाएगा और अधिनियम के अधीन विवरणी विलंब से फाईल करने परिणाम लागू होंगे।”			

(ख) आईटीआर प्ररूप -पावती के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

"भारतीय आयकर विवरणी पावती [जहां आयकर विवरणी का डाटा प्ररूप आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में फाइल किया गया है, और सत्यापित किया गया है] (कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें)			निर्धारण वर्ष 2026-27	
पैन				
नाम				
पता				
प्रास्थिति		प्ररूप संख्या		
धारा... के अधीन फाइल किया गया		ई-फाइलिंग पावती संख्या		
कराधेय आय और कर ब्यौरे	वर्तमान वर्ष कारबार हानि, यदि कोई हो	1		
	कुल आय	1क		
	मैट के अधीन वही लाभ, जहां लागू हो	2		
	एएमटी के अधीन समायोजित कुल आय, जहां लागू हो	3		
	संदेय शुद्ध कर	4		
	संदेय ब्याज और फीस	5		
	संदेय कुल कर, ब्याज और फीस	6		
	संदत्त कर	7		
	(+)संदेय कर /(-) प्रतिदेय (6-7)	8		
समवर्धित आय	धारा 115नघ के अनुसार समवर्धित आय	9		
	धारा 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त कर	10		
	धारा 115नड के अधीन संदेय ब्याज	11		
	संदेय अतिरिक्त कर और ब्याज	12		
	संदत्त कर और ब्याज	13		
	(+)संदेय कर /(-) प्रतिदेय (12-13)	14		

तारीख को आईटी पते से इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषित आयकर विवरणी
 द्वारा सत्यापित की गई.....पैन रखने
 वाले.....को..... .. *पेपर आईटीआर सत्यापन प्ररूप /
 इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड का उपयोग करके पद्धति के माध्यम से
 सृजित किया गया।

सिस्टम सृजित बार कोड/क्यू आर कोड

*जो लागू न हों, उसे काट दें

इस पावती को सी.पी.सी.बैंगलूरु को नहीं भेजे।

[अधिसूचना सं. 51 /2026/फा.सं. 370142/12/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का0आ0 969(अ),
 तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 231(अ),
 तारीख 30 मार्च, 2026 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2026

G.S.R. 232(E).— In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Eighth Amendment) Rules, 2026;
 (2) They shall come into force with effect from the 31st day of March, 2026 and shall apply in respect of returns filed for Assessment Year 2026-27.
2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), in Appendix II,
 (a) for FORM ITR-V, the following FORM shall, be substituted, namely:—

“FORM ITR-V	<u>INDIAN INCOME TAX RETURN VERIFICATION FORM</u> [Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-7 filed but NOT verified electronically] (Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)		Assessment Year 2026-27
Name			
PAN		Form Number	
Filed u/s		e-Filing Acknowledgement Number	
VERIFICATION			
I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return which has been submitted by me vide acknowledgement number _____ is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as _____ and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____.			
Signature 			
Date of submission		Source IP address	
System Generated Barcode/QR Code			
Instructions: 1. This is not an evidence for having filed the return of income, as verification is pending. The acknowledgement for having filed the return will be provided only after verifying the return through any of the specified modes. 2. Please e- verify the electronically transmitted return data using Aadhaar OTP or Login to e-Filing account through Net-Banking login or EVC generated using Pre-Validated Bank Account/ Demat Account or EVC generated through Bank ATM. Alternately, you may send the duly signed (preferably in blue ink) Form ITRV to “Centralized Processing Centre, Income Tax Department, Bengaluru 560500”, by SPEED POST ONLY. 3. Form ITR-V shall not be received in any other office of the Income-tax Department or in any other manner. The confirmation of receipt of this Form ITR-V at ITD-CPC will be sent to the e-mail Id registered in the e-filing account. 4. On successful verification, the return filing acknowledgement can be downloaded from e-Filing portal as a proof of completion of process of filing the return of Income 5. Please sign only in the box provided for signature. Signature anywhere else other than the box provided can render the ITR V invalid. 6. Where ITR data is electronically transmitted and ITR-V is submitted within 30 days of transmission of data - in such cases the date of transmitting the data electronically shall be considered as the date of furnishing the return of income. 7. Where ITR data is electronically transmitted but ITR-V is submitted beyond the time-limit of 30 days of transmission of data - in such cases the date of ITR-V submission shall be treated as the date of furnishing the return of income and all consequences of late filing of return under the Act shall follow.”			

(b) for FORM ITR- Ack, the following FORM shall, be substituted, namely: —

“INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT [Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-6, ITR-7 filed and verified] (Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)			Assessment Year 2026-27	
PAN				
Name				
Address				
Status		Form Number		
Filed u/s		e-Filing Acknowledgement Number		
Taxable Income and Tax details	Current Year business loss, if any		1	
	Total Income		1A	
	Book Profit under MAT, where applicable		2	
	Adjusted Total Income under AMT, where applicable		3	
	Net tax payable		4	
	Interest and Fee Payable		5	
	Total tax, interest and Fee payable		6	
	Taxes Paid		7	
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (6-7)		8	
Accreted Income & Tax Detail	Accreted Income as per section 115TD		9	
	Additional Tax payable u/s 115TD		10	
	Interest payable u/s 115TE		11	
	Additional Tax and interest payable		12	
	Tax and interest paid		13	
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (12-13)		14	
Income Tax Return electronically transmitted on DD-MM-YYYY 00:00:00 from IP address _____ and verified by _____ having PAN _____ on _____ using * paper ITR-Verification Form / Electronic Verification Code _____ generated through _____ mode				
System Generated Barcode/QR Code				

* Strike off whichever is not applicable

DO NOT SEND THIS ACKNOWLEDGEMENT TO CPC, BENGALURU.”

[Notification No. 51 /2026/F. No.370142/12 /2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy., Tax Policy and Legislation

Note.- The Income-tax Rules, 1962 rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(ii) vide number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification GSR 231 (E), dated the 30th March, 2026.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271443
CG-DL-E-31032026-271443

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 212]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सा.का.नि. 231(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवाँ संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये 31 मार्च, 2026 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2026-27 के लिए फाइल किए गए विवरणी पर लागू होंगे।
- आय-कर नियम, 1962, परिशिष्ट- II में, आई. टी. आर. 7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप	आ.क.वि- 7	भारतीय आयकर विवरणी [उन व्यक्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत कंपनियां भी हैं, जिनसे केवल धारा 139(4क) या धारा 139(4ख) या धारा 139(4ग) या धारा 139(4घ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है] [आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए]		निर्धारण वर्ष					
				2	0	2	6	-	2
भाग क साधारण									
व्यक्तिगत सूचना	(क1) नाम (सृजन/स्थापना/निगमन/निर्माण विलेख में यथाउल्लिखित)			(क2) स्थायी लेखा संख्याक					
	संरचना के प्रयोजनों के लिए प्रदान किए जाने वाले पते: प्राथमिक पता: (क4क) फ्लैट /द्वार /ब्लॉक सं (क5क) परिसर/भवन/ग्राम का नाम (क6क) सड़क/मार्ग/डाकघर (क7क) क्षेत्र /अवस्थान (क8क) नगर/शहर/जिला (क9क) राज्य (क10क) पिनकोड/ ज़िप कोड द्वितीयक पता: (क4ख) फ्लैट /द्वार /ब्लॉक सं (क5ख) परिसर/भवन/ग्राम का नाम (क6ख) सड़क/मार्ग/डाकघर (क7ख) क्षेत्र /अवस्थान (क8ख) नगर/शहर/जिला (क9ख) राज्य (क10ख) पिनकोड/ ज़िप कोड			(क3) विवरणा/निगमन की तारीख (ता.मा.व)					
				/ /					
				(क11) प्रास्थिति		(क12) उपप्रास्थिति			
संरचना के प्रयोजनों के लिए प्रदान किया जाने वाला ब्यौरा									
(क13) कार्यालय का दूरभाष संख्या एस.टी.डी कोड सहित / करदाता का प्राथमिक मोबाईल संख्या			(क14) द्वितीयक मोबाईल सं.			(क15) करदाता का प्राथमिक ई मेल पता			
(क16) द्वितीयक ई मेल पता									
(क17)(i) धारा □ 139(4क) □ 139(4ख) □ 139(4ग) □ 139(4घ) के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी									
(ii) धारा जिसके अधीन छूट का दावा किया गया है, कृपया वर्णन करें (डापडाउन दिया जाए)									
(क18) क्या निर्धारित द्वारा कोई परियोजना/संस्था चलाई जा रही है? (हां/नहीं) यदि हां तो कृपया ब्यौरे दें: आपके द्वारा चलाई जा रही परियोजना/संस्थाओं का ब्यौरे									
क्र. सं.	परियोजना/संस्था का नाम			क्रियाकलाप की प्रकृति		वर्गीकरण			
1									
2									
3									
4									
(क19) आयकर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के ब्यौरे (आज्ञापक हैं, यदि रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित हों) (जब निर्यात रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन स्वीकृत हो चुका है तो अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन का विवरण अनिवार्य नहीं है)									
क्र. सं.	धारा जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत/ अनंतिम रजिस्ट्रीकृत या अनुमोदित/ अधिसूचित किया गया है	रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन की तारीख	अनुमोदन/अधिसूचना/ यूनिट रजिस्ट्रीकरण सं. (यू.आर.एन)	अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण /अनंतिम रजिस्ट्रीकरण / अनुमोदन प्रभावी है				
1	(डापडाउन उपलब्ध कराया जाएगा)								
2									

(क20) आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के ब्यौरे (विदेशी अंशदान विनियमन) अधिनियम, 2010 नीति आयोग के दर्पण पर रजिस्ट्रीकरण तथा सेबी के साथ रजिस्ट्रीकरण)							
क्र. सं.	जिस विधि के अधीन/ पोर्टल जिसी पर रजिस्ट्रीकरण है	किसी अन्य विधि के मामले में ब्यौरे दें	रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन की तारीख	अनुमोदन/अधिसूचना/रजिस्ट्रीकरण सं.	अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है।	तारीख जिस तक रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य है
1	(ड्रॉपडाउन उपलब्ध कराया जाएगा)						
2							

फाइल करने की प्रस्थिति	(क21) (का)	धारा के अधीन फाईल (चिह्नकित करें)	☐ 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व ☐ 139(4)- देय तारीख के पश्चात्, ☐ 139(5)- पुनरीक्षित विवरणी, ☐ 92गघ उपांतरित विवरणी, ☐ 119(2) (ख) - विलंब की माफी के पश्चात्	
	(काii)	या धारा के अधीन सूचना के प्रतिउत्तर में फाइल किया गया	☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153ग	
	(ख)	यदि पुनरीक्षित/वृटिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी फाइल करने की पावती संख्या प्रविष्ट करें और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	- / /	
	(ग)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अधीन नोटिस अथवा धारा 119(2)(ख) के अधीन आदेश की प्रतिक्रिया में फाइल की गई है तो विशिष्ट संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें अथवा यदि धारा 92गघ के अधीन भरी गई है तो अग्रिम मूल्य निर्धारण करार की तारीख भरें।	(विशिष्ट संख्या)	/ /
	(घ)	आवासीय प्रास्थिति ? (निशान लगाएं) ☐ निवासी ☐ अनिवासी		
	(ङ)	क्या कोई आय किसी ऐसी कुल आय में सम्मिलित की गई है जिसके लिए धारा 90/90क/91 के अधीन दावा किया गया है ? ☐ हाँ ☐ नहीं (निवासी के मामले में लागू होता है) [यदि हाँ, तो अनुसूची एफएसआई और अनुसूची टीआर भरना सुनिश्चित करें]		
	(च)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की गई है (निशान लगाएं) ☒ हाँ ☐ नहीं यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें:-		
	(1)	प्रतिनिधि निर्धारिती का नाम		
	(2)	प्रतिनिधि निर्धारिती की ई मेल आईडी		
	(3)	प्रतिनिधि निर्धारिती का दूरभाष सं.		
	(छ)	क्या आप किसी फर्म में भागीदार है? (निशान लगाएं) ☒ हाँ ☐ नहीं	यदि हाँ तो निम्नलिखित जानकारी दें	
		फर्म का नाम	स्थायी खाता संख्यां	
	(ज)	विधिक आस्ति व पहचानकर्ता (एल इ आई) के ब्यौरे (आज्ञापक यदि 50 करोड़ या उससे अधिक का प्रतिदाय है):		
		एलआई संख्याक	तारीख तक वैध	ता/म/व

	(क22)	क्या आपने पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध आस्ति के अंश/शेयर धारित किये हैं । निशान लगाएं ☐ हां ☐ नहीं यदि हां तो कृपया आस्ति व शेयरों के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रविष्ट करें।													
		कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित शेयर		अंत अतिशेष	
					शेयरों की सं.	अर्जन की लागत	शेयरों की सं.	अभिदाय/क्रय की तारीख	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गमन मूल्य (नए निर्गमन की दशा में)	प्रतिशेयर क्रय मूल्य (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की सं.	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की सं.	अर्जन की लागत
		1क	1ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

अन्य बॉरे	(क23)	i	क्या आपके द्वारा चलाए जा रही किसी परियोजना/संस्था पूर्व प्रयोजनों में से एक प्रयोजन साधारण लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की अभिवृद्धि करने का है यदि हाँ तो				
			क	i	क्या धारा 2(15) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप है?	☐ हाँ ☐ नहीं	
				ii	यदि हां, ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्ति के प्रतिशत के साथ-साथ कुल प्राप्ति	%	
			ख	i	क्या धारा 2(15) के परंतुक में यथानिर्दिष्ट किसी प्रतिफल के लिए किसी व्यापार वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	
				ii	यदि हां, ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्ति का प्रतिशत के साथ-साथ कुल प्राप्ति	%	
		ii	यदि 'क' अथवा 'ख' हाँ है तो ऐसी संस्था के संबंध में क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्ति				
	क्र.स.		प्रयोजन/संस्था का नाम	ऐसे क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्ति की राशि			
	क						
	ख						
		(क24)	I	क्या वर्ष के दौरान उन उद्देश्यों / क्रियाकलापों में कोई परिवर्तन हुआ है जिसके आधार पर अनुमोदन/ रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया था			☐ हाँ ☐ नहीं
ii	यदि हां, कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :-						
	क			उक्त परिवर्तन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)		___/___/___	
				ख	क्या धारा 12क उपधारा (1) के खंड (कख)/ धारा 12क उपधारा(1) उपधारा के खंड (कग) के उपखंड (v) के अनुसार तीस दिन की नियत अवधि के भीतर विहित प्ररूप और रीति में नए रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है		☐ हाँ ☐ नहीं
					ग	क्या नया रजिस्ट्रीकरण /अनंतिम रजिस्ट्रीकरण धारा 112कख के अधीन स्वीकृत दिया गया है ?	
		घ	उक्त नई रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)		___/___/___		
	(क25)	क्या यह आपकी प्रथम विवरणी है ?			☐ हाँ ☐ नहीं		
	(क26)	क्या धारा 10(23ग) या धारा 13(10) के बाइसवें परंतुक के उपबंध अनुप्रयोज्य है?			☐ हाँ ☐ नहीं		
		यदि हां कृपया नीचे दी गई जानकारी प्रस्तुत करें क्या:-					
	(क)	धारा 2 के खंड 15 के परंतुक के उपबंध लागू हैं			☐ हाँ ☐ नहीं		

			क्रम सं.	नाम	क्या भारत का निवासी है?	पहचान के प्रकार (डापडाउन दिया जाए)	पहचान संख्या	पता	लाभकारी स्वामित्व का प्रतिशत																				
		ग	व्यक्ति(व्यक्तियों) का (के) नाम- जिसका न्यास या संस्था को कुल अभिदाय, यथास्थिति, सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान 1 लाख रू. से अधिक है या सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के समाप्ति के दौरान कुल योग 10 लाख रू. से अधिक है जिसने पूर्व वर्ष के दौरान धारा 13(3)(ख) के अनुसार न्यास / संस्था में पर्याप्त योगदान किया है। <table border="1"> <tr> <td>क्रम सं.</td> <td>नाम व पता</td> <td>पैन</td> <td>आधार सं.</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							क्रम सं.	नाम व पता	पैन	आधार सं.																
क्रम सं.	नाम व पता	पैन	आधार सं.																										
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय में संबंधी (संबंधियों), लेखक(लेखकों), संस्थापक(संस्थापकों), सदस्य (सदस्यों) न्यासी(न्यासियों), प्रबंधक(प्रबंधकों) के नाम और जहां ऐसे लेखक, संस्थापक, न्यासी, प्रबंधक या व्यक्ति कोई अविभक्त कुटुंब है, उनके ऐसे कुटुंब के सदस्यों और संबंधियों के नाम कृपया धारा 13(3) के खंड (ख) से खंड (घ) निर्दिष्ट करें <table border="1"> <tr> <td>क्रम सं.</td> <td>नाम व पता</td> <td>पैन</td> <td>आधार सं.</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							क्रम सं.	नाम व पता	पैन	आधार सं.																
क्रम सं.	नाम व पता	पैन	आधार सं.																										

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची आई		धारा 11(2) के अर्थातर्गत या धारा 35(1) के साथ पठित धारा 10(23ग)/10(21)/10(23) के तीसरे परंतुक के निबंधनानुसार संचित/पृथक् रकमों के ब्यौरे												
संचयन कावर्ष (वित्तीय वर्ष)	संचयन के वर्ष में संचित रकम	संचयन का प्रयोजन	पूर्ववर्ती वर्ष की शुरुआत तक पूर्व/रकम धर्मार्थ/धार्मिक/वैज्ञानिक अनुसंधान/समाज विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त राशि	शेष	अन्य पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों में कर राशि	आवेदन हेतु उपलब्ध शेष	संचयन पूर्ववर्ती वर्षों के अलावा गत वर्षों के दौरान परोपकारी धर्मार्थ/धार्मिक/वैज्ञानिक अनुसंधान/समाज विज्ञान	अनुप्रयुक्त राशि प्रयोजन के अलावा जिसके लिए ऐसा संचयन किया गया (यदि लागू हो)	धारा 12क ख के अधीन पंजीकृत या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv)/ (v)/ (vi)/ (vii) के अधीन अनुमोदित	आवेदन हेतु उपलब्ध शेष राशि	धारा 11 से धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट रीति में निवेशित या जमा राशि	धारा 11 से धारा 11(5) के बाहर (यदि प्रयोज्य हो) में विनिर्दिष्ट रीति के अलावा निवेशित या जमा राशि	संचयन की अवधि में रकम जिसका उपयोग नहीं हुआ (यदि उपलब्ध हो)	(रकम जिसे धारा 11 की उपधारा (3) के अर्थ के भीतर आय समझा जाएगा)

							न या सां ख्यिकीय अनुसं धान प्रयोज नार्थ अनुप युक्त राशि		किसी न्यास या संस्था न को भुग तान या दी गई राशि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2-4)	(6)	(7) = (5-6)	(8)	(9)	(10)	(11) = 7- 8- 9- 10	(12)	(13)	(14))	(15) = 9+10+ 13+14
2020-21														
2021-22														
2022-23														
2023-24														
2024-25														
2025-26														
योग														

अनुसूची आई.ए		धारा 11(3) के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों में कर संचित आय का विवरण				
वि. व	नि.व.	निर्धारण वर्ष जिसमें अनुसूची आई के स्तंभ 6 में संदर्भित राशि पर कर लगाया गया था (रू. अंकों में)				
संचयन वर्ष (वित्त वर्ष)		2022-23 (क)	2023-24 (ख)	2024-25 (घ)	2025-26 (ड)	कुल (ड.) (क+ख+ग+घ)
2020-21						
2021-22						
2022-23						
2023-24						
योग						

अनुसूची घ	धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) के अधीन आय के समझे गए अनुप्रयोग							
वर्ष जिसमें आय अनुप्रयुक्त किया जाना समझा जाए	पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान अनुप्रयुक्त की जाने वाली समझी गई रकम	समझे जाने वाले अनुप्रयोग का कारण आवेदन के कारण	दावा किए गए समझे गए अनुप्रयोग में, अनुप्रयुक्त की जाने	किसी पूर्ववर्ती वर्ष की रकम जिसपर कर लगाया है	दावा किए गए समझे गए अनुप्रयोग में से, चालू निर्धारण वर्ष से संबंधित वित्तीय वर्ष	पूर्ववर्ती वर्षों में दावाकृत समझे गए अनुप्रयोग की रकम जिसे चालू निर्धारण वर्ष से संबंधित	धारा 11 (1ख) के अधीन वह रकम जो पूर्व वर्ती वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त	समझे गए अनुप्रयोग के कारण पूर्ववर्ती वर्षों में दावाकृत छूट होने के कारण समझी गई आयकी शेष

		(क) वह आय जो उस वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं हुई है (ख) कोई अन्य कारण	वाली रकम		के दौरान अनुप्रयुक्त की जाने वाली	वित्तीय वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त किया गया	न सकी तथा आय समझी गई	रकम और जिसे वित्तीय वर्ष 2026-27 में आगे अनुप्रयुक्त किया जाता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6-7)	(9) = (4-6)
ड्रापडाउन दें		ड्रापडाउन दें						
2025-26		ड्रापडाउन दें						
योग								

अनुसूची घक		धारा 11 (1ख) के अनुसार पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों में कर लगाई संचित आय का विवरण					
निर्धारण वर्ष	संचयन वर्ष (वित्तीय वर्ष)	निर्धारण वर्ष जिसमें अनुसूची घ के स्तंभ 5 में निर्दिष्ट रकम पर कर लगाया गया था (रू. अंकों में)					
		वित्त वर्ष 2022-23 से पूर्व	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च) (क+ख+ग+घ+ड)
	वित्तीय वर्ष 2020-21 से पूर्व						
	2020-21						
	2021-22						
	2022-23						
	2023-24						
कुल							

अनुसूची ज		पूर्व वर्ष के अंतिम दिन तक निधि तथा विनिधानों को दर्शाने वाला विवरण [निर्धारिती द्वारा भरा जाए जिसने धारा 11 और 12 अथवा धारा 10(23ग)(iv) या 10(23ग)(v) या 10(23ग)(vi) या 10(23ग)(vi)]]									
अ	कार्पस के ब्यौरे										
1	कोष दान	01.04.2025 को प्रारंभिक अतिशेष (कोष 31.03.2025 तक अनुप्रयुक्त)	वर्ष के दौरान प्राप्त और कोष की तरह व्यवहृत	वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त	कोष में राशि विनिधानित या वापिस जमा किया गया (जो पूर्व में अनुप्रयुक्त की गई थी तथा अनुप्रयोग के	कोष में विनिधानित या जमा कुल राशि	वित्त वर्ष जिसमें (4) पहले अनुप्रयुक्त हुआ	31.03.2026 को अंत अतिशेष	धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट 31.03.2026 को दावों में विनिधान	पिछले कर निर्धारण वर्षों में कर योग्य राशि	धारा 11(5) में निर्दिष्ट से भिन्न 31.03.2026 के अलावा समुत्थान निवेश

				रूप में दावा नहीं की गई) जहां कोष से आवेदन 01.04.2021 को या उसके बाद किया गया हो।						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1+2+5-3)	(8)	(9)	(10)=7-8-9
i.01.04.2020 को या उसके पश्चात धारा 80 छ (ख) के अधीन अनुसूचित नवीकरण या स्थानों की मरम्मत के लिए प्राप्त दानों के रूप में										
ii. 01.04.2021 को या उसके पश्चात् उपर्युक्त (i) के अलावा										
iii. (i) एवं (ii) के अलावा										
योग										

अ	ऋण और उधार के ब्यौरे						
2	01.04.2025 को प्रारंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान उद्देश्यों के प्रति अनुप्रयोग के लिए लिया गया ऋण और उधार	वर्ष के दौरान न्यास या संस्था के वस्तुओं के लिए अनुप्रयुक्त	वर्ष के दौरान ऋण या उधार के प्रति संदाय की राशि (जो पहले प्रयुक्त किया गया था तथा अनुप्रयुक्त के अनुसार अदावाकृत) जहां किसी ऋण या उधार से अनुप्रयोग 01.04.2021 को या उसके	वित्त वर्ष जिसमें(4) पहले अनुप्रयुक्त है	वर्ष के दौरान ऋण या उधार का कुल प्रति संदाय	31.03.2026 को समाप्ति बकाया (7)

				पश्चात किया गया है				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(1+2-6)	
विनिधान निधियों का ब्यौरा	आ धारा 11(5) के अधीन 31.03.2026 को निवेशित/जमा कोष के ब्यौरे							
	क्र.सं.	विनिधान में से			धारा 11(5) के अनुसार विनिधान का ढंग	विनिधान की रकम		
	(1)	(2)			(3)	(4)		
	i	धारा 80छ(2)(ख) के अधीन 01.04.2020 को या उसके बाद अधिसूचित स्थानों की मरम्मत या नवीनीकरण करने के लिए प्राप्त दान के रूप में कार्पस			डापडाउन दें (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)			
	ii	01.04.2021 को या उसके पश्चात् उपर्युक्त (i) के अलावा प्राप्त कोष						
	iii	(i) एवं (ii) के अलावा						
	iv	योग						
	इ उस (समुत्थानो) में, जिनमें धारा 13(3) धारा 10(23ग) के इक्कीसवें परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों का सारवान हित है, पूर्व वर्ष (पूर्व वर्षों) के दौरान किसी समय धारित विनिधान							
	क्र. सं.	समुत्थान का नाम और पता	क्या समुत्थान कंपनी है? (जो प्रयुक्त हो उसका निशान लगाएं ☒)	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का वर्ग	विनिधान का कुल मूल्य	विनिधान से आय	क्या स्तंभ (6) में वर्णित रकम पूर्व वर्ष के दौरान समुत्थान की पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक है (चिह्नित करें ☒)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i		☐ हाँ ☐ नहीं					☐ हाँ ☐ नहीं	
ii		☐ हाँ ☐ नहीं					☐ हाँ ☐ नहीं	
iii		☐ हाँ ☐ नहीं					☐ हाँ ☐ नहीं	
iv		☐ हाँ ☐ नहीं					☐ हाँ ☐ नहीं	
v		☐ हाँ ☐ नहीं					☐ हाँ ☐ नहीं	
	योग							
ई पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को यथा विद्यमान अन्य विनिधान	क्र. सं.	समुत्थान का नाम और पता	क्या समुत्थान कोई कंपनी है? (जो लागू हो ☒ का निशान लगाएं)	धारित शेयरों का वर्ग	धारित शेयरों की संख्या	विनिधान का कुल मूल्य		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	i		☐ हाँ ☐ नहीं					
	ii		☐ हाँ ☐ नहीं					
	iii		☐ हाँ ☐ नहीं					
	iv		☐ हाँ ☐ नहीं					
	v	योग						
	उ ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय/संदान, जो वस्तु रूप में प्राप्त किए गए हैं किंतु जिन्हें उपबंधित समय के भीतर धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट ढंगों में विनिधानों में संपरिवर्तन नहीं किया गया है							
	क्र. सं.	दाता का नाम और पता	अभिदाय/संदान का मूल्य	उद्देश्य के मद्दे लागू अभिदाय का मूल्य	धारा 11(5) के अधीन विहित ढंगों में (3) में से विनिहित की गई रकम	धारा 11(3) के अधीन आय माना जाने वाला अतिशेष		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
i								
ii								
iii								
iv	योग							

भाग क-बीएस		31 मार्च, 2026 को समेकित संतुलन पत्र	
निधियों का स्त्रोत	क	कोष स्त्रोत	
	1	कोष स्वामित्व	
	क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन को या उसके पश्चात् 01.04.2020 अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस	1क
	ख	01.04.2021 को या उसके पश्चात् अन्य प्राप्त कोष	1ख
	ग	(क) एवं (ख) के अलावा प्राप्त कोष	1ग
	घ	धारा 10 या धारा 11(2) के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के अधीन संचित आय	1घ
	ङ	डीमंड आय की शेष राशि पूर्ववर्ती वर्षों में छूट का दावा डीमंड आवेदन के कारण तथा अनिवार्य आवेदन के कारण वित्त वर्ष 2026-27 से आगे आवेदित	1ङ
	च	कोई अन्य आरक्षित (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	
		i प्रकृति निर्दिष्ट करें	i
		ii प्रकृति निर्दिष्ट करें	ii
		iii कुल (क + कii.)	1चiii
	छ	कुल कोष (क + ख + ग + घ + ङ + च)	1छ
	2	ऋण व उधार	
	क	सुरक्षित ऋण	क
	ख	असुरक्षित ऋण (जमा सहित)	ख
	ग	कुल ऋण कोष (क + ख)	2ग
	3	अग्रिम	3
	4	कोष स्त्रोत (1च + 2ग + 3)	4
निधियों का स्त्रोत	ख	निधियों का अनुप्रयोग	
	1	अचल आस्तियां	
	क	सकल अचल आस्तियां	1क
	ख	मूल्यहास	1ख
	ग	शुद्ध अचल आस्तियां (1क - 1ख)	1ग
	2	निवेश	2
	3	वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम	
	क	वर्तमान आस्तियां	
		i माल	i
		ii विविध देनदार	ii
		iii नकद व बैंक बैलेंस	
		क बैंक में बैलेंस	iii क
		ख पर्याप्त नकदी	iii ख
		ग अन्य	iii ग
		घ कुल नकद तथा नकद समकक्ष (iii क + iii ख + iii ग)	iii घ
	iv	अन्य वर्तमान आस्तियां	iv
	v	कुल अन्य आस्तियां (i + ii + iii घ + iv)	क v
	ख	ऋण व अग्रिम	ख
	ग	कुल (क v + ख)	ग
	घ	वर्तमान देनदारी तथा प्रावधान	
		i वर्तमान देनदारी	
		क विविध लेनदार	क
		ख अन्य लेनदार	ख
		ग कुल (क + ख)	ग
	ii	प्रावधान	ii
	iii	कुल (ग + ii)	घ iii
	ङ	शुद्ध वर्तमान आस्तियां (4ग - 4घ iii)	3ङ
	4	संचित शेष/कोई अन्य रिजर्व (घाटा)	4
	5	कुल निधि या अनुप्रयोग (1 + 2 + 3 + 4)	5
	6	5 के अलावा, धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में किया गया निवेश	6
	7	5 के अलावा, धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति के अलावा किया गया निवेश	7

अनुसूची द

कोष के अनुसूची जे तथा बैलेंस का मिलान

विवरण	01.04.2020 को या उसे पश्चात् धारा 80छ(2)(ख) में अधिसूचित स्थानों के नवीकरण अथवा मरम्मत हेतु प्राप्त संदान के लावा कोष	01.04.2021 को या उसके पश्चात् अन्य प्राप्त कोष	(1) तथा (2) के अलावा कोष
	(1)	(2)	(3)
(क) अनुसूची जे के अनुसार 31.03.2026 को समापन शेष			
(ख) अंतर के कारण (+/-) (खi+खii+खiii)			
i) अचल परिसंपत्ति का क्रय			
ii) मूल्य अवक्षरण			
iii) कोई अन्य कारण (कृपया लिखें)			
(ग). बैलन्स शीट (क + ख) के अनुसार 31.03.2026 को समापन शेष			

अनुसूची पी.पी		राजनीतिक पार्टी	
1	अ) क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29क के अधीन पंजीकृत है?	☐ हाँ ☐ नहीं	
	क यदि हां, कृपया पंजीकरण सं. दर्ज करें।		
	ख पंजीकरण तारीख	/...../.....	
	आ) क्या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है	☐ हाँ ☐ नहीं	
	क यदि हां, तो मान्यता प्राप्ति की तिथि		
2	क्या लेखा बहियां रखी गई थी? जैसा लागू हो ☒ का निशान लगाएं	☐ हाँ ☐ नहीं	
3	क्या खातों की लेखा-परीक्षा की गई है? (जो लागू हो उसे चिह्नित करें ☒)	☐ हाँ ☐ नहीं	
	यदि हां, कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें :-		
	क लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		
	ख लेखा परीक्षा रिपोर्ट हस्ताक्षर करने वाले लेखापरीक्षक का नाम		
	ग लेखा परीक्षक की सदस्य संख्या		
	घ लेखा परीक्षक का नाम (स्वामित्व/फर्म)		
	ङ स्वामित्व/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.		
	च लेखापरीक्षक की स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार सं. (स्वामित्व/फर्म)		
	छ लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख		
4	क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ग की उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई है? (जो लागू हो उसे चिह्नित करें ☒)	☐ हाँ ☐ नहीं	
4क	यदि हां, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि (तिथी/माह/वर्ष)	/...../.....	
4ख	भारत निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग, जिसे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है	(ई-फाइलिंग यूटिलिटी में ड्रॉपडाउन उपलब्ध कराया जाएगा)	
5	क क्या वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति से 20 हजार रुपए से अधिक का कोई स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त किया गया था (लागू अनुसार ☒ का निशान लगाएं)	☐ हाँ ☐ नहीं	
	ख यदि हां तो 20 हजार रुपए से अधिक का प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय (निर्वाचन बंधपत्रों के रूप में अभिदायों से भिन्न) का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम और पता भी सम्मिलित है जिसने ऐसा अभिदाय किया है) रखा गया था ? (लागू अनुसार ☒ का निशान लगाएं)	☐ हाँ ☐ नहीं	
6	क्या पाने वाले के खाते में देय बैंक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके या इलेक्ट्रॉनिक बंधपत्र के माध्यम से अन्यथा दो हजार रुपए से अधिक कोई संदान प्राप्त किया गया था ? (लागू अनुसार ☒ करें)	☐ हाँ ☐ नहीं	
7	कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:		
	क वि.व. के दौरान पार्टी द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक कुल योगदान (ख + ग + घ)	7क	
	ख वि.व. के दौरान समस्त स्वैच्छिक कुल योगदान 2000रू. से कम प्राप्त का कुल मूल्य	7ख (7ख)	
	गii वित्तीय वर्ष के दौरान नकद रूप में ₹2,000 तक प्राप्त सभी स्वैच्छिक अंशदानों का कुल मूल्य।	7गii	
	गiii वित्तीय वर्ष के दौरान नकद के अलावा, ₹2,000 तक प्राप्त सभी स्वैच्छिक योगदानों का कुल मूल्य।	7गiii	
	घ वि.व. के दौरान समस्त स्वैच्छिक अंशदान जो 20,000रू. से अधिक प्राप्त हुआ का कुल मूल्य	7घ	

अनुसूची ड.न		निर्वाचक न्यास	
निर्वाचक न्यास	1	क्या लेखा बहियां रखी गई थी?	☐ हाँ ☐ नहीं
	2	क्या प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम, पता और पैन भी सम्मिलित है, जिसने अभिदाय की पद्धति के साथ ऐसा अभिदाय किया है) रखे गए थे? जैसा लागू हो ☐ का निशान लगाएं	☐ हाँ ☐ नहीं
	3	क्या प्रत्येक ऐसे पात्र राजनैतिक दल का अभिलेख अनुरक्षित किया गया था जिसे वितरण योग्य अभिदायों का वितरण किया गया है (पात्र राजनैतिक दल का नाम, पता, पैन संख्या और रजिस्ट्रीकरण संख्या ? (लागू अनुसार ☐ का निशान लगाएं)	☐ हाँ ☐ नहीं
	4	क्या धारा 17गक(12) के अनुसार लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? (लागू अनुसार ☐ का निशान लगाएं)	☐ हाँ ☐ नहीं
		यदि हां तो प्ररूप 10खक में संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	____/____/____
	5	क्या नियम 17गक (14) के अनुसार रिपोर्ट आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत कर दी गई है? (जैसा लागू हो ☐ का निशान लगाएं)	☐ हाँ ☐ नहीं
	6	प्राप्त ऐच्छिक अभिदायों और वर्ष के दौरान वितरित रकम के ब्यौरे	
	i	1 अप्रैल को आरंभिक अतिशेष	i
	ii	वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया स्वैच्छिक अभिदाय	ii
	iii	योग (i+ii)	iii
	iv	राजनैतिक दलों को वितरित रकम	iv
	v	न्यास के प्रशासन और प्रबंध पर खर्च की गई रकम (उपरोक्त क्रं. सं. ii के 5% अथवा समावेशन के प्रथम वर्ष के लिए 5 लाख तथा बाद के वर्षों के लिए 3 लाख जो भी कम हो, तक सीमित)	v
	vi	योग (iv+v)	vi
	Vii	धारा 13ख के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम (अनुसूची ईटी के क्रम सं. 6ii यदि 6iv में वितरित राशि 6iii के 95% है) (नियम 17गक के अनुसार)	Vii
	viii	31 मार्च को संवरण अतिशेष (iii)-(iv)	Viii

अनुसूची फग		स्वैच्छिक अभिदाय (प्राप्त किये गए संदाय)(आई.टी.आर 7 भरते समय सभी व्यक्तियों द्वारा आज्ञापक रूप में भरा जाए)	
अ	अ	घरेलू अंशदान (धारा 115खखग के तहत कर योग्य अज्ञात संदान के अलावा)	
	i	समग्र संदान	आi
	क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस	आक
	ख	उपर्युक्त के अलावा कॉर्पस	आख
	ii	समग्र संदान के अतिरिक्त	आii
	(क)	सरकार से प्राप्त अनुदान	
	(ख)	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनियों से प्राप्त अनुदान	
	(ग)	अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान	
	(घ)	अन्य संदान	
	(ङ)	कुल	आiङ
	iii	घरेलू स्वैच्छिक अभिदाय (आi + आiiङ)	आiii
	आ	विदेशी अभिदाय (धारा 115खखग के तहत कर योग्य अज्ञात संदान के अलावा)	
	i	समग्र निधि संदान (आi + आiख)	आi
	क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस	आiक
	ख	उपर्युक्त के अलावा कॉर्पस	आiख
इ	ii	समग्र निधि संदान के अतिरिक्त	आii
	iii	विदेशी अभिदाय (आi + आiii)	आiii
	iv	प्रयोजन निर्दिष्ट करें जिसके लिए विदेशी अंशदान प्राप्त किया गया	आiv
	इ	कुल अभिदाय (आiii + आiii)	इ
	ई	अज्ञात दान, धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य [निर्धारिती पर लागू जो धारा 11 या 10(23ग)(iv) या 10(23ग)(v) या 10(23ग)(vi) या 10(23ग) (vi) या	

		10(23ग)(iiiकघ) या 10(23ग)(iiiकड़.) के अधीन छूट का दावा कर रहा है] [केवल ऐसे न्यासों से भिन्न द्वारा भरा जाए जो धारा 115खखग(2) के अधीन आते हैं]		
	i	प्राप्त किए गए ऐसे अनाम अभिदाय का योग	i	
	ii	क्रम सं. ग + घ i पर प्राप्त कुल संदान का 5% या 1,00,000 जो भी उच्चतम हो	ii	
	iii	धारा 115 खखग के अधीन 30% (i – ii) की दर से कराधेय अनाम अभिदाय	iii	{नकारात्मक होने पर शून्य लिया जाएगा}
उ		(अनुसूची फग की क्रम सं. ईiii से भिन्न अनाम संदान(अनुसूची फ ग का ई से ईiii)	उ	

अनुसूची एआई		ऐच्छिक अभिदायों को अपवर्जित करके पूर्व के दौरान व्युत्पन्न कुल आय [धारा 11 और 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(viक)के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों द्वारा भरा जाए]			
आय का कुल जोड़	1	मुख्य उद्देश्यों से प्राप्तियां		1	
	2	अनुषंगी उद्देश्यों से प्राप्तियां		2	
	3	किराया		3	
	4	कमीशन		4	
	5	लाभांश आय		5	
	6	ब्याज आय		6	
	7	कृषि आय		7	
	8	पूंजी आस्ति के अंतरण पर शुद्ध प्रतिफल		8	
	9	कोई अन्य आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)			
		प्रकृति	रकम		
	क	आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे)	क		
	ख		ख		
	ग		ग		
	घ		घ		
	ड	कुल (9क + 9ख + 9ग + 9घ)	ड	9ड	
	10	कुल (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9)		10	

अनुसूची -ए		न्यास/ संस्थानों के स्थिर वस्तुओं पर लागू राशि समस्त स्त्रोतों से पूर्व वर्ष के दौरान तालिका इ1 से इ7 में संदर्भित [निर्धारितों द्वारा धारा 11 या 12 या धारा 10(23ग)(iv) या 10(23ग)(v) या 10(23ग)(vi) या 10(23ग)(viक) के अधीन छूट का दावा के लिए दाखिल किया जाएगा]					
अ	ट्रस्ट/संस्थान के विवरणित उद्देश्यों के लिए आवेदन				राज स्व	पूं जी	कु ल
1	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस से भिन्न संस्थान या न्यास को दान (किए गए दान के 100% की प्रविष्टि यहां करना आवश्यक है)				1		
1 क	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस से भिन्न संस्थान या न्यास को दान का 85%				1क		
2	धार्मिक				2		
3	गरिबों के लिए अनुतोष				3		
4	शिक्षा				4		
5	योग				5		
6	चिकित्सा अनुतोष				6		
7	पर्यावरण संरक्षण				7		
8	समारकों आदि का संरक्षण				8		
9	सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता				9		
10	आवेदन जिसे उपर्युक्त 1 से 9 के तहत विशिष्ट रूप से नहीं पहचाना जा सकता				10		
11	धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत				11		
12	कुल (अ1क से अ 11)				अ 12		
आ	ग2 से ग7 (ख1 + ख 2 + ख3 + ख 4+ ख 5+ ख 6+ ख 7+ ख 8) पर निधि के स्त्रोत के अतिरिक्त आवेदन के अलावा व्यय आवेदन अनुमेय नहीं टिप्पण : क्रम सं. ख में दर्ज राशि क्रम सं. क से बाहर होनी चाहिए				आ		

1	कॉर्पस के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में	1			
2	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के प्रति अलावा संचित आय से बाहर दान के मामले में	2			
3	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है।	3			
4	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान	4			
5	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार प्राप्त किया गया	5			
6	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।	6			
7	न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त	7			
8	किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए	8			
इ	पंक्ति क में पूंजी आवेदन तथा राजस्व जुटाने हेतु निधि का स्त्रोत (क्रम सं. अ12 में क्रम सं. इ2 से इ7 में विस्तारित रकम)	इ			
1	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित संपत्ति/आय से व्युत्पन्न आय (कॉर्पस को छोड़कर)	1			
2	पूर्ववर्ती वर्षों में धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक या धारा 11(2) के अधीन संचित आय	2			
3	किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड 2 के अधीन अनुप्रयुक्त आय(केवल तभी लागू जब धारा 11 तथा 12 के अधीन छूट का दाव किया हो)	3			
4	15 प्रतिशत तक संचित या पृथक पूर्ववर्ती की आय	4			
5	कॉर्पस	5			
6	उधार ली गई निधि	6			
7	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	7			
ई	पूर्व वर्ष के दौरान प्रयुक्त कुल राशि [अ 12-आ-इ 2-इ 3-इ 4-इ 5-इ 6-इ 7]	ई			
उ	'ई' के बाहर पूर्व वर्ष के दौरान रकम जो वास्तव में उपयोजित नहीं की गई (यदि यह क्रम सं. क12 में सम्मिलित है तो)	उ			
ऊ	राशि जो वास्तव में गत वर्ष के दौरान भुगतान की गई जो अन्य पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित की गई थी किंतु पहले गत वर्ष में आय अनुप्रयोग के अनुसार दावा नहीं की गई	ऊ			
ए	आवेदन के रूप में स्वीकृत की जाने वाली कुल राशि (ए = ई - उ + ऊ)	ए			

अनुसूची आई.ई-1		आय और व्यय विवरण (धारा 10(21), धारा 10(23कक), धारा 10(23ख), धारा 10(23घ), धारा 10(23चक), धारा 10(23डग), धारा 10(23डघ), धारा 10(23डड), 10(23चख), धारा 10(29क), धारा 10(46), धारा 10(46क), धारा 10(46ख), धारा 10(47) के अधीन (छूटे गणनीयता या आय शर्तों के शीर्ष के अधीन नहीं होगी।)			
1	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	1			
2	संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोजन	2			
3	संचित आय	3			

अनुसूची आई.ई-2 2		आय और व्यय विवरण (धारा 10(23क), धारा 10(24) के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू) (जहां आय के केवल कतिपय शीर्ष कराधेय और नीचे पंक्ति 4 में रिपोर्ट की गई अन्य प्राप्तियां छूट प्राप्त है)			
अ	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां (पंक्ति ख के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले कराधेय शीर्षों के अधीन आने वाली प्राप्तियों के सिवाय)	1			
	2 संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोजन	2			
	3 संचित आय	3			
आ	क्या आपकी कोई ऐसी आय है जो कराधेय है? यदि हां तो कृपया कराधेय के ब्यौरे उपलब्ध कराएं (चिह्निकित) ☐ हां ☐ नहीं				
	क गृह संपत्ति से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची एच.पी भरें)	1 क		☐ हां ☐ नहीं	
	ख कारबार या वृत्ति से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची बी.पी भरें)	1 ख		☐ हां ☐ नहीं	
	ग पूंजीलाभ से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची सी.जी भरें)	1 ग		☐ हां ☐ नहीं	
	घ अन्य स्रोत से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची ओ.एस भरें)	1 घ		☐ हां ☐ नहीं	

अनुसूची आई.ई-3	आय एवं व्यय विवरण [निर्धारिती के लिए लागू जो धारा 10(23ग)(iii)कख या 10(23ग)(iii)कग] के अधीन छूट का दावा कर रहा है) (कृपया प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से पता दर्ज करें) (छूट, स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक, सरकारी अनुदानों के अधधीन होगी) :

1	संस्था के उद्देश्य (डापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):	1	
2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं	2	
3	किसी स्वेच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	3	
4	उपरोक्त क्रम सं.3 में से सरकारी अनुदान	4	
5	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम	5	
6	संचित अतिशेष	6	

अनुसूची आई.ई-4 आय एवं व्यय विवरण [निर्धारिती के लिए लागू जो धारा 10(23ग)(iiiकघ) या 10(23ग)(iiiकड) के अधीन छूट का दावा कर रहा है] (कृपया प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से पता दर्ज करें) (छूट सभी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से पांच करोड़ रूपए से अनधिक कुल प्राप्तियों के अधीन होगी):			
1	संस्था के उद्देश्य (डापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):	1	
2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं	2	
3	सकल वार्षिक प्राप्तियां	3	
4	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम	4	
5	संचित अतिशेष	5	
(उपरोक्त क्रम सं. 1 से क्रम संख्या 5 के लिए पंक्ति जोड़ने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।)			
कुल वार्षिक प्राप्तियों की राशि(क्रम सं. 3 की राशि)			

अनुसूची गृह संपत्ति		गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए डापडाउन उपलब्ध किया जाए)				
गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)				
		संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता (%)				
		सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या.		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता	
		I				
		II				
		[लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) ☒ यदि किराए पर हो ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (यदि उपलब्ध हों)		किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया जाता है)
		I				
		II				
		क	सकल प्राप्त या प्राप्य या किराए योग्य मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराये पर दिया जाए तो दोनों में से उच्चतर, यदि वर्ष के कुछ भाग के लिए किराये पर दिया जाए तो दोनों में से निम्नतम)		1क	
		ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख		
		ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग		
		घ	योग (1ख + 1ग)	1घ		
		ङ	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)	1ङ		
		च	1 ङ का 30%	1च		
	छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज (विवरण ई-फाइलिंग उपयोगिता में दिए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरे जाने हैं)	1छ			
	ज	योग (1च + 2ज)	1ज			
	झ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया /वसूलनीय किराया	1झ			
	ञ	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ज)	1ञ			
		(प्रत्येक संपत्ति का विवरण अलग से भरे)	1ट			
	2	आय/क्षति के जरिए पास, यदि कोई हो *	2			
	3	"गृह संपत्ति से आय " शीर्ष के अधीन आय (1 ज + 2) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का अंक 2झ लें)	3			
टिप्पण ▶		किरायदार की स्थायी खाता संख्या/ आधार सं. देना आज्ञापक है, यदि धारा 194-झख के अधीन कर की कटौती की गई है।				

किरायदार का टीएन देना आज़ापक है, यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती की गई है।

अनसूची पूंजी अभिलाभ		पूंजी अभिलाभ								
पूँजी अभिलाभ	अल्पकालिक पूंजी लाभ	क अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एस टी सी जी) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)								
		1 विक्रय / अर्जन की तारीख दिन /मास /वर्ष बिक्री/अंतरण की तारीख दिन /मास /वर्ष								
		क	i	प्राप्त/ प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	का					
			ii	स्टॉक मूल्यांकन प्राधिकारीके अनुसार संपत्ति का मूल्य	क ii					
			iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [यदि (कii) 1.10 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ों को (का) के रूप में लें या अन्यथा (कii) के रूप में लें]	क iii					
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ							
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i					
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii					
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii					
			iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv					
		ग	तुलन (क iii - ख iv)			1 ग				
		घ	धारा 54 छ /54 छ क के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			1 घ				
		ङ	स्थायर संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)			क 1 ड fgh				
		च	अचल संपत्ति के अंतरण के मामले में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें)							
			क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं के नाम	क्रेता(क्रेताओं का पैन्/ आधार सं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य
			टिप्पण ► यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है या खरीदार द्वारा दस्तावेजों में इसका उल्लेख किया जाता है, तो पेन/आधार नंबर देना अनिवार्य है। एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें							
		2	स्लम्प बिक्री से							
		क	i	नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2का					
			ii	नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii					
			iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)	2कiii					
ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य (प्ररूप 3गड.क का 6(ड.))			2 ख						
ग	स्लम्प की बिक्री से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2कiii - 2ख)			क 2 ग						
पूँजी अभिलाभ	अल्पकालिक पूंजी लाभ	3 ईकटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख ईकटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii)(ख) के परन्तुक (विदेशी के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है (जहां क4 लागू नहीं है)								
		क	प्रतिफल का पूरा मूल्य			3 क				
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ							
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i					
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii					
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii					
			iv	योग (i + ii + iii)	ख iv					
		ग	शेष (3 क - ख iv)			3 ग				

			धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि - उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	3 घ		
			ड साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ड +3 घ)	क 3 ड		
		4	अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांश के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)			
			क धारा 111क के अधीन आने वाले संव्यवहारों पर एसटीसीजी	क 4 क		
			ख क्रम संख्या 4क में शामिल न किए गए शेयरों की बिक्री या डिबेंचर की बिक्री से एसटीसीजी	क 4 ख		
		5	अनिवासियों की दशा में -धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)			
			क i प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			
			क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/ प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	क		
			ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख		
			ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	ग		
			ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii		
			iii कुल (ग + ii)	क iii		
			ख धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
			i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
			ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
			iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
			iv योग (i + ii + iii)	ख iv		
			ग शेष (5 क iii – ख iv)	5 ग		
			धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि - उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5 घ		
			ड साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ड +3 घ)	क 5 ड		
		6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से			
			क i आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			
			क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/ प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	क		
			ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख		
			ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	ग		

		9 क 1 – क8 में अंतर्विष्ट एसटीजीटी की रकम लेकिन जिस पर भारत में डीटीए के अनुसार कर से प्रभार्य धन का दावा नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है (केवल अनिवारियों पर लागू)											
		क्रम संख्या	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. क1-क8 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है	क्रम संख्या	आय की रकम		उपरोक्त मद सं. क1-क8 जिसमें सम्मिलित किया गया है	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	
		I											
		II											
		क	डीटीए के अनुसार भारत में अप्रभार्य कर के दावे की कुल राशि									क9क	
		ख	डीटीए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम									क9ख	
		क(क)	शेयरों की पुनर्खरीद पर पूंजीगत हानि [अल्पकालिक पूंजी हानि @20% / 30% / लागू दर] (केवल तभी दावा किया जा सकता है जब धारा 2(22)(च) के तहत संबंधित लाभांश आय अनुसूची गंध के 1कiii या क्र.सं. 2ग/2घ में प्रस्तुत किये जाते हैं)									क(क)	
		10	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (क1 ड+ क2 ग+ क3 ड + क4 क+ क4ख+ क5 ड + क6छ + क7 + क 8 - क 9क+ क(क))									क 10	

दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ	ख	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (अनिवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7 लागू नहीं)									
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से(प्रत्येक संपत्ति के ब्यौरे पृथक रूप से भरें)									
		विक्रय / अर्जन की तारीख			दिन /मास /वर्ष		बिक्री/अंतरण की तारीख		दिन /मास /वर्ष		
		क	i	प्राप्त /प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य				का			
			ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य				काii			
			iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (काii) (का) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (का) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (काii) लें]				काiii			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ									
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i			
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				खii			
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय				ख iii			
			iv	योग (खा + खii + खiii)				ख iv			
		ग	शेष (क iii – ख i v)						1 ग		
	घ	धारा 54 घ/ 54 डग/ 54 छ /54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)						1 घ			
	ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)						ख1ङ			
	च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (कृपया टिप्पण दें)									
				क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैर / आधार नं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य
				टिप्पण यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैर/ आधार नं.देना अनिवार्य है । ► एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें ।							
				छ	अचल संपत्ति पर कुल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (ख1ड.)				ख1छ		

22	22	2	स्लम्प बिक्री से				
222			क	i	नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कi	
				ii	नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii	
				iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)	2कiii	
			ख		वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य (प्ररूप 3गड.क का 6(ड.))	2ख	
			ग		शेष (2कiii - 2 ख)	2ग	
			घ		धारा 54डग के अधीन कटौती	2घ	
			ड		स्लम्प के विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2 घ)	ख 2 ड	
		3	धारा 112(1) के अनुसार सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (इकाई के अतिरिक्त) या शून्य कूपन बांड की बिक्री से				
			क		प्रतिफल का पूरा मूल्य	3क	
			ख		धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
				iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
				iv	कुल (खाक + खiiक + खiii)		
			ग		पूर्वोक्त ख 3 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (3क - ख iv)	ख3ग	
444	44	4	किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की इकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है				
			ख4 पर पूंजीगत आस्तियों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ				ख4
		5	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के असूचीबद्ध शेयरों या सूचीबद्ध डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)				
			असूचीबद्ध शेयरों या सूचीबद्ध डिबेंचरों पर सूचीकरण लाभ के बिना गणना की गई एलटीसीजी				ख5
		6	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से (धारा 112 क में विदिष्ट प्रतिभूतियों के सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा I)				
			क	i	प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-		
				क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/ प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	i क	
				ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख	
				ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग	
				ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii	
				iii	कुल (iग + ii)	क iii	
			ख		धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
				iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	

			iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv			
		ग		अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 6 पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (6क iii - 6ख iv)	ख 6ग			
		7		एफआईआई/एफपीआई (गैर-निवासियों) के लिए - किसी कंपनी में इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट या किसी बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट की बिक्री से, जिस पर धारा 115कघ के साथ पठित धारा 112क के अधीन एसटीटी का भुगतान किया जाता है।	ख 8			
				ख 7 पर पूंजीगत आस्तियों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ			ख 7	
		8		आस्तियों के विक्रय से जहाँ ऊपर ख 1 से ख 7 लागू नहीं होते हैं				
			क	i आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:				
				क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	क			
				ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख			
				ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	ग			
				ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii			
				iii कुल (ग + ii)	क iii			
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ				
				i सूचीकरण के बिना अधिग्रहण की लागत	ख i			
				ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
				iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii			
				iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv			
			ग	अतिशेष (क iii - ख iv)	8 ग			
			घ	धारा 54घ/धारा 54छ/धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	8 घ			
			ड	ऊपर ख 8 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (8ग - 8घ)			ख 8ड़	
		9		दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
				क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है				
				☐ हाँ ☐ नहीं ☐ लागू नहीं नहीं होता, यदि हाँ, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं				
			क	क्रम संख्या	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता खाता (X) में उपयोग में नहीं लाई
							पूर्व वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि

55	ग1	पूँजीगत अभिलाभ आय की राशि (नीचे दी गई तालिका ड के (8ii + 8iii + 8iv + 8v + 8vi + 8vii +	ग1	
	ग2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आय (अनुसूची वी.डी.ए की मद सं. ख)	ग2	
	ग3	“पूँजीगत अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (ग1 + ग2)	ग3	
	घ	पूँजीगत अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी		
	1	धारा 54घ / धारा 54ङ/धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें		

क	54 घ के अधीन किया गया कटौती का दावा				
	i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीख	क i	दिन/मास/वर्ष	
	ii	नई भूमि या आद्योगिक उपक्रम के लिए नई भूमि या भवन के क्रय/निर्माण की लागत	क ii		
	iii	नई भूमि या भवन की खरीद की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष	
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	क iv		
		(ivक) निक्षेप की तारीख	(ivक) खाता सं	(ivक)आई एफ एस कोड	
		दिन/ मास/ वर्ष			
v	दावाकृत कटौती की राशि			क v	
ख	धारा 54 ड ग के अधीन दावाकृत कटौती				
	i	मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष	
	ii	विनिर्दिष्ट/अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख से ज्यादा नहीं)	ख ii		
	iii	निवेश की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष	
	iv	दावाकृत कटौती की राशि	ख iv		
ग	धारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती				
	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष	
	ii	नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	ग ii		
	iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में खरीदी/बनाई गई आस्ति की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष	
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि	ग iv		
		(ivक) निक्षेप की तारीख	(ivक) खाता सं	(ivक)आई एफ एस कोड	
		दिन/ मास/ वर्ष			
v	दावाकृत कटौती की राशि			ग v	
घ	धारा 54 छक के अधीन दावाकृत कटौती				
	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख	घ i	दिन/मास/वर्ष	
	ii	नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	घ ii		
	iii	एसईजेड मे नई आस्ति के क्रय निर्माण की तारीख	घ iii	दिन/मास/वर्ष	
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि	घ iv		
		(ivक) निक्षेप की तारीख	(ivक) खाता सं	(ivक)आई एफ एस कोड	
		दिन/ मास/ वर्ष			
v	दावाकृत कटौती की राशि			घ v	
ड	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ)			ड	

इड़इ पूंजी अभिलाभ चालू वर्ष की पूंजी हानि को चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (क9क तथा ख 12क में सम्मिलित राशि को छोड़कर जो डीटीए के अंतर्गत प्रभाय नहीं है)									
क्र.सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष का पूंजी अभिलाभ(इस स्तंभ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि		मुजराई के पश्चात चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ 8= 1-2-3-4-5-6-7)
			20%	30%	लागू दर	डीटीए दर	12.5%	डीटीए दर	

			1	2	3	4	5	6	7	8
i	मुजराई की जाने वाली पूंजी हानि (इस स्तंभ को केवल तभी भरें, जब संगणित अंक नकारात्मक हों)			(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*+ अ(अ))	(अ5ड*+ अ8ख*+ अ(अ))	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*+ अ(अ))	अ9ख	(आ1छ*+ आ2ड*+ आ3ग*+ आ4*+आ5*+ आ6ग*+ आ7*+ आ8ड*+ आ9*+ आ10क1*+ आ10क2*+ आ(क))	आ11ख	
ii		20%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*+ अ(अ))							
iii		30%	(अ5ड*+ अ8ख*+ अ(अ))							
iv	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	लागू दर	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*+ अ(अ))							
v		डीटीएए दर	अ9ख							
vi	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	12.5%	(आ1छ*+ आ2ड*+ आ3ग*+ आ4*+आ5*+ आ6ग*+ आ7*+ आ8ड*+ आ9*+ आ10क1*+ आ10क2*+ आ(क))							
vii		डीटीएए दर	आ11ख							
viii	मुजराई की गई कुल हानि (ii + iii + iv + v + vi + vii)									
ix	मुजराई के बाद शेष हानि (i - viii)									

क्र. सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार/ तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 तक (ii)	16/9 से 15/12 तक (iii)	16/12 से 15/3 तक (iv)	16/3 से 31/3 तक (v)
1	20 प्रतिशत की दर पर कर योग्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
2	30% की दर पर कर योग्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
3	लागू दर पर कर योग्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
4	डी टी ए ए दर पर कर योग्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
5	12.5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					

6	डी टी ए ए दर पर कर योग्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
7	30% की दर पर वर्चुअल डिजिटल आस्ति के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ(अनुसूची धड़ की मद 16ख से मूल्य प्रविष्टि करें, यदि कोई हो					

अनुसूची वी.डी.ए	धारा 115खखज आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय टिप्पण: प्रत्येक अंतरण का ब्योरा भरा जाएगा जिसमे प्रत्येक स्थानांतरण अंतरित किया जाता हो					
क्रम सं.	अधिग्रहण की तिथि	अंतरण की तिथि	शीर्ष जिसके अधीन आय पर कर लगाया जाना है /अल्पकालिक (दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत (उपहार के मामले में) (2)56 धारा (क)x के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया जाना है किसी अन्य मामले में (ख) पिछले स्वामी की लागत ।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आय हानि के मामले में (शून्य दर्ज करें 6 स्तंभ)– स्तंभ (5
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
पंक्ति सम्मिलित करें						
क. कुल (स्तंभ (की समस्त सकारात्मक कारबार आय की राशि 7)						(अनुसूची बी. पी की मद सं. क 3घ)
ख. कुल (स्तंभ (में पूंजीगतलाभ की समस्त सकारात्मक आय राशि 7)						(अनुसूची सी जी की मद सं. ग2)

अनुसूची-अन्य स्रोत	अन्य स्रोतों से आय			
1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)			
क	लाभांश, सकल (का+कii+क iii)			1क
i	(ii) और (iii) के अलावा लाभांश आय			काi
ii	धारा 2(22)(ड) के अधीन लाभांश आय			काii
iii	धारा 2(22)(च) के अधीन लाभांश आय			काiii
ख	ब्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv)			1ख
i	बचत बैंक से	खi		
ii	निक्षेपों से (बैंक/डाकघर/सहकारी/ सोसाइटी/)	खii		
iii	आयकर प्रतिदाय से	खiii		
iv	आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खiv		
v	अन्य जिसमें कंपनियों, एन बी एफ सी और एच एस सी के ब्याज भी सम्मिलित है	खv		
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय			1ग
घ	धारा 56(2) (भ) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घi + घii + घiii + घiv + घv)			1घ
i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का सकल मूल्य	घi		
ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घii		
iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घiii		
iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv		
v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv		
ङ	कोई अन्य आय (अलग प्रकृति)			1 ङ
क्रं सं.	प्रकृति	राशि		

		1.	धारा 10 के खंडों के अधीन छूट की अस्वीकृति के कारण आय					
		2.	पिछले वर्ष के दौरान किसी बिज़नेस ट्रस्ट से किसी यूनिट होल्डर को प्राप्त कोई भी निर्दिष्ट राशि, धारा 56(2)(xii) के तहत कर योग्य होगी।					
			यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं					
		ड2	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)				1ड	
2			विशेष दरों पर प्रभार्य आय(2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्र.सं. 1 से संबंधित तत्व)				2	
		कi	लॉटरी, वर्ग पहली आदि जीतने से हुई आय				2कi	
		कii	ऑनलाइन खेलों से होने वाली जीत धारा 115खख के तहत कर योग्य है।				2कii	
		ख	धारा 115खख के अधीन प्रभार्य आय (खा + खii + खiii + खiv + खv + खvi)				2ख	
		i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi				
		ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii				
		iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii				
		iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv				
		v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv				
		vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi				
		ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (गा से गxiv का योग)				2ग	
		i	धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य अनिवासी या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	गा				
		ik	115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन प्रभार्य धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट, किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में यूनिट से किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	गाक				
		ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त विदेशी करेंसी पर ब्याज	गाii				
		iii	धारा 115क(1)(क)(iik) के अधीन प्रभार्य अवसंरचनात्मक ऋण निधि	गाiii				
		iv	धारा 115क(1)(क)(iikक) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	गाiv				
		v	धारा 115क(1)(क)(iikक) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @4% में निर्दिष्ट ब्याज	गाv				
		vi	धारा 115क(1)(क)(iikख) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज	गाvi				
		vii	संवितरित आय जो धारा 115क(1)(क)(iikग) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठकक में निर्दिष्ट ब्याज है	गाvii				
		viii	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य विदेशी करेंसी में क्रय की गई धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट यूटीआई की यूनिटों या अन्य पारस्परिक आय	गाviii				
		ix	धारा 115क(1)(ख) के अधीन प्रभार्य सरकारी या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस से आय	गाix				
		x	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बॉन्ड के लाभांश पर आय	गाx				
		xi	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	गाxi				
		xii	धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य प्रतिभूतियों के संबंध में (धारा 115कख में युनिटों से भिन्न) किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त आय	गाxii				
		xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई दरों ब्याज द्वारा प्राप्त आय-धारा 115कघ(1)(i) के अनुसार प्रभार्य	गाxiii				
		xiv	धारा 115खख के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर	गाxiv				

			xv	धारा 194ठग (1) के दूसरे परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अनिवासी द्वारा प्राप्त आय धारा 115क(1)(क)(ii)क के अधीन 9 %से प्रभार्य					gXv					
		घ	विशेष दरों पर प्रभार्य के रूप में दावाकृत अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में पासशू आय (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए)										2 घ	
		इ	ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित रकम जो भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर प्रभार्य के रूप में दावाकृत है (नीचे की सारणी के स्तंभ 2 का योग)(केवल अनिवासियों के लिए लागू)										2 इ	
			क्रम सं.	आय की रकम	मद सं.1क, 1कiii, 1ख से 1घ, 2क, 2ग जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			I											
			II											
3		धारा 57 के अधीन कटौतियाँ (उन कटौतियों से भिन्न जो 2क, 2ख, 2ग, 2घ और 2इ के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय से संबंधित हैं)												
		क	व्यय/कटौतियाँ ("ग" में इंदराज के अलावा)							3क				
		ख	अवक्षयण (तभी उपलब्ध, यदि आय "अनुसूची ओएस" की 1ग में प्रस्तुत की गई)							3ख				
		ग	धारा 57(1) के अधीन लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क)(i) और/या 1(क)(ii) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज							3ग				
		गा	धारा 57(i) के अधीन योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि							3गा				
		घ	योग							3घ				
4		धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम										4		
5		धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ										5		
6		सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (1 (डीटीए हिस्से से संबंधित आय कम करने के बाद)- 3 + 4 + 5) (यदि कुछ नहीं है तो अनुसूची सीवाईएलए का अंक 4i लें)										6		
7		अन्य स्रोतों से आय (दौड़ने वाले घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2+6) (6 को शून्य प्रविष्ट करें, यदि नकारात्मक है)										7		
8		दौड़ने वाले घोड़ों के स्वामित्व और उनके रखरखाव के क्रियाकलाप से आय												
		क	प्राप्तियाँ							8क				
		ख	केवल 8क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ							8ख				
		ग	धारा 58 के अधीन कटौती नहीं की गई रकम							8ग				
		घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ							8घ				
		ड	बकाया (8क – 8ख + 8ग + 8घ)							8ड				
9		"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय (7 + 8ड) (8ड को शून्य ले, यदि नकारात्मक हो)										9		
10		अन्य स्रोतों से आय के उदभूत/प्राप्ति होने के बारे में सूचना												
		क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय			15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक				
						(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)				
		1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लॉटरियों, क्रास वर्ड पहेली, दौड़, खेलों, जुए, बाजी आदि से जीत											
		2	धारा 115खख के अधीन आनलाइन गेम से जीत											
		3क	क्रम सं. 1क(i) में निर्दिष्ट लाभांश आय											
		3ख	क्रं. सं. 1क(iii) में निर्दिष्ट लाभांश आय											

	4	20% की दर पर धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अनुसार से भिन्न, धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन लाभांश आय (पीटीआई आय सहित)					
	5	10% की दर पर धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन लाभांश आय (पीटीआई आय सहित)					
	6	10% की दर पर धारा 115कग के अधीन लाभांश आय					
	7	20% की दर पर धारा 115कघ(1)(i) के अधीन लाभांश आय (धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों से भिन्न) (पीटीआई आय सहित)					
	8	डीटीएए दरों पर प्रभार्य लाभांश आय					

अनुसूची ओए		साधारण	
		क्या कारबार और वृत्ति शीर्ष के अधीन आपकी कोई आय है? 1? ☐ हाँ ☐ नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)	
1	कारबार या वृत्ति की प्रकृति	1	
2	शाखाओं की संख्या	2	
3	पूर्व वर्ष में लेखांकन की पद्धति ☒ (का निशान लगाएं) ☐ व्यापारिक ☐ नकद	3	
4	क्या लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है ☒ (का निशान लगाएं) ☐ हाँ	4	
5	धारा 145क के अधीन विहित लेखांकन मानकों से पूर्व वर्ष में की गई लेखांकन पद्धति में किए गए विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ पर प्रभाव	5	
6	पूर्व वर्ष में लागू बंध स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति	6	
	क कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार दर है तो 3 लिखें)	☐	
	ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें यदि बाजार दर है तो 3 लिखें)	☐	
	ग क्या स्टाक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है (का निशान लगाएं) ☐ हाँ ☐ नहीं		
	घ धारा 145 क अधीन विहित मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	6घ	

अनुसूची - कारबार या वृत्ति		कारबार या वृत्ति से आय की संगणना		
कारबार या वृत्ति से आय	अ सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति			
	1 कर पूर्व लाभ आय और व्यय खाते के अनुसार कर से पूर्व लाभ (जैसा लागू हो)	1		
	2क 1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)	2क		
	2ख 1 में सम्मिलित धारा 35 कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)	2ख		
	3 धारा 115खखज के तहत प्रभार्य अथवा आय के अन्य शीर्षों के तहत विचारणीय लाभ व हानि लेखा में जमा प्राप्तियां/आय	क गृह संपत्ति	3क	
		ख पूँजी अभिलाभ	3ख	
		ग अन्य स्रोत	3ग	
		गii लाभांश आय	3गii	
गiii लाभांश आय के अलावा	3गiii			

			धारा 115खखज (के तहत अधिग्रहण की शुद्ध लागत, यदि कोई हो)	3घ	(अनुसूची वी.डी.ए की मद सं. क)	
4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कड.	4क				
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है					
	क फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5क				
	ख एओपी / बीओआई से आय का अंश	5ख				
	ग कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विनिर्दिष्ट करें)					
	i	गi				
	ii	गii				
	iii कुल (गi + गii)	5गiii				
	घ कुल आय पर छूट (5 क + 5 ख + 5 ग iii)	5 घ				
6	बकाया बह (1- 2 क - 2 ख - 3 क - 3 ख - 3 ग - 3 घ - 3च - 3छ - 4क - 4ख - 5 घ)					6
7	लाभ और हानि लेख में विकलित व्यय आय के अन्य शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा।	क स्वामित्व संपत्ति ख पूंजी अभिलाभ ग अन्य स्रोत	7 क 7ख 7ग			
		घ धारा 115खखज (अधिग्रहण की कीमत के अलावा)				
8	कुल (7क + 7ख + 7ग)		8			
9	समायोजित लाभ या हानि (6 + 8)					9
10	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण					10
11	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण					
	i धारा 32 (1)(ii) के और धारा 32(1) (iiक) अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण	11i				
	ii धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आयकर नियम का परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें)	11ii				
	iii कुल (11i + 11ii)		11iii			
12	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (9 + 10 - 11iii)					12
13	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	13				
14	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	14				
15	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	15				
16	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	16				
17	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा-- 43ख के अधीन अनुज्ञेय हैं	17				
18	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उधम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज	18				
19	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	19				
20	धारा 32कग / 32कघ / 33कख / 33कखक / 35कखख / 32 कग / 40 क(3क) / 33कग / 72 क के अधीन समझी गई आय	20				
21	धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय	21				
22	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	22				
23	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (फर्मों से जिसमें कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन बोनस और ब्याज सहित)	23				
24	कुल (13+14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23)		24			
25	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	25				
26	धारा 32कग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	26				
27	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35गगग या 35गगघ के अधीन अनुज्ञेय कटौती (यदि धारा 35 या 35गगग या 35गगघ के अधीन रकम लाभ और हानि लेखा की विकसित रकम से कम है तो यह मद 23 में जाएगी)	27				

28	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम	28		
29	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम	29		
30	कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम	30		
31	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में बढ़त कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव	31		
32	कुल (25+26+27+28+29+30+31+32)	32		
33	आय(12+24+33)	33		
34	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -			
	i धारा 44कड़	34i		
35	सट्टा के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (33 + 34)	35		
36	नियम 7क, 7ख, या 7ग 8लागू करने के पश्चात सट्टे के बाजार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख, या 7ग 8लागू नहीं है तो 35की वही रकम यथाप्रविष्ट करें)	अ36		
आ	सट्टा के कारबार से आय की संगणना			
37	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	37		
38	धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन	38		
39	धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियां	39		
40	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (37 + 38 + 39)	ख40		
इ	धारा 35 क घ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना			
41	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुल लाभ या हानि	41		
42	धारा 28 से 44घख के अनुसार जोड़	42		
43	धारा 28 से धारा 44 घख के अनुसार कटौतियां (धारा 35कघ(ii), 32 या 35 जिसमें धारा 35 कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न)	43		
44	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (41 + 42 + 43)	44		
45	धारा 35 क घ(1) के अनुसार कटौतियाँ	45		
46	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (45 + 46)	इ46		
47	धारा 35 अ.ई की उप-धारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड, जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (ड्राप डाउन मेन्यू से चयन करने के लिए)	इ47		
ई48	शीर्ष 'कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ' के अधीन प्रभावी आय (अ36+आ40+इ46+अ3घ)	ई48		
उ	चालू वर्ष में कारबार हानि का अन्तः शीर्ष मुजरा			
	क्र. सं. कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (यह खाने को उसी दशा में भरे यदि अंक शून्य या सकारात्मक है)	कारबार हानि मुजरा	मुजरा पश्चात बची हुई कारबार आय
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	i हानि का मुजरा (इस पंक्ति को तभी भरे यदि अंक नकारात्मक है)		(क36)	
	ii सट्टे के कारबार से आय	(ख40)		
	iii विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग46)		
	iv कुल हानि मुजरा (ii + iii)			

अनुसूची सी.वाई.एल.ए. चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे							
अग्रणीत की गई हानि का समायोजन	क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को केवल तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्ति की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न)कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्त्रोंतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
				कुल हानि (अनुसूची- गृह संपत्ति का 34)	कुल हानि (अनुसूची बी.पी. के मद ड़ का 2 v)	कुल हानि (अनुसूची - ओ.एस का 6)	
			1	2	3	4	
							5=(1-2-3-4)

		समायोजित की जाने वाली हानि					
i		गृह संपत्ति					
ii		कारबार (सट्टेबाजी आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)					
iii		सट्टाबाजी से आय					
iv		धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय					
v		20 प्रतिशत की दर से कर योग्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
vi		30 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
vii		अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुप्रयुक्त दरों पर					
viii		डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
ix		12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
x		डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
xi		अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (घुड़दौड़ एवं लौटरी से जीत पर लाभ को छोड़कर)					
xii		दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व और रखने से लाभ					
xiii		डीटीए के अनुसार भारत में अन्य स्रोतों से विशेष दर पर कर योग्य आय					
xiv		मुजरा की गई कुल हानि					
xv		मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि					

अनुसूची पीटीआई		धारा 115प, 115पक और 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे								
पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा 115प /115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश सत्ता	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू	निवल आय/क्षति9=7-8	ऐसी रकम पर स्तोत पर कर

			स्थायी खाता संख्या				वर्ष क्षति का हिस्सा		कटौती , यदि कोई हों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			i	गृह संपत्ति				
				ii	पूँजी अभिलाभ				
					क अल्पकालिक अवधि				
					का धारा 111क				
					का अन्य				
				i	दीर्घकालिक अवधि				
				ख	धारा 112क				
				खा	112क से भिन्न धाराएं				
				iii	अन्य स्त्रोत				
				क	लाभांश				
				ख	अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
					क धारा के अधीन				
				ख	धारा के अधीन				
				ग	धारा.....के अधीन				
					पंक्तियां जोड़े				
				i	गृह संपत्ति				
				ii	पूँजी अभिलाभ				
					क अल्पकालिक अवधि				
					का धारा 111क				
					का अन्य				
				i	दीर्घकालिक अवधि				
				ख	धारा 112क				
				खा	112क से भिन्न धाराएं				
				iii	अन्य स्त्रोत				
				क	लाभांश				
				ख	अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
					क धारा के अधीन				
				ख	धारा के अधीन				
				ग	धारा.....के अधीन				
					पंक्तियां जोड़े				

क्र. सं.	धारा	☐	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
1	111क (जहां एस.टी.टी संदत्त किया गया है वहां शेयरों पर एस.टी.सी.जी)	☐	20		
2	115कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ जहां एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30		
3	112(1) (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/इकाईयों पर एलटीसीजी)	☐	12.5		
4	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासी के लिए एलटीसीजी या सूचीबद्ध डिबेंचर के सिवाय)	☐	12.5		
5	115कख (धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाईयों पर अनिवासी के लिए एलटीसीजी)	☐	12.5		
6	115कग(बॉन्ड/जीडीआर पर अनिवासी के लिए एलटीसीजी)	☐	12.5		
7	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए एलटीसीजी)	☐	12.5		
8	112(अन्य पर एलटीसीजी)	☐	12.5		
9	112क (कारबार न्यास की साधार शेषरोन्मुख निधि/ यूनिटों के साधारण शेयरों/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी, जिस पर एस.टी.टी संदत्त किया जाता है)	☐	12.5		
10	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एसटीसीजी	☐			
11	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एलटीसीजी	☐			
12	धारा 115कग (अनिवासियों द्वारा ब्याज के रूप में या बॉण्डस या विदेशी करेंसी में क्रय किया गये लाभांश से आय)	☐	10		
13	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर या बाण्डस के लाभांश पर आय	☐	10		
14	115 खख (लाटरी, पहेली,दौड़ों, खेल आदि से जीत)	☐	30		
15	115खखज (आनलाइन गेम से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओ.एस का 2कii)	
16	115खखज आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर				
	क कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय	☐	30	(अनुसूची बी.पी का 3घ)	
	ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन आय	☐	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)	
17	115 खखड़ (धारा 68,69,69क,69ख,69ग, या 69घ के अधीन आय)	☐	60		
18	विशेष दर पर कोई अन्य आय (ड्रापडाउन प्रदान किया जाना है)	☐		(अनुसूची ओ.एस के 2ग का भाग)	
19	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय	☐		(अनुसूची ओ.एस के 2ड का भाग))	
20	20% की दर पर प्रभार्य अल्प कालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासथ्रू आय	☐	20		
21	30 % की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृतिकी पासथ्रू आय	☐	30		
22	धारा 112क के अधीन 12.5% की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासथ्रू आय	☐	12.5		
23	धारा 112क से भिन्न 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐	12.5		
24	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोत से आय की प्रकृति में पासथ्रू आय	☐		(अनुसूची ओएस का 2घ)	
	योग				

अनुसूची 115नघ		धारा 115नघ के अधीन अभिवर्धित आय [अनुप्रयोज्य यदि छूट का दावा धारा 11 तथा 12 निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा 10(23 ग (iv)/ 10(23 ग (v)/ 10(23 ग (vi)/ 10(23 ग (vi)क)]			
1	निर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आस्ति की कुल संपूर्ण योग उचित बाजार मूल्य	1			
2	घटाएं— निर्दिष्ट व्यक्ति का कुल दायित्व	2			
3	आस्ति का शुद्ध मूल्य (1-2)	3			

4	(i) धारा 10(1) में निर्दिष्ट आय से बाह्य अर्जित प्रत्यक्ष रूप से आस्ति की एफ.एम.वी	4i		
	(ii) 12कख या धारा 10(23ग) के दूसरे परंतुक के अधीन सृजन या स्थापन की तारीख से रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख/ अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन की तारीख तक की अवधि के दौरान अर्जित आस्तियों का एफ.एम.वी., यदि क्रमशः धारा 11 और धारा 12 या 10(23ग)(iv)/ 10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/ 10(23ग)(vi) के अधीन फायदा उक्त अवधि के दौरान दावा नहीं किया गया है	4ii		
	(iii) धारा 115नघ(2) के लिए तीसरे परंतुक के अनुसार अंतरित आस्तियों का एफ.एम.वी	4iii		
	(iv) कुल (4i + 4ii + 4iii)	4iv		
5	उपर्युक्त 4 पर आस्तियों की बाबत दायित्व	5		
6	धारा 115नघ [3-(4iv-5)] के अनुसार अभिवृद्धि आय	6		
7	अधिकतम उपांतिक दर पर 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर	7		
8	115नघ के अधीन संदेय ब्याज	8		
9	धारा 115नघ के अधीन विनिर्दिष्ट ऋण	9		
10	अतिरिक्त आय-कर और संदेय ब्याज	10		
11	आय और संदत्त ब्याज	11		
12	संदाय/प्रत्यपणीय (10 - 11)	12		
13	अभिवर्धित आय पर कर पर कर के निक्षेप की तारीख	तारीख 1 दिन/मास/वर्ष	तारीख 2 दिन/मास/वर्ष	तारीख 3 दिन/मास/वर्ष
14	बैंक और शाखा का नाम			
15	बीएसआर कोड			
16	चालान की क्रम संख्या			
17	जमा की गई रकम			

अनुसूची - खखझ धारा 115खखझ के अधीन कतिपय संस्थाओं की निर्दिष्ट आय				
क्रम सं.	विशिष्टियाँ		रकम	
1	धारा 10(23ग) या धारा 11(3) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 4 में निर्दिष्ट समझी गई आय	1	< अनुसूची झ के स्तंभ 15 का कुल >	
2	धारा 11(1ख) के अधीन आय	2	< अनुसूची घ के स्तंभ 8 का कुल >	
3	धारा 10(23ग) के इक्कीसवें परंतुक के अधीन आय जिसे आय माना जाए जो कि धारा 13(1)(ग) के अनुसार कुल आय से निकाली जाए	3		
4	आय जो धारा 10(23ग) के धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (ख) के उल्लंघन के कारण छूट प्राप्त नहीं है अथवा जो कि धारा 13(1)(घ) के अनुसार कुल आय से घटाई गई हो।	4		
5	11(1)(ग) के अनुसार कुल आय से नहीं घटाई गई आय	5		
6	संचित आय आय से 15 प्रतिशत आधिक्य से पृथक करके जब ऐसा संचयन इस अधिनियम के निर्दिष्ट उपबंधों के आनुज्ञेय नहीं हो	6		
7	कुल (कुल क्रम सं. 1 से 6)	7		

अनुसूची एफएसआई			भारत के बाहर से आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)						
क्र. सं.	देश का कोड (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले डॉप डाउन)	कर संदायकर्ता की पहचान संख्या	क्र. सं.	आय के शीर्ष	भारत के बाहर से आय (भाग ख-टीआई में सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर कर संदेय	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड)(ग) या (घ) जो भी कम हो	यदि धारा 90 या धारा 90क के अधीन राहत कर दावा किया गया है तो डीटीए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)
1			i	गृह संपत्ति					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है								
	क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय	
								रकम	जहां अनुसूची पेश की गई है
	(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	अनुसूची की मद संख्या
	(i)								
	(ii)								

अनुसूची एस.एच. अनुसूचीबद्ध कंपनी की शेयर धृति											
यदि आप अनुसूचीबद्ध कंपनी हैं तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें :-											
पूर्ववर्ष के अंत में शेयरधृति के ब्यौरे											
शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	अर्जन की तारीख	धारित शेयरों की संख्यां	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गम कीमत	प्राप्त रकम			
पूर्ववर्ष के अंत में आबंटन लंबित रहते हुए साधारण शेयर आवेदन धनराशि के ब्यौरे											
शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	आवेदन की तारीख	आवेदित शेयरों की संख्या	प्राप्त आवेदन की धनराशि	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रस्तावित निर्गम कीमत			
शेयरधारकों के ब्यौरे जो पूर्ववर्ष के अंत में शेयर धारक नहीं हैं किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय शेयर धारक थे											
शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	धारित शेयरों की संख्यां	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गम कीमत	प्राप्त रकम	अर्जन की तारीख	तारीख जिसको वह शेयरधारक नहीं रहता है	अस्तित्वहीन होने की रीति	अंतरण की दशा में शेयरधारक की स्थायी खाता संख्या

भाग -ख

भाग ख- कुल आय तारीख 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आय का विवरण									
आय का विवरण	भाग ख1 - अनुप्रयोज्य यदि धारा 11 तथा 12 या धारा 10 (23ग)(iv)/ 10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/ 10(23ग)(vi) के अधीन छूट का दावा किया गया है तथा जब भाग ख3 अनुप्रयोज्य नहीं हो								
	1	धारा 115खखग के अधीन स्वैच्छिक अभिदाय और अनाम संदान (कॉर्पस से भिन्न) [अनुसूची वी सी का (ग- का- खा+ड.)]						1	
	2	धारा 115 खखग के अधीन अनाम संदान से भिन्न कॉर्पस का भाग बन रहा स्वैच्छिक अभिदाय [अनुसूची भाग ख - कुल आय भाग ख 1 के (क + ख)]						2	
	क	धारा 80छ (2)(ख) के अधीन अधिसूचित स्थानों के नवीनीकरण और मरम्मत के लिए प्राप्त कॉर्पस प्रतिनिधित्व दान [अनुसूची वी.सी का कां क + खां क]				क			
		उपर्युक्त से भिन्न कॉर्पस [अनुसूची वीसी का कां क + खां क]				ख			
	3	उपरोक्त 1 में सम्मिलित अभिदाय को अपवर्जित करके पूर्व वर्ष के दौरान व्युत्पन्न धारा 11, धारा 12 और धारा 10 (23ग)(iv), 10(23ग)(v), 10(23ग)(vi) तथा 10(23ग)(vi) में निर्दिष्ट कुल आय (अनुसूची ए आई का 10)						3	
	4	धारा 11(1)(ग) के अधीन छूट योग्य राशि						4	
		क बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन संख्या						क	
		ख बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि						ख	
	5	अनुप्रयुक्त आय (1+3-4 (क1- अनुसूची क का क1क))						5	
	6	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए आय का उपयोजन :-							

	i	गत वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त रकम (उधार निधि से अनुप्रयुक्त निकालकर, डीमड आवेदन, 15% इत्यादि तक पूर्ववर्ती वर्ष संचयन जो कि पूर्ववर्ती वर्ष की आय से नहीं है। [अनुसूची क से क्रम सं. छ]	6i	
	ii	गत वर्ष के दौरान ऋण का पुर्नभुगतान - [अनुसूची जे की सारणी क2 की क्रम सं. 4]	6ii	
	iii	गत वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त रकम कॉर्पस निधि के निर्दिष्ट मोड में वापस निवेशित या जमा (न्यास या संस्था के वस्तुओं के लिए कोष अनुप्रयोग पर पहले अननुज्ञात) निवेशित और वापिस जमा, एक या अधिक प्ररूप में या धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट मोड में ऐसे कॉर्पस के लिए विशिष्ट रूप से, उस वर्ष को आय से ऐसे निवेश या जमा की सीमा तक [अनुसूची जे की सारणी एआई का क्रम सं. 4]	6iii	
	iv	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूची घ के स्तंभ 2 में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अनुसार पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त समझी गई रकम	6iv	
	क	यदि उपर्युक्त (iv) लागू हों, जहां निर्धारण अधिकारी को प्ररूप सं.9क देने का विकल्प है	6ivक	
	ख	यदि हां, प्ररूप सं. 9क देने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	6ivख	
	v	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोजन के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए संचित या पृथक् रकम उस विस्तार तक जहां तक यह धारा 11(1)(क)/धारा 11(1)(ख) के अधीन या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के निबंधनों में न्यास/संस्था में धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है [उपरोक्त (1+3) के अधिकतम 15 प्रतिशत तक निर्बंधित -(अनुसूची क का क1)]	6v	
	vi	उपर्युक्त v में निर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त रकम-संचित या अलग हटा के, निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ-यदि धारा 11(2) और 11(5) या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक की सभी शर्तें पूरी की जाती है। <एफ वाई 2025-26 के लिए अनुसूची आई का स्तम्भ 2>	6vi	
	क	यदि उपरोक्त (vi) लागू है, तो क्या प्ररूप संख्या 10 निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है	क	
	ख	यदि हां, तो प्ररूप संख्या 10 प्रस्तुत करने की तारीख (दिन / मास /वर्ष)	ख	
	vii	कुल [6i + 6ii + 6iii + 6iiiा + 6iv + 6v + 6vi]	6vii	
	7	जोड़ें		
	i	धारा 115खखझ के अधीन प्रभार्य आय < अनुसूची 115खखझ के क्रम सं. 7 का कुल >	7i	
	ii	धारा 11 के अधीन आय के संबंध में छूट अनाम संदान होने के कारण उपलब्ध नहीं है। (अनुसूची बी.सी का घiii)	7ii	
	iii	धारा 12(2) के अधीन प्रभार्य आय	7iii	
	iv	धारा 11(1) के अधीन अनुनुज्ञेय रकम अ.सा.प 40(क)(िक) या 10(23ग) अ.सा.प 40(क)(िक)	7iv	
	v	धारा 11(1) के अधीन अनुनुज्ञेय रकम अ.सा.प 40अ(3)/(3अ) या 10(23ग) अ.सा.प 40अ(3)/(3अ)	7v	
	vi	धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 3ख के अनुसार आय	7vi	
	vii	धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 1ख के अनुसार	7vii	
	viii	कोई अन्य आय जिस पर आयकर अधिनियम के अधीन छूट अननुज्ञेय है	7viii	
	ix	कुल [7i + 7ii + 7iii + 7iii + 7iv + 7v + 7vi + 7vii + 7viii]	7ix	
8		धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय	8	
9		धारा 11/10(23ग)(iv)/10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/10(23ग)(viक) के अधीन छूट के पश्चात् सकल आय [(5-6vii) + 7ix + 8]	9	
10		उपर्युक्त मद सं 9 का भाग नहीं बनने वाली आय		
	i	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची एचपी का 3) (यदि हानि शून्य भरे)	10i	
	ii	कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ (अनुसूची बीपी की मद सं घ48 के अनुसार)	10ii	
	iii	शीर्ष पूंजी अभिलाभ के अधीन आय		
	क	अल्पकालिक	10iiiा	
	का	20 प्रतिशत की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 8(ii))	का	
	कii	30% की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 8(iii))	कii	
	कiii	दीर्घकालिक प्रभार्य अनुप्रयुक्त दरों पर (अनुसूची सीजी के मद ई का 8(iv))	कiii	
	कiv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 8(v))	कiv	
	कv	कुल अल्पकालिक (काक+काख+ कii + कiii + क iv) (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)	कv	

		ख	दीर्घकालिक	10iiiख	
		खi	12.5 प्रतिशत की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का (8vi))	खi	
		खii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 8(vii))	खii	
		खiii	कुल दीर्घकालिक (खi + खii +) (यदि हानि हो तो शून्य भरें)	खiii	
		ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ राशि (कv + खiii) (यदि हानि हो शून्य भरें)	10iiiग	
		घ	धारा 115खखज के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूंजी अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग2)	10iiiघ	
		ङ	कुल पूंजी अभिलाभ (ग + घ)	10iiiङ	
	iv		अन्य स्रोतों से आय (अनुसूची णद की मद संख्या 9 के अनुसार)	10iv	
	v		कुल (10i + 10ii + 10iiiङ + 10iv)	10v	
11			सकल आय [9+10]	11	
12			चालू वर्ष में 10v के विरुद्ध मुजरा की गई हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2xv, 3xv and 4xv का योग)	12	
13			कुल आय[11-12]	13	
14			ऐसी कुल आय जिसे 13 में सम्मिलित किया गया और विशेष दरों पर कर से प्रभार्य है (अनुसूची एसआई स्तंभ (i) का योग)	14	
15			13 में सम्मिलित अनाम संदान, जिन पर धारा 115खखग के अधीन 30 प्रतिशत की दर पर कर लगेगा (अनुसूची वी.सी का घiii)	15	
16			धारा 115खखज के निर्दिष्ट प्रभार्य आय जिस पर 30% की दर से 13 में सम्मिलित कर लगाया जाना है (अनुसूची 115 खखज की क्रम सं 7)	16	
17			कुल आय पर सामान्य दरों से कर लगाया जाएगा(13-14-15-16)	17	

भाग ख 2- यदि धारा 13क/13ख तथा धारा 10(21), 10(23क), 10(23कक), 10(23ख), 10(23ड.ग), 10(23ड.ड.), 10(29क), 10(23ग)(iii क ख), 10(23ग)(iii कग), 10(23ग)(iiiकघ), 10(23ग)(iiiकड), 10(23घ), 10(23घक), 10(23चख), 10(24), 10(46), 10(47) के अधीन छूट का दावा किया गया है।						
1	धारा 10(21), 10(23कक), 10(23ख), 10(23घ), 10(23घक), 10(23ड.ग), 10(23ड.घ), 10(23ड.ड.), 10(23चख) के 10(29क) 10(46), 10(46क), 10(46ख), 10(47), [अनुसूचीआईई-1 का क्रम सं. 1] अधीन छूट योग्य राशि				1	
2	धारा 10(23क), 10(23ग)(iiiकख), 10(23ग)(iiiकग), 10(23ग)(iiiकघ), 10(23ग)(iiiकड.), 10(24) के अधीन छूट योग्य राशि [अनुसूची आईई-2 का क्रम सं 1 (पंक्ति क के लिए) or { अनुसूची आईई-3 का क्रम सं 3 } या { अनुसूची आईई-4 का क्रम सं 3 }]				2	
3	धारा 10(21) के साथ पठित धारा 11(3), के अधीन प्रभार्य आय [अनुसूची I के स्तंभ 15 का योग]				3	
4	राजनैतिक दल के मामले में धारा 13क के अधीन छूट का दावे के साथ आय				4	
5	निर्वाचन ट्रस्ट के मामले में धारा 13ख के अधीन छूट के दावे के साथ आय (अनुसूची ई टी के मद सं. 6vii)				5	
6	वर्ष के दौरान प्राप्त स्वेच्छिक अभिदाय/धारा 13क और 13ख के लिए लागू				6	
7	आय शीर्ष जो उपरोक्त का भाग नहीं है					
	i	आवासीय संपत्ति से आय [अनुसूची एच पी का 3] (यदि हानि हो शून्य भरें)			7i	
	ii	कारबार या वृत्ति का लाभ व अभिलाभ [अनुसूची बीपी के मद सं. 48 के अनुसार]			7ii	
	iii	पूंजी अभिलाभ शीर्ष के अधीन आय				
	क	अल्पकालिक (अनुसूची पूंजी अभिलाभ का ए5)	7iiiक			
	क i	20 प्रतिशत की दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड का 8(ii))	क i ख			
	क ii	30% की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 8(iii))	क ii			
	क iii	दीर्घकालिक प्रभार्य अनुप्रयुक्त दरों पर (अनुसूची सीजी के मद ई का 8(iv))	क iii			
	क iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 8(v))	क iv			
	क v	कुल अल्पकालिक (क iक+ क i ख + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो शून्य भरें)	क v			

	ख	दीर्घकालिक (अनुसूची सीजी का बी 4) (यदि हानि हो शून्य भरे)	7iii		
	ख i	12.5 प्रतिशत की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 8Vi)	ख i		
	खii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 8(vii))	खii		
	ख iii	कुल दीर्घकालिक (ख iख + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो शून्य भरे)	ख iii		
	ग	कुल पूंजी अभिलाभ (क v+ ख (iii)) (यदि हानि हो शून्य भरे)	7iiiग		
	घ	धारा 115खखज के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूंजी अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग2)	7 घ		
	ङ	कुल पूंजी अभिलाभ (ग + घ)	7 ङ		
	iv	अन्य स्त्रोतों से आय [अनुसूची ओ एस की मद संख्या 9 के अनुसार]	7iv		
	v	कुल (7i + 7ii + 7iiiग + 7iv)	7v		
8	सकल आय [6+7v-4-5] +3				8
9	7v के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली वर्तमान वर्ष की हानि (अनुसूची सीवाईएलए की 2xv, 3xv और 4xv का योग)				9
10	सकल कुल आय (8-9)				10
11	आय जो 10 में शामिल है तथा विशेष दरों पर कर प्रभार्य (अनुसूची एस आई के स्तंभ (i) का योग)				11
12	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय				12
13	कुल आय (10-11-12) [लागू यदि (10-11) अधिकतम रकम जो कर प्रभार्य नहीं है				13
14	अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य आय				14

भाग ख3- अनुप्रयोज्य यदि कुल आय धारा 10(23ग) या धारा 13(10) के बाइसवें परंतुक के अधीन कर प्रभार्य					
I. जनरल के भाग क के क्रम सं. अ(26) यदि हां तो धारा 10 के खंड 23(ग) या धारा 13 की उपधारा से भिन्न पूर्व बाइसवें परंतुक के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करें।					
1	क्रम सं.7 से भिन्न पूर्व वर्ष के लिए कुल आय				रकम रू. में
2	निर्धारित की वस्तुओं के लिए भारत में उपगत कुल व्यय				रकम रू. में
3	अननुज्ञात किए जाने वाला व्यय				
	(i)	ट्रस्ट या संस्था के नाम जमा कोष से व्यय, वित्तीय वर्ष के अंत पर तुरंत पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष सुसंगत निर्धारण वर्ष जिसके लिए आय की संगणना की जा रही है।			रकम रू. में
	(ii)	किसी ऋण या उधार से व्यय			रकम रू. में
	(iii)	आस्ति के संबंध में अवक्षयण, जिसका अर्जन आय के आवेदन के रूप में दावा किया गया, उसी वर्ष या अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में; तथा			रकम रू. में
	(iv)	किसी व्यक्ति को दान या योगदान के रूप में व्यय			रकम रू. में
	(v)	पूंजीगत व्यय			रकम रू. में
	(vi)	धारा 13 की उपधारा (10) या धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (झक), के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक के स्पष्टीकरण या के अधीन अननुज्ञात रकम			रकम रू. में
	(vii)	धारा 13 की उपधारा (10) के स्पष्टीकरण या धारा 40 की उपधारा 3 के साथ पठित, धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक के स्पष्टीकरण या के अधीन अननुज्ञात रकम			रकम रू. में
	(viii)	धारा 13 की उपधारा (10) के स्पष्टीकरण या धारा 40 की उपधारा (3क) के साथ पठित, धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक स्पष्टीकरण के अधीन अननुज्ञात रकम			रकम रू. में
	(ix)	कोई अन्य अननुज्ञात			रकम रू. में
	(x)	कुल व्यय जिसे अननुज्ञात किया जाना है (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)+(viii)+(ix)			रकम रू. में
4	योग				
	(i)	धारा 115खखझ के अधीन प्रभार्य आय <अनुसूची 115खखझ के क्रम सं. 7 का कुल>			रकम रू. में
	(ii)	धारा 11 के अधीन आय अनाम संदान के कारण जिसके संबंध में छूट उपलब्ध नहीं है। 11(अनुसूची वी.सी का घiii)			रकम रू. में

	(iii)	धारा 12(2) के अधीन प्रभार्य आय	रकम रू. में
	(iv)	धारा 80छ(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या (ख) या (ग) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 3ख के अनुसार आय	रकम रू. में
	(v)	धारा 80छ(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(23ग) के स्पष्टीकरण 1क के खंड (क) या (ख) या (ग) के उल्लंघन की दशा में स्पष्टीकरण 1ख के अनुसार आय	रकम रू. में
	(vi)	कोई अन्य आय, जिस पर आयकर अधिनियम के तहत छूट अनुमत नहीं है।	रकम रू. में
	(vii)	कुल योग (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)	रकम रू. में
5		धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय	रकम रू. में
6		कुल राशि [(1-2+3x)+4vii+5)]	रकम रू. में
7		उपर्युक्त में मद सं. 6 का आय भाग नहीं है	
	i	आवासीय संपत्ति से आय [अनुसूची एचपी का 3] (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)	रकम रू. में
	ii	कारबार तथा वृत्ति का लाभ तथा अभिलाभ [अनुसूची बीपी के मद सं. घ48 के अनुसार]	रकम रू. में
	iii	पूँजीगत अभिलाभ शीर्ष के अधीन आय	
		क अल्पकालिक	
	का	20 प्रतिशत की दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड का 8(ii))	
	काii	@ 30% की दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 8iii iv)	रकम रू. में
	काiii	अनुप्रयोज्य दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 8iv)	रकम रू. में
	काiv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सी.जी के मद ई का 8v)	रकम रू. में
	कv	कुल अल्पकालिक (का+ क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	रकम रू. में
	ख दीर्घकालिक		
	खा	12.5 प्रतिशत की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 8vi)	
	खाii	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 8vii)	रकम रू. में
	खiii	कुल दीर्घकालिक (खा+ ख ii) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	रकम रू. में
	ग	अल्पकालिक/ दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ राशि (क v + ख iii) (यदि हानि हो, शून्य दर्ज करें)	रकम रू. में
	घ	धारा 115खखज के अधीन @ 30% की दर से प्रभार्य पूँजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)	रकम रू. में
	ड	कुल पूँजीगत अभिलाभ (ग + घ)	रकम रू. में
	iv	अन्य स्त्रोतों से आय [अनुसूची ओ.एस के मद सं. 9 के अनुसार]	रकम रू. में
	v	कुल (7i+7ii+7iiiड +7iv)	रकम रू. में
8		7v के विरुद्ध वर्तमान वर्ष की हानियों का मुजरा है (अनुसूची सी.वाई.एल.ए के 2xv, 3xv और 4xv का योग)	रकम रू. में
9		कुल आय (6+7-8)	रकम रू. में
10		आय जो 9 में सम्मिलित की गई तथा विशेष दरों पर कर प्रभार्य है (अनुसूची एस.आई के स्तंभ (i) का योग)	रकम रू. में
11		धारा 115खखग के अधीन @ 30% के दर से 9 में सम्मिलित अनाम संदान पर कर लगाया जाना है। (अनुसूची वी.सी का घiii)	रकम रू. में
12		धारा 115खखझ के अधीन @ 30% की दर से 9 में शामिल आय पर कर लगाया जाना है। (अनुसूची 115खखझ की क्रम सं. 9)	रकम रू. में
13		धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक या धारा 13 की उपधारा(10) के अधीन कर प्रभार्य आय (9-10-11-12)	रकम रू. में

भाग ख- कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	कुल आय पर संदेय कर		
	क सामान्य दरों पर कर [क्र. सं. (17) भाग ख- कुल आयके भाग ख 1 के] या [क्र. सं. (13-14) भाग-ख, कुल आय के भाग ख 2 के] या [क्र. सं. 13 , भाग ख- कुल आयके भाग ख 3 के]	1क	
	ख विशेष दरों पर कर (अनुसूची एसआई के स्तंभ (ii) का योग	1ख	
	ग @ 30%की दर से धारा 115खखग के अधीन अनाम संदान पर कर [क्र. सं. 15, भाग ख- कुल आयके भाग ख 1 के] या [क्रम सं. 11, भाग ख- कुल आयके भाग ख 3 के] अधीन	1ग	

	घ	@ 30% की दर से 115खखइ के अधीन प्रभार्य आय पर कर [क्रम सं. 16, भाग ख- कुल आयके भाग ख 1 के] या [क्रम सं. 12, भाग ख- कुल आयके भाग ख 3]	1घ				
	इ	अधिकतम सीमांत दरों पर कर क्रम सं. 14, भाग ख- कुल आयके भाग ख 1	1इ.				
	च	कृषि आय पर छूट [भाग 2 में अनुप्रयुक्त यदि (10-11) भाग ख- कुल आयअधिकतम राशि कर प्रभार्य से अधिक नहीं है।]	1च				
	छ	कुल आय पर कर संदाय (1क+1ख+1ग+1घ+1इ-1च)			1छ		
2	अधिभार				3		
	i	अनुसूची एसआई की "धारा 115खखड. के अधीन आय के स्तंभ (ii) का 25%	2i				
	ii	पर (1छ -अनुसूची एसआई की "धारा 115खखड. के अधीन आय	2ii				
	iii	कुल (i + ii)		2iii			
3	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1छ + 2iii)				3		
4	सकल कर दायित्व (1छ+2iii+3)				4		
5	कर राहत						
	क	धारा 90/90क (अनुसूची टीआर का 2)	5क				
	ख	धारा 91 (अनुसूची टीआर का 3)	5ख				
	ग	कुल (5क+5ख)		5ग			
6	कुल कर दायित्व (4-5ग)				6		
7	संदेय फीस और ब्याज						
	क	विवरणी प्रस्तुत करने के व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	7क				
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	7ख				
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	7ग				
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस (धारा 234च)	7घ				
	घक	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस (धारा 234इ)	7घक				
	इ	संदेय कुल ब्याज और फीस (7क+7ख+7ग + 7घ+7घक)			7ड.		
8	कुल दायित्व (6+7ड.)				8		
संदत्त कर	9	संदत्त कर					
		क	अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	9क			
		ख	स्त्रोत पर कर की कटौती (15ख के स्तंभ 9 से)	9ख			
		ग	स्त्रोत पर कर का संग्रहण (15ग के स्तंभ 7i का कुल)	9ग			
		घ	स्वतः कर निर्धारण (15क के स्तंभ 5 से)	9घ			
	इ	कुल संदत्त कर (9क+9ख+9ग+9घ)			9इ		
10	संदेय रकम (यदि 9इ, 8 से अधिक है तो प्रविष्ट करें अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)				10		
11	प्रतिदाय (यदि 9इ, 8 से अधिक है), (प्रतिदाय, यदि कोई है, तो बैंक खाते में सीधे जमा करा दिया जाएगा)				11		
12	धारा 115नड. के अंतर्गत ब्याज सहित 115नघ आय पर संदेय कर (अनुसूची 115नघ का क्रम संख्या 12)				12		
बैंक खाता	13	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (प्रतिदाय का दावा करने वाले ऐसे अनिवासी जिनका भारत बैंक में खाता नहीं है नहीं चयन करेंगे))				हां अथवा नहीं का चयन करें	
		क) पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमेट खातों को छोड़कर)					
		क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आई.एफ.एस कोड	बैंक का नाम	खाता सं .	खातों का प्रकार (ई-फाइलिंग यूटीलिटी द्वारा दिए जाने वाला ड्रापडाउन)	प्रतिदाय जमा करने के लिए खाते का चयन करें (कम से कम एक खाते को ☒ करें)
		i					☐
	ii					☐	

टिप्पणः					
1. डारमेट खाते के सिवाय, किसी समय में भरे गए सभी खातों (बैंक) का रिपोर्ट किया जाना					
2. विविध खातों के चयनित होने के मामले में रिटर्न के प्रसंस्करण के पश्चात् वैध खातों में से किसी एक खाते में प्रतिदाय जमा किया जाएगा					
यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं					
ख) अनिवासी, अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं:					
क्रं. सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश की अवस्थिति	आई.बी.ए.एन	
14 क यदि आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय					☐ हां ☐ नहीं
(i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हितधारी स्वामी, हितधारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं।					
(ii) भारत के बाहर स्थित किसी एकाउन्ट में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं: या					
(iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)					

15 कर संदाय													
क अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण के संदायों के ब्यौरे													
कर संदाय	क्रं.सं.	बी.एस.आर कोड	जमा करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)				चालान की क्रम संख्या				रकम(रु.) में		
	i												
	ii												
	iii												
	iv												
	v												
	vi												
टिप्पण ▶		भाग ख-टीटीआई की क्रम संख्या 9क और 9घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें।											
ख	आय पर/स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप 16 क या प्रस्तुत प्ररूप 16ख/16ग/16घ/16ङके अनुसार]												
क्र.सं०	स्वयं/ अन्य व्यक्ति [नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति] से संबंधित जमा टीडीएस	अन्य व्यक्ति का पैन्/ आधार (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन्/ किराएदार/ क्रेता का पैन्/ आधार	धारा जिसके अधीन टीडीएस की कटौती की गई है	अग्रेषित अदावाकृत टीडीएस	चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान काटा गया टीडीएस)	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।	प्रस्तुत की गई तदनुसूची रिसीट/ आहरण	अग्रेषित टीडीएस क्रेडिट				
					वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	अग्रेषित टीडीएस	स्वयं कटौती	नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में काटा गया (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों में दावा की गई	नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में दावा किया गया (यदि लागू हो)	कुल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4क)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								आय टीडीएस		आय टीडीएस	पैन्/ आधार		
i													
स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा (संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार)													
ग	क्र. सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और	अन्य व्यक्ति का	अग्रणीत अदावाकृत टी.सी.एस	चालू वित्त वर्ष का टी.सी.एस(वित्तीय वर्ष 2025-26 के	इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस	अग्रेषित टी.सी.एस जमा					

	जमा टी.सी.एस नियम 37-आई के अनुसार अन्य व्यक्ति	कर संग्रहण अकाउंट नंबर	पैन(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित)			दौरान संग्रहित कर)					
				वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रहीत किया गया	अग्रणीत रकम	स्वयं संग्रहित किया	नियम 37-आई के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा संग्रहित किया (यदि लागू हो)	स्वयं दावा किया गया	नियम 37-आई के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)		
	(1)	2(i)	2(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	6(ii)	7(i)	7(ii)	(8)
	i									टी.सी. एस	पैन
	ii										
टिप्पण  कृपया भाग ख-टीटीआई के 9ग में स्तंभ (7)(i) का योग भरें											

सत्यापन			
मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि इसके साथ संलग्न विवरणी और अनुसूचियों, विवरणों आदि में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और पूरी है। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी अपनी की हैसियत में दे रहा/दे रही हूँ और मैं इस विवरणी को देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी खाता संख्यांक है (यदि आबंटित हुआ हो)। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)			
तारीख		स्थान	यहां हस्ताक्षर करें।"

[सं. 50/2026/फा. सं. 370142/10/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : आयकर नियम, 1962, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का. आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा. कानि. 230(अ), तारीख 30 मार्च 2026 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2026

G.S.R. 231(E).— In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: -

1. (1) These rules may be called the Income-tax (SEVENTH Amendment) Rules, 2026.
 (2) They shall come into force with effect from the 31st day of March, 2026 and shall apply in respect of returns filed for Assessment Year 2026-27.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix - II, for FORM ITR-7, the following FORM shall be substituted, namely: —

“ FORM	ITR-7	INDIAN INCOME TAX RETURN [For persons including companies required to furnish return under sections 139(4A) or 139(4B) or 139(4C) or 139(4D) only] (See rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)	Assessment Year						
			2	0	2	6	-	2	7

Part A-GEN										
PERSONAL INFORMATION	(A1) Name (as mentioned in deed of creation/ establishing/ incorporation/ formation)					(A2) PAN				
	Addresses to be provided for communication purposes:					(A3) Date of formation/incorporation (DD/MM/YYYY)				
	Primary Address: (A4a) Flat/Door/Block No (A5a) Name of Premises/Building/Village (A6a) Road/Street/Post Office (A7a) Area/Locality (A8a) Town/City/District (A9a) State (A10a) Pin code/Zip code					/ /				
	Secondary Address: (A4b) Flat/Door/Block No (A5b) Name of Premises/Building/Village (A6b) Road/Street/Post Office (A7b) Area/Locality (A8b) Town/City/District (A9b) State (A10b) Pin code/Zip code					(A11) Status (see instructions) ☐ (A12) Sub Status (see instructions) ☐				
	Details to be provided for communication purposes:									
	(A13) Office Phone Number with STD code/Primary Mobile No. of the taxpayer					(A14) Secondary Mobile No. (A15) Primary Email ID of the taxpayer				
	(A16) Secondary Email ID									
	(A17) (i) Return furnished under section ☐ 139(4A) ☐ 139(4B) ☐ 139(4C) ☐ 139(4D)									
(ii) Please specify the section under which the exemption is claimed (dropdown to be provided)										

(A18) Whether any project/institution is run by the assessee? (Yes/No) If Yes, then please furnish the details: Details of the projects/institutions run by you																	
Sl.	Name of the project/institution	Nature of activity	Classification														
1																	
2																	
3																	
4																	
(A19) Details of registration/provisional registration or approval under the Income-tax Act (Mandatory, if required to be registered) (Where regular registration/approval has been granted, details of provisional registration/ approval are not required)																	
Sl.	Section under which registered/provisionally registered or approved/notified	Date of registration/provisional registration or approval	Approval/ Notification/ Unique Registration No. (URN)	Approving/ registering Authority	Date from which registration/provisional registration/ approval is effective												
1	(Dropdowns to be provided)																
2																	
(A20) Details of registration/provisional registration or approval under any law other than Income-tax Act (including the registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, registration on DARPAN portal of Niti Aayog and registration with SEBI)																	
Sl.	Law under/Portal on which registered	Specify details in case 'Any other Law'	Date of registration or approval	Approval/ Notification/ Registration No.	Approving/ registering Authority	Date from which the registration is effective	Date up to which the registration is valid										
1	(Dropdowns to be provided)																
2																	
FILING STATUS	(A21) (ai)	Return filed u/s (Tick)		☐ 139(1)-On or before due date, ☐ 139(4)-After due date, ☐ 139(5)-Revised Return, ☐ 92CD-Modified return, ☐ 119(2)(b)- After Condonation of delay .													
	(aii)	Or filed in response to notice u/s		☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153C													
	(b)	If revised/ defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)															/ /
	(c)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b), enter unique number/ Document Identification Number (DIN) and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement										(unique number)				/ /	
	(d)	Residential status? (Tick) ☐ Resident ☐ Non-resident															
	(e)	Whether any income included in total income for which claim under section 90/90A/91 has been made? ☐ Yes ☐ No [applicable in the case of resident] [if yes, ensure to fill Schedule FSI and Schedule TR]															
	(f)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) ☒ Yes ☐ No If yes, please furnish following information -															
		(1)	Name of the representative assessee														
		(2)	Email-ID of the representative assessee														
		(3)	Contact number of the representative assessee														
	(g)	Whether you are Partner in a firm? (Tick) ☒ Yes ☐ No If yes, please furnish following information															
		Name of Firm			PAN												
	(h)	Legal Entity Identifier (LEI) details (mandatory if refund is 50 crores or more):															
		LEI Number				Valid upto date		(DD/MM/YYYY)									

(A22)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) ☒ Yes ☐ No If yes, please furnish following information in respect of equity shares												
Name of comp any	Type of the comp any	PA N	Opening balance		Shares acquired during the year					Shares transferred during the year		Closing balance	
			No. of shar es	Cost of acquisi tion	No. of shar es	Date of subscrip tion / purchas e	Fac e val ue per sha re	Iss ue pri ce per sha re (in cas e of fres h issu e)	Purchas e price per share (in case of purchas e from existing shareholder)	No. of shar es	Sale consider ation	No. of shar es	Cost of acquisi tion
1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

OTHER DETAILS	(A23)	i	Where, in any of the projects/institutions run by you, one of the charitable purposes is advancement of any other object of general public utility then-											
		a	i	Whether there is any activity in the nature of trade, commerce or business referred to in proviso to section 2(15)?						☐ Yes ☐ No				
			ii	If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts						%				
			b	i	Whether there is any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business for any consideration as referred to in proviso to section 2(15)?						☐ Yes ☐ No			
				ii	If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts						%			
		ii	If 'a' or 'b' is YES, the aggregate annual receipts from such activities in respect of that institution											
			Sl.	Name of the project/Institution							Amount of aggregate annual receipts from such activities			
			a											
		(A24)	i	Is there any change in the objects/activities during the Year on the basis of which approval/registration/provisional registration was granted?										☐ Yes ☐ No
	If yes, please furnish following information:-													
	ii		A	date of such change (DD/MM/YYYY)							____/____/____			
			B	Whether an application for fresh registration/provisional registration has been made in the prescribed form and manner within the stipulated period of thirty days as per Clause (ab) of sub-section (1) of section 12A / Sub-clause (v) of Clause (ac) of sub-section (1) of section 12A							☐ Yes ☐ No			
			C	Whether fresh registration/provisional registration has been granted under section 12AB							☐ Yes ☐ No			
			D	date of such fresh registration/provisional registration (DD/MM/YYYY)							____/____/____			
	(A25)		Is this your first return?											
(A26)	Whether provisions of twenty second proviso to Section 10(23C) or Section 13(10) are applicable?												☐ Yes ☐ No	

		If “Yes”, please furnish below information, whether:		
	(a)	Provisions of proviso to clause (15) of section 2 are applicable		☐ Yes ☐ No
	(b)	Conditions specified in clause (a) of tenth proviso to 10 (23C) / sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A have been violated		☐ Yes ☐ No
	(c)	Conditions specified in clause (b) of tenth proviso to 10 (23C)/ sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A have been violated		☐ Yes ☐ No
	(d)	Conditions specified in twentieth proviso to 10(23C)/ clause (ba) of sub-section (1) of section 12A have been violated		☐ Yes ☐ No
AUDIT INFORMATION	(A27)	(i) Are you liable for audit under the Income-tax Act? (Tick) ☒ Yes ☐ No, If yes, furnish following information-		
		(ii) Section under which you are liable for audit (specify section). Please mention date of audit report. (DD/MM/YY)		
		a	Name of the auditor (proprietorship/ firm)	
		b	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the proprietorship/ firm	
		c	Date of furnishing of the audit report ____/____/____ (DD/MM/YYYY)	
		d	Acknowledgement number of the audit report	
	(A28)	(i) If liable to audit under any Act other than the Income-tax Act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report?		
		Act and section	(DD/MM/YY)	Act and section (DD/MM/YY)

MEMBER'S INFORMATION	(A29)	i. Particulars of persons who were members in the AOP on 31 st day of March, 2026 (to be filled by venture capital fund/ investment fund)					
		Sl. No	Name and Address	Percentage of share (if determinate)	PAN	Aadhaar Number	Status
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

ii Particulars regarding the Author(s) / Founder(s) / Trustee(s) / Manager(s), etc., of the Trust or Institution [to be mandatorily filled in by all persons filing ITR-7]									
A Details of all the Author (s)/ Founder (s)/ Settlor (s)/Trustee (s)/ Members of society/Members of the Governing Council/Director (s)/ shareholders holding 5% or more of shareholding / Office Bearer (s) at any time during the previous year									
Sl.	Name	Relation	Percentage Of shareholding in case of shareholder	Whether Resident of India?	Type of Identification (Select from drop down)	Identification Number	Address	Mobil e number	E-mail address
B In case if any of persons (as mentioned in row A above) is not an individual then provide the following details of the natural persons who are beneficial owners (5% or more) of such person at any time during the previous year									
Sl.	Name	Whether Resident of India?	Type of Identification (Select from drop down)	Identification Number	Address	Percentage of beneficial ownership			
C Name(s) of the person(s) whose total contribution to the trust or institution, during the relevant previous year exceeds one lakh rupees, or, in aggregate up to the end of the relevant previous year exceeds ten lakh rupees, as the case may be in terms of section 13(3)(b) during the previous year									
Sl.	Name and address			PAN		Aadhaar Number			
D Name(s) of relative(s) of author(s), founder(s), member(s), trustee(s), manager(s) and where any such author, founder, member, trustee, manager or person is a Hindu undivided family, names of the members of such family and their relatives at any time during the previous year [Kindly refer to clauses (b) to (d) of section 13(3)]									
Sl.	Name and address			PAN		Aadhaar Number			

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule I		Details of amounts accumulated / set apart within the meaning of section 11(2) or in terms of third proviso to section 10(23C)/10(21)/10(21) read with section 35(1).					
Year of accumulation (F. Yr.)	Amount accumulated in the year of accumulation	Purpose of accumulation	Amount applied for charitable/ religious/Scientific research/ social science or statistical research purposes upto the beginning of the previous year	Balance	Amount taxed in any earlier assessment year(s)	Balance available for application	Amounts applied for charitable or religious /Scientific research/ social science or statistical research purpose during the previous year out of

							previous years' accumulation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2-4)	(6)	(7) = (5-6)	(8)
2020-21							
2021-22							
2022-23							
2023-24							
2024-25							
2025-26							
Total							

Year of accumulation (F.Yr.)	Amount applied for purposes other than the purpose for which such accumulation was made (if applicable)	Amount credited or paid to any trust or institution registered u/s 12AB or approved under sub-clauses (iv)/(v)/(vi)/(via) of clause (23C) of section 10 (if applicable)	Balance amount available for application	Amount invested or deposited in the modes specified in section 11(5) out of 11	Amount invested or deposited in the modes other than specified in section 11(5) out of 11 (if applicable)	Amount which is not utilized during the period of accumulation (if applicable)	Amount deemed to be income within meaning of sub-section (3) of section 11 (if applicable)
	(9)	(10)	(11) = (7-8-9- 10)	(12)	(13)	(14)	(15) = (9+10+13+14)
2020-21							
2021-22							
2022-23							
2023-24							
2024-25							
2025-26							
Total							

Schedule IA	Details of accumulated income taxed in earlier assessment years as per section 11(3)				
<u>FY</u> \ <u>AY</u>	<u>Assessment year in which the amount referred at Col 6 of Schedule I was taxed (Figures in Rs.)</u>				
Year of accumulation (F.Yr.)	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	Total
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E) (A+B+C+D)
2020-21					
2021-22					
2022-23					

2023-24					
Total					

Schedule D		Details of deemed application of income under clause (2) of Explanation 1 to sub-section (1) of section 11.						
Year in which income is deemed to be applied (F.Yr.)	Amount deemed to be applied during the previous year of deeming	Reason of deeming application (a) income has not been received during that year (b) any other reason	Out of the deemed application claimed, amount required to be applied	Amount taxed in any earlier assessment year(s)	Out of the deemed application claimed, amount required to be applied during the financial year pertaining to current Assessment year	Amount of deemed application claimed in earlier years, applied during the financial year pertaining to current AY	Amount which could not be applied and deemed to be income u/s 11(1B) during the previous year	Balance Amount of deemed Income being exemption claimed in earlier years on account of deemed application and required to be applied in FY 2026-27 onwards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6-7)	(9) = (4-6)
<i>Dropdowns to be provided</i>		<i>Dropdowns to be provided</i>						
2025-26		<i>Dropdowns to be provided</i>						
Total								

Schedule DA		Details of accumulated income taxed in earlier assessment years as per section 11(1B)					
Assessment Year		Assessment year in which the amount referred at Col 5 of Schedule D was taxed (Figures in Rs.)					
Year of accumulation (F.Yr.)		Prior to AY 2022-23	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	Total
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) (A+B+C+D+E)
Prior to FY 2020-21							
2020-21							
2021-22							
2022-23							
2023-24							
Total							

Schedule J		Statement showing the funds and investments as on the last day of the previous year [to be filled by assessee claiming exemption u/s 11 and 12 or u/s 10(23C)(iv) or 10(23C)(v) or 10(23C)(vi) or 10(23C)(via)]]										
DETAILS OF INVESTMENT OF FUNDS	A	Details of corpus										
	1	Corpus Donation	Opening Balance as on 01.04.2025 (corpus not applied till 31.03.2025)	Received/Transferred as corpus during the year	Applied during the year	Amount invested or deposited back into corpus (which was earlier applied and not claimed as application)	Total amount invested or deposited back into corpus	Financial year in which (4) was applied earlier	Closing Balance as on 31.03.2026	Invested in modes specified in Sec 11(5) as on 31.03.2026	Amount taxed in earlier assessment years	Invested in modes other than specified in Sec 11(5) as on 31.03.2026

[illegible]

A 2	Details of loan and borrowings							
	Opening Balance As on 01.04.2025	Loan & Borrowings taken for applications towards objectives during the year	Applied for the objects of the trust or institution during the year	Amount of repayment of loan or borrowing during the year (which was earlier applied and not claimed as application) where application from any loan or borrowing is made on or after 01.04.2021	Financial year in which (4) was applied earlier	Total Repayment of loan or borrowing during the year	Closing Balance as on 31.03.2026	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(1+2-6)	
B	Details of corpus investment/deposits made under section 11(5) as on 31.03.2026							
	Sl. No	Investment out of		Mode of investment as per section 11(5)		Amount of investment		
	(1)	(2)		(3)		(4)		
	i	Corpus representing donation donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) on or after 01.04.2020		Dropdown to be provided (Please specify the nature)				
	ii	Corpus other than (i) above received on or after 01.04.2021						
	iii	Other than (i) and (ii) above						
iv	TOTAL							
C	Investment held at any time during the previous year (s) in concern (s) in which persons referred to in section 13(3) and 21st Proviso of Section 10(23C) have a substantial interest							
	Sl. No.	Name and address of the concern	Whether the concern is a company (tick as applicable ☒)	Number of shares held	Class of shares held	Total value of Investment	Income from the investment	Whether the amount in col (6) exceeds 5 percent of the capital of the concern during the previous year (tick as applicable ☒)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	i		☐ Yes ☐ No					☐ Yes ☐ No
	ii		☐ Yes ☐ No					☐ Yes ☐ No
	iii		☐ Yes ☐ No					☐ Yes ☐ No
	iv		☐ Yes ☐ No					☐ Yes ☐ No
	v		☐ Yes ☐ No					☐ Yes ☐ No
			TOTAL					
	D	Other investments as on the last day of the previous year						
Sl. No.		Name and address of the concern	Whether the concern is a company (tick as applicable ☒)		Class of shares held	Number of shares held	Total Value of Investment	
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	
i			☐ Yes ☐ No					
ii			☐ Yes ☐ No					

	iii		☐ Yes ☐ No			
	iv		☐ Yes ☐ No			
	v		TOTAL			

	E	Voluntary contributions/donations received in kind but not converted into investments in the specified modes u/s 11(5) within the time provided					
		Sl. No	Name and address of the donor	Value of contribution/donation	Value of contribution applied towards objective	Amount out of (3) invested in modes prescribed under section 11(5)	Balance to be treated as income under section 11(3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		i					
		ii					
		iii					
		iv	TOTAL				

Part A-BS		CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST DAY OF MARCH, 2026			

SOURCES OF FUNDS	A	Sources of Funds				
	1	Own Funds				
	a	Corpus out of the donations received for renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) on or after 01.04.2020				1a
	b	Other corpus received on or after 01.04.2021				1b
	c	Corpus other than (a) and (b)				1c
	d	Income accumulated under third proviso to clause (23C) of section 10 or section 11(2)				1d
	e	Balance Amount of deemed Income being exemption claimed in earlier years on account of deemed application and required to be applied in FY 2026-27 onwards				1e
	f	Any other reserve (Specify the nature)				
	i	<i>Specify the nature</i>	i			
	ii	<i>Specify the nature</i>	ii			
	iii	Total (ai + aii)				1fiii
	g	Total fund (a+ b+c+d+e+f)				1g
	2	Loan and Borrowings				
	a	Secured loans	a			
	b	Unsecured loans (including deposits)	b			
c	Total Loan Funds (a+ b)				2c	
3	Advances				3	
4	Sources of funds (1g + 2c +3)				4	

APPLICATION OF FUNDS	B	Application of funds				
	1	Fixed assets				
	a	Gross Fixed Assets				1a
	b	Depreciation				1b
	c	Net Fixed Assets (1a-1b)				1c
	2	Investments				2
	3	Current assets, loans and advances				
a	Current assets					
i	Inventories				I	

				ii	Sundry Debtors		ii	
				iii	Cash and bank balances			
				A	Balance with banks	iiiA		
				B	Cash-in-hand	iiiB		
				C	Others	iiiC		
				D	Total Cash and cash equivalents (iiiA + iiiB + iiiC)		iiiD	
				iv	Other Current Assets		iv	
				v	Total current assets (i + ii + iiiD + iv)		av	
				b	Loans and advances		B	
				c	Total (av + b)		C	
				d	Current liabilities and provisions			
				i	Current liabilities			
				A	Sundry Creditors	A		
				B	Other payables	B		
				C	Total (A + B)	iC		
				ii	Provisions	ii		
				iii	Total (iC + ii)		diii	
				e	Net Current Assets (3c – 3diii)		3e	
				4	Accumulated balance/ Any other reserve (deficit)		4	
				5	Total, application of funds (1+2+3e+4)		5	
				6	Out of 5, Investment made in modes specified u/s 11(5)		6	
				7	Out of 5, Investment made in modes other than specified u/s 11(5)		7	

Schedule R		Reconciliation of Corpus of Schedule J and Balance sheet		
Particulars		Corpus out of the donations received for renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) on or after 01.04.2020	Other corpus received on or after 01.04.2021	Corpus other than (1) and (2)
		(1)	(2)	(3)
A. Closing balance as on 31.03.2026 as per Schedule J				
B. Reasons of difference (+/-) (Bi+Bii+Biii)				
i) Purchase of fixed asset				
ii) Depreciation				
iii) Any other reason (Please specify)				
C. Closing balance as on 31.03.2026 as per Balance sheet (A+B)				

Schedule PP		Political Party	
POLITICAL PARTY	1	A) Whether registered under Section 29A of Representation of People Act, 1951	☐ Yes ☐ No
	a	If yes, please enter registration number	
	b	Date of Registration	____/____/____
		B) Whether recognized by the Election Commission of India	☐ Yes ☐ No
	a	If yes, date of recognition	

	2	Whether books of account were maintained? (tick as applicable ☒)	☐ Yes	☐ No
	3	Whether the accounts have been audited? (tick as applicable ☒)	☐ Yes	☐ No
		If yes, furnish the following information: -		
	a	Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY)	____/____/____	
	b	Name of the auditor signing the audit report		
	c	Membership No. of the auditor		
	d	Name of the auditor (proprietorship/ firm)		
	e	Proprietorship/firm registration No.		
	f	Permanent Account Number (PAN) /Aadhaar No. of the auditor (proprietorship/ firm)		
	g	Date of audit report	____/____/____	
	4	Whether the report under sub-section (3) of section 29C of the Representation of the People Act, 1951 for the financial year has been submitted? (tick as applicable ☒)	☐ Yes	☐ No
	4a	If yes, then date of submission of the report (DD/MM/YYYY)	____/____/____	
	4b	Election Commission of India or State Election Commission to whom the report has been submitted	(Dropdown to be provided in the E-filing utility)	
	5	a Whether any voluntary contribution from any person in excess of twenty thousand rupees was received during the year ? (tick as applicable ☒)	☐ Yes	☐ No
		b If yes, whether record of each voluntary contribution (other than contributions by way of electoral bonds) in excess of twenty thousand rupees (including name and address of the person who has made such contribution) were maintained? (tick as applicable ☒)	☐ Yes	☐ No
6	Whether any donation exceeding two thousand rupees was received otherwise than by an account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through electoral bond? (tick as applicable ☒)	☐ Yes	☐ No	
7	Please furnish the following information: -			
	a Total voluntary contributions received by the party during the F.Y. (b+d)	7a		
	b Aggregate value of all the voluntary contributions received upto Rs. 20,000 during the F.Y.	7b		
	ci Aggregate value of all the voluntary contributions received upto Rs. 2,000 in cash during the F.Y.	7ci		
	cii Aggregate value of all the voluntary contributions received upto Rs. 2,000 other than in cash during the F.Y.	7cii		
	d Aggregate value of all the voluntary contributions received more than Rs. 20,000/- during the F.Y.	7d		

Schedule ET		Electoral Trust	
ELECTORAL TRUST	1	Whether books of account were maintained? (tick as applicable ☒)	☐ Yes ☐ No
	2	Whether record of each voluntary contribution (including name, address and PAN of the person who has made such contribution along with the mode of contribution) were maintained? (tick as applicable ☒)	☐ Yes ☐ No
	3	Whether record of each eligible political party to whom the distributable contributions have been distributed (including name, address, PAN and registration number of eligible political party) was maintained? (tick as applicable ☒)	☐ Yes ☐ No
	4	Whether the accounts have been audited as per rule 17CA(12)? (tick as applicable ☒)	☐ Yes ☐ No
		If yes, date of audit report in Form No.10BC (DD/MM/YYYY)	____/____/____
	5	Whether the report as per rule 17CA(14) furnished to the Commissioner of Income-tax or Director of Income-tax? (tick as applicable ☒)	☐ Yes ☐ No
	6	Details of voluntary contributions received and amounts distributed during the year	
	i	Opening balance as on 1 st April	i

	ii	Voluntary contribution received during the year	ii	
	iii	Total (i + ii)	iii	
	iv	Amount distributed to Political parties	iv	
	v	Amount spent on administrative and management functions of the Trust (Restricted to 5% of Sr.no. ii above OR 5 lakh for first year of incorporation and 3 lakh for subsequent years whichever is lesser)	v	
	vi	Total (iv + v)	vi	
	vii	Total amount eligible for exemption under section 13B (Sr.no. 6ii of schedule ET if Amount distributed in 6iv is 95% of 6iii)(As per rule 17CA)	vii	
	viii	Closing balance as on 31 st March (iii – vi)	viii	

Schedule VC		Voluntary Contributions (Donations Received) [to be mandatorily filled in by all persons filing ITR-7]				
A	Domestic Contribution (Other than anonymous donations taxable u/s 115BBC)					
	i	Corpus donation (Aia + Aib)		Ai		
	a	Corpus representing donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b)	Aia			
		b	Corpus other than above	Aib		
	ii	Other than corpus donation				
		(a)	Grants Received from Government		Aiia	
		(b)	Grants Received from Companies under Corporate Social Responsibility		Aiib	
		(c)	Other specific grants		Aiic	
		(d)	Other Donations		Aiid	
		(e)	Total		Aiie	
	iii	Voluntary contribution Domestic (Ai + Aiie)		Aiii		
	B	Foreign contribution (other than anonymous donations taxable u/s 115BBC)				
		i	Corpus donation (Bia + Bib)		Bi	
		a	Corpus representing donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b)	Bia		
			b	Corpus other than above	Bib	
		ii	Other than corpus donation		Bii	
		iii	Foreign contribution (Bi + Bii)		Biii	
		iv	Specify the purpose for which foreign contribution has been received		Biv	Free text box
	C	Total Contributions (Aiii + Biii)		C		
	D	Anonymous donations, chargeable u/s 115BBC [Applicable to assessee claiming exemption u/s 11 or 10(23C)(iv) or 10(23C)(v) or 10(23C)(vi) or 10(23C)(via) or 10(23C)(iiid) or 10(23C)(iiiae)] [to be filled only by trusts other than those covered u/s 115BBC(2)]				
		i	Aggregate of such anonymous donations received		i	
		ii	5% of total donations received at Sl. No. C+Di or 1,00,000 whichever is higher		ii	
		iii	Anonymous donations taxable u/s 115BBC @ 30% (i – ii)		iii	{to be taken as nil, if negative}
	E	Anonymous donations other than those included at Sl. No. Diii (Di-Diii of Schedule VC)				E

Schedule AI		Aggregate of income derived during the previous year excluding Voluntary contributions [to be filled by assesses claiming exemption u/s 11 and 12 or u/s 10(23C)(iv) or 10(23C)(v) or 10(23C)(vi) or 10(23C)(via)]			
AGGREGATE OF INCOME	1	Receipts from main objects			1
	2	Receipts from incidental objects			2
	3	Rent			3
	4	Commission			4
	5	Dividend income			5
	6	Interest income			6
	7	Agriculture income			7
	8	Net consideration on transfer of capital asset			8
	9	Any other income (specify nature and amount)			
			Nature	Amount	
	a	Pass through income/Loss (Fill schedule PTI)		a	
	b			b	
	c			c	
	d			d	
	e	Total (9a+ 9b+ 9c +9d)		e	9e
	10	Total (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6+ 8 + 9)			10

Schedule A		Amount applied to stated objects of the trust/institution during the previous year from all sources referred to in C1 to C7 of this table- [to be filled by assessee claiming exemption u/s 11 and 12 or u/s 10(23C)(iv) or 10(23C)(v) or 10(23C)(vi) or 10(23C)(via)]			
			Amount		
A	Application towards the stated objects of the trust/institution			Revenue	Capital
	1	Donation(s) made to trust or institution(s) registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via)– Other than Corpus (100% of donations made need to be entered here)	1		
	1a	85% of the donation(s) made to trust or institution(s) registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via)– Other than Corpus	1a		
	2	Religious	2		
	3	Relief of poor	3		
	4	Educational	4		
	5	Yoga	5		
	6	Medical relief	6		
	7	Preservation of environment	7		
	8	Preservation of monuments etc.	8		
	9	General public utility	9		
	10	Application which cannot be specifically identified under 1 to 9 above	10		
	11	Cost of new asset for claim of Exemption u/s 11(1A) (restricted to the net consideration)	11		
	12	Total (A1a to A11)	12		
B	Expenditure not allowed as application, other than application out of source of fund at C2 to C7 (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8) Note: Amount entered in Sl. No. B should be out of Sl. No. A			B	
	1	Donation to trust or institution registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via) towards Corpus	1		
	2	Donation to trust or institution registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via) other than towards corpus in case of donations out of accumulated income	2		

	3	Donation to trust or institution registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via) not having same objects	3			
	4	Donation to any person other than trust or institution registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via)	4			
	5	Application outside India for which approval as per proviso to section 11(1)(c) is obtained	5			
	6	Application outside India for which approval as per proviso to section 11(1)(c) is not obtained	6			
	7	Applied for any purpose beyond the objects of the trust or institution	7			
	8	Any other disallowable application	8			
C		Source of fund to meet revenue and capital application in Row A (to the extent amount at Sl. No. C2 to C7 is included in Sl. No. A12)	C			
	1	Income derived from the property/income earned during previous year (Excluding corpus)	1			
	2	Income accumulated as under section 11(2) or third proviso to section 10(23C) in earlier years	2			
	3	Income deemed to be applied in any preceding year under clause 2 of explanation 1 of section 11(1) (applicable only when exemption is claimed u/s 11 and 12)	3			
	4	Income of earlier years upto 15% accumulated or set apart	4			
	5	Corpus	5			
	6	Borrowed Fund	6			
	7	Any other (Please specify)	8			
D		Total Amount applied during the previous year [A12-B-C2-C3-C4-C5-C6-C7]	D			
E		Amount which was not actually applied during the previous year out of D (if it is included in Sl. No. A12)	E			
F		Amount actually paid during the previous year which accrued during any earlier previous year but not claimed as application of income in earlier previous year	F			
G		Total amount to be allowed as application (G=D-E+F)	G			

Schedule IE- 1		Income & Expenditure statement [Applicable for assessees claiming exemption under sections 10(21),10(23AAA), 10(23B), 10(23D), 10(23DA), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(23FB), 10(29A), 10(46), 10(46A), 10(46B),10(47) {Exemptions are not subject to computational or heads of income conditions}]				
	1	Total receipts including any voluntary contribution	1			
	2	Application of income towards object of the institution	2			
	3	Accumulation of income	3			

Schedule IE- 2		Income & Expenditure statement [Applicable for assessee claiming exemption under sections 10(23A), 10(24)] {Where certain heads of income only are taxable and other receipts reported in Row A below are exempt}				
A	1	Total receipts including any voluntary contribution (Excluding receipts falling under taxable heads to be reported as per Row B)	1			
	2	Application of income towards object of the institution	2			
	3	Accumulation of income	3			
B	1	Do you have any income which is taxable? If Yes Please provide details (Tick) ☒	☐ Yes ☐ No			
	a	Income from House Property? (If yes, Please fill Schedule HP)	1 a	☐ Yes	☐ No	
	b	Income from Business or Profession (If yes, Please fill Schedule BP)	1 b	☐ Yes	☐ No	
	c	Income from Capital gains (If yes, Please fill Schedule CG)	1 c	☐ Yes	☐ No	
	d	Income from other Sources (If yes, Please fill Schedule OS)	1 d	☐ Yes	☐ No	

Schedule IE- 3		Income & Expenditure statement [applicable for assessee claiming exemption under sections 10(23C)(iiiab) or 10(23C)(iiic)] (please fill up address for each institution separately): {Exemption is				

		subject to Government grants exceeding fifty per cent of the total receipts including voluntary contributions}	
1	Objective of the institution (drop down to be provided - Educational / Medical)	1	
2	Addresses where activity is carrying out	2	
3	Total receipts including any voluntary contribution	3	
4	Government Grants out of Sl. No. 3 above	4	
5	Amount applied for objective	5	
6	Balance accumulated	6	

Schedule IE- 4		Income & Expenditure statement [applicable for assessee claiming exemption under sections 10(23C)(iiad) or 10(23C)(iiiae)] (please fill up address for each institution separately): {Exemption is subject to total receipts from all the institutions/universities not exceeding five crore rupees}	
1	Objective of the institution (drop down to be provided - Educational / Medical)	1	
2	Addresses where activity is carrying out	2	
3	Gross Annual receipts	3	
4	Amount applied for objective	4	
5	Balance accumulated	5	
	(Add row option to be provided for Sl. No. 1 to 5 above)		
	Sum of Gross Annual receipts (Sum of Sl. No. 3)		

Schedule HP		Details of Income from House Property (Drop down to be provided indicating ownership of property)																												
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1										Town/ City					State			Country			PIN Code/ Zip Code							
		Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if “YES” please enter following details)																												
		Assessee’s percentage of share in the property																												
		Name of Co-owner(s)										PAN/Aadhaar No. of Co-owner(s) (optional)										Percentage Share in Property								
		I																												
		II																												
		/Tick ☒ the applicable option] ☐ Let out ☐ Deemed let out		Name(s) of Tenant (if let out)					PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if available)										PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)											
				I																										
				II																										
		a	Gross rent received or receivable or lettable value (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)															1a												
		b	The amount of rent which cannot be realized										1b																	
		c	Tax paid to local authorities										1c																	
		d	Total (1b + 1c)										1d																	
		e	Annual value (1a – 1d)															1e												
		f	30% of 1e										1f																	
	g	Interest payable on borrowed capital (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)										1g																		
	h	Total (1f + 1g)															1h													
	i	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%															1i													

		j	Income from house property 1 (1e – 1h + 1i) (fill up details separately for each property)	1j	
	2		Pass through income/Loss if any *	2	
	3		Income under the head “Income from house property” ($\Sigma 1j + 2$) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)	3	
	NOTE ▶ Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.				

Schedule CG		Capital Gains												
CAPITAL GAINS	Short-term Capital Gains	A	Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 & 5 are not applicable for residents)											
		1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property) (in case of co-ownership, enter your share of capital gain)											
			Date of purchase/acquisition		DD/MM/YYYY		Date of sale/transfer		DD/MM/YYYY					
			a	i	Full value of consideration received/receivable				ai					
				ii	Value of property as per stamp valuation authority				aii					
				iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]				aiii					
			b	Deductions under section 48										
				i	Cost of acquisition without indexation				bi					
				ii	Cost of Improvement without indexation				bii					
				iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii					
				iv	Total (bi + bii + biii)				biv					
			c	Balance (aiii – biv)						1c				
			d	Deduction under section 54G/54GA (Specify details in item D below)						1d				
			e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)									A1e	
			F	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)										
				S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	Pin code	State			
				NOTE ▶	Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.									
			2	From slump sale										
			A	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)				2ai					
				ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)				2aii					
				iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)				2aiii					
			B	Net worth of the undertaking or division (6(e) of Form 3CEA)						2b				
			C	Short term capital gains from slump sale (2aiii-2b)								A2c		
		3	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(b)(ii) proviso (for FII) (where A4 is not applicable)											
			a	Full value of consideration					3a					
			b	Deductions under section 48										

			i	Cost of acquisition without indexation	bi				
			ii	Cost of Improvement without indexation	bii				
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii				
			iv	Total (i + ii + iii)	biv				
			c	Balance (3a – biv)	3c				
			d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)	3d				
			e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)	A3e				
4	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)								
			a	STCG on transactions covered u/s 111A	A4a				
				(i) Where the transfer was before 23 rd July 2024	A4ai				
				(ii) Where the transfer was on or after 23 rd July 2024	A4aii				
			b	STCG from sale of shares not covered in sl.no 4a or sale of debentures	A4b				
5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD								
			a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
					a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
					b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
					c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
				ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii			
				iii	Total (ic + ii)	aiii			
			b	Deductions under section 48					
					i	Cost of acquisition without indexation	bi		
					ii	Cost of improvement without indexation	bii		
					iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
					iv	Total (i + ii + iii)	biv		
c	Balance (5aiii – biv)				5c				
d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)				5d				
e	Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)					A5e			
6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above								
			a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
					a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
					b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
					c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		

			ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares				aii		
			iii	Total (ic + ii)				aiii		
		b	Deductions under section 48							
			i	Cost of acquisition without indexation				bi		
			ii	Cost of Improvement without indexation				bii		
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii		
			iv	Total (i + ii + iii)				biv		
		c	Balance (6aiii – biv)				6c			
		d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)				6d			
		e	Deemed short term capital gains on depreciable assets				6e			
		f	Deduction under section 54G/54GA				6f			
		g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e – 6f)						A6g	
7	Amount deemed to be short term capital gains									
a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below									
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)				
				Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account					
	i	2022-23	54G/54GA							
	ii	2023-24	54G/54GA							
	iii	2024-25	54G/54GA							
b	Amount deemed to be short term capital gains u/s 54G/54GA, other than at 'a'									
	Total amount deemed to be short term capital gains (Xi + Xii + Xiii + b)							A7		
8	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8ai+A8aii+A8b + A8c)							A8		
	a	Pass Through Income/loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 20%				A8a				
	b	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%				A8b				
	c	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates				A8c				
9	Amount of STCG included in A1 – A8 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA (Applicable for non-residents only)									
	Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									
a	Total amount of STCG claimed as not chargeable to tax in India as per DTAA							A9a		

			b	Total amount of STCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA						A9b			
		A(A)	Capital loss on buy back of shares [Short Term Capital loss @20% / 30% / Applicable rate] (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered in 1aiii or sl.no.2c/2d of schedule OS)								A(A)		
		10	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 + A8 - A9a +A(A))								A10		
	B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 5,6, & 7 are not applicable for residents)											
	Long-term Capital Gains	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property) (in case of co-ownership, enter your share of Capital Gain)										
			Date of purchase/ acquisition		DD/MM/YYYY		Date of sale/transfer		DD/MM/YYYY				
		a	i	Full value of consideration received/receivable						ai			
			ii	Value of property as per stamp valuation authority						aii			
			iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]						aiii			
		b	Deductions under section 48										
			i	Cost of acquisition without indexation						bi			
			ii	Cost of Improvement without indexation						bii			
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer						biii			
			iv	Total (bi+bii+biii)						biv			
				Cost of acquisition without indexation						bi			
			c	Balance (aiii – biv)						1c			
			d	Deduction under section 54D/54EC/54G/54GA (Specify details in item D below)						1d			
			e	Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)						B1e			
			f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)									
			S. No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	Pin code	State			
			NOTE►Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.										
		g	Total Long-term Capital Gains on Immovable property (ΣB1e)						B1g				
	2	From slump sale											
		a	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)				2ai					
			ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)				2aii					
			iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)				2aiii					
		b	Net worth of the undertaking or division(6(e) of Form 3CEA)						2b				
		c	Balance (2aiii – 2b)						2c				
		d	Deduction u/s 54EC						2d				
		e	Long term capital gains from slump sale(2c-2d)						B2e				
	3	From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds as per sec 112(1)											
		a	Full value of consideration						3a				
		b	Deductions under section 48										
			i	Cost of acquisition without indexation				bi					

			ii	Cost of improvement without indexation	bii					
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii					
			iv	Total (bi + bii +biii)						
	c	Long Term Capital Gains on assets at B3 above (3a – biv)			B3c					
4	From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A									
	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B4							B4		
5	For NON-RESIDENTS- from sale of unlisted shares or listed debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)									
	LTCG computed without indexation benefit on unlisted shares or listed debentures							B5		
6	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in sec. 115AD									
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details							
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia					
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib					
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic					
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares			aii				
		iii	Total (ic + ii)			aiii				
	b	Deductions under section 48								
		i	Cost of acquisition without indexation			bi				
		ii	Cost of improvement without indexation			bii				
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii				
		iv	Total (bi + bii +biii)			biv				
	c	Long-term Capital Gains on assets at B6 above in case of NON-RESIDENT (6aiii-6biv)			B6c					
7	For FII/FPI (NON-RESIDENTS) - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A read with section 115AD									
	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B7							B7		
8	From sale of assets where B1 to B7 above are not applicable									
	a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details							
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia					
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib					

					c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)		ic						
				ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares		aii							
				iii	Total (ic + ii)		aiii							
			b	Deductions under section 48										
				i	Cost of acquisition without indexation		bi							
				ii	Cost of improvement without indexation		bii							
				iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		biii							
				iv	Total (bi + bii + biii)		biv							
			c	Balance (aiii – biv)		8c								
			d	Deduction under section 54D/54G/54GA (Specify details in item D below)		8d								
			e	Long-term Capital Gains on assets at B8 above(8c- 8d)							B8e			
		9	Amount deemed to be long-term capital gains											
		a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below											
		a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below											
		S.no	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)							
					Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account								
		i	2022-23	54D/54G/54GA										
		ii	2023-24	54D/54G/54GA										
		iii	2024-25	54D/54G/54GA										
		b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'						b					
		Total amount deemed to be long-term capital gains (Xi + Xii + Xiii + b)										B9		
		10	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B10a1+B10a2+)										B10	
		a1	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% u/s 112A								B10a1			
		a2	Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% under sections other than 112A								B10a2			
		11	Amount of LTCG included in items B1 to B10 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA (Applicable for non-residents only)											
		Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B10 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
		I												
		II												
		a	Total amount of LTCG claimed as not chargeable to tax in India as per DTAA								B11a			

			b	Total amount of LTCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA		B11b		
			B(A)	Capital Loss on buy back of shares (Long Term @12.5%) (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered in 1a iii or sl.no.2c/2d of schedule OS)		B(A)		
			12	Total long term capital gain] [B1g + B2e + B3c + B4 + B5 + B6c + B7+ B8e+ B9+B10-B11a + B(A)]		B12		
			C1	Sum of Capital Gain Incomes (8ii + 8iii + 8iv + 8v + 8vi + 8vii + of table E below)		C1		
			C2	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Item No. B of Schedule VDA)		C2		
			C3	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (C1 + C2)		C3		
			D	Information about deduction claimed against Capital Gains				
			1	In case of deduction u/s 54D/54EC /54G/54GA give following details				
			a	Deduction claimed u/s 54D				
			i	Date of acquisition of original asset		ai	dd/mm/yyyy	
			ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking		aii		
			iii	Date of purchase of new land or building		aiii	dd/mm/yyyy	
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date		aiv		
				(iva) Date of Deposit	(ivb) Account Number	(ivc) IFS Code		
				dd/mm/yyyy				
			v	Amount of deduction claimed		av		
			b	Deduction claimed u/s 54EC				
			i	Date of transfer of original asset		bi	dd/mm/yyyy	
			ii	Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)		bii		
			iii	Date of investment		biii	dd/mm/yyyy	
			iv	Amount of deduction claimed		biv		
			c	Deduction claimed u/s 54G				
			i	Date of transfer of original asset		ci	dd/mm/yyyy	
			ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset		cii		
			iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area		ciii	dd/mm/yyyy	
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date		civ		
				(iva) Date of deposit	(ivb) Account Number	(ivc) IFS Code		
				dd/mm/yyyy				
			v	Amount of deduction claimed		cv		
			d	Deduction claimed u/s 54GA				
			i	Date of transfer of original asset from urban area		di	dd/mm/yyyy	
			ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset		dii		
			iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ		diii	dd/mm/yyyy	
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date		div		
				(iva) Date of Deposit	(ivb) Account Number	(ivc) IFS Code		
				dd/mm/yyyy				
			v	Amount of deduction claimed		dv		
			e	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d)		e		

E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A9a & B12a which is NOT chargeable under DTAA)									
Sl. No.	Type of Capital Gain	Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss set off				Long term capital loss set off		Current year's capital gains remaining after set off remaining a off (8=1-2-3-4-5-6-7)
			20%	30%	applicable rate	DTAA rates	12.5%	DTAA rates	
			1	2	3	4	5	6	7
i	Loss to be set off (Fill this row if figure computed is negative) →		$(A3e^{*} + A4a^{*} + A8a^{*} + A(A))$	$(A5e^{*} + A8b^{*} + A(A))$	$(A1e^{*} + A2c^{*} + A4b^{*} + A6g^{*} + A7^{*} + A8c^{*} + A(A))$	A9b	$(B1g^{*} + B2e^{*} + B3c^{*} + B4^{*} + B5^{*} + B6c^{*} + B7^{*} + B8e^{*} + B9^{*} + B10a1^{*} + B10a2^{*} + B(A))$	B11b	
ii		20%	$(A3e^{*} + A4a^{*} + A8a^{*} + A(A))$						
iii		30%	$(A5e^{*} + A8b^{*} + A(A))$						
iv		applicable rate	$(A1e^{*} + A2c^{*} + A4b^{*} + A6g^{*} + A7^{*} + A8c^{*} + A(A))$						
v		DTAA rates	A9b						
vi		12.5%	$(B1g^{*} + B2e^{*} + B3c^{*} + B4^{*} + B5^{*} + B6c^{*} + B7^{*} + B8e^{*} + B9^{*} + B10a1^{*} + B10a2^{*} + B(A))$						
vii		DTAA rates	B11b						
viii	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii)								
ix	Loss remaining after set off (i-viii)								

F Information about accrual/receipt of capital gain							
S. No.	Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)	
1	Short-term capital gains taxable at the rate of 20%						
2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30%						

	3	Short-term capital gains taxable at applicable rates					
	4	Short-term capital gains taxable at DTAA rates					
	5	Long-term capital gains taxable at the rate of 12.5%					
	6	Long-term capital gains taxable at the rate DTAA rates					
	7	Capital gains on transfer of Virtual Digital Asset taxable at the rate of 30% <i>Enter value from item 16B of schedule SI, if any</i>					

Schedule VDA		Income from transfer of Virtual Digital Assets u/s 115BBH (Note: Details of every transaction are to be filled, wherein every 'transfer' is a transaction)				
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Business/Capital Gain)	Cost Acquisition of (In case of gift: a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col. 5)
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)
Add Rows						
A. Total (Sum of all Positive Incomes of Business Income in Col. 7)						(Item No. A3d of Schedule BP)
B. Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)						(Item No. C2 of Schedule CG)

Schedule OS		Income from other sources				
OTHER SOURCES	1	Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)			1	
	a	Dividends, Gross (ai+aii+aiii)		1a		
		i	Dividend income other than (ii) and (iii)	ai		
		ii	Dividend income u/s 2(22)(e)	aii		
		iii	Dividend income u/s 2(22)(f)	aiii		
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv + bv)		1b		
		i	From Savings Bank	bi		
		ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative Society)	bii		
		iii	From Income-tax Refund	biii		
		iv	In the nature of Pass-through income/Loss	biv		
		v	Others including interest from Companies, NBFCs & HFCs	bv		
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross		1c		
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)		1d		

			i	Aggregate value of sum of money received without consideration	di		
			ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property	dii		
			iii	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration as adjusted as per section 56(2)(x)	diii		
			iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property	div		
			v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration	dv		
			e	Any other income (please specify nature)	1e		
		Sl. No.	Nature		Amount		
		1	Income due to disallowance of exemption under clauses of section 10				
		2	Any specified sum received by a unit holder from a business trust during the previous year chargeable u/s 56(2)(xii)				
			Rows can be added as required				
		2	Income chargeable at special rates (2ai + 2aii + 2b+ 2c+ 2d + 2e elements related to Sl. No. 1)				2
			ai	Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, card games etc. chargeable u/s 115BB	2ai		
			aaii	Winnings from online games chargeable u/s 115BBJ	2aaii		
			b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)	2b		
			i	Cash credits u/s 68	bi		
			ii	Unexplained investments u/s 69	bii		
			iii	Unexplained money etc. u/s 69A	biii		
			iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv		
			v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv		
			vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D	bvi		
			c	Any other income chargeable at special rate (total of ci to cxiv)	2c		
			i	Dividends received by non-resident (not being a company) or a foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A)	ci		
			ia	Dividend received by non-resident (not being a company) or a foreign company, from a unit in an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA chargeable under proviso to 115A(1)(a)(A)	cia		
			ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	cii		
			iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	ciii		
			iv	Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 5%	civ		
			v	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 4%	cv		
			vi	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	cvi		

					vii	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)				cvii						
					viii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)				cviii						
					ix	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)				ix						
					x	Income by way of interest from bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC				cx						
					xi	Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC				cxii						
					xii	Income received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)				cxii						
					xiii	Income received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD – chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)				cxiii						
					xiv	Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA				cxiv						
					xv	Income received by non-resident as referred in second proviso to section 194LC(1) -- chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 9%				cxv						
				d	Pass through income in the nature of income from other sources claimed as chargeable at special rates (<i>drop down to be provided</i>)						2d					
				e	Amount included in 1 and 2 above, which is claimed as chargeable at special rates in India as per DTAA (<i>total of column (2) of table below</i>) (Applicable for non-residents only)						2e					
					Sl. No.	Amount of income	Item No.1ai, 1aiii, 1b to 1d, 2a, 2c & 2d in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
					I											
					II											
			3	Deductions under section 57(<i>other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b, 2c, 2d & 2e</i>)												
				a	Expenses / Deductions (other than entered in c)					3a						
				b	Depreciation (available only if income offered in 1c of "schedule OS")					3b						
				c	Interest expenditure on dividend u/s 57(i) (available only if income offered in 1a(i) and/or 1a(ii))					3c						
				ci	Eligible Interest expenditure u/s 57(i) – computed value					3ci						
				d	Total					3d						
		4	Amounts not deductible u/s 58												4	
		5	Profits chargeable to tax u/s 59												5	

	6	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates (1 (after reducing income related to DTAA portion) – 3 + 4 + 5) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)						6	
	7	Income from other sources (other than from owning race horses) (2+6) (enter 6 as nil, if negative)						7	
	8	Income from the activity of owning and maintaining race horses							
		a	Receipts	8a					
		b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only	8b					
		c	Amounts not deductible u/s 58	8c					
		d	Profits chargeable to tax u/s 59	8d					
		e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d)					8e	
	9	Income under the head "Income from other sources" (7 + 8e) (take 8e as nil if negative)						9	
	10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources							
		S. No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3	
				(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
		1	Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)						
		2	Winnings from online games u/s 115BBJ						
		3a	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(i)						
		3b	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(iii)						
		4	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) other than as per proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI income)						
		5	Dividend income under proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 10% (Including PTI Income)						
		6	Dividend Income u/s 115AC @ 10%						

		7	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)						
		8	Dividend income chargeable at DTAA Rates						

Schedule OA		General	
	Do you have any income under the head business and profession? ☐ Yes ☐ No (if “yes” please enter following details)		
1	Nature of Business or profession		1
2	Number of branches		2
3	Method of accounting employed in the previous year (Tick) ☒ ☐ mercantile ☐ cash		3
4	Is there any change in method of accounting (Tick) ☒ ☐ Yes		4
5	Effect on the profit because of deviation, if any, in the method of accounting employed in the previous year from accounting standards prescribed under section 145A		5
6	Method of valuation of closing stock employed in the previous year		6
a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)	☐	6a
b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)	☐	6b
c	Is there any change in stock valuation method (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No		6c
d	Effect on the profit or loss because of deviation, if any, from the method of valuation prescribed under section 145A		6d

Schedule BP		Computation of income from business or profession		
INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	A	From business or profession other than speculative business and specified business		
	1	Profit before tax as per income and expenditure account (as applicable)		
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter -ve sign in case of loss)	2a	
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter -ve sign in case of loss)	2b	
	3	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income or chargeable u/s 115BBH	a	House property
			b	Capital gains
			c	Other sources
			ci	Dividend income
			cii	other than Dividend income
	d	u/s 115BBH (net of Cost of Acquisition, if any)	3d	(Item No. A of Schedule VDA)
4	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AE			
5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt			

		a	Share of income from firm(s)	5a					
		b	Share of income from AOP/ BOI	5b					
		c	Any other exempt income (specify nature and amount)						
		i		ci					
		ii		cii					
		iii	Total (ci + cii)	5ciii					
		d	Total exempt income	5d					
	6	Balance (1– 2a – 2b – 3a – 3b – 3c – 3d – 4– 5d)					6		
	7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/ related to income chargeable u/s 115BBH	a	House property	7a				
			b	Capital gains	7b				
			c	Other sources	7c				
			d	u/s 115BBH (other than Cost of Acquisition)	7d				
	8	Total (7a + 7b + 7c+ 7d)					8		
	9	Adjusted profit or loss (6+8)					9		
	10	Depreciation and amortization debited to profit and loss account					10		
	11	Depreciation allowable under Income-tax Act							
		i	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(ia)			11i			
		ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)			11ii			
		iii	Total (11i+11ii)			11iii			
	12	Profit or loss after adjustment for depreciation (9+10-11iii)					12		
	13	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36				13			
	14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37				14			
	15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40				15			
	16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A				16			
	17	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B				17			
	18	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006				18			
	19	Deemed income under section 41				19			
	20	Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/ 35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A				20			
	21	Deemed income under section 43CA				21			
22	Any other item of addition under section 28 to 44DB				22				
23	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which company is a partner)				23				
24	Total (13+ 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23)					24			
25	Deduction allowable under section 32(1)(iii)				25				
26	Amount allowable as deduction under section 32AC				26				
27	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 23)				27				
28	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year				28				
29	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year				29				

Schedule CYLA		Details of Income after set-off of current years losses					
CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
				Total loss (3 of Schedule -HP)	Total loss ((2v of item E) of Schedule-BP)	Total loss (6 of Schedule-OS)	
			1	2	3	4	(5) = (1-2-3-4)

		Loss to be adjusted ->					
i		House property					
ii		Business (excluding speculation income and income from specified business)					
iii		Speculation income					
iv		Specified business income u/s 35AD					
v		Short-term capital gain taxable @ 20%					
vi		Short-term capital gain taxable @ 30%					
vii		Short-term capital gain taxable at applicable rates					
viii		Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA					
ix		Long term capital gain taxable @ 12.5%					
x		Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA					
xi		Net Income from Other sources (excluding profit from owning race horses and winnings from lottery)					
xii		Profit from owning and maintaining race horses					
xiii		Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA					
xiv		Total loss set-off					
xv		Loss remaining after set-off					

Schedule PTI		Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115U, 115UA and 115UB								
PASS THROUGH INCOME	Sl .	Investment entity covered by section 115U/115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl .	Head of income	Current year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/Loss 9=7-8	TDS on such amount, if any
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(drop down to be provided)			i	House property				
					ii	Capital Gains				
					A	Short term				
					ai	Section 111A				
					ai i	Others				

						B	Long term				
						bi	Section 112A				
						bi i	Sections other than 112A				
					iii	Other Sources					
					a	Dividend					
					b	Others					
					iv	Income claimed to be exempt					
						A	u/s				
											
							...				
						Add row to be provided					
					i	House property					
					ii	Capital Gains					
						A	Short term				
						ai	Section 111A				
						ai i	Others				
						B	Long term				
						bi	Section 112A				
						bi i	Section other than 112A				
					iii	Other Sources					
						A	Dividend				
						B	Others				
					iv	Income claimed to be exempt					
						A	u/s				
											
											
						Add row to be provided					

Schedule SI Income chargeable to tax at special rates						
SPECIAL RATE	Sl. No.	Section	☒	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
	1	111A (STCG on shares where STT paid)	☐	20		
	2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	☐	30		
	3	112(1) (LTCG on listed securities/ units)	☐	12.5		
	4	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	☐	12.5		

5	115AB (LTCG for non-resident on units referred in section 115AB)	☐	12.5		
6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	☐	12.5		
7	115AD (LTCG for FII on securities)	☐	12.5		
8	112 (LTCG on others)	☐	12.5		
9	112A (LTCG on equity shares/units of equity-oriented fund/units of business trust on which STT is paid)	☐	12.5		
10	STCG chargeable at special rates in India as per DTAA	☐			
11	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	☐			
12	115AC (Income by way interest received by non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency)	☐	10		
13	115AC (Income by way of Dividend received by non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency)	☐	10		
14	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	☐	30		
15	115BBJ (Winnings from online games)	☐	30	(2aii of Schedule OS)	
16	115BBH- Tax on Income from Virtual Digital asset				
	A) Income under head business or profession	☐	30	(3d of Schedule BP)	
	B) Income under head Capital Gain	☐	30	(C2 of Schedule CG)	
17	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	☐	60		
18	Any other income chargeable at special rate (Please choose from drop down menu)	☐		(part of 2c of schedule OS)	
19	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 2e of schedule OS)	
20	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 20%	☐	20		
21	Pass through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	☐	30		
22	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% u/s 112A	☐	12.5		
23	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% - u/s other than 112A	☐	12.5		
24	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates	☐		(2d of schedule OS)	
	Total				

Schedule 115TD		Accreted income under section 115TD (Applicable if exemption claimed u/s 11 and 12 or 10(23C)(iv)/10(23C)(v)/ 10(23C)(vi)/10(23C)(via)			
1	Aggregate Fair Market Value (FMV) of total assets of specified person	1			
2	Less: Total liability of specified person	2			
3	Net value of assets (1 – 2)	3			
4	(i) FMV of assets directly acquired out of income referred to in section 10(1)	4i			

	(ii)	FMV of assets acquired during the period from the date of creation or establishment to the effective date of registration/provisional registration/approval u/s 12AB or 2 nd Proviso to s. 10(23C), if benefit u/s 11 and 12 or 10(23C)(iv)/10(23C)(v)/10(23C)(vi)/10(23C)(via) respectively not claimed during the said period	4ii			
	(iii)	FMV of assets transferred in accordance with third proviso to section 115TD(2)	4iii			
	(iv)	Total (4i + 4ii + 4iii)				
5	Liability in respect of assets at 4 above				5	
6	Accreted income as per section 115TD [3 – (4iv – 5)]				6	
7	Additional income-tax payable u/s 115TD at maximum marginal rate				7	
8	Interest payable u/s 115TE				8	
9	Specified date u/s 115TD				9	
10	Additional income-tax and interest payable				10	
11	Tax and interest paid				11	
12	Net payable/refundable (10 - 11)				12	
13	Date(s) of deposit of tax on accreted income		Date 1 DD/MM/YYYY	Date 2 DD/MM/YYYY	Date 3 DD/MM/YYYY	
14	Name of Bank and Branch					
15	BSR Code					
16	Serial number of challan					
17	Amount deposited					

Schedule 115BBI		Specified income of certain institutions under section 115BBI			
	Particulars		Amount		
1	Deemed income referred in Explanation 4 to the third proviso to section 10(23C) or section 11(3)	1	<Total of Col 15 of Schedule I >		
2	Deemed income referred under section 11(1B)	2	< Total of Col 8 of Schedule D>		
3	Income which is deemed to be income under the twenty-first proviso to Section 10(23C) or which is not excluded from the total income as per section 13(1)(c)	3			
4	Income which is not exempt under section 10(23C) on account of violation of clause (b) of the third proviso of section 10(23C) or which is not excluded from the total income as per section 13(1)(d)	4			
5	Income which is not excluded from the total income as per section 11(1)(c)	5			
6	Income accumulated or set apart in excess of fifteen per cent of the income where such accumulation is not allowed under any specific provision of this Act;	6			
7	Total (total of Sl. No. 1 to 6)	7			

Schedule FSI	Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)

INCOME FROM OUTSIDE INDIA AND TAX RELIEF	Sl.	Country Code (Dropdown to be provided in the e-filing utility)	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	1			i	House Property					
ii				Business or Profession						
iii				Capital Gains						
iv				Other sources						
Total										
2			i	House Property						
			ii	Business or Profession						
			iii	Capital Gains						
			iv	Other sources						
			Total							

Schedule TR		Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)				
TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1	Details of Tax relief claimed				
		Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Total				
	2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))			2	
	3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))			3	
	4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below			4	Yes/No
		a	Amount of tax refunded	b	Assessment year in which tax relief allowed in India	

[illegible]

A2 Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2025												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period (drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
A3 Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2025												
Sl No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period	Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
A4 Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2025												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held	Address of financial institution	ZIP code	Date of contract	The cash value or surrender value of the contract	Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2025												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2025												
Sl No	Country		Address of the Property	Ownership-		Total Investment	Income derived		Income taxable and offered in this return			

	Name and code	Zip Code		Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	(at cost) (in rupees)	from the property	Nature of Income	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
D	Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2025										
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of Asset	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
E	Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2025 and which has not been included in A to D above.										
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Country Name and Code	Zip Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return	
										Amount	Schedule where offered
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(i)											
(ii)											
F	Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor										
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return	
										Amount	Schedule where offered
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
G	Details of any other income derived from any source outside India which is not included in, (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession										
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the person from whom derived			Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return		
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)											
(ii)											

Schedule SH		SHAREHOLDING OF UNLISTED COMPANY									
If you are an unlisted company, please furnish the following details:-											
Details of shareholding at the end of the previous year											
Name of the shareholder	Residential status in India	Type of share	PAN	Date of acquisition	Number of shares held	Face value per share	Issue Price per share	Amount received			
Details of equity share application money pending allotment at the end of the previous year											
Name of the applicant	Residential status in India	Type of share	PAN	Date of application	Number of shares applied for	Application money received	Face value per share	Proposed issue price			
Details of shareholders who is not a shareholder at the end of the previous year but was a shareholder at any time during the previous year											
Name of the shareholder	Residential status in India	Type of share	PAN	Number of shares held	Face value per share	Issue Price per share	Amount received	Date of acquisition	Date on which cease to be shareholder	Mode of cessation	In case of transfer, PAN of the shareholder

Part-B

Part B – TI		STATEMENT OF INCOME FOR THE PERIOD ENDED ON 31 ST MARCH, 2026									
Part B1 – Applicable if exemption is being claimed u/s 11 and 12 or 10(23C)(iv)/10(23C)(v)/ 10(23C)(vi)/10(23C)(via) and where Part B3 is not applicable.											
1	Voluntary Contributions and anonymous donations taxable u/s 115BBC (Other than Corpus) [(C- Ai-Bi+E) of Schedule VC]									1	
2	Voluntary contribution forming part of corpus other than anonymous donations taxable u/s 115BBC [(A + B) of schedule Part B-TI -Part B1]									2	
	A	Corpus representing donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) [Aia +Bia of Schedule VC]							A		
	B	Corpus other than above [Aib +Bib of Schedule VC]							B		
3	Aggregate of income referred to in sections 11, 12 and sections 10(23C)(iv), 10(23C)(v), 10(23C)(vi) and 10(23C)(via) derived during the previous year excluding Voluntary contribution included in 1 above (10 of Schedule AI)									3	
4	Amount eligible for exemption under section 11(1)(c)									4	
	A	Approval number given by the Board							A		
	B	Date of approval by board							B		
5	Income to be applied [1+3-4-(A1-A1a of Schedule A)]									5	
6	Application of income for charitable or religious purposes or for the stated objects of the trust/institution:-										
	i	Amount applied during the previous year [Excluding application from borrowed fund, deemed application, previous year accumulation upto 15% etc, i. e. not from the income of prev. year] [Sr.no. G from Schedule A]							6i		
	ii	Repayment of loan during the previous year- [Sr.no. 4 of table A2 of Schedule J]							6ii		
	iii	Amount applied during the previous year- invested or deposited back into specified mode of Corpus fund (disallowed earlier on application of fund for object of trust/institution) invested or deposited back, into one or more of the forms or modes specified in Section 11(5) maintained specifically for such corpus, from the income of that year and to the extent of such investment or deposit [Sr.no. 4 of table A1 of Schedule J]							6iii		
	iv	Amount deemed to have been applied during the previous year as per clause (2) of Explanation to section 11(1) < Col 2 of Schedule D for FY 2025-26>							6iv		
		A	If (iv) above applicable, whether option in Form No. 9A has been furnished to the Assessing Officer						A		
		B	If yes, date of furnishing Form No. 9A (DD/MM/YYYY)						B		
	v	Amount accumulated or set apart for application to charitable or religious purposes or for the stated objects of the trust/institution to the extent it does							6v		

			not exceed 15 per cent of income derived from property held in trust/ institution under section 11(1)(a)/11(1)(b) or in terms of third proviso to section 10(23C) {restricted to maximum of 15% of [(1 +3 above) -(A1 of Schedule A)]}		
		vi	Amount in addition to amount referred to in (v) above, accumulated or set apart for specified purposes if all the conditions in section 11(2) and 11(5) or third proviso to section 10(23C) are fulfilled) <Col 2 of Schedule I for FY 2025-26>		6vi
		A	If (vi) above applicable, whether option in Form No. 10 has been furnished to the Assessing Officer		A
		B	If yes, date of furnishing Form No. 10 (DD/MM/YYYY)		B
		vii	Total [6i+6ii+6iii+6iv+6v+6vi]		6vii
7	Additions				
	i	Income chargeable under section 115BBI <Total of Sl. No 7 of Schedule 115BBI>			7i
	ii	Income in respect of which exemption under section 11 is not available, being anonymous donation (Diii of schedule VC)			7ii
	iii	Income chargeable under section 12(2)			7iii
	iv	Amount disallowable under section 11(1) r.w.s 40(a)(ia) or 10(23C) r.w.s. 40(a)(ia)			7iv
	v	Amount disallowable under section 11(1) r.w.s 40A(3)/(3A) or 10(23C) r.w.s. 40A(3)/(3A)			7v
	vi	Income as per Explanation 3B in case of violation of clause (a) or (b) or (c) of Explanation 3A to section 11(1) read with section 80G(2)(b)			7vi
	vii	Income as per Explanation 1B in case of violation of clause (a) or (b) or (c) of Explanation 1A to section 10(23C) read with section 80G(2)(b)			7vii
	viii	Any other income on which exemption is not allowable under the Income-tax Act			7viii
	ix	Total [7i+7ii+7iii+7iv+7v+7vi+7vii+7viii]			7ix
8	Income chargeable u/s 11(4)				8
9	Gross income after Exemption u/s 11/10(23C)(iv)/10(23C)(v)/ 10(23C)(vi)/10(23C)(via) [(5-6vii)+7ix+8]				9
10	Income not forming part of item No. 9 above				
	i	Income from house property [3 of Schedule HP] (enter nil if loss)			10i
	ii	Profits and gains of business or profession [as per item No. D 48 of schedule BP]			10ii
	iii	Income under the head Capital Gains			
	A	Short term			10iiiA
	Ai	Short-term chargeable @ 20% (8ii of item E of schedule CG)			Ai
	Aii	Short-term chargeable @ 30% (8iii of item E of schedule CG)			Aii
	Aiii	Short-term chargeable at applicable rate (8iv of item E of schedule CG)			Aiii
	Aiv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8v of item E of Schedule CG)			Aiv
	Av	Total Short-term (Ai + Aii + Aiii+ Aiv) (enter nil if loss)			Av
	B	Long term			10iiiB
	Bi	Long-term chargeable @ 12.5% (8vi of item E of schedule CG)			Bi
	Bii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8vii of item E of schedule CG)			Bii
	Biii	Total Long-term (Bi + Bii) (enter nil if loss)			Biii
	C	Sum of Short-term/Long-term capital gains (Av+Biii) (enter nil if loss)			10iiiC
	D	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)			10iiiD
	E	Total capital gains (C + D)			10iiiE
	iv	Income from other sources [as per item No. 9 of Schedule OS]			10iv
	v	Total (10i + 10ii + 10iiiE + 10iv)			10v
11	Gross income (9+10)				11

12	Losses of current year to be set off against 10v (total of 2xv, 3xv and 4xv of Schedule CYLA)	12	
13	Total Income (11-12)	13	
14	Income which is included in 13 and chargeable to tax at special rates (total of col. (i) of schedule SI)	14	
15	Anonymous donations, included in 13, to be taxed under section 115BBC @ 30% (Diii of Schedule VC)	15	
16	Specified Income chargeable u/s 115BBI, included in 13, to be taxed @ 30% (Sl. No. 7 of Schedule 115BBI)	16	
17	Aggregate Income to be taxed at normal rates (13-14-15-16)	17	

Part B2 - Applicable if exemption is being claimed under section 13A/13B and under sections 10(21), 10(23A), 10(23AAA), 10(23B), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(29A), 10(23C)(iiiab), 10(23C)(iiiac), 10(23C)(iiiad), 10(23C)(iiiie), 10(23D), 10(23DA), 10(23FB), 10(24), 10(46), 10(47)						
1	Amount eligible for exemption under sections 10(21), 10(23AAA), 10(23B), 10(23D), 10(23DA), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(23FB), 10(29A), 10(46), 10(46A), 10(46B), 10(47) [Sl. No. 1 of Schedule IE-1]				1	
2	Amount eligible for exemption under section 10(23A), 10(23C)(iiiab), 10(23C)(iiiac), 10(23C)(iiiad), 10(23C)(iiiie), 10(24) [{Sl. No. 1 of Schedule IE-2 (For Row A)} or {Total of Sl. No. 3 of Schedule IE-3} or {Total of Sl. No. 3 of Schedule IE-4}]				2	
3	Income chargeable under section 11(3) read with section 10(21) [Total of Col 15 of Schedule I]				3	
4	Income claimed as exempt under section 13A in case of a Political Party				4	
5	Income claimed as exempt under section 13B in case of an Electoral Trust (item No. 6vii of Schedule ET)				5	
6	Voluntary Contribution received during the year [applicable for Section 13A and 13B]				6	
7	Heads of Income not forming part of above					
	i	Income from house property [3 of Schedule HP] (enter nil if loss)			7i	
	ii	Profits and gains of business or profession [as per item No. D 48 of schedule BP]			7ii	
	iii	Income under the head Capital Gains				
		A	Short term (A5 of schedule CG)	7iiiA		
		Ai	Short-term chargeable @ 20% (8ii of item E of schedule CG)	Aib		
		Aii	Short-term chargeable @ 30% (8iii of item E of schedule CG)	Aii		
		Aiii	Short-term chargeable at applicable rate (8iv of item E of schedule CG)	Aiii		
		Aiv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8v of item E of Schedule CG)	Aiv		
		Av	Total Short-term (Ai + Aii + Aiii + Aiv) (enter nil if loss)	Av		
		B	Long term (B4 of schedule CG) (enter nil if loss)	7iiiB		
		Bi	Long-term chargeable @ 12.5% (8vi of item E of schedule CG)	Bi		
		Bii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8vii of item E of schedule CG)	Bii		
		Biii	Total Long-term (Bi + Bii) (enter nil if loss)	Biii		
		C	Sum of Short-term/Long-term capital gains (Av+Biii) (enter nil if loss)	7iiiC		
		D	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)	7iiiD		
	E	Total capital gains (C + D)	7iiiE			
iv	Income from other sources [as per item No. 9 of Schedule OS]			7iv		
v	Total (7i + 7ii + 7iiiE + 7iv)			7v		
8	Gross income [6+7v-4-5] +3				8	
9	Losses of current year to be set off against 7v (total of 2xiv, 3xiv and 4xiv of Schedule CYLA)				9	
10	Gross Total Income (8-9)				10	

11	Income which is included in 10 and chargeable to tax at special rates (<i>total of col. (i) of schedule SI</i>)	11	
12	Net Agricultural income for rate purpose	12	
13	Aggregate Income (10-11+12) [applicable if (10-11) exceeds maximum amount not chargeable to tax]	13	
14	Income chargeable at maximum marginal rates	14	

Part B3- Applicable if total income chargeable to tax u/s twenty-second proviso to section 10(23C) or section 13(10)			
If yes in Sl. No. A(26) of Part A-General, please provide computation of Income chargeable under twenty second proviso to Clause (23C) of section 10/Sub-section (10) of section 13			
1	Total Income for the previous year other than Sl. No. 7		Amount in Rs.
2	Total Expenditure incurred in India, for the objects of the assessee		Amount in Rs.
3	Expenditure to be disallowed		
	(i)	Expenditure from the corpus standing to the credit of the trust or institution as on the end of the financial year immediately preceding the previous year relevant to the assessment year for which income is being computed	Amount in Rs.
	(ii)	Expenditure from any loan or borrowing	Amount in Rs.
	(iii)	Depreciation in respect of an asset, acquisition of which has been claimed as application of income, in the same or any other previous year; and	Amount in Rs.
	(iv)	Expenditure in the form of contribution or donation to any person.	Amount in Rs.
	(v)	Capital expenditure	Amount in Rs.
	(vi)	Amount disallowable under Explanation to sub-section (10) of section 13 or Explanation to twenty second proviso to clause (23C) of section 10 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40	Amount in Rs.
	(vii)	Amount disallowable under Explanation to sub-section (10) of section 13 or Explanation to twenty second proviso to clause (23C) of section 10 read with sub-section 3 of section 40A	Amount in Rs.
	(viii)	Amount disallowable under Explanation to sub-section (10) of section 13 or Explanation to twenty second proviso to clause (23C) of section 10 read with section (3A) of section 40A	Amount in Rs.
	(ix)	Any other disallowance	Amount in Rs.
	(x)	Total expenditure to be disallowed (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)+(viii)+(ix)	Amount in Rs.
4	Additions		
	(i)	Income chargeable under section 115BBI <Total of Sl. No 7 of Schedule 115BBI>	Amount in Rs
	(ii)	Income in respect of which exemption under section 11 is not available, being anonymous donation (<i>Diii of schedule VC</i>)	Amount in Rs
	(iii)	Income chargeable under section 12(2)	Amount in Rs
	(iv)	Income as per Explanation 3B in case of violation of clause (a) or (b) or (c) of Explanation 3A to section 11(1) read with section 80G(2)(b)	Amount in Rs
	(v)	Income as per Explanation 1B in case of violation of clause (a) or (b) or (c) of Explanation 1A to section 10(23C) read with section 80G(2)(b)	Amount in Rs
	(vi)	Any other income on which exemption is not allowable under the Income-tax Act	Amount in Rs
	(vii)	Total Additions (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)	Amount in Rs
5	Income chargeable u/s 11(4)		Amount in Rs
6	Sum total [(1-2+3x)+4vii+5)]		Amount in Rs
7	Income not forming part of item No. 6 above		
	i	Income from house property [3 of Schedule HP] (<i>enter nil if loss</i>)	Amount in Rs.
	ii	Profits and gains of business or profession [<i>as per item No. D48 of schedule BP</i>]	Amount in Rs.
	iii	Income under the head Capital Gains	
	a	Short term	
	ai	Short-term chargeable @ 20% (<i>8ii of item E of schedule CG</i>)	

	aii	Short-term chargeable @ 30% (8iii of item E of schedule CG)	Amount in Rs.
	aiii	Short-term chargeable at applicable rate (8iv of item E of schedule CG)	Amount in Rs.
	aiv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8v of item E of Schedule CG)	Amount in Rs.
	av	Total Short-term (ai + aii + aiii + aiv) (enter nil if loss)	Amount in Rs.
	b	Long term	
	bi	Long-term chargeable @ 12.5% (8vi of item E of schedule CG)	
	bii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8vii of item E of schedule CG)	Amount in Rs.
	bihi	Total Long-term (bi + bii) (enter nil if loss)	Amount in Rs.
	c	Sum of Short-term/Long-term capital gains (av+bihi) (enter nil if loss)	Amount in Rs.
	d	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)	Amount in Rs.
	e	Total capital gains (c + d)	Amount in Rs.
	iv	Income from other sources [as per item No. 9 of Schedule OS]	Amount in Rs.
	v	Total (7i+7ii+7iiie+7iv)	Amount in Rs.
8	Losses of current year to be set off against 7v (total of 2xv, 3xv and 4xv of Schedule CYLA)		Amount in Rs.
9	Total Income (6+7-8)		Amount in Rs.
10	Income which is included in 9 and chargeable to tax at special rates (total of col. (i) of schedule SI)		Amount in Rs.
11	Anonymous donations, included in 9, to be taxed under section 115BBC @ 30% (Diii of Schedule VC)		Amount in Rs.
12	Income chargeable u/s 115BBI, included in 9, to be taxed @ 30% (Sl. No 7 of Schedule 115BBI)		Amount in Rs.
13	Income chargeable to tax u/s twenty-second proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13 (9-10-11-12)		Amount in Rs.

Part B – TTI		Computation of tax liability on total income			
	1	Tax payable on total income			
	a	Tax at normal rates on [Sl. No. 17 of Part B1 of Part B-TI] OR [Sl. No. (13 - 14) of Part B2 of Part B-TI] OR [Sl. No. 13 of Part B3 of Part B-TI]	1a		
	b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)	1b		
	c	Tax on anonymous donation u/s 115BBC @30% on [Sl. No. 15 of Part B1 of Part B-TI] OR [Sl. No. 11 of Part B3 of Part B-TI]	1c		
	d	Tax on income chargeable u/s 115BBI @30% on [Sl. No. 16 of Part B1 of Part B-TI] OR [Sl. No. 12 of Part B3 of Part B-TI]	1d		
	e	Tax at maximum marginal rate on Sl. No. 14 of Part B2 of Part B-TI	1e		
	f	Rebate on agricultural income [In Part B2, applicable if (10-11) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	1f		
	g	Tax Payable on Total Income (1a+ 1b+1c+ 1d+1e- 1f)		1g	
	2	Surcharge			
	i	25% of Column (ii) of “Income under section 115BBE” of Schedule SI	2i		
	ii	On [1g – (Column (ii) of “Income under section 115BBE” of Schedule SI)]	2ii		

	iii	Total (i + ii)				2iii			
	3	Health and Education cess @ 4% on (1g+ 2iii)					3		
	4	Gross tax liability (1g+ 2iii + 3)					4		
	5	Tax relief							
	a	Section 90/90A (2 of Schedule TR)	5a						
	b	Section 91 (3 of Schedule TR)	5b						
	c	Total (5a + 5b)				5c			
	6	Net tax liability (4 – 5c)					6		
	7	Interest and fee payable							
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	7a						
b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	7b							
c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	7c							
d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	7d							
da	Fee for furnishing revised return of income (section 234-I)	7da							
e	Total Interest and Fee Payable (7a+ 7b+ 7c+ 7d+7da)				7e				
8	Aggregate liability (6 + 7e)					8			
TAXES PAID	9	Taxes Paid							
	a	Advance Tax (from column 5 of 15A)	9a						
	b	TDS (total of column 9 of 15B)	9b						
	c	TCS (total of column 7(i) of 15C)	9c						
	d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 15A)	9d						
	e	Total Taxes Paid (9a+ 9b+ 9c+ 9d)				9e			
	10	Amount payable (Enter if 8 is greater than 9e, else enter 0)					10		
11	Refund (If 9e is greater than 8) (refund, if any, will be directly credited into the bank account)					11			
	12	Net tax payable on 115TD income including interest u/s 115TE (Sr.no. 12 of Schedule 115TD)					12		
BANK ACCOUNT	13	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)						Select Yes or No	
	a) Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)								
		Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Number	Type of account (Dropdown to be provided by e-filing utility)	Select Account for refund credit (tick at least one account ✓)		
		i					☐		
		ii					☐		

[illegible]

	per rule 37-I]	Number of the Collector	related to other person)	Fin. Year in which collected	Amount b/f	Collected in own hands	Collected in the hands of any other person as per rule 37-I (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of any other person as per rule 37-I (if applicable)	
(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	(7)(i)	(7)(ii)	(8)
									TCS	PAN
i										
NOTE ► Please enter total of column (7)(i) in 9c of Part B-TTI										

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules, statements, etc. accompanying it is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted).

I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

Place

Date

Sign here ➔".

[No. 50/2026/F. No. 370142/10/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy., Tax Policy and Legislation

Note:- The Income-tax Rules, 1962 rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification GSR. 230(E), dated the 30th March 2026



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271442
CG-DL-E-31032026-271442

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 211]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सा.का.नि. 230(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (छठवाँ संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये 31 मार्च, 2026 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2026-27 के लिए फाइल किए गए विवरणी पर लागू होंगे।
- आयकर नियम, 1962 में, परिशिष्ट-II में, प्ररूप आईटीआर-6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: —

प्ररूप	आईटीआर-6	भारतीय आयकर विवरणी [धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न कंपनियों के लिए] [आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें]	निर्धारण वर्ष						
			2	0	2	6	-	2	7

भाग क -साधारण		साधारण		
व्यक्तिगत सूचना	(क1)नाम	(क2) स्थायी खाता सं.		
	(क3) क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है ?यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें	(क4) कारपरेट पहचान संख्या (का.प.स.) एम. सी. ए.द्वारा जारी		
	(क5) निगमन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	(क6) कारबार के प्रारंभ की तारीख(दिन/मास/वर्ष)		
	/ /	/ /		
	संचार उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित पते प्रदान किए जाने हैं: प्राथमिक पता (क8क) फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या (क9)परिसर/भवन/ग्राम कानाम (क10क) सड़क/गली/डाकघर (अ11क) क्षेत्र/इलाका (क12क) कस्बा/नगर/जिला (अ13क) राज्य (क14क) पिन कोड/ज़िप कोड (अ15क) देश		(क7) कंपनी का प्रकार (निशान लगाएं) ☒ ☐	
	दूसरा पता (क8ख) फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या (क9ख) परिसर/भवन/गाँव का नाम (अ10ख) सड़क/गली/डाकघर (क11ख) क्षेत्र/स्थान (क12ख) शहर/नगर/जिला (क13ख) राज्य (क14ख) पिन कोड/ज़िप कोड (क15ख) देश		(i) देशी कंपनी ☐ (ii) विदेशी कंपनी ☐ यदि पब्लिक कंपनी है तो 6, लिखें, और यदि प्राइवेट कंपनी है तो 7 लिखें (कंपनी अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित)	
	संचार उद्देश्यों के लिए प्रदान किए गए विवरण :			
	(क16) कार्यालय का फ़ोन नंबर एस.टी.डी. कोड के साथ / करदाता का प्राथमिक मोबाइल नंबर	(क17) दूसरा मोबाइल नं.	(क18) करदाता की प्राथमिक ईमेल आईडी	
	दूसरा ई-मेल पता			
फाइल करने की प्राप्ति	(क19) (का)	आय का रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख (ड्रॉप डाउन का उल्लेख करें) 1. 31 अक्टूबर 2. 30 नवंबर		
	(क19) (कii)	1. धारा के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) 2. या धारा के अधीन सूचना के उत्तर में फाइल की गयी है		
	□ 139(1)-नियत तारीख को या उससे पूर्व □ 139(4)-विलंबित, □139(5)-पुनरीक्षित, □92गघ- उपांतरित विवरणी, □119(2)(ख) -विलम्ब की माफी के पश्चात्□ 170क- प्राधिकरण अथवा न्यायालय द्वारा आदेश के पश्चात्			
	(ख)	यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी फाइल करने की प्राप्ति संख्या और तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)		
	(ग)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/ 153ग के अधीन नोटिस अथवा धारा 119(2)(ख) या धारा 170क में विनिर्दिष्ट आदेश के अधीन आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई हो तो कृपया यूनिक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या तथा ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अधीन भरी गई तो अग्रिम मूल्य निर्धारण करार की तारीख भरें।		
	(घ)	आवासीय प्राप्ति(निशान लगाएं) ☒ ☐ निवासी ☐ अनिवासी		

(ड.)	क्या आपने धारा 115खक/115खकक/115खकख के अधीन कराधान का विकल्प चुना है ? (ई फाईलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन है) (घरेलू कंपनी पर लागू) यदि हां, कृपया नि.व. का वर्णन करें जिसमें उक्त विकल्प का पहली बार प्ररूप (10-झ-ख / 10-झ-ग / 10-झ घ) तथा पावती संख्या के साथ उपयोग किया गया है यदि नहीं, क्या इस वर्ष धारा 115खक/115खकक/115खकख के अधीन के लिए विकल्प चुना है? हां/नहीं कृपया प्ररूप 10-झ-ख/ प्ररूप 10-झ-ग/ 10-झ घदाखिल करने की तारीख और पावती संख्या दें		
(च)	क्या पिछले वर्ष 2023-2024 में कुल व्यापारवर्त/सकल प्राप्तियां 400 करोड़ रुपये से अधिक है? (हाँ/ नहीं) (घरेलू कंपनी के लिए लागू होना)		
(छ)	क्या निर्धारित देश का या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसके साथ भारत ने धारा 90(1) में विनिर्दिष्ट करार किया है या केन्द्रीय सरकार ने 90क(1) के अधीन कोई करार किया है का निवासी है ?		
(ज)	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में स्थायी स्थापन (पी.ई.) है ? (निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं		
(झ)	अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस.ई.पी) है ? (चिन्ह) ☐ हां ☐ नहीं कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संव्यवहार से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(ख) में विनिर्दिष्ट भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या		
(ञ)	क्या निर्धारित से कम्पनियों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहना अपेक्षित है ? यदि हां, कृपया विवरण दें . अधिनियम जिनके अधीन रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता है		
	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	(दिन/मास/वर्ष)	रजिस्ट्रीकरण सं०
(ट)	क्या कंपनियों के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम) 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के तैयार किए गए हैं (निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं		
(ठ)	क्या निर्धारित की अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? (सही का निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं		
(ड)	क्या निर्धारित कम्पनी समापन के अधीन है (सही का निशान) ☐ हां ☐ नहीं		
(ढ)	क्या एफ.आई.आई/एफ.पी.आई है? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रीकरण सं० बताएं		
(ण)	क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378क में यथापरिभाषित उत्पादक कंपनी है ? ☐ हां ☐ नहीं		
(त)	क्या निर्धारित के प्रतिनिधि द्वारा यह विवरणीफाइल की जा रही है ? (निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें -		
	(1)	निर्धारित के प्रतिनिधि का नाम	
	(2)	निर्धारित के प्रतिनिधि की ई मेल आई डी	
	(3)	निर्धारित के प्रतिनिधि का संपर्क संख्या	
(थ)	क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट अप के रूप में मान्यताप्राप्त हैं		☐ हां ☐ नहीं
	(1)	यदि हां, तो कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आबंटित स्टार्ट अप मान्यता सं. का उल्लेख करें	
	(2)	क्या अन्तर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है	☐ हां ☐ नहीं
	(3)	यदि हां, तो प्रमाणन संख्या का उल्लेख करें	
	(4)	क्या डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा 5 के अनुसार प्ररूप-2 में घोषणा विवरणी के फाइल किए जाने से पूर्व फाइल की गई है ?	☐ हां ☐ नहीं
	(5)	यदि हां, तो प्ररूप-2 फाइल करने की तारीख का उल्लेख करें	
(द)	विधिक अस्तित्व पहचानकर्ता (एल ई आई) ब्यौरे अनिवार्य है (यदि प्रतिदाय 50 करोड़ या अधिक हो)		
	एल ई आई संख्या		तक विधिमान्य

	(ध)	क्या आप सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में मान्यता प्राप्त हैं?	· हां · नहीं		
		यदि हां, कृपया एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार आबंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या दें।			
संपरीक्षा सूचना	अ20	(क1)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी है ? (निशान लगाएं) ☐ हां · नहीं		
		(क2)	क्या निर्धारिती धारा 44कड./44ख/44खख/44खखख/44खखख/44खखघ/44घ के अधीन ही आय की घोषणा कर रहा है निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं		
		(क2i)	कृपया व्यवसाय की कुल बिक्री / टर्नओवर / सकल प्राप्तियों की सीमा का चयन करें ☐ ☐ 1 करोड़ रुपये तक ☐ 1 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक ☐ 10 करोड़ रुपये से अधिक		
		(क2ii)	यदि 1 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक का विकल्प चुना जाता है, तो कृपया पिछले वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों में से नकद और गैर-खाता प्राप्तकर्ता चेक / बैंक ड्राफ्ट में प्राप्त राशि का प्रतिशत चुनें · 5% तक · 5% से अधिक (टिप्पण: यदि यह प्रतिशत 5% से अधिक है, तो आप धारा 44कख के अधीन ऑडिट के लिए उत्तरदायी हैं)		
		(क2iii)	यदि 2 पर "1 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक" विकल्प का चयन किया जाता है, तो कृपया पिछले वर्ष के दौरान किए गए कुल भुगतान में से नकद और गैर-खाता प्राप्तकर्ता चेक / बैंक ड्राफ्ट में किए गए भुगतान का प्रतिशत चुनें · 5% तक · 5% से अधिक (टिप्पण: यदि यह प्रतिशत 5% से अधिक है, तो आप धारा 44कख के अधीन ऑडिट के लिए उत्तरदायी हैं)		
		(ख)	क्या आप धारा 44कखके अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है ? (निशान लगाएं) ☐ हां · नहीं (प्रणाली को टिप्पणी : यदि टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो यह स्वतः ही होना चाहिए)		
		यदि (ख) का हां चयन किया गया है तो निम्नलिखित किस शर्त के अनुसार:			
		(खi)	विक्रम, आवर्त या सकल प्राप्तियां, धारा 44कख में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हैं। (निशान लगाएं) ☐		
		(खii)	निर्धारिती धारा 44खख के अधीन आता है किंतु अनुमानित आधार पर आय प्रस्तावित नहीं कर रहा है। (निशान लगाएं) ☐		
		(खiii)	निर्धारिती धारा 44खखख के अधीन आता है किंतु अनुमानित आधार पर आय प्रस्तावित नहीं कर रहा है। (निशान लगाएं) ☐		
		(खiv)	अन्य (निशान लगाएं) ☐		
		(ग)	यदि (ख) है तो क्या लेखाओं की लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है ? (निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं		
			(1)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने की तारीख का उल्लेख	
			(2)	लेखापरीक्षा रिपोर्ट की पावती संख्या	
			(3)	लेखा परीक्षक का नाम (स्वामित्व / फर्म)	
			(4)	स्वामित्व / फर्म का स्थायी खाता संख्या (पीएएन)	
		(घi)	क्या आप धारा 92ड के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है ? · हां · नहीं		
		(घii)	यदि (घइ) हां है, क्या धारा 93 अ के अधीन खातों को संपरीक्षित किया गया है	☐ हां ☐ नहीं	लेख परीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख दि./मा./वर्ष
	(घiii)	यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें			
		☐	☐	☐	☐
		क्र. सं.	अनुभाग कोड	तारीख (दिन/मास/वर्ष)	पावती संख्या

		ड.	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?					
			अधिनियम और धारा		(दिन/मास/वर्ष)			
धारण स्थिति	अ21	(क)	कंपनी का स्वरूप (यदि नियंत्रित कंपनी है तो 1 चयन करें, यदि समानुगी कंपनी है तो 2 चयन करें), यदि दोनों है तो 3 चयन करें, यदि कोई अन्य है तो 4 चयन करें					
		(ख)	यदि समानुगी कंपनी है तो, का उल्लेख करें					
			पैन	धारक कंपनी का नाम	धारक कंपनी का पता	धारित शेयरों का प्रतिशत		
		(ग)	यदि धारक कंपनी है तो समानुगी कंपनी का उल्लेख करें					
			पैन	समानुगी कंपनी का नाम	समानुगी कंपनी का पता	धारित शेयरों का प्रतिशत		
कारबार संगठन	अ22	(क)	समामेलक कंपनी की दशा में, सामामेलित कंपनी का उल्लेख करें					
			पैन	समामेलक कंपनी का नाम	समामेलक कंपनी का पता	समामेलन की तारीख		
		(ख)	समामेलित कंपनी की दशा में, सामामेलक कंपनी का उल्लेख करें					
			पैन	समामेलित कंपनी का नाम	समामेलित कंपनी का पता	समामेलन की तारीख		
		(ग)	अवीलीन कंपनी की दशा में, परिणामिक कंपनी के ब्यौरे दें					
			पैन	परिणामिक कंपनी का नाम	परिणामिक कंपनी का पता	निर्विलियन की तारीख		
		(घ)	परिणामिक कंपनी की दशा में, अवीलीन कंपनी के ब्यौरे दें					
			पैन	अवीलीन कंपनी का नाम	अवीलीन कंपनी का पता	निर्विलियन की तारीख		
प्रमुख व्यक्ति	अ23	उन प्रबंध निदेशक, निदेशक, सचिव तथा प्रधान अधिकारियों के ब्यौरे जो पूर्व वर्ष के दौरान कार्यालय में रहे हैं और पात्र व्यक्तियों के ब्यौरे जो विवरणी को सत्यापित कर रहे हैं						
		क्रम सं.	नाम	पदनाम	आवास का पता	स्थायी खाता संख्यांक / आधार सं.		
						निदेशक की दशा में, एमसीएद्वारा जारी निदेशक पहचान संख्यांक (नि.प.सं.)		
शेयरधारक की सूचना	अ24	उन व्यक्तियों की विशिष्टियां, जो पूर्व वर्ष में किसी समय दसप्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति शेयरधारण के फायदाप्रद स्वामी थे।						
		क्रम सं.	नाम और पता	धारित शेयरों का प्रतिशत		स्थायी खाता संख्यांक (यदि आबंटित है)		

स्वामित्व संबंधी जानकारी	अ25	क) असूचीबद्ध कंपनी के मामले में, प्राकृतिक व्यक्तियों की विशिष्टियां जिन्हें पूर्व वर्ष किसी भी समय मत शक्ति के 10% से अन्यून शेयर धारकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असीमित हितधारी स्वामी थे ।					
		क्रम सं.	नाम	पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी खाता संख्यांक / आधार सं.(यदि आबंटित किया गया है)	
ख) विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया अव्यवहित मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें ।							
		क्रमसं.	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी खाता संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)	निवास के देश में आबंटित कररदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या
		ग) विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया क्रमांतिम कंपनी मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें ।					
		क्रमसं.	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी खाता संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)	निवास के देश में आबंटित कररदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या
कंपनी का स्वरूप और उस का कारबार	अ26	कंपनी का स्वरूप					(निशान लगाएं) ☒
		1	क्या आप आयकर अधिनियम की धारा 2(36क)में यथा परिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी है				• हां ☐ नहीं ☐
		2	क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्वाधीनवाली कंपनी है				• हां ☐ नहीं ☐
		3	क्या आप ऐसी कंपनी हैं, जिसमें चालीस प्रतिशत से अन्यून शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा (एकमात्र रूप से या साथ मिलकर) धारित किए हुए है ।				• हां ☐ नहीं ☐
		4	क्या आप बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी है				• हां ☐ नहीं ☐
		5	क्या आप अनुसूचित बैंक हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी सूची में सम्मिलित बैंक है				• हां ☐ नहीं ☐
		6	क्या आप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कंपनी है (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा(1) के अधीन स्थापित)				• हां ☐ नहीं ☐
		7	क्या आप गैर बैंककारी वित्तीय संस्थान की कंपनी है				• हां ☐ नहीं ☐

		8	क्या कंपनी सूचीबद्ध है ? यदि हां, कृपया अनुसूची-धज-1 और अनुसूची-कठ-1 को भरना सुनिश्चित करें	· हां ☐ नहीं
		कारबार या वृत्ति की प्रकृति यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति है तो तीन मुख्य कृत्य/उत्पाद उपदर्शित करें (उनसे भिन्न, जो धारा 44कड के अधीन आय की घोषणा करते हैं)		
		क्रम सं.	कोड	वर्णन
		(i)		
		(ii)		
		(iii)		

भाग क-तुलन पत्र 31मार्च, 2026 को या समामेलन की तारीख को तुलन पत्र

साधारण पूंजी और दायित्व	I	साधारण शेयर और दायित्व			
	1	शेयरधारक की निधि			
		क शेयरपूंजी			
		i	प्राधिकृत	का	
		ii	पुरोधृत, अभिदत्त और पूर्णतः संदत्त	का	
		iii	अभिदत्त, किंतु पूर्णतः संदत्त नहीं	का	
		iv	कुल (का + का)	का	
	ख	आरक्षिति और अधिशेष			
		i	पूंजी आरक्षिति	ख	
		ii	पूंजी मोचन आरक्षिति	ख	
		iii	प्रतिभुति प्रीमियम आरक्षिति	ख	
		iv	डिबेंचर मोचन आरक्षिति	ख	
		v	पुर्नमूल्यांकन आरक्षिति	ख	
		vi	शेयर विकल्प बकाया रकमें	ख	
		vii	अन्य आरक्षिति (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
		क		vii	
		ख		vii	
		ग	कुल (vii + vii)	ख	
		viii	अतिशेष अर्थात् लाभ और हानि के विवरण में अतिशेष (नामपक्ष का अतिशेष ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)	ख	
		ix	कुल (ख + ख + ख + ख + ख + ख + ख + ख) (नामपक्ष का अतिशेष यथा ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)	ख	
	ग	शेयर अधिपत्रों से प्राप्त रकम			1 ग
	घ	शेयरधारक की कुल निधि (का + ख + 1ग)			1घ
	2	शेयर आवेदन की रकम, जिसका आबंटन लंबित है			
		i	एक वर्ष से कम से लंबित है	i	
		ii	एक वर्ष से अधिक से लंबित है	ii	
		iii	कुल (i + ii)	2	

3	स्थगित दायित्व						
	क	दीर्घकालिक उधार					
		i	बंधपत्र/डिबेंचर				
		क	विदेशी मुद्रा	i	क		
		ख	रूपया	i	ख		
		ग	कुल (i + ii ख)			iग	
		ii	आवधिक ऋण				
			क	विदेशी मुद्रा	ii	क	
			ख	ऋण रूप में			
			1	बैंकों से	ख	1	
			2	अन्य से	ख	2	
			3	कुल (ख1+ख2)	ख	3	
		ग	कुल आवधिक ऋण (iiक+ख3)			iiग	
		iii	आस्थगित भुगतान का दायित्व			iii	
		iv	संबंधित पक्षकारों से निक्षेप			iv	
		v	अन्य निक्षेप			v	
	vi	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम			vi		
	vii	अन्य ऋण और अग्रिम			vii		
	viii	दीर्घकालिक वित्तपोषण पट्टा अनबंध पत्र की परिपक्वता			viii		
	ix	कुल दीर्घकालिक (iग+iiग+iii+iv+v+vi+vii+viii)			3क		
	ख	आस्थगित कर दायित्व (कुल)			3ख		
	ग	अन्य दीर्घकालिक दायित्व					
		i	व्यापार संदेय	i			
		ii	अन्य	ii			
		iii	कुल अन्य दीर्घकालिक दायित्व (i+ii)			3ग	
घ		i	कर्मचारियों के फायदे के लिए विनिधान		i		
		ii	अन्य		ii		
		iii	कुल (i+ii)		3घ		
	ङ	कुल स्थगित दायित्व (3क+3ख+3ग +3घ)			3 ङ		
	4	चालू दायित्व					
	क	अल्पकालिक उधार					
	i	मांग पर प्रतिसंदेय ऋण					
		क	बैंकों से		i	क	
		ख	गैर-बैंककारी कंपनियों से		i	ख	
		ग	अन्य वित्तीय संस्थाओं से		i	ग	
		घ	अन्य से		i	घ	

			ड	कुल प्रतिसंदेय ऋण, मांगे जाने पर (iक+iख+iग+iघ)		iड		
			ii	संबंधित पक्षकारों से प्राप्त निक्षेप		ii		
			iii	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम		iii		
			iv	अन्य ऋण और अग्रिम		iv		
			v	अन्य निक्षेप		v		
			vi	कुल अल्पकालिक उधार (iड+ii+iii+iv+v)		4क		
			ख	व्यवसाय संदेय				
			i	एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया	i			
			ii	अन्य	ii			
			iii	कुल व्यवसाय संदेय (i+ii)		4ख		
		ग	अन्य चालू दायित्व					
			i	दीर्घकालिक ऋण की प्रचलित परिपक्वता	i			
			ii	वित्तपोषण पट्टा अनुबंध पत्र की प्रचलित परिपक्वता	ii			
			iii	उधार पर प्रोद्भूत ब्याज जो शोध नहीं है	iii			
			iv	उधार पर प्रोद्भूत और शोध ब्याज	iv			
			v	अग्रिम में प्राप्त आय	v			
			vi	असंदत्त लाभांश	vi			
			vii	प्रतिभुति के आबंटन के लिए आवेदन हेतु प्राप्त हुई रकम तथा प्रतिदाय और उस पर प्रोद्भूत ब्याज के देय	vii			
viii	असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर प्रोद्भूत ब्याज		viii					
ix	असंदत्त डिबेंचर और उसपर प्रोद्भूत ब्याज		ix					
x	अन्य संदेय		x					
xi	कुल अन्य चालू दायित्व (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x)		4ग					
		घ	अल्पकालिक उपबंध					
		i	कर्मचारीवृंद के फायदे के लिए उपबंध	i				
		ii	आय-करके लिए उपबंध	ii				
		iii	प्रस्तावित लाभांश	iii				
		iv	लाभांश पर कर	iv				
		v	अन्य	v				
		vi	कुल अल्पकालिक उपबंध (i + ii +iii + iv + v)			4 घ		
	ड	कुल चालू दायित्व (4क+4ख + 4ग + 4 घ)		4 ड				
कुल शेयर और दायित्व (1 घ + 2 + 3 ड + 4 ड)		1						
II	आस्तियां							
आस्तियां	1	गैर- चालू आस्तियां						
	क	स्थिर आस्तियां						
	i	मूर्त आस्तियां						

				क	सकल ब्लाक	i	क							
				ख	अवक्षयण	i	ख							
				ग	हास से हुई हानियां	i	ग							
				घ	ब्लाक (i- i ख - i ग)	i	घ							
			ii	अमूर्त आस्तियां										
				क	सकल ब्लाक	ii	क							
				ख	अवक्षयण	ii	ख							
				ग	हास से हुई हानियां	ii	ग							
				घ	शुद्ध ब्लाक (ii- ii ख - ii ग)	ii	घ							
			iii	पूंजीगत चालू काम						iii				
			iv	विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां						iv				
			v	कुलस्थिर आस्तियां (i घ + ii घ + iii + iv)						क v				
			ख	गैर-चालू विनिधान										
						i	संपत्ति में विनिधान	i						
						ii	शेयर लिखतों में विनिधान							
						क	सूचीबद्ध शेयर	ii		क				
							ख	गैर-सूचीबद्ध शेयर		ii		ख		
							ग	योग (ii क + ii ख)	ii	ग				
						iii	अधिमानी शेयरों में विनिधान	iii						
						iv	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान	iv						
						v	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान	v						
						vi	पारस्परिक निधियों में विनिधान	vi						
						vii	भागीदारी फर्मों में विनिधान	vii						
			viii	अन्य विनिधान	viii									
			ix	कुल गैर-चालू विनिधान (i + ii क + iii + iv + v + vi + vii + viii)					ख ix					
			ग	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)					ग					
			घ	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम										
						i	पूंजी अग्रिम	i						
						ii	प्रतिभुतिनिक्षेप	ii						
						iii	संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम	iii						
						iv	अन्य ऋण और अग्रिम	iv						
						v	कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii + iii + iv)					घ v		
						vi	घ v में सम्मिलित दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम , जो							
						क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	vi	क					
							ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है	vi		ख			
							ग	आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है	vi		ग			

	ड	अन्य गैर-चालू आस्तियां					
	i	दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य					
		क	प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	i			
			ख	गैर-प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	i	ख	
			ग	शंकास्पद	i	ग	
			घ	कुल अन्य गैर-चालू आस्तियां (i + i + i)	i	घ	
	ii	अन्य			ii		
	iii	योग (i + ii)			ड	iii	
	iv	ड iii में सम्मिलित कुल गैर-चालू आस्तियां, जो आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक से, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान से या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, देय है			iv		
		च	कुल गैर-चालू आस्तियां (क + ख + ग + घ + ड + iii)			1	च
2	चालू आस्तियां						
	क	चालू विनिधान					
		i	शेयर लिखितों में विनिधान				
	क		सूचीबद्ध शेयर	i			
			ख	गैर-सूचीबद्ध शेयर	i	ख	
			ग	योग (i + i)	i	ग	
	ii	अधिमानि शेयरों में विनिधान		ii			
	iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान		iii			
	iv	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान		iv			
	v	पारस्परिक निधियों में विनिधान		v			
	vi	भागीदारी फर्मों में विनिधान		vi			
vii	अन्य विनिधान		vii				
viii	कुल चालू विनिधान (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)			क	viii		
	ख	संपत्ति-सूची					
		i	कच्चा माल	i			
	ii		चालू काम	ii			
	iii		तैयार माल	iii			
	iv		व्यवसाय - स्टॉक (व्यवसाय के लिए अर्जित माल)	iv			
	v		भंडार और स्पेयर	v			
	vi		खुले औजार	vi			
	vii		अन्य	vii			
	viii		कुल संपत्ति-सूची (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)	ख	viii		
	ग	व्यापार प्राप्य					
i		6 मास से अधिक से बकाया	i				
	ii	अन्य	ii				
	iii	कुलव्यवसाय प्राप्य (i + ii + iii)	ग	iii			

	घ	नकदी और नकद समतुल्य						
		i	बैंक नकद	i				
		ii	चेक, ड्राफ्ट	ii				
		iii	नकद अतिशेष	iii				
		iv	अन्य	iv				
	v	कुल नकदी और नकद समतुल्य (i + ii + iii + iv)				घv		
	ङ	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम						
		i	पक्षकारों से संबंधित ऋण और अग्रिम (अनुदेश देखें)		i			
		ii	अन्य		ii			
		iii	कुल अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (i+ii)				ङiii	
		iv	ङiii में सम्मिलित अल्पकालिक ऋण और अग्रिम , जो					
		क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है		ivक			
		ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है		ivख			
		ग	आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ङ) के अनुसार किसी शेयरधारक को , जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है		ivग			
	च	अन्य चालू आस्तियां				च		
	छ	कुल चालू आस्तियां (कviii + खviii + गiii + घv + ङiii + च)				2छ		
	कुल आस्तियां (1च+2छ)					II		

भाग क-तुलन पत्र -
भारतीय लेखा मानकों
के रूप में

31 मार्च, 2026 को या व्यावसायिक संयोजन की तारीख के अनुसार [एक कंपनी के लिए लागू है, जिसका वित्तीय विवरण कंपनियों के उपाबंध (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में तैयार किए गए हैं]

I	साधारण शेयर और दायित्व								
1	साधारण शेयर								
	अ	साधारण शेयर पूंजी							
		i	प्राधिकृत	का					
		ii	जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से भुगतान किया गया	काii					
		iii	अभिदत्त लेकिन पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया	काiii					
		iv	कुल (काii + काiii)	क + iv					
	आ	अन्य साधारण शेयर							
		i	अन्य रिजर्व						
			क	पूंजी विमोचन आरक्षित	क				
			ख	डिबेंचर विमोचन रिजर्व	कख				
			ग	शेयर विकल्प बकाया लेखा	कग				
घ			अन्य (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)	कघ					
ड.			कुल अन्य भंडार (क + कख + कग + कघ)	कड.					
ii	प्रतिधारित आय (पी और एल के कथन नामें पक्ष का अतिशेष –वीई आंकड़े के रूप में दर्शित)			ii					

	iii	कुल (खांड. + ii) (डेबिट शेष राशि को -veआंकड़े के रूप में दिखाया जाएगा)			खiii			
	इ	कुल साधारण शेयर (कiv + खiii)			1ग			
2	दायित्व							
	अ	गैर मौजूदा दायित्व						
	I	वित्तीय दायित्व						
	उधारी							
	क	बांड या डिबेंचर						
		1	विदेशी मुद्रा	क 1				
		2	रुपए	क 2				
		3	कुल (1 + 2)			क 3		
	ख	उधार अवधि						
		1	विदेशी मुद्रा	ख 1				
		2	रुपया उधार					
		i	बैंकों से	i				
		ii	अन्य पार्टियों से	ii				
		iii	कुल (i + ii)	ख 2				
		3	कुल अवधि उधार (ख 1 + ख 2)			ख3		
	ग	आस्थगित संदाय दायित्व					ग	
	घ	निक्षेप					घ	
	ड.	संबंधित पक्षों से उधार					ड.	
	च	वित्त पट्टा बाध्यता की दीर्घकालिक परिपक्वता					च	
	छ	यौगिक वित्तीय लिखतों की दायित्व घटक					छ	
	ज	अन्य उधार					ज	
	झ	कुल उधारी (क3 + ख3 + ग + घ + ड. + च + छ + ज)					झ	
	ञ	व्यापार उधार					ञ	
	ट	अन्य वित्तीय दायित्व (उपबंधों के अधीन II में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त)					ट	
	II	उपबंध						
		क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क				
		ख	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	ख				
		ग	कुल उपबंध			IIग		
	III	आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)					III	
	IV	अन्य गैर-तात्कालिक दायित्व						
		क	अग्रिम	क				
		ख	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	ख				
		ग	कुल अन्य गैर-वर्तमान दायित्व			IVग		
	कुल गैर-वर्तमान देयताएं (iझ + iञ + iT + IIग + III + IVग)					2क		
	ख	वर्तमान दायित्व						
	I	वित्तीय दायित्व						

आस्तियां	II	i उधार लेना					
		क मांग पर लौटाने वाले उधार					
		1 बैंकों से	1				
		2 अन्य पक्षकारों से	2				
		3 मांग पर प्रतिपूर्ति कुल उधार (1 + 2)	3				
		ख संबंधित पक्षकारों से उधार	ख				
		ग निक्षेप	ग				
		घ अन्य उधार (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	घ				
		कुल उधार (क3 + ख + ग + घ)				li	
		ii व्यापार देनदारियां				lii	
		iii अन्य वित्तीय दायित्व					
		क लंबी अवधि के उधार की चालू परिपक्वता	क				
		ख वित्त पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता	ख				
		ग प्रोद्भूत ब्याज	ग				
		घ अवैतनिक लाभांश	घ				
		ड. प्रतिदेयता के विस्तार की प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन राशि और उस पर प्रोद्भूत ब्याज	ड.				
		च असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर प्रोद्भूत ब्याज	च				
		छ उस पर प्रोद्भूत असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और ब्याज	छ				
		ज अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	ज				
		झ कुल अन्य वित्तीय दायित्व(क + ख + ग + घ +ड. +च +छ+ज)				liii	
		iv कुल वित्तीय दायित्व(li +lii +liii)			liv		
		II अन्य चालू दायित्व					
		क अग्रिम में प्राप्त राजस्व	क				
		ख अन्य अग्रिम (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	ख				
		ग अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	ग				
		घ कुल अन्य वर्तमान दायित्व (क + ख +ग)			IIघ		
		III उपबंध					
		क कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क				
		ख अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	ख				
		ग कुल उपबंध (क + ख)			IIIG		
		IV वर्तमान कर दायित्व (शुद्ध)			IV		
		कुल मौजूदा दायित्व (Iiv + IIघ + IIIG+ IV)			2ख		
		कुल साधारण शेयर और दायित्व (1ग + 2क +2ख)			I		
		II आस्तियां					
1 गैर तात्कालिक आस्तियां							
क संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर							
क सकल ब्लॉक	क						
ख मूल्यहास	ख						

		ग	हास हानि	ग		
		घ	शुद्ध ब्लॉक (क- ख -ग)		क घ	
		ख	पूँजीगत कार्य-प्रगति		ख	
		ग	निवेश सम्पत्ति			
		क	सकल ब्लॉक	क		
		ख	मूल्यहास	ख		
		ग	हास हानि	ग		
		घ	शुद्ध ब्लॉक (क- ख -ग)		ग घ	
		घ	साख			
		क	सकल ब्लॉक	क		
		ख	हास हानि	ख		
		ग	शुद्ध ब्लॉक (क- ख)		घ ग	
		ड.	अन्य अमूर्त संपत्ति			
		क	सकल ब्लॉक	क		
		ख	उधारमुक्ति	ख		
		ग	हास हानि	ग		
		घ	शुद्ध ब्लॉक (क- ख -ग)		ड.घ	
		च	विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति		च	
		छ	वाहक संयंत्रों के अतिरिक्त जैविक आस्तियां			
		क	सकल ब्लॉक	क		
		ख	हास हानि	ख		
		ग	शुद्ध ब्लॉक (क- ख)		छग	
		ज	वित्तीय आस्तियां			
		I	निवेश			
		i	साधारण साम्या लिखत में निवेश			
		क	सूचीबद्ध साधारण शेयर	i क		
		ख	असूचीबद्ध साधारण शेयर	i ख		
		ग	कुल (i क + i ख)		i ग	
		ii	वरीयता शेयरों में निवेश	ii		
		iii	सरकार या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश	iii		
		iv	डिबेंचर या बांड में निवेश	iv		
		v	म्युचुअल फंड में निवेश	v		
		vi	साझेदारी फर्मों में निवेश	vi		
		vii	अन्य निवेश(प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	vii		
		viii	कुल गैर-मौजूदा निवेश (i ग + ii + iii + iv + v + vi + vii)		ज।	
		II	स्वीकार योग्य व्यापार			
		क	सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	क		
		ख	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ख		

				ग	संदिग्ध	ग		
				घ	कुल प्राप्य व्यापार	जा॥		
				III उधार				
				i	सुरक्षा निक्षेप	i		
				ii	संबंधित पक्षों को उधार	ii		
				iii	अन्य उधार	iii		
				iv	अन्य उधार (i + ii + iii)	जा॥		
				v	उक्त III में शामिल उधार, जो कि-			
				क	कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए	vक		
				ख	कारबार या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं	vख		
				ग	आय-कर अधिनियम के खंड 2 (22) (ड) के अनुसार, ऐसे शेयरधारक को शेयर के फायदेमंद स्वामी या किसी भी समुत्थान या इस तरह के शेयरधारक की ओर से / लाभ के लिए दिया गया है।	vग		
				IV अन्य वित्तीय आस्तियां				
				i	12 महीनों से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक निक्षेप	i		
				ii	अन्य	ii		
				iii	अन्य वित्तीय आस्तियां का कुल (i + ii)	जाIV		
				झ आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)				I
				ज अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति				
				i	पूंजीगत अग्रिम	i		
				ii	पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अन्य अग्रिम	ii		
				iii	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	iii		
				iv	कुल गैर-वर्तमान आस्तियां (i + ii + iii)	ज		
				v	आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड.) के अनुसार गैर-वर्तमान आस्तियां उक्त झ सहित है जो कि शेयरधारक, शेयर के फायदेमंद मालिक, या इस तरह के शेयरधारक के रूप में किसी भी समुत्थान से या की ओर से / लाभ	v		
				कुल गैर-मौजूदा आस्तियां (कघ + ख + गघ + घग + ड.घ + च + छग + जा + जा॥ + जा॥ + जाIV + झ + ज)				1
				2 वर्तमान आस्ति				
				क	तालिकाएं			
				i	कच्चा माल	i		
				ii	कार्य प्रगति पर है	ii		
				iii	तैयार माल	iii		
				iv	स्टॉक-इन-ट्रेड (व्यापार के लिए प्राप्त वस्तुओं के संबंध में)	iv		
				v	स्टोर और पुर्जों	v		
				vi	ढीला उपकरण	vi		

			vii	अन्य	vii				
			viii	कुल तालिकाएं (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)				2क	
			ख वित्तीय आस्तियां						
			I निवेश						
			i	साधारण शेयर लिखत में निवेश					
			क	सूचीबद्ध साधारण शेयर	i क				
			ख	असूचीबद्ध साधारण शेयर	i ख				
			ग	कुल (i क + i ख)	iग				
			ii	वरीयता शेयरों में निवेश	ii				
			iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश	iii				
			iv	डिबेंचर या बॉन्ड में निवेश	iv				
			v	म्युचुअल फंड में निवेश	v				
			vi	भागीदारी फर्मों में निवेश	vi				
			vii	अन्य निवेश	vii				
viii	कुल वर्तमान निवेश (iग + ii + iii + iv + v + vi + vii)			I					
			II स्वीकार योग्य व्यापार						
			i	सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	i				
			ii	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ii				
			iii	संदिग्ध	iii				
			iv	प्राप्य कुल व्यापार (i + ii + iii)	II				
			III नकद और नकद समकक्ष						
			i	बैंकों के साथ अतिशेष (नकद और नकद समकक्षों की प्रकृति)	i				
			ii	हाथ में चेक और ड्राफ्ट	ii				
			iii	हाथ में पैसा	iii				
			iv	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	iv				
			v	कुल नकद और नकद समकक्ष (i + ii + iii + iv)	III				
			IV उपरोक्त III के अतिरिक्त बैंक अतिशेष					IV	
			V उधार						
			i	सुरक्षा निक्षेप	i				
			ii	संबंधित पक्षों को उधार	ii				
			iii	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	iii				
			iv	कुल उधार (i + ii + iii)	V				
			v	जो उपरोक्त V में शामिल उधार और अग्रिम हैं-					
			क	कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए	vक				
			ख	कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए नहीं	vख				
			ग	आय कर अधिनियम की धारा 2(22)ड. के अनुसार शेयरधारक को दिया, लाभकारी मालिक होने के नाते के शेयर, या किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ का शेयरधारक	vग				

	VI अन्य वित्तीय आस्तियां				VI	
	कुल वित्तीय आस्तियां (I + II + III + IV + V + VI)				2ख	
	ग	चालू कर आस्तियां (शुद्ध)			2ग	
	घ	अन्य मौजूदा आस्तियां				
	i	पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम	i			
	ii	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	ii			
	iii	कुल			2घ	
	कुल चालू आस्तियां (2क+2ख+2ग+2घ)				2	
कुल आस्तियां (1 + 2)				II		

भाग क-
विनिर्माण लेखा

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्माण लेखा (उस दशा में मद 1 से मद 3 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)

1	विनिर्माणकारी खाते का विकलन					
	क	प्रारम्भिक तालिका				
	i	कच्ची सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	i			
	ii	प्रगतिशील सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	ii			
	iii	योग (i + ii)			कiii	
	ख	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हों, का योग)			ख	
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग	
	घ	प्रत्यक्ष कर (घा + घii + घiii)			घ	
	i	आवक वहन व्यय	i			
	ii	विद्युत् और ईंधन	ii			
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii			
	ड	कारखाना अधिव्यय				
I	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i				
ii	कारखाना किराया और दर	ii				
iii	कारखाना बीमा	iii				
iv	कारखाना ईंधन और विद्युत	iv				
v	कारखाना साधारण व्यय	v				
vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi				
Vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)			डvii		
च	विनिर्माण खाते में किए गए विकलनों का योग (कiii+ख+ग+घ+डvii)			1च		
2	अंत स्टॉक					
i	कच्ची सामग्री	2i				
ii	प्रगतिशील कार्य	2ii				
	योग (2i + 2ii)			2		
3	व्यापार लेखा में उत्पाद किए गए-अंतरित किए गए माल की लागत (1च - 2)			3		

भाग क – व्यापार लेखा		वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यापार लेखा (उस दशा में मद 4 से मद 12 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरे)			
व्यापार लेखे में जमा	4	प्रचालनों से प्राप्त राजस्व			
	क	विक्रय/सकल कारबार की प्राप्तियां (विवरणियों तथा प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			
		i	माल का विक्रय	i	
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii	
		iii	अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
		क		iii क	
		ख		iii ख	
		ग	योग (iii क + iii ख)	iii ग	
	iv	योग (i + ii + iii ग)			क iv
	ख	व्यवसाय से सकल प्राप्तियां			ख
	ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क कर और उपकर			
		i	संघ उत्पाद कर	i	
		ii	सेवा कर	ii	
		iii	मूल्य वर्धितकर/विक्रय कर	iii	
		iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv	
		v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v	
		vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi	
		vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii	
		viii	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii	
		ix	योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)	ग ix	
	घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (क iv + ख + ग ix)			4 घ
	5	तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक			5
	6	व्यापार खाते में जमाओं का योग (4 घ + 5)			6
व्यापार लेखा में विकलन	7	तैयार मालों का आरम्भिक स्टॉक			7
	8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			8
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9
	i	आवक वहन व्यय			i
		ii	विद्युत और ईंधन	ii	
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय			iii
		टिप्पण : प्रत्यक्ष कर की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है			
	10	क्रय किए गए माल और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर			
	i	सीमा शुल्क			10i
		प्रतिरोधी शुल्क			10ii
		विशेष अतिरिक्त शुल्क			10iii
		संघ उत्पाद शुल्क			10iv

	v	सेवा कर	10v		
	vi	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	10vi		
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii		
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii		
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix		
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x		
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi		
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii	
11		विनिर्माण खाते से उत्पादित-उपांतरित माल की लागत		11	
12		कारबार/व्यवसाय से लाभ और हानि के विवरण में अंतरित सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)		12	
12क		दिनभर व्यापार से आवर्त		12क	
12ख		दिन भर व्यापार से आय - लाभ व हानि के विवरण में अंतरित		12ख	
12ग		भविष्य और वैकल्पिक व्यवसाय से होने वाला टर्नओवर		12ग	
12घ		भविष्य और वैकल्पिक व्यवसाय से होने वाली आय - लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित की गई		12घ	

भाग क - लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभ और हानि के विवरण में अंतरित (उस दशा में मद 13 से मद 60 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)

लाभ हानि लेखे में जमा	13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ (12 + 12ख + 12घ)				13	
	14	अन्य आय					
	i	किराया	i				
	ii	कमीशन	ii				
	iii	लाभांश आय	iii				
	iv	ब्याज आय	iv				
	v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v				
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi				
	vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii				
	viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii				
	ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)	ix				
	x	कृषि आय	x				
	xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
		क	xiक				
		ख	xiख				
		ग योग (xiक + xiख)	xiग				
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)				14xii	
15		लाभ और हानि के विवरण में जमाओं का योग (13+14xii)				15	

लाभ और हानि के विवरण में विकलन	16	जावक भाड़ा	16	
	17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग	17	
	18	विद्युत और ईंधन	18	
	19	किराया	19	
	20	भवन की मरम्मत	20	
	21	मशीनरी की मरम्मत	21	
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर		
	i	वेतन और मजदूरी	22i	
	ii	बोनस	22ii	
	iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii	
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv	
	v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v	
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi	
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii	
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii	
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix	
	x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x	
	xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)	22xi	
	xii	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xii	हां / नहीं
	xiii	यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiii	
	23	बीमा		
	i	चिकित्सीय बीमा	23i	
	ii	जीवन बीमा	23ii	
	iii	की-मैन बीमा	23iii	
	iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं	23iv	
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)	23v	
	24	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय	24	
	25	मनोरंजन	25	
	26	आतिथ्य	26	
	27	सम्मेलन	27	
	28	विक्रय संवर्धन, जिसके अधीन प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है	28	
	29	विज्ञापन	29	
	30	कमीशन		
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i	
	ii	अन्य को	ii	
	iii	योग (i + ii)	30iii	
	31	स्वामिस्व		

	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		31iii	
	ii	अन्य को	ii			
	iii	योग (i + ii)				
32	तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस					
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i			
	ii	अन्य को	ii			
	iii	योग (i + ii)				
33	होटल, बोर्डिंग, आवास				33	
34	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय				34	
35	विदेशी यात्रा व्यय				35	
36	प्रवहण व्यय				36	
37	टेलीफोन व्यय				37	
38	अतिथि गृह व्यय				38	
39	क्लब व्यय				39	
40	उत्सव समारोह व्यय				40	
41	छात्रवृत्ति				41	
42	उपहार				42	
43	दान				43	
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त किराया और कर या संदेय दर और कर (आय पर करों को छोड़कर)					
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i			
	ii	सेवा कर	44ii			
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii			
	iv	उपकर	44iv			
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v			
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi			
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii			
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii			
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix			
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर(44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x	
45	संपरीक्षा फीस				45	
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
	i		i			
	ii		ii			
	iii	योग (i + ii)			46iii	

कर और विनियोग के लिए दिए गए उपबंध	47	डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी खाता संख्यांक आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)													
	(i1)												47i (1)		
	(i2)												47i (2)		
	(i3)												47i (3)		
	पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है कुल (47i(1)+47i(2)+47i(3))												47i		
	ii	जहां स्थायी खाता संख्यांक/आधार उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)												47ii	
	क्र.सं.	नाम	फ्लैट / द्वार/ ब्लॉक सं.	परिसर/ भवन/ ग्राम का नाम	सड़क/ मार्ग/ डाकघर	क्षेत्र/ अवस्थान	कस्बा/शहर/ जिला	राज्य	देश	पिन कोड	जिप कोड	रकम			
	1														
	पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है														
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)												47iii	
	iv	योग डूबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii)												47iv	
	48	डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध												48	
	49	अन्य उपबंध												49	
	50	ब्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 - (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]												50	
	51	ब्याज													
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त								i					
	ii	अन्य को								ii					
	iii	योग (i + ii)													
	52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण												52	
	53	करों से पहले शुद्ध लाभ (50 - 51iii - 52)												53	
	54	वर्तमान कर के लिए उपबंध												54	
	55	आस्थगित कर के लिए उपबंध												55	
	56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)												56	
	57	पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष												57	
	58	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)												58	
	59	विनियोग													
	i	आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण								59i					
	ii	प्रस्तावित लाभांश/अन्तरिम लाभांश								59ii					
	iii	लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर								59iii					

		iv	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन आने वाली कंपनियों की दशा में)			59iv			
		v	कोई अन्य विनियोग			59v			
		vi	योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)			59vi			
	60	तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi)						60	
	61	धारा 44कड के अधीन माल वाहकों से प्रकल्पित आय की संगणना							
		क्र. सं.	कारबार का नाम			कारबार कोड	वर्णन		
			माल गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण सं.	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर ली गई थी	माल गाड़ी की टनभार क्षमता (एमटी में)	उन मासों की संख्या, जिनके लिए माल गाड़ी निर्धारित की स्वामित्वाधीन था/उसके द्वारा पट्टे पर/किराए पर ली गई थी था	माल गाड़ी के लिए धारा 44कड के अधीन प्रकल्पित आय (12 मैट्रिक टन से अधिक टनभार की दशा में प्रतिमास 1000 रुपए की दर से या अन्यथा 7500 रुपए प्रतिमास की दर से संगणित) या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, इनमें जो भी अधिक हो		
		(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
		(क)							
		(ख)							
			कुल						
		यथा अपेक्षित पंक्तियों का विकल्प बढ़ाएं (कृपया नोट करें: वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए)							
		(ii)	धारा 44कड के अधीन माल गाड़ी से कुल प्रकल्पित आय [सारणी 61(i) के स्तम्भ (5) का योग]					61(ii)	
		टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड के अधीन विहित किए गए से कम है या वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर लिए गए माल गाड़ी का संख्या दस से अधिक है तो धारा 44कख के अधीन लेखाबहियां बनाए रखना या कर संपरीक्षा कराना अनिवार्य है							
लेखारहित मामला	62	ऐसी विदेशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय धारा 44ख, धारा 44खख, धारा 44खखक, धारा 44खखख, 44ग 44खखघ में विनिर्दिष्ट कारबार से एक मात्र लाभों और अभिलाभों से मिलकर बनती है या जिसका कच्चे हीरे के विक्रय का पात्र कारबार हो (नियम 10नझक देखें), वहां निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें							
		क	सकल प्राप्ति/आवर्त					62क	
		ख	शुद्ध लाभ					62ख	

भाग क - विनिर्माण लेखा भारतीय - लेखा मानक

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्माण लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]

1	विनिर्माणकारी खाते का विकलन				
	क	आरम्भिक तालिक			
		i	कच्ची सामग्री का आरम्भिक स्टॉक	i	
		ii	प्रगतिशील कार्य का आरम्भिक स्टॉक	ii	
		iii	योग (i + ii)	कiii	

	ख	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			ख		
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग		
	घ	प्रत्यक्ष व्यय			घ		
	i	आवक वहन व्यय	i				
	ii	विद्युत और ईंधन	ii				
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii				
	ङ	कारखाना उपरिव्यय					
	i	अप्रत्यक्ष मजदूरी					
	ii	कारखाना किराया और दर					
	iii	कारखाना बीमा					
	iv	कारखाना ईंधन और विद्युत					
	v	कारखाना साधारण व्यय					
	vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण					
Vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)			ङvii			
च	विनिर्माण खाते में विकलनों का योग (कiii+ख +ग +घ +ङvii)			1च			
2	अन्त स्टॉक						
i	कच्ची सामग्री	2i					
ii	प्रगतिशील कार्य	2ii					
योग (2i +2ii)			2				
3	व्यापार लेखा में उत्पादित-अंतरित माल की लागत (1च - 2)			3			

**भाग क - व्यापार लेखा
भारतीय - लेखा मानक**

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यापार लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]

व्यापार लेखा में जमा

4	प्रचालनों से राजस्व						
	क	विक्रय/कारबार की कुल प्राप्तियां (विवरणियों और प्रतिदायों तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)					
	iii	i	माल का विक्रय	i			
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii			
		अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
		क		iii क			
		ख		iii ख			
		ग	योग (iii क + iii ख)	iii ग			
	iv	योग (i + ii + iii ग)				कiv	
	ख	व्यवसाय से सकल प्राप्तियां				ख	
	ग	विक्रीत या प्रदाय की गई माल और सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर					
	i	संघ उत्पाद शुल्क	i				

		ii	सेवा कर	ii		
		iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	iii		
		iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv		
		v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v		
		vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi		
		vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii		
		viii	कोई अन्य शुल्क कर और उपकर	viii		
		ix	योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)		गix	
	घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (कiv + ख+ गix)			4घ	
	5	तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक			5	
	6	व्यापार लेखा में जमाओं का योग (4घ + 5)			6	
व्यापार लेखे में देय	7	तैयार माल का आरम्भिक स्टॉक			7	
	8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			8	
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9	
		i	आवक वहन व्यय	i		
		ii	विद्युत और ईंधन	ii		
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii		
			टिप्पण : प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है			
	10	क्रय किए गए मालों और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर				
		i	सीमा शुल्क	10i		
		ii	प्रतिरोधी शुल्क	10ii		
		iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
		iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
		v	सेवा कर	10v		
		vi	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	10vi		
		vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii		
		viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii		
		ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix		
		x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x		
		xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi		
		xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii	
	11	विनिर्माण खाते से उत्पादित-अंतरित माल की लागत			11	
	12	लाभ और हानि लेखा में अंतरित-कारबार/व्यवसाय से सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)			12	
	12क	दिन भर व्यापार से आवर्त			12क	
	12ख	दिन भर व्यापार से आय - लाभ व हानि के विवरण में अंतरित			12ख	
	12ग	भविष्य और वैकल्पिक व्यवसाय से होने वाला टर्नओवर			12ग	

12घ	भविष्य और वैकल्पिक व्ययसाय से होने वाली आय - लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित की गई	12घ	

भाग क – लाभ और हानि भारतीय लेखा मानक		वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभ और हानि का विवरण [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]			
लाभ और हानि के विवरण में क्रेडिट	13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ (12 + 12ख + 12घ)			13
	14	अन्य आय			
	i	किराया	i		
	ii	कमीशन	ii		
	iii	लाभांश आय	iii		
	iv	ब्याज आय	iv		
	v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v		
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi		
	vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii		
	viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii		
	ix	धारा 28(vi) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)	ix		
	x	कृषि आय	x		
	xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क	xiक		
लाभ और हानि खाता में देय		ख	xiख		
		ग	योग (xiक + xiख)	xiग	
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)			14xii
	15	लाभ और हानि के विवरण में जमाओं का योग (13 + 14xii)			15
	16	जावक भाड़ा			16
	17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग			17
	18	विद्युत और ईंधन			18
	19	किराया			19
	20	भवन की मरम्मत			20
	21	मशीनरी की मरम्मत			21
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर			
	i	वेतन और मजदूरी	22i		
	ii	बोनस	22ii		
	iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii		
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv		
	v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v		
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi		
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii		

	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii			
	ix	कोई अन्य निधि में अभिदाय	22ix			
	x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x			
	xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)				22xi
	xii	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xiiक	हां / नहीं		
		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख			
23	बीमा					
i	चिकित्सीय बीमा	23i				
ii	जीवन बीमा	23ii				
iii	की-मैन बीमा	23iii				
iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं	23iv				
v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v		
24	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय				24	
25	मनोरंजन				25	
26	आतिथ्य				26	
27	सम्मेलन				27	
28	विक्रय संवर्धन, जिसके अधीन प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है				28	
29	विज्ञापन				29	
30	कमीशन					
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i			
	ii	अन्य को	ii			
	iii	योग (i + ii)				30iii
31	स्वामिस्व					
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i			
	ii	अन्य को	ii			
	iii	योग (i + ii)				31iii
32	व्यवसायिक/परामर्श फीस/ तकनीकी सेवाओं के लिए फीस					
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i			
	ii	अन्य को	ii			
	iii	योग (i + ii)				32iii
33	होटल, बोर्डिंग, आवास				33	
34	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय				34	
35	विदेशी यात्रा व्यय				35	
36	प्रवहण व्यय				36	
37	टेलीफोन व्यय				37	
38	अतिथि गृह व्यय				38	

39	क्लब व्यय	39	
40	उत्सव समारोह व्यय	40	
41	छात्रवृत्ति	41	
42	उपहार	42	
43	दान	43	
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दर और कर (आय पर कर को छोड़कर)		
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i
	ii	सेवा कर	44ii
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii
	iv	उपकर	44iv
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)	44x
45	संपरीक्षा फीस	45	
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
	i		i
	ii		ii
	iii	योग (i + ii)	46iii
47	डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी खाता संख्यांक/ आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
	(i1)		47i (1)
	(i2)		47i (2)
	(i3)		47i (3)
	पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है कुल (47i1 + 47i2 + 47i3)		47i
	ii	जहां स्थायी खाता संख्यांक/ आधार उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)	47ii
	क्र.सं.	नाम	प्लैट / द्वार/ ब्लाक सं.
			परिसर/ भवन/ ग्राम का नाम
			सड़क/ मार्ग/ डाकघर
			क्षेत्र/ अवस्थान
			कस्बा/शहर/ जिला
			राज्य
			देश
			पिन कोड
			जिप कोड
			रकम
	1		
	पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है		

		iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)	47iii		
		iv	योग डूबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii)		47iv	
	48	डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध				48
	49	अन्य उपबंध				49
	50	ब्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 - (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]				50
	51	ब्याज				
		i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में संदत्त	i		
		ii	अन्य को	ii		
		iii	योग (i + ii)		51iii	
	52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण				52
कर और विनियोग	53	करों से पहले शुद्ध लाभ (50 - 51iii - 52)				53
	54	वर्तमान कर के लिए उपबंध				54
	55	आस्थगित कर के लिए उपबंध				55
	56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)				56
	57	पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष				57
	58	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)				58
	59	विनियोग				
		i	आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण	59i		
		ii	प्रस्तावित लाभांश/अन्तरिम लाभांश	59ii		
		iii	लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर	59iii		
		iv	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन आने वाली कंपनियों की दशा में)	59iv		
		v	कोई अन्य विनियोग	59v		
		vi	योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi		
	60	तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi)				60
	61	क ऐसी मदें, जो लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएंगी				
		i	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	i		
		ii	परिभाषित फायदा योजनाओं का पुनःपरिमाणन	ii		
		iii	ओसीआई के माध्यम से साम्या लिखतें	iii		
		iv	एफवीपीटीएल में पदाभिहीत वित्तीय दायित्वों के अपने ही जमा जोखिम से सम्बन्धित उचित मूल्य परिवर्तन	iv		
		v	सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक अन्य व्यापक आय के अंश, जिन्हें लाभ और हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाना है	v		
		vi	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	vi		
		vii	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	vii		
		viii	योग		61क	
	ख	वे मदें, जो लाभ और हानि के पुनःवर्गीकृत की जाएंगी				

		i	विदेशी प्रचालन की वित्तीय विवरणियों को परिवर्तित करने में विनिमय अंतर	i		
		ii	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखते	ii		
		iii	नकद प्रवाह नियंत्रण में नियंत्रणकारी लिखतों पर अभिलाओं और हानि का प्रभावी लाभ	iii		
		iv	सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक ओसीआई का अंश, जो लाभ और हानि में वर्गीकृत की जाए	iv		
		v	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	v		
		vi	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत की जाएगी	vi		
		vii	योग			
62	कुल व्यापक आय (56 + 61क + 61ख)					61ख
						62

भाग क - अन्य जानकारी		अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन दायी हो, तो आज्ञापक, अन्य के लिए, यदि लागू हो, भरें)			
अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति (चिह्नित करें) ☒ वाणिज्य ☐ नकद			
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं			
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(3)]	3क		
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(4)]	3ख		
	4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंदस्टाक के मूल्यांकन की पद्धति (व्यवसायों के मामले में वैकल्पिक)			
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		☐	
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		☐	
	ग	क्या स्टोक मूल्यांकनपद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं			
	घ	धारा 145(2क) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ		
	ङ	धारा 145(2ख) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ		
	5	लाभ-हानि के विवरण में जमा न की गई रकम, जो --			
	क	धारा 28 की परिधिके भीतर आनेवाली मदें हैं	5क		
	ख	प्रोफार्मा जमाओं, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर का प्रतिदाय या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां ऐसे प्रत्यय वापसी या प्रतिदाय सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा शोध के रूप में स्वीकार की जाए	5ख		
	ग	पूर्ववर्षों के दौरान स्वीकृतवृद्धि दावे	5ग		
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ		
ङ	पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ			
च	लाभ-हानि के विवरण में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)			5च	
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अननुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में विकलित की गई रकम				

	क	स्टाक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क		
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1) (ix)]	6ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग		
	घ	उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम [36(1) (iii)]	6घ		
	ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iiiiक)]	6ङ		
	च	किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च		
	छ	अनुमोदित अधिवार्षिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ		
	ज	धारा 80 गगघ में विनिर्दिष्ट एक पेंशन स्कीम के लिए अभिदाय रकम [36(1)(iv क)]	6ज		
	झ	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ		
	ञ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6ञ		
	ट	नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि[36(1)(vक)]	6ट		
	ठ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ		
	ड.	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6ड.		
	ढ.	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ.		
	ण	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए [36(1)(ix)]	6ण		
	त	प्रतिभूति के संव्यवहार के संबंध में संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारबार आय में सम्मिलित न किया हो [36(1)(xv)]	6त		
	थ	धारा 145(2) [36(1)(xviii) अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि के लिए चिन्हित	6थ		
	द	कोई अन्य अननुज्ञेय	6द		
	ध	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ज)		6ध	
	न	कंपनी द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (यदि कंपनी में मान्यताप्राप्त भविष्य निधि है तो आवश्यक)			
7	i	भारत में अभिनियोजित	i		
	ii	भारत के बाहर अभिनियोजित	ii		
	iii	कुल	iii		
	क	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ- के विवरण लेखे में विकलित रकमें			
	क	पूंजी स्वरूप का व्यय[37(1)]	7क		

	ख	व्यक्तिगत स्वरूप का व्यय[37(1)]	7ख		
	ग	कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्णया रूप से उपगत किया गया व्यय न हो [37(1)]	7ग		
	घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ		
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ		
	च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च		
	छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7छ		
	ज	कारपोरेट समाजिक दायित्व पर उपगत व्यय (सी.एस.आर.)	7ज		
	झ	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7झ		
	ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञातन की गई कोई अन्य रकम	7ञ		
	ट	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ञ का योग)		7	
8	अ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में विकलित रकम			
	क	अध्याय 17ख के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक		
	ख	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क (i क) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अख		
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(iख) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अग		
	घ	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क (iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अघ		
	ङ	लाभ के आधार पर उदगृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम 40 क (ii)	अङ		
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम 40 क (ii क)	अच		
	छ	धारा 40 क (ii ख) के अनुसार स्वामित्व अनुज्ञप्ति फीस सेवा, फीस आदि के रूप में संदत्त रकम	अछ		
	ज	ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, अथवा धारा [40(ख)/40(खक)]के अधीन स्वीकार्य किसी सहभागी अथवा सदस्य को भुगतान किए गए पारिश्रमिक की राशि	अज		
	झ	कोई अन्य अननुज्ञेय	अझ		
	ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)		8अञ	
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40के अधीन अननुज्ञेय किंतु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम		8आ	
9		धारा 40कके अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ- के विवरण में विकलित रकमें			
	क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क		
	ख	धारा 40क(3)के अधीन अस्वीकृति योग पाने वाले के खाते में देय चैक अथवा पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के जरिए इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम का प्रयोग करके अथवा ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भिन्न अदा की गई राशि जिसे विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।	9ख		
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)	9ग		

	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाईटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क (9)]	9घ		
	ङ	कोई अन्य अननुज्ञेय	9ङ		
	च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क से 9ङ का योग)			
10	किसी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किंतु पूर्व वर्षों के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिक निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ऐसे ऋण या अधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	10घक		
	ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च		
	छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	10छ		
	ज	सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आने वाले किसी सुक्ष्म या लघु उद्यम के लिए संदेय रकम	10ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10ज का योग)			10झ
11	पूर्व वर्ष के लाभ-हानि के विवरण में विकलित किंतु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिक निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ऐसे ऋण या अधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	11घक		

	ड	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ड		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च		
	छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	11छ		
	ज	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आने वाले किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम के लिए संदेय रकम	11ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)		11झ	
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम				
	क	संघ उत्पादशुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्यवर्धित कर/विक्रय कर	12ग		
	घ	केन्द्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	12घ		
	ङ	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	12ङ		
	च	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	कोई अन्य कर	12ज		
	झ	अधिशेष कुल रकम (12क से 12ज का योग)		12झ	
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकम				13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम				14
15	लाभ-हानि के विवरण में (शुद्ध) जमा या विकलितपूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम				15
16	धारा 14 के अधीन अननुज्ञात व्यय की रकम				16
17	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत ब्याज अस्वीकार्य है।				17
18	क्या निर्धारिती धारा 92 गड. की उपधारा 2क के अधीन विकल्प का प्रयोग कर रहा है (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं [यदि हां, तो कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]				18

भाग क - मात्रात्मक ब्यौरे		मात्रात्मक ब्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायीं हो, तो आज्ञापक)			
मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	व्यवसायगत समुत्थान की दशा में			
		1	आरंभिक स्टॉक	1	
		2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2	
		3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3	
		4	अंतिम स्टॉक	4	
		5	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	5	
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में			
		6	कच्चा माल		
		क	आरंभिक स्टॉक	6 क	

		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6 ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6 ग	
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6 घ	
		ङ	अंतिम स्टॉक	6 ङ	
		च	प्राप्त तैयार किए गए उत्पाद	6 च	
		छ	प्राप्त का प्रतिशत	6 छ	
		ज	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	6 ज	
		7	तैयार उत्पाद/उपोत्पाद		
		क	आरंभिक स्टॉक	7 क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7 ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7 ग	
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7 घ	
		ङ	अंतिम स्टॉक	7 ङ	
		च	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	7 च	

भाग क- ओ एल		समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता			
समापन के अधीन कम्पनी की प्राप्ति और संदाय लेखा	1	आरम्भिक अतिशेष			
	i	हाथ नकदी	1i		
	ii	बैंक	1ii		
	iii	कुल आरम्भिक अतिशेष	1iii		
	2	प्राप्तियां			
	i	ब्याज	2i		
	ii	लाभांश	2ii		
	iii	आस्तियों का विक्रय (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	क		2iii क		
	ख		2iii ख		
	ग		2iii ग		
	घ	कुल (iii क + iii ख + iii ग)	2iii घ		
	iv	देय/ऋणी का वसूल करना	2iv		
	v	अन्य (कृपया बताएं क्या राजस्व/पूँजीगत/प्रकृति एवं राशि)			
	क		2v क		
	ख		2v ख		
	ग	कुल अन्य प्राप्ति (v क + v ख)	2v ग		
	vi	कुल प्राप्ति (2i + 2ii + 2iii घ + 2iv + 2v ग)	2vi		
	3	कुल आरंभिक अतिशेष और प्राप्ति		3	
	4	संदाय			
	i	प्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4i		
	ii	अप्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4ii		
	iii	लेनदारों को प्रतिसंदाय	4iii		

			iv	कमीशन	4iv		
			v	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			
			क		4vक		
					4vख		
					4vग		
			ग	अन्य संदायों का योग (4vक + 4vख)			
			vi	कुल संदाय (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4vग)	4vi		
			5	अंत अतिशेष			
			i	हाथ नकदी	5i		
			ii	बैंक	5ii		
			iii	कुल अंत अतिशेष (5i + 5ii)	5iii		
			6	कुल अंत अतिशेष और संदाय (4vi + 5iii)		6	

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियां (यथा लागू करें)

अनुसूची एच पी		गृहसंपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्राप डाउन का उपबंधित करें)									
गृहसंपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड					
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)									
		संपत्ति में निर्धारित अंश की प्रतिशतता%									
		सहस्वामी (स्वामियों) का नाम	सहस्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या क / आधार सं.			संपत्ति में अंश की प्रतिशतता(%)					
		I									
	II										
		लागू विकल्प पर सही ☒ का निशान लगाएं	किराएदार(रों) का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)			किराएदार(रों) का पैन/टैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)				
		☐ यदि किराए पर हो	I								
		☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया	II								
		क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य				1क				
		ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती				1ख				
		ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर				1ग				
		घ	योग (1ख + 1ग)				1घ				
		ङ	वार्षिक मूल्य (1क - 1घ)				1ङ				
		च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)				1च				
		छ	1 च का 30%				1छ				

	ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज (विवरण ई-फाइलिंग उपयोगिता में दिए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरे जाने हैं)	1ज		
	झ	योग (1छ + 2ज)	1झ		
	ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया / वसूल न होने वाला किराया घटा 30%	1ञ		
	ट	गृहसंपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)	1ट		
		(प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक रूप से ब्यौरा भरें।)			
	2	आय/हानि के माध्यम से पास, यदि कोई हो*	2		
	3	“गृहसंपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (Σ1ट + 2) यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2झ का अंक लें)	3		
टिप्पण ▶	यदि धारा 194झख के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी खाता संख्यांक/ आधार सं. प्रस्तुत करना आज्ञापक है । यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है ।				

अनुसूची – बीपी कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय	असट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति					
	1	लाभ और हानि के विवरण के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क- पीओर एल की मद 53, 61(iii) और 62(ख) (भाग क- लाभ और हानि भारतीय लेखा मानकों के रूप में की मद 53) (यदि लागू हो)	1			
	2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -चिह्न प्रविष्ट करें) (अनुसूचित ट्रेडिंग खाता या ट्रेडिंग-इंड एस खाता का क्रम संख्या 12बी) (जैसा लागू हो)	2क			
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में (-) चिह्न प्रविष्ट करें)	2ख			
	3	क	गृह संपत्ति	3क		
		ख	पूंजी अभिलाभ	3ख		
		ग	अन्य स्रोत	3ग		
		गi	लाभांश आय	3गi		
		गiii	लाभांश आय से भिन्न	3गiii		
		घ	115खख के अधीन	3घ		
		ङ	115खख के अधीन अधीन	3ङ		
		च	धारा 115खख के अधीन अधिग्रहण की शुद्ध लागत (यदि कोई हो)	3च	(अनुसूची वीडिए की मद सं अ)	
	4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44ख/44खख/44खखक/4खखख/44खखग/44खखघ/44कड/44घ/44घक/44घख/अध्याय 12छ/ पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है (115ख से भिन्न) (ड्रॉपडाउन को उपबंधित करें)	4क			
	4ख	धारा 115ख में विनिर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	4ख			
	4ग	नियम 7, 7क, 7ख (1), 7ख (1क) और 8 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्रॉपडाउन को उपबंधित करें)	4ग			
	4घ	कच्चे हीरे बेचने के पात्र व्यवसाय से लाभ (नियम 10नझक देखें)	4घ			

5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि के विवरण में जमा आय, जो छूट प्राप्त है										
	क	फार्म/फर्मों से आय का अंश	5क								
	ख	एओपी/बीओए से आय के शेयर	5ख								
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)									
		i		गii							
		ii		गiii							
		iii	कुल (गii + गiii)	5गiii							
घ	कुलआय पर छूट (5क + 5ख + 5गiii)							5घ			
5क	लाभ और हानि के विवरण में जमा की गई आय या प्राप्तियां किंतु अधिनियम के अधीन कर के लिए प्रभार्य नहीं हैं।									5क	
6	अतिशेष (1- 2क - 2ख - 3 क - 3ख - 3ग - 3घ - 3ङ - 3च - 4- 5घ)									6	
7	लाभ और हानि के विवरण में विकलित व्यय जो धारा 115खखच के अधीन या धारा 115खखछ के अधीन या धारा 115खखज के अधीन आय से संबंधित है आय के अन्य शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा	क	गृह संपत्ति	7क							
		ख	पूंजी अभिलाभ	7ख							
		ग	अन्य स्रोत	7ग							
		घ	115खखच के अधीन	7घ							
		ङ	115खखछ के अधीन अधीन	7ङ							
		च	धारा 115खखज के अधीन अधिग्रहण की लागत के अतिरिक्त (यदि कोई हो)	7च							
8क	लाभ और हानि के विवरण में विकलित व्यय जो कर छूट से संबंधित है									8क	
8ख	लाभ और हानि के विवरण में विकलित व्यय, जो आय छूट से सम्बन्धित हैं, धारा 14क (भाग क- ओआई का 16) के अधीन अननुज्ञात हैं									8ख	
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 7च + 8क + 8ख)									9	
10	समायोजित लाभ या हानि(6+9)									10	
11	लाभ और हानि के विवरण में विकलित अवक्षयण और अपकरण									11	
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण										
	i	धारा 32(1) ii) और धारा 32(1)(ii) क) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)					12i				
	ii	धारा 32(1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आय कर नियम की परिशिष्ट 1 को विनिर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें)					12ii				
	iii	कुल (12i + 12ii)					12iii				
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)									13	
14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में विकलित रकम (भाग क- ओआई का 6ध)						14				
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में विकलित रकम (भाग क- ओआई का 7ट)						15				
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में विकलित रकम (भाग क- ओआई का 8कज)						16				

17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में विकलित रकम (भाग क- ओआई का 9च)	17		
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में विकलित कोई रकम, किंतु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय है (भाग क-ओआई का 11झ)	18		
19	सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज (भाग क-ओआई का 17)	19		
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20		
21	धारा 32कग /33कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/ 35कखख/ 32कग/40क(3क)/ 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झकके अधीन समझी गई आय	21		
22	धारा 43गक के अधीन समझी गई आय	22		
23	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद	23		
24	लाभ और हानि के विवरण में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय / कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (फर्मों से आय जिसमें कंपनी भागीदार है, , कमीशन बोनस और ब्याज सहित आय)	24		
25	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में बढ़त या हानि में कमी और स्टाक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची क- ओआई का 4घ)	25		
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)			26
27	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27		
28	धारा 32कग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	28		
29	लाभ और हानि के विवरण में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35गगग या 35गगज के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची इसआर का मद x (4) यदि धारा 35गगग या 35गगज के अधीन रकम लाभ और हानि के विवरण की विकलित रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएंगी)	29		
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किंतु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग क- ओआई का 8ख)	30		
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43खके अधीन अननुज्ञेय किंतु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क- ओआई का 10झ)	31		
32	कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम	32		
33	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में बढ़त कमी और स्टाक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (ओआई का स्तंभ 3क + 4ड)	33		
34	कुल(27+28+29+30+31+32+33)			34
35	आय (13+26-34)			35
36	कारबार या वृत्ति के लाभ या हानि निम्नलिखित के अधीन समझी जाएगी -			
	i	धारा 44कड (अनुसूची लाभ और हानि की 61(ii)ट	36i	
	ii	धारा 44ख	36ii	
	iii	धारा 44खख	36iii	
	iv	धारा 44खखक	36iv	
	vक	धारा 44खखख	36vक	
	vख	धारा 44खखग	36vख	
	vग	धारा 44खखघ	36vग	
	vi	धारा 44घ	36vi	
	vii	धारा 44घक	36vii	(प्ररूप 3 ग.ड़ की मद 4)

		viii	अध्याय-XII-छ (सकल भार)	36viii	(प्ररूप 66 के मद 10 के स्तंभ 7 का कुल योग)	
		ix	आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची (115ख से भिन्न)	36ix		
		x	कुल (36i से 36ix)			36x
37	सट्टे और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (36 + 36भ)					37
38	नियम 7क, 7ख या 7ग 8 यदि लागू हो, लागू करने के पश्चात् सट्टे के कारबार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू नहीं है तो 35 की वही रकम यथा प्रविष्ट करें (38क + 38ख + 38ग + 38घ + 38ङ + 38च)					अ38
	क	नियम 7 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय			38क	
	ख	नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय			38ख	
	ग	नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय			38ग	
	घ	नियम 7ख(1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय			38घ	
	ङ	नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय			38ङ	
	च	नियम 7क, नियम 7ख और नियम 8 के अधीन (मद सं. 37) से भिन्न आय			39च	
39	वित्त अधिनियम [4ग - (38क+38ख+38ग+38घ+38ङ)] के अनुसार आय के संकलन के प्रयोजन के लिए नियम 7, नियम 7क, नियम 7ख(1), नियम 7ख(1क) और नियम 8 लागू करने के पश्चात् कृषि से प्राप्त हुई समझी गई आय का अतिशेष					39
आ सट्टे के कारबार से आय की संगणना						
40	लाभ या हानिलेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि					40
41	धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन					41
42	धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियां					42
43	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि(40+ 41 - 42) यदि हानि है तो अनुसूची सीएफएल का अंक 6 xix लें					43
इ धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना						
44	लाभ या हानिलेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुललाभ या हानि					44
45	धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार परिवर्धन					
46	धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार कटौतियां (धारा (i) 35कघ (ii) 32 या 35 जिसमें धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न)					46
47	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (44 + 45 - 46)					47
48	धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियां					48
49	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (47 – 48) (यदि हानि हो तो अनुसूची सीएफएल का अंक 7 xix लें)					49
50	धारा 35कघ की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (ड्राप डाउनमेन्यू से चयन करने के लिए)					50
ई	लाभ और हानि शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ38+आ43+इ49)					
उ चालू वर्ष में कारबार हानि का अंतःशीर्ष मुजरा						
क्र. सं.	कारबार आय का प्रकार			चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को उसी दशा में भरें यदि अंक शून्य या सकारात्मक है)	कारबार हानि मुजरा	मुजरा पश्चात्त्वर्ती हुई कारबार आय
				(1)	(2)	(3) = (1) – (2)
i	हानि का मुजरा(इस पंक्ति को तभी भरें यदि अंकन सकारात्मक है)				(क 38)	

	ii	सट्टे के कारबार से आय	(ख43)		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग49)		
	iv	धारा 115 ख के अधीन जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(4ख)		
	iv क	कच्चे हीरे के विक्रय के पात्र व्यवसाय से विदेशी कंपनी की आय (नियम 10TIA देखें)	(4घ)		
	v	कुल हानि मुजरा (ii + iii)			
	vi	मुजरा पश्चात् हानि (i - v)			

अनुसूची - डीपीएम

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
	2	दर (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
	4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन				
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
	7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन				
	9	रकम जिस पर आधीदर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
	10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
	11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
	12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
	13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
	14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
	15	कुल अवक्षयण * (10+11+12+13+14)				

16	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 15 के बाहर)				
17	शुद्ध सकल अवक्षयण (15-16)				
18	अंतरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षयण (स्तंभ 17 के बाहर)				
19	आस्ति/ आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5+8-3-4-7-19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य* (6+9-15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची डीओए

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियाँ	पोत
	2	दर (%)	शून्य	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
	4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
	11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
	12	कुल अवक्षयण * (10+11)							
	13	आय-कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 12 के बाहर)							
	14	शुद्ध सकल अवक्षयण (12-13)							

15	अंतरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षरण (स्तंभ 14 के बाहर)							
16	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं है)							
18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य* (6 + 9 - 12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची - डीईपी		आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)				
आस्तियों पर अवमूल्यण का सार	1	संयंत्रऔर मशीनरी				
		क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i जैसा लागू है)	1क		
		ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii जैसा लागू है)	1ख		
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii जैसा लागू है)	1ग		
		घ	45 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-17iv अथवा 18iv जैसा लागू हो)	1 घ		
		ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1 घ)		1ङ	
	2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)				
		क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii जैसा लागू है)	2क		
		ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii जैसा लागू है)	2ख		
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv जैसा लागू है)	2ग		
		घ	भवन पर कुल अवक्षयण(योग (2क + 2ख + 2ग))		2घ	
	3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v जैसा लागू हो)			3	
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi जैसा लागू हो)			4	
	5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii जैसा लागू हो)			5	
	6	कुल अवक्षयण (1ङ +2घ+3+4+5)			6	

+ अनुसूची - डीसीजी		अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर समझे गए पूंजी अभिलाभ			
1	संयंत्र और मशीनरी				
	क 15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम20i)	1क			
	ख 30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20ii)	1ख			
	ग 40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20iii)	1ग			
	घ 45 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए हकदार पात्र ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम-20iii)	1घ			
	ड कुल (1क+1ख+1ग + 1घ)	1ड			
2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)				
	क 5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 17ii)	2क			
	ख 10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 17iii)	2ख			
	ग 40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 17iv)	2ग			
	घ योग (2क + 2ख + 2ग)			2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए-17v)			3	
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए-17vi)			4	
5	पोत (अनुसूची डीओए-17vii)			5	
6	कुल (1ड + 2घ+3+4+5)			6	

अनुसूची - एसआर

वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती)

क्रम सं.	धारा में विनिर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि के विवरण में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि के विवरण में विकलित रकमसे अधिक कटौती की रकम (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2कक)			
vii	35(2कख)			
viii	35गगग			

अनुसूची-सीजी			पूँजी अभिलाभ											
पूँजी अभिलाभ	क	लघु अवधि पूँजी अभिलाभ (एसटीसीजी) (उपमद 4 और उपमद 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)												
	लघुअवधि पूँजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक रूप से ब्यौरे भरे)/सह-स्वामित्व की दशा में अपने पूँजी अभिलाभ अंश प्रविष्ट करें											
		क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य					कi					
				क्रय/अर्जन की तारीख	दिदि/मामा/वव	विक्रय अंतरण की तारीख	दिदि/मामा/वव							
			ii	स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य					कii					
			iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [यदि (कii) 1.10 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ों को (का) के रूप में लें या अन्यथा (कii) के रूप में लें]					कiii					
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां											
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत					खi					
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत					ख ii					
			iii	पूर्णतया और अनन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय					ख iii					
			iv	योग (खi + खii + खiii)					ख iv					
		ग	अतिशेष कiii – ख iv)					1 ग						
		घ	धारा 54छ/54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)					1घ						
		ङ	स्थावर संपत्ति पर लघु अवधि पूँजी अभिलाभ (1ग- 1 घ)											क 1 ङ
	च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें)												
			क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैन्/ आधार सं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य				
			टिप्पण ►	यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन्/ देना अनिवार्य है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें										
		2	स्लंप बिक्री से											
	क	i	नियम 11प.क.ङ(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य					2कi						
ii		नियम 11प.क.ङ(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य					2कii							
iii		प्रतिफल का पूरा मूल्य (का या कii का अधिकतम)					2कiii							
	ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य (प्ररूप ईईअ का 6(ङ)) प्ररूप 3 गडक)					2ख							
	ग	स्लंप के विक्रय से लघु अवधि पूँजी अभिलाभ (2कiii - 2ख)										क 2ग		

			3 इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (विदेशी के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है (जहां क4 लागू नहीं होता)							
			क	प्रतिफल का पूरामूल्य	3 क					
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi				
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii				
				iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ग iii				
				iv	योग (i + ii + iii)	ख iv				
			ग	शेष(3 क – ख iv)	3ग					
			घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि-उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश /आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएंगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	3घ					
			ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ग +3घ)					क3ङ	
			4	अनिवासीयों के लिए जो एफआईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएंगी)						
			क	धारा 111क के अंतर्गत आने वाले लेन-देनों पर एसटीसीजी					क 4 क	
			ख	क्रम संख्या 4क में शामिल न किए गए शेयरों के विक्रय या डिबेंचर के विक्रय से एसटीसीजी					क 4ख	
			5	अनिवासीयो की दशा में-धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (उपर क 3 से भिन्न)						
				क	i प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-					
					क	कोट नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरामूल्य *	iक			
					ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iख			
					ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्यके लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	iग			
				ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य			कii		
				iii	कुल (iग + ii)			क iii		
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			खi		
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii		
				iii	पुर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय			ख iii		
				iv	योग (i + ii + iii)			ख iv		
			ग	शेष (5 क iii- ख iv)					5ग	

			घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएंगी (केवलसकारात्मकमूल्यदर्ज करें)		5घ			
			ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीटीसंदत्त) (3 ङ+3घ)		क 5 ङ			
			6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से					
			क	i	आस्तियों, जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-				
					क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्यप्रतिफल का पूरामूल्य *	iक		
					ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iख		
					ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्यके लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य (क या ख से अधिक)	iग		
				ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य		कii		
			iii	कुल (iग + ii)		क iii			
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi						
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii						
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii						
	iv	योग (i + ii + iii)	ख iv						
ग	शेष(6 क iii – खiv)		6 ग						
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)-के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरणके लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश /आय /बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूतहानि की अनदेखी की जाएंगी (केवलसकारात्मकमूल्यदर्ज करें)		6 घ						
ङ	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजी का 6)		6 ङ						
च	धारा 54छ/54छक के अधीन कटौती		6 च						
छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसीजी (6 ग+ 6घ + 6 ङ + 6 च)		क 6छ						
		7	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि						
		क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? □हां □ नहीं □लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं						
			क्रमसं°.		नईआस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है				

ख	दीर्घअवधि पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद, 5, 6 और 7 लागू नहीं है)										
दीर्घअवधि पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (क से च तक प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथक रूप से भरें) (सह स्वामित्व के मामले में, पूंजी अभिलाभ के अपने शेयर भरें)									
		क्रयअर्जन की तारीख/			दिन/मास/वर्ष		विक्रय अंतरण की/ तारीख		दिन/मास/वर्ष		
		क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य				कi			
			ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य				कii			

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

		टिप्पण: क्रम संख्या (iv) के लिए, स्थानांतरण की तिथि के आधार पर आय का विवरण आवश्यक नहीं है।			
		क	i	प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-	
			क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरामूल्य *	i क
			ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iख
			ग	पूँजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य (क या ख से अधिक)	iग
			ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य	क ii
			iii	कुल (iग + ii)	क iii
		ख धारा 48 के अधीन कटौतियां			
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii
			iv	योग (खi + ख ii + ख iii)	ख iv
		ग	अनिवासीयो की दशा में आस्तियों पर उपर 7 पर दीर्घावधि पूँजी अभिलाभ (6क iii - 6ख iv)		
					आ6ग
	7	एफआईआई / एफपीआई (गैर-निवासी) के लिए - किसी कंपनी में इक्विटी शेयर की बिक्री या इक्विटी ओरिएंटेड फंड की इकाई या बिजनेस ट्रस्ट की इकाई जिस पर धारा 112क के साथ पठित धारा 115क घ के अधीन एसटीटी का भुगतान किया जाता है			
		उपरोक्त ख7 पर पूँजीगत आस्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूँजीगत अभिलाभ (धारा 115कघ(1)(ख)(iii) का स्तंभ 14)			
	8	आस्तियों के विक्रय से जहां उपर ख 1 से ख 7 लागू नहीं होते हैं			
		क	i	आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-	
			क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरामूल्य	i क
			ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iख
			ग	पूँजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य (क या ख से अधिक)	iग
			ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य	
			iii	कुल (iग + ii)	क iii
		ख धारा 48 के अधीन कटौतियां			
			i	सूचकांक के बिना अधिग्रहण की लागत	खi
			ii	अनुक्रमण के बिना सुधार की लागत	ख ii
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii
			iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv
		ग	शेष (9 क iii - खiv)		
					ग

		घ	धारा 54घ/धारा 54छ/धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	घ								
		उ	उपरोक्त ख9 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ जहां स्थानांतरण (8ग-8घ) था						आ8ड			
		9	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
		क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्षके लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?									
			□हां□नहीं □लागू नहीं होता, यदिहां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं									
			क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्षमें जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि				
			i	2022-23	54घ/54छ/54छक							
			ii	2023-24	54घ/54छ/54छक							
			iii	2024-25	54घ/54छ/54छक							
		ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई रकम						ख			
			दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई रकम (कxi+कxii+कxiii+ख)							आ9		
		10	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें)(आ10क1+आ10 क2)							आ10		
		क1	112क के अधीन दीर्घकालिक पूंजी लाभ की प्रकृति में आय / हानि, 12.5% पर प्रभार्य						आ10क1			
		क2	धारा 112क के अधीन दीर्घकालिक पूंजी लाभ की प्रकृति में आय / हानि 12.5%, प्रभार्य						आ10क2			
		11	एलटीसीजी की रकम जो ख1- ख10 में सम्मिलित है पर डीटीए के अनुसार भारत में दावाकृत कर प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है: (केवल अनिवासी के लिए लागू)									
			क्रमसं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. ख1 से ख 10 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसीप्राप्त है (हो/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर(6) या (9)ट
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			I									
			II									
		क	डीटीएके अधीन दावाकृत एलटीसीजी कर प्रभार्य नहीं है की कुलराशि							ख11क		
		ख	डीटीए के अनुसार भारत में दावाकृत विशेष दर पर कर प्रभार्य एलटीसीजी की कुल राशि							ख11ख		
		ख(क)	शेयरों की पुनर्खरीद पर पूंजी हानि [दीर्घकालिक 12.5%] (केवल तभी दावा किया जा सकता है जब संबंधित लाभांश आय अनु. 2 (22) (च) अनुसूची ओएस के क्रमांक 1एiv या क्रमांक 2ग / 2घ में पेश की जाती है)							ख(क)		

				12	कुल दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ [ख1छ + ख2 ड + ख3ग + ख4 + ख5 + ख6ग + ख7+ ख8 ड + ख9+ख10-ख11क+ख(क)]			ख 13			
			ग1	पूंजीगत अभिलाभ आय की राशि (8ii + 8iii + 8iv + 8v + 8vi + 8vii + नीचे सारणी ड)					ग1		
			ग2	आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण से आय (अनुसूची 5घक की मद संख्या ख)					ग2		
			ग3	“पूंजीगत अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (ग1+ग2)					ग3		
			घ	पूंजी अभिलाभ के विरूद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी							
				1	धारा 54घ / धारा 54डग/ धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें *						
				क	धारा 54 घ के अधीन दावाकृत कटौती						
					i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीख		क i	दिन/मास/वर्ष		
					ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि/भवन के क्रय/निर्माण की लागत		क ii			
					iii	नए भूमि या भवन के क्रय की तारीख		क iii	दिन/मास/वर्ष		
					iv	नियत तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ योजना में जमा राशि		क iv			
					ivक	जमा करने की तारीख		ivख खाता सं.		ivग आई एफ एस कोड़	
					v	दावाकृत कटौती की राशि		क v			
				ख	धारा 54 डग के अधीन दावाकृत कटौती						
					i	मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख		ख i	दिन/मास/वर्ष		
					ii	विनिर्दिष्ट /अधिसूचित बंध पत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख से ज्यादा नहीं)		ख ii			
					iii	निवेश की तारीख		ख iii	दिन/मास/वर्ष		
					iv	दावाकृत कटौती की राशि		ख iv			
				ग	धारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती						
					i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख		ग i	दिन/मास/वर्ष		
					ii	नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत		ग ii			
					iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में खरीदी/बनाई गई आस्ति की तारीख		ग iii	दिन/मास/वर्ष		
					iv	नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि		ग iv			
					ivक	जमा करने की तारीख		ivख खाता सं.		ivग आई एफ एस कोड़	
					v	दावाकृत कटौती की राशि		ग v			
				घ	धारा 54 छक के अधीन दावाकृत कटौती						
					i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख		घ i	दिन/मास/वर्ष		
					ii	नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत		घ ii			
					iii	एसईजेड में नई आस्ति के क्रय निर्माण की तारीख		घ iii	दिन/मास/वर्ष		
					iv	नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि		घ iv			
					ivक	जमा करने की तारीख		ivख खाता सं.		ivग आई एफ एस कोड़	
					v	दावाकृत कटौती की राशि		घ v			
				ड	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख +1ग +1घ)					1 ड	

पूँजी अभिलाभ चालू वर्ष की पूँजी हानि को चालू वर्ष के पूँजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (क9क तथा ख 11क में सम्मिलित राशि को छोड़कर जो डीटीए के अंतर्गत प्रभार्य नहीं है)

क्र. सं.	पूँजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष का पूँजी अभिलाभ (इस स्तंभ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ हानि				दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ हानि		मुजराई के पश्चात् चालू वर्ष के पूँजी अभिलाभ 8= 1-2-3-4-5-6-7)
			20%	30%	लागू दर	डीटीए दर	12.5%	डीटीए दर	
		1	2	3	4	5	6	7	8
i	मुजराई की जाने वाली पूँजी हानि (इस स्तंभ को केवल तभी भरें, जब संगणित अंक नकारात्मक हों)		(क3ड*+क4क*+क8क*+क(क)		(अ1ड*+अ2ग*+अ4ख*+अ5ड*+अ8ख*+क(क)	अ9ख	ख1छ*+ख2ड*+ख3ग*+ख4*+ख5*+ख6ग*+ख7*+ख8ड*+ख9*+ख10क1*+ख10क2*+ख(क)	आ1ख	
ii	20%	(क3ड*+क4क*+क8क*+क(क)							
iii	30%	अ5ड*+अ8ख*+क(क)*							
iv	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ	लागू दर (अ1ड*+अ2ग*+अ4ख*+अ6छ*+अ7*+अ8ग*+क(क))							
v	डीटीए दर	अ9ख							
vi	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ	12.5% ख1छ*+ख2ड*+ख3ग*+ख4*+ख5*+ख6ग*+ख7*+ख8ड*+ख9*+ख10क1*+ख10क2*+ख(क)							
vii	डीटीए दर	आ11ख							
viii	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi + vii)								

ix	मुजरा के पश्चात शेष हानि (i-viii)					
	इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (अ1 ड.*) स्तंभ (अ1-अ8) समान प्रतिभूतियों के साथ मुजरा के पश्चात् है और में क्रमशः संग्रहित एसटीसीजी की वह रकम है जिसमें एसटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।					
	इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (अ1 ड.*) स्तंभ (अ1-अ11) समान प्रतिभूतियों के साथ मुजरा के पश्चात् है और में क्रमशः संग्रहित एलटीसीजी की वह रकम है जिसमें एलटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।					

च		पूँजी अभिलाभ के उद्भूत/प्राप्ति के विषय में सूचना					
		पूँजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)
च	1	20% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक अवधि पूँजी अभिलाभ अनुसूची खएफएलए की मद 5vi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
	2	30% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक अवधि पूँजी अभिलाभ अनुसूची खएफएलए की मद 5vii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो.					
	3	लागूदर से प्रभार्य अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची खएफएलए की मद 5viii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
	4	डीटीए की दर पर करादेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची खएफएलए की मद 5ix से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
	5	12.5% की दर से कर योग्य दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ। यदि कोई हो तो अनुसूची खएफएलए के मद 5x से मूल्य भरें।					
	6	डीटीए की दर पर करादेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची खएफएलए की मद 5xi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
	7	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण पर पूँजीगत अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य अनुसूची एस. आई की मद 16ख से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई हो)					

[illegible]

[illegible]

अनुसूची वीडिए	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय प्रत्येक संव्यवहार का ब्यौरा भारा जाए जिसमें :टिप्पण)प्रत्येक (एक संव्यवहार है। 'अंतरण'					
क्रम सं.	अधिग्रहण की तारीख	अंतरण की तारीख	पूँजी अभिलाभ का प्रकार /अल्पकालिक (दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा 56(2)(x) के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम हानि के मामले में शून्य (दर्ज करें)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
सम्मिलित पंक्तियाँ						
ककुल . स्तंभ)7 में कारबार आय की समस्त सकारात्मक आय की राशि(						(अनुसूची ख पी का मद सं .3 च)
ख स्तंभ) कुल .7 में पूँजी अभिलाभ की समस्त सकारात्मक आय की राशि(						(अनुसूची सी जी का मद सं .सी 2)

अनुसूची-अन्य स्रोत

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)					1		
	क	लाभांश, सकल (क ⁱ + क ⁱⁱ + क ⁱⁱⁱ)				1क		
		i	(ii) और (iii) के अतिरिक्त लाभांश आय			क ⁱ		
		ii	धारा 2(22)(ड़) के अधीन लाभांश आय			क ⁱⁱ		
		iii.	धारा 2(22)(च) के अधीन लाभांश आय			क ⁱⁱⁱ		
	ख	ब्याज, सकल (ख ⁱ + ख ⁱⁱ + ख ⁱⁱⁱ + ख ^{iv} + ख ^v)				1ख		
		i	बचत बैंक खाता	ख ⁱ				
		ii	जमा राशि (बैंक/ डाकखाना/ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी)	ख ⁱⁱ				
		iii	आय कर प्रतिदाय से	ख ⁱⁱⁱ				
		iv	आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	ख ^{iv}				
		v	अन्य कंपनियों, एनबीएफसी और एचएफसी से ब्याज	ख ^v				
	ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय				1ग		
	घ	धारा 56 (2) (x)में विनिर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है(घ ⁱ + घ ⁱⁱ + घ ⁱⁱⁱ + घ ^{iv} + घ ^v)				1घ		
		i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घ ⁱ				
		ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घ ⁱⁱ				
		iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घ ⁱⁱⁱ				
		iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घ ^{iv}				
		v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार	घ ^v				
	1ङ	कोई अन्य आय कृपया प्रकृति का उल्लेख करें						
		क्रम सं	प्रकृति			राशि		
		1	धारा 56(2)(xii) में विनिर्दिष्ट अनुसार पूर्व वर्ष के दौरान इकाई धारक द्वारा किसी कारबार न्यास से प्राप्त कोई विनिर्दिष्ट राशि ।			1		

		पंक्ति जोड़े		
2		विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क ⁱ + 2 क ⁱⁱ + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं 1 से संबंधित)	2	
		क ⁱ लाटरी वर्ग पहली दौड़, कार्ड गेम इत्यादि की जीत के रूप में आय धारा 115खख	2क ⁱ	
		क ⁱⁱ धारा 115खख के अधीन आनलाईन गेम जीतने के माध्यम से प्रभार्य आय	2क ⁱⁱ	
		ख धारा 115खख के अधीन प्रभार्य आय (ख ⁱ + ख ⁱⁱ + ख ⁱⁱⁱ + ख ^{iv} + ख ^v + ख ^{vi})	2ख	
		i धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	ख ⁱ	
		ii धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	ख ⁱⁱ	
		iii धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	ख ⁱⁱⁱ	
		iv धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	ख ^{iv}	
		v धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	ख ^v	
		vi धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या	ख ^{vi}	
		ग विशेष दर पर प्रभार्य कोई आय (ग ^{से} ग ^{xxiii} का कुल योग)	2ग	
		i धारा 115 क(1)(क)(क) के परंतुक से भिन्न, धारा 115 क(1)(क)(i) के अधीन विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	ग ⁱ	
		ik धारा 115 क(1)(क)(क) के परंतुक के अधीन प्रभार्य धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथाविनिर्दिष्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी इकाई से अनिवासी (गैर कंपनी) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	ग ^{ik}	
		ii धारा 115 क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या विदेशी करेंसी श्रृण पर भारतीय समुन्यान से प्राप्त ब्याज	ग ⁱⁱ	
		iii धारा 115 क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना श्रृण निधि से प्राप्त ब्याज	ग ⁱⁱⁱ	
		iv धारा 115क(1)(क)(iiकक) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @5%में विनिर्दिष्ट ब्याज	ग ^{iv}	
		v धारा 115क(1)(क)(iiकक) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) के परंतुक @4%में विनिर्दिष्ट ब्याज	ग ^v	
		vi धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठघ में विनिर्दिष्ट ब्याज	ग ^{vi}	
		vii धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठखक में विनिर्दिष्ट वितरित आय जो ब्याज है	ग ^{vii}	
		viii धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य यूटीआई की इकाई या धारा 10 (23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक	ग ^{viii}	
		ix धारा 115क(1)(ख)(क) तथा 115(1)(ख)(ख) सरकार या भारतीय समुन्यान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए	ग ^{ix}	
		x धारा 115 कग के अधीन प्रभार्य अनिवासियों द्वारा ब्याज के रूप में या बॉण्डस या विदेशी करेंसी में क्रय किया	ग ^x	
		xi धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	ग ^{xi}	
		xii पारस्परिक निधि-115कख(1) के द्वारा विदेशी मुद्रा की इकाईयों की खरीद के संबंध में प्राप्त आय	ग ^{xii}	
		xiii धारा 115 कघ (1)(i) के अधीन प्रभार्य प्रतिभूतियों (धारा 115 कख में विनिर्दिष्ट इकाईयों के सिवाय) के संबंध में एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय	ग ^{xiii}	
		xiv धारा 115 कघ (1)(i) के परंतुक के अनुसार प्रभार्य किसी एफ.आई.आई द्वारा बाण्ड पर या धारा 194 ठघ में	ग ^{xiv}	

		xv	धारा 115 खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ी या खेल संगठनों पर कर	ग xv							
		xvi	धारा 115 खखग के अधीन प्रभार्य कतिपय मामलो में गुप्त दान	ग xvi							
		xvii	भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से रायल्टी के रूप में आय – धारा 115 खखच के अधीन प्रभार्य	ग xvii							
		xviii	धारा 115 खखछ के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण के द्वारा आय	ग xviii							
		Xix	रायल्टी से आय जहां करार 31.3.1961 से 31.3.1976 के मध्य और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क से आय जहां करार 29.2.1964 से 31.3.1976, के मध्य केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। (वित्त विधेयक की प्रथम अनुसूची के पैरा ईII के भाग I)	ग xix							
		xx	धारा 115 कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य धारा 115 कख में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ आई आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xx							
		xxi	धारा 115 कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य धारा 115 कख में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त लाभांश आय	ग xxi							
	xxii	धारा 115 कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य धारा 115 कख में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xxii								
	xxiii	धारा 194 ठग (1) के दूसरे परंतुक में संदर्भित अनिवासी द्वारा प्राप्त आय – 115 क (1) (क) (iik) @ 9% के अधीन प्रभार्य	ग xxiii								
	घ	विशेष दरों पर दावाकृत प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में पास श्रू आय (डॉप डाउन दिया जाए)								2घ	
	ङ	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर दावाकृत प्रभार्य है उपरोक्त 1 और 2 में सम्मिलित राशि (केवल अनिवासी के लिए लागू)								2ङ	
	क्रम सं.	आय की रकम	मद संख्या 1 का, 1 क iii, 1 ख से 1 घ 2 क, 2 ग और 2 घ जो सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
3	धारा 57 के अधीन कटौतीयां (2क, 2ख, 2ग और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित कटौतियों के सिवाय अन्य कटौतियों)										
	क	व्यय/कटौतीयां “ग” में इंदराज के अतिरिक्त				3क					
	ख	अवक्षयण (तभी उपलब्ध यदि आय 1 ग में प्रस्तुत की गई)				3ख					

		ग	धारा 57(1) के अधीन लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल यदि आय 1क(i) और/या 1क(ii) में प्रस्तावित है)	3ग				
		गii	धारा 57(i) के अधीन योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि	3गii				
		घ	योग	3घ				
	4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम				4		
	5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ				5		
	6	सामान्य लागू दर (1 (डीटीएए हिस्से से संबंधित आय कम करने के बाद - 3 + 4 + 5) पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (यदि नकारात्मक है तो सीवाईएलए अनुसूची के 4i में अंकों को रखें)				6		
	7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्यलिखें)				7		
	8	धुड दौड के स्वामियों के क्रियाकलापों से आय						
		क	प्राप्तियां	8क				
		ख	केवल 8क की प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख				
		ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग				
		घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ				
		ङ	अतिशेष(8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 11xvii के अंक प्रविष्ट करें)			8ङ		
	9	“अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय(7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)				9		
	10	अन्य स्रोतों से आय की प्रोभदन/प्राप्ति के बारे में जानकारी						
		क्रसं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक
				(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
		1	धारा 2(24)(ix) में विनिर्दिष्ट लाटरी, वर्ग पहेलियों,दौड, खेलों, घुत,शर्तों इत्यादि से जीती हुई राशि					
		2	धारा 115खखज के अधीन जीती हुई राशि के रूप में आय					
		3क	क्रम सं. 1क(i) में संदर्भित लाभांश पर आय					
		3ख	क्रम संख्या 1क(iii) में विनिर्दिष्ट लाभांश आय					

		4	धारा 115(1)(क)(अ) के परंतुक से भिन्न धारा 115(1)(क)(i) के अधीन 20% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)						
		5	धारा 115(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन 10% दर से लाभांश (पी टी आई आय शामिल)						
		6	धारा 115कग के अधीन 10% की दर से लाभांश आय						
		7	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन किसी एफआईआई द्वारा 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाइयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश के रूप में आय (पी.टी.आई आय सहित)						
		8	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 10% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाइयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभांश के रूप में आय (पी.टी.आई आय सहित)						
		9	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय						

अनुसूची सीवाईएलए चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे

चालू वर्ष हानि समायोजन	क्रम सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालूवर्ष की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्ष की गृहसंपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वर्ष की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्रोतों से चालू वर्ष के लिए मुजरार की गई हानि (दौड़ के और विशेष दर पर कर से प्रभार्य रकम से भिन्न)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय
			1	2	3	4	5=1-2-3-4

i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि आकड़े नकारात्मक हो तभी इस पंक्ति को भरें)		(अनुसूची एच.पी.का 3)	(अनुसूची ख.पी की मद च का 2)	(अनुसूची ओ.एस. का 6)	
ii	गृहसंपत्ति	(अनुसूची एच.पी. का 3)				
iii	बिजनेस धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन खमा बिजनेस से आय तथा सट्टा बिजनेस से आय तथा आय	(अनुसूची ख.पी का क 38)				
iv	धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन खमा बिजनेस से आय	(ख.पी अनुसूची की मद ड का 3iv)				
v	सट्टे से आय	(ख.पी अनुसूची की मद ड का 3ii)				
vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(ख.पी अनुसूची की मद ड का 3iii)				
viiख	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी.की मद ड का 8ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी.की मद ड का 8iv)				
ix	लागूदर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी.की मद ड का 8v)				
x	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी.की मद ड का 8vi)				
xi	12.5 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी. की मद ड का 8viii)				
xii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी.की मद ड का 8x)				
Xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोंतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ओ.एस. की मद 6)				
xiv	दौड के घोड़ों का स्वामित्व रखने और उनके पोषण करने से लाभ	(अनुसूची ओ.एस. की मद 8ड)				
Xv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्त्रोंतों से आय	(अनुसूची ओ.एस. की मद 2ड)				
xvi	मुजरा की गई कुल हानि					
xvii	मुजरे के पश्चात् शेष हानि (i - xvi)					

अनुसूची-बीएफएलए		पूर्व वर्षों की अग्रणीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के ब्यौरे					
अग्रणीत हानि समायोजन	क्रम सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रणीत हानि	मुजरा किया गया अग्रणीत अवक्षयण	मुजरा किया गया , धारा 35(4) के अधीन अग्रणीतमोक (रिबेट)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय
			1	2	3	4	5
	i	गृहसंपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(अग्रणीत यदि गृहसंपत्ति से हानि है)			
	ii	बिजनेस (खमा बिजनेस सट्टा बिजनेस से आय तथा विनिर्दिष्ट बिजनेस से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(अग्रणीत यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है) (टिप्पण :मुजरा की गई अग्रणीत हानि धारा 44खख और धारा 44खखघ के अधीन आय को छोड़कर कारबार आय तक सीमित रहेगी)	(टिप्पण :मुजरा की गई अग्रणीत अवक्षयण धारा 44खख और धारा 44खखघ के अधीन आय को छोड़कर कारबार आय तक सीमित रहेगी)		
	iii	धारा 115 ख के अधीन जीवन खमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(अग्रणीत यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
	iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(अग्रणीत यदि सट्टेबाजी से हानि है)			
	v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(अग्रणीत विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)			
	vi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viख)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			
				(अग्रणीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			

vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			
viii	लागूदर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			
ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			
x	12.5 प्रतिशत 1 की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xख)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है)			
			(अग्रणीत यदि अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है)			
xi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xii)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है)			
xii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiii)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है)			
Xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)				
Xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(अग्रणीत यदि घुड़दौड़ से हानि है)			
xv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xvi)				
Xvi	मुजरा की गई अग्रणीत कुल हानि (2i+2ii+2iii+2iv+2v+2vi+2vii+2viii+2ix+2x+2xi+2xiii)					
xvii	चालू वर्ष की मुजरे के पश्चात् शेष बची हानि योग (5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii+ 5viii + 5ix + 5x+ 5xi +5xii +5xiii+ 5xiv)					

अनुसूची-सीएफएल		भावी के वर्षों के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण											
क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (दिन/मास/ वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	बीमा व्यवसाय से हानि से भिन्न सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से हानि			सट्टे के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	धारा 115ख के अन्तर्गत खमा बिजनेस से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि रेस	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि	
				कारोबार हानि अग्रणी त	धारा 115 खकक के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	वर्ष के दौरान उपलब्ध करोबार हानि के लिए मुजरा अग्रणी त							
1	2	3	4	5क	5ख	5ग =5क -5ख	6	7	8	9	10	11	
I	2010-11												
ii	2011-12												
iii	2012-13												
iv	2013-14												
v	2014-15												
vi	2015-16												
vii	2016-17												
viii	2017-18												
ix	2018-19												
x	2019-20												
xi	2020-21												
xii	2021-22												
xiii	2022-23												
Xiv	2023-24												
Xv	2024-25												
xvi	2025-26												
xvii	पूर्व वर्षों की हानियों का योग ख/ च												
xviii	अनुसूची खएफएल में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची खएफएल ए का 2i)	(अनुसूची खएफएल ए का 2ii)			(अनुसूची खएफएल ए का 2iv)	(अनुसूची खएफएल ए का 2v)	(अनुसूची खएफएल ए का 2iii)			(अनुसूची खएफएल ए का 2xiii)	
Xix	2026-27 चालू वर्ष की हानियाँ		(अनुसूची सीवाईएल ए का 2xviii)	(अनुसूची सीवाईएल ए का 3xvii)			(अनुसूची खपी का ख43, यदि नकारात्मक.)	(अनुसूची खपी का ग49, यदि नकारात्मक.)	अनुसूची खपी का 4ख (यदि नकारात्मक.)	(अनुसूची सीजी की मद ड. का $2ix+3ix+4ix+5ix$)	(अनुसूची सीजी की मद ड. का $(6ix+7ix)$)	(अनुसूची ओएस का 8ड. यदि नकारात्मक.)	

xx	यूनिट धाराकों के मध्य चालू वर्ष हानि वितरित(निवेश निधि के लिए लागू)									
xxi	चालू वर्ष की हानियां अग्रणीत (xviii-xix)									
xxii	भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि(xvii - xviii + xxi)									

अनुसूची - यूडी		धारा 35(4) के अधीन अनामेलित अवक्षयण और भत्ते					
क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रेषित शेष रकम	अग्रणीत अनामेलित भत्ते की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए भत्ते की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रणीत शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष						
ii							
iii							
iv	योग		(खएफएलए का 3xv)			(खएफएलए का 4xv)	

अनुसूची आईसीडीएस		लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव		
क्रम.सं.	आ.स.प्र.मा.	लाभ में वृद्धि (रू.)	लाभ में कमी (रू.)	शुद्ध प्रभाव (रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	लेखा नीति			
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145 क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वहभाग क -ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथकरूप से सूचित किया गया है)			
III	संनिर्माण संविदाएं			
IV	राजस्व मान्यता			
V	मूर्त नियत आस्तियां			
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन			
VII	सरकारी अनुदान			

VIII	प्रतिभूतियां (145 क के अधीन मूल्यांकर की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क -ण के स्तंभ 4घ या 4ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)			
IX	उधार लेने की लागत			
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था			
XI	लाभ पर आई सी डी एस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)			

अनुसूची-10कक		धारा 10कक के अधीन कटौती				
धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती					
	क्र.सं.	उपक्रम	निर्धारण वर्ष जिसमें इकाई निर्माण/उत्पादन करती है	क्र.सं.		रकम
	क	उपक्रम सं. 1		क		(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप56च के उपाबंध अ का मद 17)
	ख	उपक्रम सं. 2		ख		(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप56च के उपाबंध अ का मद 17)
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतीयां(क + ख)				ग

अनुसूची 80छ		धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे					
दान	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	संदान की रकम	संदान के लिए उपयुक्त रकम	यू पीआई अंतरण या चेक संख्या आई एम पी एस/ एन ई एफ टी / आर टी जी एस के लिए निर्देश संख्या संव्यवहार	बैंक का आई एफ एस सी
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii						
	iv	कुल					
ख		बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	संदान की रकम	संदान के लिए उपयुक्त रकम	यू पीआई अंतरण या चेक संख्या आई एम पी एस/ एन ई एफ टी / आर टी जी एस के लिए निर्देश संख्या संव्यवहार	बैंक का आई एफ एस सी

			नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान			
	i							
	ii							
	iii							
	iv	कुल						
ग	अर्हता सीमा के अध्वधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान							
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम	यू पीआई अंतरण या चेक संख्या आई एम पी एस/ एन ई एफ टी / आर टी जी एस के लिए निर्देश संख्या संव्यवहार	बैंक का आई एफ एस सी
			नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान			
	i							
	ii							
	iii							
	iv	कुल						
घ	अर्हता सीमा के अध्वधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान							
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना ए.आर.एन (संदान संदर्भ संख्या)	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम	यू पीआई अंतरण या चेक संख्या आई एम पी एस/ एन ई एफ टी / आर टी जी एस के लिए निर्देश संख्या संव्यवहार	बैंक का आई एफ एस सी
			नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान			
	i							
	ii							
	iii							
	iv	कुल						
ङ	कुल संदान (कiii + खiii + गiii + घiii)							

अनुसूची 80छछक वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान का ब्यौरा							
क.सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन अनुदान का दावा किया गया है (ड्राप डाउन दिया जाए)	संदान आदाता का नाम और पता	संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	अनुदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

अनुसूची 80छछख राजनैतिक दलों को किए अभिदाय के ब्यौरे							
क्रं.सं.	तारीख	अभिदाय की रकम			अभिदाय की पात्र रकम	राजनीतिक दल का नाम	यू पी आई अंतरण की संख्या या बैंक का आईएफ सी कोड
		नकद में अभिदाय	अन्य रीति में अभिदाय	कुल अभिदाय		राजनीतिक दल का पैर	यू पी आई अंतरण की संख्या या बैंक का आईएफ सी कोड
I							
	(पंक्तियां जोड़े)						
	कुल अभिदाय						

अनुसूची 80झकग पात्र स्टार्ट-अप के संबंध में कटौती (केवल तब भरा जाए यदि क19(थ) का उत्तर हां है)					
क्रं.सं.	स्टार्ट अप-के निगमन की तारीख	कारबार की प्रकृति	अंतर मंत्रालय प्रमाणीकरण-बोर्ड से प्राप्त प्रमाण पत्र संख्या	पहली नि. व. जिसमें कटौती का दावा किया गया था	चालू नि. व. के लिए दावा की गई कटौती की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अनुसूची 80ठक अपतट बैंककारी ईकाईयों या आईएफएससी के संबंध में कटौती							
उपधारा जिसमें कटौती का दावा किया गया है।							
क्रं.सं.	ईकाई का प्रकार	ईकाई की आय का प्रकार	रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाला प्राधिकारी	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	रजिस्ट्रीकरण संख्या	पहली नि. व. जिसमें कटौती का दावा किया गया था	चालू नि. व. के लिए दावा की गई कटौती की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(पंक्तियां जोड़ने का विकल्प प्रदान किया जाए)							
कुल							

अनुसूची आरए	अनुसंधान संगम इत्यादि को संदान के ब्यौरे [धारा 35(1)(ii) या 35(1)(iik) या 35(1)(iii) या 35(2कक) के अधीन कटौतियां]

	संदान आदाता का नाम और पता		संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या		संदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
					नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i							
	ii							
	iii	योग						

अनुसूची 80-इक		धारा 80-इक के अधीन कटौतियां					
धारा 80-इक के अधीन कटौतियां	क	धारा 80-इक (4) (i) में विनिर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			क2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	ख	धारा 80-इक(4)(iv) में विनिर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	ख1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			ख2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	ग	धारा 80-इक(4)(v) में विनिर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरूज्जीवन)	ग1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	घ	धारा 80-इक के अधीन कुल कटौती (क 1 + क 2 + ख1 + ख2 + ग1)					घ

अनुसूची 80-इख		धारा 80-इख के अधीन कटौती					
	क	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है [धारा 80-इख(9)]	क1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			क2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	ख	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80-इख(10)]	ख1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			ख2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	ग	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80-इख(11क)]	ग1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			ग2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	घ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80-इख(11क)]	घ1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			घ2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	ङ	धारा 80-इख के अधीन कुल कटौती (क1 से घ 2 का योग)					ङ

अनुसूची- 80-इङ		धारा 80इङ के अधीन कटौतियां		
क		पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती		
कक	असम	कक1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
		कक2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
कख	अरुणाचल प्रदेश	कख1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
		कख2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
कग	मणिपुर	कग1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)

			कग2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	कघ	मिजोरम	कघ1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			कघ2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	कङ	मेघालय	कङ1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			कङ2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	कच	नागालैंड	कच1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			कच2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	कछ	त्रिपुरा	कछ1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			कछ2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	कज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (कक1 से कछ2 का योग)				कज
ख धारा 80झड के अधीन कुल कटौती (कज)						ख

अनुसूची-VI- क		अध्यायVI- क के अधीन कटौतियां			
कुल कटौतियां	1	भाग ख-कतिपय संदाय के बाबत कटौतियां			
	क	80छ		ख	80छछख
	ग	80छछक		घ	80छछग
		भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग + घ)			
					1
	2	भाग ग-कतिपय आय के बाबत कटौती			
	ङ	80झक	(अनुसूची 80झक का घ)	च	80झकख
	छ	80झकग	(अनुसूची 80झकग का 7)	ज	80झख (अनुसूची 80झख का ड)
	झ	80झखक		ञ	80-झड. (अनुसूची 80-आई का ख)
	ट	80ञक		ठ	80ञकक (प्ररूप 10 घक में अनुलग्नक में क्रम सं. 5/(iv) + 5//
	ड	80ठक(1)	(अनुसूची 80 ठक का 9)	ढ	80ठक(1क) (अनुसूची 80 एलए का 9)
	ण	80फ-ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार लाभांश		त	80तक
		भाग ग के अधीन कुल कटौती (कुल ड से त)			
					2
	3	अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतियां (1 + 2)			
					3

अनुसूची एसआई		विशेष दर से प्रभार्य आय			
क्र.सं.	धारा / विवरण	☐	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
1	111क अथवा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (एमएफ उन्मुख शेयर/इकिटी पर एसओसीजी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है)	☐	20	(अनुसूची खएफएलए का भाग 5vi)	
2	115 क घ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ जहां एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30	(अनुसूची खएफएलए का भाग 5vii)	
3	परन्तुक 112(1)(सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/सूचीकरण के साथ इकाइयों पर एलटीसीजी)	☐	12.	(अनुसूची खएफएलए का भाग 5xi)	
4	112(1)(ग)(ii) (गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची खएफएलए का भाग 5x)	
5	115 क ख (अनिवासीयों के लिए धारा 115कख में विनिर्दिष्ट इकाइयों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	12.5	(अनुसूची खएफएलए का भाग 5x)	
6	115कग (बांड/जीडीआर पर अनिवासी के लिए एलटीसीजी)	☐	12.5	(अनुसूची खएफएलए का भाग 5x)	
7	115 क घ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची खएफएलए का भाग 5x)	
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	12.5	(अनुसूची खएफएलए की धारा भाग 5x)	
9	112क (शेयरों या यूनिटों की बिक्री पर एलटीसीजी जिस पर एसटीटी का भुगतान किया जाता है) या धारा 115कघ(1)(घ)(iii)- परन्तुक	☐	12.5	(अनुसूची खएफएलए का भाग 5x)	
10	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एसटीसीजी	☐		(अनुसूची खएफएलए का 5ix)	
11	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एलटीसीजी	☐		(अनुसूची खएफएलए का भाग 5xii)	
12	115ख (जीवन खमा कारबार के लाभ और अभिलाभ)	☐	12.5	(अनुसूची खएफएलए का 5iii)	
13क	115कग (विदेशी करसी में क्रय किए गए बंधपत्रों से प्राप्त ब्याज से अनिवासी की आय)	☐	10	(अनुसूची ओ.एस. का भाग 2ग x)	
13ख	115कग (अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय)	☐	10	(अनुसूची ओ.एस. का भाग 2ग xi)	
14	115 खख (लॉटरी, वर्गपहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओ.एस. का 2क)	
15	115खखज (ऑनलाइन खेलों से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओ.एस. का 2कख)	
16	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)				
	क कारबार या वृत्ति से आय	☐	30	(अनुसूची ख.पी का 3च)	
	ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन आय	☐	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)	
17	115 खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ)	☐	60	(अनुसूची ओ.एस. का 2ख)	
18	115क(1)(ख)(क) तथा 115क(1)(ख)(ख)(रायल्टी तथा तकनीकी सेवाओं हेतु फीस से विदेशी कंपनी की आय)	☐	20	(अनुसूची ओ.एस. का भाग 2ग xix)	
19	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ख.पी का 3घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओ.एस का 2ग xvii)	
20	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ख.पी का 3ड)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओ.एस का 2ग xviii)	
21	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	☐		(अनुसूची खएफएलए की धारा का भाग 5xi)	

22	20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थ्रू आय	□	20	(अनुसूची खएफएलए का भाग 5viख)	
23	30 प्रतिशत की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थ्रू आय	□	30	(अनुसूची खएफएलए का 5vii का भाग)	
24	112क के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में पास थ्रू आय	□ □	12.5	(अनुसूची खएफएलए का भाग 5xख)	
25	12.5 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थ्रू आय	□	12.5	(अनुसूची खएफएलए का 5xi का भाग)	
26	विशेष दरों से प्रभार्य अन्य स्रोतों की प्रकृति की पास थ्रू आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में डाप डाउन प्रदान किया जाना है)	□		(अनुसूची ओ.एस का 2घ)	
27	एक विदेशी (आफ शोर) निधि द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदी गई यूनिटों के बारे में प्राप्त की गई आय-115कख(1)	□	10	(अनुसूची ओ.एस का 2ग x)	
28	रायल्टी से आय जहां 31.3.1961 से 31.3.1976 के खच करार किया गया और तकनीकी सेवाओं से फीस से आय जहां करार 29.2.1964 से 31.3.1976, के खच किया गया और करार का केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।। वित्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 का पैरा ड. II	□	50	(अनुसूची ओ.एस का 2ग xix)	
29	अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्य होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्रॉप-डाउन दिया जाएगा)	□		(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग)	
			योग		

अनुसूची झ.च अनिगमित संस्थाओं में निवेश के संबंध में सूचना

संस्था जिसमें निवेश किया गया	संस्थाओं की संख्या जिसमें निवेश किया गया है									
	क्रम सं.	संस्था का नाम	संस्था का प्रकार	संस्था का पैन	क्या संस्था परीक्षा के लिए उत्तरदायी है? (हां/नहीं)	क्या संस्था पर धारा 92ड़ लागू होती है? (हां/नहीं)	संस्था के लाभ में शेयर प्रतिशत	लाभ की शेयर राशि	ब्याज की देय या प्राप्त राशि	संस्था में 31 मार्च को पूंजीगत शेष
								i	ii	iii
	1									
	2									
3										
4	कुल									

अनुसूची-छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (वह आय जो कुल आय में सम्मिलित नहीं है या कर से प्रभार्य नहीं है।)

1	ब्याज से आय		1	
2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	i	
	ii	कृषि पर उपगत व्यय	ii	
	iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनामेलित कृषि हानि	iii	
	iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) तथा 8से संबंधित कृषि आय (अनुसूची ख.पी के क्रम सं. 39 से)	iv	
	v	वर्ष (i-ii-iii+iv) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य विनिर्दिष्ट करें)	2	
	vi	यदि वर्ष के लिए कृषिगत आय 5 लाख ₹0 से अधिक है तो, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए (प्रत्येक कृषिगत भूमि के लिए अलग से ब्यौरा दीजिए)		
	क	जिला का नाम पिन कोड सहित, जहाँ कृषिगत भूमि है		
	ख	एकड़ में कृषिगत भूमि का नाम		
	ग	क्या कृषिगत भूमि का स्वामित्व रखते हैं या पट्टा पर ली है (डाप डाउन दिया जाए)		
	घ	क्या कृषिगत भूमि सिंचित है या वर्षा पर आश्रित है (डाप डाउन दिया जाए)		

छूट प्राप्त आय	3	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया उल्लेख करें) (3क+3ख)					3	
	क	धारा 10(15ख), 10(23चख), 10(23चखक), 10 (23चग), 10(23चगक), 10(23चड), 10(23चच), 10(4घ) के अधीन आय (कृपया प्ररूप दाखिल करने की तारीख तथा पावती संख्या का विवरण प्रदान करें (यदि 10(23चच और 10(4घ) के अधीन दावा किया गया है।) के अधीन ड्रापडाउन प्रदान करें तथा पंक्ति विकल्प शामिल करें।				3क		
	ख	कोई अन्य आय (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)- प्रदत्त आय की प्रकृति वर्णन करें।				3ख		
	4	डी.टी.ए.ए के अनुसार आय जो कर से दावाकृत प्रभार्य नहीं है (केवल अनिवासियों के लिए लागू)						
	क्र.सं;	आय की राशि	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष	क्या टीआरसी लिया गया है (हाँ/ना)	
	I							
	II							
	III	डीटीएए से कुल आय जो कर से प्रभार्य नहीं है					4	
	5	पास धु आय जो कर से दावाकृत प्रभार्य नहीं है (अनुसूची पीटीआई)					5	
	6	योग (1+2+3 +3 +4+5)					6	

अनुसूची पीटीआई		धारा 115प, 115पक और 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे							
क्रम	धारा 115प/ 115पक/115पख में निवेशित	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आयकाशीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश निधि वितरित चालू वर्ष हानि का शेयर	निवल आय/हानि 9=7-8	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
पास के माध्यम से आय	1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाएगा)		i	गृह संपत्ति				
				ii	पूँजी अभिलाभ				
					क	अल्पकालिक अवधि			
					कi	धारा 111क			
					कii	अन्य			
					ख	दीर्घकालिक अवधि			
					खi	धारा 112क			
					खii	धारा 112क			
				iii	अन्य स्त्रोत				
					क	लाभांश			
					ख	अन्य			
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
					क	धारा 10(23चखख) के अधीन			

						ख	धारा के अधीन					
						ग	धारा.....के अधीन					
2.						i	गृह संपत्ति					
						ii	पूँजी अभिलाभ					
							क	अल्पकालिक अवधि				
							कi	धारा 111क				
							कii	अन्य				
							ख	दीर्घकालिक अवधि				
							खi	धारा 112क				
							खii	धारा 112क से भिन्न				
						iii	अन्य स्रोत					
							क	लाभांश				
							ख	अन्य				
						iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
							क	धारा 10(23 चखख) के अधीन				
ख	धारा के अधीन											
ग	धारा.....के अधीन											

अनुसूची एमएटी		धारा 115 जख के अधीन संदेय न्यूनतम वैकल्पिक कर की संगणना	
न्यूनतम वैकल्पिक दर	1	क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	☐
	2	यदि 1 ना है तो क्या लाभ और हानि लेखा प्रकार की कंपनी को शासित करने वाले अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	☐
	3	क्या उपरस्तंभ 7 में विनिर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए समान लेखा नीतियों, लेखा मानक का अनुपालन किया गया और अवक्षयण की संगणना करने के लिए दरों की समान पद्धति कंपनी वार्षिक साधारण निकाय बैठक में कंपनी के समक्ष अधिकथित तैयार लेखा के लिए भी अपनाई गई है? (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	☐
	4	लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित कर पश्चात् लाभ भाग क पी एंड एल की मद 56 प्रविष्ट करें/ (भाग क-पी एल आईएनडी ए एस की मद 56 में प्रविष्ट करें) (जो लागू हो)	4
5	योग (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है)		
	क	आस्थगित कर की रकम और उसके लिए उपबंध समेत संदत्त या संदेय आय कर या उस का उपबंध (एफखटी से भिन्न)	5क
	ख	आरक्षिति (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय)	5ख
	ग	अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध	5ग
	घ	समानुंगी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध	5घ
	ङ	संदत्त या प्रस्तावित लाभांश	5ङ

	च	धारा 10, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	5च		
	छ	एओपी/खओआई की आय में शेयर से संबंधित व्यय पर जिस पर धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं है	5छ		
	ज	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चख) में विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में व्यय	5ज		
	झ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चग) में विनिर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि	5झ		
	ञ	115खखच के अधीन कर पर प्रभार्य पेटेंट की बाबत स्वामित्व के मद्धे आय से संबंधित व्यय	5ञ		
	ट	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षयण	5ट		
	ठ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में विनिर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर अभिलाभ	5ठ		
	ड	अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित)	5ड		
	ढ	कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ+5च+5छ +5ज+5झ+5ञ+5ट+5ठ + 5ड)	5ढ		
6	कटौतियां				
	क	आरक्षिति से निकाली गई रकम या यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है तो उपबंध	6क		
	ख	धारा 10, , 11 और 12 के अधीन आय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़ कर छूट प्राप्त आय)	6ख		
	ग	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति और लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम से निकाली गई उससीमा तक जब तक आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होने की सीमातक	6ग		
	घ	एओपी/ खओआई की आय में अंश जिस पर लाभ या हानि लेखा खाते में जमा धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं है	6घ		
	ङ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiघ) में विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में आय	6ङ		
	च	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiङ) में विनिर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि	6च		
	छ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में विनिर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर हानि	6छ		
	ज	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiछ) में विनिर्दिष्ट स्वामित्व के मद्धे आय	6ज		
	झ	अग्रनित की गई हानि या गैर आमेलित अवक्षयण जो भी कम हो या दोनों जो भी लागू हो ।	6झ		
	ञ	रूग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ जो शुद्ध लाभ के बराबर या एक एकलिखित हानियों से अधिक है *	6ञ		
	ट	अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और लाभ और हानि लेखा में जमा किए गए आस्थगित कर की रकम सहित)	6ट		
	ठ	कुल कटौतियां (6क+6ख+6ग+6घ+6ङ +6च+6छ +6ज +6झ+6ञ+6ट)	6ठ		
7	धारा 115अखके अधीन कुललाभ (4+ 5ढ – 6ठ)				
7					
8	क्या कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (आईएनडी-एस) के अनुपालन में कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, यदि हां तो नीचे ब्यौरे प्रस्तुत करें ।				
	क. धारा 115अख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन अतिरिक्त खाता लाभ				

	क	शीर्ष वे मर्दे, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8क		
	ख	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8ख		
	ग	धारा 115जख(2ग) में यथा विनिर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ग		
	घ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8घ		
	ङ	कुल जोड़ (8क + 8ख + 8ग + 8घ)	8ङ		
	ख. धारा 115जख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन खाते से कटौती				
	च	शीर्ष वे मर्दे, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8च		
	छ	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8छ		
	ज	धारा 115जख(2ग) में यथा विनिर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ज		
	झ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8झ		
	ञ	कुल जोड़ (8च + 8छ + 8ज + 8झ)	8ञ		
9	धारा 115जख (7 + 8ङ - 8ञ) के अधीन समझी गई कुल आय		9		
	क	धारा 115जख के अधीन आई.एफ.एस.सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	9क		
	ख	धारा 115जख के अधीन इकाईयों (9-9क) के अतिरिक्त समायोजित कुल आय	9ख		
10	धारा 115झख के अधीन संदेय कर [(9क) का 9% + (9ख) का 15%]		10		

अनुसूची एमएटीसी		धारा 115 जककके अधीन कर प्रत्यय की संगणना				
1	निर्धारण वर्ष 2026-27 में धारा 115जख के अधीन कर (भाग खटीटीआई का 1घ)				1	
2	निर्धारण वर्ष 2026-27 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर (भाग खटीटीआई का 2छ)				2	
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध प्रत्यय उपलब्ध है [यदि 2 1 से बढ़ा है तो (2-1) प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें]				3	
4	उपलब्ध एमएटी प्रत्यय का उपयोग [चालू वर्ष के दौरान उपयोग किए गए एमएटी प्रत्यय की राशि उपर 3 में वर्णित रकम के अधिकतम के अध्वधीन है और अग्रणीत एमएटी प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं हो सकती]					
क्रम सं.	निर्धारणवर्ष (क)	एमएटी प्रत्यय			चालू वर्ष के लिए एमएटी प्रत्यय (ग)	अग्रणी तब का या एमएटी प्रत्यय (घ) [घ = ख3 - ग]
		सकल (ख1)	पूर्व के वर्षों में मुजरा किए गए (ख2)	अग्रणीत अति शेष (ख3) = (ख2) - (ख1)		
i.	2011-12					
ii.	2012-13					
iii.	2013-14					
iv.	2014-15					
v.	2015-16					
vi.	2016-17					
vii.	2017-18					

	viii.	2018-19					
	ix.	2019-20					
	x.	2020-21					
	xi.	2021-22					
	xii.	2022-23					
	xiii.	2023-24					
	xiv.	2024-25					
	xv.	2025-26					
	xvi.	2026-27 [(का क्रम संसं1 -क्रम सं2)- अनुसूची भाग ख का क्रम सं 6ग-2च) टीटीआई केवल यदि सकारात्मक है)					
	xvii.	योग					
5	वर्ष के दौरान उपयोग की गई धारा 115जकक के अधीन कर प्रत्यय की रकम [4ग (xvi) प्रविष्ट करें]						5
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों में प्रत्यय के लिए उपलब्ध एमएटी दायित्व की रकम [4(घ) xviii प्रविष्ट करें]						6

अनुसूची टीपीएसए

ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार धारा 92 गड़ (2क) में द्वितीयक समायोजन पर कर का विवरण

धारा 92गड़(2क)के अनुसार द्वितीय समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड़(2क) के अन्तर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है तथा ऐसी जयादा राशि निर्धारित समय के भीतर प्रत्यावर्तित नहीं की गई है (कृपया समस्त नि. वर्षों के संबंध में किए गए समायोजन का कुल योग इंगित करें)						
	2	क	उपरोक्त पर 18% की दर से देय अतिरिक्त आय कर					
		ख	क पर 12% की दर से अधिभार					
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर					
		घ	(क+ख+ग) पर देय कुल अतिरिक्त कर					
	3	अदा किए गए कर						
	4	(2घ-3) देय निवल कर						
	5	धारा 92गड़(2क) के अनुसार द्वितीय समायोजन पर कर के जमा करने की तारीख	दिनांक 1	दिनांक 2	दिनांक 3	दिनांक 4	दिनांक 5	दिनांक 6
			(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)
	6	बैंक तथा शाखा का नाम						
	7	खएसआर कोड						
	8	चालान की क्रम सं.						
	9	जमा की राशि						

अनुसूची 115नघ		धारा 115 नघ के अधीन सहवर्धी आय	
1	विनिर्दिष्ट व्यक्ति के सकल आस्ति का उचित बाजार मूल्य	1	

2	घटना: विनिर्दिष्ट व्यक्ति का सकल दायित्व				2		
3	आस्तियों का शुद्ध मूल्य (1-2)				3		
4	(i)	धारा 10(1) में विनिर्दिष्ट आय से प्रत्यक्षता अधिगृहित आस्तियों का उचित बाजार मूल्य	4i				
	(ii)	निर्मिति या स्थापन की तारीख से धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख की अवधि के दौरान अधिगृहित आस्तियों का उचित बाजार मूल्य, यदि धारा 11 और धारा 12 के अधीन उक्त अवधि के दौरान फायदे का दावा नहीं किया गया है।	4ii				
	(iii)	धारा 115नघ(2) के तीसरे परंतुक अनुसार हस्तांतरित आस्तियों का उचित बाजार मूल्य	4iii				
	(iv)	कुल (4i+4ii+4iii)			4iv		
5	उपरोक्त 4 पर आस्तियों के संबंध में दायित्व				5		
6	धारा 115 नघ के अनुसार आय {3-(4iv-5)}				6		
7	अधिकतम मार्जिनल दर पर धारा 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय कर				7		
8	धारा 115नघ के अधीन संदेय ब्याज				8		
9	धारा 115नघ के अधीन विनिर्दिष्ट अतिरिक्त आय कर				9		
10	संदेय अतिरिक्त आयकर और ब्याज				10		
11	संदत्त कर और ब्याज				11		
12	शुद्ध संदाय (10-11) (नकारात्मक होने पर 0 लिखें)				12		
13	आय पर जमा किए गए कर की तारीख				दिनांक 1 डीडी/एमएम/वाईवाई	दिनांक 2 डीडी/एमएम/वाईवाई	दिनांक 3 डीडी/एमएम/वाईवाई
14	बैंक और ब्रांच का नाम						
15	ख एस आर कोड						
16	चालान का क्रम संख्यांक						
17	जमा की गई राशि						

अनुसूची- एफएसआई		भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत(निवासी के मामले में ही उपलब्ध)								
भारत के बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत	क्र. सं.	देश कोड (ई-फाईलिंग यूटिलिटी में डापडाउन दिया जाएगा)	कर संदाय कर्ता की पहचान संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	भारत के बाहर से आय (भाग खटीआईमें सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन इस आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत(ड.)=(ग) या (घ) जो भी कम हो	डीटीएए का संबंधित अनुच्छेद यदि राहत का दावा धारा 90 या 90 क के अधीन किया गया है
					(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)
	1			i	गृह संपत्ति					
				ii	कारबार या व्यवसाय					
				iii	पूंजी अभिलाभ					
				iv	अन्य स्रोत					
					योग					
	2			i	गृह संपत्ति					
				ii	कारबार या व्यवसाय					
				iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत						
				योग						

क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ3	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
अ4	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य खमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें खमा संविदा की गई का नाम		वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य		अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		
(i)												
(ii)												
ख	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या

(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
क्रसं .	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
क्रसं .	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदा प्रदस्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												

[illegible]

अनुसूची एसएच-1		असूचीबद्ध कम्पनी की शेयर धृति (एक कंपनी से भिन्नि जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन पंजीकृत है अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 3(2) के अन्तर्गत गारंटी द्वारा एक कंपनी लिमिटेड अथवा एक स्टार्टअप जिसके लिए अनुसूची एसएच-2 भरा जाना है को छोड़कर)									
यदि आप असूचीबद्ध कम्पनी है, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें:-											
पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धृति का ब्यौरा											
शेयर धारक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन / आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्राप्त रकम			
पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आबंटन के लिए लंबित साधारण शेयर आवेदन धनराशि का ब्यौरा											
आवेदक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आवेदन की तारीख	आवेदन किये गए शेयरों की संख्या	प्राप्त आवेदन धनराशि	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रस्तावित निर्गमन कीमत			
ऐसे शेयर धारक का ब्यौरा जो पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारक नहीं है परन्तु पूर्व वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय शेयर धारक था											
शेयर धारक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्राप्त रकम	आबंटन की तारीख	तारीख जिसको शेयर धारक के लिए समाप्त किया गया	समाप्ति का माध्यम	नए शेयर धारक के पैन के अंतरण की दशा में

अनुसूची एसएच-2		स्टार्ट-अप की शेयर धृति									
यदि आप वह स्टार्ट-अप है जिसने डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019, के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है कृपया शेयर धारण के ब्यौरे प्रस्तुत करें:-											
पूर्व वर्ष की समाप्ति पर यथा शेयर धृति का ब्यौरा											
शेयर धारक का नाम	शेयर धारक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय)			शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य	शेयर प्रीमियम
पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आबंटन के लिए लंबित साधारण शेयर आवेदन धनराशि का ब्यौरा											

[illegible]

घ	असूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्यौरा													
	कंपनी का नाम	पेन	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर		अंत अतिशेष		
			शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	अभिदान/ क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत	
ङ	अन्य प्रतिभूतियों के ब्यौरे													
	प्रतिभूतियों के प्रकार	क्या सूचीबद्ध या असूचीबद्ध है	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित की गई प्रतिभूतियां					वर्ष के दौरान अंतरित की गई प्रतिभूतियां		अंत अतिशेष		
			प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	प्रतिभूतियों की संख्या	अभिदान/ क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रतिभूतियों की निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति प्रतिभूति क्रय कीमत (विद्यमान धारक से क्रय की दशा में)	प्रतिभूतियों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	
च	अन्य अस्तित्व को पूंजी अभिदाय के ब्यौरे													
	अस्तित्व का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान अभिदाय की गई रकम	वर्ष के दौरान निकाली गई रकम	वर्ष के दौरान विकलित या जमा किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ ब्याज की रकम			अंत अतिशेष					
छ	किसी अन्य समुत्थान को उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहूकारी निर्धारिती का सार्वान कारवार नहीं है)													
	व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष		प्राप्त रकम		संदत्त रकम	जमा किया गया ब्याज, यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)				
ज	मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे													
	आस्ति का विवरण		बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.		अर्जन की कीमत		अर्जन की तारीख		प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रोप-डाउन दिया जाए)					
झ	आभूषण, पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोने- चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा													

[illegible]

अनुसूची ए.एल-2

वर्ष के अंत में आस्तियां और दायित्व (केवल स्टार्ट-अप के लिए लागू)

		यदि आप एक ऐसे स्टार्ट-अप हैं जिसमें डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है, कृपया निगमन की तारीख से वर्ष के अंत तक की अवधि के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :-						
आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे	क	निगमन से अर्जित आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे						
	क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (रु.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	(i)							
	(ii)							
	ख	निगमन से अर्जित आवासीय घर न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे						
	क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (रु.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	(i)							
	ग	निगमन से दिए गए उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहूकारी निर्धारिती का सारवान कारवार नहीं है)						
	व्यक्ति का नाम	पैन	तारीख जिसको उधार और अग्रिम दिए गए हैं	उधारों और अग्रिमों की रकम	रकम	क्या उधार और अग्रिम का प्रतिसंदत हो गया है, यदि हां तो ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	ब्याज की दर यदि कोई हो
घ	निगमन से अन्य अस्तित्व को किए गए पूंजी अभिदाय के ब्यौरे							

	अस्तित्व का नाम	पैन	तारीख जिसको पूंजी अभिदाय किया गया है	अभिदाय की रकम	निकाली गई रकम यदि कोई हो	वर्ष के दौरान विकलित या प्रत्यय किए गए लाभ/हानि/लाभांश/ब्याज की रकम	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
ड	शेयरों और प्रतिभूतियों के अर्जन के ब्यौरे							
	कंपनी/अस्तित्व का नाम	पैन	शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रकार	अर्जित शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो
च	मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे, जिसकी वास्तविक कीमत निगमन से अर्जित दस लाख रुपयों से अधिक है							
	आस्ति का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	अर्जन की कीमत		अर्जन की तारीख	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	
छ	निगमन से अर्जित आभूषणों का ब्यौरा							
	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
ज	निगमन से अर्जित पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोना चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा							
	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
झ	दायित्वों के ब्यौरे							
	वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे							
	व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	विकलित ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)

अनुसूची जीएसटी		आवर्तन/ रिपोर्ट की गई सकल रसीद के संबंध में सूचना	
जीएसटी का ब्यौरा	क्र.सं.	जीएसटीआईएन (सं.)	फाइल की गई जीएसटी विवरणी (विवरणियों) के अनुसार जाबक पूर्तियों का वार्षिक मूल्य
	(1)	(2)	(3)
टिप्पण▶	कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन संख्या के लिए पृथक रूप से सूचना उपर प्रस्तुत करें		

अनुसूची एफ.डी		विदेशी करेंसी में संदाय/प्राप्ति के ब्यौरे (निर्धारित जो धारा 44कख के अधीन लेखों की संपरीक्षा करवाने हेतु दायी नहीं है)	
करेंसीवार ब्यौरे	क्रम सं.		रकम (रुपयेमें)
	i	पूँजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान किए गए संदाय	
	ii	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान किए संदाय	
	iii	पूँजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	
	iv	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	

भाग – ख

भाग ख-कुल आय		कुल आय की संगणना	
कुल आय	1	गृहसंपत्ति से आय (अनुसूची गृहसंपत्ति का 3) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	1
	2	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानिसट्टे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि	
	i	सट्टे का कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -खपी का क 38) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	2i
	ik	कच्चे हीरे बेचने के पात्र कारबार से विदेशी कंपनी की आय (नियम 10नझक देखें)(अनुसूची खपी की सारणी ड. का 3ivक)	2ik
	ii	सट्टे का कारबार से लाभ हानि अनुसूची खपी की तालिका च के 3(iii)(यदि हानिक हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल के आंकडे लें)	2ii
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची खपी की तालिका च का 3(iii)(यदि हानि हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल का आंकडे लें)	2iii
	iv	विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय(अनुसूची ख.पी की तालिका च का 3घ, 3ड, 3च और 3ख)	2iv
	v	कुल(2i + 2ik + 2ii + 2iii + 2iv)	2v
	3	पूँजी अभिलाभ	
	क	अल्पकालिक	
	i	अल्पकालिक प्रभार्य 20% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड. के 8ii)	कix
	ii	अल्पकालिक प्रभार्य 30% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड. के 8iii)	कii
	iii	लागूदर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी की मद ड. के 8iv)	कiii
	iv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्प-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड की 8v)	कiv
	v	कुल अल्पकालिक (कi + कii + कiii + कiv) (यदि हानि तो शून्य प्रविष्ट करें)	3कv
	ख	दीर्घकालिक	
	i	दीर्घकालिक प्रभार्य 12.5% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 8vi)	खi
	ii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड की 8vii)	खii
	iii	कुल दीर्घकालिक (खi + खii) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें)	खiii
	ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ की राशि (3कv + 3खiii) (यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)	3ग

	घ	धारा 115खख के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)	3घ		
	ङ	कुल पूंजीगत अभिलाभ (3ग + 3घ)	3ङ		
4	अन्य स्रोतों से आय				
	क	साधारण लागू दरों पर कर से प्रभार्य स्रोतों से अन्य शुद्ध आय(अनुसूची ओएस का 6) (यदि हानि है तो शून्यप्रविष्टकर)	4क		
	ख	आय पर प्रभार्य कर विशेषदर पर (अनुसूची ओएस का 2)	4ख		
	ग	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख-रखाव के क्रिया कलापों से आय(अनुसूची ओएस का 8ङ) (यदि हानि है तो शून्यप्रविष्टकरें)	4ग		
	घ	कुल(4क+ 4ख+ 4ग)	4घ		
5	शीर्ष-वार आय का योग (1 + 2व + 3ङ+ 4घ)			5	
6	5 के लिए मुजरे के चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची सीवाईएलए का कुल2खvi, 3खvi तथा4खvi)			6	
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा करने के पश्चात् अतिशेष (5--6) अनुसूची सीवाईएलए के स्तंभ 5 के क्रम सं (ii), (iii), (v) से (xv) तक का योग + 4ख + 2iv)			7	
8	7 के विरूद्ध मुजरा किए जाने योग्य अग्रणीत की गई हानि (खएफएलए अनुसूची का कुल 2ख, 3ख तथा4ख)			8	
9	सकल कुल आय (7--8) (अनुसूची खएफएलए के स्तंभ 5 के क्रम सं (i), (ii), (iv) से (xiv)तक का योग + 4ख + 2iv)			9	
10	9 में सम्मिलित, धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन आय पर विशेष दर से प्रभार्य कर			10	
11	अध्याय 6 के अधीन कटौतीयां				
	क	अनुसूची 6क का भाग ख/अनुसूची 1/क का 1 तथा खएफएलए के स्तम्भ 5 के i+ii+iv+v+viii+xii+xiii तक सीमित	11क		
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग (अनुसूची 1/क का 2)	11ख		
	ग	कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित)	11ग		
12	धारा 10कक के अधीन कटौतीयां (योग अनुसूची 10कक)			12	
13	कुल आय (9- 11ग -12)			13	
14	विशेष दर पर आय पर प्रभार्य कर (अनुसूची एस आई के (i) का योग)			14	
15	मामूली दर पर आय पर प्रभार्य कर (13 - 14)			15	
16	शुद्ध कृषि आय /दर प्रयोजन के लिए कुल अन्य (अनुसूची ईआई का 2व)			16	
17	चालू वर्ष की हानिया जो अग्रणीत की जानी है (अनुसूची सीएफएल का xx) का योग)			17	
18	धारा 115 जख के अधीन समझी जाने वाली कुल आय (अनुसूची एमएटी का 9)			18	
भाग ख – टीटीआई कुल आय पर कर दायित्व की संगणना					
कर दायित्व की संगणना	1	क धारा 15जख के अधीन समझी जानी वाली कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 10)	1क		
		ख उपर(क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1ख		
		ग उपर (1क+1ख) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	1ग		
		घ धारा 115जख के अधीन संदेय कुलकर (1क + 1ख + 1ग)	1घ		
	2	कुल आय पर संदेय कर			
		क भाग ख- टीआई की मद 15 पर दरों पर कर	2क		
		ख विशेष दरों पर कर (अनुसूची एसआई (ii) का योग)	2ख		
		ग (2क + ख) कुलआय पर संदेय कर	2ग		
		घ अधिभार			
		i एस.आई अनुसूची 16(ii) का 25%	2घi		
	ii एस.आई अनुसूची का 16(ii) - 2ग)	2घii			

		iii कुल(i + ii)			2घiii		
	ड	(2ग+2घiii) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर			2ड		
	च	सकल कर दायित्व (2ग+2 घiii +2ड)			2च		
3	सकल संदेय कर (1घ और 2छ की उच्चतर प्रविष्ट करें)				3		
4	पूर्व वर्षों में धारा 115 जकक के अधीन जमा संदत्त कर (यदि 2छ 1घ से अधिक होतो)(एमएटीसीअनुसूची का 5)				4		
5	धारा 115जकक के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर [(3 - 4)]				5		
6	कर अनुतोष						
	क	धारा 90/90क (अनुसूची टीआर का 2)	6क				
	ख	धारा 91 (अनुसूची टीआर का 3)	6ख				
	ग	कुल (6क + 6ख)		6ग			
7	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य प्रविष्ट करें)				7		
8	संदेय ब्याज और फीस						
	क	विवरणी देने में चूक के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क				
	ख	अग्रिम कर में भुगतान में चूक के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख				
	ग	अग्रिम कर आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग				
	घ	आय विवरणी प्रस्तुत न करने पर चूक के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ				
	घक	आय का संशोधित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए शुल्क (धारा 234-घ)	8घक				
	ड	कुल संदेय ब्याज (8क+8ख+8ग +8घ+8घक)		8ड			
9	सकल दायित्व (7 + 8ड)				9		
देय कर	10	संदत्तकर					
		क	अग्रिम कर (18क के स्तंभ 5 से)	10क			
		ख	टीडीएस (18ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख			
		ग	टीसीएस (18ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग			
		घ	स्वनिर्धारण कर (18घ के स्तंभ 5 से)	10घ			
	ड	कुलसंदत्तकर (10क+10ख+10ग +10घ)		10ड			
11	संदेय रकम (9 - 10ड) (यदि 9 10ड से अधिक है तो शून्य प्रविष्ट करें)				11		
12	प्रतिदाय (यदि 10ड 9 से अधिक है)				12		
बैंक खाता	13	धारा 115नड. के अधीन संदेय ब्याज सहित धारा 115नघ के अधीन आय पर संदेय शुद्ध कर (अनुसूची 115नघ का क्रं.स. 12)				13	
	14	क्रं.स. 12(13-12) पर प्रतिदाय के समायोजन के पश्चात् धारा 115नघ के अधीन संदेय कर				14	
	15	क्रं.स. 14(12-13) के अनुसार समायोजन के पश्चात् शुद्ध प्रतिदाय (यदि कोई प्रतिदाय हो तो सीधे बैंक खाते में जमा किया जाएगा)				15	
	16	क्या आपका भारत में कोई बैंक खाता है					
	(क)	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमैट खाते को छोड़कर)					
		क्रम सं.	यदि बैंक खाता भारत में है तो बैंक का आई.एफ.एस.सी कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	खाता का प्रकार (ई- फाईलिंग उपयोगिता द्वारा डाउनलोड उपलब्ध कराया जायेगा)	रिफंड क्रेडिट के लिए खाता चुनें (कम से कम एक खाते पर निशान लगाएं ✓)
		i					☐
	ii					☐	

	टिप्पणः 1) निष्क्रिय खाते को छोड़कर, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी है। 2) यदि एक से अधिक खाते चुने गए हैं, तो रिटर्न की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिफंड किसी एक मान्य खाते में जमा कर दिया जाएगा। आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है।				
	(ख) अनिवासी: अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत कर सकते हैं				
	क्रम सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश का नाम(लोकेशन)	आई.ख.ए.एन
	यथा अपेक्षित पंक्ति बढ़ाई जा सकती है				
17	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी लेखा में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)				☐ हां ☐ नहीं

18 अनुसूची-आय कर									
क अग्रिम कर और आयकर के स्वतः निर्धारण कर संदाय के ब्यौरे									
कर संदाय	क्रम.सं०	खएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रूपएमें)				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
	i								
	ii								
	iii								
टिप्पण--भाग ख—टीडीआई की क्रम सं. 1/क और 1/घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर प्रविष्ट करें *									
ख	स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ/16ड के अनुसार]								
क्र. सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस प्रत्यय नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति है	अन्य व्यक्ति का पैन/आधार सं.(यदि टीडीएस प्रत्यय दूसरे व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरायेदार/क्रेता का पैन/आधार सं.	वह धारा जिसके अधीन टीडीएस काटा जाता है	अग्रेषित किया गया अदावाकृत टीडीएस (ख/एफ)	चालू वित्त वर्ष का टीडीएस(वित्त वर्ष 2025-26के दौरान काटा गया टीडीएस)	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया। प्रस्तावित समान रसीद/आहरण	तदनुरूपी रसीद/आहरण प्रस्तुत की गई	अग्रेषित किया जा रहा टीडीएस प्रत्यय

					वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	टीडीएस ख/एफ	अपने हाथों में की गई कटौती	नियम 37खक(2) (यदि लागू हो)	अपने हाथों में किया गया दावा	नियम 37 खक(2) के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)	सकल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4क)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								आय	टीडीएस	आय	टीडीएस	पैन/आधार सं.	
i													

टिप्पण▶ कृपया भाग ख-टीटीआई के स्तंभ-9 में 10ख के योग को प्रविष्ट करें

ग	स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप27घ के अनुसार]										
आय के स्रोत पर संग्रहणकर्ता	क्र. सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस नियम 37-आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्तितट	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण अकाउंट नंबर	अन्य व्यक्ति का पैन(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	अग्रणीत अदावाकृत टी.सी.एस		चालू वित्त वर्ष का टी.सी.एस (वित्त वर्ष 2025-26के दौरान संग्रहित टीसीएस)		इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		टी.सी.एस जमा आगे लाया गया
					वित्तीय वर्ष जिसमें सं० संग्रहीत कियागया	अग्रणीत रकम	स्वयं संग्रहित किया	नियम 37- आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा	स्वयं दावा किया गया	नियम 37- आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि अनुप्रयोज्य हो)	
	(1)	(2)(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	(6ii)	(7)(i)	(7)(ii)	(8)
	i										टीसीएस पैन
ii											
टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-टीटीआई के 10ग में स्तंभ (7) का योग भरें											

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री.....यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और इसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं यह और घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं.....(ड्रोप-डाउन दिया जाए)की हैसियत से यह विवरणी दे रहा/रही हूँ और इस विवरण को देने और इसका सत्यापन करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी लेखा संख्यांक.....धारण कर रहा हूँ (यदि आर्बिटित हो) मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हो)

तारीख.....

स्थान

यहां हस्ताक्षर करें".

[सं. 49/2026/फा. सं. 370142/9/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : आयकर नियम, 1962, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का0आ0 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा0कानि0 229(अ), तारीख 30 मार्च, 2026 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2026

G.S.R. 230(E).— In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

- (1) These rules may be called the Income-tax (Sixth Amendment) Rules, 2026.
- (2) They shall come into force with effect from the 31st day of March, 2026 and shall apply in respect of returns filed for Assessment Year 2026-27.
- In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II, for FORM ITR-6, the following FORM shall be substituted, namely: —

FORM	ITR-6	INDIAN INCOME TAX RETURN [For Companies other than companies claiming exemption under section 11] (See rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)	Assessment Year											
			2	0	2	6	-	2	7					
Part A-GEN GENERAL														
PERSONAL INFORMATION	(A1) Name					(A2) PAN								
	(A3) Is there any change in the company's name? If yes, please furnish the old name					(A4) Corporate Identity Number (CIN) issued by MCA								
	(A5) Date of incorporation (DD/MM/YYYY)			(A6) Date of commencement of business (DD/MM/YYYY)										
	/ /			/ /										
	Addresses to be provided for communication purposes: Primary Address (A8a) Flat/Door/Block No (A9a) Name of Premises/Building/Village					(A7) Type of company (Tick any one) ☒								
						(i) Domestic Company ☐								
						(ii) Foreign Company ☐								

(A10a) Road/Street/Post Office (A11a) Area/Locality(A12a) Town/City/District (A13a) State (A14a) Pin code/Zip code (A15a) Country Secondary Address (A8b) Flat/Door/Block No (A9b) Name of Premises/Building/Village (A10b) Road/Street/Post Office (A11b) Area/Locality(A12b) Town/City/District (A13b) State (A14b) Pin code/Zip code (A15b) Country		If a public company write 6, and if private company write 7 (as defined in section 3 of The Companies Act)	
Details to be provided for communication purposes:			
(A16) Office Phone Number with STD code/ Primary Mobile No. of the taxpayer		(A17) Secondary Mobile No.	(A18) Primary Email ID of the taxpayer
Secondary Email ID			
(A19) (ai)	Due date for filing return of income [Dropdown to be provided]: 1. 31st October 2. 30th November		
(A19) (aii)	1 Filed u/s (Tick)	☐ 139(1)- On or Before due date, ☐ 139(4)- After due date, ☐ 139(5)- Revised Return, ☐ 92CD-Modified return, ☐ 119(2)(b)- After condonation of delay, ☐ 170A- After order by the tribunal or court	
	2 Or filed in response to notice u/s	☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153C	
(b)	If revised/ defective/Modified, then enter Receipt No and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)	/ /	
(c)	If filed, in response to notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b) or order referred to in section 170A, enter Unique Number /Document Identification Number and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement	/ /	
(d)	Residential Status (Tick) ☒ Resident ☐ Non-Resident		
(e)	Have you opted for taxation under section 115BA/115BAA/115BAB? (drop down to be provided in efilling utility) (applicable on Domestic Company) If yes, please furnish the AY in which said option is exercised for the first time along with date of filing of relevant form (10-IB/ 10-IC/ 10-ID) & acknowledgment number. If no, whether you are choosing to opt for taxation under section 115BA/115BAA/115BAB this year? (drop down to be provided in efilling utility) Please provide the date of filing of relevant form (10-IB/10-IC/10-ID) & acknowledgment number.		
(f)	Whether total turnover/ gross receipts in the previous year 2023-2024 exceeds 400 crore rupees? (Yes/No) (applicable for Domestic Company)		
(g)	Whether assessee is a resident of a country or specified territory with which India has an agreement referred to in sec 90 (1) or Central Government has adopted any agreement under sec 90A(1)?		
(h)	In the case of non-resident, is there a Permanent Establishment (PE) in India (Tick) ☒ Yes ☐ No		
(i)	In the case of non-resident, is there a Significant Economic Presence (SEP) in India (Tick) ☐ Yes ☐ No please provide details of (a) aggregate of payments arising from the transaction or transactions during the previous year as referred in Explanation 2A(a) to Section 9(1)(i); (b) number of users in India as referred in Explanation 2A(b) to Section 9(1)(i).		
(j)	Whether assessee is required to seek registration under any law for the time being in force relating to companies? If yes, please provide details.		
	Act under which registration required		
	Date of Registration	(DD/MM/YYYY)	Registration Number
(k)	Whether the financial statements of the company are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Tick) ☒ Yes ☐ No		
(l)	Whether assessee has a unit located in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? (Tick) ☒ Yes ☐ No		
(m)	Whether the assessee company is under liquidation (Tick) ☒ Yes ☐ No		
(n)	Whether you are an FII / FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No.		
(o)	Whether the company is a producer company as defined in Sec.378A of Companies Act, 2013? ☐ Yes ☐ No		
(p)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) ☒ Yes ☐ No If yes, please furnish following information -		
	(1)	Name of the representative assessee	
	(2)	Email ID of the representative assessee	
	(3)	Contact number of the representative assessee	
(q)	Whether you are recognized as start up by DPIIT		☐ Yes ☐ No

FILING STATUS

	(1)	If yes, please provide start up recognition number allotted by the DPIIT		
	(2)	Whether certificate from inter-ministerial board for certification is received?		☐ Yes ☐ No
	(3)	If yes provide the certification number		
	(4)	Whether declaration in Form-2 in accordance with para 5 of DPIIT notification dated 19/02/2019 has been filed before filing of the return?		☐ Yes ☐ No
	(5)	If yes, provide date of filing Form-2		
	(r)	Legal Entity Identifier (LEI) details (mandatory if refund is 50 Crores or more)		
		LEI Number		Valid upto date
	(s)	Whether you are recognized as MSME?		☐ Yes ☐ No
		If yes, please provide registration number allotted as per MSMED Act, 2006		

AUDIT INFORMATION	A20	(a1)	Whether liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No			
	(a2)	Whether assessee is declaring income only under section 44AE/ 44B/ 44BB/ 44BBA/ 44BBB/ 44BBC/44BBD/ 44D? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No				
	(a2i)	Please select the range of total sales/turnover/gross receipts of business (Tick) ☒ ☐ Up to Rs. 1 crore ☐ More than Rs. 1 crore and up to Rs. 10 crores ☐ More than Rs.10 crores				
	(a2ii)	If "More than Rs. 1 crore and up to Rs. 10 crores" option is selected at a2i, please select the percentage of amounts received in cash & non a/c payee cheque/ bank draft out of the aggregate receipts during the previous year ☐ Up to 5% ☐ More than 5%				
	(a2iii)	If "More than Rs. 1 crore and up to Rs. 10 crores" option is selected at a2i, please select the percentage of payments made in cash & non a/c payee cheque/ bank draft out of the aggregate payments made during the previous year ☐ Up to 5% ☐ More than 5%				
	(b)	Whether liable for audit under section 44AB? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No (Note to Systems: For cases where a2i exceeds INR 10 crores, this should be an automatic Yes)				
		If Yes is selected at (b), mention by virtue of which of the following conditions:				
	(bi)	Sales, turnover or gross receipts exceeds the limits specified under section 44AB (Tick) ☒				
	(bii)	Assessee falling u/s 44BB but not offering income on presumptive basis (Tick) ☒				
	(biii)	Assessee falling u/s 44BBB but not offering income on presumptive basis (Tick) ☒				
	(biv)	Others (Tick) ☒				
	(c)	If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No If Yes, furnish the following information below				
		(1)	Date of furnishing of audit report			
		(2)	Acknowledgement Number of the Audit Report			
		(3)	Name of the auditor (proprietorship/firm)			
		(4)	Permanent Account Number (PAN) of the proprietorship/ firm			
	(di)	Are you liable for Audit u/s 92E? ☐ Yes ☐ No				
	(dii)	If (di) is Yes, whether the accounts have been audited u/s. 92E?	☐ Yes ☐ No	Date of furnishing audit report? DD/MM/YYYY	Acknowledgement Number	
	(diii)	If liable to furnish other audit report under the Income-tax Act, mention whether have you furnished such report. If yes, please provide the details as under:)				
		Sl. No.	Section Code	Date (DD/MM/YYYY)	Acknowledgement Number	
(e)	Mention the <u>Act, section</u> and date of furnishing the audit report under any Act other than the Income-tax Act					

			Act and section (DD/MM/YY)	Act and section (DD/MM/YY)			
HOLDING STATUS	A21	(a)	Nature of company (select 1 if holding company, select 2 if a subsidiary company, select 3 if both, select 4 if any other)				
		(b)	If subsidiary company, mention the details of the Holding Company				
			PAN	Name of Holding Company	Address of Holding Company	Percentage of Shares held	
		(c)	If holding company, mention the details of the subsidiary companies				
			PAN	Name of Subsidiary Company	Address of Subsidiary Company	Percentage of Shares held	
BUSINESS ORGANISATION	A22	(a)	In case of amalgamating company, mention the details of amalgamated company				
			PAN	Name of Amalgamated Company	Address of Amalgamated Company	Date of Amalgamation	
		(b)	In case of amalgamated company, mention the details of amalgamating company				
			PAN	Name of Amalgamating Company	Address of Amalgamating Company	Date of Amalgamation	
		(c)	In case of demerged company, mention the details of resulting company				
			PAN	Name of Resulting Company	Address of Resulting Company	Date of Demerger	
KEY PERSONS	A23	Particulars of Managing Director, Directors, Secretary and Principal officer(s) who have held the office during the previous year and the details of eligible person who is verifying the return.					
		S.No.	Name	Designation	Residential Address	PAN/Aadhaar No.	Director Identification Number (DIN) issued by MCA, in case of Director
SHAREHOLDERS INFORMATION	A24	Particulars of persons who were beneficial owners of shares holding not less than 10% of the voting power at any time of the previous year					
		S.No.	Name and Address		Percentage of shares held	PAN (if allotted)	
OWNERSHIP INFORMATION	A25	(a) In case of unlisted company, particulars of natural persons who were the ultimate beneficial owners, directly or indirectly, of shares holding not less than 10% of the voting power at any time of the previous year					
		S.No.	Name	Address	Percentage of shares held	PAN/Aadhaar No. (if allotted)	
		(b) In case of Foreign company, please furnish the details of immediate parent company.					
		S.No	Name	Address	Country of residence	PAN (if allotted)	Taxpayer's registration number or any unique identification number allotted in the country of residence
		(c) In case of foreign company, please furnish the details of ultimate parent company					

		S.No	Name	Address	Country of residence	PAN (if allotted)	Taxpayer's registration number or any unique identification number allotted in the country of residence	
NATURE OF COMPANY AND ITS BUSINESS	A26	Nature of company					(Tick) ☒	
	1	Whether a public sector company as defined in section 2(36A) of the Income-tax Act					☐ Yes	☐ No
	2	Whether a company owned by the Reserve Bank of India					☐ Yes	☐ No
	3	Whether a company in which not less than forty percent of the shares are held (whether singly or taken together) by the Government or the Reserve Bank of India or a corporation owned by that Bank					☐ Yes	☐ No
	4	Whether a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949					☐ Yes	☐ No
	5	Whether a scheduled Bank being a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act					☐ Yes	☐ No
	6	Whether a company registered with Insurance Regulatory and Development Authority (established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999)					☐ Yes	☐ No
	7	Whether a company being a non-banking Financial Institution					☐ Yes	☐ No
	8	Whether the company is unlisted? If yes, please ensure to fill up the Schedule SH-1 and Schedule AL-1					☐ Yes	☐ No
	Nature of business or profession, if more than one business or profession indicate the three main activities/ products (Other than those declaring income under section 44AE)							
	S.No.	Code			Description			
	(i)							
	(ii)							
	(iii)							

Part A-BS		BALANCE SHEET AS ON 31 ST DAY OF MARCH, 2026 OR AS ON THE DATE OF AMALGAMATION			
I	Equity and Liabilities				
EQUITY AND LIABILITIES	1	Shareholder's fund			
	A	Share capital			
	i	Authorised	Ai		
	ii	Issued, Subscribed and fully Paid up	Aii		
	iii	Subscribed but not fully paid	Aiii		
	iv	Total (Aii + Aiii)	Aiv		
	B	Reserves and Surplus			
	i	Capital Reserve	Bi		
	ii	Capital Redemption Reserve	Bii		
	iii	Securities Premium Reserve	Biii		
	iv	Debenture Redemption Reserve	Biv		
	v	Revaluation Reserve	Bv		
	vi	Share options outstanding amount	Bvi		
	vii	Other reserve (specify nature and amount)			
	a		vii a		
	b		vii b		

		c	Total (viiia + viib)		Bvii				
		viii	Surplus i.e. Balance in statement of profit and loss (Debit balance to be shown as –ve figure)			Bviii			
		ix	Total (Bi + Bii + Biii + Biv + Bv + Bvi + Bvii + Bviii) (Debit balance to be shown as –ve figure)				Bix		
	C	Money received against share warrants					1C		
	D	Total Shareholder’s fund (Aiv + Bix + 1C)					1D		
	2	Share application money pending allotment							
		i	Pending for less than one year		i				
		ii	Pending for more than one year		ii				
		iii	Total (i + ii)			2			
	3	Non-current liabilities							
	A	Long-term borrowings							
		i	Bonds/ debentures						
			a	Foreign currency		ia			
			b	Rupee		ib			
			c	Total (ia + ib)			ic		
		ii	Term loans						
			a	Foreign currency		iaa			
			b	Rupee loans					
				1	From Banks		b1		
				2	From others		b2		
				3	Total (b1 + b2)		b3		
			c	Total Term loans (iaa + b3)			iic		
		iii	Deferred payment liabilities				iii		
	iv	Deposits from related parties				iv			
	v	Other deposits				v			
	vi	Loans and advances from related parties				vi			
	vii	Other loans and advances				vii			
	viii	Long term maturities of finance lease obligations				viii			
	ix	Total Long-term borrowings (ic + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii)				3A			
	B	Deferred tax liabilities (net)					3B		
C	Other long-term liabilities								
	i	Trade payables		i					
	ii	Others		ii					
	iii	Total Other long-term liabilities (i + ii)			3C				
D	Long-term provisions								
	i	Provision for employee benefits		i					
	ii	Others		ii					
	iii	Total (i + ii)			3D				
E	Total Non-current liabilities (3A + 3B + 3C + 3D)					3E			
4	Current liabilities								
	A	Short-term borrowings							
		i	Loans repayable on demand						
			a	From Banks		ia			
			b	From Non-Banking Finance Companies		ib			
			c	From other financial institutions		ic			
			d	From others		id			

			e	Total Loans repayable on demand (ia + ib + ic + id)		ie		
			ii	Deposits from related parties		ii		
			iii	Loans and advances from related parties		iii		
			iv	Other loans and advances		iv		
			v	Other deposits		v		
			vi	Total Short-term borrowings (ie + ii + iii + iv + v)		4A		
		B	Trade payables					
			i	Outstanding for more than 1 year	i			
			ii	Others	ii			
			iii	Total Trade payables (i + ii)		4B		
		C	Other current liabilities					
			i	Current maturities of long-term debt	i			
			ii	Current maturities of finance lease obligations	ii			
			iii	Interest accrued but not due on borrowings	iii			
			iv	Interest accrued and due on borrowings	iv			
			v	Income received in advance	v			
			vi	Unpaid dividends	vi			
			vii	Application money received for allotment of securities and due for refund and interest accrued	vii			
			viii	Unpaid matured deposits and interest accrued thereon	viii			
			ix	Unpaid matured debentures and interest accrued thereon	ix			
			x	Other payables	x			
			xi	Total Other current liabilities (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x)		4C		
		D	Short-term provisions					
			i	Provision for employee benefit	i			
			ii	Provision for Income-tax	ii			
			iii	Proposed Dividend	iii			
			iv	Tax on dividend	iv			
			v	Other	v			
			vi	Total Short-term provisions (i + ii +iii + iv + v)		4D		
		E	Total Current liabilities (4A + 4B + 4C + 4D)				4E	
		Total Equity and liabilities (1D + 2 + 3E + 4E)					I	
II	ASSETS							
ASSETS	1	Non-current assets						
		A	Fixed assets					
			i	Tangible assets				
				a	Gross block	ia		
				b	Depreciation	ib		
				c	Impairment losses	ic		
				d	Net block (ia – ib - ic)	id		
			ii	Intangible assets				
				a	Gross block	iaa		
				b	Amortization	iib		
				c	Impairment losses	iic		
				d	Net block (iaa – iib - iic)	iid		
			iii	Capital work-in-progress			iii	
			iv	Intangible assets under development			iv	
			v	Total Fixed assets (id + iid + iii + iv)			Av	

2	B Non-current investments						
		i	Investment in property	i			
		ii Investments in Equity instruments					
			a	Listed equities		iiia	
			b	Unlisted equities		iiib	
	c		Total (iiia + iiib)	iiic			
	iii	Investments in Preference shares	iii				
	iv	Investments in Government or trust securities	iv				
	v	Investments in Debenture or bonds	v				
	vi	Investments in Mutual funds	vi				
	vii	Investments in Partnership firms	vii				
	viii	Others Investments	viii				
	ix	Total Non-current investments (i + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii)			Bix		
	C Deferred tax assets (Net)				C		
	D Long-term loans and advances				Dv		
		i	Capital advances	i			
		ii	Security deposits	ii			
		iii	Loans and advances to related parties	iii			
		iv	Other Loans and advances	iv			
		v	Total Long-term loans and advances (i + ii + iii + iv)				
	vi	Long-term loans and advances included in Dv which is					
		a	for the purpose of business or profession	via			
		b	not for the purpose of business or profession	vib			
		c	given to shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	vic			
	E Other non-current assets				Eiii		
		i	Long-term trade receivables				
			a	Secured, considered good		ia	
			b	Unsecured, considered good		ib	
			c	Doubtful		ic	
			d	Total Other non-current assets (ia + ib + ic)		id	
	ii	Others	ii				
	iii	Total (id + ii)					
	iv	Non-current assets included in Eiii which is due from shareholder, being the beneficial owner of share, or from any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act		iv			
F Total Non-current assets (Av + Bix + C + Dv + Eiii)				1F			
2 Current assets							
A Current investments							
	i	Investment in Equity instruments					
		a	Listed equities	ia			
		b	Unlisted equities	ib			
		c	Total (ia + ib)	ic			
	ii	Investment in Preference shares		ii			
	iii	Investment in government or trust securities		iii			
	iv	Investment in debentures or bonds		iv			
	v	Investment in Mutual funds		v			

		vi	Investment in partnership firms	vi				
		vii	Other investment	vii				
		viii Total Current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)					Aviii	
		B	Inventories					
		i	Raw materials	i				
		ii	Work-in-progress	ii				
		iii	Finished goods	iii				
		iv	Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)	iv				
		v	Stores and spares	v				
		vi	Loose tools	vi				
vii	Others	vii						
viii	Total Inventories (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)				Bviii			
		C	Trade receivables					
		i	Outstanding for more than 6 months	i				
		ii	Others	ii				
		iii	Total Trade receivables (i + ii + iii)				Ciii	
		D	Cash and cash equivalents					
		i	Balances with Banks	i				
		ii	Cheques, drafts in hand	ii				
		iii	Cash in hand	iii				
		iv	Others	iv				
		v	Total Cash and cash equivalents (i + ii + iii + iv)				Dv	
		E	Short-term loans and advances					
		i	Loans and advances to related parties	i				
		ii	Others	ii				
		iii	Total Short-term loans and advances (i + ii)					Eiii
iv	Short-term loans and advances included in Eiii which is							
a	for the purpose of business or profession	iva						
b	not for the purpose of business or profession	ivb						
	c	given to a shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	ivc					
F	Other current assets				F			
G	Total Current assets (Aviii + Bviii + Ciii + Dv + Eiii + F)				2G			
Total Assets (1F + 2G)						II		

Part A-BS – Ind AS		BALANCE SHEET AS ON 31 ST DAY OF MARCH, 2026 OR AS ON THE DATE OF BUSINESS COMBINATION [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]						
I	Equity and Liabilities							
	1	Equity						
		A	Equity share capital					
			i	Authorised	Ai			
			ii	Issued, Subscribed and fully paid up	Aii			
			iii	Subscribed but not fully paid	Aiii			
			iv	Total (Aii + Aiii)			Aiv	
		B	Other Equity					

		i	Other Reserves						
			a	Capital Redemption Reserve			ia		
			b	Debenture Redemption Reserve			ib		
			c	Share Options Outstanding account			ic		
			d	Other (specify nature and amount)			id		
			e	Total other reserves (ia + ib + ic + id)			ie		
		ii	Retained earnings (Debit balance of statement of P&L to be shown as –ve figure)		ii				
		iii	Total (Bie + ii) (Debit balance to be shown as –ve figure)			Biii			
		C	Total Equity (Aiv + Biii)			1C			
		2	Liabilities						
	A	Non-current liabilities							
	I	Financial Liabilities							
		Borrowings							
			a	Bonds or debentures					
			1	Foreign currency	a1				
				2	Rupee	a2			
				3	Total (1 + 2)				a3
		b	Term loans						
			1	Foreign currency	b1				
				2	Rupee loans				
				i	From Banks	i			
				ii	From other parties	ii			
				iii	Total (i + ii)	b2			
			3	Total Term loans (b1 + b2)		b3			
		c	Deferred payment liabilities			c			
		d	Deposits			d			
		e	Loans from related parties			e			
		f	Long term maturities of finance lease obligations			f			
		g	Liability component of compound financial instruments			g			
		h	Other loans			h			
i	Total borrowings (a3 + b3 + c + d + e + f + g + h)			i					
j	Trade Payables			j					
k	Other financial liabilities (Other than those specified in II under provisions)			k					
II	Provisions								
	a	Provision for employee benefits	a						
	b	Others (specify nature)	b						
	c	Total Provisions		IIC					
III	Deferred tax liabilities (net)			III					
IV	Other non-current liabilities								
	a	Advances	a						
	b	Others (specify nature)	b						
	c	Total Other non-current liabilities				IVc			
Total Non-Current Liabilities (Ii + Ij + Ik + IIC + III + IVc)				2A					
	B	Current liabilities							
	I	Financial Liabilities							
		i	Borrowings						
a		Loans repayable on demand							

				1	From Banks	1						
				2	From Other parties	2						
				3	Total Loans repayable on demand (1 + 2)	3						
			b	Loans from related parties	b							
			c	Deposits	c							
			d	Other loans (specify nature)	d							
			Total Borrowings (a3 + b + c + d)					Ii				
			ii	Trade payables					Iii			
			iii	Other financial liabilities								
				a	Current maturities of long-term debt	a						
				b	Current maturities of finance lease obligations	b						
				c	Interest accrued	c						
				d	Unpaid dividends	d						
				e	Application money received for allotment of securities to the extent refundable and interest accrued thereon	e						
				f	Unpaid matured deposits and interest accrued thereon	f						
				g	Unpaid matured debentures and interest accrued thereon	g						
				h	Others (specify nature)	h						
				i	Total Other financial liabilities (a + b +c +d +e +f +g+ h)			Iiii				
			iv	Total Financial Liabilities (Ii + Iii + Iiii)					Iiv			
			II	Other Current liabilities								
				a	Revenue received in advance	a						
				b	Other advances (specify nature)	b						
				c	Others (specify nature)	c						
				d	Total Other current liabilities (a + b+ c)			IId				
			III	Provisions								
				a	Provision for employee benefits	a						
				b	Others (specify nature)	b						
				c	Total provisions (a + b)			IIIc				
			IV	Current Tax Liabilities (Net)					IV			
			Total Current liabilities (Iiv + IId + IIIc+ IV)					2B				
			Total Equity and liabilities (1C + 2A +2B)					I				
II	ASSETS											
ASSETS	1	Non-current assets										
		A	Property, Plant and Equipment									
			a	Gross block	a							
			b	Depreciation	b							
			c	Impairment losses	c							
			d	Net block (a – b - c)			Ad					
		B	Capital work-in-progress							B		
		C	Investment Property									
			a	Gross block	a							
			b	Depreciation	b							
			c	Impairment losses	c							
			d	Net block (a – b - c)			Cd					
			D	Goodwill								
				a	Gross block	a						

		b	Impairment losses	b		
		c	Net block (a – b)		Dc	
E	Other Intangible Assets					
	a	Gross block	a			
	b	Amortisation	b			
	c	Impairment losses	c			
	d	Net block (a – b - c)		Ed		
F	Intangible assets under development					F
G	Biological assets other than bearer plants					
	a	Gross block	a			
	b	Impairment losses	b			
	c	Net block (a – b)		Gc		
H	Financial Assets					
	I	Investments				
	i	Investments in Equity instruments				
		a	Listed equities	ia		
		b	Unlisted equities	ib		
		c	Total (ia + ib)		ic	
	ii	Investments in Preference shares	ii			
	iii	Investments in Government or trust securities	iii			
	iv	Investments in Debenture or bonds	iv			
	v	Investments in Mutual funds	v			
	vi	Investments in Partnership firms	vi			
	vii	Others Investments (specify nature)	vii			
	viii	Total non-current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)		HI		
	II	Trade Receivables				
		a	Secured, considered good	a		
		b	Unsecured, considered good	b		
		c	Doubtful	c		
	d	Total Trade receivables		HII		
	III	Loans				
		i	Security deposits	i		
		ii	Loans to related parties	ii		
iii		Other loans (specify nature)	iii			
iv		Total Loans (i + ii + iii)		HIII		
v		Loans included in HIII above which is-				
		a	for the purpose of business or profession	va		
		b	not for the purpose of business or profession	vb		
	c	given to shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	vc			
IV	Other Financial Assets					
		i	Bank Deposits with more than 12 months maturity	i		
		ii	Others	ii		
		iii	Total of Other Financial Assets (i + ii)		HIV	
I	Deferred Tax Assets (Net)					I
J	Other non-current Assets					
	i	Capital Advances	i			

			ii	Advances other than capital advances	ii					
			iii	Others (specify nature)	iii					
			iv	Total non-current assets (i + ii + iii)				J		
			v	Non-current assets included in J above which is due from shareholder, being the beneficial owner of share, or from any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	v					
			Total Non-current assets (Ad + B + Cd + Dc + Ed + F + Gc + HI + HII + HIII + HIV + I + J)						1	
			2	Current assets						
			A	Inventories						
			i	Raw materials	i					
			ii	Work-in-progress	ii					
			iii	Finished goods	iii					
			iv	Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)	iv					
			v	Stores and spares	v					
			vi	Loose tools	vi					
			vii	Others	vii					
			viii	Total Inventories (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)			2A			
B	Financial Assets									
I	Investments									
i	Investment in Equity instruments									
a	Listed equities	ia								
b	Unlisted equities	ib								
c	Total (ia + ib)	ic								
ii	Investment in Preference shares			ii						
iii	Investment in government or trust securities			iii						
iv	Investment in debentures or bonds			iv						
v	Investment in Mutual funds			v						
vi	Investment in partnership firms			vi						
vii	Other Investments			vii						
viii	Total Current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)			I						
II	Trade receivables									
i	Secured, considered good	i								
ii	Unsecured, considered good	ii								
iii	Doubtful	iii								
iv	Total Trade receivables (i + ii + iii)			II						
III	Cash and cash equivalents									
i	Balances with Banks (of the nature of cash and cash equivalents)	i								
ii	Cheques, drafts in hand	ii								
iii	Cash on hand	iii								
iv	Others (specify nature)	iv								
v	Total Cash and cash equivalents (i + ii + iii + iv)			III						
IV	Bank Balances other than III above						IV			
V	Loans									
i	Security Deposits	i								
ii	Loans to related parties	ii								
iii	Others (specify nature)	iii								

		iv	Total loans (i + ii + iii)			V		
		v	Loans and advances included in V above which is-					
		a	for the purpose of business or profession	va				
		b	not for the purpose of business or profession	vb				
		c	given to a shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	vc				
	VI	Other Financial Assets					VI	
	Total Financial Assets (I + II + III + IV + V + VI)						2B	
	C	Current Tax Assets (Net)					2C	
	D	Other current assets						
	i	Advances other than capital advances	i					
	ii	Others (specify nature)	ii					
	iii	Total			2D			
	Total Current assets (2A + 2B + 2C + 2D)						2	
	Total Assets (1 + 2)						II	

Part A- Manufacturing Account		Manufacturing Account for the financial year 2025-26 (fill items 1 to 3 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 61 to 62 as applicable)					
	1	Debits to Manufacturing account					
	A	Opening Inventory					
	i	Opening stock of raw-material	i				
	ii	Opening stock of Work in progress	ii				
	iii	Total (i + ii)				Aiii	
	B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)				B	
	C	Direct wages				C	
	D	Direct expenses (Di + Dii + Diii)				D	
	i	Carriage inward	i				
	ii	Power and fuel	ii				
	iii	Other direct expenses	iii				
	E	Factory Overheads					
	i	Indirect wages	i				
	ii	Factory rent and rates	ii				
	iii	Factory Insurance	iii				
	iv	Factory fuel and power	iv				
	v	Factory general expenses	v				
	vi	Depreciation of factory machinery	vi				
	vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)				Evii	
	F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)				1F	
	2	Closing Stock					
	i	Raw material	2i				
	ii	Work-in-progress	2ii				
	Total (2i + 2ii)				2		
	3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F - 2)				3	

Part A- Trading Account		Trading Account for the financial year 2025-26 (fill items 4 to 12 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 61 to 62 as applicable)			
CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations			
	A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)			
		i	Sale of goods	i	
		ii	Sale of services	ii	
		iii	Other operating revenues (specify nature and amount)		
		a		iiia	
		b		iiib	
		c	Total (iiia + iiib)	iiic	
	iv	Total (i + ii + iiic)			Aiv
	B	Gross receipts from Profession			B
	C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied			
		i	Union Excise duties	i	
		ii	Service tax	ii	
		iii	VAT/ Sales tax	iii	
iv		Central Goods & Service Tax (CGST)	iv		
v		State Goods & Services Tax (SGST)	v		
vi		Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi		
vii		Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii		
viii		Any other duty, tax and cess	viii		
ix	Total (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)			Cix	
D	Total Revenue from operations (Aiv + B +Cix)			4D	
5	Closing Stock of Finished Goods			5	
6	Total of credits to Trading Account (4D + 5)			6	
DEBITS TO TRADING ACCOUNT	7	Opening Stock of Finished Goods			7
	8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			8
	9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)			9
		i	Carriage inward	i	
		ii	Power and fuel	ii	
		iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	iii	
	10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased			
		i	Custom duty	10i	
		ii	Counter veiling duty	10ii	
		iii	Special additional duty	10iii	
		iv	Union excise duty	10iv	
		v	Service tax	10v	
		vi	VAT/ Sales tax	10vi	
		vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	10vii	
		viii	State Goods & Services Tax (SGST)	10viii	
		ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	10ix	
		x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	10x	
xi		Any other tax, paid or payable	10xi		
xii		Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)			10xii
11	Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account			11	

12	Gross Profit from Business/Profession - transferred to Statement of Profit and Loss (6-7-8-9-10xii-11)	12	
12a	Turnover from Intraday Trading	12a	
12b	Income from Intraday Trading - transferred to Statement of Profit and Loss	12b	
12c	Turnover from Futures & Options Trading	12c	
12d	Income from Futures & Options Trading - transferred to Statement of Profit and Loss	12d	

Part A-P & L		STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE FINANCIAL YEAR 2025-26 (fill items 13 to 60 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 61 to 62 as applicable)				
CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account (12+12b+12d)			13	
	14	Other income				
		i	Rent	i		
		ii	Commission	ii		
		iii	Dividend income	iii		
		iv	Interest income	iv		
		v	Profit on sale of fixed assets	v		
		vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi		
		vii	Profit on sale of other investment	vii		
		viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii		
		ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion)	ix		
		x	Agricultural income	x		
		xi	Any other income (specify nature and amount)			
			A		xia	
		B		xib		
		C	Total (xia + xib)	xic		
	xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)			14xii	
	15	Total of credits to Statement of profit and loss (13+14xii)			15	
DEBITS TO STATEMENT OF PROFIT AND LOSS	DE	Freight outward			16	
	17	Consumption of stores and spare parts			17	
	18	Power and fuel			18	
	19	Rents			19	
	20	Repairs to building			20	
	21	Repairs to machinery			21	
	22	Compensation to employees				
		i	Salaries and wages	22i		
		ii	Bonus	22ii		
		iii	Reimbursement of medical expenses	22iii		
		iv	Leave encashment	22iv		
		v	Leave travel benefits	22v		
		vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi		
		vii	Contribution to recognised provident fund	22vii		
	viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii			
	ix	Contribution to any other fund	22ix			
	x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred		22x		
	xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)			22xi	
	xia	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents		xia	Yes / No	

	xiib	If Yes, amount paid to non-residents	xiib		
23	Insurance				
	i	Medical Insurance	23i		
	ii	Life Insurance	23ii		
	iii	Keyman's Insurance	23iii		
	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv		
	v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v	
24	Workmen and staff welfare expenses				24
25	Entertainment				25
26	Hospitality				26
27	Conference				27
28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)				28
29	Advertisement				29
30	Commission				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		30iii	
31	Royalty				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		31iii	
32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		32iii	
33	Hotel, boarding and Lodging				33
34	Traveling expenses other than on foreign traveling				34
35	Foreign travelling expenses				35
36	Conveyance expenses				36
37	Telephone expenses				37
38	Guest House expenses				38
39	Club expenses				39
40	Festival celebration expenses				40
41	Scholarship				41
42	Gift				42
43	Donation				43
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)				
	i	Union excise duty	44i		
	ii	Service tax	44ii		
	iii	VAT/ Sales tax	44iii		
	iv	Cess	44iv		
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)	44v		
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)	44vi		
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	44vii		
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	44viii		
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT	44ix		

	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)											44x			
45	Audit fee												45			
46	Other expenses (specify nature and amount)															
	i									i						
	ii									ii						
	iii	Total (i + ii)													46iii	
47	Bad debts (specify PAN/Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)															
	(i1)											47i(1)				
	(i2)											47ii(2)				
	(i3)											47i(3)				
	(Rows can be added as required) Total [47i(1)+47i(2)+47i(3)]											47i				
	ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)													47ii	
	S.No.	Name	Flat / Door/ Block No	Name of Premises/ Street/ Building/ Village	Road/ Premises/ Street/ Post Office	Area/ Locality	Town/ City/ District	State	Country	PIN Code	ZIP Code	Amount				
	1															
	Rows can be added as required															
	iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)													47iii	
	iv	Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii)											47iv			
48	Provision for bad and doubtful debts												48			
49	Other provisions												49			
50	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]												50			
51	Interest															
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company								i						
	ii	To others								ii						
	iii	Total (i + ii)													51iii	
52	Depreciation and amortization												52			
53	Net profit before taxes (50 – 51iii – 52)												53			
54	Provision for current tax												54			
55	Provision for Deferred Tax												55			
56	Profit after tax (53 - 54 - 55)												56			
57	Balance brought forward from previous year												57			
58	Amount available for appropriation (56 + 57)												58			
59	Appropriations															
	i	Transfer to reserves and surplus								59i						
	ii	Proposed dividend/ Interim dividend								59ii						
	iii	Tax on dividend/ Tax on dividend for earlier years								59iii						
	iv	Appropriation towards Corporate Social Responsibility (CSR) activities (in case of companies covered under section 135 of Companies Act, 2013)								59iv						
	v	Any other appropriation								59v						
	vi	Total (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)								59vi						
60	Balance carried to balance sheet (58 - 59vi)												60			
61	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE															
	SR. NO.	Name of Business						Business code			Description					

PROVISIONS FOR TAX AND APPROPRIATIONS

			Registration No. of goods carriage	Whether owned/leased/ hired	Tonnage capacity of goods carriage (in MT)	Number of months for which goods carriage was owned/leased/hired by assessee	Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher
		(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(a)					
		(b)					
			Total				
		Add row options as necessary (Please Note : At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles)					
		(ii)	Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 61(i)]				61(ii)
		NOTE— If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned / leased / hired at any time during the year exceeds 10, then, it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB					
NO ACCOUNT	62	In case of Foreign Company whose total income comprises of profits and gains from business referred to in sections 44B, 44BB, 44BBA, 44BBBB, 44BBDD, 44D or having eligible business of selling raw diamond (refer rule 10TIA) furnish the following information					
		a	Gross receipts / Turnover				62a
		b	Net profit				62b

Part A- Manufacturing Account Ind- AS		Manufacturing Account for the financial year 2025-26 [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015)]				
	1	Debits to Manufacturing account				
	A	Opening Inventory				
		i	Opening stock of raw-material	i		
		ii	Opening stock of Work in progress	ii		
		iii	Total (i + ii)		Aiii	
	B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			B	
	C	Direct wages			C	
	D	Direct expenses			D	
		i	Carriage inward	i		
		ii	Power and fuel	ii		
		iii	Other direct expenses	iii		
	E	Factory Overheads				
		i	Indirect wages			
		ii	Factory rent and rates			
		iii	Factory Insurance			
		iv	Factory fuel and power			
		v	Factory general expenses			
		vi	Depreciation of factory machinery			
		vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)		Evii	
	F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)			1F	
	2	Closing Stock				
		i	Raw material	2i		
		ii	Work-in-progress	2ii		
		Total (2i + 2ii)			2	
	3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F - 2)			3	

Part A- Trading Account Ind- AS		Trading Account for the financial year 2025-26 [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]			
CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations			
	A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)			
		i	Sale of goods	i	
		ii	Sale of services	ii	
		iii	Other operating revenues (specify nature and amount)		
		a		iiia	
		b		iiib	
		c	Total (iiia + iiib)	iiic	
		iv	Total (i + ii + iiic)	Aiv	
	B	Gross receipts from Profession			B
	C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied			
		i	Union Excise duties	i	
		ii	Service tax	ii	
		iii	VAT/ Sales tax	iii	
		iv	Central Goods & Service Tax (CGST)	iv	
		v	State Goods & Services Tax (SGST)	v	
		vi	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi	
		vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii	
		viii	Any other duty, tax and cess	viii	
		ix	Total (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)	Cix	
	D	Total Revenue from operations (Aiv + B +Cix)			4D
DEBITS TO TRADING ACCOUNT	5	Closing Stock of Finished Goods			5
	6	Total of credits to Trading Account (4D + 5)			6
	7	Opening Stock of Finished Goods			7
	8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			8
	9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)			9
		i	Carriage inward	i	
		ii	Power and fuel	ii	
		iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	iii	
	10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased			
		i	Custom duty	10i	
		ii	Counter veiling duty	10ii	
		iii	Special additional duty	10iii	
		iv	Union excise duty	10iv	
		v	Service tax	10v	
		vi	VAT/ Sales tax	10vi	
		vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	10vii	
		viii	State Goods & Services Tax (SGST)	10viii	
		ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	10ix	
		x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	10x	
		xi	Any other tax, paid or payable	10xi	

	xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)	10xii	
11		Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account	11	
12		Gross Profit from Business/Profession - transferred to Statement of Profit and Loss (6-7-8-9-10xii-11)	12	
12a		Turnover from Intraday Trading	12a	
12b		Income from Intraday Trading - transferred to Statement of Profit and Loss	12b	
12c		Turnover from Futures & Options Trading	12c	
12d		Income from Futures & Options Trading - transferred to Statement of Profit and Loss	12d	

Part A-P&L Ind-AS		STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE FINANCIAL YEAR 2025-26 [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]				
CREDITS TO STATEMENT OF PROFIT AND LOSS	13	Gross profit transferred from Trading Account (12+12b+12d)				
	14	Other income				
		i	Rent	i		
		ii	Commission	ii		
		iii	Dividend income	iii		
		iv	Interest income	iv		
		v	Profit on sale of fixed assets	v		
		vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi		
		vii	Profit on sale of other investment	vii		
		viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii		
		ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion)	ix		
		x	Agricultural income	x		
		xi	Any other income (specify nature and amount)			
		a		xia		
		b		xib		
		c	Total (xia + xib)	xic		
	xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)				14xii
	15	Total of credits to Statement of profit and loss (13+14xii)				15
	16	Freight outward				16
	17	Consumption of stores and spare parts				17
	18	Power and fuel				18
	19	Rents				19
	20	Repairs to building				20
	21	Repairs to machinery				21
	22	Compensation to employees				
		i	Salaries and wages	22i		
		ii	Bonus	22ii		
		iii	Reimbursement of medical expenses	22iii		
		iv	Leave encashment	22iv		
		v	Leave travel benefits	22v		
		vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi		
		vii	Contribution to recognised provident fund	22vii		
		viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii		
		ix	Contribution to any other fund	22ix		

	x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x		
	xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)		22xi	
	xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xia	Yes / No	
		If Yes, amount paid to non-residents	xiib		
23	Insurance				
	i	Medical Insurance	23i		
	ii	Life Insurance	23ii		
	iii	Keyman's Insurance	23iii		
	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv		
	v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v	
24	Workmen and staff welfare expenses				24
25	Entertainment				25
26	Hospitality				26
27	Conference				27
28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)				28
29	Advertisement				29
30	Commission				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		30iii	
31	Royalty				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		31iii	
32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		32iii	
33	Hotel, boarding and Lodging				33
34	Traveling expenses other than on foreign traveling				34
35	Foreign travelling expenses				35
36	Conveyance expenses				36
37	Telephone expenses				37
38	Guest House expenses				38
39	Club expenses				39
40	Festival celebration expenses				40
41	Scholarship				41
42	Gift				42
43	Donation				43
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)				
	i	Union excise duty	44i		
	ii	Service tax	44ii		
	iii	VAT/ Sales tax	44iii		
	iv	Cess	44iv		
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)	44v		

PROVISIONS FOR TAX AND APPROPRIATIONS		vi	State Goods & Services Tax (SGST)										44vi				
		vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)										44vii				
		viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)										44viii				
		ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT										44ix				
		x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)										44x				
	45	Audit fee													45		
	46	Other expenses (specify nature and amount)															
		i											i				
		ii											ii				
		iii	Total (i + ii)										46iii				
	47	Bad debts (specify PAN/Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)															
		(i1)													47(i1)		
		(i2)													47i(2)		
		(i3)													47i(3)		
		(Rows can be added as required) Total (47i1+47i2+47i3)												47i			
		ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)												47ii		
		S.No.	Name	Flat / Door/ Block No	Name of Premises/ Building/ Village	Road/ Street/ Post Office	Area/ Locality	Town/ City/ District	State	Country	PIN Code	ZIP Code	Amount				
		1															
		Rows can be added as required															
		iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)												47iii		
		iv	Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii)												47iv		
	48	Provision for bad and doubtful debts													48		
	49	Other provisions													49		
	50	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]													50		
	51	Interest															
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company										i					
	ii	To others										ii					
	iii	Total (i + ii)										51iii					
52	Depreciation and amortisation													52			
53	Net profit before taxes (50 – 51iii – 52)													53			
54	Provision for current tax													54			
55	Provision for Deferred Tax													55			
56	Profit after tax (53 - 54 - 55)													56			
57	Balance brought forward from previous year													57			
58	Amount available for appropriation (56 + 57)													58			
59	Appropriations																
	i	Transfer to reserves and surplus										59i					
	ii	Proposed dividend/ Interim dividend										59ii					
	iii	Tax on dividend/ Tax on dividend for earlier years										59iii					
	iv	Appropriation towards Corporate Social Responsibility (CSR) activities (in case of companies covered under section 135 of Companies Act, 2013)										59iv					
	v	Any other appropriation										59v					

	vi	Total (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi		
60	Balance carried to balance sheet (58 - 59vi)				60
61	A	Items that will not be reclassified to P&L			
		i	Changes in revaluation surplus	i	
		ii	Re-measurements of the defined benefit plans	ii	
		iii	Equity instruments through OCI	iii	
		iv	Fair value Changes relating to own credit risk of financial liabilities designated at FVTPL	iv	
		v	Share of Other comprehensive income in associates and joint ventures, to the extent not to be classified to P&L	v	
		vi	Others (Specify nature)	vi	
		vii	Income tax relating to items that will not be reclassified to P&L	vii	
		viii	Total		61A
	B	Items that will be reclassified to P&L			
		i	Exchange differences in translating the financial statements of a foreign operation	i	
		ii	Debt instruments through OCI	ii	
		iii	The effective portion of gains and loss on hedging instruments in a cash flow hedge	iii	
		iv	Share of OCI in associates and joint ventures to the extent to be classified into P&L	iv	
		v	Others (Specify nature)	v	
		vi	Income tax relating to items that will be reclassified to P&L	vi	
		vii	Total		61B
62	Total Comprehensive Income (56 + 61A + 61B)				62

Part A- OI		Other Information (mandatory, if liable for audit under section 44AB, for other fill, if applicable)			
OTHER INFORMATION	1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) ☒ mercantile ☐ cash			
	2	Is there any change in method of accounting (Tick) ☒ Yes ☐ No			
	3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column XI(3) of Schedule ICDS]	3a		
	3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column XI(4) of Schedule ICDS]	3b		
	4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year (optional in case of professionals)			
		a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		☐
		b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		☐
		c	Is there any change in stock valuation method (Tick) ☒ Yes ☐ No		
		d	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4d	
		e	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4e	
	5	Amounts not credited to the statement of profit and loss, being -			
		a	the items falling within the scope of section 28	5a	
		b	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b	
		c	escalation claims accepted during the previous year	5c	
		d	any other item of income	5d	
		e	capital receipt, if any	5e	
		f	Total of amounts not credited to statement of profit and loss (5a+5b+5c+5d+5e)	5f	
	6	Amounts debited to the statement of profit and loss, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of condition specified in relevant clauses-			
		a	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a	
		b	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b	
		c	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c	
		d	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d	

	e	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iiiia)]	6e		
	f	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f		
	g	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g		
	h	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h		
	i	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i		
	j	Amount of contributions to any other fund	6j		
	k	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k		
	l	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l		
	m	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(viiia)]	6m		
	n	Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n		
	o	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o		
	p	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p		
	q	Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)]	6q		
	r	Any other disallowance	6r		
	s	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6r)		6s	
	t	Total number of employees employed by the company (mandatory in case company has recognized Provident Fund)			
	i	deployed in India	i		
	ii	deployed outside India	ii		
	iii	Total	iii		
	7	Amounts debited to the statement of profit and loss, to the extent disallowable under section 37			
	a	Expenditure of capital nature [37(1)]	7a		
	b	Expenditure of personal nature [37(1)]	7b		
	c	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)]	7c		
	d	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d		
	e	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e		
	f	Any other penalty or fine	7f		
	g	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g		
	h	Expenditure incurred on corporate social responsibility (CSR)	7h		
	i	Amount of any liability of a contingent nature	7i		
	j	Any other amount not allowable under section 37	7j		
	k	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7j)		7k	
	8	Amounts debited to the statement of profit and loss, to the extent disallowable under section 40			
	A.	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa		
	b	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab		
	c	Amount disallowable under section 40(a)(ib) on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac		
	d	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad		
	e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae		
	f	Amount paid as wealth tax [40(a)(ia)]	Af		
	g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag		
	h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member inadmissible under section [40(b)/ 40(ba)]	Ah		
	i	Any other disallowance	Ai		
	j	Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai)		Aj	

	B.	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year	8B	
9		Amounts debited to the statement of profit and loss, to the extent disallowable under section 40A		
	a	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a	
	b	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic mode as may be prescribed, disallowable under section 40A(3)	9b	
	c	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c	
	d	any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d	
	e	Any other disallowance	9e	
	f	Total amount disallowable under section 40A (Total of 9a to 9e)	9f	
10		Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year		
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a	
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b	
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c	
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d	
	da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from such class of non-banking financial companies as may be notified by the Central Government, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	10da	
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e	
	f	Any sum payable towards leave encashment	10f	
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g	
	h	Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006	10h	
	i	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10h)	10i	
11		Any amount debited to statement of profit and loss of the previous year but disallowable under section 43B		
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a	
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b	
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c	
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d	
	da	any sum payable as interest on any loan or borrowing from such class of non-banking financial companies as may be notified by the Central Government, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	11da	
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e	
	f	Any sum payable towards leave encashment	11f	
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g	
	h	Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006	11h	
	i	Total amount disallowable under Section 43B (total of 11a to 11h)	11i	
12		Amount of credit outstanding in the accounts in respect of		
	a	Union Excise Duty	12a	
	b	Service tax	12b	
	c	VAT/sales tax	12c	

	d	Central Goods & Service Tax (CGST)	12d		
	e	State Goods & Services Tax (SGST)	12e		
	f	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	12f		
	g	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	12g		
	h	Any other tax	12h		
	i	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)	12i		
13		Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA or 33AC	13		
14		Any amount of profit chargeable to tax under section 41	14		
15		Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the statement of profit and loss (net)	15		
16		Amount of expenditure disallowed u/s 14A	16		
17		Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006	17		
18		Whether assessee is exercising option under subsection 2A of section 92CE (Tick) ☒ ☐	18		
		Yes ☐ No ☐ [If yes, please fill schedule TPSA]			

Part A – QD		Quantitative details (mandatory, if liable for audit under section 44AB)			
QUANTITATIVE DETAILS	(a)	In the case of a trading concern			
	1	Opening stock	1		
	2	Purchase during the previous year	2		
	3	Sales during the previous year	3		
	4	Closing stock	4		
	5	Shortage/ excess, if any	5		
	(b)	In the case of a manufacturing concern			
	6	Raw materials			
	a	Opening stock	6a		
	b	Purchases during the previous year	6b		
	c	Consumption during the previous year	6c		
	d	Sales during the previous year	6d		
	e	Closing stock	6e		
	f	Yield finished products	6f		
	g	Percentage of yield	6g		
	h	Shortage/ excess, if any	6h		
	7	Finished products/ By-products			
	a	opening stock	7a		
	b	purchase during the previous year	7b		
	c	quantity manufactured during the previous year	7c		
	d	sales during the previous year	7d		
	e	closing stock	7e		
	f	shortage/ excess, if any	7f		

Part A – OL		Receipt and payment account of company under liquidation			
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT	1	Opening balance			
	i	Cash in hand	1i		
	ii	Bank	1ii		
	iii	Total opening balance	1iii		
	2	Receipts			
	i	Interest	2i		

			ii	Dividend	2ii			
			iii	Sale of assets (pls. specify nature and amount)				
				a		2iiia		
				b		2iiib		
				c		2iiic		
				d	Total (iiia + iiib + iiic)	2iiid		
			iv	Realisation of dues/debtors	2iv			
			v	Others (pls. specify whether revenue/capital, nature and amount)				
				a		2va		
				b		2vb		
				c	Total of other receipts (va + vb)	2vc		
			vi	Total receipts (2i + 2ii + 2iiid + 2iv + 2vc)	2vi			
			3	Total of opening balance and receipts	3			
			4	Payments				
				i	Repayment of secured loan	4i		
				ii	Repayment of unsecured loan	4ii		
				iii	Repayment to creditors	4iii		
				iv	Commission	4iv		
				v	Others (pls. specify)			
	a		4va					
	b		4vb					
	c	Total of other payments (4va + 4vb)	4vc					
vi	Total payments (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4vc)	4vi						
5	Closing balance							
	i	Cash in hand	5i					
	ii	Bank	5ii					
	iii	Total of closing balance (5i + 5ii)	5iii					
6	Total of closing balance and payments (4vi + 5iii)	6						

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule HP		Details of Income from House Property (Drop down to be provided indicating ownership of property)										
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1			Town/ City			State	Country	PIN Code / Zip Code		
		Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details)										
		Assessee's percentage of share in the property %										
		Name of Co-owner(s)			PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)			Percentage Share in Property				
		I										
		II										
		[Tick ☒ the applicable option]		Name(s) of Tenant(s) (if let out)		PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see Note)			PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)			
		☐ Let out										
		☐ Deemed let out										
				I								
				II								
		a	Gross rent received or receivable or lettable value							1a		
		b	The amount of rent which cannot be realized					1b				
		c	Tax paid to local authorities					1c				
		d	Total (1b + 1c)					1d				
	e	Annual value (1a – 1d)							1e			
	f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)							1f			
	g	30% of 1f					1g					
	h	Interest payable on borrowed capital (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)					1h					
	i	Total (1g + 1h)							1i			
	j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%							1j			
	k	Income from house property 1 (1f – 1i+1j)							1k			

		(fill up details separately for each property)		
2		Pass through income/loss if any *	2	
3		Income under the head "Income from house property" (Σ 1k + 2) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)	3	
NOTE ►		Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.		

Schedule BP		Computation of income from business or profession			
INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	A	From business or profession other than speculative business and specified business			
	1	Profit before tax as per statement of profit and loss (item 53, 61(ii) and 62(b) of Part A-P&L) / (item 53 of Part A-P&L – Ind AS) (as applicable)			1
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss) (Sl. No. 12b of Schedule Trading Account or Trading-Ind As account) (as applicable)	2a		
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)	2b		
	3	Income/ receipts credited to statement of profit and loss considered under other heads of income or chargeable u/s 115BBF or chargeable u/s 115BBG or chargeable u/s 115BBH	a	House property	3a
			b	Capital gains	3b
			c	Other sources	3c
			ci	Dividend income	3ci
			cii	other than Dividend income	3cii
			d	u/s 115BBF	3d
			e	u/s 115BBG	3e
			f	u/s 115BBH (net of Cost of Acquisition, if any)	3f (Item No. A of Schedule VDA)
	4a	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44B/44BB/44BBA/44BBB/44BBC/44BBD/44AE/44D/44DA/Chapter-XII-G/ First Schedule of Income-tax Act (other than 115B) (Dropdown to be provided)			4a
	4b	Profit and gains from life insurance business referred to in section 115B			4b
	4c	Profit from activities covered under rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided)			4c
	4d	Profit from eligible business of selling raw diamonds (refer rule 10T1A)			4d
	5	Income credited to statement of profit and loss (included in 1) which is exempt			
		a	Share of income from firm(s)	5a	
		b	Share of income from AOP/ BOI	5b	
		c	Any other exempt income (specify nature and amount)		
		i		ci	
		ii		cii	
		iii	Total (ci + cii)	5ciii	
		d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)	5d	
	5A	Income or receipts credited to statement of profit and loss but not chargeable to tax under the Act			5A
	6	Balance (1– 2a – 2b – 3a – 3b – 3c – 3d – 3e – 3f-4– 5d)			6
	7	Expenses debited to statement of profit and loss considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF or u/s 115BBG or u/s 115BBH	A	House property	7a
			B	Capital gains	7b
			C	Other sources	7c
			D	u/s 115BBF	7d
			E	u/s 115BBG	7e
			F	u/s 115BBH (other than Cost of Acquisition)	7f

	8a	Expenses debited to statement of profit and loss which relate to exempt income	8a		
	8b	Expenses debited to statement of profit and loss which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI)	8b		
	9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 7f + 8a+8b)	9		
	10	Adjusted profit or loss (6+9)			10
	11	Depreciation and amortization debited to statement of profit and loss			11
	12	Depreciation allowable under Income-tax Act			
	i	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(iia) (item 6 of Schedule-DEP)	12i		
	ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)	12ii		
	iii	Total (12i + 12ii)			12iii
	13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 – 12iii)			13
	14	Amounts debited to the statement of profit and loss, to the extent disallowable under section 36 (6s of Part A-OI)	14		
	15	Amounts debited to the statement of profit and loss, to the extent disallowable under section 37 (7k of Part A-OI)	15		
	16	Amounts debited to the statement of profit and loss, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of Part A-OI)	16		
	17	Amounts debited to the statement of profit and loss, to the extent disallowable under section 40A (9f of Part A-OI)	17		
	18	Any amount debited to statement of profit and loss of the previous year but disallowable under section 43B (11i of Part A-OI)	18		
	19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (17 of Part A-OI)	19		
	20	Deemed income under section 41	20		
	21	Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/ 35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A/ 80HHD/ 80-IA	21		
	22	Deemed income under section 43CA	22		
	23	Any other item of addition under section 28 to 44DB	23		
	24	Any other income not included in statement of profit and loss /any other expense not allowable (including income from commission and interest from firms in which company is a partner)	24		
	25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A- OI)	25		
	26	Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)			26
	27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)	27		
	28	Amount allowable as deduction under section 32AC	28		
	29	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to statement of profit and loss (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)	29		
	30	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year(8B of Part A-OI)	30		
	31	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year (10i of Part A-OI)	31		
	32	Any other amount allowable as deduction	32		
	33	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)	33		
	34	Total (27+28+29+30+31+32+33)			34
	35	Income (13+26-34)			35
	36	Profits and gains of business or profession deemed to be under -			
	i	Section 44AE (61(ii) of schedule P&L)	36i		
	ii	Section 44B	36ii		
	iii	Section 44BB	36iii		
	iv	Section 44BBA	36iv		
	va	Section 44BBB	36va		
	vb	Section 44BBC	36vb		
	vc	Section 44BBD	36vc		
	vi	Section 44D	36vi		
	vii	Section 44DA	36vii	(item 4 of Form 3CE)	
	viii	Chapter-XII-G (tonnage)	36viii	(total of col. 7 of item 10 of Form 66)	
	ix	First Schedule of Income-tax Act (other than 115B)	36ix		
	x	Total (36i to 36ix)			36x
	37	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (36+36x)			37

38	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 37) (If loss take the figure to 2i of item F) (38a+ 38b + 38c + 38d + 38e + 38f)			A38	
a	Income chargeable under Rule 7	38a			
b	Deemed income chargeable under Rule 7A	38b			
c	Deemed income chargeable under Rule 7B(1)	38c			
d	Deemed income chargeable under Rule 7B(1A)	38d			
e	Deemed income chargeable under Rule 8	38e			
f	Income other than Rule 7A, 7B & 8 (Item No. 37)	38f			
39	Balance of income deemed to be from agriculture, after applying Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and Rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4c- (38a+38b+38c+38d+38e)]			39	
B Computation of income from speculative business					
40	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account			40	
41	Additions in accordance with section 28 to 44DB			41	
42	Deductions in accordance with section 28 to 44DB			42	
43	Income from speculative business (40+41-42) (if loss, take the figure to 6xix of schedule CFL)			43	
C Computation of income from specified business under section 35AD					
44	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account			44	
45	Additions in accordance with section 28 to 44DB			45	
46	Deductions in accordance with section 28 to 44DB (other than deduction under section,- (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)			46	
47	Profit or loss from specified business (44+45-46)			47	
48	Deductions in accordance with section 35AD(1)			48	
49	Income from Specified Business) (47-48) (if loss, take the figure to 7xix of schedule CFL)			49	
50	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)			50	
D Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A38+B43+C49)					
E Intra head set off of business loss of current year					
Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off	Business income remaining after set off	
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	
i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A38)		
ii	Income from speculative business	(B43)			
iii	Income from specified business	(C49)			
iv	Income from Life Insurance business u/s. 115B	(4b)			
iva	Income of Foreign Company from eligible business of selling raw diamond (refer rule 10T1A)	(4d)			
v	Total loss set off (ii + iii)				
vi	Loss remaining after set off (i - v)				

Schedule DPM		Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)				
DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY	1	Block of assets	Plant and machinery			
	2	Rate (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3	Written down value on the first day of previous year				
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year				
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4				
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)				
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year				
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7				
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7 - 8) (enter 0, if result is negative)				
10	Depreciation on 6 at full rate					

11	Depreciation on 9 at half rate				
12	Additional depreciation, if any, on 4				
13	Additional depreciation, if any, on 7				
14	Additional depreciation relating to immediately preceding year on asset put to use for less than 180 days				
15	Total depreciation (10+11+12+13+14)				
16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 15)				
17	Net aggregate depreciation (15-16)				
18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)				
19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets				
20	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3 - 4 -7 -19) (enter negative only, if block ceases to exist)				
21	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -15) (enter 0, if result is negative)				

Schedule DOA		Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)							
DEPRECIATION ON OTHER ASSETS	1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
	2	Rate (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	Written down value on the first day of previous year							
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)							
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
	10	Depreciation on 6 at full rate							
	11	Depreciation on 9 at half rate							
	12	Total depreciation (10+11)							
	13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12)							
	14	Net aggregate depreciation (12-13)							
	15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
	16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
	17	Capital gains/ loss under section 50* (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
18	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)								

Schedule DEP		Summary of depreciation on assets (Other than on assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)			
SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery			
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 17i or 18i as applicable)	1a		
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable)	1b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable)	1c		
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 17iv or 18iv as applicable)	1d		
	e	Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c+1d)			1e
	2	Building (not including land)			
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	2a		
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	2b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)	2c		
	d	Total depreciation on building (2a+2b+2c)			2d
	3	Furniture and fittings(Schedule DOA- 14v or 15v as applicable)			3
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 14vi or 15vi as applicable)			4
	5	Ships (Schedule DOA- 14vii or 15vii as applicable)			5
	6	Total depreciation (1e+2d+3+4+5)			6

Schedule DCG		Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets			
	1	Plant and machinery			
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 20i)	1a		
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 20ii)	1b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1c		
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1d		
	e	Total (1a +1b + 1c+1e)			1e
	2	Building (not including land)			
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)	2a		
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)	2b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)	2c		
	d	Total (2a + 2b + 2c)			2d
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 17v)			3
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)			4
	5	Ships (Schedule DOA- 17vii)			5
	6	Total (1e+2d+3+4+5)			6

Schedule ESR		Expenditure on scientific Research etc. (Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD)			
Sl No	Expenditure of the nature referred to in section (1)	Amount, if any, debited to statement of profit and loss (2)	Amount of deduction allowable (3)	Amount of deduction in excess of the amount debited to statement of profit and loss (4) = (3) - (2)	
i	35(1)(i)				
ii	35(1)(ii)				
iii	35(1)(ia)				
iv	35(1)(iii)				
v	35(1)(iv)				
vi	35(2AA)				
vii	35(2AB)				

viii	35CCC			
ix	35CCD			
x	Total			
NOTE	In case any deduction is claimed under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA), please provide the details as per Schedule RA.			

Schedule CG		Capital Gains										
CAPITAL GAINS	A	Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 & 5 are not applicable for residents)										
		1 From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)(in case of co-ownership, enter your share of capital gain)										
		Date of purchase/acquisition		DD/MM/YYYY		Date of sale/transfer		DD/MM/YYYY				
		a	i	Full value of consideration received/receivable					ai			
			ii	Value of property as per stamp valuation authority					aii			
			iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]					aiii			
		b	Deductions under section 48									
			i	Cost of acquisition without indexation					bi			
			ii	Cost of Improvement without indexation					bii			
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer					biii			
			iv	Total (bi + bii + biii)					biv			
		c	Balance (aiii – biv)					1c				
		d	Deduction under section/ 54G/54GA (Specify details in item D below)					1d				
		e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)					A1e				
		F	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)									
			S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	Pin code	State		
		NOTE		Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.								
		2	From slump sale									
		A	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)				2ai				
	ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)				2aii						
	iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)				2aiii						
B	Net worth of the under taking or division (6(e) of Form 3CEA)				2b							
C	Short term capital gains from slump sale (2aiii-2b)				A2c							
3	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(b)(ii) proviso (for FII) (where A4 is not applicable)											
a	Full value of consideration					3a						
b	Deductions under section 48											
	i	Cost of acquisition without indexation				bi						
	ii	Cost of Improvement without indexation				bii						
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii						
	iv	Total (i + ii + iii)				biv						
c	Balance (3a – biv)				3c							
d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)				3d							
e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c + 3d)				A3e							

	4	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)					
		a	STCG on transactions covered u/s 111A		A4a		
		b	STCG from sale of shares not covered in sl.no. 4a or sale of debentures		A4b		
	5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD					
		a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
				b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib	
				c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic	
			ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii		
			iii	Total (ic + ii)	aiii		
		b	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition without indexation	bi			
			ii	Cost of improvement without indexation	bii		
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
			iv	Total (i + ii + iii)	biv		
		c	Balance (5aiii – biv)		5c		
		d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)		5d		
	e	Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)			A5e		
	6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above					
		a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
a			Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia			
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
ii			Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii			
iii			Total (ic + ii)	aiii			
b		Deductions under section 48					
i		Cost of acquisition without indexation	bi				
		ii	Cost of Improvement without indexation	bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
		iv	Total (i + ii + iii)	biv			
c		Balance (6aiii – biv)		6c			
d		In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)		6d			
e		Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule- DCG)		6e			
f		Deduction under section 54G/54GA		6f			
g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e – 6f)			A6g			
7	Amount deemed to be short term capital gains						

Long-term Capital Gains	a Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below											
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in						
				Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account							
	i	2022-23	54G/54GA									
	ii	2023-24	54G/54GA									
	iii	2024-25	54G/54GA									
	b Amount deemed to be short term capital gains u/s 54D/54G/54GA, other than at 'a'											
	Total amount deemed to be short term capital gains (aXi+ aXii+ aXiii + b)											A7
	8 Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8ai + A8aaii + A8b + A8c)											A8
	a Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 20%											A8a
	b Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%											A8b
	c Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates											A8c
	9 Amount of STCG included in A1 – A8 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA (Applicable for non-residents only)											
	Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
I												
II												
a Total amount of STCG not claimed as chargeable to tax in India as per DTAA										A9a		
b Total amount of STCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA										A9b		
A(A) Capital Loss on buy back of shares [Short term 20% or 30% or Applicable rate](can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered) in sl. no. 1aiii or sl.no.2c/2d of schedule OS										A(A)		
10 Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 + A8-A9a +A(A))										A10		
B Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 5, 6, & 7 are not applicable for residents)												
1 From sale of land or building or both (fill up details separately for each property from a to f)(in case of co-ownership, enter your share of Capital Gain)												
Date of purchase/acquisition			DD/MM/YYYY		Date of sale/transfer			DD/MM/YYYY				
a	i	Full value of consideration received/receivable						ai				
	ii	Value of property as per stamp valuation authority						aii				
	iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]						aiii				
b Deductions under section 48												
	i	Cost of acquisition without indexation						bi				
	ii	Cost of Improvement without indexation						bii				
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer						biii				
	iv	Total (bi+bii + biii)						biv				
c Balance (aiii – biv)										1c		
d Deduction under section 54D/54EC/54G/54GA (Specify details in item D below)										1d		
e Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)										B1e		

		f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)							
			S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	Pin code	
			NOTE► Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deduced under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.							
		g	Total Long-term Capital Gains on Immovable property (ΣB1e)						B1g	
	2		From slump sale							
		i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)				2ai			
	a	ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)				2aii			
		iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)				2aiii			
	b	Net worth of the under taking or division (6(e) of Form 3CEA)				2b				
	c	Balance (2aiii – 2b)				2c				
	d	Deduction u/s 54EC				2d				
	e	Long term capital gains from slump sale (2c-2d)							B2e	
	3	From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds as per Section 112(1)								
		a	Full value of consideration				a			
		b	Deductions under section 48							
		i	Cost of acquisition without indexation				bi			
		ii	Cost of improvement without indexation				bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii			
		iv	Total (bi + bii + biii)				biv			
	c	Long Term Capital Gains on assets at B3 (3a – biv)				B3c				
	4	From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A								
		Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B4(Column 14 of schedule 112A)							B4	
		i	Sum of column 14 where transfer was before 23 rd July 2024						B5i	
		ii	Sum of column 14 where transfer was on or after 23 rd July 2024						B5ii	
	5	For NON-RESIDENTS- from sale of unlisted shares or listed debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)								
		LTCG computed without indexation benefit on unlisted shares or listed debentures						B5		
	6	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in sec. 115AD								
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details							
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares				ia			
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner				ib			
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)				ic			
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares				aii			
		iii	Total (ic + ii)				aiii			
	b	Deductions under section 48								
		i	Cost of acquisition without indexation				bi			
		ii	Cost of improvement without indexation				bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii			
		iv	Total (bi + bii + biii)				biv			

		c	Long-term Capital Gains on assets at B6 above in case of NON-RESIDENT (6aiii-6biv)		B6c																											
		7	For FII / FPI (NON-RESIDENTS) - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A read with section 115AD																													
			Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B7 (Column 14 of 115AD(1)(b)(iii) proviso)		B7																											
		8	From sale of assets where B1 to B7 above are not applicable																													
		a	i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details																													
			a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia																												
			b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib																												
			c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic																												
			ii Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	a ii																												
			iii Total (ic + ii)	a iii																												
		b	Deductions under section 48																													
			i Cost of acquisition without indexation	bi																												
			ii Cost of improvement without indexation	bii																												
			iii Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii																												
			iv Total (bi + bii + biii)	biv																												
		c	Balance (a iii – biv)	c																												
		d	Deduction under section 54D//54G/54GA (Specify details in item D below)	d																												
		e	Long-term Capital Gains on assets at B8 above (8c- 8d)		B8e																											
		9	Amount deemed to be long-term capital gains																													
		a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">S.no</th> <th rowspan="2">Previous year in which asset transferred</th> <th rowspan="2">Section under which deduction claimed in</th> <th colspan="2">New asset acquired/constructed</th> <th rowspan="2">Amount not used for new asset or remained</th> </tr> <tr> <th>Previous year in which asset acquired/constructed</th> <th>Amount utilised out of Capital Gains account</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i</td> <td>2022-23</td> <td>54D/54G/54GA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ii</td> <td>2023-24</td> <td>54D/54G/54GA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>iii</td> <td>2024-25</td> <td>54D/54G/54GA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	S.no	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained	Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account	i	2022-23	54D/54G/54GA				ii	2023-24	54D/54G/54GA				iii	2024-25	54D/54G/54GA						
S.no	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in	New asset acquired/constructed				Amount not used for new asset or remained																									
			Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account																												
i	2022-23	54D/54G/54GA																														
ii	2023-24	54D/54G/54GA																														
iii	2024-25	54D/54G/54GA																														

		b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'	b		
			Total amount deemed to be long-term capital gains (aXi + aXii+ aXiii + b)		B9	
		10	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B10a1+ B10a2)		B10	
		a1	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% u/s 112A	B10a1		
		a2	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% under sections other than u/s 112A	B10a2		

11	Amount of LTCG included in items B1 to B10 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA (Applicable for non-residents only)										
	Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B10 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
a	Total amount of LTCG claimed as not chargeable to tax in India as per DTAA									B11a	
b	Total amount of LTCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA									B11b	
Capital Loss on buy back of shares [Long term 12.5% B(A)(can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered in sl.no. 1a(ii) or sl.no.2c/2d of schedule OS)										B(A)	
12	Total long term capital gain] [B1g + B2e + B3c + B4 + B5 + B6c + B7+ B8e+ B9+B10-B11a+B(A)]									B12	
C1	Sum of Capital Gain Incomes (8ii + 8iii + 8iv + 8v + 8vi +8vii +of table E below)									C1	
C2	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Item No. B of Schedule VDA)									C2	
C3	Income chargeable under the head “CAPITAL GAINS” (C1 + C2)									C3	
D	Information about deduction claimed against Capital Gains										
1	In case of deduction u/s 54D/54EC /54G/54GA give following details										
a	Deduction claimed u/s 54D										
i	Date of acquisition of original asset						ai	dd/mm/yyyy			
ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking						aii				
iii	Date of purchase of new land or building						aiii	dd/mm/yyyy			
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date						aiv				
iva	Date of deposit Dd/mm/yyyy				ivb Account Number			ivc IFS code			
v	Amount of deduction claimed						av				
b	Deduction claimed u/s 54EC										
i	Date of transfer of original asset						bi	dd/mm/yyyy			
ii	Amount invested in specified/notified bonds						bii				
iii	Date of investment						biii	dd/mm/yyyy			
iv	Amount of deduction claimed						biv				
c	Deduction claimed u/s 54G										
i	Date of transfer of original asset						ci	dd/mm/yyyy			
ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset						cii				
iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area						ciii	dd/mm/yyyy			
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date						civ				
iva	Date of deposit Dd/mm/yyyy				ivb Account Number			ivc IFS Code			
v	Amount of deduction claimed						cv				
d	Deduction claimed u/s 54GA										
i	Date of transfer of original asset from urban area						di	dd/mm/yyyy			
ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset						dii				
iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ						diii	dd/mm/yyyy			
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date						dii				
iva	Date of deposit Dd/mm/yyyy				ivb Account Number			ivc IFS Code			
v	Amount of deduction claimed						dv				
e	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d)									e	

E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A9a & B12a which is NOT chargeable under DTAA)										
Sl.No.	Type of Capital Gain		Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss set off				Long term capital loss set off		Current year's capital gains remaining after set off (8=1-2-3-4-5-6-7)
				20%	30%	applicable rate	DTAA rates	12.5%	DTAA rates	
				1	2	3	4	5	6	
i	Loss to be set off (Fill this row if figure computed is negative) →			(A3e**+ A4a**+ A8a**+A(A))	(A5e**+ A8b**+A(A))	(A1e**+ A2c**+A4b**+A6g**+A7**+A8c**+A(A))	A9b	(B1g**+ B2e**+ B3c**+ B4**+B5**+B6c**+ B7**+ B8e**+B9**+B10a1**+B10a2**+ B(A))	B11b	
ii	Short term capital gain	20%	(A3e**+ A4a**+ A8a**+A(A))							
iii		30%	(A5e**+ A8b**+A(A))							
iv		applicable rate	(A1e**+ A2c**+A4b**+A6g**+A7**+A8c**+A(A))							
v		DTAA rates	A9b							
vi		12.5%	(B1g**+ B2e**+ B3c**+ B4**+B5**+B6c**+ B7**+ B8e**+B9**+B10a1**+B10a2**+B(A))							
vii	Long term capital gain	DTAA rates	B11b							
viii	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii)									
ix	Loss remaining after set off (i-viii)									
The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) is after setoff with similar securities and as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.										
The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B10) is after setoff with similar securities and as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.										

F Information about accrual/receipt of capital gain							
	Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)	
1	Short-term capital gains taxable at the rate of 20% Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any.						
2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30% Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any.						
3	Short-term capital gains taxable at applicable rates Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any.						
4	Short-term capital gains taxable at DTAA rates Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.						
5	Long- term capital gains taxable at the rate of 12.5% Enter value from item 5x of schedule BFLA, if any.						
6	Long- term capital gains taxable at the rate DTAA rates Enter value from item 5xi of schedule BFLA, if any.						
7	Capital gains on transfer of Virtual Digital Asset taxable at the rate of 30% Enter value from item 16B of schedule SI, if any						

Schedule 112A		From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A													
S. No.	Share/Unit Acquired (On or before/after 31 st Jan 2018)	Share/Unit transferred (Before/after 23 rd July 2024)	ISIN Code	Name of the Share/Unit	No. of Shares/Units	Sale-price per Share/Unit	Full Value Consideration -If shares are acquired on or before 31.01.2018 (Total Sale Value) (4*5) - If shares are Acquired after 31st January, 2018 - Please enter Full Value of Consideration	Cost of acquisition with out indexation (higher of 8 or 9)	Cost of acquisition	If the long term capital asset was acquired before 01.02.2018, - Lower of 11 and 6	Fair Market Value per share/unit as on 31st January, 2018	Total Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(ac) - (4*10)	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Total deductions (7+12)	Balance (6-13) - Item 5 of LT CG Schedule of ITR 6
(Col 1)	(Col 1a)	(Col 1b)	(Col 2)	(Col 3)	(Col 4)	(Col 5)	(Col 6)	(Col 7)	(Col 8)	(Col 9)	(Col 10)	(Col 11)	(Col 12)	(Col 13)	(Col 14)
1															
2															
	Add rows														
	Total														

Schedule 115AD(1)(b)(iii)-Proviso		From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A rws 115AD(1)(b)(iii) proviso													
S. No.	Share/Unit Acquired (On or before / after 31 st Jan 2018)	Share/Unit transferred (Before/after 23 rd July 2024)	ISIN Code	Name of the Share/Unit	No. of Shares/Units	Sale-price per Share/Unit	Full Value Consideration -If shares are acquired on or before 31.01.2018 (Total Sale Value) (4*5)	Cost of acquisition with out indexation (higher of 8 or 9)	Cost of acquisition	If the long term capital asset was acquired before 01.02.2018, - Lower of 11 and 6	Fair Market Value per share/unit as on 31st January, 2018	Total Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(ac) -	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Total deductions (7+12)	Balance (6-13) - Item 8 of LT CG Schedule of ITR 6

							-If shares are Acquir ed after 31st Janua ry 2018 - Please enter Full Value of Consid eration. n.			and 6		(4*1 0)			
(Co l 1)	(Col 1a)	(Col 1b)	(C ol 2)	(Col 3)	(Col 4)	(Col 5)	(Col 6)	(Col 7)	(Col 8)	(Col 9)	(Col 10)	(Col 11)	(Col 12)	(Col 13)	(Col 14)
Add rows															
Total															

Schedule VDA	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Note: Details of every transaction are to be filled, wherein every ‘transfer’ is a transaction)					
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Business/Capital Gain)	Cost of Acquisition (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col. 5)
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)
Add Rows						
A. Total (Sum of all Positive Incomes of Business Income in Col. 7)						(Item No. 3f of Schedule BP)
B. Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)						(Item No. C2 of Schedule CG)

Schedule OS		Income from other sources				
OTHER SOURCES	1	Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)				1
	a	Dividends, Gross (ai + aii + aiii)			1a	
	i	Dividend income other than (ii) and (iii)			ai	
	ii	Dividend income u/s 2(22)(e)			aii	
	iii	Dividend income u/s 2(22)(f)			aiii	
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv+bv)			1b	
	i	From Savings Bank		bi		
	ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative) Society)		bii		
	iii	From Income-tax Refund		biii		
	iv	In the nature of Pass through income/Loss		biv		
	v	Others including interest from Companies, NBFCs & HFCs		bv		
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross			1c	
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)			1d	
	i	Aggregate value of sum of money received without consideration			di	

			ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property	dii		
			iii	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration	diii		
			iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property	div		
			v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration	Dv		
		1e	Any other income (please specify nature)				
			Sl. No	Nature	Amount		
			1	Any specified sum received by a unit holder from a business trust during the previous year as referred to in section 56(2)(xii)		1	
			Add rows				
		2	Income chargeable at special rates (2ai + 2aii + 2b+ 2c+ 2d + 2e related to sl.no.1)				
						2	
		ai	Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, card games etc. chargeable u/s 115BB			2ai	
		aia	Income by way of winnings from online games chargeable u/s 115BBJ			2aia	
		b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)			2b	
			i	Cash credits u/s 68		bi	
			ii	Unexplained investments u/s 69		bii	
			iii	Unexplained money etc. u/s 69A		biii	
			iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B		biv	
			v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C		bv	
			vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D		bvi	
		c	Any other income chargeable at special rate (total of ci to cxviii)			2c	
			i	Dividends received by foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to Section 115A(1)(a)(A)	ci		
			ia	Dividend received by non-resident (Not being company) or foreign company from a unit in an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA chargeable under proviso to section 115A(1)(a)(A)	cia		
			ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	cii		
			iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	ciii		
			iv	Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 5%	civ		
			v	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 4%	cv		
			vi	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	cvi		
			vii	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)	cvii		
			viii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)	cviii		
			ix	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115(1)(b)(B)	cix		
			x	Income by way of interest from bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	cx		
			xi	Income by way of dividend from GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	cxii		
			xii	Income received in respect of units purchased in foreign currency by an off-shore fund-115AB(1)	cxiii		
			xiii	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	cxiv		
			xiv	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)	cxv		
			xv	Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA			

		xvi	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC				cxvi					
		xvii	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF				cxvii					
		xviii	Income by way of transfer of carbon credits - chargeable u/s 115BBG				cxviii					
		xix	Income from royalty where agreement entered between 31.3.1961 to 31.3.1976 and income from fees for technical services where agreement entered between 29.2.1964 and 31.3.1976, and agreement is approved by the Central Government. Paragraph EII of Part I of first schedule of Finance Act				cxix					
		xx	Income being dividend received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)				cxx					
		xxi	Income being dividend received by a specified fund in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)				cxxi					
		xxii	Income (other than dividend) received by a specified fund in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)				cxxii					
		xxiii	Income received by non-resident as referred in second proviso to section 194LC(1) -- chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 9%				cxxiii					
	d	Pass through income in the nature of income from other sources claimed as chargeable at special rates (drop down to be provided)									2d	
	e	Amount included in 1 and 2 above, which claimed as is chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below) (Applicable for non-residents only)									2e	
		Sl. No.	Amount of income	Item No. 1ai, 1aiii, 1b to 1d 2a, 2c & 2d in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
				(3a)								
		I										
		II										
3	Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b, 2c & 2d)											
	a	Expenses / Deductions (Other than entered in C)					3a					
	b	Depreciation (available only if income offered in 1c)					3b					
	c	Interest expenditure on dividend u/s 57(1) (only if income offered in 1a(i) and/or 1a(ii))					3c					
	ci	Eligible Interest expenditure u/s 57(1) – computed value					3ci					
	d	Total					3d					
4	Amounts not deductible u/s 58											
5	Profits chargeable to tax u/s 59											
6	Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates [1(after reducing income related to DTAA portion) – 3 + 4 + 5] (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)]											
7	Income from other sources (other than from owning and maintaining race horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)											
8	Income from the activity of owning race horses											
	a	Receipts					8a					
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only					8b					
	c	Amounts not deductible u/s 58					8c					
	d	Profits chargeable to tax u/s 59					8d					
	e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 11xvii of Schedule CFL)					8					
9	Income under the head "Income from other sources" (7 + 8e) (take 8e as nil if negative)											
10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources											
	S. No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3					
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)					

1	Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)						
2	Income by way of winnings from online games u/s 115BBJ						
3a	Dividend Income referred in 1a(i)						
3b	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(iii)						
4	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI Income)						
5	Dividend income under proviso to sec 115A(1)(a)(A) @10% (Including PTI Income)						
6	Dividend Income u/s 115AC @ 10% (Including PTI Income)						
7	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) received by a FII u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)						
8	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) received by a specified fund u/s 115AD(1)(i) @ 10% (Including PTI Income)						
9	Dividend income chargeable at DTAA Rates						

Schedule CYLA		Details of Income after Set off of current year losses					
CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from race horses and amount chargeable to special rate of tax) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
	i	Loss to be set off (Fill this row only, if computed figure is negative) →		(3 of Schedule – HP)	(2vi of item E of Schedule BP)	(6 of Schedule-OS)	
	ii	House property	(3 of Schedule HP)				
	iii	Business (excluding Income from life insurance business u/s 115B speculation income and income from specified business)	(A38 of Schedule BP)				
	iv	Income from life insurance business u/s 115B	(3iv of item E of Sch. BP)				
	v	Speculation income	(3ii of item E of Sch. BP)				
	vi	Specified business income u/s 35AD	(3iii of item E of Sch. BP)				
	vii	Short-term capital gain taxable @ 20%	(8ii of item E of Schedule CG)				
	viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(8iii of item E of Schedule CG)				
	ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(8iv of item E of Schedule CG)				

x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(8v of item E of Schedule CG)				
xi	Long term capital gain taxable @ 12.5 %	(8vi of item E of Schedule CG)				
xii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(8vii of item E of schedule CG)				
xiii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of Schedule OS)				
xiv	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of Schedule OS)				
xv	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2e of Schedule OS)				
xvi	Total loss set off					
xvii	Loss remaining after set-off (i – xvi)					

Schedule BFLA		Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years					
BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
			1	2	3	4	5
	i	House property	(5ii of Schedule CYLA)	(B/f house property loss)			
	ii	Business (excluding Income from Insurance Business , speculation income and income from specified business)	(5iii of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss) (Note: B/F loss set off will be restricted to business income excluding income u/s 44BB, 44BBB & 44BBD)	(Note: B/F depreciation set off will be restricted to business income excluding income u/s 44BB, 44BBB & 44BBD)		
	iii	Profit and gains from life insurance business u/s 115B	(5iv of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
	iv	Speculation Income	(5v of Schedule CYLA)	(B/f normal business or speculation loss)			
	v	Specified Business Income	(5vi of Schedule CYLA)	(B/f normal business or specified business loss)			
	vi	Short-term capital gain taxable @ 20%	(5vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	vii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(5viii of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	viii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(5ix of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	ix	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(5x of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	x	Long-term capital gain taxable @ 12.5%	(5xi of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
	xi	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(5xii of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
	xii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(5xiii of Schedule CYLA)				
	xiii	Profit from owning and maintaining race horses	(5xiv of Schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)			
	xiv	Income from other sources income taxable at special rates in India as per DTAA	(5xv of Schedule CYLA)				

	xv	Total of brought forward loss set off (2i+2ii+2iii+2iv+2v+2vi+2vii+2viii+2ix+2x+2xi+2xiii)				
	xvi	Current year's income remaining after set off of total of 5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii+5xiii+ 5xiv)				

Schedule CFL		Details of Losses to be carried forward to future years											
CARRY FORWARD OF LOSS	S. No.	Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Loss from business other than loss from insurance business, loss from speculative business and specified			Loss from speculative business	Loss from specified businesses	Loss from life insurance business u/s 115B	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses
					Brought forward business losses	Amount as adjusted on account of opting for taxation section 115BAA	Brought forward Business Loss available for set off during the year						
	1	2	3	4	5a	5b	5c=5a-5b	6	7	8	9	10	11
	i	2010-11											
	ii	2011-12											
	iii	2012-13											
	iv	2013-14											
	v	2014-15											
	vi	2015-16											
	vii	2016-17											
	viii	2017-18											
	ix	2018-19											
	x	2019-20											
	xi	2020-21											
	xii	2021-22											
	xiii	2022-23											
	xiv	2023-24											
	xv	2024-25											
xvi	2025-26												
xvii	Total of earlier year losses b/f												
xviii	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2i of Schedule BFLA)	(2ii of Schedule BFLA)			(2iv of Schedule BFLA)	(2v of Schedule BFLA)	(2iii of Schedule BFLA)			(2xiii of Schedule BFLA)	
xix	2026-27 (Current year losses)		(2xvii of Schedule CYLA)	(3xvii of Schedule CYLA)			(B43 of Schedule BP, if -ve)	(C49 of Schedule BP, if -ve)	4b of Schedule BP, (if -ve)	(2ix + 3ix + 4ix + 5ix +) of item E of Schedule CG)	(6ix+7ix) of item E of Schedule CG	(8e of Schedule OS, if -ve)	
xx	Current year loss distributed among the unit-holder (Applicable for Investment fund only)												
xxi	Current year losses to be carried forward (xix-xx)												
xxii	Total loss Carried forward to future years (xvii-xxii+xxi)												

Schedule UD		Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)						
Sl No	Assessment Year	Depreciation				Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount as adjusted on account of opting for taxation section 115BAA	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year							
ii								
iii								
iv	Total			(3xvi of BFLA)			(4xvi of BFLA)	

Schedule ICDS		Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit		
Sl. No.	ICDS	Increase in Profit (Rs.)	Decrease in profit (Rs.)	Net Effect (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Accounting Policies			
II	Valuation of Inventories (<i>other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI</i>)			
III	Construction Contracts			
IV	Revenue Recognition			
V	Tangible Fixed Assets			
VI	Changes in Foreign Exchange Rates			
VII	Government Grants			
VIII	Securities (<i>other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI</i>)			
IX	Borrowing Costs			
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets			
XI	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)			

Schedule 10AA		Deduction under section 10AA					
DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone						
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl	Amount of deduction		
	a	Undertaking No.1		a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)		
	b	Undertaking No.2		b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)		
	c	Total deduction under section 10AA (a+b)					

Schedule 80G Details of donations entitled for deduction under section 80G										
DETAILS OF DONATIONS	A Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit									
	Name and address of donee		PAN of Donee		Amount of donation		Eligible Amount of donation		Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	
	i			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation				
	ii									
	iii									
	iv	Total								
	B Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit									
	Name and address of donee		PAN of Donee		Amount of donation		Eligible Amount of donation		Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	
	i			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation				
	ii									
	iii									
	iv	Total								
	C Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit									
	Name and address of donee		PAN of Donee		Amount of donation		Eligible Amount of donation		Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	
	i			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation				
	ii									
	iii									
	iv	Total								
	D Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit									
	Name and address of donee		PAN of Donee	ARN (Donation Reference Number)	Amount of donation		Eligible Amount of donation		Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	
i				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation				
ii										
iii										
iv	Total									
E Total donations (Aiv + Biv + Civ + Div)										

Schedule 80GGA Details of donations for scientific research or rural development									
S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (<i>drop down to be provided</i>)	Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation				Eligible Amount of donation	
				Donation in cash		Donation in other mode	Total Donation		
i									
ii									
	Total donation								

Schedule 80GGB		Details of contributions made to political parties							
Sl. No.	Date	Amount of contribution			Eligible amount of contribution	Name of the political party	PAN of the political party	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank
		Contribution in cash	Contribution in other mode	Total Contribution					
i									
	(add rows)								
	Total contribution								

Schedule 80IAC		Deduction in respect of eligible start-up [to be filled only if answer to A19(q) is 'Yes']				
Sl. No.	Date of incorporation of Startup	Nature of business	Certificate number as obtained from Inter Ministerial Board of Certification	First AY in which deduction was claimed	Amount of deduction claimed for current AY	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

Schedule 80LA		Deduction in respect of offshore banking unit or IFSC					
Sub-section in which deduction is claimed							
Sl. No.	Type of entity	Type of income of the unit	Authority granting registration	Date of registration	Registration number	First AY during which deduction is claimed	Amount of deduction claimed for current AY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(add row option to be provided)							
Total							

Schedule RA		Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(iia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]						
		Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
					Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
		i						
		ii						
		iii	Total					

Schedule 80-IA		Deductions under section 80-IA				
DEDUCTION U/S 80-IA	a	Deduction in respect of profits of an enterprise referred to in section 80-IA(4)(i) [Infrastructure facility]	a1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			a2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	b	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	b1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			b2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	c	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(v) [Revival of power generating plant]	c1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			c2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	d	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2 + c1+ c2)				d

Schedule 80-IB		Deductions under section 80-IB				
a	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
b	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
c	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
d	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	d1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		d2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
e	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to d2)				g	

Schedule 80-IE		Deductions under section 80-IE			
	a Deduction in respect of undertaking located in North-East				
	aa	Assam	aa1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			aa2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	ab	Arunachal Pradesh	ab1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			ab2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	ac	Manipur	ac1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			ac2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	ad	Mizoram	ad1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			ad2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	ae	Meghalaya	ae1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			ae2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	af	Nagaland	af1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			af2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	ag	Tripura	ag1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			ag2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	ah	Sikkim	ah1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			ah2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	ai Total deduction for undertakings located in North-east (total of aa1 to ah2)				
	b Total deduction under section 80-IE (ah)				

Schedule VI-A		Deductions under Chapter VI-A			
TOTAL DEDUCTIONS	1	Part B- Deduction in respect of certain payments			
	a	80G		b	80GGB
	c	80GGA		d	80GGC
	Total Deduction under Part B (a + b + c +d)				
					1

2	Part C- Deduction in respect of certain incomes					
	e	80-IA	(d of Schedule 80-IA)	f	80-IAB	
	g	80-IAC	(7 of Schedule 80-IAC)	h	80-IB	(e of Schedule 80-IB)
	i	80-IBA		j	80-IE	(b of Schedule 80-IE)
	k	80JJA		l	80JJAA	[Sl.no. 5I(eiv) +5II of Annexure to Form 10DA]
	m	80LA(1)	(9 of Schedule 80-LA)	n	80LA(1A)	(9 of Schedule 80-LA)
	o	80M- Details of distribution of dividend as provided in e-filing utility		p	80-PA	
Total Deduction under Part C (total of e to p)						2
3	Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2)					3

Schedule SI		Income chargeable to tax at special rates				
SPECIAL RATE	SI No	Section/Description	☑	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
	1	111A or section 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STCG on shares units on which STT paid)	☐	20	(part of 5vi of Schedule BFLA)	
	2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	☐	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)	
	3	112(1) (LTCG on listed securities/ units)	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	4	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities or other than Listed Debentures)	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	5	115AB (LTCG for non-resident on units referred in section 115AB)	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	7	115AD (LTCG for FII on securities)	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	8	112 (LTCG on others)	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	9	112A (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid) or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	10	STCG chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 5ix of Schedule BFLA)	
	11	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 5xi of Schedule BFLA)	
	12	115B (Profits and gains of life insurance business)	☐	12.5	(5iii of Schedule BFLA)	
	13a	115AC ((Income by way of interest received by non-resident from bonds purchased in foreign currency)	☐	10	(part of 2cx of Schedule OS)	
	13b	115AC (Income by way of Dividend received by non-resident on GDR purchased in foreign currency)	☐	10	(part of 2cxi of Schedule OS)	
	14	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	☐	30	(2a of Schedule OS)	
	15	115BBJ (Winnings from online games)	☐	30	(2ab of Schedule OS)	
	16	115BBH- Tax on Income from Virtual Digital asset				
		A Income under head business or profession	☐	30	(3f of Schedule BP)	
		B Income under head Capital Gain	☐	30	(C2 of Schedule CG)	
	17	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	☐	60	(2b of Schedule OS)	
	18	115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B) (Income of a foreign company from Royalty & Fees for Technical Services)	☐	20	(part of 2cxix of Schedule OS)	
	19	115BBF (Income from patent)				
		a Income under head business or profession	☐	10	(3d of Schedule BP)	
		b Income under head other sources	☐	10	(2cxvii of Schedule OS)	
	20	115BBG (Income from transfer of carbon credits)				
		a Income under head business or profession	☐	10	(3e of Schedule BP)	
		b Income under head other sources	☐	10	(2cxviii of Schedule OS)	

21	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 5xi of Schedule BFLA)	
22	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 20%	☐	20	(part of 5vi of Schedule BFLA)	
23	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	☐	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)	
24	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% u/s 112A	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
25	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% other than section 112A	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
26	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates (Drop down to be provided in e-filing utility)	☐		(2d of Schedule OS)	
27	Income received in respect of units purchased in foreign currency by an off-shore fund-115AB(1)	☐	10	(2cx of Schedule OS)	
28	Income from royalty where agreement entered between 31.3.1961 to 31.3.1976 and income from fees for technical services where agreement entered between 29.2.1964 and 31.3.1976, and agreement is approved by the Central Government. Paragraph EII of Part I of first schedule of Finance Act	☐	50	(2cxix of Schedule OS)	
29	Any other income chargeable at special rate (Drop down to be provided in e-filing utility)	☐		(part of 2c of Schedule OS)	
			Total		

Schedule IF		Information regarding investment in unincorporated entities								
ENTITIES IN WHICH INVESTMENT IS HELD	Number of entities in which investment is held									
	Sl. No.	Name of the entity	Type of the entity	PAN of the entity	Whether the entity is liable for audit? (Yes/No)	Whether section 92E is applicable to entity? (Yes/ No)	Percentage Share in the profit of the entity	Amount of share in the profit	Amount of interest due or received	Capital balance on 31 st March in the entity
								i	ii	iii
	1									
	2									
	3									
	4	Total								

Schedule EI		Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)					
EXEMPT INCOME	1	Interest income				1	
	2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)	i			
		ii	Expenditure incurred on agriculture	ii			
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years	iii			
		iv	Agricultural income portion relating to Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl. No. 39 of Sch. BP)	iv			
		v	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii + iv) (enter nil if loss)			2	
		vi	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)				
		a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located				
		b	Measurement of agricultural land in Acre				

		c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)					
		d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)					
3	Other exempt income (please specify) (3a+3b)							3
	a	Income u/s 10(15B), 10(23FB), 10(23FBA), 10(23FC), 10(23FCA), 10(23FE), 10(23FF), 10(4D) (Please provide details of Acknowledgement Number and Date of Form Filed if 10(23FF) and 10(4D) is claimed)					3a	
		Add row option and dropdown to be provided in utility						
	b	Any other Income (Specify nature) – Add row option to be provided in utility					3b	
4	Income claimed as not chargeable to tax as per DTAA (Applicable for non-residents only)							
	Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)	
5	Pass through income claimed as not chargeable to tax (Schedule PTI)							5
6	Total (1+2+3+4+5)							6

Schedule PTI		Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115U, 115UA and 115UB							
S.No	Invested in section 115U/115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	S.No	Head of income	Current year income	Share of Current year loss distributed by Investment fund	Net Income / Loss 9=7-8	TDS on such amount , if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PASS THROUGH INCOME	1.	(drop down to be provided)		i	House property				
				ii	Capital Gains				
				A	Short term				
				Ai	Section 111A				
				Aii	Others				
				B	Long term				
				Bi	Section 112A				
				Bii	Section other than 112A				
				iii	Other Sources				
				A	Dividend				
				B	Others				
				iv	Income claimed to be exempt				
				A	u/s 10(23FBB)				
				B	u/s				
	C	u/s							
	2.			i	House property				
				ii	Capital Gains				
				a	Short term				
				ai	Section 111A				
				aii	Others				
b				Long term					
bi				Section 112A					
bii				Other than 112A					
iii				Other Sources					
a				Dividend					
b				Others					
iv				Income claimed to be exempt					

						a	u/s 10(23FBB)				
						b	u/s				
						c	u/s				

Schedule MAT		Computation of Minimum Alternate Tax payable under section 115JB									
Minimum Alternate Tax	1	Whether the statement of profit and loss is prepared in accordance with the provisions of Parts II of Schedule III to the Companies Act, 2013 (If yes, write 'Y', if no write 'N')									☐
	2	If 1 is no, whether statement of profit and loss is prepared in accordance with the provisions of the Act governing such company (If yes, write 'Y', if no write 'N')									☐
	3	Whether, for the statement of profit and loss referred to in item 1 above, the same accounting policies, accounting standards and same method and rates for calculating depreciation have been followed as have been adopted for preparing accounts laid before the company at its annual general body meeting? (If yes, write 'Y', if no write 'N')									☐
	4	Profit after tax as shown in the statement of profit and loss (enter item 56 of Part A-P&L) / (enter item 56 of Part A- P&L Ind AS) (as applicable)								4	
	5	Additions (if debited in statement of profit and loss)									
	a	Income-tax paid or payable or its provision including the amount of deferred tax and the provision thereof				5a					
	b	Reserve (except reserve under section 33AC)				5b					
	c	Provisions for unascertained liability				5c					
	d	Provisions for losses of subsidiary companies				5d					
	e	Dividend paid or proposed				5e					
	f	Expenditure related to exempt income under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)]				5f					
	g	Expenditure related to share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86				5g					
	h	Expenditure in case of foreign company referred to in clause (fb) of explanation 1 to section 115JB				5h					
	i	Notional loss on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (fc) of explanation 1 to section 115JB				5i					
	j	Expenditure relatable to income by way of royalty in respect of patent chargeable to tax u/s 115BBF				5j					
k	Depreciation attributable to revaluation of assets				5k						
l	Gain on transfer of units referred to in clause (k) of explanation 1 to section 115JB				5l						
m	Others (including residual unadjusted items and provision for diminution in the value of any asset)				5m						
n	Total additions (5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g+5h+5i+5j+5k+5l+5m)								5n		
6	Deductions										
a	Amount withdrawn from reserve or provisions if credited to statement of profit and loss				6a						

	b	Income exempt under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)]	6b		
	c	Amount withdrawn from revaluation reserve and credited to statement of profit and loss to the extent it does not exceed the amount of depreciation attributable to revaluation of asset	6c		
	d	Share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86 credited to statement of profit and loss	6d		
	e	Income in case of foreign company referred to in clause (iid) of explanation 1 to section 115JB	6e		
	f	Notional gain on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (iie) of explanation 1 to section 115JB	6f		
	g	Loss on transfer of units referred to in clause (iif) of explanation 1 to section 115JB	6g		
	h	Income by way of royalty referred to in clause (iig) of explanation 1 to section 115JB	6h		
	i	Loss brought forward or unabsorbed depreciation whichever is less or both as may be applicable	6i		
	j	Profit of sick industrial company till net worth is equal to or exceeds accumulated losses	6j		
	k	Others (including residual unadjusted items and the amount of deferred tax credited to P&L A/c)	6k		
	l	Total deductions (6a+6b+6c+6d+6e+6f+6g+6h+6i+6j+6k)	6l		
7	Book profit under section 115JB (4+ 5n – 6l)			7	
8	Whether the financial statements of the company are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards (Ind-AS) specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. If yes, furnish the details below:-		☐ Yes ☐ No		
	A. Additions to book profit under sub-sections (2A) to (2C) of section 115JB				
a	Amounts credited to other comprehensive income in statement of profit & loss under the head "items that will not be reclassified to profit & loss"	8a			
b	Amounts debited to the statement of profit & loss on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger	8b			
c	One fifth of the transition amount as referred to in section 115JB (2C) (if applicable)	8c			
d	Others (including residual adjustment)	8d			
e	Total additions (8a + 8b + 8c + 8d)	8e			
	B. Deductions from book profit under sub-sections (2A) to (2C) of section 115JB				
f	Amounts debited to other comprehensive income in statement of profit & loss under the head "items that will not be reclassified to profit & loss"	8f			
g	Amounts credited to the statement of profit & loss on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger	8g			
h	One fifth of the transition amount as referred to in section 115JB (2C) (if applicable)	8h			

	i	Others (including residual adjustment)	8i		
	j	Total deductions (8f + 8g + 8h + 8i)	8j		
	9	Deemed total income under section 115JB (7 + 8e – 8j)	9		
	a	Deemed total income u/s 115JB from Units located in IFSC, if any	9a		
	b	Deemed total income u/s 115JB from other Units (9-9a)	9b		
	10	Tax payable under section 115JB [9% of (9a)+ 15% of (9b)]			10

Schedule MATC		Computation of tax credit under section 115JAA				
MAT CREDIT	1	Tax under section 115JB in assessment year 2026-27 (1d of Part-B-TTI)				1
	2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2026-27 (2f of Part-B-TTI)				2
	3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]				3
	4	Utilisation of MAT credit Available [Sum of MAT credit utilised during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of MAT Credit Brought Forward]				
	S.No	Assessment Year (A)	MAT Credit		MAT Credit Utilised during the Current Year (C)	Balance MAT Credit Carried Forward (D)= (B3) – (C)
			Gross (B1)	Set-off in earlier years (B2)	Balance Brought forward (B3)=(B2)-(B1)	
	i	2011-12				
	ii	2012-13				
	iii	2013-14				
	iv	2014-15				
	v	2015-16				
	vi	2016-17				
	vii	2017-18				
	viii	2018-19				
	ix	2019-20				
	x	2020-21				
	xi	2021-22				
	xii	2022-23				
	xiii	2023-24				
	xiv	2024-25				
	xv	2025-26				
	xvi	2026-27[(Sl no 1-Sl no 2 of)-(Sl No 6c - 2f of Schedule Part B-TTI, only if positive)]				
	xvii	Total				
5	Amount of tax credit under section 115JAA utilised during the year [enter 4(C)xviii]					5
6	Amount of MAT liability available for credit in subsequent assessment years [enter 4(D)xviii]					6

Schedule- TPST		Details of Tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A) as per the schedule provided in e-filing utility						
TAX ON SECONDARY ADJUSTMENTS AS PER SECTION 92CE(2A)	1	Amount of primary adjustments on which option u/s 92CE(2A) is exercised & such excess money has not been repatriated within the prescribed time (please indicate the total of adjustments made in respect of all the AYs)						
	2	a	Additional Income tax payable @ 18% on above					
		b	Surcharge @ 12% on "a"					
		c	Health & Education cess on (a+b)					
		d	Total Additional tax payable (a+b+c)					
	3	Taxes paid						
	4	Net tax payable (2d-3)						
	5	Date(s) of deposit of tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	Date 3 (DD/MM/YYYY)	Date 4 (DD/MM/YYYY)	Date 5 (DD/MM/YYYY)	Date 6 (DD/MM/YYYY)
	6	Name of Bank and Branch						
	7	BSR Code						
	8	Serial number of challan						
	9	Amount deposited						

Schedule 115TD		Accreted income under section 115TD	
1	Aggregate Fair Market Value (FMV) of total assets of specified person	1	
2	Less: Total liability of specified person	2	
3	Net value of assets (1 – 2)	3	
4	(i) FMV of assets directly acquired out of income referred to in section 10(1)	4i	
	(ii) FMV of assets acquired during the period from the date of creation or establishment to the effective date of registration/provisional registration u/s 12AB, if benefit u/s 11 and 12 not claimed during the said	4ii	
	(iii) FMV of assets transferred in accordance with third proviso to section 115TD(2)	4iii	
	(iv) Total (4i + 4ii + 4iii)	4iv	
5	Liability in respect of assets at 4 above	5	
6	Accreted income as per section 115TD [3 – (4iv – 5)]	6	
7	Additional income-tax payable u/s 115TD at maximum marginal rate	7	
8	Interest payable u/s 115TE	8	
9	Specified date u/s 115TD	9	
10	Additional income-tax and interest payable	10	
11	Tax and interest paid	11	
12	Net payable (10 - 11) (Enter 0 if negative)	12	

	13	Date(s) of deposit of tax on accreted income	Date 1 DD/MM/YYYY	Date 2 DD/MM/YYYY	Date 3 DD/MM/YYYY
	14	Name of Bank and Branch			
	15	BSR Code			
	16	Serial number of challan			
	17	Amount deposited			

Schedule FSI				Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)						
INCOME FROM OUTSIDE INDIA AND TAX RELIEF	Sl.	Country Code (dropdown to be provided in the e-filing utility)	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	1			i	House Property					
				ii	Business or Profession					
				iii	Capital Gains					
				iv	Other sources					
				Total						
	2			i	House Property					
				ii	Business or Profession					
				iii	Capital Gains					
				iv	Other sources					
				Total						

Schedule TR		Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)				
TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1	Details of Tax relief claimed				
		Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Total				
	2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))				2
	3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))				3
	4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below				4
		a	Amount of tax refunded	b	Assessment year in which tax relief allowed in India	

[illegible]

(ii)												
C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2025												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Address of the Property	Ownership - Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	2a	2b	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2025												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of Asset	Ownership - Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2025 and which has not been included in A to D above.												
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Zip Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in, - (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return					
							Amount	Schedule where offered	Item number of schedule			
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												

SCHEDULE SH-1

SHAREHOLDING OF UNLISTED COMPANY (other than a company that is registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (or section 25 of the Companies Act, 1956) or a company limited by guarantee under section 3(2) of Companies Act, 2013 or a start-up for which Schedule SH-2 is to be filled up)

If you are an unlisted company, please furnish the following details:-

Details of shareholding at the end of the previous year

Name of the shareholder	Residential status in India	Type of share	PAN /Aadhaar No.	Date of allotment	Number of shares held	Face value per share	Issue Price per share	Amount received			
Details of equity share application money pending allotment at the end of the previous year											
Name of the applicant	Residential status in India	Type of share	PAN/Aadhaar No.	Date of application	Number of shares applied for	Application money received	Face value per share	Proposed issue price			
Details of shareholders who is not a shareholder at the end of the previous year but was a shareholder at any time during the previous year											
Name of the shareholder	Residential status in India	Type of share	PAN/Aadhaar No.	Number of shares held	Face value per share	Issue Price per share	Amount received	Date of allotment	Date on which ceased to be shareholder	Mode of cessation	In case of transfer/sale, PAN of the new shareholder

SCHEDULE SH-2 SHAREHOLDING OF START-UPS											
If you are a start-up which has filed declaration in Form-2 under para 5 of DPIIT notification dated 19.02.2019, please furnish the following details of shareholding:-											
Details of shareholding as at the end of the previous year											
Name of the shareholder	Category of shareholder (drop down to be provided- non-resident/ venture capital company/ venture capital fund/ specified company/ any other person)	Type of share	PAN/Aadhaar No.	Date of allotment	Number of shares held	Face value per share	Issue Price per share	Paid up value per share	Share premium		
Details of share application money pending allotment as at the end of the previous year											
Name of the applicant	Category of applicant (drop down to be provided- non-resident/ venture capital company/ venture capital fund/ specified company/ any other person)	Type of share	PAN/Aadhaar No.	Date of application	Number of shares applied for	Face value per share	Proposed issue price per share	Share application money	Share application premium		
Details of shareholder who is not a shareholder at the end of the previous year but was a shareholder at any time during the previous year											
Name of the shareholder	Category of shareholder (drop down to be provided- non-resident/ venture capital company/ venture capital fund/ specified company/ any other person)	Type of share	PAN/Aadhaar no.	Date of allotment	Number of shares held	Face value per share	Issue Price per share	Paid up value per share	Date on which ceased to be shareholder	Mode of cessation	In case of transfer, PAN of the new shareholder
NOTE	For definition of expressions- “venture capital company”, “venture capital fund” and “specified company”, please refer DPIIT notification dated 19.02.2019.										

[illegible]

F	Details of motor vehicle, aircraft, yacht or other mode of transport, the actual cost of which exceeds ten lakh rupees acquired since incorporation							
	Particulars of asset	Registration number of vehicle	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose for which used (dropdown to be provided)	Whether transferred, if Yes date of transfer		
G	Details of Jewellery acquired since incorporation							
	Particulars of asset	Quantity	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose for which used (dropdown to be provided)	Whether transferred, if Yes date of transfer	Closing balance as at the end of the previous year, if any	
H	Details of archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, any work of art or bullion acquired since incorporation							
	Particulars of asset	Quantity	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose for which used (dropdown to be provided)	Whether transferred, if Yes date of transfer	Closing balance as at the end of the previous year, if any	
I	Details of liabilities							
	Details of loans, deposits and advances taken from a person other than financial institution							
	Name of the person	PAN	Opening Balance	Amount received	Amount paid	Interest debited, if any	Closing balance	Rate of interest (%)

Schedule GST	INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST		
DETAILS OF GST	Sl. No.	GSTIN No(s).	Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed
	(1)	(2)	(3)
NOTE ► Please furnish the information above for each GSTIN No. separately			

Schedule FD	Break-up of payments/receipts in Foreign currency (to be filled up by the assessee who is not liable to get accounts audited u/s 44AB)		
Foreign Currency Transaction	S. No.		Amount (in Rs.)
	i	Payments made during the year on capital account	
	ii	Payments made during the year on revenue account	
	iii	Receipts during the year on capital account	
	iv	Receipts during the year on revenue account	

Part B

Part B – TI		Computation of total income		
TOTAL INCOME	1	Income from house property (3 of Schedule-HP) (enter nil if loss)	1	
	2	Profits and gains from business or profession		
	i	Profits and gains from business other than speculative business and specified business (A 38 of Schedule BP) (enter nil if loss)		2i
	ia	Income of Foreign company from eligible business of selling raw diamonds (refer rule 10T1A) (3iva of Table E of Schedule BP)		2ia

	ii	Profits and gains from speculative business (3(ii) of Table E of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	2ii		
	iii	Profits and gains from specified business (3(iii) of Table E of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	2iii		
	iv	Income chargeable to tax at special rates (3d, 3e, 3f & 3b of Table E of Schedule BP)	2iv		
	v	Total (2i + 2ia + 2ii + 2iii + 2iv)		2v	
3	Capital gains				
	a	Short term			
	i	Short-term chargeable @ 20% (8ii of item E of schedule CG)	ai		
	ii	Short-term chargeable @ 30% 8iii of item E of schedule CG)	aii		
	iii	Short-term chargeable at applicable rate (8iv of item E of schedule CG)	aiii		
	iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8v of item E of Schedule CG)	aiv		
	v	Total Short-term (ai + aii + aiii + aiv) (enter nil if loss)	3av		
	b	Long-term			
	i	Long-term chargeable @ 12.5% (8vi of item E of Schedule CG)	bi		
	ii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8vii of item E of schedule CG)	bii		
	iii	Total Long-term (bi + bii) (enter nil if loss)	bihi		
	c	Sum of Short-term/Long-term capital gains (3av + 3bihi) (enter nil if loss)		3c	
	d	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)		3d	
	e	Total capital gains (3c + 3d)		3e	
4	Income from other sources				
	a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a		
	b	Income chargeable to tax at special rate (2 of Schedule OS)	4b		
	c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c		
	d	Total (4a + 4b + 4c)		4d	
5	Total of head wise income (1 + 2v + 3e + 4d)				5
6	Losses of current year to be set off against 5 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule CYLA)				6
7	Balance after set off current year losses (5 – 6) (Also total of (ii, iii, v to xv of column 5 of Schedule CYLA+4b+2iv)				7
8	Brought forward losses to be set off against 7 (total of 2xv, 3xv and 4xv of Schedule BFLA)				8
9	Gross Total income (7 – 8) (Also total of (i, ii, iv to xiv of column 5 of schedule BFLA+4b+2iv)				9
10	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9				10
11	Deductions under Chapter VI-A				
	a	Part-B of Chapter VI-A [1 of Schedule VI-A and limited upto total of (i, ii, iv, v, viii, xii, xiii) of column 5 of Schedule BFLA]		11a	
	b	Part-C of Chapter VI-A [2 of Schedule VI-A]		11b	
	c	Total (11a + 11b) [limited upto (9-10)]		11c	
12	Deduction u/s 10AA (Total Sch. 10AA)				12
13	Total income (9 - 11c - 12)				13
14	Income chargeable to tax at special rates (total of (i) of Schedule SI)				14
15	Income chargeable to tax at normal rates (13 - 14)				15
16	Net agricultural income(2v of Schedule EI)				16
17	Losses of current year to be carried forward (total of xxi of Schedule CFL)				17
18	Deemed total income under section 115JB (9 of Schedule MAT)				18

Part B – TTI		Computation of tax liability on total income					
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax Payable on deemed total Income under section 115JB (10 of Schedule MAT)		1a		
		b	Surcharge on (a) above (if applicable)		1b		
		c	Health and Education Cess @ 4% on (1a+1b) above		1c		
		d	Total Tax Payable u/s 115JB (1a+1b+1c)		1d		
	2	Tax payable on total income					
		a	Tax at normal rates on 15 of Part B-TI	2a			
		b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)	2b			
		c	Tax Payable on Total Income (2a + 2b)		2c		
		d	Surcharge				
		i	25% of 16(ii) of Schedule SI	2di			
				2g(ii)			
		ii	On [(2c) – (16(ii) of Schedule SI)]	2dii			
		iii	Total (i + ii)		2diii		
		e	Health and Education Cess @ 4% on (2c+2diii)		2e		
		f	Gross tax liability (2c+2diii+2e)		2f		
	3	Gross tax payable (higher of 1d and 2f)				3	
	4	Credit under section 115JAA of tax paid in earlier years (if 2f is more than 1d) (5 of Schedule MATC)				4	
	5	Tax payable after credit under section 115JAA [(3 - 4)]				5	
6	Tax relief						
	a	Section 90/90A(2 of Schedule TR)	6a				
	b	Section 91(3 of Schedule TR)	6b				
	c	Total (6a + 6b)		6c			
7	Net tax liability (5 – 6c) (enter zero if negative)				7		
8	Interest and fee payable						
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	8a				
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	8b				
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	8c				
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	8d				
	da	Fee for furnishing revised return of income (section 234-I)	8da				
	e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d+8da)		8e			
9	Aggregate liability (7 + 8e)				9		
TAXES PAID	10	Taxes Paid					
		a	Advance Tax (from column 5 of 18A)	10a			
		b	ITDS (total of column 9 of 18B)	10b			
		c	TCS (total of column 7 of 18C)	10c			
		d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 18A)	10d			
		e	Total Taxes Paid (10a+10b+10c + 10d)		10e		
11	Amount payable (9 - 10e) (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)				11		

	12	Refund (If 10e is greater than 9)	12														
	13	Net tax payable on 115TD income including interest u/s 115TE (Sr.no. 12 of Schedule 115TD)	13														
	14	Tax payable u/s 115TD after adjustment of refund at Sl. No. 12 (13-12)	14														
	15	Net refund after adjustment as per Sl. No. 14 (12-13) (refund, if any, will be directly credited into the bank account)	15														
BANK ACCOUNT	16	Do you have a bank account in India															
	(a)	Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)															
	Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Number													
				Type of account (Dropdown to be provided by)													
				Select Account for refund credit (tick atleast one account ✓)													
	i				☐												
ii				☐													
	Note: 1) All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c. 2) In case multiple accounts are selected, the refund will be credited to one of the validated accounts after processing the return. (Row can be added as required)																
	(b)	Non- residents, may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:															
	S. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location													
				IBAN													
	Row can be added as required																
	17	Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]															
		☐ Yes ☐ No															
	18	TAX PAYMENTS															
ADVANCE/ SELF ASSESSMENT TAX	A	Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax															
	Sl No	BSR Code				Date of Deposit (DD/MM/YYYY)				Serial Number of Challan				Amount (Rs)			
	(1)	(2)				(3)				(4)				(5)			
	i																
	ii																
	iii																
	NOTE ▶		Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 10a & 10d of Part B-TTI														
	B	Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C/16D/16E furnished by Deductor(s)]															
	Sl No	TDS credit relating to self /other person [other person as per rule 37BA(2)]	PAN/Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/aadhaar No. of Tenant/ Buyer	Section under which TDS is deducted	Unclaimed TDS brought forward (b/f)	TDS of the current Financial Year (TDS deducted during the FY 2025-26)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year not applicable if TDS is deducted u/s 194N)		Corresponding Receipt /withdrawals offered		TDS credit being carried forward				
						Fin. Year in which deducted	TD S b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Gross Amount	Head of Income				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4a)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				

									Incom e	TD S		Inco me	TD S	PAN/ Aadha ar No.			
	i																
	C	Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]															
TCS ON INCOME	SI N o	TCS credit relating to self /other person [other person as per rule 37- I(1)]	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	PAN of Other Person (if TCS credit related to other person)	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current financial Year (TCS collected during the FY 2025-26)		TCS credit being claimed this Year		TCS credit being carried forward						
					Fin. Year in which collected	Amount b/f	Collected in own hands	Collected in the hands of any other person as per rule 37-I(1) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of any other person as per rule 37-I(1) (if applicable)							
	(1)	(2)(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	(6)(i)	(6)(ii)	(7)(i)	(7)(ii)	(8)						
											TCS	PAN					
	i																
NOTE ► Please enter total of column (7)(i) in 10c of Part B-TTI																	

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.			
I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) .			
I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)			
Date		Place	Sign here ➔”

[No. 49/2026/F. No. 370142/9/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy., Tax Policy and Legislation

Note:- The Income-tax Rules, 1962 rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Par II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification GSR 229 (E), dated the 30th March, 2026



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271441
CG-DL-E-31032026-271441

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 210]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सा.का.नि. 229(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवाँ संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये 31 मार्च, 2026 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2026-27 के लिए फाइल किए गए विवरणी पर लागू होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 के, परिशिष्ट-II में, प्ररूप आईटीआर-5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

प्ररूप	आ.क.वि.-5	भारतीय आयकर विवरणी (i) व्यष्टि (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (iii) कंपनी और (iv) प्ररूप आई टीआर-7 फाईल करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति (कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12 देखें)	निर्धारण वर्ष						
			2	0	2	6	-	2	7

भाग क-साधारण		साधारण	
व्यक्तिगत जानकारी	(क1)नाम		(क2) स्थायी लेखा संख्याक
	(क3)क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हाँ, तो कृपया पुराना नाम दें		(क4) एमसीए द्वारा जारी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) यदि लागू हो तो,
	संसूचना प्रयोजनों हेतु पतों का प्रदान किया जाना प्राथमिक पता (क7क) फ्लैट /द्वार /ब्लाक सं. (क8क)परिसर/भवन/ग्राम का नाम		(क5)विरचना की तारीख (दि.मा.व)
			(क6)कारबार प्रारंभ होने की तारीख (दि.मा.व)
	(क9क)सड़क/गली /डाकघर (क10क) क्षेत्र/अवस्थिति (क11क) शहर/नगर/जिला (क12क) राज्य (क13क) पिनकोड/जिपकोड (क14क) देश द्वितीयक पता (क7ख) फ्लैट /द्वार /ब्लाक सं. (क8ख)परिसर का नाम/भवन/ग्राम का नाम (क9ख)सड़क/गली /डाकघर (क10ख) क्षेत्र/अवस्थिति (क11ख) शहर/नगर/जिला (क12ख) राज्य (क13ख) पिनकोड/जिपकोड (क14ख) देश		प्रारस्थिति (फर्म-1 उप प्रास्थिति-भागीदारी फर्म, एलएलपी, स्थानीय प्राधिकारी-2, एओपी/बीओआई-3 उप प्रास्थिति-अन्य सहकारी बैंक, अन्य सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860यया उस राज्य की तत्स्थानी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी/सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, कारबार न्यास, विनिधान निधि, आयकर विवरणी 7 में विवरणी फाईल करने के पात्र न्यास से भिन्न न्यास, अन्य कोई एओपी/बीओआई, कृत्रिम विधिक व्यक्ति-4, उप-प्रास्थिति-मृतक की संपदा, दिवालिया की संपदा, अन्य एजेपी), ☐
	संसूचना संयोजनों के लिए ब्यौरा प्रदान किया जाना		
	(क15)करदाता का निवास /कार्यालय का फोन नं. एसटीडी कोड सहित प्राथमिक मोबाईल सं.		(क16) द्वितीयक मोबाईल सं.
	(क17)प्राथमिक ई-मेल पता		(क18) द्वितीयक ई-मेल पता
फाईल करने की प्रास्थिति	(क19 का) आय की विवरणी फाईल करने की देय तारीख(ड्रापडाउन उपबंधित किया जाए) 1. 31 जुलाई 2. 31 अगस्त 3. 31 अक्टूबर 4. 30 नवंबर		

(क19 कii)	(1) धारा के अधीन फाइल (सही का निशान लगाएँ) /	□ 139(1)- नियत तारीख को या उस से पूर्व □ 139(4)- विलंबित, □139(5)- पुनरीक्षित, □92गघ-उ(उपांतरित विवरणी, □ 119(2)(ख) के अधीन विलंब के लिए माफी के पश्चात्।	
	(2) या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	□ · 139(9), □ · 142(1), □ · 148, □ · 153(ग)	
	(3) क्या आप एक कारबार न्यास हैं?	□ हाँ □ नहीं	
	(4) क्या आप धारा 115पख में निर्दिष्ट एक विनिधान निधि हैं?	□ हाँ □ नहीं	
(ख)	यदि पुनरीक्षित/ दोषपूर्ण/उपांतरित करने के लिए सूचना के उत्तर में है तो मूल विवरणी की प्राप्ति सं. और फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)		/ /
(ग)	यदि धारा 139(9) / 142(1) / 148/ 153(ग) के अंतर्गत नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर में फाइल की गयी है, तो यूनिक नंबर/ दस्तावेज पहचान संख्या(डी.आई.एन)और ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत फाइल की गई है तो अग्रिम मूल्यन करार की तारीख भरें	(यूनिक नंबर)	/ /
घ	टिप्पण: यदि एओपी(सहकारी सोसायटी से भिन्न बीओआई/एजेपी, कृपया(घi) भरें। यदि सहकारी सोसायटी है तो कृपया(घii) या (घiv) भरें, जैसा लागू हो। (घi) क्या आपकी चालू निर्धारण वर्ष के लिए कारबार या वृत्ति से आय है? □ हाँ □ नहीं (i) यदि क19(घi) का उत्तर हां है, तो क्या आपने 10झड.क प्ररुप को किसी पूर्व निर्धारण वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनने के लिए फाइल किया है? □ हाँ □ नहीं (क) यदि (i) का उत्तर हां है, तो- (i) प्ररुप 10झड.क की पावती संख्या और निर्धारण वर्ष प्रस्तुत करें जिसके लिए यह प्ररुप पुरानी कर व्यवस्था चुनने हेतु भरा था। (ii) क्या आपने निर्धारण वर्ष जिसमें पुरानी कर व्यवस्था चुनने हेतु पहला प्ररुप 10झड.क भरा था के पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष के लिए प्ररुप 10झड.क भरने के द्वारा नई कर व्यवस्था पुनःप्रविष्ट कर दी है? □ हाँ □ नहीं (क) यदि (i)(क)(ii) का उत्तर हाँ है, तो दूसरे प्ररुप 10झड.क की पावती संख्या प्रदान करें तथा निर्धारण वर्ष जिसके लिए यह प्ररुप नई कर व्यवस्था चुनने के लिए फाइल किया गया था और नई कर व्यवस्था में आयकर विवरणी प्रस्तुत करें। (ख) यदि (i)(क)(ii) का उत्तर नहीं है तो क्या आपने चालू निर्धारण वर्ष में नई कर व्यवस्था में पुनः प्रविष्ट करने के लिए प्ररुप 10झड.क प्रस्तुत किया है? (ख)(i) यदि हां, तो परुप 10झड.क की पावती संख्या प्रदान करे और आयकर विवरणी प्रस्तुत करें। (ख)(ii) यदि नहीं, तो पुरानी कर व्यवस्था में आयकर विवरणी प्रस्तुत करें। (ख) यदि (i) का उत्तर नहीं है, क्या आपने पुरानी कर व्यवस्था चुनने के लिए चालू निर्धारण वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर प्ररुप 10झड.क प्रस्तुत किया है? □ हाँ □ नहीं (i) यदि (i)(ख) का उत्तर हां है, तो प्ररुप 10झड.क की पावती संख्या प्रदान करें और पुरानी कर व्यवस्था में विवरणी प्रस्तुत करें। (ii) यदि (i)(ख) का उत्तर नहीं है, तो नई कर व्यवस्था में आयकर विवरणी प्रस्तुत करें। (ii) यदि क19(घi) का उत्तर नहीं है, तो क्या आप चालू निर्धारण वर्ष के लिए पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनना चाहते हैं? □ हाँ □ नहीं टिप्पण: धारा 115खकग(1क) के अधीन डिफॉल्ट व्यवस्था नई व्यवस्था है। पुरानी व्यवस्था प्ररुप 10झड.क फाइल करने द्वारा धारा 115खकग(6) के अधीन नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना जा सकता है जो धारा 139(1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख पर या से पूर्व प्रयोग किया जाना चाहिए।		

(घ ii)	(क) क्या आपने 115खकग के तहत पूर्ववर्ती वर्षों में नई कर प्रणाली का विकल्प चुना है? □ हाँ □ नहीं (यदि हां का चयन किया गया है तो कृपया नि.व. जिसमें उक्त विकल्प प्रयोग किया गया तथा प्रपत्र 10-आई.एफ की पावती संख्या दाखिल की तारीख सहित प्रस्तुत करें)

(घ iii)	यदि "नहीं", तो चालू निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प नहीं चुना गया चुना जा रहा. यदि "चुना जा रहा" विकल्प चुना, कृपया प्रस्तुत करें	प्रपत्र 10 झच दि/मा/व	पावती क्रमांक:
(घ iv)	यदि आप नई विनिर्माता सहकारी सोसायटी है, निर्धारण वर्ष 2024-25 या निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए धारा 139(1) के अधीन क्या आय से अनिवार्य रूप से आय की विवरणी भरना अपेक्षित था ? ☐ हां ☐ नहीं		
(घi v क)	यदि (घiv) का उत्तर हां है, तो क्या आपने निर्धारण वर्ष 2024-25 या निर्धारण वर्ष 2025-26 में धारा 115खकड़ के अधीन कोई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने का विकल्प प्रयोग किया है? ☐ हां ☐ नहीं		
(घi v ख)	यदि (घiv) का उत्तर नहीं है, तो क्या आपने निर्धारण वर्ष 2026-27 में धारा 115खकड़ के अधीन कोई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने का विकल्प प्रयोग करना चाहते हो ? ☐ हां ☐ नहीं		
(घi v ग)	यदि घiv(क) या घiv (ख), हां के रूप में चुना जाता है, कृपया प्ररूप 10-झचक फाइल करने की तारीख तथा अभिस्वीकृति संख्या प्रस्तुत करें	प्ररूप 10झचक फाइल करने की तारीख दि/मा/व	अभिस्वीकृति सं.
(ड.)	निवास संबंधी प्रास्थिति (सही का निशान लगाएँ) ☒ ☐ निवासी ☐ अनिवासी		
(च)	क्या निर्धारिती की अंतराष्ट्रीय वित्तयी सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? (सही का निशान लगाएँ) ☒ ☐ हाँ ☐ नहीं		
(छ)	क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप के रूप में मान्यता प्राप्त हैं	☐ हाँ ☐ नहीं	
(ज)	यदि हां तो, कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप मान्यता संख्या उल्लिखित करें		
(झ)	क्या अंतर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है?	☐ हाँ ☐ नहीं	
(ञ)	यदि हां तो, कृपया प्रमाणन संख्या उल्लिखित करें		
(ट)	क्या आप एमएसएमई के रूप में मान्यता प्राप्त हैं	☐ हाँ ☐ नहीं	
(ठ)	यदि हां तो, कृपया एमएसएमई अधिनियम, 2006 के अनुसार आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान करें।		
(ड)	(i) अनिवासी की दशा में, यदि भारत में कोई स्थायी स्थापन है (सही का निशान लगाएँ) ☒ ☐ हाँ ☐ नहीं (अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस.ई.पी.)धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित है ? (चिन्ह) ☐ हां ☐ नहीं		
(ढ)	अनिवासी की दशा में, क्या स्पष्टीकरण (2क) से धारा 9(1) में परिभाषित अनुसार भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति है(एस ई पी) (सही का निशान लगाएँ) ☒ ☐ हाँ ☐ नहीं यदि हां, कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(ख) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या		
(ण)	क्या आप एफआईआई/एफपीआई? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रेशन का संख्यांक उपबंधित करें।		
(त)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा (फाइल की जा रही है ? (सही का निशान लगाएँ) ☒ ☐ हाँ ☐ नहीं यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें--		
	(1)	प्रतिनिधि निर्धारिती का नाम	
	(2)	प्रतिनिधि निर्धारिती का ई-मेल आईडी	

	(3)	प्रतिनिधि निर्धारिती का संपर्क संख्या												
थ	क्या आप फर्म में भागीदार हैं? (निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं यदि हां तो, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें													
	फर्म का नाम								स्थायी लेखा संख्यांक					
द	क्या आपने पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किया है ? (निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं यदि हां तो, साधारण अंश के संबंध में कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा संख्यांक	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित अंश				वर्ष के दौरान अंतरित अंश		अंत अतिशेष		
				अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति अंश अंकित मूल्य	प्रति अंश निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति अंश क्रय मूल्य (विद्यमान अंश धारक से क्रय की दशा में)	अंशों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत
	1 क	1 ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	ध	विधिक अस्तित्व पहचानकर्ता(एलईआई) ब्योरा(अनिवार्य है यदि प्रतिदाय 50 करोड़ या अधिक है)		
		एलईआई संख्या		तारीख जब तक वैध
संपरीक्षा जानकारी	क1	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी ? (सही का निशान लगाएँ) ☐ हाँ ☐ नहीं		
	क2	क्या निर्धारिती केवल 44कघ/ 44कघक/ 44कड़ / 44ख / 44खख / 44खखक / 44खखग/44खखघ के तहत आय की घोषणा कर रहा है (निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं		
	क2i	कृपया कारबार के कुल विक्रय/आवर्त सकल प्राप्तियां की रेंज चुने (चिन्ह) ☐ ☐ 1 करोड़ रुपये तक ☐ 1 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक ☐ टर्नआवेर 10 करोड़ से अधिक		
	क2ii	क2i पर 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक विकल्प चुना जाता है कृपया पूर्व वर्ष के दौरान किए गए कुल प्राप्तियों में से नकद और गैर खाता संदाता चैक/बैंक ड्राफ्ट में प्राप्त रकम की प्रतिशत चुने। ☐ 5% ☐ 5 %से अधिक (टिप्पण: यदि यह प्रतिशत 5% से अधिक है , तो आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं।)		

क 2iii	यदि 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक विकल्प क2i पर चुना जाता है पूर्व वर्ष के दौरान किए गए कुल संदाय में से नकद और गैर खाता संदाता चेक/बैंक ड्राफ्ट में किये गए संदायों का प्रतिशत चुने। ☐ 5% ☐ 5 %से अधिक (टिप्पण: यदि यह प्रतिशत 5% से अधिक है , तो आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं।)			
ख	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी ? (सही का निशान लगाएँ) ☒ हाँ ☐ नहीं (प्रणाली को टिप्पणी : यदि टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो यह स्वतः ही होना चाहिए) यदि हां का चयन किया जाता है, तो उल्लेख करें कि निम्नलिखित में से किन शर्तों पर:-			
खi	विक्रय,आवर्त या सकल प्राप्तियां धारा 44कख के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है (निशान लगाएं) ☒			
खii	धारा 44कघ,44कघक,44कड़,44खख के अधीन आने वाला निर्धारित,किंतु अनुमानित आधार पर आय नहीं प्रस्तुत कर रहा (लागु धारा पर टिक करें) ☐ 44कघ ☐ 44कघक ☐ 44कड़ ☐ 44खख			
खiii	अन्य (निशान लगाएं) ☒			
ग	यदि (ख) हाँ है तो क्या लेखों की संपरीक्षा लेखाकार द्वारा की गई है ? (सही का निशान लगाएँ) ☒ हाँ ☐ नहीं,			
	(i)	संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (दिन /मास/वर्ष) / /		
	(ii)	संपरीक्षा रिपोर्ट की पावती संख्या		
	(iii)	संपरीक्षक का नाम (संपत्तिक /फर्म)		
	(iv)	संपत्तिक/फर्म का पैन/ आधार संख्या		
(घi)	क्या आप धारा 92ड. के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? ☐ हां ☐ नहीं			
(घii)	यदि घझ हां है, क्या धारा 92 अ के तहत खातों का लेखा परीक्षण किया गया	· हां · नहीं	लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख ? दि/मा/व	पावती संख्या
(घiii)	यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें, (कृपया अनुदेश देखें)			
	☐	☐	☐	☐
	क्रम संख्यांक.	सेक्शन कोड	तारीख (दिन/मास/वर्ष)	पावती संख्या
(ड)	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?			
	अधिनियम और धारा		(दिन/मास/मास)	

भागीदार/ सदस्य / न्यास की सूचना	अ.	क्या पूर्व वर्ष के दौरान फर्म/ए ओ पी /बी ओ आई के भागीदारों/ सदस्यों में कोई परिवर्तन हुआ है (सही का निशान लगाएँ) ☐ हाँ ☐ नहीं (संस्था तथा सहकारी बैंकों में प्रबंधन समिति का विवरण) यदि हां तो प्रविष्ट/ सेवानिवृत्त भागीदारों का विवरण प्रदान करें।							
		क्र.सं.	भागीदार/सदस्य का नाम	प्रवेश/निवृत्ति	स्थायी लेखा संख्या	प्रवेश/निवृत्ति की तारीख	पारिश्रमिक भुगतान/ देय सेवानिवृत्ति भागीदार के मामले में (फर्म के मामले में)	अंश का प्रतिशत (यदि अवधार्य हो)	
		1.							
		2.							
धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए	आ	क्या एओपी/बीओआई/एजेपी का निष्पादक विदेशी कंपनी है? (सही का निशान लगाएँ) ☐ हाँ ☐ नहीं							
		यदि हां तो एओपी/बीओआई/एजेपी के निष्पादक में विदेशी कंपनी के शेयर की प्रतिशतता का उल्लेख करें (सही का निशान लगाएँ) ☐ हाँ ☐ नहीं							
	ई.	क्या एओपी/बीओआई/एजीपी के निष्पादक के किसी सदस्य की कुल आय (ऐसी संगम या निकाय/एजेपी के निष्पादक से उसके शेयरों को छोड़कर) उस अधिकतम रकम से अधिक है जो उस सदस्य के मामले में कर से प्रभार्य नहीं है? (सही का निशान लगाएँ) ☐ हाँ ☐ नहीं							
		व्यक्तियों की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2026 या विघटन की तारीख को फर्म/एओपी/बीओआई में भागीदार/सदस्य या न्यास में व्यवस्थापक/न्यासी/फायदाग्राही या मृतक की संपदा या दिवालिया की संपदा की दशा में निष्पादक था							
	क्र. सं.	नाम और पता	शेयर का प्रतिशत (यदि अवधारित किया जाए)	स्थायी लेखा संख्या	आधार संख्या	एलएलपी में भागीदार की दशा में अभिहित भागीदार पहचान संख्या	प्रास्थिति	पूंजी पर ब्याज की दर	संदत्त/संदेय पारिश्रमिक
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
च	धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की दशा में भरा जाना है								
	1	क्या हिताधिकारी के शेयर अवधारित या ज्ञात हैं ?						☐ हाँ ☐ नहीं	
	2	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति की कारबार आय है ?						☐ हाँ ☐ नहीं	
	3	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वसीयत द्वारा घोषित है /या अनन्य रूप से व्यवस्थापक के किसी आश्रित रिश्तेदार के फायदे के लिए और /या व्यवस्थापक द्वारा घोषित एकमात्र न्यास है ?						☐ हाँ ☐ नहीं	
	4	कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (यथा लागू):							
	(i)	क्या सभी हिताधिकारियों की आय आधारभूत छूट सीमा के नीचे है?						☐ हाँ ☐ नहीं	

			(ii)	क्या सुसंगत आय या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा वसीयत द्वारा घोषित किसी न्यास के अधीन प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा न्यास उसके द्वारा इस प्रकार घोषित एकमात्र न्यास है?	☐ हाँ ☐ नहीं
			(iii)	क्या न्यास व्यवस्थापक के रिश्तेदारों/एच यू एफ के सदस्य, प्रमुखतः उस पर/परिवार पर निर्भर, के अनन्य लाभ के लिए 01-03-1970 से पूर्व सृजित अवसीयती न्यास है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
			(iv)	क्या न्यास किसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या ऐसे कारबार या वृत्ति में अनन्य रूप से कर्मचारियों के लिए कारबार या वृत्ति का संचालन कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक रूप से सृजित किसी अन्य निधि की ओर से सृजित किया गया है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
कारबार का स्वरूप	छ	कारबार या वृत्ति का स्वरूप, यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति है तो तीन मुख्य क्रियाकलाप/उत्पाद बताएं (धारा 44कघ, धारा 44कघक और धारा 44कड. के अधीन आय घोषित करने वालों से भिन्न)			
		क्र. सं.	कोड	कारबार का व्यापारिक नाम, यदि कोई हो	वर्णन
		(i)			
		(ii)			

भाग क- बीएस		31 मार्च, 2026 या विघटन की तारीख को तुलन-पत्र (यदि नियमित लेखा बहियाँ रखी जाती है तो मद क से ख भरें अन्यथा ग भरें)					
निधियों के स्तोट	अ	निधियों के स्तोट					
	1	भागीदार /सदस्यता निधि					
	क	क	भागीदार /सदस्यता पूंजी			क	
		ख	आरक्षितियाँ और अधिशेष				
		i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खi			
			ii	पूँजी आरक्षिति	खii		
			iii	कानूनी आरक्षिति	खiii		
			iv	कोई अन्य आरक्षिति	खiv		
		v	लाभ और हानि लेखा का जमा शेष	खv			
	vi	योग (खi+खii+खiii+खiv+खv)			खvi		
	ग	कुल भागीदारी सदस्य निधि (क + खvi)				1ग	
	2	ऋण निधि					
	क	क	प्रतिभूत ऋण				
		i	विदेशी करेन्सी में ऋण	का			
			ii	रूपए में ऋण			
			अ	बैंकों से	iiअ		
			आ	अन्य से	iiआ		
		इ	योग (iiiअ+iiiआ)	ii इ			
		iii	कुल प्रतिभूत ऋण (का+ii इ)				कiii
		ख	अप्रतिभूत ऋण (निक्षेप सहित)				
i	विदेशी मुद्रा ऋण	का					
ii	रूपया ऋण						
अ	बैंकों से ऋण	iiअ					
आ	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख)में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से			iiआ			

		इ	अन्य से	iiइ		
			ई कुल रूपया ऋण (iiअ+iiआ+ii)	iiई		
			iii कुल अप्रतिभूत ऋण (ख i + ii घ)			ख iii
		ग	कुल ऋण निधि (कiii + खiii)			2ग
		3	आस्थगित कर दायित्व			3
		4	अग्रिम			
		i	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख)में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	i		
		ii	अन्य से	ii		
		iii	कुल अग्रिम (i+ii)			4iii
		5	निधि के स्त्रोत (1ग+2ग+3+4iii)			5
	आ	निधियों का उपयोजन				
	1	नियत आस्तियां				
निधियों का उपयोजन		क	सकल : ब्लाक	1क		
		ख	अवक्षयण	1ख		
		ग	शुद्ध ब्लॉक (क-ख)	1ग		
		घ	प्रगतिगत कार्य पूंजी	1घ		
		ङ	योग (1ग+1घ)			1 ङ
	2	विनिधान				
	क	दीर्घकालिक विनिधान				
		i	संपत्ति में विनिधान	i		
		ii	साम्या लिखत			
		अ	सूचीबद्ध साम्या	iiअ		
		आ	असूचीबद्ध साम्या	iiआ		
		इ	योग	iiइ		
		iii	अधिमानि शेयर	iii		
		iv	सरकारी या न्यास संपत्ति याहाँ	iv		
		v	डिबेंचर या बंधपत्र	v		
		vi	पारस्परिक निधियां	vi		
		vii	अन्य	vii		
		viii	कुल दीर्घकालिक विनिधान (i+ii + iii+iv+v+vi+vii)			कviii
	ख	अल्पकालिक विनिधान				
		i	साम्या लिखत			
		अ	सूचीबद्ध साम्या	iअ		
		आ	असूचीबद्ध साम्या	iआ		
		इ	योग	iइ		
		ii	अधिमानि शेयर	ii		
		iii	सरकारी या न्यास संपत्तियां	iii		
		iv	डिबेंचर या बंधपत्र	iv		
		v	पारस्परिक निधियां	v		
		vi	अन्य	vi		
		vii	कुल अल्पकालिक विनिधान (iइ+ii + iii+iv+v+vi)			खvii
		ग	कुल विनिधान (कviii+खvii)			2ग
	3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम				

		क चालू आस्तियां		
		i सूचियां		
		अ कच्चा माल	iअ	
		आ प्रगतिगत स्टॉक	iआ	
		इ तैयार माल	iइ	
		ई व्यापारगत स्टॉक (व्यापार के लिए अर्जित माल के संबंध में)	iई	
		उ भंडार/पैकिंग सामग्री सहित उपभोग योग्य	iउ	
		ऊ खुले औजार	iऊ	
		ए अन्य	iऐ	
		ऐ योग (iअ+iआ+iइ+iई+iउ+iऊ+iऐ)		i ऐ
		ii विविध देनदार		
		अ एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया	iiअ	
		आ अन्य	iiआ	
		इ कुल विविध		iiइ
		iii नकदी और बैंक अतिशेष		
		अ बैंक में अतिशेष	iiiअ	
		आ हाथ में नकदी	iiiआ	
		अन्य	iiiइ	
		ई कुल नकद और नकद समतुल्य (iii अ+iii आ + iiiइ)		iiiई
		iv अन्य चालू आस्तियां		कiv
		v कुल चालू आस्तियां (iऐ + iiइ + iiiई + कiv)		कv
		ख ऋण और अग्रिम		
		i नकद या वस्तु में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम	खi	
		ii निक्षेप, उधार तथा कॉरपरेट अग्रिम और अन्य	खii	
		iii राजस्व प्राधिकारियों के पास अतिशेष	खiii	
		iv योग (खi + खii + खiii)		खiv
		v खiv में सम्मिलित ऋण और अग्रिम जो निम्नलिखित के लिए है		
		क कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए	vक	
		ख कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए नहीं	vख	
		ग योग (कv + खiv)		3ग
		घ विद्यमान दायित्व और		
		i विद्यमान दायित्व		
		अ विविध		
		1 एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया	1	
		2 अन्य	2	
		3 योग (1 + 2)	अ3	
		आ पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व	iआ	
		इ रण पर प्रोद्भूत ब्याज और शोध	iइ	
		ई रण पर प्रोद्भूत ब्याज किन्तु शोध नहीं	iई	

			उ	अग्रिममें प्राप्त आय	iउ		
			ऊ	अन्य संदेय	iऊ		
			ए	योग (अ3+iआ+iइ+iई+iउ+iऊ)	iए		
			ii	उपबंध			
			अ	आयकर के लिए उपबंध	iiअ		
			आ	छुट्टी नकदिकरण/अधिवर्षित/उपदान के लिए उपबंध	ii आ		
			इ	अन्य	ii इ		
			ई	योग (iiअ+iiआ +iiइ)	iiई		
			iii	योग (iउ+ iiई)	घiii		
			ड	शुद्ध चालू आस्तियां (3ग-घiii)	3ड		
	4	क	अपलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क			
		ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख			
		ग	लाभ और हानि लेखा/ संचति अतिशेष	4ग			
		घ	योग (4क + 4ख + 4ग)	4घ			
	5	निधियों के उपयोजन का योग (1ड + 2ग + 3ड + 4घ)	5				
लेखा नहीं होने की दशा	ग	उस दशा में, जहां कारबार या वृत्ती की नियमित लेखा-बहियाँ नहीं रखी जाती, वहाँ हाँ कारबार या वृत्ती की बाबत 31 मार्च, 2025 को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें					
	1	विविध देनदारों की कुल रकम	ग1				
	2	विविध लेनदारों की कुल रकम	ग2				
	3	व्यवसायगत स्टॉक की कुल रकम	ग3				
	4	नकद अतिशेष की रकम	ग4				

भाग अ-विनिर्माण लेखा		वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 1 से 3 भरें, अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)						
1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन							
	क	आरंभिक सूची						
		i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक	i				
		ii	प्रगति हो रहे कार्य आरंभिक स्टॉक	ii				
		iii योग (i + ii)					कiii	
	ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)					ख	
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी					ग	
	घ	प्रत्यक्ष व्यय(घi + घii + घiii)					घ	
		i	आवक वहन व्यय	i				
		ii	बिजली और ईंधन	ii				
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii				
	ड.	कारखाना अधिव्यय						
		i	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i				
		ii	कारखाना किराया और दर	ii				
		iii	कारखाना बीमा	iii				
		iv	कारखाना ईंधन और बिजली	iv				
		v	कारखाना साधारण व्यय	v				
		vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयन	vi				
		vii योग (i+ii+iii+iv+v+vi)	ड.vii					
	च	विनिर्माण खाते से विकलन का योग (कiii+ख+ग+घ+ड.vii)					च	
2	अंत स्टॉक							
		i	कच्ची सामग्री	2i				
		ii	प्रगति रत कार्य	2ii				
	योगा (2i + 2ii)					2		

3	उत्पादित माल की लागत - व्यापार लेखा में अंतरित (1च-2)	3	
भाग अ- व्यापार लेखा		वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यापार लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 4 से 12 भरें अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)	
व्यापार लेखा में जमा	4 प्रचालन से राजस्व		
	क विक्रय/कारबार की सकल प्राप्तियां (शुद्ध प्रतिदाय और विवरणी और शुल्क और कर, यदि कोई हो)		
	i माल का विक्रय	i	
	ii सेवाओं का विक्रय	ii	
	iii अन्य प्रचालित राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
	क	iii क	
	ख	iii ख	
	ग योग (iii क + iii ख)	iii ग	
	iv योग (i + ii + iii ग)	क iv	
	ख वृत्ति से सकल प्राप्तियां	ख	
	ग विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उप कर		
	i संघ उत्पाद शुल्क	i	
	ii सेवा कर	ii	
	iii वैट/विक्रय कर	iii	
	iv केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv	
	v राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v	
	vi एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi	
	vii संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii	
	viii कोई अन्य शुल्क, कर और उप कर	viii	
	ix योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)	ग ix	
	घ प्रचालन से कुल राजस्व (क iv + ख + ग ix)	4 घ	
	5 तैयार माल का अंतिम स्टॉक	5	
	6 व्यापार लेखा में जमा का योग (4 घ + 5 iv)	6	
व्यापार लेखा से विकलन	7 तैयार मालों का आरंभिक स्टॉक	7	
	8 क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, कोई हो)	8	
	9 प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)	9	
	i आवक वहन व्यय	i	
	ii बिजली और ईंधन	ii	
	iii अन्य प्रत्यक्ष व्यय		
	iii टिप्पण: प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के आधार पर लाइन खींची जा सकती है	iii	
	10 माल और सेवाओं के क्रय के संबंध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर		
	i सीमा शुल्क	10i	
	ii प्रति शुल्क	10ii	
	iii विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii	
	iv संघ उत्पाद शुल्क	10iv	
	v सेवा कर	10v	
	vi वैट/विक्रय कर	10vi	
	vii केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii	
	viii राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii	
	ix एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix	
	x संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x	
	xi संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi	

		xii योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)	10xii	
	11	उत्पादित माल की लागत- विनिर्माण खाते से अंतरित	11	
	12	कारबार/वृत्ति से सकल लाभ- लाभ और हानि लेखा में अंतरित (6-7-8-9-10xii-11)	12	
	12क	इंट्राडे का कारबार का आवर्तन	12क	
	12ख	इंट्राडे कारबार की आय- लाभ तथा हानि को अंतरित	12ख	
	12ग	भविष्य से तथा विकल्प व्यापार से आवर्त	12ग	
	12घ	भविष्य से तथा विकल्प व्यापार से आय-लाभ और हानि खाते का अंतरित	12घ	

भाग अ-लाभ और हानि		वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभ और हानि लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित होती है वहां मद 13 से 60 और 67 भरें अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)			
लाभ और हानि लेखा को जमा	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ (12 + 12ख+12घ)			13
	14	अन्य आय			
		i	किराया	i	
		ii	कमीशन	ii	
		iii	लाभांश आय	iii	
		iv	ब्याज आय	iv	
		v	स्थिर आस्तियों के विक्रय से लाभ	v	
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में भारत प्रतिभूति के कारण विनिधान के विक्रय पर लाभ (एस टी टी)	vi	
		vii	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	vii	
		viii	धारा 43क के अधीन विदेशी विनिमय के उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii	
		ix	धारा 28(vi) के अधीन तालिका के पूंजीगत आस्ति में संपरिवर्तन पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका की एफएमवी)	ix	
		x	कृषि-आय	x	
		xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
			क	xi क	
			ख	xi ख	
			ग	योग (xi क + xi ख)	xi ग
	xii	अन्य आय का योग(i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xi ग)			14xii
	15	लाभ और हानि लेखा को जमा का योग(13+14xii)			15
लाभ और हानि लेखा से विकलन	16	जावक भाड़ा व्यय			16
	17	भंडारित और अतिरिक्त सामानों का उपभोग			17
	18	बिजली और ईंधन			18
	19	किराया			19
	20	भवन की मरम्मत			20
	21	मशीनरी की मरम्मत			21
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर			
		i	वेतन और मजदूरी	22i	
		ii	बोनस	22ii	
		iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii	
		iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv	
		v	अवकाश यात्रा लाभ	22v	
		vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi	
		vii	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii	
		viii	मान्यता प्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii	
		ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix	
		x	कर्मचारियों को अन्य कोई लाभ जिसके संबंध में व्यय उपगत किया गया है	22x	

	xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i का 22x योग)		22xi	
	xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	xii क	हां / नहीं	
		यदि हां तो , अनिवासियों को संदत्त रकम	xii ख		
23	बीमा				
	i	चिकित्सा बीमा	23i		
	ii	जीवन बीमा	23ii		
	iii	प्रमुख व्यक्ति बीमा	23iii		
	iv	कारखाना, कार्यालय, कार, मालों आदि सहित अन्य बीमा	23iv		
	v	बीमा पर कुल व्यय(23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v	
24	कर्मचारों और कर्मचारी कल्याण व्यय				24
25	मनोरंजन				25
26	आतिथ्य				26
27	सम्मेलन				27
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन के सिवाय)				28
29	विज्ञापन				29
30	कमीशन				
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग (i + ii)		30iii	
31	स्वामिस्व				
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग I (i + ii)		31iii	
32	वृत्तिक /परामर्श फीस /तकनीकी सेवाओं के लिए फीस				
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग (i + ii)		32iii	
33	होटल, भोजन तथा आवास				33
34	विदेश यात्रा के सिवाय व्यय				34
35	विदेश यात्रा व्यय				35
36	प्रवहण व्यय				36
37	टेलीफोन व्यय				37
38	अतिथि गृह व्यय				38
39	क्लब व्यय				39
40	उत्सव समारोह व्यय				40
41	छात्रवृत्ति				41
42	दान				42
43	संदान				43
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर और दर (आय पर करों के सिवाय)				
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	वेट/विक्रय कर	44iii		
	iv	उप कर	44iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii		

		ix	एसटीटी और सीटीटी सहित कोई अन्य दर, कर, शुल्क और उपकर	44ix		
		x	संदत या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)		44x	
	45	संपरीक्षा फीस				45
	46	फर्म के भागीदारों को वेतन/पारिश्रमिक				46
	47	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
		i		i		
		ii		ii		
		iii	योग (i + ii)		47iii	
	48	अशोध्य ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या अधिक का अशोध्य ऋण दावा किया गया है)				
		i(1)		48i(1)		
		i(2)		48i(2)		
		i(3)		48i(3)		
		i	अपेक्षानुसार लाइन खींची जा सकती है कुल योग [48i(1)+48i(2)+48i(3)]	48i		
		ii	अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) जहां स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूरा पता उल्लिखित करें)	48ii		
		iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)	48iii		
		iv	कुल अशोध्य ऋण 48i + 48ii + 48iii		48iv	
	49	अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध				49
	50	अन्य उपबंध				50
	51	ब्याज अवक्षयण के पूर्व लाभ और कर [15 - (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48iv + 49 + 50)]				51
	52	ब्याज				
		i	भारत से बाहर भुगतान किया गया हो अथवा भारत में किसी अनिवासी को (कंपनी के अलावा) अथवा किसी विदेशी कंपनी को	i		
		ii	अन्यों को	ii		
		iii	योग (i + ii)		52iii	
	53	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण				53
	54	करों के पूर्व शुद्ध लाभ (51 - 52iii - 53)				54
	55	चालू कर के लिए उपबंध				55
	56	आस्थगित कर का प्रावधान				56
	57	कर के पश्चात् लाभ (54 - 55 - 56)				57
	58	पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रणीत अतिशेष				58
	59	विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम (57 + 58)				59
	60	आरक्षित और अतिशेष में अंतरित				60
	61	स्वत्वधारी के लेखा में तुलन पत्र में अग्रणीत अतिशेष (59 - 60)				61
	62	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)				
		क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण	
		(i)	सकल आवर्तन या सकल प्राप्तियां (iक + iख + iग) (62i 2 करोड़ रू तक सीमित है, तथापि यदि [62i ख+62iग] , 62i के 5% से कम या समतुल्य है तो 62i के अधीन सीमा 3 करोड़ रू तक बढ़ जाती है)			62i
			क निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	iक		
		ख	नकद में प्राप्तियां	iख		

		ग	क और ख से भिन्न अन्य रीति	ig		
		(ii)	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक आय (iiक + iiख)		62ii	
		क	62iक का 6% या अर्जित दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	iiक		
		ख	(62iख+62ig) का 8% या दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	iiख		
		टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियां/आवर्तन, के उपरोक्त प्रतिशत से कम हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44क ख के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है				
	63	धारा 44कघक के अधीन वृत्तियों से उपधाराणात्मक आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)				
		क्रम सं.	कारबार /वृत्ति का नाम	कारबार कोड	विवरण	
		(i)	सकल प्राप्तियां(63i, 50 लाख रू तक सीमित है, तथापि यदि [63iख+63ig], 63i के 5% से कम या समतुल्य है तो 63i के अधीन सीमा 75 लाख रू तक बढ़ जाती है)		63i	
		क	खाते में देय चैक या खाते में देय ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रानिकली निकासी प्रणाली से प्राप्त या विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त विहित इलेक्ट्रानिक रीति से प्राप्त		ik	
		ख	नकद में प्राप्तियां		ix	
		ग	क और ख से भिन्न अन्य रीति		ig	
		(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधाराणात्मक आय (63i का 50% , या अर्जित दावाकृत रकम जो भी अधिक रकम)		63ii	
		टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियों के 50% से कम आय हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है				
	64	धारा 44कड. के अधीन मालों के वहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना				
		क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण	
			माल वहन की रजिस्ट्रीकरण संख्या	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टे या भाड़े पर है	माल वहन की क्षमता(मी.ट.में)	मासों की संख्या जिसके लिए निर्धारित द्वारा माल को स्वामित्व/ पट्टे/भाड़े पर लिया गया
			माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधाराणात्मक आय (टन भार के 12 मी.ट. से अधिक होने पर 1000 रुपया प्रति टन प्रतिमास या, अन्यथा 7500 रु. प्रतिमास) या दावाकृत वास्तविक अर्जित रकम, जो भी अधिक हो			
		(i)	(1)	(2)	(3)	(4)
		(क)				
		(ख)				
		कुल				
		यथा आवश्यक लाइन जोड़ने का विकल्प (अधिकतम 10 तक)				
		(ii)	धारा 44कड. के अधीन मालवहन से कुल उपधाराणात्मक आय [सारणी 64(i) के स्तंभ (5) का योग]		64(ii)	
		(iii)	कमी: वेतन/फर्म के भागीदारों को पारिश्रमिक		64(iii)	
		(iv)	धारा 44कड. के अधीन कुल उपधाराणात्मक आय (ii-iii)		64(iv)	
		टिप्पण—यदि लाभ अनुसूची 44कड के अंतर्गत विनिर्दिष्ट से कम है अथवा वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्व वाले माल वाहकों की संख्या 10 से अधिक है, तो यह अनिवार्य है कि बही लेख रखा जाए और 44 कख के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा करवाया जाए।				
लेखापरीक्षा मामला	65	यदि कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा बही अनुरक्षित नहीं होती है तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्वतन वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें				
		(i)	कारबार कर रहे निर्धारित के लिए			
		क	सकल प्राप्तियां (क1 + क2)	ik		

			1 निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1			
			2 किसी अन्य ढंग से	क2			
		ख	सकल लाभ	iख			
		ग	व्यय	iग			
		घ	शुद्ध लाभ			65i	
		(ii)	वृत्तिरत निर्धारिती के लिए				
		क	सकल प्राप्तियां (क1 + क2)	iiक			
			1 निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1			
			2 किसी अन्य ढंग से	क2			
		ख	सकल लाभ	iiख			
		ग	व्यय	iiग			
		घ	शुद्ध लाभ			65ii	
		(iii)	कुल लाभ (65i + 65ii)			65iii	
	66	i	सट्टा क्रियाकलाप से आवर्तन			66i	
		ii	सकल लाभ			66ii	
		iii	व्यय, यदि कोई हो			66iii	
		iv	सट्टा क्रियाकलाप से शुद्ध आय (66ii - 66iii)			66iv	
	67	अनिवासी की दशा में, यदि धारा 44ख, 44खख, 44खखक, 44खखग या 44खखघ में निर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ से मिलकर कुल आय बनी है, तो निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें-					
		i	सकल प्राप्तियां/आवर्त			67i	
		ii	शुद्ध लाभ			67ii	

भाग क- अन्य जानकारी		अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक)			
अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति (चयनित करें) ☒ वाणिज्य ☐ नकद			
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चयनित करें) ☒ हाँ ☐ नहीं			
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ xl(3)]	3क		
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ xl(4)]	3ख		
	4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति			
	क	कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		☐	
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		☐	
	ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हाँ तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें)			
	घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4 घ		
	ङ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ		
5	लाभ-हानी लेखे में जमा न की गई रकम, जो-				
क	धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क			

	ख	प्रोफोर्मा प्रत्यय, वापसी सीमाशुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर या विक्रय कर या मूल्य वृद्धित कर या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा ऐसे प्रत्यय, वापसी या प्रतिदायों को ग्रहण किया जाता है	5ख		
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग		
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ		
	ङ	पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ		
	च	लाभ-हानी लेखे में जमा न की गई कुल रकम(5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)		5च	
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्त के न पूरा करने पर धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखे में विकालित रकम				
	क	स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमीयम [36(1)(i)]	6क		
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमीयम [36(1)(i ख)]	6ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग		
	घ	उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम[36(1)(iii)]	6घ		
	ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iii क)]	6ङ		
	च	किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम[36(1)(iv)]	6च		
	छ	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ		
	ज	धारा 80 गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम में अभिदाय की रकम[36(1)(iv क)]	6ज		
	झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि में अभिदायों की रकम[36(1)(v)]	6झ		
	ञ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम[36(1)(v)]	6ञ		
	ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी निधि में अभिदाय के रूप में शोध्य तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में प्रत्यय नहीं की गई किसी रकम के परिमाण तक कोई राशि [36(1)(v क)]	6 ट		
	ठ	इबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम[36(1)(vii)]	6 ठ		
	ड	इबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6 ड		
	ढ	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम[36(1)(viii)]	6 ढ		
	ण	कर्मचारियों के बीच परिवार कल्याण से संवर्धन के प्रयोजन के लिए व्यय[36(1)(ix)]	6 ण		
त	प्रतिभूतियों से संव्यवहार की बाबत संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारबार से आय में शामिल नहीं किया गया है। [36(1)(xv)]	6त			

		ध	धारा 145(2) [36(1)(xviii) के अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	6ध		6 न
		द	सरकारी अनुमोदित कीमत से अधिक में गन्ने की खरीद के लिए व्यय [36(1)(xvii)]	6 द		
		ध	कोई अन्य अनुज्ञेय	6 ध		
		न	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम(6क से 6ध का योग)			
		प	नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (निर्धारिती की मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के मामले में बाध्यकारी)			
			i भारत में तैनात	i		
			ii भारत से बाहर तैनात	ii		
			iii योग	iii		
		7	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानी लेखे में विकालित रकमें			
		क	पूंजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क		
		ख	व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय [37(1)]	7ख		
		ग	व्यय जो अधिकथित या अनन्य रूप से कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्णतया नहीं है [37(1)]	7ग		
		घ	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणीका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]			
		ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ		
		च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च		
		छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7छ		
		ज	प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज		
		झ	धारा 37 के अधीन न की गई कोई अन्य रकम	7झ		
		ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ज का योग)			
		8	अ धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकालित रकम			
		क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40(क)(i), के अधीन अनुज्ञेय रकम	अक		
		ख	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अनुसरण के लेखे धारा 40(क) (i) के अधीन अनुज्ञेय की जाने वाली रकम	अख		
		ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क)(iख) के अधीन अननुज्ञात योग्य रकम	अग		
		घ	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अनुसरण के लेखे धारा 40(क) (iii) के अधीन अनुज्ञेय की जाने वाली रकम	अघ		
		ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40(क)(ii)]	अङ		
		च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40(क)(ii क)]	अच		
		छ	राजस्व, अनुज्ञप्ति फीस, सेवा फीस आदि के माध्यम से धारा 40(क)(iiङ) के अनुसार संदत्त रकम	अछ		

		जिसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, जेतेन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम [40(ख)]	अज		
		इ कोई अन्य अनुज्ञेय	अइ		
		ज धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (अक सेअइ का योग)	8अज		
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम	8आ		
	9	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानी लेखे में विकालित रकमें			
		क धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क		
		ख धारा 40क(3) के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख		
		ग उपदान के के लिए [40क (7)]	9ग		
		घ किसी निधि, न्यास, कंपनी, ए ओ पी या ब ओ आइ या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि [40क (9)]	9घ		
		ङ धारा 36(1)(xviii) [40क(13) के अधीन यथा अनुज्ञेय चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	9ङ		
		च कोई अन्य अनुज्ञेय	9 च		
		छ धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम(9क और 9ङ का योग)	9 छ		
	10	किसी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम			
		क किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
		ख कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
		ग किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग		
		घ किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
		घक ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, लिए गए ऋण या उधार पर, समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	10घ क		
		ङ किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
		च छुट्टी नकदिकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च		
		छ भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	10छ		

	ज	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे सूक्ष्म या लघु उद्यम को संदेय कोई राशि	10ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम(10क से 10ज का योग)			10झ
11	पूर्व वर्ष के लाभ-हानी लेखों में विकालित किन्तु धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कोई रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	घक	ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, लिए गए ऋण या उधार पर, समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	11घक		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		
	च	छुट्टी नकदिकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च		
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	11छ		
	ज	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे सूक्ष्म या लघु उद्यम को संदेय कोई राशि	11ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम(11क से 11ज का योग)			11 झ
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्यवर्धित कर /विक्रय कर	12ग		
	घ	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ		
	ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ		
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	कोई अन्य कर	12ज		
	झ	बकाया कुल रकम(12क से 12ज का योग)			12झ
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें				13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम				14
15	लाभ-हानी लेखों में (शुद्ध) जमा या विकालित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम				15
16	धारा 14क के अधीन अनुनुज्ञेय व्यय				16

17	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज	17	
18	क्या निर्धारित धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही ☒ का निशान लगाएं ☐ हां ☐ नहीं [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]	18	

भाग क- {परिणात्मक ब्यौरे		{परिणात्मक ब्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक())			
परिणात्मक ब्यौरे	(क)	व्यापारिक समुत्थान की दशा में			
		1	आरंभिक स्टॉक	1	
		2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2	
		3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3	
		4	बंद स्टॉक	4	
		5	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	5	
	(ख)	विनिर्मान समुत्थान की दशा में			
		6	कच्ची सामग्री		
		क	आरंभिक स्टॉक	6क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6ग	
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ	
		ङ	बंद स्टॉक	6ङ	
		च	प्राप्ति तैयार उत्पाद	6च	
		छ	प्राप्ति का प्रतिशत	6छ	
		ज	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	6ज	
		7	तैयार उत्पाद/सह उत्पाद		
		क	आरंभिक स्टॉक	7क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ		
	ङ	बंद स्टॉक	7ङ		
	च	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	7च		

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची गृह संपत्ति		गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए डाप डाउन का उल्लेख करें)				
संपत्ति	1	संपत्ति का पता	नगर/ शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन नहीं है ? हाँ ☐ नहीं ☐ (यदि हाँ तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)				
		संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %				
		सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह-स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या क/ आधार संख्या		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता(%)	
		।				

II							
लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं (सही ~~का~~ निशान लगाएँ) ☒ ☐ यदि किराए पर हो ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन) / आधार संख्या (कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रों) का पैन / टैन / आधार संख्या (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)			
I							
II							
क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य (अगर पूरे साल के लिए किराए पर दिया जाए तो दोनों में से ज्यादा; अगर साल के कुछ हिस्से के लिए किराए पर दिया जाए तो दोनों में से कम)			1क			
	ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख				
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग				
	घ	योग (1ख + 1ग)	1घ				
	ङ	वार्षिक मूल्य (1क - 1घ) - (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)	1ङ				
	च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)	1च				
	छ	1च का 30%	1छ				
	ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज (ब्यौरों को डापडाउन में भरा जाए, जो ई-फाइलिंग यूटिलिटी में उपबंधित किए जाने हैं)	1ज				
	झ	योग (1छ + 2ज)	1झ				
	ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया / वसूल न होने वाला किराया घटा 30%	1ञ				
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)	1ट					
(प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग-अलग विवरण भरें)							
2	आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास*			2			
3	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (Σ 1ट + 2) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के टैबल का अंक लें)			3			
टिप्पण ▶	यदि धारा 194-ख के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है।						
	यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है।						

अनुसूची - कारबार या वृत्ति		कारबार या वृत्ति से आय की संगणना					
कारबार या वृत्ति से आय	अ	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति					
	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकम (भाग क-पी और एल का मद 54 62(ii), 63(ii), 64(iv), 65(iii), 66(iv) और 67(ii))					1
	2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (-ve चिन्ह हानि की दशा में प्रविष्ट करें) [व्यापार खाते की क्रम सं. 12ख] + लाभ और हानि अनुसूची की क्रम संख्या 66iv]			2क		
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में ऋणात्मक चिन्ह प्रविष्ट करें)			2ख		
	3	115खखच के अधीन प्रभार्य या 115खखछ के अधीन प्रभार्य या 115खखज के अधीन प्रभार्य आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते में जमा आय/प्राप्तियां	क	गृह संपत्ति	3क		
			ख	पूँजी अभिलाभ	3ख		
			ग	अन्य स्त्रोत	3ग		
			गi	लाभांश आय	3गi		
			गii	लाभांश आय के अलावा	3गii		
			घ	धारा 115खखच	3घ		
			ङ	धारा 115खखछ	3ङ		

			च	धारा 115 खखज के तहत (अधिग्रहण की लागत के अलावा)	3च	अनुसूची वीडिए का मद सं. (क)	
4क	1 में शामिल लाभ व हानि जो कि धारा 44कघ/ 44कघक/ 44कड़/ 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44खखग/ 44घक/ 44घख में संदर्भित है (धारा 115ख में संदर्भित जीवन बीमा व्यवसाय से लाभ के अलावा) (ड्रापडाउन का उल्लेख करें)				4क		
4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ				4ख		
4ग	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 में सम्मिलित क्रियाकलापों से लाभ (ड्रापडाउन का उल्लेख करें)				4ग		
5	(1में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा मे जमा आय, जो छूट प्राप्त है						
	(क) फर्म/ फर्मों से आय का अंश	5क					
	(ख) ए ओ पी /बी ओ पी से आय का अंश	5ख					
	(ग) कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)						
	i	ग i					
	ii	ग ii					
	iii योग (ग i + गii)	5ग iii					
	(घ) कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 गiii)	5घ					
5क	लाभ और हानि खाते में जमा आय या प्राप्तियां, किंतु अधिनियम के अधीन कर प्रभार्य नहीं हैं।	5क					
6	बकाया (1- 2क - 2ख - 3क - 3ख - 3ग - 3ङ - 3च - 4क - 4ख - 4ग - 5घ-5क)						6
7	115खखच के अधीन प्रभार्य/115खखछ के अधीन प्रभार्य/ 115 खखज के अधीन प्रभार्य आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते से किए गए व्यय	क	गृह संपत्ति	7क			
		ख	पूंजी अभिलाभ	7ख			
		ग	अन्य स्रोत	7ग			
		घ	धारा 115खखच	7घ			
		ङ	धारा 115खखछ	7ङ			
		च	धारा 115 खखज के तहत अधिग्रहण की लागत के अलावा	7च			
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	8क					
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है और धारा 14क के अधीन अनुज्ञेय है (भाग क अन्य जानकारी का 16)	8ख					
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7ङ + 7च + 8क + 8ख)						9
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)						10
11	लाभ और हानि लेखा मे विकलित अवक्षयण						11
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण						
	i धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घडत का स्तंभ 6)	12i					
	ii धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना करें आयकर नियम के परिशिष्ट-झक के अनुसार)	12ii					
	iii कुल (12i + 12ii)						12iii

13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)	13	
14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 6s)	14	
15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 7झ)	15	
16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 8कज)	16	
17	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 9छ)	17	
18	(पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय (भाग क -णझ का 11झ)	18	
19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज (भाग क-णझ का 17)	19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21	धारा 32 कग/ 32कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/ 35कखख/ 35 कग/40 क(3 क)/ 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन मानी गई आय	21	
22	43 गक के अधीन मानी गई आय	22	
23	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	23	
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित नहीं की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (जिसमें वेतन से आय, कमीशन, बोनस और उस फर्म से ब्याज जिसमें हानि निर्धारित भागीदार है)	24	
25	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का स्तंभ 3क + 4घ)	25	
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)	26	
27	धारा 32(1)(iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27	
28	धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती की रकम से अधिक रकम जो लाभ और हानि खाते के नाम डाली गई है (अनुसूची डधद की मद x(4) (यदि धारा 35 या धारा 35गगग या 35गगघ के अधीन कटौती की गई रकम लाभ और हानि खाते के नाम डाली गई रकम से कम है तो यह मद 24में जाएगी)	28	
29	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम (भाग क -णझ का 8ख)	29	
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -णझ का 10झ)	30	
31	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	31	
32	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का स्तंभ 3ख+ 4ड.)	32	
33	कुल (27+28+29+30+31+32)	33	
34	आय (13+26-33)	34	
35	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति के समझे जाने वाले लाभ या हानि -		
i	धारा 44कघ [अनुसूची का 62(ii)]	35i	
ii	धारा 44कघक [अनुसूची का 63(ii)]	35ii	
iii	धारा 44कड [अनुसूची का 64(ii)]	35iii	
iv	धारा 44ख	35iv	
v	धारा 44खख	35v	
vi	धारा 44खखक	35vi	

		viख धारा 44खखग	35viख		
		viग धारा 44खखघ	35viग		
		vii धारा 44घक	35vii		
		viii धारा 44घख	35viii	(प्ररूप 3 गड की मद 4)	
		ix कुल (35i से 35viii)			35 ix
	36	सट्टे और विनिर्दिष्ट कारबार के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ती से शुद्ध लाभ या हानि (34+35ix)			36
	37	नियम 7क, 7ख या 8 यदि लागू हो तो, को लागू करने के पश्चात् सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार या व्यवसाय से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 8 लागू नहीं होती है तो 37 में कोई संख्या भरें)(यदि हानि है तो 2i की मद को इ में ले जाए) (37क + 37ख + 37ग + 37घ + 37ङ + 37च)			क 37
		क नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	37क		
		ख नियम 7क के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37ख		
		ग नियम 7ख (1) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37ग		
		घ नियम 7ख(1क) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37घ		
		ङ नियम 8 के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37ङ		
		च नियम 7क, 7ख और 8 (मद सं. 36) के सिवाय आय	37च		
	38	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के एकत्रीकरण के प्रयोजन के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू करने के पश्चात् कृषि से हुई समझी गई आय का [4ग- (37क+37ख+37ग+37घ+37ङ.)]			38
आ		सट्टे के कारबार से आय की संगणना			
	39	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			39
	40	धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन			40
	41	धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियाँ			41
	42	सट्टेबाजी के कारबार से आय (हानि की दशा में 6xvi के अंक को अनुसूचीगच ठ में ले जाए)			आ42
इ		विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना धारा 35 कघ के अधीन			
	43	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			43
	44	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन			44
	45	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियाँ (धारा - (i) 35 कघ के अधीन कटौतियों से भिन्न, (ii) 32 या 35 जिनपर धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया है)			45
	46	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (43+44-45)			46
	47	धारा 35कघ के अनुसार कटौतियाँ (1)			47
	48	विनिर्दिष्ट कारबार से आय (46-47) (हानि की दशा में 7xvi के अंक को अनुसूचीगचठ में ले जाए)			इ48
	49	धारा 35कघ की उपधारा (5) का सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को समाविष्ट करता है (ड्रापडाउन मेन्यू से चयन किए जाए)			इ49
ई		कारबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क37+ ख42+ ग48)			घ
उ		चालू वर्ष की कारबार हानि को बट्टे के खाते में डालने के अंतः शीर्ष			

क्र. सं.	कारबार आय की किस्म	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब संख्या या शून्य या सकारात्मक हो)	बढ़े खाते में डाली गई कारबार हानि	बढ़े खाते में डाल
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
i	बढ़े खाते में डाली जानी वाली हानि(इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब संख्या सकारात्मक)		(क 37)	
ii	सट्टेबाजी के कारबार से आय	(ख 42)		
iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 48)		
iv	धारा 115 ख के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(4ख)		
v	बढ़े खाते में डाली गई कुल हानि (ii + iii + iv)			
vi	बढ़े खाते में डालने के पश्चात शेष हानि (i - v)			

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण		संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)			
संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण	1	संयंत्र और मशीनरी			
	2	15	30	40	45
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3क	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य			
	3ख	धारा 115 ख क ग की उपधारा (3) के दूसरे परन्तुक के अनुसार समायोजन			
	3	कुल (3क+3ख)			
	4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन			
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन			
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5)(यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			
	7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन			
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन			
	9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			
	10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण			
	11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण			
	12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो			
	13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो			
	14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण			
	15	कुल अवक्षयण (10+11+12+13+14)			
	16	आयकर अधिनियम (स्तंभ 15 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यहास,			

17	कुल नियत मूल्यहास (15-16)				
18	उत्तराधिकार, समामेलन, निर्विलयन आदि (स्तंभ 17 में से) की स्थिति में अनुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यहास				
19	आस्ति / आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/ हानि (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण		अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)							
अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लॉक	भूमि	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
	2	दर (%)	कुछ नहीं	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
	4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5)(यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
	11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
	12	कुल अवक्षयण (10+11)							
	13	आयकर अधिनियम (स्तंभ 12 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यहास,							
	14	कुल नियत मूल्यहास (12-13)							
15	उत्तराधिकार,समामेलन, निर्विलयन आदि (स्तंभ 14 में से) की स्थिति में अननुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यहास								

16	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/ हानि (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)							
18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य (6 + 9 - 12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची - डीईपी		आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)						
आस्तियों पर अवक्षयण का सार	1	संयंत्र और मशीनरी						
		क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i के अनुसार लागू)	1क				
		ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii के अनुसार लागू)	1ख				
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii के अनुसार लागू)	1ग				
		घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, जैसा लागू हो)	1घ				
		ड संयंत्र और मशीनरी का पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)			1 ड			
	2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)						
		क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii के अनुसार लागू)	2क				
		ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii के अनुसार लागू)	2ख				
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv के अनुसार लागू)	2ग				
		घ भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))			2घ			
	3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v के अनुसार लागू)			3			
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi के अनुसार लागू)			4			
	5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii के अनुसार लागू)			5			
	6	कुल अवक्षयण (1ड+2घ+3+4+5)			6			

अनुसूची - डीसीजी		अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ						
	1	संयंत्र और मशीनरी						
		क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20i)	1क				

	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20ii)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20iii)	1ग		
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 20iv)	1घ		
	ङ योग (1क+1ख+1ग+ 1घ)				1ङ
2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)				
	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क		
	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग		
	घ योग (2क + 2ख + 2ग)				2घ
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीपीएम 17v)				3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)				4
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)				5
6	योग (1ङ + 2घ + 3 + 4 + 5)				6

अनुसूची ईएसआर वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती)

क्र.स.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति के व्यय	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकमसे अधिक अनुज्ञेय कटौती
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2 कक)			
vii	35(2 वख)			
viii	35गगग			
ix	35i गगघ			
x	योग			

टिप्पण ► यदि किसी मामले में धारा 35(1)(ii) or 35(1)(ii क) या 35(1)(iii) या 35(2कक), के अधीन कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची आरए (दक) के अनुसार ब्यौरों का उल्लेख करें ।

अनुसूची- पूंजी अभिलाभ पूंजी अभिलाभ

पूंजी अभिलाभ	क	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीसीजी)उप-मद 4 और 5 अनिवासियों के लिए लागू नहीं है)			
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से विवरण भरें)			
	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	क्रय/अधिग्रहण की तारीख	बिक्री/स्थानांतरण तारीख/माह/वर्ष	तारीख/माह/वर्ष	
		क	i	प्राप्त /प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	का

			ii	स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारीके अनुसार संपत्तिका मूल्य					कii						
				iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (कii) (का) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (का) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (कii) लें]					कiii					
		ख		धारा 48 के अधीन कटौतियाँ											
			i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी					ख i						
			ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत					ख ii						
			iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत					ख iii						
			iv	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय					ख iv						
			v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)					ख v						
		ग	तुलन कiii – ख v)									1 ग			
		घ	धारा 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घमें ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)									1 घ			
		ङ	स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)										क 1 ङ		
		च	स्थावर संपत्ति के अंतरण के मामले में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें (टिप्पण देखें)												
			क्र.सं.	क्रेता(ओं) के नाम	क्रेता(ओं) का पैन/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता, देश कोड , जिप कोड	पिन कोड	राज्य					
		टिप्पण	यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती की गई है तो स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्याप्रस्तुत करना आज्ञापक है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें ।												
2	स्लम्प बिक्री से														
	क	i	नियम 11प.क.ङ (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य					2का							
		ii	नियम 11प.क.ङ (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य					2कii							
		iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)					2कiii							
	ख	अंडरटेकिंग या प्रभाग का शुद्ध मूल्य(प्ररूप 3गड.क का 6(ड.))					2 ख								
	ग	स्लम्प की बिक्री से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2कiii - 2ख)										क 2 ग			
3	ईकटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ)उन्मुख ईकटी की इकाई से , या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1) (ख) (ii) के परन्तुक (एफआईआई के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है (जहां ए4 लागू नहीं होता है)														
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य					3 क								
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ													
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी					ख i							

			ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii		
			iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ग iii		
			iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv		
			v	योग (i + ii + iii + iv)	ख v		
			ग	शेष (3 क - ख v)	3 ग		
			घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि -उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	3 घ		
			ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ + 3 घ)	3 ङi	3 ङii	
			क	संव्यवहारों पर धारा 111क के अधीन एसटीसीजी			क 3 ङ
			ख	शेयरों के विक्रय से एसटीसीजी, क्रम सं. 4क या डिबेंचर के विक्रय में नहीं आता है			क 4 क
			ख	शेयरों के विक्रय से एसटीसीजी, क्रम सं. 4क या डिबेंचर के विक्रय में नहीं आता है			क 4ख
			4	अनिवासियों के लिए जो एफ आ ईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांश के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)			
			5	अनिवासियों की दशा में -धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)			
			क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।			
				क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क		
				ख विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	ख		
				ग पूंजीगत लाभ के प्रयोजन के लिए पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	ग		
				ii गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii		
				iii कुल (ग + ii)	कiii		
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
				i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i		
				ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii		
				iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii		
				iv पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv		
				v योग (i + ii + iii + iv)	ख v		
			ग	शेष (5 क iii - ख v)	5 ग		

			धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि -उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5 घ		
		ड	एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों (ऊपर क3 में उल्लिखित प्रतिभूतियों के अलावा) पर अल्पकालिक पूंजी लाभ (5ग + 5घ)		क 5 ड	
		6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से			
		क	i विक्रय की गई आस्तियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।			
			क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i क		
			ख विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	i ख		
			ग पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	iग		
			ii गैर कोटिड शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii		
			iii कुल (iग + ii)	कiii		
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
			i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i		
			ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii		
			iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii		
			iv पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv		
			v योग (i + ii + iii+ iv)	ख v		
		ग	शेष (6 क iii – ख v)	6 ग		
		घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि -उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	6 घ		
		ड	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजी का 6)	6 ड		
		च	धारा 54 छ/54 छक के अधीन कटौती	6 च		
		छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसीजी (6 ग+ 6 घ + 6 ड - 6 च)		क 6छ	

7	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि													
	क	क्या नीचे दिए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है ? ☐ हाँ ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हाँ, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएँ												
		क्रम संख्या	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित /निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x)में उपयोगमें नहीं लाई गई बची हुई राशि							
					वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित /निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि								
			i	2022-23	54छ/54छक									
ii	2023-24	54छ/54छक												
iii	2024-25	54छ/54छक												
	ख	धारा 54छ/54छक के अधीन 'क' से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि										7ग	प्रपत्र 5ग का क्रम सं 4ख	
		ग	अधिनियम की धारा 45(4) के धारा 9ख के साथ पठित के अनुसार मानी जा सकने वाली अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि											
			लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi + xii+ xiii+ख+ग)											
	8	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरे)(क8क +क8ख+क8ग)										क7		
	क	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास,20% की दर से प्रभार्य						क8क						
		ख	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास,30% की दर से प्रभार्य						क8ख					
		ग	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास लागू दरों पर प्रभार्य						क8ग					
	9	क 1 - क8 में अंतर्विष्ट एसटीजीटी की रकम लेकिन जिस पर भारत में डीटीए के अनुसार कर से प्रभार्य धन का दावा नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है (केवल अनिवासी भारतीयों पर लागू) (										क8		
		क्रम संख्या	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. क1-क8 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड	डीटीए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है हां/नहीं	आई टी एक्ट की धारा	आईटी एक्ट के अनुसार दर	लागू दर(6 या 9 से कम)			
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)
I														
II														
	क	डीटीए के अनुसार भारत में अप्रभार्य कर के दावे की कुल राशि										क9 क		
	ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एसटीसीजी प्रभार्य कर के दावे की कुल रकम										क9 ख		

		क(क)	शेयर वापिस खरीदने पर पूंजी हानि (केवल तभी दावा की जा सकती है, यदि धारा 2(22) (च) के अधीन संबंधित लाभांश आय अनुसूची ओएस की क्रम सं. 1कiii या 2ग/2घ आफर की जाए) [लघु अवधि पूंजीगत हानि, 20%/30% दर पर/ लागू दर]	क(क)	
10	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (क1 ड+ क2 ग+ क3 ड + क4 क+ क4ख+ क5 ड + क6 छ + क7 + क8 - क9क+ क(क))	क 10			

ख	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (अनिवासियों के लिए उप-मद 5, 6 और 7 लागू नहीं)		
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के ब्यौरे पृथक् रूप से भरें) (क से च तक) (सह-स्वामित्व के मामले में, पूंजीगत लाभ का अपना हिस्सा दर्ज करें)		
	क्रय/अधिग्रहण की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	बिक्री/स्थानांतरण की तारीख
क	i प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	का	
	ii स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	का ii	
	iii पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (कii) (का) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (का) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (कii) लें]	का iii	
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
	i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i	
	ii अर्जन की लागत	ख ii	
	ii क (क) सुधार की लागत सूचीकरण के बिना	ख ii क	
	iii पूर्णतया और अनन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iii	
	iv योग (ख i + ख ii + ख ii क + ख iii ,)	ख iv	
ग	शेष (क iii - ख i v)	1 ग	
घ	धारा 54घ/ 54 डग/ 54 छ /54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	1 घ	
ड	स्वावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)	ख 1 ड	
च	स्वावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)		
	क्र.सं.	क्रेता(ओ) के नाम	क्रेता(ओ) का स्थायी लेखा संख्या/ आधार संख्या
		अंश प्रतिशतता	राशि
		संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड	पिन कोड
			राज्य
	टिप्पण ► यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती हुई है, तो स्थायी लेखा संख्यांक/आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक एक से अधिक क्रेता की दशा में, कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें ।		
छ	स्वावर संपत्ति पर कुल दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण - (Σख1ड),	ख 1 छ	
2	स्लम्य बिक्री से		
क	i नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2का	

				ii	नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii			
				iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य(क i या क ii का अधिकतम)	2कiii			
			ख		वचनबंध या प्रभाग का शुद्ध मूल्य[प्ररूप 3गड.क का (6ड.)]	2ख			
			ग		शेष (2कiii - 2 ख)	2ग			
			घ		धारा 54डग के अधीन कटौती	2घ			
			ड		स्लम्प के विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2 घ)	ख2ड			
	3	धारा 112(1) के अनुसार सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्र के विक्रय से							
		क	प्रतिफल का पूरा मूल्य				4क		
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ						
			i	नियमों के नियम 8कख के साथ पठित अधिनियम धारा 48 के खंड (iii) के अनुसार कमी)			ख i		
			ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख ii		
			iii	सूचीकरण के साथ सुधार की लागत			खiii		
			iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय			ख iv		
			v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)			ख v		
		ग	पूर्वोक्त ख 3 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (4 क - ख v)				ख 3 ग		
	4	किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से उपर्युक्त ख4 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची 112 क के कॉलम 14)						ख4	
	5	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के असूचीबद्ध शेयरों या सूचीबद्ध डिबेंचरों की विक्रय से(धारा 48 के प्रथम परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)							
		इंडेक्सेशन फायदे के बिना असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर पर संगणित एलटीसीजी						ख5	
	6	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से							
		क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।					
			क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			iक		
			ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य			iख		
			ग	पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)			iग		

				ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii				
				iii	कुल (iग + ii)	क iii				
				ख धारा 48 के अधीन कटौतियाँ						
				i	नियमों के नियम 8कख के साथ पठित अधिनियम की धारा 48 के खंड (i i i) के अनुसार कमी	ख i				
				ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii				
				iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii				
				iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv				
				v	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख v				
				ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर ख6 पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (कiii - ख v)		ख 6 ग			
7	एफआईआई/एफपीआई (अनिवासियों) किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 115 कघ के साथ पठित धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से उपर्युक्त ख7 में पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ(115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक के कॉलम 14		ख7							
8	आस्तियों के विक्रय से जहाँ ऊपर ख 1 से ख 7 लागू नहीं होते हैं									
				क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।				
					ख	क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i क		
				ख		विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	i ख			
				ग		पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	i ग			
				ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii				
				iii	कुल (iग + ii)	क iii				
				ख धारा 48 के अधीन कटौतियाँ						
				i	नियमों के नियम 8कख के साथ पठित अधिनियम की धारा 48 के खंड (i i i) के अनुसार कमी	ख i				
				ii	बिना सूचीकरण के अर्जन की लागत	ख ii				
				iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii				
				iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv				
				v	योग (ख i + ख ii + ख iii+ख iv)	खv				
				ग	अतिशेष (क iii- खv)		9 ग			
				घ	धारा 54घ/धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)		9 घ			

		क	डीटीए के अधीन भारत में एलटीसीजी दावा की गई दावा की गई अप्रभार्य नहीं कर की कुल राशि			ख12क					
		ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एलटीसीजी दावा की गई प्रभार्य कर की कुल राशि			ख12ख					
		ख(क)	शेयर वापिस खरीदने पर पूंजी हानि दीर्घवधि 12.5% की दर पर(केवल तभी दावा किया जा सकता है यदि अनुसूची ओएस के 1कiii या 2ग/2घ से संबंधित लाभांश आय धारा 2(22)(च) प्रस्तावित है)			ख(क)					
	12	कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (ख 1छ + ख 2ड + ख 3 ग + ख 4 + ख 5 + ख 6ग + ख 7 + ख 8 ड - ख 9 + ख10 + ख11क + ख(क))					ख12				
ग1	पूंजीगत अभिलाभ राशि (सारणी ड के 8ii+8iii+8iv+8v+8vi+8vii)							ग1			
ग2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय(अनुसूची वी.डी.ए के स्तंभ 7 में समस्त सकारात्मक आय की राशि)							ग2			
ग3	“पूंजीगत लाभ” शीर्ष के तहत प्रभार्य आय (ग1+ग2)							ग3			
घ	पूंजीगत लाभ के विरुद्ध कम किए गए दावे के बारे में सूचना										
	1	धारा 54घ / धारा 54डग/धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में हानि निम्नलिखित ब्यौरे दें *									
		क	54 घ के अधीन किया गया कटौती का दावा								
			i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीख			क i	दिन/मास/वर्ष			
				नई भूमि या आद्योगिक उपक्रम के लिए नई भूमि या भवन के क्रय/सनिर्माण की लागत			क ii				
				नई भूमि या भवन की खरीद की तारीख			क iii	दिन/मास/वर्ष			
				नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम			क iv				
			(ivक) जमा की तारीख		(ivख) लेखा संख्या	(ivग) आई एफ एस कोड					
			दिन/मास/वर्ष								
		v	कम किए गए दावे की रकम			क v					
		ख	54ड.ग के अधीन कम किया गया दावा								
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख			ख i	दिन/मास/वर्ष				
			विनिर्दिष्ट या अधिसूचित बंधपत्रों में निवेश की रकम (50 लाख से अधिक नहीं)			ख ii					
			निवेश की तारीख			ख iii	दिन/मास/वर्ष				
			कम किए गए दावे की रकम			ख iv					
		ग	54छ के अधीन कम किया गया दावा								
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख			ग i	दिन/मास/वर्ष				
			नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय			ग ii					
			शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख			ग iii	दिन/मास/वर्ष				
	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम			ग iv							

				(ivक) जमा की तारीख	(ivख) लेखा संख्या	(ivग) आई एफ एस कोड	
				दिन/मास/वर्ष			
			v	कम किए गए दावे की रकम	ग v		
		घ	54छक के अधीन कम किया गया दावा				
			i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घi	दिन/मास/वर्ष	
			ii	नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय	घii		
			iii	सेज में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख	घiii	दिन/मास/वर्ष	
			iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	घiv		
				(ivक) जमा की तारीख	(ivख) लेखा संख्या	(ivग) आई एफ एस कोड	
				दिन/मास/वर्ष			
			v	कम किए गए दावे की रकम	घv		
		ड	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ)			1 ड	

ड पूंजी अभिलाभ चालू वर्ष की पूंजी हानि को चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (ए-9क और बी-11क में सम्मिलित डीटीए के अधीन प्रभार्य रकम के सिवाय)									
क्र.सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष का पूंजी अभिलाभ (इस स्तंभ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि		मुजराई के पश्चात चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ 8= 1-2-3-4-5-6-7)
		1	2	3	4	5	6	7	8
i	मुजराई की जाने वाली पूंजी हानि (इस स्तंभ को केवल तभी भरें, जब संगणित अंक नकारात्मक हों)		(क3ड* + क4क* + क8क* + क(क)	अ5ड* + अ8ख* + क(क)	(अ1ड* + अ2ग* + अ4ख* + अ6छ* + अ7* + अ8ग*) + क(क)	अ9ख	ख1छ* + ख2ड* + ख3ग* + ख4* + ख5* + ख6ग* + ख7* + ख8ड* + ख9* + ख10क1* + ख10क2* + ख(क)	आ11ख	
ii	अल्प कालिक	20%	(क3ड* + क4क* + क8क* + क(क)						
iii	क पूंजी	30%	अ5ड* + अ8ख* + क(क)*						

iv	अभि लाभ	ला गू दर	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ* + अ7*+ अ8ग*+ क(क))							
v		डी टीए ए दर	अ9ख							
vi	दीर्घ कालि क पूंजी अभि लाभ	12.5% डी टीए ए दर	ख1छ*+ख2ड*+ ख3ग*+ख4*+ख5 *+ ख6ग*+ख7*+ख8 ड*+ख9*+ख10 क1*+ख10क2*+ ख(क)							
vii		डी टीए ए दर	आ11ख							
viii	कुल हानि मुजरा (ii + iii i + iv + v + vi+vii)									
ix	मुजरा के पश्चात शेष हानि (i-viii)									

इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (अ1ड* आदि) अपने अपने स्तंभ (अ1-अ8) वैसे ही प्रतिभूतियों के मुजरा के पश्चात में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रभार्य हैं, एसटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है।

इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (आ1ड* आदि) अपने अपने स्तंभ (आ1-आ10) वैसे ही प्रतिभूतियों के मुजरा के पश्चात में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीए के अनुसार विशेष दर से प्रभार्य है, एलटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है।

चपूंजी अभिलाभ के उद्भूत /प्राप्ति के विषय में सूचना						
	पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से15/9 (ii)	16/9 से15/12 (iii)	16/12 से15/3 (iv)	16/3 से31/3 (v)
1	20% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vix से मूल्य भरें , यदि कोई हो तो					
2	30% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vii से मूल्य भरें , यदि कोई हो तो					
3	लागू दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5viii से मूल्य भरें , यदि कोई हो तो					
4	डीटीए दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5ix से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
5	12.5% की दर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5x से मूल्य भरें , यदि कोई हो तो					
6	डीटीए दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					

7	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण पर पूंजीगत अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य अनुसूची एस.आई की मद 19ख से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई हो)					

अनुसूची-112क	किसी कंपनी या इक्विटी ओरएंटेड निधि की इकाई या कारोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता													
क्रम सं..	अर्जित शेयर/इकाई 31 जनवरी, 2018 को या पूर्व/पश्चात्	आईएसआई एन कोड	शेयर/इकाई का नाम	शेयर/इकाई की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रति फल का पूरा मूल्य, - यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया	इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक)	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहण किया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी, 2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)-(4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) - आईटी आर-5 की एलटीसी जी अनुसूची की मद 5 (क)

						प्रति फल का पूरा मूल्य प्रवि ष्ट करें।								
(कॉल म 1)	(कॉ लम 1क)	(कॉल म 2)	(कॉ ल म 3)	(कॉ लम 4)	(कॉ लम 5)	(कॉ लम 6)	(कॉ लम 7)	(कॉ लम 8)	(कॉल म 9)	(कॉ लम 10)	(कॉल म 11)	(कॉ ल म 12)	(कॉ लम 13)	(कॉ लम 14)
1														
2														
3														
4														
	पंक्ति जोड़ें													
	कुल कुल													

अनुसूची 115कघ(1) (ख)(iii)परं तुक			गैर-निवासियों के लिए किसी कंपनी या इक्विटी ओरिएंटेड निधि की इकाई या करोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 115कघ(1)(ख)(iii) के परंतुक के साथ पठित धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है											
क्र म सं.	अ र्जि त शेयर/ इ का ई3 1 जन वरी , 20 18 को या पूर्व/ पश्चा त्	अ ई एस अ ई ए न क ड	शेयर र /इ का ई का नाम	शेयर र /इ का ई का ई का सं ख्या	प्रति शेयर /इ का ई का बिक्री - मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01. 2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया	इंडे क्सेशन के बिना अधि ग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक)	अ धिग्र हण की लागत	यदि दीर्घाव धि पूंजीगत परिसंप त्ति का 01.02. 2018 से पहले अधिग्रह णकिया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी ,201 8 के प्रति शेयर /इका ई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)- (4*10) के अनुसा र पूंजीगत परिसंप त्ति का कुल उचित बाजार	अंत रण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल क टौ तियां (7+ 12)	शेष (6- 13) - आई टीआ र-5 की एल टीसी जी अनु सूची की मद 8 (क)

						प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।								
(कॉ ल म 1))	(कॉ ल म 1क)	(कॉ ल म 2)	(कॉ ल म 3))	(कॉ ल म 4))	(कॉ ल म 5))	(कॉलम 6)	(कॉल म 7)	(कॉ ल म 8)	(कॉलम 9)	(कॉल म 10)	(कॉलम 11)	(कॉ ल म 12)	(कॉ ल म 13)	(कॉ ल म 14)
1														
2														
3														
4														
	पंक्ति जोड़ें													
	कुल													

अनुसूची वी.डी.ए	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (टिप्पण: जहां प्रत्येक 'हस्तांतरण' संव्यवहार है, प्रत्येक संव्यवहार के ब्यौरे भरे जाएंगे)					
क्रम सं.	अधिग्रहण की तिथि	अंतरण की तिथि	पूंजी अभिलाभ का प्रकार (अल्पकालिक/ दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा 56(2)(x) के तहत राशि जिस पर कर चुक्ता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम(हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 – स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
सम्मिलित पंक्तियां						
क कुल (स्तंभ 7 में व्यावसायिक आय की सभी सकारात्मक आय का योग)						(अनुसूची बी पी का मद सं . 3 च)
ख कुल (स्तंभ 7 में पूंजीगत लाभ की सभी सकारात्मक आय का योग)						(अनुसूची सी.जी का मद सं .ग2)

अनुसूची-अन्य स्त्रोत		अन्य स्त्रोतों से आय			
अन्य स्त्रोत	1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)		1	
	क	लाभांश, सकल		1क	
	i	(ii) या (iii) के अलावा लाभांश आय	का		
	ii	धारा 2(22)(ड) के अधीन लाभांश आय	काii		
	iii	धारा 2(22)(च) के अधीन लाभांश आय	काiii		
	ख	ब्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv + खv)		1ख	
	i	बचत खाता से	खi		
	ii	जमा से (बैंक/ डाकघर/सहकारी सोसाइटी)	खii		
	iii	आय कर प्रतिदाय से	खiii		
	iv	पास थु आय की प्रकृति की आय/हानि में	खiv		
	v	अन्य सहित कंपनी, एन बी एफ सी और एच एफ सी से ब्याज	खv		
	ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय		1ग	
	घ	धारा 56(2) (भ) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घi + घii + घiii + घiv + घv)		1घ	
	i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का कुल मूल्य	घi		
	ii	प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घii		
	iii	अपर्याप्त प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घiii		
	iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv		
	v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv		
	ङ	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		1ङ	
	क्र.सं.	प्रकृति		राशि	
	1	धारा 56 (2)(xii) में यथा निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी कारबार न्यास से किसी इकाई धारक द्वारा प्राप्त कोई विनिर्दिष्ट रकम			
		आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है			
	2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क(i) + 2क(ii) + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं.1 से संबंधित)		2	
	क	धारा 115खख के अधीन लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़ और कार्ड गेम आदि जीतने से हुई आय		2क	
	कii	धारा 115 खखज के अधीन प्रभार्य ऑनलाइन गेम जीतने से हुई आय		2कii	
	ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)		2ख	
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi		
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii		
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii		
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv		
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
	vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
	ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (गi से गxii का योग)		2 ग	

i	धारा 115 क (1) क क के परन्तुक से भिन्न धारा 115 क (1) (क) के अधीन प्रभार्य, अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	ग i			
ik	धारा 115 क (1) (क)(क) के परन्तुक के अधीन प्रभार्य अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या धारा 80 ठफ की उपधारा 1क में यथा निर्दिष्ट, किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के इकाई से किसी विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	ग ik			
ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या विदेशी संस्था या विदेशी मुद्रा ऋणों से प्राप्त ब्याज	ग ii			
iii	धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	ग iii			
iv	धारा 115क(1)(क)(iiकक) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठ ग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	ग iv			
v	धारा 115क(1)(क)(iiकक) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @4% में निर्दिष्ट ब्याज	ग v			
vi	धारा 115ए(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठ घ में निर्दिष्ट ब्याज	ग vi			
vii	धारा 194ठखक में निर्दिष्ट ब्याज वाली वितरित आय-धारा 115(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य	ग vii			
viii	विदेशी मुद्रा में खरीदी गई धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट यू टी आई या अन्य पारस्परिक निधि की यूनिटों से आय-धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	ग viii			
ix	सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय – धारा 115क(1)(ख)(क) & 115क(1)(ख)(ख) के अंतर्गत प्रभार्य	ग ix			
x	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड के लाभांश पर आय	ग x			
xi	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	ग xi			
xii	(115कख में निर्दिष्ट यूनिटों से भिन्न) प्रतिभूतियों के संबंध में एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त आय	ग xii			
xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई दरों ब्याज द्वारा प्राप्त आय-धारा 115कघ(1)(i) के अनुसार प्रभार्य	ग xiii			
xiv	धारा 115खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर	ग xiv			
Xv	कतिपय मामलों में अनाम संदान – धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य	ग xv			
xvi	धारा 115खखच के अधीन प्रभार्य-भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से स्वामिस्व द्वारा आय	ग xvi			
xvii	धारा 115खखछ के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण द्वारा आय	ग xvii			
xviii	धारा 115ड के अधीन प्रभार्य-अनिवासी भारतीय की निवेश आय	गxviii			

			xix	ऑफशोर निधि की इकाइयों के संबंध में आय 115कख(1)(क)			ग xix						
			xx	धारा 115कघ(1)(i) के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अलावा एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)			ग xx						
			xxi	धारा 115कघ(1)(i) के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अलावा विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)			ग xxi						
			xxii	धारा 115कघ(1)(i) के तहत प्रभार्य- (धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अलावा) प्रतिभूतियों के संबंध में निर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त आय (लाभांश के अलावा)			ग xxii						
			Xxiii	धारा 194ठग(1) के दूसरे परंतुक में यथा निर्दिष्ट अनिवासियों द्वारा प्राप्त आय 9% की दर धारा 115क(1)(क)(iiकक) के अधीन प्रभार्य			ग xxiii						
		घ	विशेष दरों पर प्रभार्य का दावा की गई अन्य स्त्रों से आय की प्रकृति में पास धू आय (ड्रापडाउन प्रदान किया जाए)								2घ		
		ङ	ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित जो डीटीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य राशि 2 च (नीचे सारणी के स्तंभ (2) का योग) (केवल अनिवासियों के लिए लागू)								2ङ		
			क्रम सं.	आय की रकम	जिसमें मदु सं० 1क, 1कiii, 1ख से 1घ, 2क से 2घ सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीडीए का अनुच्छेद	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो कुछ नहीं प्रविष्ट कर)	क्याटी आरसी प्राप्त की गई है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्न)	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			I										
			II										
		3 धारा 57 के अधीन कटौतियाँ (आर्य प्रभार्य से संबंधित विशेष दरों के अधीन 2क, 2ख, 2ग, 2घ एवं 2ङ के अलावा)											
		क	व्यय / कटौतियाँ "ग" में इंदराज के अलावा					3क					
		ख	अवक्षयण (केवल तभी उपलब्ध यदि 1ग में आय दी जाती है)					3ख					
		ग	धारा 57(1) के तहत लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) (i) और /या 1क(ii) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज					3ग					
		गi	धारा 57(i) के तहत योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि					3गi					
		घ	योग					3घ					
		4 धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम										4	
		5 धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ										5	
		6 अन्य स्रोतों से निवल आय 1 (डीटीटीए अंश से संबंधित आय घटाने के बाद)-3+4+5 (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 4/में आंकड़े भरें)										6	
		7 अन्य स्त्रों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (शून्य के रुप 6 दर्ज करें, यदि नकारात्मक)										7	
		8 दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय											
		क	प्राप्तियाँ					8क					
		ख	केवल 8क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ					8ख					

	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग			
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ			
	ङ	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीएफएल के 11 _{xv} में आंकड़े भरें)			8ङ	
	9	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (नकारात्मक की दशा में 8ङ को ले जाएं)			9	
	10	अन्य स्रोतों से आय के प्रोदभवन/प्राप्ति के बारे में सूचना				
	क्र०सं०	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	फॉर्म 16/6 से 15/9 तक	फॉर्म 16/9 से 15/12 तक	फॉर्म 16/12 से 15/3 तक
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, फ्रासवर्ड पहेली, दौड़ खेलों, जुआ, सट्टेबाजी से आय				
	2	धारा 115 ख ख ज के अधीन ऑनलाइन गेम्स जीतने से हुई आय				
	3क	क्रम सं. 1क (i) में संदर्भित लाभांश पर आय				
	3ख	क्रम सं. 1क (iii) में संदर्भित लाभांश पर आय				
	4	धारा 115क(1)(क)(i) के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय सम्मिलित)				
	5	धारा 115 क (1)(क)(क) के परन्तुक के अधीन 10% की दर से लाभांश आय				
	6	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय				
	7	धारा 115कघ(1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ आई आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)				

	8	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 10% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभांश आय (पी.टी.आई आय सम्मिलित है)					
	9	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय					

अनुसूची सी.वाई.एल.ए		चालू वर्षों की हानियों का मुजरा करने के पश्चात आय के ब्यौरे					
चालू वर्ष हानि समायोजन	क्र. सं.	आय का शीर्ष /स्त्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्ष की गृह संपत्ति है। हानि	मुजरा की गई चालू वर्ष की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्त्रोतों से चालू वर्ष के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभार्य रकम से भिन्न	मुजरे के पश्चात शेष बची चालू वर्ष की आय
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
	i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि संगणित आंकड़ा नकारात्मक है तो केवल यह पंक्ति भरें)		(अनुसूची एच पी का 3)	(अनुसूची बीपी के मद डू का 2vi)	(अनुसूची ओएस का 6)	
	ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एच पी का 3)				
	iii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची बीपी का क 37)				
	iv	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची बीपी के मद डू का 3iv)				
	v	सट्टे से आय	(अनुसूची बीपी के मद डू का 3ii)				
	vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची बीपी के मद डू का 3iii)				

vii	20 प्रतिशत की दर पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ करायेय है	अनुसूची सीजी की मद ड का 8ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8iii)				
ix	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8iv)				
x	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभार्य कुल आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 89V)				
xi	12.5% की दर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ करायेय है	सीजी अनुसूची की मद ड. का 8 vi)				
xii	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय दीर्घ कालीनप पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभार्य कुल आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8vii)				
xiii	सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभार्य कुल आय	(अनुसूची ओएस की मद 6)				
xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ओएस की मद 8इ)				

	xv	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस की मद 2इ)				
	xvi	मुजरा की गई कुल हानि					
	xvii	मुजरे के पश्चात शेष हानि (i - xvi)					

अनुसूची-बी.एफ.एल.ए		पूर्व वर्षों की अग्रणीत हानियों के मुजरे के पश्चात आय के ब्यौरे					
अग्रणीत हानि समायोजन	क्र. सं.	आय का शीर्ष/स्तोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात आय	मुजरा की गई अग्रणीत हानि	मुजरा किया गया अग्रणीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत मोक(रिबेट)	मुजरे के पश्चात शेष बची चालू वर्ष की आय
			1	2	3	4	5
	i	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(खयदि गृह संपत्तिसे हानि है)			
	ii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(खयदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार सेभिन्न, कारबार से हानि है) (टिप्पण: धारा 44खख और 44खखघ के अधीन आय के सिवाय अवक्षय मुजराई कारबार आय तक निर्बंधित होगी)	(टिप्पण: धारा 44खख और 44खखघ के अधीन आय के सिवाय अवक्षय मुजराई कारबार आय तक निर्बंधित होगी)		
	iii	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
	iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है)			
	v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)			

	vi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पका लिक पूंजी अभिलाभ कराधेय है	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vix)	ख यदि अग्रणीत अल्पकालिक हानि है)			
	vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पका लिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			
	viii	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पका लिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			
	ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय लघु कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			
	x	12.5 प्रतिशत की दर पर दीर्घकालि क पूंजी अभिलाभ कराधेय है	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xi)	(ख यदि अग्रणीत अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है)			

	xi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घ कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xii)	(ख यदि अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है)			
	xii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiii)				
	xiii	घुड़दौड़ के स्वामित्व के अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)			
	xiv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)				
	xv	मुजरा की गई अग्रणीत कुल हानि (2i + 2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2x + 2xi + 2xiii)					
	xvi	चालू वर्ष की मुजरे के पश्चात शेष बची हानि योग (5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii + 5xiv)					

अनुसूची-सी.एफ.एल		भावी के वर्षों के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण									
हानि का अग्रनयन	क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	फाई ल करने की	गृह संपत्ति से हानि	सट्टे के कारबार बीमा और कारबार से हानि और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से हानि	सट्टे के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	धारा 115ख जीवन बीमा व्यवसा	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और

[illegible]

	Xvi i	पूर्व वर्ष की हानियों का योग अग्रनीत										
	Xvi ii	अनुसूची बीएफएल में उपरोक्त हानियों का समायोजन	(अनुसूची बीएफएल का 2i)			(अनुसूची बीएफएल का 2ii)	(अनुसूची बीएफएल का 2iv)	(अनुसूची बीएफएल का 2v)	(अनुसूची बीएफएल का 2iii)			(अनुसूची बीएफएल का 2xiii)
	xix	2026-27 चालू वर्ष की हानि	(अनुसूची सीवाईएल का 2xvii)			(अनुसूची सीवाईएल का 3xvii)	(अनुसूची बीपी का ख42, यदि नकारात्मक है)	(अनुसूची बीपी का ग48, यदि नकारात्मक है)	अनुसूची बीपी का क4ख (यदि नकारात्मक है)	(2ix+3ix+4ix+5ix+6ix) अनुसूचीसी जी के मद ड)	(6ix+6ix) अनुसूची सीजी के मद ड)	(अनुसूची ओएस का 8इ यदि - नकारात्मक है)
	xx	यूनिट धारकों के मध्य चालू वर्ष हानि वितरित (निवेश निधि के लिए लागू)										
	Xxi	चालू वर्ष की हानियां अग्रनीत (xix-xx)										
	xxi i	भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि (xvii-xviii+xix)										

अनुसूची -
अनामेलित
अवक्षयण

धारा 35(4) के अधीन अनामेलित अवक्षयण और मोक

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण				धारा 35(4) के अधीन मोक		
		अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	धारा 115खकघ या 115 ख क ग (1क) के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रेषित शेष रकम	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के मोक की रकम की मुजराई	अग्रिम वर्ष के लिए अग्रणीत शेष
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष							
ii								
iii								
iv								
v	योग			(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा.		लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव		
क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	लाभ बढ़ना(रु.)	लाभ घटना(रु.)	शुद्ध प्रभाव(रु.)
1	2	3	4	5
I	लेखा नीति			
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ण झ के स्तंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)			
III	संनिर्माण संविदाएं			
IV	राजस्व मान्यता			
V	मूर्त नियत आस्तियां			
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन			
VII	सरकारी अनुदान			
VIII	प्रतिभूतियां (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ण झ के स्तंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)			
IX	उधार लेने की लागत			
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था			
XI	लाभ पर आईसीडीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)			

अनुसूची-10कक		धारा 10कक के अधीन कटौती			
धारा 10कक के अधीन कटौती	अवशेष औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती				
	क्रम संख्या	वचनबंध	निर्धारण वर्ष इकाईयों ने विनिर्माण/उत्पादन/सेवा प्रदान करना आरंभ किया है	क्रम संख्या	कटौती की रकम
	क	वचनबंध सं.0 1		क	(प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के वचनबंध 1 के लिए

	ख	वचनबंध सं. 02		ख	(प्ररूप 56 च के उपाबंध क की मद 17 के वचनबंध 2 के लिए	
	ग	धारा 10 क के अधीन कुल कटौतियाँ (क+ख)				ग

अनुसूची 80 छ		धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे				
दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम	दान के लिए उपयुक्त रकम	यू पीआई अंतरण या चैक संख्या आई एम पी एस/ एन ई एफ टी / आर टी जी एस के लिए निर्देश संख्या संव्यवहार
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान
		i				
		ii				
		iii	कुल			
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम	दान के लिए उपयुक्त रकम	यू पीआई अंतरण या चैक संख्या आई एम पी एस/ एन ई एफ टी / आर टी जी एस के लिए निर्देश संख्या संव्यवहार
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान
		i				
		ii				
		iii	कुल			
	ग	अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम	दान के लिए उपयुक्त रकम	यू पीआई अंतरण या चैक संख्या आई एम पी एस/ एन ई एफ टी / आर टी जी एस के लिए निर्देश संख्या संव्यवहार
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान
		i				
		ii				
		iii	कुल			
	घ	अर्हता सीमा के अध्याधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान				

	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	ए.आर. एन (संदान संदर्भ संख्या)	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम	यू पीआई अंतरण या बैंक संख्या आई एम पी एस/ एन ई एफ टी / आर टी जी एस के लिए निर्देश संख्या संव्यवहार	बैंक का आई एफ एस सी		
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान					
				i							
				ii							
				iii	कुल						
ड	कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)										

अनुसूची 80 छछक वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दानों के ब्यौरे

क्रम संख्या	सुसंगत खण्ड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है। (ड्रापडाउन दिया जाए)	दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैना	दान की रकम			दान को पात्र रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i							
ii							
	कुल दान						

अनुसूची 80 छछग

क्र.सं.	दिनांक	चंदे की राशि			चंदे के योग्य राशि	राजनीतिक दल का नाम	राजनीतिक दल का पैना	यू पीआई अंतरण या बैंक संख्या आई एम पी एस/ एन ई एफ टी / आर टी जी एस के लिए निर्देश संख्या संव्यवहार	बैंक का आईएफएस कोड
		चंदा नकद में	अन्य माध्यम में चंदा	कुल चंदा					
i									
	पंक्ति जोड़ें								

	कुल चंदा								

अनुसूची 80ठक		अपतटीय बैंकिंग इकाई या आईएफएससी संबंध में कटौती					
उपधारा जिसमें कटौती का दावा किया							
क्रम संख्या	इकाई का प्रकार	इकाई के आय का प्रकार	पंजीकरण स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी	पंजीकरण की तिथि	पंजीकरण संख्या	पहला नि.व. जिसमें कटौती का दावा किया गया	वर्तमान नि.व. के लिए कटौती के दावे की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
पंक्ति जोड़ने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा							
कुल							

अनुसूची 80झकग		योग्य स्टार्ट-अप के संबंध में कटौती (यदि क19(छ) का उत्तर हां है तभी भरा जाए)			
क्रम संख्या	स्टार्ट-अप के निगमन की तिथि	व्यापार की प्रकृति	अंतर मंत्रीस्तरीय प्रमाणन बोर्ड से प्राप्त प्रमाण पत्र संख्या	पहला नि.व. जिसमें कटौती का दावा किया गया	वर्तमान नि.व. के लिए कटौती के दावे की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अनुसूची आर. ए		अनुसंधान संगमों को दानों के ब्यौरे (धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(ii)क या 35(1)(iii) या 35(2कक) के अधीन कटौती)				
		दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैन	दान की रकम		दान की पात्र रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान
		i				
		ii				
		iii कुल				

अनुसूची-80-झ.क		धारा 80- झ.क के अधीन कटौतियाँ			
क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियाँ (अवसंरचना सुविधा)	क1	वचनबंध सं. 0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		क2	वचनबंध सं. 0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ख	धारा 80-झक(4)(iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	ख1	वचनबंध सं. 0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	

		ख2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ग	धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क1 + क2 + ख1 + ख2)				ग

अनुसूची-80-झ.ख		धारा 80-झ.ख के अधीन कटौतियाँ			
क	जम्मू कश्मीर या लद्दाख में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती [धारा 80झख(4)]	क1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		क2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ख	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनीज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है। [धारा 80झख(9)]	ख1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ख2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ग	गृह प्रयोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80झख(10)]	ग1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ग2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
घ	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परीक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80झख(11क)]	घ1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		घ2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ङ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80झख(11क)]	ङ 1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ङ 2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
च	धारा 80झख के अधीन कुल कटौती (क1 से ङ 2 का योग)				च

अनुसूची 80-झड				
क	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती			
	कक	असम	कक1	वचनबंध सं.0.1 (वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
			कक2	वचनबंध सं.0.2 (वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
	कख	अरुणाचल प्रदेश	कख1	वचनबंध सं.0.1 (वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
			कख2	वचनबंध सं.0.2 (वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
	कग	मणिपुर	कग1	वचनबंध सं.0.1 (वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
			कग2	वचनबंध सं.0.2 (वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
	कघ	मिजोरम	कघ1	वचनबंध सं.0.1 (वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
			कघ2	वचनबंध सं.0.2 (वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
	कङ	मेघालय	कङ1	वचनबंध सं.0.1 (वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)

		कच	नागालैंड	कड2	वचनबंध सं.0.2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
				कच 1	वचनबंध सं.0.1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
				कच 2	वचनबंध सं.0.2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		कछ	त्रिपुरा	कछ1	वचनबंध सं.0.1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
				कछ2	वचनबंध सं.0.2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		कज	सिक्किम	कज1	वचनबंध सं.0.1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
	कज2			वचनबंध सं.0.2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
	कझ	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (कक1 से कज 2 का योग)					कझ
ख	धारा धारा 80इड के अधीन कुल कटौती					ख	

अनुसूची 80त		धारा 80त के अधीन कटौतियां		
		कारोबार कोड की प्रकृति	आय	कटौती के लिए पात्र रकम
1	धारा 80त(2)(क)(i) इसके सदस्यों को बैंकिंग/क्रेडिट सुविधा			
2	धारा 80त(2)(क)(ii) कुटीर उद्योग			
3	धारा 80त(2)(क)(iii) इसके सदस्यों द्वारा उगाई गई कृषि उपज का विपणन			
4	धारा 80त(2)(क)(iv) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए कृषि के लिए आशयित कृषि उपकरण, बीजों, पशु धन, या अन्य वस्तुओं का क्रय			
5	धारा 80त(2)(क)(v) इसके सदस्यों की कृषि उपज की विद्युत की सहायता के बिना			
6	धारा 80त(2)(क)(vi) इसके सदस्यों के या श्रम का सामूहिक निपटान			
7	धारा 80त(2)(क)(vii) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए मछली पकड़नाय या संबद्ध क्रियाकलाप			
8	धारा 80त(2)(ख) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी/सरकारी कंपनी/ निगम को दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगे संघीय सहकारी सोसाइटी को इसके सदस्यों द्वारा उत्पन्नया उगाए गए दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगी प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां ।			
9	धारा 80त(2)(ग)(i) धारा 80त(2क) या धारा 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी			
10	धारा 80त(2)(ग)(ii) धारा 80त(2क) या 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न क्रियाकलापों में लगी अन्य सहकारी सोसाइटियां			
11	धारा 80त(2)(घ) अन्य सहकारी सोसाइटीयों में निवेश से ब्याज/लाभांश			
12	धारा 80त(2)(ड) वाणिज्याक के विपणन को सुकर बनाने के लिए भण्डारण/प्रसंस्करण हेतु गोदामों/भाण्डागारों को किराए पर देने से आय			
13	धारा 80त(2)(च) अन्य			
14	योग			

अनुसूची - VIक		अध्याय VIक के अधीन कटौतियाँ			
कुल कटौतियाँ	1	भाग ख- कतिपय संदायों की बाबत कटौती			
	क	80छ		ख	80छछख
	ग	80छछग			
	भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग)				1
	2	भाग ग- कतिपय संदायों की बाबत कटौती			
	घ	80-झक	(अनुसूची 80-ठक का च)	ड	80-झकख
	च	80-झकग	(अनुसूची 80-झकग का 6)	छ	80-झकख
	ज	80-झकख		झ	80झड
	ञ	80जक		ट	80जकक
	ठ	80ठक(1)	(अनुसूची 80-ठक का 8)	ड	80ठक(1क)
	ण	80त			
	भाग ग के अधीन कुल कटौती (घ से ण तक का योग)				2
	3	अध्याय VIक के अधीन कुल कटौती (1 + 2)			

अनुसूची- ए.एम.टी		धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना			
कुल कटौतियाँ	1	भाग-ख-कुल आय के मद 13 के अनुसार कुल आय			
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन			
	क	शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियाँ" के अधीन अध्याय VIक में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती	2क		
	ख	धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती	2ख		
	ग	आस्तियों जिस पर ऐसी कटौती का दावा किया जाता है पर अवक्षाय राशि द्वारा यथा घटाया गया धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा	2ग		
	घ	कुल समायोजन (2क + 2ख+2 ग)	2घ		
	3	धारा 115जग (1) के अधीन समायोजित कुल आय(1 + 2ग)			
	क	धारा 115जग के अधीन आई.एफ.एस.सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	3क		
	ख	धारा 115जग के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय	3ख		
	4	धारा 115जग (1) के अधीन संदेय कर, यथास्थिति [(3 ख) का 18.5 % या 15% (3 क) का 9 % जैसा अनुप्रयोज्य हो] (ए.ओ.पी, बी.ओ.पी, ए.जे.पी के मामले में यह लागू है यदि 3, बीस लाख से अधिक है)			

अनुसूची ए.एम.टी.सी		धारा 115कघ के अधीन जमा कर की संगणना				
1	निर्धारण वर्ष 2026-27 में धारा 115 जग के अधीन कर (भाग-ख-टी.टी.आई का 1घ)				1	
2	निर्धारण वर्ष 2026-27 में अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर (भाग-ख-टी.टी.आई का 4)				2	
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध जमा राशि उपलब्ध है [(2-1 प्रविष्ट करें) यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें]				3	
4	उपलब्ध एएमटी जमा राशि का उपयोजन (चालू वर्ष के दौरान उपयोजित एएमटी जमा राशि उपरोक्त तीन में वर्णित अधिकतम रकम के अधीन होगी और वह अग्रणीत एएमटी जमा राशि से अधिक नहीं हो सकती)					
	क्र. सं.	निर्धारण वर्ष (क)	एएमटी प्रत्यय (ख)		चालू वर्ष के दौरान उपयोग की गई एएमटी (ग)	अग्रणीत अतिशेष एएमटी जमा (घ) = (ख3) - (ग)
			सकल (ख1)	पूर्व वर्षों में मुजरा की गई (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3) = (ख1) - (ख2)	
	I	2012-13				
	ii	2013-14				
	iii	2014-15				
	iv	2015-16				
	v	2016-17				
	vi	2017-18				
	vii	2018-19				
	viii	2019-20				
	ix	2020-21				
	x	2021-22				
	xi	2022-23				
	Xii	2023-24				
	xiii	2024-25				
	Xiv	2025-26				
	xv	चालू निर्धारण वर्ष (1-2 प्रविष्ट करें, यदि 1 > 2 या शून्य प्रविष्ट करें)				
	xvi	योग				
5	धारा 115कघ के अधीन जमा कर की रकम [(मद सं. 4ग के अनुसार)]				5	
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष में जमा राशि के लिए उपलब्ध एएमटी दायित्व की रकम [मद सं. 4घ प्रविष्ट करें]				6	

अनुसूची एसआई		विशेष दर से प्रभार्य आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)				
विशेष दर	क्र.सं.	धारा / विवरण	☒	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
	1	111क या धारा 115कघ(1)(ख)(ii)- [शेयर यूनितों पर एसटीसीजी, जिस पर एसटीसीजी संदत्त है]	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5vi का भाग)	
	2	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए एसटीसीजी जहां एसटीटी का भुगतान नहीं किया गया हो)	☐	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5vii का भाग)	

3	112(1)(सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर एलटीसीजी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x का भाग)	
4	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x का भाग)	
5	115कख (धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x का भाग)	
6	115कग (बंध पत्र/जीडीआर पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x का भाग)	
7	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए एलटीसीजी)	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x का भाग)	
8	112(अन्य दर पर एलटीसीजी)[जहां अंतरण/घटना	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x का भाग)	
9	112ख या धारा 115कघ(1)(ख)(iii)- परंतुक (शेयरों या यूनिटों के विक्रय पर एलटीसीजी, जिन पर एसटीटी संदत्त है)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x का भाग)	
10	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर एसटीसीजी प्रभार्य है	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5ix)	
11	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभार्य है			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5xii)	
12	115ख (जीवनबीमा कारबारक के लाभ और अभिलाभ)	□	12.50	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5iii)	
13क	115कग (विदेशी करसी में क्रय किए गए बंधपत्रों से प्राप्त ब्याज से अनिवासी की आय)	□	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग x)	
13ख	115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	□	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग xi)	
14	115 खख (लॉटरी,वर्ग पहली, दौड़, खेल आदि से जीत)	□	30	(अनुसूची ओ.एस का 2का)	
15	115 खखज (ऑनलाइन खेल से जीत)	□	30	(अनुसूची ओ.एस का 2काii)	
16	115 खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन आय	□	60	(अनुसूची ओ.एस का 2ख)	
17	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	कशीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	□	10	(अनुसूची बी.पी का 3घ)	
	खशीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	□	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घxvi)	
18	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	कशीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	□	10	(अनुसूची बी.पी का 7ड)	
	खशीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	□	10	(अनुसूची ओ.एस का 2गxvi)	
19	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)				
	ककारबार या वृत्ति से आय	□	30	(अनुसूची बी.पी का 3च)	
	खपूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत आय	□	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)	
20	115क(1)(ख) (क) और 115क(1)(ख)(ख) (रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से एक गैर-निवासी की होने वाली आय)	□	20	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2गviii)	
21	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर अन्य स्रोतों से आय प्रभार्य है	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 2ड का भाग 5iv)	

22 क	20% की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी आय	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi ख का भाग)	
23	30% @ की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	□	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग)	
24	धारा 112क के अधीन 12.5% की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी आय	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
25	धारा 112क के अधीन 12.5% की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी से भिन्न आय	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
26	विशेष दये पर प्रभार्य अन्य स्रोत से आय की प्रकृति की गुजरी हुई आय	□		(अनुसूची ओ.एस का 2घ)	
27	अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्य होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्रॉप-डाउन दिया जाएगा)	□		(अनुसूची ओ.एस के 2ग का भाग)	
			योग		

अनुसूची आई एफ		भागीदारी फर्मों के बारे में जानकारी जिसमें आप भागीदार है							
फर्म जिसमें भागीदार है	फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार है								
	क्र.सं.	फर्म का नाम	फर्म का पैन	क्या फर्म संपरीक्षक के लिए दायी है (हां/नहीं)	क्या फर्म को धारा 92ड लागू होती है (हां/नहीं)	फर्म के लाभ में प्रतिशत हिस्सा	लाभ में हिस्से की रकम	देय या प्राप्त ब्याज की रकम	फर्म में 31 मार्च को पूंजी बकाया
							i	ii	iii
	1								
	2								
	3								
	4	योग							

अनुसूची-छूट प्राप्त आय		छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से प्रभार्य न की जाने वाली आय)							
छूट प्राप्त	1	ब्याज से आय						1	
	2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित नहीं की जाने वाली आय से भिन्न)				i		
		ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii		
		iii	पूर्व आठ कर-निरधारण वर्षों विनिर्दिष्ट कृषि हानि				iii		
		iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 (अनुसूची बी.पी की क्र.सं. 38) से संबंधित कृषि आय अंश				iv		2
		v	वर्ष (i-ii-iii+iv) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)						
		vi	वर्ष के लिए कुल कृषि आय 5 लाख से अधिक होने के मामले में निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)						
		क	पिनकोड के साथ उस जिले का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है।						
		ख	एकड़ में कृषि भूमिक का मापन						
		ग	क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)						
		घ	क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)						
छूट प्राप्त	3	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)(3क + 3ख)						3	

	क	धारा 10(23चख) अथवा 10(23चखक) या 10(23चग) या 10(23चगक) या 10(23चड़) या 10(23चच) या 10(4घ) के तहत आय (कृपया प्रपत्र दाखिल करने की तिथि तथा पावती संख्या का विवरण प्रदान करें (यदि 10(23चच तथा 10(4घ) के तहत दावा किया गया के तहत आय प्रत्येक अनुभाग के लिए अलग से डापडाउन प्रदान करें तथा पंक्ति विकल्प शामिल करें।					3क		
	ख	कोई अन्य आय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)- प्रदत्त आय की प्रकृति दर्ज करने के लिए टेक्स्ट के साथ पंक्ति विकल्प जोड़ें					3ख		
	4	डीटीए के अनुसार दावा किये गए कर से अप्रभार्य आय केवल अनिवासियों के लिए लागू							
	क्र.सं०	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए का अनुच्छेद	आय की शीर्ष	क्या टीआटी प्रदान की गई (हां/नहीं)		
	I								
	II								
	III	कर से प्रभार्य नहीं डीटीए से कुल आय						4	
	5	कर से अप्रभार्य पास धू आय (अनुसूची पीटीआई)						5	
	6	योग (1+2+3+4+5)						6	

अनुसूची पीटीआई		धारा 115प, 115पक और 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे								
पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा 115प /115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि 9=7-8	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती ,यदि कोई हों
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.				i	गृह संपत्ति				
					ii	पूंजी अभिलाभ				
						क	अल्पकालिक अवधि			
	का	धारा 111क								

						का i	अन्य				
						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खा i	धारा 112क के अलावा अन्य				
						iii	अन्य स्त्रोत				
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
						iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
						क	धारा 10(23चख ख) के अधीन				
						ख	धारा के अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				
	2.					i	गृह संपत्ति				
						ii	पूँजी अभिलाभ				
						क	अल्पकालिक अवधि				
						का i	धारा 111क				
						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खा i	धारा 112क के अलावा अन्य				
						iii	अन्य स्त्रोत				
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
						iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
						क	धारा 10(23चख ख) के अधीन				
						ख	धारा के अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				

अनुसूची टी.पी.एस.ए

ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार, धारा 92 खड (2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण

धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क)) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है (कृपया समस्त नि. वर्षों के संबंध में किए गए समायोजन का कुल योग इंगित करें)						
	2	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा					
		ख	"क" पर 12% की दर से अधिभार					
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर					
		घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)					
	3	भुगतान किए गए कर						
	4	निवल देय कर (2घ-3)						
	5	धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	तारीख1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 3 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 4 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 5 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष)
	6	बैंक और शाखा का नाम						
		बीएसआर कोड						
	8	चालान की क्रम संख्या						
	9	जमा की गई राशि						

अनुसूची 115 नघ		धारा 115 नघ के अधीन अनुवृद्धि आय			
1	विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आस्तियों का संकलित उचित बाजार मूल्य (एफएमवी)	1			
2	घटाए: विनिर्दिष्ट व्यक्ति का कुल दायित्व	2			
3	आस्तियों का शुद्ध मूल्य (1-2)	3			
4	(i) धारा 10(1) में निर्देशित आय से सीधे अर्जित आस्तियों का एफएमवी	4i			
	(ii) धारा 12 क ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी तारीख की अवधि के दौरान अर्जित आस्तियों का एफएमवी, यदि उक्त अवधि के दौरान धारा 11 और 12 के अधीन लाभ का दावा नहीं किया गया है	4 ii			

	(iii) धारा 115 नघ (2) के तीसरे परंतुक के अनुसार हस्तांतरित आस्तियों का एफएमवी	4 iii		
	(iv) कुल (4i+4ii+4 iii)		4iv	
5	उपरोक्त 4 पर आस्तियों के संबंध में दायित्व		5	
6	धारा 115 नघ के अनुसार अर्जित आय [3-4iv-5]		6	
7	धारा 115 नघ के अधीन अधिकतम मर्जिन दर पर अतिरिक्त संदेय आयकर		7	
8	धारा 115 नघ के अधीन संदेय ब्याज		8	
9	धारा 115 नघ के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख		9	
10	अतिरिक्त आयकर और संदेय ब्याज		10	
11	कर और संदत्त ब्याज		11	
12	शुद्ध संदेय (10-11) (नकारात्मक होने पर 0 लिखें)		12	
13	अनुवृद्धि आय पर कर जमा करने की तारीख(तारीखें)	तारीख1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख3 (दिन/माह/वर्ष)
14	बैंक एवं शाखा का नाम			
15	बीएसआर कोड			
16	चालान का क्रमांक			
17	जमा की गयी राशि			

अनुसूची- एफएसआई			भारत से बाहर आय और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)							
भारत से बाहर से आय और कर राहत	क्र.सं.	देश कोड (ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा ड्रापडाउन उपलब्ध करवाया जाएगा)	कर संचायकर्ता पहचान संख्या	क्र.सं.	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय (भाग ख तज्ञ में शामिल)	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदत्त कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड)= (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	यदि राहत धारा 90 या 90क के अधीन दावा की गई है तो डीटीए का सुसंगत अनुच्छेद
					(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)
	1			i	गृह संपत्ति					
				ii	कारबार या व्यवसाय					
				iii	पूंजी अभिलाभ					
				iv	अन्य स्रोत					
				योग						
	2			i	गृह संपत्ति					
				ii	कारबार या व्यवसाय					
				iii	पूंजी अभिलाभ					
iv				अन्य स्रोत						
योग										

अनुसूची-टीआर		भारत से बाहर संदत्त किए गए करो पर दावा की गई कर राहत के सारांश का ब्यौरा (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)				
भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत	1	दावा की गई राहत के कर ब्यौरे				
		देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (अनुसूची च ज झ की (ग) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (अनुसूची च ज झ की (ड) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	वह धारा जिस के अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
				योग		
2	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीए लागू है (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग)				2	
3	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीए लागू नहीं है (धारा 91) (1(घ) के योग का भाग)				3	
4	क्या भारत से बाहर किसी कर का किया गया है जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात थी जिसका वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी ने प्रतिदाय / प्रत्यय किया है ? यदि हाँ तो उसके ब्यौरे दें				4	
	प्रतिदाय किए गए कर की रकम		ख	निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत की गई है		

अनुसूची वि.आ.		भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा										
विदेशी आस्तियों के ब्यौरे	अ1	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी ब्याज शामिल)										
	क्र.सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
	अ2	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)										

	क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	(i)												
	(ii)												
अ3	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
	क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(i)												
	(ii)												
अ4	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
	क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम		वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम			
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
	(i)												
	(ii)												
ख	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
	क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		अनुसूची की मद संख्या
											राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	

	(1)	(2 क)	(2 ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)												
	(ii)												
ग	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज				
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या		
(1)	(2 क)	(2 ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(i)													
(ii)													
घ	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज				
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या		
(1)	(2 क)	(2 ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(i)													
(ii)													
ङ	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।												
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आप के पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय				
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या		
(1)	(2)	(3 क)	(3 ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(i)													
(ii)													
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो												
क्र.	देश	जिप कोड	न्यास	अवस्थापक का		जब से पद	क्या आप	यदि (8) हां में	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय				

सं 0	का नाम और कोड		का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	संभाला है उसकी तारीख	के पास प्रोद भूत आय का करा धेय है	है, तो न्यास से प्राप्त आय	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2 क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है												
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												

अनुसूची जीएसटी		जीएसटी के लिए रिपोर्ट की गई अवधि/कुल प्राप्ति के संबंध में जानकारी	
जीएसटी ब्यौरा	क्र. सं०	जीएसटीआईएन सं०	फाइल जीएसटीव विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों का वार्षिक मूल्य
	(1)	(2)	(3)
टिप्पण▶		कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक जानकारी दें।	

भाग - ख

भाग ख-कुल आय		कुल आय की संगणना	
आय का कुल	1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह संपत्ति का 3) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	1
	2	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ	

		i सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-बी पी का ५३७) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2i		
		ii सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका ड का ३(iii)) (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें)	2ii		
		iii सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका ड का ३(iii)) (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें)	2iii		
		iv विशेष दर पर कर के लिए आय प्रभार्य (अनुसूची बीपी का ३घ, ३ङ और ३च)	2iv		
		v योग (2i+2ii+2iii+2iv) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि है और इस अंक को अनुसूची सीवाईएलए की हानि की प्रविष्ट में लें जाएं)	2v		
	3	पूंजी अभिलाभ			
	क	अल्पकालिक			
		i 20% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 8iii)	का		
		ii 30 % की दर से प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का दर से प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 8iii))	का		
		iii लागू दर पर प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 8iv)	का		
		iv डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर लघु कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 8v)	का		
		v कुल अल्पकालिक (का + 8v + का + का + का) (यदि हानि हो तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	क		
	ख	दीर्घकालिक			
		i 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 8vi)	ख		
		ii डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 8vii)	ख		
		iii कुल दीर्घकालिक (ख i + ख ii +) (यदि हानि हो तो शून्य भरें)	ख		
	ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ की राशि (3क + 3ख iii) (यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)	3ग		
	घ	धारा 115खखज के तहत 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)	3घ		
		ङ कुल पूंजीगत अभिलाभ (3ग + 3घ)	3ङ		
	4	अन्य स्रोतों से आय			
	क	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची ओएस का 6) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4 क		
		ख विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची ओएस का 2 भरें)	4 ख		
		ग घुडदौड़ के स्वामित्व और अनुसक्षण क्रियाकलाप से आय (अनुसूची ओएस का 8ड) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4 ग		

	घ योग (4 क + 4 ख + 4 ग)	4 घ	
5	मदवार आय का योग (1 + 2v + 3 ड + 4 घ)	5	
6	5 के सामने मुजरा किए जाने वाली चालू वर्ष की हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)	6	
7	चालू वर्ष की हानियों के शुरू होने के बाद शेष (5 - 6) (अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (ii), (iii), (v) से (xvi) का योग + 4ख + 2iv)	7	
8	7 के संबंध में मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई (अनुसूची बीएफएलए के 2xv, 3 xv और 4xv का योग)	8	
9	सकल कुल आय (7 - 8) (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (i), (ii), (iv) से (xiv) का योग + 4ख + 2iv)	9	
10	9 में सम्मिलित धारा 111 क, धारा 112, धारा 112 क आदि के अधीन विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय	10	
11	अध्याय VI के अधीन कटौतियाँ		
	क अनुसूची 6 क का भाग ख [अनुसूची 6 क का (1) और (9-10) तक सीमित] (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. i+ii+iv+v+viii+xiii+xiv)	11 क	
	ख अनुसूची 6 क का भाग ग [अनुसूची 6 क का (2)]	11 ख	
	ग कुल (11 क + 11 ख) (9-10) तक सीमित	11 ग	
12	धारा 10 क के अधीन कटौती (अनुसूची 10 क का कुल)	12	
13	कुल आय (9- 11 ग - 12)	13	
14	विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची एसआई के i का योग)	14	
15	रेट प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय कोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 2 v)	15	
16	कुल आय (13 - 14 + 15) [यदि (13-14) प्रभार्य कर की प्रभार्य नहीं की गई रकम से अधिक है तो लागू होगा]	16	
17	अग्रनीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानि याहाँ (अनुसूची सीएफएल के xxi का योग)	17	
18	धारा 115 जग के अधीन समझी गई कुल आय (अनुसूची ए.एम.टी का 3)	18	

भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व		कुल आय पर कर दायित्व की संगणना			
कर दायित्व की संरचना	1	क धारा 115 जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एएमटी का 4)	1 क		
		ख पूर्वोक्त (क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1 ख		
		ग स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 1 क + 1 ख पर	1 ग		
		घ मानी गई आय (1 क + 1 ख + 1 ग) पर कुल संदेय कर	1 घ		
	2	कुल आय पर संदेय कर			
		क भाग ख-टीआई के 16 के सामान्य दरों पर कर	2 क		
		ख विशेष दरों पर कर (अनुसूची-एसआई का ii का कुल योग)	2 ख		
		ग कृषि आय पर छूट [भाग ख-नहीं झ का 13-14 कर से प्रभार्य अधिकतम रकम से ज्यादा नहीं होगा, तभी लागू होगा]	2 ग		
		घ कुल आय पर संदेय कर (2 क + 2 ख + 2 ग)	2 घ		
	ड	उपकर	उपांतिक राहत से पूर्व परिकलित अधिभार	उपांतिक के बाद अधिभार	2 ड
		i अनुसूची एस.आई के 12 (ii) का 25%	2 ड i	i क	

		ii 10% या 15% पर लागू	2ड ii		ii क	
		iii [(2घ) पर 12ड (ii) में संदर्भित आय पर कर - अनुसूची एस.आई का 12(ii)]	2ड iii			
		iv कुल (i क + ii क)	2ड iv			
	च	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 2घ+2ड iv	2च			
	छ	कुल आय पर संदेय कर (2घ + 2ड iv + 2च)	2छ			
	3	सकल संदेय कर (2छ या 1घ से उच्चतर)	3			
	4	पूर्व वर्षों में संदत्त कर का धारा 115 जग के अधीन जमा (यदि 2छ 1घ से अधिक है) (अनुसूची एएमटीसी का 5)	4			
	5	धारा 115 जघ के अधीन जमा के पश्चात संदेय कर (3 - 4)	5			
	6	कर राहत				
		क धारा 90/90क (अनुसूची नद का 2)	6क			
		ख धारा 91 (अनुसूची नद का 3)	6ख			
		ग योग (6क + 6ख)	6ग			
	7	शुद्ध कर दायित्व (5-6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य दर्ज करें)	7			
	8	ब्याज और देय फीस				
		क विवरण प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क			
		ख अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख			
		ग अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग			
		घ आय की विवरणी प्रस्तुत करने में त्रुटि के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ			
	घक	आय की पुनरीक्षति विवरणी प्रस्तुत करने हेतु फीस (धारा 239-झ)	8घक			
	ड	कुल ब्याज और देय फीस (8क + 8ख + 8ग + 8घ)	8 ड			
	9	कुल दायित्व (7 + 8 ड)	9			
	10	संदत्त कर				
		क अग्रिम कर (18क के स्तंभ 5 से)	10क			
		ख स्रोत पर काटी गया कर (18ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख			
		ग टीसीएस (18ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग			
		घ स्वतः निर्धारण कर (18क के स्तंभ 5 से)	10घ			
		ड कुल संदत्त कर (10क + 10ख + 10ग + 10घ)	10ड			
	11	संदेय रकम (यदि 9, 10 ड से अधिक है तो प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)	11			
	12	प्रतिदाय (यदि 10ड, 9 से अधिक है)	12			
	13	धारा 115 नड के अधीन संदेय ब्याज सहित धारा 115 नघ के अधीन आय पर संदेय शुद्ध कर (अनुसूची 115 नघ का क्र.सं. 12)	13			
	14	क्र.सं. 12 (13-12) पर प्रतिदाय के समायोजन के पश्चात धारा 115 नघ के अधीन संदेय कर	14			
	15	क्र.सं. 14 (12-13) के अनुसार समायोजन के पश्चात शुद्ध प्रतिदाय (यदि कोई प्रतिदाय हो तो सीधे खाते में जमा किया जाएगा)	15			
नोट	16	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (भारत में बिना बैंक खाते के रिफंड का दावा करने वाले गैर-निवासी नहीं का चयन कर सकते हैं)				हां या नहीं का चयन करें

क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)					
क्रम सं.	बैंक खाता भारत में धारण किए जाने की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	खाता का प्रकार (ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा डाउनलोड उपलब्ध कराया जाएगा)	प्रतिदाय जमा के लिए खाता चुनें (न्यूनतम एक खाते को ☒ करें)
i					☐
ii					☐
नोट: 1) निष्क्रिय खाते को छोड़कर, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी 2) कई खातों के चुने जाने की दशा में, विवरणी प्रसंस्करण के पश्चात प्रतिदाय का विधि मान्य खातों में से किसी एक में जमा किया जाएगा।					
आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं					
ख) अनिवासी, जिनका भारत में बैंक खाता नहीं है, अपने विकल्प के तौर पर, एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं:					
क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आई.बी.ए.एन	
	आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं				
17 क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय					☐ हां ☐ नहीं
(i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी है; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)					

18		अनुसूची-आयकर									
क आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर के ब्यौरे											
कर	क्रम संख्या	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)				चालान का क्रम संख्या	रकम(रु.)			
	(1)	(2)	(3)				(4)	(5)			
	i										
	ii										
	iii										
टिप्पण ▶		अग्रिम कर और स्व-मूल्यांकन कर के कुल को टी टी आइ के भाग ख के क्रम संख्या 10क और 10घ में दर्ज करें									
ख स्त्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ/16 ङ के अनुसार]											

क्र.सं. ०	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस क्रेडिट (धारा 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	अन्य व्यक्ति का पैन/आधार संख्या (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का पैन/किराएदार/क्रेता का पैन/आधार संख्या	धारा जिस के अधीन टीडीएस की कटौती होती है	अग्रेषित अदावाकृत टीडीएस		चालू वित्त वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान टीडीएस कटौती)		इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित , लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।			प्रस्तावित समान रसीद/आहरण		अग्रेषित टीडीएस क्रेडिट
					वित्तीय वर्ष जिस में कटौती की गई	अग्रेषित टीडीएस	स्वयं कटौती	नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कटौती(यदि लागू हो)	स्वयं क के हाथों में दावा की गई	नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दावा किया गया(यदि लागू हो)		कुल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4क)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
								आय टी.डी.एस		आय टी.डी.एस	पैन/आधार संख्या			
i														
टिप्पण भाग ख ► ननझ के 10ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें														

ग	स्त्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]													
आय के स्रोत पर संग्रहीत कर	क्र.सं..	स्वयं/अन्य व्यक्ति संबंधित जमा टी.सी.एस नियम 37-आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण अकाउंट नंबर	अन्य व्यक्ति का पैन(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	दावा नहीं किया गया अग्रणित स्त्रोत पर कटौती किया गया कर ख/च		चालू वित्त वर्ष के टी.सी.एस. (वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कर संग्रहण)		इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		टी.सी.एस जमा आगे लाया गया			
					वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रह किया गया	रकम ख/च	स्वयं संग्रहित किया	नियम 37-आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि लागू हो)	स्वयं दावा किया गया	नियम 37-आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि लागू हो)				
					(1)	(2i)	(2ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	(6ii)	(7i)	(7ii)

i									टी.सी. एस	पैन/ आधार नं.	
ii											
टिप्पण ► कृपया भाग ग – टीटीआई के 10ग में स्तंभ (7) का योग प्रविष्ट करें।											

मैं _____ सत्यापन (बड़े अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं कि विवरणी में दी गई सूचना और अनुसूचियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसरण में सही और पूर्ण हैं।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं यह विवरणी (ड्राप डाउन प्रदान करें) की क्षमता में प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं एक स्थाई खाता संख्या धारक हूँ (यदि आर्बाइट हों)

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहाँ धारा 92घ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख

स्थान

यहां हस्ताक्षर करें।”

[सं. 48/2026/फा0सं0 370142/8/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : आयकर नियम, 1962, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का0आ0 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 228(अ), तारीख 30 मार्च, 2026 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2026

G.S.R. 229(E).— In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fifth Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force with effect from the 31st day of March, 2026 and shall apply in respect of returns filed for Assessment Year 2026-27.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix-II, for Form ITR-5, the following Form shall be substituted, namely:—

[illegible]

Addresses to be provided for communication purposes: Primary Address: (A7a) Flat/Door/Block No (A8a) Name of Premises/Building/Village (A9a) Road/Street/Post Office (A10a) Area/Locality (A11a) Town/City/District (A12a) State (A13a) Pin code/Zip code (A14a) Country Secondary Address: (A7b) Flat/Door/Block No (A8b) Name of Premises/Building/Village (A9b) Road/Street/Post Office (A10b) Area/Locality (A11b) Town/City/District (A12b) State (A13b) Pin code/Zip code (A14b) Country		Status (firm-1sub-status- Partnership Firm, LLP, local authority-2, AOP/BOI- 3 sub-status- other cooperative bank, other cooperative society, society registered under society registration Act, 1860 or any other Law corresponding to that state, Primary agricultural credit society/cooperative bank, Rural development bank, Business trust, investment fund, Trust other than trust eligible to file Return in ITR 7, any other AOP/BOI,, artificial juridical person-4, sub-status- Estate of the deceased, Estate of the insolvent, Other AJP),	☐
Details to be provided for communication purposes:			
(A15) Office Phone Number with STD code/ Primary Mobile No. of the taxpayer 		(A16) Secondary Mobile No. 	
(A17) Primary Email ID of the taxpayer		(A18) Secondary Email ID	
FILING STATUS	A19(ai) Due date for filing return of income [Dropdown to be provided]: 1. 31st July 2. 31st August 3. 31st October 4. 30th November		
	A19(aii) (1) Filed u/s (Tick)	☐ 139(1)-On or before due date, ☐ 139(4)-After due date, ☐ 139(5)-Revised Return, ☐ 92CD-Modified return, ☐ 119(2)(b)-After condonation of delay.	
	(2) Or Filed in response to notice u/s	☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153C	
	(3) Whether you are a business trust?	☐ Yes ☐ No	
	4) Whether you are an investment fund referred to in section 115UB?	☐ Yes ☐ No	
	(b) If revised/Defective/ in response to notice for Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)	/ /	
	(c) If filed in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b), enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement	(unique number)	/ /
(d) NOTE:- If AOP(other than co-operative society)/ BOI/ AJP, please fill (di). If co-operative society, please fill (dii) or (div), as applicable.			

(di)	Do you have income from business or profession for current Assessment Year? ☐ Yes ☐ No (I) If answer to A19(di) is Yes, have you filed form 10IEA within due date for any earlier assessment year for choosing old tax regime? ☐ Yes ☐ No (A) If answer to (I) is yes, then i. Furnish form 10IEA acknowledgement number and assessment year for which this form for choosing old tax regime was filed. ii. Have you re-entered new tax regime by filing form 10IEA for any assessment year subsequent to assessment year in which first form 10IEA was filed for choosing old tax regime? ☐ Yes ☐ No (a) If answer to (I)(A)(ii) is Yes, provide the acknowledgement number of second form 10IEA and assessment year for which this form for choosing new tax regime was filed, and furnish ITR in new tax regime. (b) If answer to (I)(A)(ii) is No, have you furnished form 10IEA for re-entering in new tax regime in current assessment year? (b)(i) If yes, then provide the acknowledgement number of form 10IEA and furnish ITR in new tax regime, (b)(ii) If No, then furnish ITR in old tax regime. (B) If answer to (I) is No, have you furnished form 10IEA within due date for current assessment year for choosing old tax regime? ☐ Yes ☐ No i. If answer to (I)(B) is Yes, provide the acknowledgement number of form 10IEA, and then furnish return in old tax regime, ii. If answer to (I)(B) is No, furnish ITR in new tax regime. (II) If answer to A19(di) is No, do you wish to opt for old tax regime for the current Assessment Year? ☐ Yes ☐ No Note- The default regime under section 115BAC(1A) is the 'new regime'. 'Old regime' can be chosen by opting out of new regime u/s. 115BAC(6) by filing form 10IEA, which should be exercised on or before the due date for furnishing the return of income u/s 139(1).			
(dii)	Have you opted for tax regime u/s 115BAD? ☐ Yes ☐ No If yes, please furnish the AY in which said option is exercised for the first time along with date of filing of Form 10-IF & acknowledgment number.			
(diii)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="236 996 861 1079"> If "No", Option for current assessment year ☐ Not opting ☐ opting it now. If "opting it now", please furnish </td><td data-bbox="861 996 1045 1079"> Date of filing of form 10-IF DD/MM/YYYY </td><td data-bbox="1045 996 1428 1079"> Acknowledgement number: </td></tr> </table>	If "No", Option for current assessment year ☐ Not opting ☐ opting it now. If "opting it now", please furnish	Date of filing of form 10-IF DD/MM/YYYY	Acknowledgement number:
If "No", Option for current assessment year ☐ Not opting ☐ opting it now. If "opting it now", please furnish	Date of filing of form 10-IF DD/MM/YYYY	Acknowledgement number:		
(div)	If you are a new manufacturing cooperative society, whether you were required to furnish the return of income mandatorily u/s 139(1) for the AY 2024-25 or AY 2025-26? ☐ Yes ☐ No			
div(a)	If the answer to (div) is "Yes", whether you have exercised the option u/s 115BAE of Opting of new tax regime in A.Y 2024-25 or AY 2025-26? ☐ Yes ☐ No			
div(b)	If the answer to (div) is "No", do you wish to exercise the option u/s 115BAE of Opting of New Tax regime in AY 2026-27 ☐ Yes ☐ No			
div(c)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="236 1254 965 1337"> If div(a) or div(b) is selected as 'Yes', please furnish date of filing of Form 10-IFA & acknowledgment number </td><td data-bbox="965 1254 1220 1337"> Date of filing of form 10-IFA DD/MM/YYYY </td><td data-bbox="1220 1254 1428 1337"> Acknowledgement number </td></tr> </table>	If div(a) or div(b) is selected as 'Yes', please furnish date of filing of Form 10-IFA & acknowledgment number	Date of filing of form 10-IFA DD/MM/YYYY	Acknowledgement number
If div(a) or div(b) is selected as 'Yes', please furnish date of filing of Form 10-IFA & acknowledgment number	Date of filing of form 10-IFA DD/MM/YYYY	Acknowledgement number		
(e)	Residential Status (Tick) ☒ Resident ☐ Non-Resident			
(f)	Whether assessee has a unit in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? (Tick) ☒ Yes ☐ No			
(g)	Whether you are recognized as start up by DPIIT ☐ Yes ☐ No			
(h)	If yes, please provide start up recognition number allotted by the DPIIT			
(i)	Whether certificate from inter-ministerial board for certification is received? ☐ Yes ☐ No			
(j)	If yes, please provide the certification number			
(k)	Whether you are recognized as MSME ☐ Yes ☐ No			
(l)	If yes, please provide registration number allotted as per Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006)			
(m)	In the case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India (Tick) ☒ Yes ☐ No			
(n)	In the case of non-resident, is there a significant economic presence (SEP) in India as defined in Explanation (2A) to section 9(1) (Tick) ☒ Yes ☐ No If yes, please provide details of (a) aggregate of payments arising from the transaction or transactions during the previous year as referred in Explanation 2A(a) to Section 9(1)(i) (b) number of users in India as referred in Explanation 2A(b) to Section 9(1)(i)			
(o)	Whether you are an FII / FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No.			

	(p)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No		
		If yes, please furnish following information -		
	(1)	Name of the representative assessee		
	(2)	Email ID of the representative assessee		
	(3)	Contact Number of the representative assessee		
	(q)	Whether you are Partner in a firm? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No		
		If yes, please furnish following information		
	Name of Firm	PAN		

(r)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No If yes, please furnish following information in respect of equity shares													
	Name of company	Type of company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year				Shares transferred during the year		Closing balance		
				No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(s)	Legal Entity Identifier (LEI) details (mandatory if refund is 50 Crores or more)													
	LEI Number								Valid upto date					

AUDIT INFORMATION	a1	Whether liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No
	a2	Whether assessee is declaring income only under section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA/44BBC/44BBD (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No
	a2i	Please select the range of total sales/turnover/gross receipts of business (Tick) ☒ ☐ Up to Rs. 1 crore ☐ More than Rs. 1 crore and up to Rs. 10 crores ☐ More than Rs. 10 crores
	a2ii	If more than '1 Crore and up to 10 Crore' Option is selected at a2i, please select the percentage of amounts received in cash & non a/c payee cheque/ bank draft out of the aggregate receipts during the previous year ☐ Up to 5% ☐ More than 5% (Note: If this percentage is more than 5%, you are liable for audit u/s. 44AB)
	a2iii	If "More than Rs. 1 crore and up to Rs. 10 crores" option is selected at a2i, please select the percentage of payments made in cash & non a/c payee cheque/ bank draft out of the aggregate payments made during the previous year ☐ Up to 5% ☐ More than 5% (Note: If this percentage is more than 5%, you are liable for audit u/s. 44AB)
	b	Whether liable for audit under section 44AB? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No
	bi	If Yes is selected at (b), mention by virtue of which of the following conditions: Sales, turnover or gross receipts exceeds the limits specified under section 44AB (Tick) ☒

bii	Assessee falling u/s 44AD/44ADA/44AE/44BB but not offering income on presumptive basis (Tick applicable section) ☒														
	☐ 44AD, ☐ 44ADA, ☐ 44AE, ☐ 44BB														
biii	Others (Tick) ☒														
c	If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No If Yes, furnish the following information-														
	(i)	Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY)													
	(ii)	Acknowledgement number of the audit report													
	(iii)	Name of the auditor (proprietorship/ firm)													
	(iv)	PAN/ Aadhaar No. of the proprietorship/ firm													
di	Are you liable for Audit u/s 92E? ☐ Yes ☐ No														
dii	If (di) is Yes, whether the accounts have been audited u/s 92E?								☐ Yes ☐ No		Date of furnishing audit report? DD/MM/YYYY		Acknowledgement number		
diii	If liable to furnish other audit report under the Income-tax Act, mention whether have you furnished such report. If yes, please provide the details as under)														
	Sl. No.				Section Code				Date (DD/MM/YYYY)				Acknowledgement Number		
e	If liable to audit under any Act other than the Income-tax Act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report														
	Act and section										(DD/MM/YY)				

[illegible]

[illegible]

Part A-BS		BALANCE SHEET AS ON 31 ST DAY OF MARCH, 2026 OR DATE OF DISSOLUTION (fill items A and B in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill item C)					
SOURCES OF FUNDS	A	Sources of Funds					
	1	Partners' / members' fund					
		A	Partners' / members' capital				A
		B	Reserves and Surplus				
		i	Revaluation Reserve	bi			
		ii	Capital Reserve	bii			
		iii	Statutory Reserve	biii			
		iv	Any other Reserve	biv			
		v	Credit balance of Profit and loss account	bv			
		vi	Total (bi + bii + biii + biv + bv)				Bvi
		C	Total partners'/ members' fund (a + bvi)				1c
	2	Loan funds					
		A	Secured loans				
		i	Foreign Currency Loans	ai			
		ii	Rupee Loans				
		A	From Banks	iiA			
		B	From others	iiB			
		C	Total (iiA + iiB)		iiC		
	iii	Total secured loans (ai + iiC)				Aiii	
	B	Unsecured loans (including deposits)					
	i	Foreign Currency Loans	bi				
	ii	Rupee Loans					
	A	From Banks	iiA				

APPLICATION OF FUNDS			B	From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act	iiB				
			C	From others	iiC				
			D	Total Rupee Loans (iiA + iiB + iiC)	iiD				
			iii	Total unsecured loans (bi + iiD)				Biii	
		C	Total Loan Funds (aiii + biii)				2c		
		3	Deferred tax liability				3		
		4	Advances						
			i	From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act	i				
			ii	From others	ii				
			iii	Total Advances (i + ii)		4iii			
		5	Sources of funds (1c + 2c + 3 + 4iii)				5		
		B	Application of funds						
		1	Fixed assets						
				A	Gross: Block	1a			
				B	Depreciation	1b			
				C	Net Block (a – b)	1c			
				D	Capital work-in-progress	1d			
		E	Total (1c + 1d)		1e				
		2	Investments						
		A	Long-term investments						
			i	Investment in property	i				
				ii	Equity instruments				
				A	Listed equities	iiA			
				B	Unlisted equities	iiB			
				C	Total	iiC			
iii			Preference shares	iii					
iv			Government or trust securities	iv					
v			Debenture or bonds	v					
vi			Mutual funds	vi					
vii		Others	vii						
viii		Total Long-term investments (i + iiC + iii + iv + v + vi + vii)		aviii					
B		Short-term investments							
		i	Equity instruments						
				A	Listed equities	iA			
				B	Unlisted equities	iB			
	C			Total	iC				
	ii	Preference shares	ii						
	iii	Government or trust securities	iii						
	iv	Debenture or bonds	iv						
	v	Mutual funds	v						
	vi	Others	vi						
vii	Total Short-term investments (iC + ii + iii + iv + v + vi)		bvii						
C	Total investments (aviii + bvii)		2c						
3	Current assets, loans and advances								
A	Current assets								
	i	Inventories							
		A	Raw materials	iA					

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Part A- Manufacturing account		Manufacturing Account for the financial year 2025-26 (fill items 1 to 3 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 62 to 66 as applicable)						
	1	Debits to Manufacturing Account						
	A	Opening Inventory						
		i	Opening stock of raw-material	i				
		ii	Opening stock of Work in progress	ii				
		iii	Total (i + ii)			Aiii		
	B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)					B	
	C	Direct wages					C	
	D	Direct expenses (Di + Dii + Diii)					D	
		i	Carriage inward	i				
		ii	Power and fuel	ii				
		iii	Other direct expenses	iii				
	E	Factory Overheads						
		i	Indirect wages	i				
		ii	Factory rent and rates	ii				
		iii	Factory Insurance	iii				
		iv	Factory fuel and power	iv				
		v	Factory general expenses	v				
		vi	Depreciation of factory machinery	vi				
		vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)			Evii		
	F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)					F	
	2	Closing Stock						
		i	Raw material	2i				
		ii	Work-in-progress	2ii				
		Total (2i +2ii)					2	
	3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F-2)					3	

Part A—Trading Account		Trading Account for the financial year 2025-26 (fill items 4 to 12 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 62 to 66 as applicable)			
CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations			
	A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)			
		i	Sale of goods	i	
		ii	Sale of services	ii	
		iii	Other operating revenues (specify nature and amount)		
		a		iiia	
		b		iiib	
		c	Total (iiia + iiib)	iiic	
	iv	Total (i + ii + iiic)			Aiv
	B	Gross receipts from Profession			B
	C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied			
		i	Union Excise duties	i	
		ii	Service tax	ii	
		iii	VAT/ Sales tax	iii	
iv		Central Goods & Service Tax (CGST)	iv		
v		State Goods & Services Tax (SGST)	v		
vi		Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi		
vii		Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii		
viii		Any other duty, tax and cess	viii		
ix	Total (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)			Cix	
D	Total Revenue from operations (Aiv + B +Cix)			4D	
5	Closing Stock of Finished Goods			5	
6	Total of credits to Trading Account (4D + 5)			6	
DEBITS TO TRADING ACCOUNT	7	Opening Stock of Finished Goods			7
	8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			8
	9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)			9
		i	Carriage inward	i	
		ii	Power and fuel	ii	
	iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	iii		
	10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased			
	i	Custom duty	10i		
	ii	Counter veiling duty	10ii		
	iii	Special additional duty	10iii		
	iv	Union excise duty	10iv		
	v	Service tax	10v		
	vi	VAT/ Sales tax	10vi		
	vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	10vii		
viii	State Goods & Services Tax (SGST)	10viii			
ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	10ix			
x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	10x			
xi	Any other tax, paid or payable	10xi			

	xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)	10xi	
11		Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account	11	
12		Gross Profit from Business/Profession— transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xi-11)	12	
12a		Turnover from Intraday Trading	12a	
12b		Income from Intraday Trading - transferred to Profit and Loss account	12b	
12c		Turnover from Futures & Options Trading	12c	
12d		Income from Futures & Options Trading - transferred to Profit and Loss account	12d	

Part A-P & L		Profit and Loss Account for the financial year 2025-26 (fill items 13 to 60 & 67 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 62 to 66 as applicable)			
CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account (12+12b+12d)			13
	14	Other income			
		i	Rent	i	
		ii	Commission	ii	
		iii	Dividend income	iii	
		iv	Interest income	iv	
		v	Profit on sale of fixed assets	v	
		vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi	
		vii	Profit on sale of other investment	vii	
		viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii	
		ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (FMV of inventory as on the date of conversion)	ix	
		x	Agricultural income	x	
		xi	Any other income (specify nature and amount)		
		A		xia	
		B		xib	
		C	Total (xia + xib)	xic	
	xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)			14xii
	15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)			15
DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	16	Freight outward			16
	17	Consumption of stores and spare parts			17
	18	Power and fuel			18
	19	Rents			19
	20	Repairs to building			20
	21	Repairs to machinery			21
	22	Compensation to employees			
		i	Salaries and wages	22i	
		ii	Bonus	22ii	
		iii	Reimbursement of medical expenses	22iii	
		iv	Leave encashment	22iv	
		v	Leave travel benefits	22v	

	vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi			
	vii	Contribution to recognised provident fund	22vii			
	viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii			
	ix	Contribution to any other fund	22ix			
	x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x			
	xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)			22xi	
	xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xiia	Yes / No		
		If Yes, amount paid to non-residents	xiib			
23	Insurance					
	i	Medical Insurance	23i			
	ii	Life Insurance	23ii			
	iii	Keyman's Insurance	23iii			
	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv			
	v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)				23v
24	Workmen and staff welfare expenses				24	
25	Entertainment				25	
26	Hospitality				26	
27	Conference				27	
28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)				28	
29	Advertisement				29	
30	Commission					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)				
31	Royalty					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)				
32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)				
33	Hotel, boarding and Lodging				33	
34	Traveling expenses other than on foreign traveling				34	
35	Foreign travelling expenses				35	
36	Conveyance expenses				36	
37	Telephone expenses				37	

38	Guest House expenses										38			
39	Club expenses										39			
40	Festival celebration expenses										40			
41	Scholarship										41			
42	Gift										42			
43	Donation										43			
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)													
	i	Union excise duty								44i				
	ii	Service tax								44ii				
	iii	VAT/ Sales tax								44iii				
	iv	Cess								44iv				
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)								44v				
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)								44vi				
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)								44vii				
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)								44viii				
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT								44ix				
	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)								44x				
45	Audit fee										45			
46	Salary/Remuneration paid to Partners of the firm										46			
47	Other expenses (specify nature and amount)													
	i									i				
	ii									ii				
	iii	Total (i + ii)								47iii				
48	Bad debts (specify PAN/ Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)													
	i(1)												48i(1)	
	i(2)												48i(2)	
	i(3)												48i(3)	
	i	(Rows can be added as required) Total [48i(1)+48i(2)+48i(3)]								48i				
	ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/ Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)								48ii				
	iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)								48iii				
	iv	Total Bad Debt (48i + 48ii + 48iii)								48iv				
49	Provision for bad and doubtful debts										49			
50	Other provisions										50			
51	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48iv + 49 + 50)]										51			
52	Interest													
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or to a foreign company								i				
	ii	To others								ii				
	iii	Total (i+ii)								52iii				

PROVISIONS FOR TAX AND APPROPRIATIONS	53	Depreciation and amortization				53		
	54	Net profit before taxes (51 – 52iii – 53)				54		
	55	Provision for current tax				55		
	56	Provision for Deferred Tax				56		
	57	Profit after tax (54– 55– 56)				57		
	58	Balance brought forward from previous year				58		
	59	Amount available for appropriation (57 + 58)				59		
	60	Transferred to reserves and surplus				60		
	61	Balance carried to balance sheet in proprietor’s account (59 – 60)				61		
PRESUMPTIVE INCOME CASES	62	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD (Only for Resident Partnership Firm other than LLP)						
		SR.NO.	Name of Business	Business code	Description			
	(i)	Gross Turnover or Gross Receipts (iA + iB + iC) (62i limited to Rs.2 Crores, however if [62iB+62iC] is less than or equal to 5% of 62i then the limit under 62i is extended to Rs.3 Crores.)				62i		
		A	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system or other prescribed electronic modes received before specified date	iA				
		B	Receipts in Cash	iB				
		C	Any mode other than A and B	iC				
	(ii)	Presumptive Income under section 44AD (iiA + iiB)				62ii		
		A	6% of 62iA, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	iiA				
		B	8% of (62iB + 62iC), or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	iiB				
	NOTE—If income is less than the above percentage of Gross Receipts/Turnover, it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB							
	63	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA (Only for Resident Partnership Firm other than LLP)						
		SR.NO.	Name of Business/ Profession	Business code	Description			
		(i)	Gross Receipts (63i limited to Rs.50 Lakh, however if [63iB+63iC] is less than or equal to 5% of 63i then limit under 63i is extended to Rs.75 Lakh)			63i		
		A	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or prescribed electronic modes received before specified date			iA		
		B	Receipts in Cash			iB		
		C	Any mode other than A and B			iC		
		(ii)	Presumptive Income under section 44ADA (50% of 63i, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher)			63ii		
	NOTE—If income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB							
	64	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE						
		SR.NO.	Name of Business	Business code	Description			

		Registration No. of goods carriage	Whether owned/leased/ hired	Tonnage capacity of goods carriage (in MT)	Number of months for which goods carriage was owned/ leased/ hired by assessee	Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	(a)						
	(b)						
	Total						
	Add row options as necessary						
	(ii) Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 64(i)]						64(ii)
	(iii) Less: Salary/Remuneration to Partners of the firm						64(iii)
	(iv) Total Presumptive Income u/s 44AE (ii-iii)						64(iv)
	NOTE—If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned at any time during the year exceeds 10, it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under 44AB.						
NO ACCOUNT CASE	65	IF REGULAR BOOKS OF ACCOUNT OF BUSINESS OR PROFESSION ARE NOT MAINTAINED, furnish the following information for previous year 2025-26 in respect of business or profession -					
		(i)	For assessee carrying on Business				
		a	Gross receipts (a1 + a2)			ia	
		1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system or other prescribed electronic modes received before specified date			a1	
		2	Any other mode			a2	
		b	Gross profit			ib	
		c	Expenses			ic	
		d	Net profit				65i
		(ii)	For assessee carrying on Profession				
		a	Gross receipts (a1 + a2)			ii a	
		1	a1			a1	
		2	a2			a2	
		b	Gross profit			ii b	
		c	Expenses			ii c	
		d	Net profit				65ii
		(iii)	Total profit (65i + 65ii)				65iii
	66	i	Turnover from speculative activity				66i
		ii	Gross Profit				66ii
		iii	Expenditure, if any				66iii
		iv	Net income from speculative activity (66ii— 66iii)				66iv
	67	In case of Non-Resident, if the total income comprises of profits and gains from business referred to in sections 44B, 44BB, 44BBA, 44BBC or 44BBD furnish the following information					
		i	Gross receipts / Turnover				67i

	ii	Net profit	67ii	

Part A- OI		Other Information (mandatory if liable for audit under section 44AB, for others, fill if applicable)	
OTHER INFORMATION	1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) ☒ mercantile ☐ cash	
	2	Is there any change in method of accounting (Tick) ☒ Yes ☐ No	
	3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column XI(3) of Schedule ICDS]	3a
	3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column XI(4) of Schedule ICDS]	3b
	4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year	
	A	Raw Material (if at cost or market rates, whichever is less write 1, if at cost, write 2, if at market rate, write 3)	☐
	B	Finished goods (if at cost or market rates, whichever is less write 1, if at cost, write 2, if at market rate, write 3)	☐
	C	Is there any change in stock valuation method (Tick) ☒ Yes ☐ No	
	D	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4d
	E	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4e
	5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -	
	A	the items falling within the scope of section 28	5a
	B	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b
	C	escalation claims accepted during the previous year	5c
	D	any other item of income	5d
	E	capital receipt, if any	5e
	F	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)	5f
	6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of condition specified in relevant clauses-	
	A	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a
	B	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b
C	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c	
D	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d	
E	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iia)]	6e	
F	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f	
G	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g	
H	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h	
I	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i	
J	Amount of contributions to any other fund	6j	

	K	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k		
	L	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l		
	M	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(viiia)]	6m		
	N	Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n		
	O	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o		
	P	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p		
	Q	Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)]	6q		
	R	Expenditure for purchase of sugarcane in excess of the government approved price [36(1)(xvii)]	6r		
	S	Any other disallowance	6s		
	T	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6s)			
U	Total number of employees employed by the company (mandatory in case company has recognized Provident Fund)				
i	deployed in India	i			
ii	deployed outside India	ii			
iii	Total	iii			
7	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37				
A	Expenditure of capital nature [37(1)]	7a			
B	Expenditure of personal nature [37(1)]	7b			
C	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or	7c			
D	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d			
E	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e			
F	Any other penalty or fine	7f			
G	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g			
H	Amount of any liability of a contingent nature	7h			
I	Any other amount not allowable under section	7i			
J	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7i)			7j	
8	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40				
A.					
a	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa			
b	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab			
c	Amount disallowable under section 40 (a)(ib), on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac			
d	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad			
e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae			
f	Amount paid as wealth tax [40(a)(iia)]	Af			

		g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag			
		h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member [40(b)]	Ah			
		i	Any other disallowance	Ai			
		j	Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai)				8Aj
		B.	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year				8B
9	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A						
A	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a					
B	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic mode as may be prescribed, disallowable under section 40A(3)	9b					
C	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c					
D	any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d					
E	Marked to market loss or other expected loss except as allowable u/s 36(1)(xviii) [40A(13)]	9e					
F	Any other disallowance	9f					
G	Total amount disallowable under section 40A			9g			
10	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year						
A	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a					
B	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b					
C	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c					
D	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d					
Da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from such class of non-banking financial companies as may be notified by the Central Government	10da					
E	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e					
F	Any sum payable towards leave encashment	10f					
G	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g					
H	Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006)	10h					
I	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10h)			10i			
11	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B						
A	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a					

	B	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b		
	C	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c		
	D	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d		
	Da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from such class of non-banking financial companies as may be notified by the Central Government, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	11da		
	E	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e		
	F	Any sum payable towards leave encashment	11f		
	G	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g		
	H	Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006)	11h		
I	Total amount disallowable under Section 43B (total of 11a to 11h)			11i	
12	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of				
	A	Union Excise Duty	12a		
	B	Service tax	12b		
	C	VAT/sales tax	12c		
	D	Central Goods & Service Tax (CGST)	12d		
	E	State Goods & Services Tax (SGST)	12e		
	F	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	12f		
	G	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	12g		
	H	Any other tax	12h		
I	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)			12i	
13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA or 33AC				13
14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41				14
15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)				15
16	Amount of expenditure disallowed u/s 14A				16
17	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006				17
18	Whether assessee is exercising option under subsection 2A of section 92CE (Tick) ☒ Yes ☐ No [If yes, please fill schedule TPSA]				18

Part A – QD		Quantitative details (mandatory if liable for audit under section 44AB)	
QUANTITATIVE DETAILS	(a) In the case of a trading concern		
	1 Opening stock	1	
	2 Purchase during the previous year	2	
	3 Sales during the previous year	3	
	4 Closing stock	4	
	5 Shortage/ excess, if any	5	
	(b) In the case of a manufacturing concern		
	6 Raw materials		
	a Opening stock	6a	
	b Purchases during the previous year	6b	
	c Consumption during the previous year	6c	
	d Sales during the previous year	6d	
	e Closing stock	6e	
	f Yield finished products	6f	
	g Percentage of yield	6g	
	h Shortage/ excess, if any	6h	
	7 Finished products/ By-products		
	a opening stock	7a	
	b purchase during the previous year	7b	
	c quantity manufactured during the previous year	7c	
d sales during the previous year	7d		
e closing stock	7e		
f shortage/ excess, if any	7f		

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule HP		Details of Income from House Property (Drop down to be provided indicating ownership of property)				
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1	Town/ City	State	Country	PIN Code/ Zip code
	Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if “YES” please enter following details)					
	Assessee's percentage of share in the property %					
	Name of other Co-owner(s)		PAN/Aadhaar No. of Co-owner(s)		Percentage Share in Property (%)	
	I					
	II					
	[Tick ☒ the applicable option]		Name(s) of Tenant(s) (if let out)		PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)	
	☐ Let out					
	☐ Deemed let out					
	A		Gross rent received or receivable or lettable value (higher of the two, if let out for whole of the year; lower of the two if let out for part of the year)		1a	
B		The amount of rent which cannot be realized		1b		
C		Tax paid to local authorities		1c		
D		Total (1b + 1c)		1d		

	E	Annual value (1a – 1d)	1e	
	F	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)	1f	
	G	30% of 1f	1g	
	H	Interest payable on borrowed capital (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	1h	
	I	Total (1g + 1h)	1i	
	J	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%	1j	
	K	Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)	1k	
		(fill up details separately for each property)		
	2	Pass through income/ Loss if any *	2	
	3	Income under the head “Income from house property” (Σ 1k + 2) (if negative, take the figure to 2i of schedule CYLA)	3	
NOTE		Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory if tax is deducted under section 194-I.		

Schedule BP		Computation of income from business or profession		
INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	A	From business or profession other than speculative business and specified business		
	1	Profit before tax as per profit and loss account (item 54, 62(ii), 63(ii), 64(iv), 65(iii), 66(iv) & 67(ii) of Part A-P&L)	1	
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss) [Sl.no.12b of Trading account + Sl. No. 66iv of Schedule P&L]	2a	
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)	2b	
	3	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income or chargeable u/s 115BBF or chargeable u/s 115BBG or chargeable u/s 115BBH	a	House property
			b	Capital gains
			c	Other sources
			ci	Dividend income
			cii	Other than dividend income
			d	u/s 115BBF
			e	u/s 115BBG
			f	u/s 115BBH (net of Cost of Acquisition, if any)
	4a	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/ 44ADA/ 44AE/ 44B/ 44BB/ 44BBA/44BBC/44BBD/44DA/ First schedule of Income-tax Act(other than profit from life insurance business referred to in section 115B) (Dropdown to be provided)	4a	
	4b	Profit and gains from life insurance business referred to in section 115B	4b	
	4c	Profit from activities covered under rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided)	4c	
	5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt		
	a	Share of income from firm(s)	5a	
	b	Share of income from AOP/ BOI	5b	
	c	Any other exempt income (specify nature and amount)		
	i		Ci	
	ii		Cii	
	iii	Total (ci + cii)	5ciii	
	d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)	5d	
	5A	Income or receipts credited to Profit and Loss account but not chargeable to tax under the Act.	5A	

6	Balance (1– 2a – 2b – 3a – 3b – 3c – 3d – 3e – 3f – 4a – 4b – 4c – 5d – 5A)				6	
7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF/or u/s 115BBG or u/s 115BBH	A	House property	7a		
		B	Capital gains	7b		
		C	Other sources	7c		
		D	u/s 115BBF	7d		
		E	u/s 115BBG	7e		
		F	u/s 115BBH (other than Cost of Acquisition)	7f		
8a	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income			8a		
8b	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI)			8b		
9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 7f + 8a + 8b)			9		
10	Adjusted profit or loss (6+9)				10	
11	Depreciation and amortisation debited to profit and loss account				11	
12	Depreciation allowable under Income-tax Act					
	i	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(iia) (column 6 of Schedule-DEP)	12i			
	ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)	12ii			
	iii	Total (12i + 12ii)			12iii	
13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10 + 11 – 12iii)				13	
14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6t of Part A-OI)			14		
15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7j of Part A-OI)			15		
16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of Part A-OI)			16		
17	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9g of Part A-OI)			17		
18	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11i of Part A-OI)			18		
19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (17 of Part A- OI)			19		
20	Deemed income under section 41			20		
21	Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A/ 80HHD/ 80-IA			21		
22	Deemed income under section 43CA			22		
23	Any other item of addition under section 28 to 44DB			23		
24	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which assessee is a partner)			24		
25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A- OI)			25		
26	Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)				26	
27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)			27		
28	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)			28		

29	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year (8B of Part A-OI)	29		
30	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year (10i of Part A-OI)	30		
31	Any other amount allowable as deduction	31		
32	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)	32		
33	Total (27+28+29+30+31+32)	33		
34	Income (13+26-33)	34		
35	Profits and gains of business or profession deemed to be under -			
i	Section 44AD [62(ii) of schedule]	35i		
ii	Section 44ADA [63(ii) of schedule]	35ii		
iii	Section 44AE [64(iv) of schedule]	35iii		
iv	Section 44B	35iv		
v	Section 44BB	35v		
via	Section 44BBA	35vi		
vib	Section 44BBC	35vib		
vic	Section 44BBD	35vic		
vii	Section 44DA	35 vii	(item 4 of Form 3CE)	
viii	First Schedule to the Income-tax Act, 1961 (other than 115B)	35viii		
ix	Total (35i to 35viii)	35 ix		
36	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (34 + 35 ix)	36		
37	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 36) (If loss take the figure to 2i of item E) (37a+ 37b + 37c + 37d + 37e + 37f)	A37		
a	Income chargeable under Rule 7	37a		
b	Deemed income chargeable under Rule 7A	37b		
c	Deemed income chargeable under Rule 7B(1)	37c		
d	Deemed income chargeable under Rule 7B(1A)	37d		
e	Deemed income chargeable under Rule 8	37e		
f	Income other than Rule 7A, 7B & Rule 8 (Item No. 36)	37f		
38	Balance of income deemed to be from agriculture, after applying Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and Rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4c-(37a+37b+37c+37d+37e)]	38		
B	Computation of income from speculative business			
39	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account	39		
40	Additions in accordance with section 28 to 44DB	40		
41	Deductions in accordance with section 28 to 44DB	41		
42	Income from speculative business (if loss, take the figure to 6xvii of schedule CFL)	B42		
C	Computation of income from specified business under section 35AD			
43	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account	43		
44	Additions in accordance with section 28 to 44DB	44		
45	Deductions in accordance with section 28 to 44DB (other than deduction under section,- (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)	45		
46	Profit or loss from specified business (43+44-45)	46		
47	Deductions in accordance with section 35AD(1)	47		
48	Income from Specified Business (46-47) (if loss, take the figure to 7xv ii of schedule CFL)	C48		
49	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)	C49		
D	Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A37+B42+C48)	D		

E Intra-head set off of business loss of current year				
Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off	Business income remaining after set off
		(1)	(2)	(3) = (1) – (2)
i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A37)	
ii	Income from speculative business	(B42)		
iii	Income from specified business	(C48)		
iv	Income from life insurance business under section 115B	(4b)		
v	Total loss set off (ii + iii+iv)			
v	Loss remaining after set off (i – v)			

Schedule DPM		Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)				
DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY	1	Block of assets	Plant and machinery			
	2	Rate (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3a	Written down value on the first day of previous year				
	3b	Adjustment as per second proviso to sub-section (3) of section 115BAC (Refer to rule 5)				
	3	Total (3a + 3b)				
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year				
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4				
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3+4 – 5) <i>(enter 0, if result is negative)</i>				
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year				
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7				
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7 – 8) <i>(enter 0, if result in negative)</i>				
	10	Depreciation on 6 at full rate				
	11	Depreciation on 9 at half rate				
	12	Additional depreciation, if any, on 4				
	13	Additional depreciation, if any, on 7				
	14	Additional depreciation relating to immediately preceding year’ on asset put to use for less than 180 days				
15	Total depreciation* (10+11+12+13+14)					
16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the Income-tax Act, 1961 <i>(out of column 15)</i>					
17	Net aggregate depreciation (15-16)					

18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)				
19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets				
20	Capital gains/ loss under section 50* (5 + 8 – 3-4 -7 – 19) (enter negative only if block ceases to exist)				
21	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -15) (enter 0 if result is negative)				

Schedule DOA		Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)							
DEPRECIATION ON OTHER ASSETS	1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
	2	Rate (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	Written down value on the first day of previous year							
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 - 5) <i>(enter 0, if result is negative)</i>							
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) <i>(enter 0, if result is negative)</i>							
	10	Depreciation on 6 at full rate							
	11	Depreciation on 9 at half rate							
	12	Total depreciation* (10+11)							
	13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the Income-tax Act, 1961 <i>(out of column 12)</i>							
	14	Net aggregate depreciation (12-13)							
	15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. <i>(out of column 14)</i>							
16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets								

17	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
18	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)							

Schedule DEP		Summary of depreciation on assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)						
SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery						
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM – 17i or 18i as applicable)	1a					
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM – 17ii or 18ii as applicable)	1b					
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM – 17iii or 18iii as applicable)	1c					
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM – 17iv or 18iv as applicable)						
	e	Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c + 1d)					1d	
	2	Building (not including land)						
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	2a					
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	2b					
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)	2c					
	d	Total depreciation on building (total of 2a + 2b + 2c)					2d	
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 14v or 15v as applicable)					3	
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 14vi or 15vi as applicable)					4	
	5	Ships (Schedule DOA- 14vii or 15vii as applicable)					5	
	6	Total depreciation (1e+2d+3+4+5)					6	

Schedule DCG		Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets						
	1	Plant and machinery						
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM – 20i)	1a					
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM – 20ii)	1b					
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM – 20iii)	1c					
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM – 20iv)						
	e	Total (1a + 1b + 1c + 1d)					1d	
	2	Building (not including land)						
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)	2a					
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)	2b					
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)	2c					
	d	Total (2a + 2b + 2c)					2d	
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 17v)					3	
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)					4	
	5	Ships (Schedule DOA- 17vii)					5	
	6	Total (1e+2d+3+4+5)					6	

Schedule CG		Capital Gains										
CAPITAL GAINS	A	Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 & 5 are not applicable for residents)										
		1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)(in case of co-ownership, enter your share of capital gain)									
			Date of purchase/ acquisition		DD/MM/YYYY		Date of sale/transfer		DD/MM/YYYY			
			a	i	Full value of consideration received/receivable						ai	
				ii	Value of property as per stamp valuation authority						aii	
				iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]						aiii	
			b	Deductions under section 48								
				i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with Rule 8AB						bi	
				ii	Cost of acquisition without indexation						bii	
				iii	Cost of Improvement without indexation						biii	
				iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer						biv	
				v	Total (bi + bii + biii+biv)						bv	
			c	Balance (aiii – bv)						1c		
			d	Deduction under section 54G/54GA (Specify details in item D below)						1d		
			e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c – 1d)							A1e	
		f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)									
			S. No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, ZIP code	Pin code	State		
			NOTE	Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.								
		2	From slump sale									
	a	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)						2ai			
		ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)						2aii			
		iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)						2aiii			
	b	Net worth of the under taking or division (6(e) of Form 3CEA)						2b				
	c	Short term capital gains from slump sale (2Aiii-2B)							A2c			
3	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(b)(ii) proviso (for FII) (where A4 is not applicable)											
	a	Full value of consideration						3a				
	B	Deductions under section 48										

			i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules	bi			
			ii	Cost of acquisition without indexation	bii			
			iii	Cost of Improvement without indexation	biii			
			iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biv			
			v	Total (i + ii + iii+iv)	bv			
		C	Balance (3a – bv)			3c		
		D	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)			3d		
		E	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)				A3e	
4	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)							
	A	STCG on transactions covered u/s 111A					A4a	
	B	STCG from sale of shares not covered in sl.no. 4A or sale of debentures					A4b	
5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD							
	A	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details					
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares		ia		
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner		ib		
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)		ic		
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares			aii		
		iii	Total (ic + ii)			aiii		
	B	Deductions under section 48						
		i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules			bi		
		ii	Cost of acquisition without indexation			bii		
		iii	Cost of improvement without indexation			biii		
		iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biv		
		v	Total (i + ii + iii+iv)			bv		
	C	Balance (5aiii – bv)				5c		
	D	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)				5d		
	E	Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)					A5e	
6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above							
	a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details					
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares		ia		
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner		ib		
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)		ic		
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares			aii		
		iii	Total (ic + ii)			aiii		
	b	Deductions under section 48						
		i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules			Bi		
		ii	Cost of acquisition without indexation			bii		
		iii	Cost of Improvement without indexation			biii		
		iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biv		
		v	Total (i + ii + iii+iv)			bv		
	c	Balance (6aiii – bv)				6c		

		d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)					6d			
		e	Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule- DCG)					6e			
		f	Deduction under section 54G/54GA					6f			
		g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e – 6f)						A6g		
	7	Amount deemed to be short term capital gains									
	a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below									
		Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed	Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)					
					Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilized out of Capital Gains account					
		i	2022-23	54G/54GA							
		ii	2023-24	54G/54GA							
iii		2024-25	54G/54GA								
b	Amount deemed to be short term capital gains u/s 54G/54GA, other than at 'a'										
c	Amount deemed to be short term capital gains as per Section 45(4) read with Section 9B of the Act							7c	Sl. No. 4b of form 5c		
Amount deemed to be short term capital gains (Xi + Xii + Xiii + b + c)										A7	
8	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8a A8b + A8c)										A8
	a	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 20%							A8a		
	b	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%							A8b		
	c	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates							A8c		
9	Amount of STCG included in A1 – A8 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA (applicable for non-residents only)										
	Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	A	Total amount of STCG claimed as not chargeable to tax in India as per DTAA								A9a	
	B	Total amount of STCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA								A9b	
	A(A)	Capital loss on buy back of shares (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered in sl. no. 1a(iii) or 2c/2d of Schedule OS) [Short Term Capital loss @20% / 30% / Applicable rate]								A(A)	
10	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 + A8-A9a+A(A))								A10		

B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 5,6 & 7 are not applicable for residents)				
Long-term Capital Gains	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)(from a to f)(in case of co-ownership, enter your share of Capital Gain)			
		Date of purchase/acquisition	DD/MM/YYYY	Date of sale/transfer	DD/MM/YYYY
	A	i	Full value of consideration received/receivable		ai
		ii	Value of property as per stamp valuation authority		aii

			iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]					aiii			
			B	Deductions under section 48								
			i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules					bi			
			ii	Cost of acquisition without indexation					bii			
			iiia	Cost of improvement without indexation					biia			
			iiib	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer					biib			
			iv	Total (bi+biib+biia+biib)					biv			
			C	Balance (aiii – biv)					1c			
			D	Deduction under section 54D/54EC/54G/54GA (Specify details in item D below)					1d			
			E	Long-term Capital Gains on Immovable property (1c – 1d)					B1e			
			F	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)								
				S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, ZIP	Pin code	State	
				NOTE► Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-1A or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.								
			G	Total Long-term Capital Gains on Immovable property (ΣB1e)					B1g			
		2	From slump sale									
			i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)					2ai			
			ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)					2aii			
			iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)					2aiii			
			b	Net worth of the under taking or division(6(e) of Form 3CEA)					2b			
			c	Balance (2aiii – 2b)					2c			
			d	Deduction u/s 54EC					2d			
			e	Long term capital gains from slump sale (2c-2d)					B2e			
		3	From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds as per section 112(1)									
			a	Full value of consideration					3a			
			b	Deductions under section 48								
			i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules					bi			
			ii	Cost of acquisition without indexation					bii			
			iii	Cost of improvement without indexation					biib			
			iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer					biv			
			v	Total (bi + bii + biib + biv)					bv			
			c	Long Term Capital Gains on assets at B3 (a – bv)					B3c			
		4	From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A									
			Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B4(Column 14 of schedule 112A)					B4				
		5	For NON-RESIDENTS- from sale of unlisted shares or listed debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)									
			LTCG computed without indexation benefit on unlisted shares or listed debentures					B5				
		6	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in sec.115AD									
			a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details							
				A	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares				ia			
				B	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner				ib			
				C	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)				ic			
			ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares					Aii			
			iii	Total (ic + ii)					Aiii			

			b	Deductions under section 48						
			i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules				Bi		
			ii	Cost of acquisition without indexation				Bii		
			iii	Cost of improvement without indexation				Biii		
			iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				Biiv		
			v	Total (bi + bii +biii+biv)				Bv		
			c	Long-term Capital Gains on assets at B6 above in case of NON-RESIDENT (aiii-bv)				B6c		
		7	For FII/FPI (NON-RESIDENTS) - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A read with section 115AD							
			Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B7 (Column 14 of 115AD(1)(b)(iii) proviso)						B7	
		8	From sale of assets where B1 to B7 above are not applicable							
			a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details					
				A	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares				ia	
				B	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner				ib	
				C	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)				ic	
				ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares				aii	
				iii	Total (ic + ii)				aiii	
			b	Deductions under section 48						
				i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules				bi	
				ii	Cost of acquisition without indexation				bii	
				iii	Cost of improvement without indexation				biii	
				iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biv	
				v	Total (bi + bii +biii+biv)				bv	
				c	Balance (aiii – bv)				c	
				d	Deduction under section 54D//54G/54GA (Specify details in item D below)				d	
			e	Long-term Capital Gains on assets at B8 above (8c- 8d)				B8e		
		9	Amount deemed to be long-term capital gains							
			a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below						
				S.no	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in	New asset acquired/constructed	Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)		
				i	2022-23	54D/54G/54GA				
				ii	2023-24	54D/54G/54GA				
				iii	2024-25	54D/54G/54GA				
			b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'				b		
			c	Amount deemed to be long term capital gains as per Section 45(4) read with Section 9B of the Act (Sl. No. 4b of Form 5c)				9c		
			Total Amount deemed to be long-term capital gains (aXi + aXii + aXiii + b+c)						B9	
		10	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B10a1+B10a2)						B10	

		a1	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% u/s 112A	B10a1								
		a2	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% under sections other than u/s 112A	B10a2								
	11	Amount of LTCG included in items B1 to B10 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA (Applicable for non-residents only)										
		Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B11 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of Income-tax Act, 1961	Rate as per Income-tax Act, 1961	Applicable rate (lower of (6) or (9))	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		I										
		II										
		a	Total amount of LTCG claimed as not chargeable to tax in India as per DTAA							B11a		
		b	Total amount of LTCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA							B11b		
	B(A)	Capital Loss on buy back of shares [Long Term @12.5%] (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered in 1a(iii) or 2c/2d of Schedule OS)							B(A)			
	12	Total long term capital gain [B1g + B2e + B3c + B4 + B5 + B6c + B7+ B8e+ B9+B10-B11a+B(A)]							B12			
C1	Sum of Capital Gain Incomes (8ii + 8iii + 8iv + 8v + 8vi + 8vii of table E below)							C1				
C2	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Item No. B of Schedule VDA)							C2				
C3	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (C1 + C2)							C3				
D	Information about deduction claimed against Capital Gains											
	1	In case of deduction u/s 54D/54EC /54G/54GA give following details										
		a	Deduction claimed u/s 54D									
		i	Date of acquisition of original asset					Ai	dd/mm/yyyy			
		ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking					a(ii)				
		iii	Date of purchase of new land or building					a(iii)	dd/mm/yyyy			
		iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					a(iv)				
			(iva) Date of Deposit		(ivb) Account Number		(ivc) IFS Code					
			dd/mm/yyyy									
		v	Amount of deduction claimed					av				
		b	Deduction claimed u/s 54EC									
		i	Date of transfer of original asset					bi	dd/mm/yyyy			
		ii	Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)					b(ii)				
		iii	Date of investment					b(iii)	dd/mm/yyyy			
		iv	Amount of deduction claimed					b(iv)				
		c	Deduction claimed u/s 54G									
		i	Date of transfer of original asset					ci	dd/mm/yyyy			
		ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset					c(ii)				
		iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area					c(iii)	dd/mm/yyyy			
		iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					c(iv)				
			(iva) Date of Deposit		(ivb) Account Number		(ivc) IFS Code					
			dd/mm/yyyy									
		v	Amount of deduction claimed					cv				
		d	Deduction claimed u/s 54GA									
		i	Date of transfer of original asset from urban area					di	dd/mm/yyyy			
		ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset					d(ii)				
		iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ					d(iii)	dd/mm/yyyy			
		iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					d(iv)				
			(iva) Date of Deposit		(ivb) Account Number		(ivc) IFS Code					
			dd/mm/yyyy									
		v	Amount of deduction claimed					dv				
		e	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d)							e		

Schedule 112A			From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A											
Sl. No.	Share Unit acquired (On or before/ after 31st	ISIN Code	Name of the Share/ Unit	No. of Shares/ Units	Sale-price per Share /Unit	Full Value of Consideration- if shares are acquired on or before 31.01.2018	Cost of acquisition without indexation Higher of 8 and 9	Cost of acquisition	If the long term capital asset was acquired before 01.02. 2018.	Fair Market Value per share/unit as on 31 st January, 2018	Total Fair Market Value of capital asset as per	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Total deductions (7+12)	Balance (6-13) Item 5 of LTCG Schedule

	Jan 2018)					(Total Sale Value) (4*5) -If Shares are acquired after 31.01.20 18- please enter full value of consideration			Lower of 6 and 11		section 55(2) (ac)-(4*10)			of ITR5
(Col 1)	(Col 1a)	(Col 2)	(Col 3)	(Col 4)	(Col 5)	(Col 6)	(Col 7)	(Col 8)	(Col 9)	(Col 10)	(Col 11)	(Col 12)	(Col 13)	(Col 14)
1														
2														
3														
4														
	Add Rows													
Total														

[illegible]

Schedule VDA Income from transfer of Virtual Digital Assets (Note: Details of every transaction are to be filled, wherein every 'transfer' is a transaction)						
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Business/Capital Gain)	Cost of Acquisition (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col. 5)
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)
Add Rows						
A. Total (Sum of all Positive Incomes of Business Income in Col. 7)						(Item No. 3f of Schedule BP)
B. Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)						(Item No. C2 of Schedule CG)

Schedule OS Income from other sources							
OTHER SOURCES	1	Gross Income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)				1	
	a	Dividends, Gross (ai + aii + aiii)			1a		
	i	Dividend income other than (ii) and (iii)	ai				
	ii	Dividend income u/s 2(22)(e)	aii				
	iii	Dividend income u/s 2(22)(f)	aiii				
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv+bv)			1b		
	i	From Savings Bank	bi				
	ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative Society/)	bii				
	iii	From Income-tax Refund	biii				
	iv	In the nature of Pass through income/ loss	biv				
	v	Others including interest from Companies, NBFCs & HFCs	bv				
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross			-		
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)			1d		
	i	Aggregate value of sum of money received without consideration		di			
	ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property		dii			
	iii	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration		dihi			
	iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property		div			
	v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration		dv			
	e	Any other income (please specify nature)			1e		
	Sl. No.	Nature				Amount	
	1	Any specified sum received by a unit holder from a business trust during the previous year as referred to in section 56(2)(xii)					
		Rows can be added as required					
	2	Income chargeable at special rates (2ai + 2aii + 2b+ 2c+ 2d + 2e related to sl. no. 1)				2	
	ai	Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, card games etc. chargeable u/s 115BB			2ai		

		aii	Income by way of winnings from online games chargeable u/s 115BBJ		2aii		
		b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)		2b		
		i	Cash credits u/s 68	bi			
		ii	Unexplained investments u/s 69	bii			
		iii	Unexplained money etc. u/s 69A	biii			
		iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv			
		v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv			
		vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D	bvi			
		c	Any other income chargeable at special rate (total of ci to cxv)		2c		
		i	Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A)	ci			
		ia	Dividend received by non-resident (not being company) or foreign company from a unit in an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA chargeable under proviso to section 115A(1)(a)(A)	cia			
		ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	cii			
		iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	ciii			
		iv	Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 5%	civ			
		v	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1)- chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)@4%	cv			
		vi	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	cvi			
		vii	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)	cvii			
		viii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)	cviii			
		ix	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b) (A) & 115A(1)(b)(B)	cix			
		x	Income by way of interest from bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	cx			
		xi	Income by way of dividend from GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	cxii			
		xii	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	cxiii			
		xiii	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)	cxiii			
		xiv	Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA	cxiv			
		xv	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC	cxv			

		xvi	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF				cxvi					
		xvii	Income by way of transfer of carbon credits - chargeable u/s 115BBG				cxvii					
		xviii	Investment Income of a Non-Resident Indian - chargeable u/s 115E				cxviii					
		xix	115AB(1)(a) - Income in respect of units - off-shore fund				cxix					
		xx	Income being dividend received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)				cxx					
		xxi	Income being dividend received by a specified fund in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)				cxxi					
		xxii	Income (other than dividend) received by a specified fund in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)				cxxii					
	d	xxiii	Income received by non-resident as referred in second proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 9%				cxxiii					
		Pass through income in the nature of income from other sources claimed as chargeable at special rates (drop down to be provided)									2d	
		Amount included in 1 and 2 above, which is claimed as chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below) (Applicable for non-residents only)									2e	
			Sl. No.	Amount of income	Item No.1ai, 1aiii, 1b to 1d to No.2a to 2d in which included	Country name & code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I												
II												
3	Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b, 2c, 2d & 2e)											
	A	Expenses / Deductions other than "C"								3a		
	B	Depreciation (available only if income offered in 1c)								3b		
	C	Interest expenditure on dividend u/s 57(i) (available only if income offered in 1a(i) and/or 1a(ii))								3c		
	Ci	Eligible Interest expenditure u/s 57(i) – computed value								3ci		
	D	Total								3d		
4	Amounts not deductible u/s 58										4	
5	Profits chargeable to tax u/s 59										5	
6	Net Income from other sources 1(after reducing income related to DTAA portion)-3+4+5 (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)										6	
7	Income from other sources (other than from owning and maintaining race horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)										7	
8	Income from the activity of owning race horses											
	a	Receipts								8a		
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only								8b		
	c	Amounts not deductible u/s 58								8c		
	d	Profits chargeable to tax u/s 59								8d		
	e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 10 xvii of Schedule CFL)								8e		
9	Income under the head "Income from other sources" (7+ 8e) (take 8e as nil if negative)										9	

10 Information about accrual/receipt of income from Other Sources						
S.No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)					
2	Income by way of winnings from online games u/s 115BBJ					
3a	Dividend Income referred in Sl. No 1a(i)					
3b	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(iii)					
4	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI Income)					
5	Dividend income under proviso to sec 115A(1)(a)(A) @10% (Including PTI Income)					
6	Dividend Income u/s 115AC @ 10% (Including PTI Income)					
7	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) received by a FII u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)					
8	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) received by a specified fund u/s 115AD(1)(i) @ 10% (Including PTI Income)					
9	Dividend income chargeable at DTAA Rates					

Schedule CYLA		Details of Income after Set off of current year losses					
CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from race horses and amount chargeable to special rate of tax) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
	i	Loss to be set off (Fill this row only, if computed figure is negative)	→	(3 of Schedule –HP)	(2v of item E of Schedule BP)	(6 of Schedule-OS)	
	ii	House property	(3 of Schedule HP)				
	iii	Business (excluding Income from life insurance business u/s 115B, speculation income and income from specified business)	(A37 of Schedule BP)				
	iv	Income from life insurance business u/s 115B	(3iv of item E of Sch. BP)				
	v	Speculation income	(3ii of item E of Sch. BP)				
	vi	Specified business income u/s 35AD	(3iii of item E of Sch. BP)				
	vii	Short-term capital gain taxable @ 20%	(8ii of item E of Schedule CG)				
	viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(8iii of item E of Schedule CG)				
	ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(8iv of item E of Schedule CG)				
	x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(8v of item E of Schedule CG)				
	xi	Long term capital gain taxable @ 12.5%	(8vi of item E of Schedule CG)				

xii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(8vii of item E of Schedule CG)				
xiii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of Schedule OS)				
xiv	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of Schedule OS)				
xv	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2e of Schedule OS)				
xvi	Total loss set off					
xvii	Loss remaining after set-off (i – xvi)					

Schedule BFLA		Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years					
BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
			1	2	3	4	5
	i	House property	(5ii of Schedule CYLA)	(B/f house property loss)			
	ii	Business (excluding Income from life insurance business u/s 115B, speculation income and income from specified business)	(5iii of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss) (Note: B/F loss set off will be restricted to business income excluding income u/s 44BB and 44BBD)	Note: B/F depreciation set off will be restricted to business income excluding income u/s 44BB and 44BBD)		
	iii	Income from life insurance business u/s 115B	(5iv of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
	iv	Speculation Income	(5v of Schedule CYLA)	(B/f normal business or speculation loss)			
	v	Specified Business Income	(5vi of Schedule CYLA)	(B/f normal business or specified business loss)			
	vi	Short-term capital gain taxable @ 20%	(5vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	vii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(5viii of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	viii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(5ix of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	ix	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(5x of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	x	Long-term capital gain taxable @ 12.5%	(5xi of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			

xi	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(5xii of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(5xiii of Schedule CYLA)				
xiii	Profit from owning and maintaining race horses	(5xiv of Schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)			
xiv	Income from other sources income taxable at special rates in India as per DTAA	(5xv of Schedule CYLA)				
xv	Total of brought forward loss set off (2i+2ii+2iii+2iv+2v+2vi+2vii+2viii+2ix+2x+2xi+2xiii)					
xvi	Current year's income remaining after set off of total of (5i + 5ii + 5iii+ 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x+5xi +5xii+ 5xiii + 5xiv)					

Schedule CFL		Details of Losses to be carried forward to future years												
CARRY FORWARD OF LOSS	Sl. No.	Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Loss from business other than loss from insurance business, loss from speculative business and specified business			Loss from speculative business	Loss from specified business	Loss from life insurance business u/s 115B	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses	
					Brought forward business loss	Amount as adjusted on account of opting for taxation under section 115BAD or 115BAC(1A)	Brought forward Business loss available for set off during the year							
	1	2	3	4	5a	5b	5c=5a-5b	6	7	8	9	10	11	
	i	2010-11												
	ii	2011-12												
	iii	2012-13												
	iv	2013-14												
	v	2014-15												
	vi	2015-16												
	vii	2016-17												
	viii	2017-18												
	ix	2018-19												
	x	2019-20												
	xi	2020-21												
	xii	2021-22												
	xiii	2022-23												
	xiv	2023-24												
	xv	2024-25												
	xvi	2025-26												
	xvii	Total of earlier year losses b/f												
	xviii	Adjustment of above losses in Schedule BFLA			(2i of Schedule BFLA)			(2ii of Schedule BFLA)	(2iv of Schedule BFLA)	(2v of Schedule BFLA)	(2iii of schedule BFLA)			(2xiii of Schedule BFLA)
	xix	2026-27 (Current year losses)			(2xvii of Schedule CYLA)			(3xvii of Schedule CYLA)	(B42 of Schedule BP, if –ve)	(C48 of Schedule BP, if –ve)	(A4b of Schedule BP, if –ve)	(2ix+3ix+4ix+5ix) of item E of Schedule CG)	(6ix+7ix) of item E of Schedule CG)	(8e of Schedule OS, if –ve)

xx	Current year loss distributed among the unit-holder (Applicable for Investment fund only)										
xxi	Current year losses to be carried forward (xix-xx)										
xxii	Total loss Carried forward to future years (xvii-xviii+xxi)										

Schedule UD		Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)						
Sl No	Assessment Year	Depreciation				Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount as adjusted on account of opting for taxation under section 115BAD or 115BAC(1A)	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	3(a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year							
ii								
iii								
iv								
v	Total			(3xvi of BFLA)			(4xvi of BFLA)	

Schedule ICDS		Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit		
Sl. No.	ICDS	Increase in profit (Rs.)	Decrease in profit (Rs.)	Net effect (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Accounting Policies			
II	Valuation of Inventories (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)			
III	Construction Contracts			
IV	Revenue Recognition			
V	Tangible Fixed Assets			
VI	Changes in Foreign Exchange Rates			
VII	Government Grants			
VIII	Securities (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)			
IX	Borrowing Costs			
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets			
XI	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)			

Schedule 10AA		Deduction under section 10AA					
DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone						
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl	Amount of deduction		
	a	Undertaking No.1		a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)		
	b	Undertaking No.2		b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)		
	c	Total deduction under section 10AA (a + b)					

Schedule 80G			Details of donations entitled for deduction under section 80G													
DETAILS OF DONATIONS	A	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit														
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank							
											Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation			
										i						
										ii						
	iii	Total														
	B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit														
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank							
											Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation			
										i						
										ii						
	iii	Total														
	C	Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit														
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank							
											Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation			
										i						
										ii						
iii	Total															
D	Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit															

	Name and address of donee		PAN of Donee	ARN (Donation Reference Number)	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank
					Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation			
	i									
	ii									
	iii	Total								
E	Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)									

Schedule 80GGA Details of donations for scientific research or rural development							
S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (drop down to be provided)	Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i							
ii							
	Total donation						

Schedule80GGC			Details of contributions made to political parties						
S. No.	Date	Amount of contribution			Eligible amount of contribution	Name of the political party	PAN of the political party	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/ IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank
		Contribution in cash	Contribution in other mode	Total Contribution					
i									
	(add rows)								
	Total contribution								

Schedule 80LA Deduction in respect of offshore banking unit or IFSC							
Sub-section in which deduction is claimed							
Sl. No.	Type of entity	Type of income of the unit	Authority granting registration	Date of registration	Registration number	First AY during which deduction is claimed	Amount of deduction claimed for current AY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(add row option to be provided)							
Total							

Schedule 80IAC Deduction in respect of eligible start-up [to be filled only if answer to A19(g) is 'Yes']					
Sl. No.	Date of incorporation of Startup	Nature of business	Certificate number as obtained from Inter Ministerial Board of Certification	First AY in which deduction was claimed	Amount of deduction claimed for current AY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Schedule RA		Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]				
Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i						
ii						
iii	Total					

Schedule 80-IA Deductions under section 80-IA						
a	Deduction in respect of profits of an enterprise referred to in section 80-IA(4)(i) [Infrastructure facility]	a1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		a2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
b	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	b1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		b2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
c	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2)					c

Schedule 80-IB Deductions under section 80-IB						
a	Deduction in respect of industrial undertaking located in Jammu & Kashmir or Ladakh [Section 80-IB(4)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
b	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
c	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
d	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	d1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		d2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
e	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	e1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		e2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
f	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to e2)					f

Schedule 80-IE			Deductions under section 80-IE		
a	Deduction in respect of undertaking located in North-East				
	aa	Assam	aa1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			aa2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	ab	Arunachal Pradesh	ab1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			ab2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	ac	Manipur	ac1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			ac2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	ad	Mizoram	ad1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			ad2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	ae	Meghalaya	ae1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			ae2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)

	af	Nagaland	af1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
			af2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
	ag	Tripura	ag1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
			ag2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
	ah	Sikkim	ah1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
			ah2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
	ai	Total deduction for undertakings located in North-east (total of aa1 to ah2)				ai	
	b	Total deduction under section 80-IE (ai)				b	

Schedule 80P		Deductions under section 80P		
		Nature of Business Code	Income	Amount eligible for deduction
1	Sec.80P(2)(a)(i) Banking/Credit Facilities to its members			
2	Sec.80P(2)(a)(ii) Cottage Industry			
3	Sec.80P(2)(a)(iii) Marketing of Agricultural produce grown by its members			
4	Sec.80P(2)(a)(iv) Purchase of Agricultural Implements, seeds, live-stock or other articles intended for agriculture for the purpose of supplying to its members.			
5	Sec.80P(2)(a)(v) Processing , without the aid of power, of the agricultural Produce of its members.			
6	Sec.80P(2)(a)(vi) Collective disposal of Labour of its members			
7	Sec.80P(2)(a)(vii) Fishing or allied activities for the purpose of supplying to its members.			
8	Sec.80P(2)(b)Primary cooperative society engaged in supplying Milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members to Federal cooperative society engaged in supplying Milk, oilseeds, fruits or vegetables/Government or local authority/Government Company / corporation established by or under a Central, State or Provincial Act			
9	Sec.80P(2)(c)(i)Consumer Cooperative Society Other than specified in 80P(2a) or 80P(2b)			
10	Sec.80P(2)(c)(ii)Other Cooperative Society engaged in activities Other than specified in 80P(2a) or 80P(2b)			
11	Sec.80P(2)(d)Interest/Dividend from Investment in other co-operative society			
12	Sec.80P(2)(e)Income from Letting of godowns/ warehouses for storage, processing / facilitating the marketing of commodities			
13	Sec.80P(2)(f)Others			
14	Total			

Schedule VI-A		Deductions under Chapter VI-A		
TOTAL DEDUCTIONS	1	Part B- Deduction in respect of certain payments		
	a	80G	b	80GGA
	c	80GGC		
	Total Deduction under Part B (a + b + c)			1
	2	Part C- Deduction in respect of certain incomes		
	d	80-IA	e	80-IAB
	f	80-IAC	g	80-IB
	h	80-IBA	i	80-IE
	j	80JJA	k	80JJAA
	l	80LA(1)	m	80LA(1A)
	n	80P		
	Total Deduction under Part C (total of d to n)			2
	3	Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2)		
				3

Schedule AMT		Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC	
1	Total Income as per item 13 of PART-B-TI	1	
2	Adjustment as per section 115JC(2)		
	a Deduction Claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"	2a	
	b Deduction Claimed u/s 10AA	2b	
	c Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed	2c	
	d Total Adjustment (2a+ 2b+ 2c)	2d	
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2d)	3	
a	Adjusted Total Income u/s 115JC from units located in IFSC, if any		
b	Adjusted Total Income u/s 115JC from other Units (3-3a)		
4	Tax payable under section 115JC(1) [(9% of (3a)+ 18.5% or 15% of (3b) as applicable])] (In the case of AOP, BOI, AJP this is applicable if 3 is greater than Rs. 20 lakh)	4	

Schedule AMTC		Computation of tax credit under section 115JD					
1	Tax under section 115JC in assessment year 2026-27 (1d of Part-B-TTI)					1	
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2026-27 (2g of Part-B-TTI)					2	
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]					3	
4	Utilisation of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)						
	S.No	Assessment Year (AY) (A)	AMT Credit			AMT Credit Utilised during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C)
			Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)		
	i	2012-13					
	ii	2013-14					
	iii	2014-15					
	iv	2015-16					
	v	2016-17					
	vi	2017-18					
	vii	2018-19					
	viii	2019-20					
	ix	2020-21					
	x	2021-22					
	xi	2022-23					
	xii	2023-24					
	xiii	2024-25					
	xiv	2025-26					
	xv	Current AY (enter 1 -2, if 1>2 else enter 0)					
	xvi	Total					
5	Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item No. 4 (C)]					5	
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]					6	

Schedule SI						
SPECIAL RATE	SI No	Section/Description	☑	Special rate (%)	Income(i)	Tax thereon (ii)
	1	111A or section 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STCG on shares units on which STT paid)	☐	20	(part of 5vi of Schedule BFLA)	
	2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	☐	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)	
	3	112(1) (LTCG on listed securities/ units)	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	4	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	5	115AB (LTCG for non-resident on units referred in section 115AB)	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	7	115AD (LTCG for FII on securities)	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	8	112 (LTCG on others)	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	9	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid))	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	10	STCG chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 5ix of Schedule BFLA)	
	11	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 5xi of Schedule BFLA)	
	12	115B (Profits and gains of life insurance business)	☐	12.5	(5iii of Schedule BFLA)	
	13a	115AC (Income by way of interest received by a non-resident from bonds purchased in foreign currency)	☐	10	(part of 2cx of Schedule OS)	
	13b	115AC (Income by way of dividend received by non-resident from GDR purchased in foreign currency)	☐	10	(part of 2cxi of Schedule OS)	
	14	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	☐	30	(2ai of Schedule OS)	
	15	115BBJ (Winnings from online games)	☐	30	(2aii of Schedule OS)	
	16	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	☐	60	(2b of Schedule OS)	
	17	115BBF (Income from patent)				
	a	Income under head business or profession	☐	10	(3d of Schedule BP)	
	b	Income under head other sources	☐	10	(2cxv of Schedule OS)	
	18	115BBG (Income from transfer of carbon credits)				
	a	Income under head business or profession	☐	10	(7e of Schedule BP)	
	b	Income under head other sources	☐	10	(2cxvi of Schedule OS)	
	19	115BBH-Tax on Income from Virtual Digital asset				
	a.	Income under head business or profession	☐	30	3f of Schedule BP	
	b.	Income under head Capital Gain	☐	30	(C2 of Schedule CG)	
	20	115A(1)(b) (A) & 115A(1)(b)(B) (Income of a non-resident from Royalty & Fees for Technical Services)	☐	20	(part of 2cviii of Schedule OS)	
	21	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 5iv of Schedule BFLA)	
	22	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 20%	☐	20	(part of 5vi of Schedule BFLA)	
	23	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	☐	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)	
	24	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% u/s 112A	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	25	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% - u/s other than 112A	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	

26	Pass through income in the nature of income from other sources chargeable at special rates	☐		(2d of Schedule OS)	
27	Any other income chargeable at special rates (Please choose from dropdown menu)	☐		(part of 2c of Schedule OS)	
	Total				

Schedule IF		Information regarding partnership firms in which you are partner							
FIRMS IN WHICH PARTNER	Number of firms in which you are partner								
	Sl. No.	Name of the Firm	PAN of the firm	Whether the firm is liable for audit? (Yes/No)	Whether section 92E is applicable to firm? (Yes/ No)	Percentage Share in the profit of the firm	Amount of share in the profit	Amount of interest due or received	Capital balance on 31 st March in the firm
							I	II	III
	1								
	2								
	3								
	4	Total							

Schedule EI		Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)											
EXEMPT INCOMES	1	Interest income								1			
	2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)					i					
		ii	Expenditure incurred on agriculture					ii					
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years					iii					
		iv	Agricultural income portion relating to Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl. No. 38 of Sch. BP)					iv					
		v	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii + iv) (enter nil if loss)								2		
		vi	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)										
			a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located									
			b	Measurement of agricultural land in Acre									
			c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)									
			d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)									
		3	Other exempt income (please specify) (3a+3b)								3		
			a	Income u/s 10(23FB) or 10(23FBA) or 10 (23FC) or 10(23FCA) or 10(23FE) or 10(23FF) or 10(4D) (Please provide details of Acknowledgement Number and Date of Form Filed if 10(23FF) and 10(4D) is claimed)) Add row option and drop down to be provided in utility for each section separately					3a				
			b	Any other Income (Specify nature) – Add row option with free text to enter the nature of income to be provided in utility					3b				
		4	Income claimed as not chargeable to tax as per DTAA (Applicable for non-residents only)										
			Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)				
		I											
		II											
		III	Total Income from DTAA not chargeable to tax										
	5	Pass through income claimed as not chargeable to tax (Schedule PTI)								5			
	6	Total (1+2+3+4+5)								6			

Schedule PTI		Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115U, 115UA and 115UB										
Sl .	Investment entity covered by section 115U/115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl .	Head of income	Current year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/Losses 9=7-8	TDS on such amount, if any			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
PASS THROUGH INCOME	1.			i	House property							
				ii	Capital Gains							
				A	Short term							
				ai	Section 111A							
				ai i	Others							
				B	Long term							
				bi	Section 112A							
				bi i	Sections other than 112A							
				iii	Other Sources							
				A	Dividend							
				B	Others							
				iv	Income claimed to be exempt							
				A	u/s 10(23FBB)							
				B	u/s							
				C	u/s							
				2.			i	House property				
				ii			Capital Gains					
				A			Short term					
	ai	Section 111A										
	ai i	Others										
	B	Long term										
	bi	Section 112A										
	bi i	Sections other than 112A										
	iii	Other Sources										
	A	Dividend										
	B	Others										
	iv	Income claimed to be exempt										
	A	u/s 10(23FBB)										
B	u/s											
C	u/s											

Schedule- TPSA		Details of Tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A) as per the schedule provided in e-filing utility						
TAX ON SECONDARY ADJUSTMENTS AS PER SECTION 92CE(2A)	1	Amount of primary adjustments on which option u/s 92CE(2A) is exercised & such excess money has not been repatriated within the prescribed time (please indicate the total of adjustments made in respect of all the AYs)						
	2	a	Additional Income tax payable @ 18% on above					
		b	Surcharge @ 12% on "a"					
		c	Health & Education cess on (a+b)					
		d	Total Additional tax payable (a+b+c)					
	3	Taxes paid						
	4	Net tax payable (2d-3)						
	5	Date(s) of deposit of tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	Date 3 (DD/MM/YYYY)	Date 4 (DD/MM/YYYY)	Date 5 (DD/MM/YYYY)	Date 6 (DD/MM/YYYY)
	6	Name of Bank and Branch						
	7	BSR Code						
8	Serial number of challan							
9	Amount deposited							

Schedule 115TD		Accreted income under section 115TD			
1	Aggregate Fair Market Value (FMV) of total assets of specified person	1			
2	Less: Total liability of specified person	2			
3	Net value of assets (1 – 2)	3			
4	(i) FMV of assets directly acquired out of income referred to in section 10(1)	4i			
	(ii) FMV of assets acquired during the period from the date of creation or establishment to the effective date of registration/provisional registration u/s 12AB, if benefit u/s 11 and 12 not claimed during the said period	4ii			
	(iii) FMV of assets transferred in accordance with third proviso to section 115TD(2)	4iii			
	(iv) Total (4i + 4ii + 4iii)	4iv			
5	Liability in respect of assets at 4 above	5			
6	Accreted income as per section 115TD [3 – (4iv – 5)]	6			
7	Additional income-tax payable u/s 115TD at maximum marginal rate	7			
8	Interest payable u/s 115TE	8			
9	Specified date u/s 115TD	9			
10	Additional income-tax and interest payable	10			
11	Tax and interest paid	11			
12	Net payable (10 - 11) (Enter 0 if negative)	12			
13	Date(s) of deposit of tax on accreted income	Date 1 DD/MM/YYYY	Date 2 DD/MM/YYYY	Date 3 DD/MM/YYYY	
14	Name of Bank and Branch				
15	BSR Code				
16	Serial number of challan				
17	Amount deposited				

Schedule FSI				Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)						
INCOME FROM OUTSIDE INDIA AND TAX RELIEF	Sl.	Country Code (dropdown to be provided in the e-filing utility)	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	1			i	House Property					
				ii	Business or Profession					
				iii	Capital Gains					
				iv	Other sources					
				Total						
	2			i	House Property					
				ii	Business or Profession					
				iii	Capital Gains					
iv				Other sources						
Total										

Schedule TR		Details Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)				
TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1	Details of Tax relief claimed				
		Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Total				
	2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))				2
	3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))				3
	4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below				4
	a	Amount of tax refunded	b	Assessment year in which tax relief allowed in India		

[illegible]

[illegible]

(ii)												
D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending on 31st December, 2025												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of Asset	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time calendar year ending on 31st December, 2025 and which has not been included in A to D above.												
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Zip Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in, - (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return					
							Amount	Schedule where offered	Item number of schedule			
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												

Schedule GST		INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST	
DETAILS OF GST	Sl. No.	GSTIN No(s).	Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed
	(1)	(2)	(3)
NOTE		Please furnish the information above for each GSTIN No. separately	

PART-B

Part B – TI		Computation of total income				
TOTAL INCOME	1	Income from house property (3 of Schedule-HP) (enter nil if loss)		1		
	2	Profits and gains from business or profession				
		i	Profits and gains from business other than speculative business and specified business (A37 of Schedule BP) (enter nil if loss)	2i		
		ii	Profits and gains from speculative business (3(ii) of table E of Schedule BP) (enter nil if loss and carry this figure to Schedule CFL)	2ii		
		iii	Profits and gains from specified business (3(iii) of table E of Schedule BP) (enter nil if loss and carry this figure to Schedule CFL)	2iii		
		iv	Income chargeable to tax at special rate (3d, 3e, 3f and 4b of Schedule BP)	2iv		
		v	Total (2i + 2ii + 2iii + 2iv) (enter nil, if loss and carry this figure of loss to Schedule CYLA)	2v		
	3	Capital gains				
		a	Short term			
			i	Short-term chargeable @ 20% (8ii of item E of schedule CG)	ai	
			ii	Short-term chargeable @ 30% (8iii of item E of schedule CG)	aii	
			iii	Short-term chargeable at applicable rate (8iv of item E of schedule CG)	aiii	
			iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8v of item E of Schedule CG)	aiv	
			v	Total Short-term (ai+ aii + aiii + aiv) (enter nil if loss)	av	
		b	Long-term			
			i	Long-term chargeable @ 12.5% (8vi of item E of Schedule CG)	bi	
			ii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8vii of item E of schedule CG)	bii	
			iii	Total Long-term (bi+ bii) (enter nil if loss)	biii	
		c	Sum of Short-term / Long-term capital gains (3av + 3biii) (enter nil if loss)		3c	
		d	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)		3d	
		e	Total capital gains (3c + 3d)		3e	
		4	Income from other sources			
			a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a	
			b	Income chargeable to tax at special rate (2 of Schedule OS)	4b	
			c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c	
	d	Total (4a + 4b + 4c)		4d		
	5	Total of head wise income (1 + 2v + 3e + 4d)		5		
	6	Losses of current year to be set off against 5 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule CYLA)		6		
	7	Balance after set off of current year losses (5 – 6) (total of serial no (ii), (iii), (v) to (xvi) of column 5 of schedule CYLA + 4b + 2iv)		7		
	8	Brought forward losses to be set off against 7 (total of 2xv, 3xv and 4xv of Schedule BFLA)		8		
	9	Gross Total income (7 – 8) (also total of serial no (i), (ii), (iv) to (xiv) of column 5 of Schedule BFLA + 4b + 2iv)		9		
	10	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9		10		
	11	Deductions under Chapter VI-A				
		a	Part-B of Chapter VI-A [1 of Schedule VI-A and limited upto (i+ii+iv+v+viii+xiii+xiv) of column 5 of BFLA]	11a		
		b	Part-C of Chapter VI-A [2 of Schedule VI-A]	11b		
		c	Total (11a + 11b) [limited upto (9-10)]	11c		
	12	Deduction u/s 10AA (Total of Sch. 10AA)		12		
	13	Total income (9 - 11c - 12)		13		

14	Income chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)	14	
15	Net agricultural income/ any other income for rate purpose (2v of Schedule EI)	15	
16	Aggregate income (13 – 14 + 15) [applicable if (13-14) exceeds maximum amount not chargeable to tax]	16	
17	Losses of current year to be carried forward (total of xxi of Schedule CFL)	17	
18	Deemed total income under section 115JC (3 of Schedule AMT)	18	

Part B – TTI		Computation of tax liability on total income					
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1					1a	
	A	Tax payable on deemed total income under section 115JC (4 of Schedule AMT)					
	B	Surcharge on (a) above (if applicable)				1b	
	C	Health and Education Cess @ 4% on 1a+1b above				1c	
	D	Total Tax Payable on deemed total income (1a+1b+1c)				1d	
	2	Tax payable on total income					
	A	Tax at normal rates on 16 of Part B-TI		2a			
	B	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)		2b			
	C	Rebate on agricultural income [applicable if (13-14) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]		2c			
	D	Tax Payable on total income (2a+2b -2c)				2d	
	E	Surcharge		Surcharge computed before marginal relief	Surcharge after marginal relief		
	I	25% of 12(ii) of Schedule SI	2ei	2g(ii)	ia		
	ii	10% or 15 % , as applicable	2eii				
	iii	On [(2d) – [(12(ii) of Schedule SI – tax on Income referred in 2e(ii))]	2eiii		iaa		
	iv	Total (ia+iaa)				2eiv	
	F	Health and Education Cess @ 4% on 2d+2eiv				2f	
	G	Gross tax liability (2d + 2eiv + 2f)				2g	
	3	Gross tax payable (higher of 1d or 2g)				3	
	4	Credit under section 115JD of tax paid in earlier years (applicable if 2g is more than 1d) (5 of Schedule AMTC)				4	
	5	Tax payable after credit under section 115JD (3 - 4)				5	
6	Tax relief						
A	Section 90/90A (2 of Schedule TR)		6a				
B	Section 91(3 of Schedule TR)		6b				
C	Total (6a + 6b)				6c		
7	Net tax liability (5 – 6c) (enter zero, if negative)				7		
8	Interest and fee payable						
A	Interest for default in furnishing the return (section 234A)		8a				
B	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)		8b				
C	Interest for deferment of advance tax (section 234C)		8c				
D	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)		8d				
Da	Fee for furnishing revised return of income (section 234-I)		8da				
E	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)				8e		
9	Aggregate liability (7 + 8e)				9		
TAXES PAID AND BANK DETAILS	10	Taxes Paid					
	A	Advance Tax (from column 5 of 18A)		10a			
	B	TDS (total of column 9 of 18B)		10b			
	C	TCS (total of column 7 of 18C)		10c			
	D	Self-Assessment Tax (from column 5 of 18A)		10d			
	E	Total Taxes Paid (10a+10b+10c+10d)				10e	
	11	Amount payable (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)				11	
12	Refund (If 10e is greater than 9)				12		

	13	Net tax payable on 115TD income including interest u/s 115TE (Sr.no. 12 of Schedule 115TD)					13	
	14	Tax payable u/s 115TD after adjustment of refund at Sl. No. 12 (13-12)					14	
	15	Net refund after adjustment as per Sl. No. 14 (12-13) (refund, if any, will be directly credited into the bank account)					15	
BANK ACCOUNT	16	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)					Select Yes or No	
	a) Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)							
	Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India		Name of the Bank	Account Number	Type of account (Dropdown to be provided by e-filing utility)	Select Account for refund credit (tick at least one account ✓)	
	I						☐	
	II						☐	
	Note: 1) All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c 2) In case multiple accounts are selected, the refund will be credited to one of the validated accounts after processing the return.							
	Rows can be added as required							
	b) Non- residents, not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:							
	Sl. No.	SWIFT Code		Name of the Bank	Country of Location	IBAN		
	Rows can be added as required							
	17	Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? <i>[applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]</i>					☐ Yes ☐ No	

18	TAX PAYMENTS																				
A	Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax																				
ADVANCE/SELF ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code				Date of Deposit (DD/MM/YYYY)				Serial Number of Challan				Amount (Rs)							
	(1)	(2)				(3)				(4)				(5)							
	i																				
	ii																				
	iii																				
	NOTE Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 10a & 10d of Part B-TTI																				

B Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C/16D/16E furnished by Deductor(s)]																
Sl No	TDS credit relating to self /other person [other person as per rule 37BA(2) l	PAN/ Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/Aadhaar No. of Tenant/ Buyer	Section under which TDS is deducted	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS deducted during the FY 2025-26)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)		Corresponding Receipt/ withdrawals offered		TDS credit being carried forward			
					Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of or any other person as per rule 37BA(2) (f applicable)	Gross Amount	Head of Income				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4a)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
							Incom e	TD S		Incom e	TD S	PAN/ Aadhaar No.				
I																
NOTE ► Please enter total of column 9 in 10b of Part B- TTI																

C Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]											
Sl No	TCS credit relating to self /other person [other person as per rule 37I(1)]	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	PAN/Aadhaar No. of Other Person (if TCS credit related to other person)	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current financial Year (Tax collected during FY 2025-26)		TCS credit being claimed this Year		TCS credit being carried forward	
				Fin. Year in which collected	Amount b/f	Collected in own hands	Collected in the hands of any other person as per rule 37I(1) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of any other person as per rule 37I(1) (if applicable)		
(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	(6)(i)	(6)(ii)	(7)(i)	7(ii)	(8)	
i									TCS	PAN/ Aadhaar No.	
ii											
NOTE ► Please enter total of column (7) in 10c of Part B-TTI											

VERIFICATION

I, _____ (full name in block letters), son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted)

I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

Date	Place		Sign here→.?

[No. 48 /2026/F. No. 370142/8/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy., Tax Policy and Legislation

Note:- The Income-tax Rules, 1962 rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Par II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification GSR. 228(E), dated the 30th March, 2026.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271436
CG-DL-E-31032026-271436

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 209]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सा.का.नि. 228(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये 31 मार्च, 2026 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2026-27 के लिए फाइल किए गए विवरणी पर लागू होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप आईटीआर-3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

प्ररूप	आकवि-3	भारतीय आय-कर विवरणी (ऐसे व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ से आय है) (कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए)	निर्धारण वर्ष						
			2	0	2	6	-	2	7

भाग क- साधारण		साधारण	
व्यक्तिगत सूचना	(क1) पहला नाम	(क2) मध्य नाम	(क3) अन्तिम नाम
	(क4) स्थायी लेखा सं0		
	संचार उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित पते प्रदान किए जाने हैं: प्राथमिक पता: (क5क) फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या (क6क) परिसर/भवन/ग्राम का नाम (क7क) सड़क/गली/डाकघर (क9क) क्षेत्र/इलाका (क10क) कस्बा/नगर/जिला (क11क) राज्य (क12क) पिन कोड/ज़िप कोड (क13क) देश		(क14) प्रास्थिति (चयनित करें) ☐ व्यष्टि ☐ हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब
	दूसरा पता: (क5ख) फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या (क6ख) परिसर/भवन/ग्राम का नाम (क7ख) सड़क/गली/डाकघर (क9ख) क्षेत्र/इलाका (क10ख) कस्बा/नगर/जिला (क11ख) राज्य (क12ख) पिन कोड/ज़िप कोड (क13ख) देश		(क15) व्यवसाय प्रारंभ करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) (क16) आधार संख्यांक (12 अंक)
संसूचना के उद्देश्यों के लिए ब्यौरे उपलब्ध कराएं			
(क17) एस.टी.डी कोड सहित निवास/कार्यालय का फोन नं0/करदाता का प्राथमिक मोबाइल नं0		(क8) जन्म तारीख/विरचना की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	द्वितीयक मोबाइल नं0
(क18) करदाता का प्राथमिक ई मेल		द्वितीयक ई मेल	
(क19) (क1)	आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख [ड्रॉप डाउन उपलब्ध कराए जाने हैं] 1. 31 अगस्त 2. 31 अक्टूबर 3. 30 नवंबर		
(क19) (क2)	1. धारा के अधीन फाइल की गई (सही) का निशान लगाएँ ☐ 2. धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई ☐		
(क19) (क3)	1. धारा के अधीन फाइल की गई (सही) का निशान लगाएँ ☐ 2. धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई ☐		
(क19) (क4)	क्या आप वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए कारबार या वृत्ति से आय धारित करते हैं? (टिक करें) ☐ हां ☐ नहीं (1) यदि प्रश्न आ19(ख) का उत्तर हाँ है, तो क्या आपने किसी पूर्व निर्धारण वर्ष के लिए आयकर विवरणी 3/4 और प्ररूप 101 उआ नियत तारीख के भीतर दाखिल किया है? (टिक करें) ☐ हां ☐ नहीं (अ) यदि (1) का उत्तर हाँ है, तो i. पावती संख्या के लिए प्ररूप 10इड.क और उस निर्धारण वर्ष का विवरण दें जिसके लिए पुरानी कर व्यवस्था का चयन करने हेतु यह प्ररूप फाइल किया है। ii. क्या आपने अतीत में उस निर्धारण वर्ष जिसके लिए पुरानी कर व्यवस्था का चयन करते हुए प्ररूप 10इड.क फाइल किया और उसके पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष में, और प्ररूप 10इड.क द्वारा नई व्यवस्था में पुनः प्रवेश किया, तो आयकर विवरणी 3/4 फाइल किया है? (टिक करें) ☐ हां ☐ नहीं (क) यदि (1)(अ)(ii) का उत्तर हाँ है, तो दूसरे प्ररूप 10इड.क की पावती संख्या और वह आकलन वर्ष बताएँ जिसके लिए नई कर व्यवस्था चुनने के लिए यह प्ररूप फाइल किया गया था, और नई कर व्यवस्था में आयकर रिटर्न प्रस्तुत करें। (ख) यदि (1)(अ)(ii) का उत्तर नहीं है, तो क्या आपने वर्तमान निर्धारण वर्ष में नई कर व्यवस्था में पुनः प्रवेश करने के लिए प्ररूप 10इड.क प्रस्तुत किया है? (टिक करें) ☐ हां ☐ नहीं (ख)(i) यदि हां, तो प्ररूप 10इड.क की पावती संख्या प्रदान करें और नई कर व्यवस्था में आयकर विवरणी प्रस्तुत करें।		

		(ख)(ii) यदि नहीं, तो पुरानी कर व्यवस्था में आयकर विवरणी प्रस्तुत करें। (आ) यदि (1) का उत्तर नहीं है, तो क्या आपने वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए पुरानी कर व्यवस्था चुनने हेतु नियत तारीख के भीतर प्ररूप 10झड.क प्रस्तुत किया है? (टिक करें) ☐ हां ☐ नहीं i. यदि (1)(आ) का उत्तर हाँ है, तो प्ररूप 10झड.क की पावती संख्या प्रदान करें, और फिर पुरानी कर व्यवस्था में विवरणी प्रस्तुत करें। ii. यदि (1)(आ) का उत्तर नहीं है, तो नई कर व्यवस्था में आयकर विवरणी प्रस्तुत करें। (2) यदि प्रश्न आ19(ख) का उत्तर नहीं है, तो क्या आप वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए पुरानी कर व्यवस्था का चयन करेंगे? (टिक करें) ☐ हां ☐ नहीं नोट- धारा 115खकग(1क) के तहत डिफॉल्ट व्यवस्था 'नई व्यवस्था' है। धारा 115 खकग(6) के अंतर्गत नई व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनकर 'पुरानी व्यवस्था' का चयन किया जा सकता है; जिसके लिए प्ररूप 10झड.क भरना होगा। यह विकल्प, धारा 139(1) के तहत आय का विवरणी जमा करने की नियत तारीख को या उससे पहले इस्तेमाल किया जाना चाहिए।										
	(ग)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत कर रहे हैं, अन्यथा आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है ? (सही का निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें,-- [टिप्पण: केवल तभी भरा जाना चाहिए, यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, किन्तु वह धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अधीन उल्लिखित शर्तों में से एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय की विवरणी प्रस्तुत कर रहा है।]										
	(गii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है ? (हां/नहीं)							(यदि हां है तो) रकम (रु)			
	(गiii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है ?							(यदि हां है तो) रकम (रु)			
	(गiii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)							(यदि हां है तो) रकम (रु)			
	(गiv)	क्या आपको धारा 139(1) के सातवें उपबंध के खंड (iv) के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है (यदि हां, तो कृपया ड्रॉप डाऊन मेनू से सुसंगत शर्त का चयन करें)							(चिन्ह) ☐ हां ☐ नहीं			
	(घ)	यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख और रसीद सं० प्रविष्ट करें (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)									/ /	
	(ङ)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अधीन नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अधीन आदेश के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत की गई है, तो यूनिक नंबर/डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और ऐसी सूचना आदेश की तारीख प्रस्तुत करें, या यदि धारा 92गघ के अधीन दायर किया गया है तो अग्रिम मूल्यांकन करार की तारीख प्रस्तुत करें							(यूनिक नंबर)		/ /	
	(च)	भारत में आवासीय प्रास्थिति (व्यक्तियों के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	(क) निवासी									
			o आप पूर्ववर्ष के दौरान 182 दिन या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे [धारा 6(1)(क)] o आप पूर्ववर्ष के दौरान 60 दिन या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे या पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान 365 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में रह चुके हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहाँ स्पष्टीकरण 1 लागू न हों] o आप भारत के नागरिक हैं, जिसने रोजगार के प्रयोजनार्थ, भारतीय जहाजरानी पर कर्मिंदल के सदस्य के रूप में, भारत छोड़ दिया है और पूर्ववर्ष के दौरान 182 दिन या इससे अधिक के लिए तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिन या इससे अधिक के लिए भारत में थे [धारा (6)(1)(ग) का स्पष्टीकरण 1(क)] o आप भारत के नागरिक हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और पूर्ववर्ष के दौरान भारत में दोरे पर आए हैं और क) पूर्ववर्ष के दौरान 182 दिन या उससे अधिक के लिए तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिन या इससे अधिक के लिए भारत में थे ; या ख) पूर्ववर्ष के दौरान 120 दिन या उससे अधिक के लिए तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिन या इससे अधिक के लिए भारत में थे, यदि विदेशी स्त्रोतों से आय									

				से भिन्न, कुल आय 15 लाख रू. से अधिक हो [स्पष्टीकरण धारा (6)(1)(ग) का स्पष्टीकरण 1(ख)]		
			(ख) निवासी, किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं।	o आप पूर्ववर्ती 10 वर्षों में से 9 में भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] o आप पूर्ववर्ती 7 वर्षों के दौरान 729 दिन या उससे कम भारत में रह रहे हैं [धारा 6(6)(क)] o आप भारत के नागरिक है, या भारतीय मूल के व्यक्ति है, जो भारत में दौरे पर आया है, जिसकी विदेशी स्त्रोतों से आय से भिन्न, कुल आय 15 लाख रू. से अधिक हो और भारत में पूर्ववर्ष के दौरान 120 दिन या उससे अधिक, लेकिन 182 दिन से कम रहा है। [धारा 6(6)(ग)] o आप भारत के ऐसे नागरिक है, जिसकी पूर्ववर्ष के दौरान, विदेशी स्त्रोतों से आय से भिन्न, कुल आय 15 लाख रू. से अधिक है और जो किसी अन्य देश या क्षेत्र में, अपने अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण, कर से प्रभार्य नहीं है [धारा 6(6)(ग)]		
			(ग) अनिवासी	o आप पूर्ववर्ष के दौरान अनिवासी थे (i) कृपया पूर्ववर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताओं) को विनिर्दिष्ट करें--		
				क्रम सं.	निवास की अधिकारिता	करदाता पहचान संख्या
				1		
				2		
				(ii) यदि आप भारत के नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति है, कृपया विनिर्दिष्ट करें--		
				पूर्ववर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)		पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)
		भारत में आवासीय प्रास्थिति (हिंदू अविभक्त कुटुंब के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)		☐ निवासी ☐ निवासी, किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं ☐ अनिवासी		
	(छ)	क्या आप धारा 115ज के अधीन प्रसुविधा का दावा करना चाहते हैं? (निवासी की दशा में लागू)				☐ हां ☐ नहीं
	(ज)	क्या आप धारा 5क के अनुसार पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किये जाते हैं? (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं (यदि हां तो कृपया अनुसूची 5क भरें)				
	(झ)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं, यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें				
		(1)	प्रतिनिधि निर्धारिती का नाम			
		(2)	प्रतिनिधि निर्धारिती की ई मेल आईडी			
		(3)	प्रतिनिधि निर्धारिती का संपर्क संख्या			
	(ञ)	क्या आप पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय किसी कंपनी में निदेशक थे? ☒ (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें।				
		कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	क्या इसके शेयर सूचीबद्ध है या असूचीबद्ध	निदेशक पहचान संख्या (नि.प.सं)
	(ट)	क्या आप फर्म में भागीदार है? ☒ (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -				
		फर्म का नाम		स्थायी लेखा सं.		
	(ठ)	क्या आप पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण शेयर धारित किए हैं? ☒ (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया साम्या शेयर के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।				

(ड)	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित शेयर		अंत अतिशेष	
				शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयर की संख्या	अर्जन की लागत	शेयर की संख्या	विक्रय प्रतिफल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अनिवासी की दशा में, क्या भारत में कोई स्थायी स्थापन है ☐ (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं														
(ढ)	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस ई पी) है ? (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं कृपया निम्नलिखित का विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में यथा निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संव्यवहार या संव्यवहारों से उद्भूत संदायों का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में यथा निर्दिष्ट भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या													
(ण)	क्या निर्धारिती की किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई इकाई है और उसकी केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न होती है? ☐ हां ☐ नहीं													
(त)	क्या आप एफ.पी.आई हैं? हां /नहीं यदि हां, सेबी रजिस्ट्रीकरण प्रदान करें													
(थ)	विधिक इकाई पहचानकर्ता (एल ई आई) विवरण (यदि प्रतिदाय 50 करोड़ या उससे अधिक है, तो अनिवार्य)													
	एल ई आई सं.								तारीख, जिस तक वैध है					

लेखा संपरीक्षा जानकारी (क20)	(क1)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ? ☐ (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं
	(क2)	क्या निर्धारिती केवल 44कड/44ख/44खख/44कघ/44कघक/44खखक/44खखग/44खखघ के अधीन आय की घोषणा कर रहा है ☐ हां ☐ नहीं
	(क2i)	कारबार की कुल बिक्री/आवर्त/सकल प्राप्ति का चयन करें ☐ 1 करोड़ रु. से 10 करोड़ तक ☐ 10 करोड़ रु. से अधिक
	(क2ii)	यदि क2i पर "1 करोड़ रु से अधिक और दस करोड़ रु तक" विकल्प का चयन करता है, तो कृपया पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त समग्र में से, केश और नॉन अकाउंट पेयी चेक या बैंक ड्राफ्ट में प्राप्त रकम के प्रतिशत का चयन करें। ☐ 5 प्रतिशत तक ☐ 5 प्रतिशत से अधिक टिप्पण : यदि यह प्रतिशत 5% से अधिक है, तो आप धारा 44कख के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी होंगे)
	(क2iii)	यदि क2i पर "1 करोड़ रु से अधिक और दस करोड़ रु तक" विकल्प का चयन करता है, तो कृपया पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त समग्र में से, केश और नॉन अकाउंट पेयी चेक या बैंक ड्राफ्ट में प्राप्त रकम के प्रतिशत का चयन करें। ☐ 5 प्रतिशत तक ☐ 5 प्रतिशत से अधिक टिप्पण : यदि यह प्रतिशत 5% से अधिक है, तो आप धारा 44कख के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी होंगे)
	(ख)	क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखा संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? ☐ (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं
		यदि (ख) पर हां चुना जाता है, निम्नलिखित शर्तों में से उस शर्त को वर्णित करें, जिसके आधार पर चुना गया है :
	(खi)	विक्रय, आवर्त या कुल प्राप्ति, धारा 44कख के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हैं ☐ (चिह्नित करें)
	(खii)	निर्धारिती धारा 44कघ/धारा 44कघक/धारा 44कड/धारा 44खख में आता है, परंतु उपधारणात्मक आधार पर आय प्रस्थापित नहीं कर रहा है (लागू धारा में ☐ चिन्ह लगाएं) ☐ 44कघ ☐ 44कघक ☐ 44कड ☐ 44खख
	(खiii)	अन्य ☐ (चिह्नित करें) ☐

	(ग)	यदि (ख) हां है तो क्या लेखाओं की किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा कराई गई है . (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं यदि हां है तो, निम्न सूचना प्रस्तुत करें			
		(1)	लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख		
		(2)	लेखा संपरीक्षा की अधिस्वीकृति सं.		
		(3)	लेखा परीक्षक का नाम (स्वत्वधारी/फर्म)		
		(4)	स्वत्वधारी/फर्म का स्थायी लेखा संख्या (पैन)/आधार सं.		
	(घा)	क्या आप धारा 92ड. के अधीन लेखा संपरीक्षा के लिए दायी है ? ☐ हां ☐ नहीं			
	(घाii)	यदि (घाi) हां है, क्या खातों की संपरीक्षा धारा 93ड के अधीन की गई है	☐ हां ☐ नहीं	लेखा संपरीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाई वाईवाई)	पावती सं.
	(घाiii)	यदि अन्य लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, तो वर्णित करें कि क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें,			
		☐	☐	☐	☐
		क्रम सं.	धारा कोड	तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाई वाईवाई)	पावती सं.
	(ड)	यदि आय-कर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन लेखा संपरीक्षा के लिए दायी है तो अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख करें ।			
		अधिनियम और धारा		डीडी/एमएम/वाईवाई वाईवाई	

कारबार की प्रकृति		कारबार या वृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या वृत्ति एक से अधिक हैं तो तीन मुख्य क्रियाकलापों/उत्पादों को उपदर्शित करें (धारा 44कघ, धारा 44कघक और 44कड. के अधीन आय की घोषणा करने वाले व्यक्तियों से भिन्न)			
	क्र०सं०	कोड	स्वत्वधारी का व्यापार नाम, यदि कोई है	वर्णन	
	(i)				
	(ii)				
	(iii)				

भाग क – तुलनपत्र		स्वत्वधारी कारबार या वृत्ति का 31 मार्च 2026 को तुलन-पत्र (ऐसे मामले में, जहां नियमित बही लेखा रखा जाता है नीचे मदों को भरें, अन्यथा मद 6 भरें)			
निधियों का उपयोग	1	स्वत्वधारी की निधि			
		क	स्वत्वधारी की पूंजी		क
		ख	आरक्षित और अधिशेष		
		i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खा	
		ii	पूंजी आरक्षिति	खाii	
		iii	कानूनी आरक्षिति	खाiii	
		iv	कोई अन्य आरक्षिति	खाiv	
		v	योग (खा + खाii + खाiii + खाiv)	खv	
		ग	कुल स्वत्वधारी की निधि (क + खv)	1ग	
	2	ऋण निधियां			
	क	प्रतिभूत ऋण			
	i	विदेशी मुद्रा ऋण	क i		

निधियों का उपयोग			ii रूप में ऋण			
			अ	बैंकों से ऋण	iiअ	
			आ	अन्य से	iiआ	
			इ	योग (iiअ + iiआ)	iiइ	
			iii	योग (का + iiइ)	काiii	
			ख अप्रतिभूत ऋण (जिसके अधीन निक्षेप राशि भी है)			
			i	बैंकों से ऋण	खi	
			ii	अन्य से	खii	
			iii	योग (ख i + खii)	खiii	
			ग योग ऋण निधि (काiii + खiii)			2ग
			3 आस्थगित कर दायित्व			3
			4 अग्रिम			
			i	आय-कर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	i	
			ii	अन्यों से	ii	
			iii	कुल अग्रिम (i + ii)	4iii	
			5 निधियों के स्रोत (1ग + 2ग + 3 + 4iii)			5
			1 स्थिर आस्तियां			
			क	सकल ब्लाक	1क	
			ख	अवक्षयण	1ख	
			ग	शुद्ध ब्लाक (क - ख)	1ग	
			घ	चल रहा पूंजी कार्य	1घ	
			ङ योग (1ग + 1घ)			1ङ
			2 विनिधान			
			क दीर्घकालिक विनिधान			
			i	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट की गई	काi	
			ii	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट न की गई	काii	
			iii	योग (का + काii)	काiii	
			ख अल्पकालिक विनिधान			
			i	साधारण शेयर, शेयर उपयोजन धन सहित	खi	
			ii	अधिमाननी शेयर	खii	
			iii	डिबेंचर	खiii	
			iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv	
			ग कुल विनिधान (काiii + खiv)			2 ग
			3 चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम			
			क चालू आस्तियां			
			i	बीजक		
			अ	भंडार, जिसके अधीन खपने वाली पैकिंग सामग्री भी है	iअ	
			आ	कच्ची सामग्री	iआ	
			इ	कार्यरत भंडार	iइ	
			ई	तैयार माल / व्यापार माल	iई	
			उ	योग (iअ + iआ + iइ + iई)		iउ
			ii	अन्यान्य ऋणी		काii
			iii	नकद और बैंक अतिशेष		

वह दशा, जहां लेखा नहीं रखे जाते हैं				अ	हस्तगत नकदी	iiiअ					
				आ	बैंक के पास अतिशेष	iiiआ					
				इ योग (iiiअ + iiiआ)		iiiइ					
				iv	अन्य चालू आस्तियां		कiv				
				v	कुल चालू आस्तियां (iउ + कii + iiiइ + कiv)		कv				
				ख ऋण और अग्रिम							
				i	नकद में या वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य	खi					
				ii	निक्षेप, ऋण और निगमित या अन्य से अग्रिम	खii					
				iii	राजस्व प्राधिकारियों आदि के पास अतिशेष	खiii					
				iv	योग (खi + खii + खiii)		खiv				
				ग चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (कv + खiv)					3ग		
				घ चालू दायित्व और उपबंध							
				i	चालू दायित्व						
					अ	अन्यान्य लेनदार	iअ				
					आ	पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व	iआ				
					इ	उपर्युक्त पर उदभूत ब्याज	iइ				
					ई	उदभूत ब्याज किंतु जो ऋणों पर शोध नहीं है	iई				
					उ योग (iअ + iआ + iइ + iई)		iउ				
				ii	उपबंध						
					अ	आय-कर के लिए उपबंध	iiअ				
					आ	छुटी भुनाने/अधिवर्षिता/उपदान के लिए उपबंध	iiआ				
					इ	अन्य उपबंध	iiइ				
					ई योग (iiअ + iiआ + iiइ)		iiई				
				iii	योग (iउ + iiई)					घiii	
				ङ शुद्ध चालू आस्तियां (3ग – घiii)						3ङ	
				4	क अवलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय		4क				
					ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख				
					ग	लाभ और हानि लेखा / संचित अतिशेष	4ग				
					घ योग (4क +4ख +4ग)		4घ				
				5	निधियों के उपयोजन का योग (1ङ + 2ग + 3ङ +4घ)					5	
				उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नियमित नहीं रखी जाती है-- (कारबार या वृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2026 तक की निम्नलिखित जानकारी दें)	6						
					क	अन्यान्य ऋणियों की कुल रकम				6क	
					ख	अन्यान्य लेनदारों की कुल रकम				6ख	
					ग	व्यापारगत स्टॉक की कुल रकम				6ग	
					घ	नकदी बकाया की रकम				6घ	

भाग क- विनिर्माण लेखा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बहियाँ रखी जाती हैं उस दशा में मद 1 से 3 भरें, अन्यथा यथा लागू मद 61 से 65 भरें)

	1 विनिर्माण लेखा के लिए विकलन					
	क	आरंभिक सूची				
		i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक	i		
		ii	चालू काम का आरंभिक स्टॉक	ii		

		iii कुल (i + ii)	कiii	
	ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)	ख	
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी	ग	
	घ	प्रत्यक्ष व्यय (घi + घii + घiii)	घ	
		i आवक वहन व्यय	i	
		ii विद्युत आर ईंधन	ii	
		iii अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii	
	ड.	कारखाने का उपरी व्यय		
		I अप्रत्यक्ष मजदूरी	i	
		II कारखाना किराया और दरें	ii	
		III कारखाना बीमा	iii	
		IV कारखाना ईंधन और विद्युत	iv	
		V कारखाने का साधारण व्यय	v	
		VI कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi	
		Vii कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)	ड.vii	
	च	विनिर्माण लेखा के लिए कुल विकलन (क iii+ख +ग +घ +ड.vii)	1च	
	2	अंतिम स्टॉक		
		i कच्ची सामग्री	2i	
		ii चालू काम	2ii	
		कुल (2i + 2ii)	2	
	3	माल उत्पाद की लागू - व्यापारिक लेखा के लिए अंतरित (1च - 2)	3	

भाग -क व्यापारिक लेखा।		वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यापारिक लेख (जहाँ नियमित लेखा बही रखी जाती है, वहाँ मद 4 से मद 12 तक भरें अन्यथा मद 61 से मद 65 भरें, यथा लागू)		
व्यापारिक लेखा के लिए प्रत्यय	4	संक्रियाओं से राजस्व		
		क कारबार का विक्रय/सकल प्राप्ति शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो		
		I माल का विक्रय	i	
		ii सेवाओं का विक्रय	ii	
		iii अन्य संक्रियात्मक राजस्व (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)		
		क	iiiए	
		ख	iiiड	
		ग कुल (iiiक + iiiख)	iiic	
		iv कुल (i + ii + iii ग)	कiv	
	ख	वृत्ति से सकल प्राप्ति	ख	
	ग	बिक्रीत माल और सेवा या पूर्ति के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य शुल्क, कर और उपकर		
		i संघ उत्पाद शुल्क	i	
		ii सेवा कर	ii	
		iii मूल्य वर्धित कर/ विक्रय कर	iii	
		iv केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv	
		v राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v	
		vi समेकित माल सेवा कर (आईजीएसटी)	vi	
		vii संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii	
		viii कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii	
		ix कुल (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii)	गix	
	घ	संक्रियाओं से कुल राजस्व (कiv + ख+गix)	4घ	

	5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक	5	
	6	व्यापारिक लेखा के लिए कुल प्रत्यय (4घ + 5)	6	
	7	तैयार माल का आरंभिक स्टॉक	7	
	8	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)	8	
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)	9	
	i	आवक वहन व्यय	9i	
	ii	विद्युत और ईंधन	9ii	
	iii	अन्य प्रत्यक्ष कर (टिप्पण प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है)	9iii	
	10	क्रय किए गए माल और सेवा के संबंध में शुल्क और क्रय, संदत्त या संदेय		
	i	सीमा शुल्क	10i	
	ii	प्रति शुल्क	10ii	
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii	
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv	
	v	सेवा कर	10v	
	vi	मूल्य वर्धित कर/ विक्रय कर	10vi	
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii	
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii	
	ix	समेकित माल सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix	
	x	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x	
	xi	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	10xi	
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)	10xii	
	11	माल उत्पाद की लागत - विनिर्माण लेखा से अंतरित	11	
	12	कारबार/वृत्ति से सकल लाभ-लाभ और हानि लेखा को अंतरित (6-7-8-9-10xii-11)	12	
	12क	इंट्राडे का कारबार से आवर्त	12क	
	12ख	इंट्राडे कारबार की आय- लाभ तथा हानि लेखा को अंतरित	12ख	
	12ग	फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग से टर्नओवर	12ग	
	12घ	फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग से आय - लाभ और हानि खाते में हस्तांतरित	12घ	

भाग क-लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभ और हानि लेखा (नियमित लेखा बहियां बनाए रखे जाने की दशा में मद 13 से 60 और 66 भरें, अन्यथा यथा लागू मद 61 से 65 भरें)

	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ (12+12ख+12घ)	13	
	14	अन्य आय		
	i	किराया	i	
	ii	कमीशन	ii	
	iii	लाभांश आय	iii	
	iv	ब्याज आय	iv	
	v	नियत आस्तियों के विक्रय से लाभ	v	
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के विक्रय पर लाभ	vi	
	vii	अन्य निवेशों के विक्रय पर लाभ	vii	
	viii	धारा 43क के अधीन विदेशी मुद्रा मूल्य में उतार चढ़ाव के मद्दे अभिलाभ (हानि)	viii	

		ix	धारा 28(vi) के अधीन माल सूचियों को पूंजी आस्तियों में संपरिवर्तित किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को माल सूची का उचित बाजार मूल्य)		ix					
			x	कृषि आय		x				
		xi		कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)						
					क				xiए	
					ख				xiड	
		ग			योग (xiक + xiख)			xic		
		xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)					14xii		
लाभ और हानि लेखा से विकसन	15	लाभ और हानि लेखा में किए गए जमा का योग (13+14xii)					15			
	16	बहिर्गामी माल भाडा					16			
	17	भंडारों और कलपुर्जों का उपभोग					17			
	18	विद्युत और ईंधन					18			
	19	किराया					19			
	20	भवनों की मरम्मत					20			
	21	मशीनरी की मरम्मत					21			
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर								
		i	वेतन और मजदूरी		22i					
		ii	बोनस		22ii					
		iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति		22iii					
		iv	छुट्टी नकदीकरण		22iv					
		v	छुट्टी यात्रा फायदा		22v					
		vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय		22vi					
		vii	मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि में अभिदाय		22vii					
		viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय		22viii					
		ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय		22ix					
		x	कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा, जिसके संबंध में कोई व्यय उपगत किया गया है		22x					
	xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)				22xi				
	xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है		xiiक	हां / नहीं					
		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम		xiiख						
	23	बीमा								
			i	चिकित्सा बीमा		23i				
			ii	जीवन बीमा		23ii				
iii			कीमेन्स बीमा		23iii					
iv			अन्य बीमा, जिसके अधीन कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि हैं		23iv					
v			बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)				23v			
24	कर्मकार और कर्मचारीवृंद कल्याण संबंधी व्यय					24				
25	मनोरंजन					25				

26	सत्कार			26		
27	सम्मेलन			27		
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)			28		
29	विज्ञापन			29		
30	कमीशन					
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i			
	ii	अन्यों को संदत्त	ii			
	iii	योग (i + ii)		30iii		
31	स्वामित्व					
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i			
	ii	अन्यों को संदत्त	ii			
	iii	योग (i + ii)				31iii
32	वृत्तिक/परामर्श संबंधी फीस/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस					
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i			
	ii	अन्यों को संदत्त	ii			
	iii	योग (i + ii)				32iii
33	होटल, बोर्डिंग और वासा			33		
34	विदेशी यात्रा से भिन्न यात्रा व्यय			34		
35	विदेशी यात्रा व्यय			35		
36	वाहन व्यय			36		
37	टेलीफोन व्यय			37		
38	अतारीख गृह व्यय			38		
39	क्लब व्यय			39		
40	त्यौहार मनाए जाने संबंधी व्यय			40		
41	छात्रवृत्ति			41		
42	दान			42		
43	दान			43		
44	दरें और सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर (आय-कर को छोड़कर)					
	i	संघ का उत्पाद शुल्क	44i			
	ii	सेवा कर	44ii			
	iii	मूल्यवर्धित कर / विक्रय कर	44iii			
	iv	उपकर	44iv			
	v	केंद्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	44v			
	vi	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	44vi			
	vii	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	44vii			

		viii	संघ राज्यक्षेत्र एकीकृत माल और सेवाकर (यूजीएसटी)							44viii				
		ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, एसटीटी और सीटीटी सहित							44ix				
		x	कुल दरें और संदत्त या संदेय कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)							44x				
	45	संपरीक्षा फीस										45		
	46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)												
	i								i					
	ii								ii					
	iii	कुल (i + ii)							46iii					
	47	डूबत ऋण (ऐसे व्यक्ति का पैना/आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें, यदि उपलब्ध हों, जिसके लिए डूबत ऋण के संबंध में एक लाख रुपए या अधिक की रकम का दावा किया गया है और रकम)												
		i1									47i1			
		i2									47i2			
		i3									47i3			
		i	अपेक्षानुसार पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं। कुल (47i1 + 47i2 + 47i3)							47i				
		ii	अन्य (1 लाख रुपये से अधिक) जहाँ पैना / आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूर्ण पता उपबंधित करें)							47ii				
		iii	अन्य (1 लाख रुपये से कम की रकम)							47iii				
		iv	कुल डूबत ऋण(47i + 47ii + 47iii)							47iv				
	48	डूबा और शंकास्पद ऋण के लिए उपबंध										48		
	49	अन्य उपबंध										49		
	50	ब्याज, अवक्षयण और कर के पूर्व लाभ [15 – (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]										50		
	51	ब्याज												
		i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी के लिए भारत से बाहर संदाय या भारत में संदाय							i				
		ii	अन्य को							ii				
		iii	कुल (i + ii)							51iii				
	52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण										52		
	53	करों के पूर्ण शुद्ध लाभ (50 – 51iii – 52)										53		
	कर और विनियोग के लिए उपबंध	54	चालू कर के लिए उपबंध										54	
55		आस्थगित कर का उपबंध										55		
56		कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)										56		
57		पूर्ववर्ष से आगे लाया गया अतिशेष										57		
58		विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)										58		
59		आरक्षिति और अधिशेष के लिए अंतरित										59		
60		स्वत्वधारी के लेखों में तुलनपत्र के लिए अग्रणीत अतिशेष (58 – 59)										60		
उपधारात्मक मामले		61	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना											
		क्रम सं.	कारबार/वृत्ति का नाम							कारबार कोड		विवरण		

		(i) सकल आवर्त या सकल प्राप्तियाँ (iक + iख+ iग) (61i, 2 करोड़ ₹. तक सीमित, तथापि, यदि 61iख+61iग, 61i के 5% से कम है या उसके समान है, तो 61i के अधीन सीमा 3 करोड़ तक विस्तारित की जाती है)		61i	
	(क)	निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त		iक	
	(ख)	नकद में प्राप्ति		iख	
	(ग)	क और ख के सिवाय कोई अन्य पद्धति		iग	
	(ii) धारा 44 क घ के अधीन उपधाराणात्मक आय (iiक + iiख)			61ii	
	(क)	61i का 6% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो		iiक	
	(ख)	(61iख+61iग) का 8% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो		iiख	
टिप्पण : यदि उपर्युक्त सकल प्राप्तियाँ/ आवर्त के प्रतिशत से कम आय है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है ।					
62	धारा 44कघ के अधीन वृत्ति से उपधाराणात्मक आय की संगणना				
	क्रम सं.	कारबार का नाम/वृत्ति		काराबार कोड	विवरण
	(i)	सकल प्राप्तियाँ (62i, 50 लाख ₹0 तक सीमित, तथापि, यदि 62iख+62iग, 62i के 5% से कम है या उसके समान है, तो 62i के अधीन सीमा 750 लाख ₹0 तक विस्तारित की जाती है)			62i
	(क)	निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त			iक
	(ख)	नकद में प्राप्ति			iख
	(ग)	क और ख के सिवाय कोई अन्य पद्धति			iग
	(ii)	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणत्मक आय (62i का 50% या दावाकृत रकम, जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो)			62ii
टिप्पण : यदि आय सकल प्राप्ति के 50% से कम है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है ।					
63	धारा 44 कघ के अधीन माल वहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना				
	क्रम सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड	विवरण
		माल वहन की रजिस्ट्री-करण सं.	क्या स्वामित्व/पट्टे/किराया	माल वहन की टन भार क्षमता (मिटीक टन में)	मासों की संख्या, जिसमें माल निर्धारिती द्वारा स्वामित्व/पट्टे/किराया पर दिया गया था ।
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)
	(क)				
	(ख)				
		कुल			
आवश्यकतानुसार पंक्ति में ब्यौरा भरें (वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए)					
	(ii)	धारा 44 कड. के अधीन माल वहन से कुल उपधाराणात्मक आय सारणी 6 का स्तंभ (7) का योग]			63(iii)

		टिप्पण : यदि लाभ धारा 44कड. के अधीन विहित से कम है या 10 वर्षों के दौरान किसी समय स्वामित्व/पट्टे/किराये पर माल वहन की संख्या अधिक है, तब धारा 44 कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा रखना आज्ञापक है।		
वह दशा, जहां लेखा नहीं रखे जाते हैं	64	यदि कारबार का लेखा बही या वृत्ति नियमित रूप से नहीं रखा जाता है, तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्ववर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।		
		(i) कारबार करने वाले निर्धारिती के लिए		
	क	सकल प्राप्तियाँ (क1 + क2)	iक	
		1 निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1	
		2 कोई अन्य रीति	क2	
	ख	सकल लाभ	iख	
	ग	व्यय	iग	
	घ	शुद्ध लाभ		64i
		(ii) वृत्ति करने वाले निर्धारिती के लिए		
	क	कुल प्राप्तियाँ (क1 + क2)	iiए	
		1 निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क 1	
		2 कोई अन्य रीति	क 2	
	ख	सकल लाभ		
	ग	व्यय		
	घ	शुद्ध लाभ		64ii
	(iii) कुल लाभ (64i + 64ii)			64iii
	65	I सट्टे वाले क्रियाकलाप से आवर्त		65i
		ii सकल लाभ		65ii
		iii व्यय, यदि कोई हो		65iii
		iv सट्टे वाले क्रियाकलाप से शुद्ध आय (65ii-65iii)		65iv
	66	अनिवासी के मामले में, यदि कुल आय में धारा 44ख, 44खख, 44खखक, 44खखग, 44खखघ में निर्दिष्ट व्यवसाय से होने वाले लाभ और अभिलाभ शामिल हैं, तो निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:		
		i सकल प्राप्तियाँ / टर्नओवर		66i
		ii शुद्ध लाभ		66ii
भाग क - अन्य जानकारी		अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है, तो आज्ञापक है; अन्य के लिए, यदि लागू हो तो भरें)		
अन्य जानकारी	1	पूर्ववर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति (चिह्नित करें) ☐ वाणिज्यिक ☐ नकद		
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) ☐ हाँ ☐ नहीं		
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(3)]	3क	
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटीकरण मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(4)]	3ख	
	4	पूर्ववर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टाक के मूल्यांकन के पद्धति		
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)		☐
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)		☐
ग	क्या स्टाक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं			

	घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ	
	ङ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ	
5	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित है--			
	क	धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें	5क	
	ख	प्रोफार्मा क्रेडिट, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय अथवा विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर के प्रतिदाय या जीएसटी के प्रतिदाय, जहां ऐसे क्रेडिट, वापसी या प्रतिदाय प्राधिकारियों द्वारा शोध्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।	5ख	
	ग	पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावे	5ग	
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ	
	ङ	पूंजी रसीद, यदि कोई है	5ङ	
	च	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क + 5ख + 5ग + 5घ + 5ङ)	5च	
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें			
	क	स्टाक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(iख)]	6ख	
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभांश के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग	
	घ	उधार ली गई पूंजी के संबंध में संदत्त ब्याज की रकम [36(1)(iii)]	6घ	
	ङ	शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iiiए)]	6ङ	
	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
	छ	किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
	ज	धारा 80 ग ग घ में विनिर्दिष्ट पेंशन स्कीम को शेयरदान की रकम	6ज	
	झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
	ञ	किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ	
	ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या ईएसआई अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि को शेयरदान के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई रकम या सम्यक तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में नहीं जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि [36(1)(vk)]	6ट	
	ठ	इबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
	ड	इबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(viiक)]	6ड	
	ढ	किसी विशेष आरक्षित को अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	
	ण	कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	

	त	प्रतिभूतियों में संव्यवहार की बाबत संदत्त प्रतिभूतियों की रकम, यदि ऐसी आय को कारबार आय में सम्मिलित नहीं किया गया है [36(1)(xv)]	6त		
	थ	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आई सी डी एस के अनुसार बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित नुकसान को संगणित रूप में चिन्हित [36(1)(xviii)]	6 थ		
	द	कोई अन्य नामंजूरी	6 द		
	ध	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (6 क से 6 द का योग)			
7	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम				
	क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क		
	ख	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय [37(1)]	7ख		
	ग	कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए संपूर्ण रूप से और अनन्य रूप से नहीं अधिकथित या व्यय किए गए व्यय [37(1)]	7ग		
	घ	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोविनेर ब्रोचर, ट्रेक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ		
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ		
	च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च		
	छ	किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय	7छ		
	ज	किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज		
	झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	7झ		
ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग)			7ञ	
8	अ	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (i) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अक		
	ख	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (i क) XVII- ख	अख		
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII के उपबंधों की अननुपालना पर, धारा 40(क) (ix) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अग		
	घ	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (iii) के अधीन अनुज्ञेय रकम XVII-ख	अघ		
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40 (क) (ii)]	अङ		
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40(क)(iiक)]	अच		
	छ	धारा 40(क)(iiख) के अनुसार स्वामिस्व अनुज्ञप्ति फीस, सेवा फीस आदि के माध्यम से संदत्त रकम	अछ		
	ज	किसी भी साथी या सदस्य को देय ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक की राशि धारा [40(ख)/40(खक)] के अधीन अस्वीकार्य	अज		
	झ	कोई अन्य नामंजूरी	अझ		
ञ	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (अक से अठ का योग)			8अञ	
आ	किसी पूर्वगामी पूर्ववर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम			8आ	
9	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम				
क	धारा 40क (2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम	9क			

		धारा 40क(3) के अधीन आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख		
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40क(7)]	9ग		
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्यक्ति निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारित द्वारा संदत्त कोई राशि ; [40क(9)]	9घ		
	ङ	कोई अन्य नामंजूरी	9ङ		
	च	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (कुल 9क से 9ड)	9च		
10	किसी पूर्वगामी पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय, किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	10ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	घक	ऐसे ऋण या उधार से संबंधित समझौते निबंधन और शर्तों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में से देय कोई रकम	10घक		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
	च	अवकाश नकदीकरण के मद्दे संदेय कोई राशि	10च		
	छ	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	10छ		
	ज	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे 15 सूक्ष्म या लघु उद्यम की संदेय कोई रकम	10ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (18क से 18ज का योग)	10झ		
11	पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखा को विकलित कोई रकम किन्तु 43 ख के अधीन अनुज्ञेय				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		

	घक	ऐसे ऋण या उधार से संबंधित समझौते निबंधन और शर्तों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में से देय कोई रकम	11	घक	
	ड	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ड		
	च	अवकाश नकदीकरण के मदे संदेय कोई राशि	11च		
	छ	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	11छ		
	ज	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे सूक्ष्म या लघु उद्यम की संदेय कोई रकम	11ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)	11झ		
12	निम्नलिखित लेखाओं के संबंध में बकाया जमा की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग		
	घ	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ		
	ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ		
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	कोई अन्य रकम	12ज		
	झ	बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)	12झ		
13	धारा 33क ख या धारा 33 क ख क के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम				13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम				14
15	लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम				15
16	धारा 14क के अधीन नामंजूर व्यय की रकम				16
17	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन नामंजूर किए जाने वाले ब्याज				17
18	क्या निर्धारिती धारा 92 गड की उपधारा 2क के अधीन विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही ☒ का निशान लगाएं ☐ हां नहीं ☐ [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]				18

भाग क-मात्रात्मक ब्यौरे		मात्रात्मक ब्यौरे (आज्ञापक, यदि धारा 44कख के अधीन लेखा संपरीक्षा के लिए दायी है)		
मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	किसी व्यवसाय समुत्थान की दशा में		
	1	आरंभिक स्टाक	1	
	2	पूर्ववर्ष के दौरान क्रय	2	
	3	पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय	3	
	4	अंतिम स्टाक	4	
	5	कमी/अधिक यदि कोई हो	5	
	(ख)	किसी निर्माणकारी समुत्थान की दशा में		
	6	कच्ची सामग्री		

		क	आरंभिक स्टॉक	6क	
		ख	पूर्ववर्ष के दौरान क्रय	6ख	
		ग	पूर्ववर्ष के दौरान खपत	6ग	
		घ	पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय	6घ	
		ङ	अंतिम स्टॉक	6ङ	
		च	प्राप्त तैयार माल	6च	
		छ	प्राप्ति की प्रतिशतता	6छ	
		ज	कमी/अधिक, यदि कोई हो	6ज	
		7	तैयार माल / उपोत्पाद		
		क	आरंभिक स्टॉक	7क	
		ख	पूर्ववर्ष के दौरान क्रय	7ख	
		ग	पूर्ववर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
		घ	पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय	7घ	
		ङ	अंतिम स्टॉक	7ङ	
		च	कमी/अधिक, यदि कोई हो	7च	

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची वेतन		वेतन से आय का ब्यौरा	
वेतन	नियोजक का नाम	नियोजक की प्रकृति (सही का निशान लगाएं) ☒ (ड्रॉप डाऊन दिया जाएगा)	नियोजक का टैन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)
	नियोजक का पता	नगर / शहर	राज्य
			पिन कोड / ज़िप कोड
	1 सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च)		1
	क धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)	1क	
	ख धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)	1ख	
	ग धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)	1ग	
	घ धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय	1घ	
	ङ अधिसूचित देश(घ) के अतिरिक्त के अधीन देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1ङ	
	च गत वर्ष के दौरान प्रभार्य आय जिसमें धारा 89क के अधीन अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में छूट का दावा किया गया	1च	
(एक से अधिक नियाजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़े)			
2 कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)	2		
2क धारा 89 क के अधीन कराधान से राहत के लिए आय का दावा	2क		
3 धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाईलिंग उपयोगिता में ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए) (टिप्पण: सुनिश्चित करें कि यह उपर्युक्त (2) में कुल सकल आय में सम्मिलित है)	3		
4 कुल वेतन (2 - 2क - 3)	4		
5 धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)	5		
क धारा 16(िक) के अधीन मानक कटौती	5क		
ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख		
ग धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	5ग		
6 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)	6		

अनुसूची गृह संपत्ति		गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (संपत्ति का स्वामित्व दर्शित करने वाला ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)	
गृह संपत्ति	1 संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य
			दिश
			पिन कोड / ज़िप कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)		
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%) ☐		
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या
	संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता		
	I		
	II		
	/लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) ☒		किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(
किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)			
☐ यदि किराए पर हो	I		
☐ स्वयं के उपभोग में	II		

अनुसूची – कारबार या वृत्ति		कारबार या वृत्ति से आय की संगणना				
कारबार या वृत्ति से आय	अ	सट्टा कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से				
	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (लाभ और हानि का मद 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii) ,65(iv) और 66(ii))			1	
	2क	1 में सम्मिलित सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें) /क्रम सं. 12ख का ट्रेडिंग खाता + क्रम सं 65iv अनुसूची लाभ और हानि का 65(4)/	2क			
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35 कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)	2ख			
	3	धारा 115खखच अथवा 115खखछ अथवा धारा 115खखज के अधीन प्रभार्य अन्य शीर्षों के अधीन आय, लाभ तथा हानि लेख में जमा प्राप्तियां/ आय	क	वेतन	3क	
			ख	गृह संपत्ति	3ख	
			ग	पूंजी अभिलाभ	3ग	
			घ	अन्य स्रोत	3घ	
			ङ	धारा 115खखच के अधीन	3ङ	
			च	115खखछ के अधीन	3च	
3		छ	धारा 115खखज (अधिग्रहण की शुद्ध लागत)	3छ	(अनुसूची वीडिए की मद सं. क)	
4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कघक/44कङ/44ख/44खख/44खखक/44खखग/44खखघ/44घक (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)			4क		

		4ख	नियम 7, 7 क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्रॉप डाऊन जो उपबंधित है और व्यक्तिगत रेखा मद के अनुसार उपबंधित और पकड़ने का ड्राप डाऊन))		4ख	
		5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है			
		क	फर्मों से आय का शेयर	5क		
		ख	एओपी / बीओआई से आय का शेयर	5ख		
		ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विनिर्दिष्ट करें)			
			i	ग i		
			ii	ग ii		
			iii	योग (ग i + ग ii)	5 ग iii	
		घ	कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 ग iii)	5 घ		
		5क	लाभ और हानि खाते में जमा की गई आय या प्राप्ति जो अधिनियम के अधीन कर प्रभार्य नहीं होगी	5क		
		6	शेष (1- 2 क - 2 ख - 3 क - 3 ख - 3 ग - 3 घ - 3 च - 3 छ - 4क - 4ख - 5घ - 5क)	6		
		7	लाभ तथा हानि लेखा में विकलित व्यय धारा 115खखच अथवा 115खखछ अथवा धारा 115खखज के अधीन प्रभार्य आय से संबंधित अन्य शीर्ष के अधीन परिकलित आय	क वेतन ख गृह संपत्ति ग पूँजी अभिलाभ घ अन्य स्रोत ङ धारा 115खखच के अधीन च 115खखछ के अधीन छ धारा 115खखज (अधिग्रहण की लागत से भिन्न)	7क 7ख 7ग 7घ 7ङ 7च 7छ	
		8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो आय छूट से संबंधित है	8क		
		8ख	धारा 14क के अधीन लाभ और हानि लेखे में से विकलित व्यय, जो आय से छूट देने और नामंजूर होने से संबंधित है (भाग क- अन्य जानकारी का 16)	8ख		
		9	कुल (7क+7ख+7ग+7घ+7ङ+7च+7छ+8क+8ख)	9		
		10	समायोजित लाभ या हानि (6 + 9)	10		
		11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और उपकरण	11		
		12	आय-कर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण			
		i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची अवक्षयण का स्तंभ 6)	12i		
		ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना स्वयं करे और आय-कर नियम का परिशिष्ट 1क निर्दिष्ट करें)	12ii		
		iii	कुल (12i + 12ii)	12iii		
		13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)	13		
		14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क-ओआई का 6ध)	14		
		15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क-ओआई का 7 य)	15		
		16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओआई का 8कड)	16		

	17	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओआई का 9 च)	17		
	18	पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा-- 43ख के अधीन अनुज्ञेय हैं (भाग क -ओआई का 11ज)	18		
	19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उधम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज (भाग क -ओआई का 17)	19		
	20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20		
	21	धारा 32कघ / 32कग / 33कख / 33कखक / 35कखक / 35कखख / 35 कग / 40 क(3क) / 33कग / 72 क / 80 झझघ / 80-1क के अधीन समझी गई आय	21		
	22	धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय	22		
	23	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	23		
	24	कोई अन्य आय, जो लाभ और हानि में सम्मिलित नहीं है/ अननुज्ञात कोई व्यय (जिसके अधीन उस फर्म से, जिसमें कोई व्यक्ति/हिंदू अविभक्त कुटुंब/स्वामित्वधारी समुत्थान भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है)	24		
	25	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में वृद्धि या हानि में कभी (अनुसूची गझ के स्तम्भ 3क + 4छ)	25		
	26	कुल (14+15+16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)		26	
	27	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27		
	28	लाभ और हानि लेखा को विकलित रकम से अधिक में धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौतियों की रकम (अनुसूची डधद की मद 10(41) (यदि धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती योग्य रकम पी एल लेखा को विकलित रकम से काम है तो यह मद 24 में जाएगी)	28		
	29	किसी पूर्वगामी पूर्ववर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम (भाग क- ओआई का 8ख)	29		
	30	किसी पूर्वगामी पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -ओआई का 10ज)	30		
	31	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	31		
	32	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में कमी या हानि में वृद्धि (भाग क -ओआई का स्तम्भ 3ख + 4ड)	32		
	33	कुल (27+28+29+30+31+32)		33	
	34	आय (13+26-33)		34	
	35	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ या हानि -			
	i	धारा 44कघ (अनुसूची लाभ हानि का 61(ii))	35i		
	ii	धारा 44कघक (अनुसूची लाभ हानि का 62 (ii))	35ii		
	iii	धारा 44कड (अनुसूची लाभ हानि का 63(ii))	35iii		
	iv	धारा 44ख	35iv		
	v	धारा 44खख	35v		
	vi	धारा 44खखक	35vi		
	vii	धारा 44खखग	35vii		
	viii	धारा 44खखघ	35viii		
	ix	धारा 44घक	35ix		
	x	धारा 44घक (प्ररूप उ ग ड की मद प)	35x		
	xi	कुल (35i से 35vii)	35xi		
	36	सहा के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 35viii)		36	

37	सट्टा कारबार से भिन्न कारबार या वक्तिक से शुद्ध लाभ या हानि और नियम 7 का, 7 ख लागू हाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कारबार यदि लागू है (यदि नियम 7 क, ख लागू नहीं है, तो 40 के अनुसार वही अंक भरे) (यदि हानि है तो मद 5 का 2 i से अंक लें) (37क + 37ख + 37ग + 37घ + 37ङ + 37च)				क 37	
	क	नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	37क			
	ख	नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ख			
	ग	नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ग			
	घ	नियम 7ख (1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37घ			
	ङ	नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ङ			
	च	नियम 7क, 7ख और नियम 8 से भिन्न आय (मद सं. 40)	37च			
38	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के संकलन के उद्देश्य के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू के पश्चात्, कृषि से समझी गई आय का अतिशेष [4ख- (37क+ 37ख + 37ग+ 37घ + 37ङ.)]				38	
आ सट्टा के कारबार से आय की संगणना						
39	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (मद सं. 2क)				39	
40	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन				40	
41	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां				41	
42	अनुमानित कारबार से आय (39 + 40 - 41) (यदि हानि है तो अनुसूची ग च ठ के 6xix से अंक लें)				ख 42	
इ धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना						
43	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि				43	
44	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन				44	
45	धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार कटौतियों ((i) धारा 35कछ, (ii) धारा 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न, जिस कटौती का दावा धारा 35कछ के अधीन किया गया है)				45	
46	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (43 + 44 - 45)				46	
47	धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियाँ				47	
48	अनुमानित कारबार से आय (46 - 47) (यदि हानि है तो अनुसूची सीएफएल के 7xix से अंक लें)				ग 48	
49	धारा 35कछ की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड, जिसमें विनिर्दिष्ट कारबार भी सम्मिलित है (ड्रॉप डाऊन मेन्यू से चयनित की जाए)				ग 49	
उ	कारबार वृत्तिक से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 37+ ख 42+ ग 48)				उ	
ऊ चालू वर्ष की कारबार हानि का अन्तः मुजराई शीर्ष						
टिप्पण	क्र.सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (यह स्तंभ तभी भरे जब अंक शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई कारबार हानि	मुजरा होने के पश्चात शेष कारबार आय	
			(1)	(2)	(3)=(1) - (2)	
	i	मुजरा किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल तब भरे यदि अंक नकारात्मक है)		(क 37)		
	ii	अनुमानित कारबार से आय	(ख 42)			
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 48)			
	iv	मुजरा की गई कुल हानि (ii + iii)				
	v	मुजरा होने के बाद शेष हानि (i - iv)				
टिप्पण			कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें			

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण		संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)			
		संयंत्र और मशीनरी			
		15	30	40	45
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	आस्तियों का ब्लाक				
2	दर (%)				
3	पूर्ववर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
3	धारा 115खकग की उपधारा (3) के दूसरे उपबंध के अनुसार समायोजन (नियम 5 के प्रतिनिर्देश)				
3	कुल (3क) + (3ख)				
4	पूर्ववर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3ख या 4 में से पूर्ववर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन				
6	रकम, जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3ख+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्ववर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन				
9	रकम, जिस पर अवक्षयण आधी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम ऋणात्मक है, तो शून्य लिखें)				
10	6 पर पूरी दर से अवक्षयण				
11	9 पर आधी दर से अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति, जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण (10+11+12+13+14)				
16	आय-कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तम्भ 15 में से)				
17	शुद्ध संकलित अवक्षयण (15-16)				
18	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)				
19	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				

20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 - 3ख - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्ववर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण			अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न, जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)						
अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
	2	दर (%)	कुछ नहीं	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	पूर्ववर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
	4	पूर्ववर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
	5	3 या 4 में से पूर्ववर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)							
	7	पूर्ववर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	9	रकम, जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	10	6 पर पूरी दर से अवक्षयण							
	11	9 पर आधी दर से अवक्षयण							
	12	कुल अवक्षयण (10+11)							
	13	आय-कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अनुज्ञान अवक्षयण (स्तम्भ 12 में से)							
	14	शुद्ध संकलित अवक्षयण (12-13)							
	15	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 14 में से)							
	16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
	17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/ हानि (5 + 8 – 3 - 4 -7 -16) (केवल तभी नकारात्मक लिखें, यदि ब्लॉक नहीं हैं)							
18	पूर्ववर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य (6+ 9 - 12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)								

अनुसूची - आस्तियों पर अवक्षयण का सार			आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)			
आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी				
	क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17 <i>i</i> या 18 <i>i</i> यथालागू)		1क		
	ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17 <i>ii</i> या 18 <i>ii</i> यथालागू)		1ख		

		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii यथालागू)	1ग			
		घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, यथालागू)	1घ			
		ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1 घ)			1ङ	
	2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)					
		क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii यथालागू)	2क			
		ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii यथालागू)	2ख			
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची आस्तियों पर अवक्षयण 14iv या 15iv यथालागू)	2ग			
		घ	भवन पर कुल अव्यक्षण (योग (2क + 2ख + 2ग))			2घ	
	3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए 14v या 15v यथालागू)				3	
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi यथालागू)				4	
	5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii यथा लागू)				5	
	6	कुल अवक्षयण (1ङ + 2घ + 3 + 4 + 5)				6	

**अनुसूची अवक्षणीय आस्तियों के
विक्रय पर समझा गया पूंजी
अभिलाभ**

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1		संयंत्र और मशीनरी					
		क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क			
		ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख			
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग			
		घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 20iv)	1घ			
		ङ	कुल (1क+1ख+1ग+1 घ)			1ङ	
2		भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)					
		क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17ii)	2क			
		ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17iii)	2ख			
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17iv)	2ग			
		घ	योग (2क+2ख+2ग)				
3		फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17v)				3	
4		अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीईए 17vi)				4	
5		पोत (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17vii)				5	
6		कुल (1ङ +2घ+3+4+5)				6	

अनुसूची इ.एस.आर		वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35गगग या 35गगघ के अधीन कटौती)		
क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती की रकम	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3) – (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iiक)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अअ)			
vii	35(2अआ)			
Viii	35गगग			
ix	35गगघ			
x	योग			
टिप्पण▶	धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iiक) या धारा 35(1)(iii) या धारा 35(2कक) के अधीन की गई कटौती की दशा में (कृपया अनुसूची आरए के अनुसार ब्यौरे उपलब्ध कराएं)			

अनुसूची पूंजी अभिलाभ										पूँजी अभिलाभ		
अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ	अ	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (एसटीसीजी) (अनिवासियों के लिए उपमद 4 और 5 लागू नहीं)										
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से(प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें)										
		क्रय/अधिग्रहण की तारीख		तारीख/मास/वर्ष		बिक्री/स्थानांतरण की तारीख		तारीख/मास/वर्ष				
	क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य					कi				
		ii	स्टॉक मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य					कii				
		iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(कii) के 1.10 गुणा से अधिक न होने की दशा में (कi), इन अंकों को (कi) के रूप में ले या अन्यथा (कii) लें]					कiii				
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां										
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत					खi				
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत					खii				
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय					खiii				
		iv	योग (खi + खii + खiii)					खiv				
	ग	शेष (कiii – खiv)						1 ग				
	घ	धारा 54ख/54छ/54छक के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घमें ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)						1 घ				
	ङ	स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)									क 1 ङ.	
	च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण दें)										
		क्रम सं.	क्रेताओं का नाम	क्रेताओं का पैर/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड	राज्य			
टिप्पण ▶	यदि कर की कटौती धारा 194झक के अधीन की गई है, तो पैर/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है । एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें ।											

2	गिरावट विक्रय से					
	क	i	नियम 11पकड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कi		
		ii	नियम 11पकड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii		
		iii	प्रतिफल का उचित मूल्य (कi या कii में से उच्चतर)	2कiii		
	ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति (प्ररूप 3गड.क का 6 ड.)			2ख	
	ग	गिरावट विक्रय से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2 काiii - 2 ख)				क2ग
3	ईकटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख ईकटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परन्तुक (ऊ॥ के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है (जहां क4 लागू नहीं है)					
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य		3 क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii		
		iv	योग (खi + खii + खiii + खiv)	ख iv		
	ग	शेष (3क - खiv)		3 ग		
	घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अनुज्ञात की जाने वाली हानि -उदाहरण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति क्रय या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिटें प्राप्त की जाती है, तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)		3घ		
	ड	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख ड च (संदत्त एसटीटी) पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (3 ग + 3 घ)			क3ड	
4	अनिवासी के लिए जो एफआईआई नहीं है। - किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांश की बिक्री से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी विनिमय के साथ गणना की जाय)					
	क	धारा 111क के अधीन आने वाले संव्यवहारों पर एसटीसीजी			अ4क	
	ख	क्रम सं. 4 में नहीं आने वाले शेयरों के विक्रय या बंधपत्रों के विक्रय पर एसटीसीजी			अ4ख	
5	अनिवासियों के लिए - धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों (ऊपर अ3 पर से भिन्न) के विक्रय से					
	क	i	प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्योरे प्रविष्ट करें :-			
		क	कोट न किए जाने वाले शेयरों की प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर	i क		
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख		
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए जाने वाले शेयरों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग		
		ii	अधिक कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	ii		
		iii	कुल (i ग + ii)	क iii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii		
		iv	योग (खi + खii + खiii)	ख iv		
	ग	शेष (5कiii - खiv)		5 ग		

			धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि - उदाहरण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति क्रय या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/बोनस यूनिट प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)	5 घ		
		ड	एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (ऊपर अ3 से भिन्न) 5ग+5 घ)		क5ड.	
		6	ऊपर क1 या क2 या क3 या क4 या क5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से			
		क	i आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें			
			क कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	i क		
			ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख		
			ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग		
			ii कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
			iii कुल (iग + ii)	क iii		
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
			i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii		
			ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii		
			iii अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv		
			iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख v		
		ग	शेष (6कiii – खiv)	6 ग		
		घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि -उदाहरण के लिए यदि प्रतिभूति अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिट प्राप्त की जाती है तब ऐसी प्रतिभूति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)	6 घ		
		ड	अवक्षयण योग्य आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीओसीजी का 6)	6 ड		
		च	धारा 54छ /54छक के अधीन कटौतियां	6 च		
		छ	ऊपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एस टी सी जी (6ग + 6घ + 6ड - 6च)		क 6छ	
		7	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			
		क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है ? ☐ हाँ ☐ नहीं ☐ लागू नहीं है, यदि हाँ, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं			
			क्रम संख्या	पूर्ववर्ष, जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा, जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है
						पूर्ववर्ष, जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है
						पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई अधिक राशि
						नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			i	2022-23	54छ /54छक	

[illegible]

	आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (उपमद 5, 6, 7, और 8 निवासियों के लिए लागू नहीं है)								
दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए क से च तक पृथकत: ब्यौरे भरें)								
		क्रय/अधिग्रहण की तारीख		तारीख/वर्ष/मास		विक्रय/अंतरण की तारीख		तारीख/वर्ष/मास		
	क	i	प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण प्रतिफल				कi			
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य				कii			
		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(कii) के (कi) से गुणा न 1.10 होने की दशा में इस संख्या को(कi) के रूप में ले या अन्यथा (कii) लें]				कiii			

		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खा	
			ii	सूचीकरण के साथ अर्जन की लागत (केवल निम्न के लिए लागू : धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणन संबंधी प्रयोजनों के लिए निवासियों को, जहां ऐसा अर्जन और अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले किया जाता है)	खाii	क
			ii	ख	सुधार की कुल लागत	ख
				(क) सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खाiiख(क)	
				(ख) सुधार वर्ष	खाiiख(ख)	
				(ग) सूचीकरण के साथ सुधार लागत ख और ग केवल निम्नलिखित के लिए लागू : धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणन संबंधी प्रयोजनों के लिए निवासियों को जहां ऐसा अर्जन और अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले किया जाता है)	खाiiख(ग)	
				पंक्ति जोड़ें		
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य रूप से व्यय	खiii	
			iv	योग [खा + $\sum$ खाiiख(क) + खiii]	खiv	
			iv	कुल (केवल डाख की संगणना करने हेतु) (खाiiक + $\sum$ खाiiख(ग) + खiii) (धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणना संबंधी प्रयोजनों के लिए नागरिकों को लागू जहां ऐसा अर्जन 23 जुलाई 2024 के पूर्व हुआ है)	खivक	
			ग	शेष (कiii - खiv)	1ग	
			गक	शेष (कiii - खivक) (धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणना संबंधी प्रयोजनों के लिए नागरिकों को लागू जहां ऐसा अर्जन, जुलाई 23 2024 के पूर्व हुआ है) (केवल डाख की संगणना के प्रयोजन के लिए) (नकारात्मक होने पर शून्य माना जाएगा)	1गक	
			घ	धारा 54/54ख/54घ/54ङ/54च/54छ/54जक के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	1घ	
			ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग - 1घ)		ख 1 ङ
			ङक	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1गक - 1घ) (धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणना संबंधी प्रयोजनों के लिए नागरिकों को लागू जहां ऐसा अर्जन, जुलाई 23 2024 के पूर्व हुआ है) (केवल डाख की संगणना के प्रयोजन के लिए) (नकारात्मक होने पर शून्य माना जाएगा)	ख1ङक	
			ङi	जहां अर्जन, जुलाई 23 2024 के पूर्व हुआ है (केवल निवासियों के लिए) क. 112(1)(क)(ii)(ख) के अनुसार कर (1ङ*12.5%) (ख) धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के प्रयोजन के लिए कर (1ङक*20%) (टिप्पण- (ङi) पर संगणित कर 'ङii' में अधिक रकम पर हिसाब में न लिया जाए' का अवधारण करने के लिए है।	ख1ङi(क) ख1ङi(ख)	
			ङii	अधिक रकम, यदि कोई है, जो (केवल निवासियों के लिए) धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अनुसार हिसाब में नहीं ली जानी है [ख1ङi(क) - ख1ङi(ख)]	ख1 ङii	

च	स्थायर संपत्ति को अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (देखें टिप्पण)						
	क्रम सं.	क्रेताओं का नाम	क्रेताओं का पैन्/आधार संख्या	प्रतिशत शेयररकम	संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड	पिन कोड एवं राज्य	
टिप्पण	यदि कर की कटौती धारा 194 झक के अधीन की गई है, तो पैन्/आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है, । एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें ।						
छ	सभी स्थावर संपत्तियां पर कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (Σख1ड)				आ1छ		
ज	कुल अधिक्य कर जिस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा (Σख1डii)				आ1ज		
2	गिरावट विक्रय से						
क	i	नियम 11पकड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य			2काi		
	ii	नियम 11पकड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य			2काii		
	iii	प्रतिफल का उचित मूल्य (का या काii में से उच्चतर)			2काiii		
ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति (प्ररूप 3गडक का 6(ड))				2ख		
ग	शेष (2काiii – 2ख)				2ग		
घ	धारा 54डग/54च के अधीन कटौती (नीचे मद घमें ब्यौरें विनिर्दिष्ट करें)				2घ		
ड	गिरावट विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2घ)				ख2ड		
3	(i) धारा 112(1) के अनुसार सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (किसी ईकाई से भिन्न) या जीरों कूपन बंध पत्र (ii) धारा 115कगक में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी की जीडीआर के विक्रय से (केवल निवासी व्यष्टियों के लिए लागू)						
क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य				3क		
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			खi		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			खii		
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय			खiii		
	iv	योग (खi+खii+खiii)			खiv		
ग	शेष (3क – खiv)				3ग		
घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घमें ब्यौरें विनिर्दिष्ट करें)				3घ		
ड	ऊपर आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, (3ग - 3घ)				आ3ड		
4	किसी कंपनी में साम्या शेयरों के विक्रय या साम्या उन्मुख निधि की यूनिटों या किसी कारबार न्यास की यूनिट का विक्रय, जिसमें धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है						
क	धारा 112क के अधीन एलटीसीजी [अनुसूची 112क का स्तंभ 14]				4क		
ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				4ख		
ग	ऊपर आ4 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, जहां अंतरण (4क – 4ख)				आ4ग		
5	अनिवासियों के लिए – भारतीय कंपनी के असूचीबद्ध शेयरों या सूचीबद्ध डिबेंचर के विक्रय से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ गणना की जाए)						
क	सूचीकरण फायदे के बिना गणना की गई एलटीसीजी, असूचीबद्ध शेयर और सूचीबद्ध डिबेंचर के संबंध में,				5क		

		ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घमें ब्यौरें विनिर्दिष्ट करें)		5ख		
		ग	असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर पर एलटीसीजी (5क - 5ख)			आ5ग	
6	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग) के अनुसार गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, (ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्रों या ग्लोबल निक्षेपागार रसीदों, (iii) धारा 115कघ में यथानिर्दिष्ट एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों (धारा 112 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न, जिसके लिए स्तंभ आ7 भरा जाना चाहिए) के विक्रय से						
	क	i	प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें				
		क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य		iक		
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य		iख		
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)		iग		
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		कii		
		iii	कुल (iग + ii)		कiii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		खi		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत		खii		
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय		खiii		
		iv	योग (खi + खii + खiii)		खiv		
	ग	शेष (कiii - खiv)				6ग	
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घमें ब्यौरें विनिर्दिष्ट करें)			6घ		
	ङ	अनिवासियों की दशा में, ऊपर आ-6 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (6ग - 6घ)				आ6ङ	
7	एफआईआई/एफपीआई (अनिवासियों) के लिए - किसी कारबार न्यास के किसी कंपनी में साम्य शेयरों या किसी साम्य उन्मुक्त निधि के यूनिटों या किसी न्यास की यूनिटों का विक्रय, जिस पर धारा 115कघ के साथ पठित धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है।						
	क	धारा 112क के अधीन एलटीसीजी [अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक का स्तंभ 14]			7क		
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			7ख		
	ग	ऊपर आ7 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (7क - 7ख),				आ7ग	
8	अनिवासी भारतीयद्वारा विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय से (यदि अध्याय 12क के अधीन विकल्प दिया गया है)						
	क	(धारा 115च के अनुसार) के विक्रय पर एलटीसीजी (सूचीकरण के बिना गणना किया गया)			8क		
	ख	धारा 115च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घमें ब्यौरें विनिर्दिष्ट करें)			8ख		
	ग	विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय पर शेष एलटीसीजी (8क - 8ख), जहां अंतरण				आ8ग	
9	आस्तियों के विक्रय से, जहां ऊपर आ1 से आ8 तक लागू नहीं है						
	क	i	आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें				

			क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क			
			ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख			
			ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार अंगीकृत कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ग			
		ii		कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii			
		iii		कुल (ग + ii)	क iii			
		ख		धारा 48 के अधीन कटौतियां				
		i		सूचीकरण के बिना, अर्जन की लागत	खi			
		ii		सूचीकरण के बिना, सुधार की लागत	खii			
		iii		अंतरण के संबंध में पूर्ण एवं अनन्य रूप से व्यय	खiii			
		iv		योग (खi + खii + खiii)	खiv			
		ग		शेष (9कiii - खiv)	9ग			
		घ		धारा 54घ/54च/54छ/54क के अधीन कटौती (मद घमें ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	9घ			
		ङ		ऊपर आ9 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)	आ9ङ			
10				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
		क		क्या नीचे दिखाये गए पूर्ववर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है ? ☐ हाँ ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हाँ, तो ब्यौरा उपलब्ध करायें				
			क्रम संख्या	पूर्ववर्ष, जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	धारा, जिसके अधीन उस वर्ष में कटौती का दावा किया गया	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाते में उपयोग में नहीं आई रकम	
						पूर्ववर्ष, जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाते में से उपयोग की गई रकम	
		i	2022-23	54/54घ/54च/54छ/54क				
		ii	2023-24	54/54ख/54घ/54च/54छ/54क/54ख				
		iii	2024-25	54/54ख/54घ/54छ/54क				
		ख		'क' से भिन्न, दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई रकम			ख	
				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई कुल रकम (कxi+कxii+कxiii+ख)			आ10	
11				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में पास थ्रु आय/हानि (अनुसूची पीटीआई भरे) (आ11क1+ आ11कख)			आ11	
		क1		धारा 112क के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य, दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में पास थ्रु आय/हानि			आ11क1	

		क2	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य, दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में पास थ्रु आय/हानि					आ11क2					
	12	एलटीसीजी की रकम, जो मद आ1 से आ11 में सम्मिलित है, परंतु जिसका डीटीए के अनुसार कर के लिए प्रभार्य नहीं या विशेष दरों पर प्रभार्य का दावा किया गया है(केवल अनिवासी के लिए लागू होगा)											
		क्रम संख्या	आय की रकम	ऊपर मद सं. ख1 से ख11, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की वस्तु	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है, तो शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर [(6) या (9) के नीचे]		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		I											
		II											
		क	डीटीए के अधीन कर से प्रभार्य नहीं दावाकृत एलटीसीजी की कुल रकम									आ12क	
		ख	डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभार्य दावाकृत एलटीसीजी की कुल रकम									आ12ख	
आ (अ)		वापस किए गए शेयरों पर पूंजी हानि (12.5%/ (केवल तभी दावा किया जा सकता है, जब संबंधित लाभांश आय धारा 2(22)(च) के अधीन अनूसूची ओ.एस. के 1कiii या क्र.सं. 2घ/2ड. में प्रस्तावित की जाती है)										आ(अ)	
	13	आय-कर अधिनियम के अधीन प्रभार्य कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ [आ1छ + आ2ड + आ3ड + आ4ग + आ5ग + आ6ग + आ7ग + आ8ग + आ9ड. + आ10 + आ11 - आ12क +आ(अ)]										ख13	

ग1	पूँजी अभिलाभ आय की राशि (नीचे सारणी उ का 8ii + 8iii + 8iv + 8v + 8vi + 8vii)				ग		
ग2	आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण से आय (अनुसूची वीडिए की मद सं. ख)				ग2		
ग3	“पूँजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (ग1 + ग 2)				ग3		
घ	पूँजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती के बारे में सूचना						
1	धारा 54/54 ख /54 घ/ 54ङग /54 च /54 छ/54 छक /54छ ख /115 च के अधीन कटौती के मामले में निम्नलिखित ब्यौरे दें						
	क	धारा 54 के अधीन दावाकृत कटौती					
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख		क i	दिन/मास/वर्ष		
		ii नये आवासीय घर की लागत		क ii			
		iii नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख		क iii	दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई		
		iv नियत तारीख के पूर्व पूँजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम		क iv			
		ivक निक्षेप की तारीख		ivख लेखा संख्याक	ivग आईएफएस कोड		
	दिदि/मामा/वाईवाईवाईवाई						
	v	दावाकृत कटौती की रकम		क v			
ख धारा 54ख के अधीन दावाकृत कटौती							

			i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ख i	दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई	
			ii	नई कृषि भूमि की लागत	ख ii		
			iii	नई कृषि भूमि के क्रय की तारीख	ख iii	दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई	
			iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ख iv		
				ivक जमा की तारीख	ivख लेखा संख्याक	ivग आईएफएस कोड	
				दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई			
			v	दावाकृत कटौती की रकम	ख v		
		ग	धारा 54घ के अधीन दावाकृत कटौती				
			i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई	
			ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि या भवन के क्रय / विनिर्माण की लागत	ग ii		
			iii	नए भूमि या भवन के क्रय विनिर्माण की तारीख	ग iii	दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई	
			iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ग iv		
				ivक जमा की तारीख	ivख लेखा संख्याक	ivग आईएफएस कोड	
				दिदि/मामा/वाईवाईवाईवाई			
			v	दावाकृत कटौती की रकम	ग v		
		घ	धारा 54ङ के अधीन दावाकृत कटौती				
			i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घi	दिन/मास/वर्ष	
			ii	विनिर्दिष्ट अधिसूचित बंधपत्र में विनिहित की गई रकम	घii		
			iii	विनिधान की तारीख	घiii	दिन/मास/वर्ष	
			iv	दावाकृत कटौती की रकम	घiv		
		ङ	धारा 54 च के अधीन दावाकृत कटौती				
			i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ङi	दिन/मास/वर्ष	
			ii	नये आवासीय घर की लागत	ङii		
			iii	नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख	ङiii	दिन/मास/वर्ष	
			iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ङiv		
				ivक जमा की तारीख	ivख लेखा संख्याक	ivग आईएफएस कोड	
				दिदि/मामा/वाईवाई			
			v	दावाकृत कटौती की रकम	ङv		
		च	धारा 54छ के अधीन दावाकृत कटौती				
			i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	चi	दिन/मास/वर्ष	
			ii	नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	चii		
			iii	शहरी क्षेत्र से भिन्नक्षेत्र में नई आस्ति के क्रय / विनिर्माण की तारीख	चiii	दिन/मास/वर्ष	

उत्त उत्त उत्त									
चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ष की पूंजी हानि का मुजरा (9क और आ13क में सम्मिलित डीटीए के अधीन प्रभार्य रकम के सिवाय)									
क्र. सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष का पूंजी अभिलाभ (इस स्तंभ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि		मुजराई के पश्चात चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ = 1-2-3-4-5-6-7)* 8
			20%	30%	लागू दर	डीटीए दर	12.5%	डीटीए दर	
		1	2	3	4	5	6	7	8

i	मुजराई की जाने वाली पूंजी हानि (इस स्तंभ को केवल तभी भरें, जब संगणित अंक नकारात्मक हों)		अ3 ड* + अ4 क* + अ8 क* + अ(अ)	अ5 ड.* + अ8 ख* + अ(अ)	अ1 ड* + अ2 ग* + अ4 ख* + अ6 छ* + अ7 ग* + अ8 ग*) + अ(अ)	अ9 ख	(आ1छ* + आ2ड* + आ3ड.* + आ4ग* + आ5ग* + आ6ड.* + आ7ग* + आ8ग* + आ9ड.* + आ10* + आ11क1* + आ11क2* + आ(अ))	आ 7 2ख	
ii		20 %	अ3 ड* + अ4 क* + अ8 क* + अ(अ)						
iii		30 %	अ5 ड.* + अ8 ख* + अ(अ)						
iv	अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	लाभ दर	अ4ख* + अ6छ* + अ7ग* + अ8ग*) + अ(अ)						
v	डी टी ए दर		अ9ख						
vi	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	12.5 %	(आ1छ* + आ2ड* + आ3ड.* + आ4ग* + आ5ग* + आ6ड.* + आ7ग* + आ8ग* + आ9ड.* + आ10* + आ11क1* + आ11क2* + आ(अ))						
vii	डी टी ए दर		आ 7 2ख						
viii	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi + vii)								
ix	मुजरा के पश्चात शेष हानि (i - viii)								
इस तालिका में एसटीसीजी के आंकड़े (क1ड* आदि) एसटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित स्तंभ (क1 से क 8) में समान प्रतिभूतियों के साथ मुजरा करने के पश्चात् एसटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीए के अनुसार कर प्रभार्य नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभार्य है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।									
इस तालिका में एलटीसीजी के आंकड़े (ख1ड* आदि) एलटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित स्तंभ (ख1 से ख11) में समान प्रतिभूतियों के साथ मुजरा करने के पश्चात् एलटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीए के अनुसार कर प्रभार्य नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभार्य है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।									

च	पूँजी अभिलाभ का प्रोद्भव/ प्राप्ति के बारे में सूचना						
		पूँजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)
	1	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5 vi से मूल्य भरें, यदि कोई					

[illegible]

						गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।								
(स्तं भ 1)	(स्तंभ 1क) (	(स्तंभ 2)	(स्तं भ3)	(स्तं भ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तं भ 7)	(स्तं भ 8)	(स्तंभ 9)	(स्तंभ 10)	(स्तंभ 11)	(स्तं भ 12)	(स्तं भ 13)	(स्तंभ 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़ें														
योग														

अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii) (परंतुक		गैर-निवासियों के लिए किसी कंपनी या इक्विटी ओरिएंटेड निधि की इकाई या करोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के साथ पठित धारा 115कघ(1)(ख)(iii)अधीन एसटीटी का भुगतान किया जाता है												
क्रम सं.	अर्जित शेयर/इकाई (31 जनवरी 2018 को या उसके पूर्व/पश्चात्)	आईएसआईएन कोड	शेयर/इकाई का नाम	शेयर/इकाई की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य, - यदि शेयर्स 31.0 1.20 18 या उस से पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य)	अनुक्रम के बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक)	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.0 2.20 18 से पहले अधिग्रहण किया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी 2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)-(4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) - आईटी आर-3 की एलटी सीजी अनुसूची की मद 8 (क)

						(4*5) यदि शेष सं 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रति फल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।								
(स्तं भ 1)	(स्तं भ 1क)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ.3)	(स्तं भ 4)	(स्तं भ 5)	(स्तं भ 6)	(स्तं भ 7)	(स्तं भ 8)	(स्तंभ 9)	(स्तं भ 10)	(स्तं भ 11)	(स्तंभ 12)	(स्तं भ 13)	(स्तंभ 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़ें														
योग														

अनुसूची वी.डी.ए	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय टिप्पण : प्रत्येक संव्यवहार के ब्यौरे जिसमें प्रत्येक अंतरण एक संव्यवहार है, भरे जाएंगे					
क्रम सं.	अधिग्रहण की तारीख	अंतरण की तारीख	शीर्ष जिसके अधीन आय पर कर लगे हैं(कारबार/ पूंजी अभिलाभ)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में: क) धारा 56(2)(x) के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें। यदि कोई ख) किसी भी अन्य मामले में, पिछले मालिक को लागत	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम(हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 – स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
पंक्तियां जोड़ें						
क. कुल (स्तंभ 7 की समस्त सकारात्मक आय की राशि)						(अनुसूची बीपी का मद सं. क 3छ)
ख. कुल(स्तंभ 7 के कारबार आय की समस्त सकारात्मक आय की राशि)						(अनुसूची सी.जी का मद सं. ग 2)

अनुसूची-अन्य स्रोत		अन्य स्रोतों से आय			
1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1			
	क लाभांश, सकल (का + काii + काiii)	1क			
	i ii और iii के अलावा लाभांश आय	का			
	ii धारा 2(22)(ड) के अधीन लाभांश आय	काii			
	iii धारा 2(22)(च) के अधीन लाभांश आय	काiii			
	ख ब्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii + खix)	1ख			
	i बचत खाते से	खi			
	ii जमा (बैंक / डाक घर / सहकारी सोसायटी) से	खii			
	iii आय-कर प्रतिदाय से	खiii			
	iv पास थ्रु आय की प्रकृति की आय में	खiv			
	v धारा 10(11) के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज 10(12)	खv			
	vi धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खvi			
	vii धारा 10(12) के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खvii			
	viii धारा 10(12) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खviii			
	ix अन्य कंपनी एनबीएफसी और एच एफ सी से ब्याज सहित	खix			
	ग मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग			
	घ धारा 56(2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घi + घii + घiii + घiv + घv)	1घ			
	i प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घi			
	ii यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii			
	iii यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii			
	iv प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv			
	v यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv			
	ङ कोई अन्य आय (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	1ङ			
	क्र.सं. प्रकृति	राशि			
	1 परिवार पेंशन				
	2 धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय				
	3 धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय				
	4 किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें धारा 89क के अधीन गत वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर छूट का दावा किया गया।				
	5 पूर्व वर्ष के दौरान धारा 56(2) (xii) में निर्दिष्ट किसी कारबार न्यास के किसी यूनिट धारा द्वारा प्राप्त हुई कोई विनिर्दिष्ट राशि				
	6 पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय धारा 56(2) (xiii) में निर्दिष्ट किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त हुई कोई राशि, जिसके अंतर्गत लाभांश के रूप में आबंटित रकम भी				
	आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती				
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2कi + 2कii + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ + 2च क्रम सं. 1 से संबंधित)	2			
	कi लाटरी, क्रास वर्ड, पहेली, दौड़, कार्ड खेल आदि से जीत, धारा 115खख के अधीन प्रभार्य	2कi			
	कii धारा 115खख के अधीन प्रभार्य ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय	2कii			

		ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)				2ख	
		i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड	खi				
		ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii				
		iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii				
		iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv				
		v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv				
		vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi				
		ग	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष				2ग	
			क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ		
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)		
		घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (घ/से घxxi का योग)				2घ	
		i	अनिवासी (कंपनी नहीं होते हुए) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश कंपनी धारा 115 क(1) (क) (i), धारा 115 क(1) (क) (अ) के परंतुक के सिवाय अधीन प्रभार्य	घi				
		ik	अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी यूनिट, विदेशी कंपनी जो धारा 80 ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है, धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन प्रभार्य, प्राप्त हुआ लाभांश	घik				
		ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकारी या विदेशी समुत्थान से विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्राप्त ब्याज	घii				
		iii	धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	घiii				
		iv	धारा 194ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकक) @5% के अधीन प्रभार्य	घiv				
		v	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य	घv				
		vi	वितरित आय जो ब्याज है, जिसे धारा 194ठखक में निर्दिष्ट किया गया है - धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य	घvi				
		vii	यूटीआई की यूनिटों या धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधियों जिन्हें विदेशी मुद्रा में क्रय किया गया है, से आय - धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	घvii				
		viii	सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय - धारा 115क(1)(ख)(क) & 115क(1)(ख)(ख) के अधीन प्रभार्य	घviii				
		ix	बंधपत्रों से ब्याज या लाभांश के माध्यम से या अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से आय - धारा 115कग के अधीन प्रभार्य	घix				
		x	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जी.डी.आर के लाभांश पर आय	घx				
		xi	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से लाभांश के माध्यम से आय - धारा 115कगक के अधीन प्रभार्य	घxi				
		xii	प्रतिभूतियों के संबंध में किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त आय (लाभांश से भिन्न) - धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य	घxii				
		xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्र या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफ आई आई द्वारा प्राप्त ब्याज के माध्यम से आय परंतुक के अनुसार प्रभार्य	घxiii				

[illegible]

5क	धारा 89 क के अधीन कराधान से राहत के लिए आय का दावा						5क	
6	साधारण लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोंतों से शुद्ध आय [1 (डीटीएए अंश से संबंधित आय को घटाने के बाद) - 3 + 4 + 5 - 5क] यदि ऋणात्मक है तो अनुसूची सीवाईएलए के 4i को अंक ले जाए						6	
7	अन्यस्रोतों से आय(दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)						7	
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय							
	क	प्राप्तियां	8क					
	ख	केवल 8क में प्राप्तियों के संबंध मं धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख					
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग					
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ					
	ङ	अतिशेष (8क - 8ख+ 8ग+ 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रनीत हानियों 10xvi के अंक प्रविष्ट करें)					8ङ	
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय(7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्यलिखें)						9	
10	प्रौद्भूत / अन्य स्त्रोंतों से आय की प्राप्ति के विषय में सूचना							
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16 12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
	1	धारा 2(24)(ix) में संदर्भित लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुड़दौड़ खेल, जुआ , सट्टेबाजी से जीत पर आय						
	2	धारा 115खखज के अधीन ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय						
	3क	क्रम सं. 1ए(i) में संदर्भित लाभांश पर आय						
	3ख	क्रम सं. 1ए(iii) में संदर्भित लाभांश पर आय						
	4	धारा 115क(1)(क)(i)के अधीन,धारा 115क(1)(ए)(i) के अधीन 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
	5	धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन 10%की दर से लाभांश आय(जिसके अंतर्गत पीटीआई आय भी सम्मिलित है)						
	6	धारा 115कग के अधीन 10% की दर से लाभांश आय						
	7	धारा 115कगक (1)(ए) के अधीन 10% की दर से लाभांश आय(पी.टी.आई आय शामिल)						
	8	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय(पी.टी.आई आय शामिल)						

		9	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय किंतु धारा 89 के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा नहीं						
		10	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभाय लाभार्थ आय						
टिप्पण▶		कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय को सम्मिलित करें							

अनुसूची सी.वाई.एल.ए

चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय केव्योरे

क्र.सं.	शीर्ष/आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को तब भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न) कारबारहानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़ दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	मुजरा किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल तब भरें यदि संगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची गृह संपत्ति का 3)	(अनुसूची बीपी की मद ड. का 2v)	(अनुसूची ओएस का 6)	
ii	वेतन	(अनुसूची ध का 6)				
iii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची गृह संपत्ति का 3)				
iv	कारवार से आय (विनिर्दिष्ट कारवार से सट्टा पर लाभ और आय को अपवर्जित करते हुए) या वृत्ति	(अनुसूची बीपी का क 37)				
v	सट्टाबाजी से आय	(अनुसूची बीपी की मद ड का 3 ii)				
vi	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची बीपी की मद ड का 3 iii)	-			
vii	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8ii)				
Viii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8iii)				
ix	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8iv)				
X	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8v)				
xi	12.5 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8vi)				

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन

xii	डीटीए के अनुसार भारत के में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8vii)				
xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्थ अन्य स्तोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ओएस का 6)				
xiv	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ओएस का 8इ)				
Xv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्तोतो से आय	(अनुसूची ओएस का 2च)				
xvi	मुजरा की गई कुल हानि					
xvii	मुजरा करने के पश्चात शेष हानि (i - xv)					

अनुसूची बी.एफ.एल.ए पूर्वतर वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे							
अग्रणीत की गई हानि का समायोजन	क्र.सं.	शीर्ष/आय का स्तोत	अनुसूची गमठक 5 के अनुसार (चातू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय यदि कोई है)	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत मूल्यहास का मुजरा	धारा 35(4)के अधीन अग्रणीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात चातू वर्ष की आय
			1	2	3	4	5
	i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ii)				
	ii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iii)	(ख/च गृह संपत्तिहानि)			
	iii	कारबार आय(सट्टेबाजी लाभ और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iv)	(ख/च कारबार हानि सट्टेबाजी से भिन्न या विनिर्दिष्ट कारबार हानि) (टिप्पण : ख/च हानि का मुजरा धारा 44खख, 44खखघ के अधीन आय के सिवाय कारबार आय के लिए प्रतिबद्ध होगा।	(टिप्पण : ख/च हानि का मुजरा धारा 44खख, 44खखघ के अधीन आय के सिवाय कारबार आय के लिए प्रतिबद्ध होगा।		
	iv	सट्टेबाजी से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 v)	(ख/च सामान्य कारबार या सट्टेबाजी से हानि)			
	v	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vi)	(ख/च या विनिर्दिष्ट कारबार से हानि)			
	vi	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची गमठक का 5 vii)	(ख/च अल्पकालिक पूंजी हानि)			
	vii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख/च अल्पकालिक पूंजीहानि)			
	viii	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख/च अल्पकालिक पूंजीहानि)			

[illegible]

अनुसूची यू डी धारा 35(4) के अधीन अनुवशोषित क्षयण और भत्ते								
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण				धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	धारा 115खकग(1क) के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष							
ii								
iii								
iv								
v	योग			(बीएफएलए का 3xv)			(बीएफएलए का 4xv)	

अनुसूची आईसीडीएस लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव				
क्रम.सं.	आ.स.प्र.मा.	लाभ में वृद्धि(रू.)	लाभ में कमी(रू.)	कुल प्रभाव (रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	लेखा नीति			
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)			
III	संनिर्माण संविदाएं			
IV	राजस्व मान्यता			
V	मूर्त नियत आस्तियां			
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन			
VII	सरकारी अनुदान			
VIII	प्रतिभूतियां (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क-णछ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)			
IX	उधार लेने की लागत			
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था			
XI	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X			

अनुसूची- 10कक धारा 10कककेअधीनकटौती					
धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
	क्र.सं.	उपक्रम	वह निर्धारण वर्ष जिसमें यूनिट विनिर्माण उत्पादन/ सेवा प्रदान करना आरम्भ करती है	क्र.सं.	कटौती की रकम
	क	उपक्रम संख्या 1		क	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56च के उपाबंधक की मद 17)
	ख	उपक्रम संख्या 2		ख	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56च के उपाबंधक की मद 17)
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौती (क+ ख)			ग

अनुसूची 80छ		धारा 80 छ के अधीन कटौती के लिए हकदार दानों के ब्यौरे						
दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौती के लिए हकदारदान						
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम	यूपीआई अंतरण या चेक संख्या/आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ संख्या	बैंक का आई एफ एस कोड
				नकद में दान	अन्य रूप में दान	कुल दान		
		i						
		ii						
		iii	कुल					
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान						
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम	यूपीआई अंतरण या चेक संख्या/आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ संख्या	बैंक का आई एफ एस कोड
				नकद में दान	अन्य रूप में दान	कुल दान		
		i						
		ii						
		iii	कुल					
	ग	अर्हता सीमा के अध्यधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान						
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम	यूपीआई अंतरण या चेक संख्या/आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ संख्या	बैंक का आई एफ एस कोड
				नकद में दान	अन्य रूप में दान	कुल दान		
		i						
		ii						
		iii	कुल					
	घ	अर्हता सीमा के अध्यधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान						
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम	यूपीआई अंतरण या चेक संख्या/आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ संख्या	बैंक का आई एफ एस कोड
				नकद में दान	अन्य रूप में दान	कुल दान		
		i						
		ii						
		iii	कुल					

80छछक अनुसूची (फर्म के भागीदार के मामले में जो फर्म से केवल लाभ व्युत्पन्न करता हो)		वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दानके ब्यौरे					
क्र. सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैन	दान की रकम			दान के लिए पात्र रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

अनुसूची 80छछग		राजनैतिक दलों द्वारा किए गए अभिदाय का ब्यौरा							
क्रम सं.	तारीख	अभिदाय की रकम			अभिदाय योग्य रकम	राजनीतिक पार्टी का नाम	राजनीतिक पार्टी का पैन	यूपीआई अंतरण या चेक संख्या/आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ संख्या	बैंक का आई एफ एस कोड
		नकद में अभिदाय	अन्य माध्यम में अभिदाय	कुल अभिदाय					
i									
	(पंक्ति जोड़े)								
	कुल अभिदाय								

अनुसूची 80घघ		आश्रित का चिकित्सकीय उपचार जो निर्योग्य व्यक्ति हैं, सहित अनुरक्षण के संबंध में कटौती का ब्यौरा							
निर्योग्यता की प्रकृति	विकलांगता का प्रकार	आश्रित का प्रकार	आश्रित का पैन	आश्रित का आधार	प्ररूप 10।क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10।क की अभिस्वीकृति संख्या	नियम 11क(2)(ii) के अनुसार प्ररूप का स्वीकृत संख्या (यदि उपलब्ध हो)	यूडीआईडी संख्या (यदि उपलब्ध हो)	रकम
1. निर्योग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति 2. गंभीर निर्योग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति	(1) अंधता; (2) अल्प-दृष्टि; (3) कुष्ठ-मुक्त; (4) श्रवण-बाधिता; (5) चलन-विकलांगता; (6) मानसिक मंदता; (7) मानसिक रुग्णता; (8) ऑटिज़्म; (9) सेरेब्रल पाल्सी; (10) बहु-विकलांगता।	1. पति या पत्नी 2. पुत्र 3. पुत्री 4. पिता 5. माता 6. भाई 7. बहन 8. एचयूएफ का सदस्य (एचयूएफ की दशा में)							

अनुसूची 80प अयोग्य व्यक्ति की दशा में कटौती का ब्यौरा						
नियोग्यता की प्रकृति	विकलांगता का प्रकार	प्ररूप 10।क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10।क की अभिस्वीकृति संख्या	नियम 11क(2)(ii) के अनुसार प्ररूप का स्वीकृत संख्या (यदि उपलब्ध हो)	यूडीआईडी संख्या (यदि उपलब्ध हो)	रकम
1. स्वयं से नियोग्यता 2. स्वयं की गंभीर अयोग्यता	(1) अंधता; (2) अल्प-दृष्टि; (3) कुष्ठ-मुक्त; (4) श्रवण-बाधिता; (5) चलन-विकलांगता; (6) मानसिक मंदता; (7) मानसिक रुग्णता; (8) ऑटिज़्म; (9) सेरेब्रल पाल्सी; (10) बहु-विकलांगता।					

अनुसूची द. क		अनुसंधान संगमों को दान के ब्यौरे आदि [धारा 35 (1)(ii)या 35 (1) (iiक) या 35 (1) (iii) 35(2कक) के अधीन कटौतियां दान की पात्र रकम]						
		आदाता का नाम और पता		आदाता का पैन	दान की रकम			दान की पात्र रकम
					नकद दान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
		i						
		ii						
		iii	कुल					

अनुसूची- 80झक		धारा 80झक के अधीन कटौतियां				
क		धारा 80झक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियाँ (विद्युत)	क 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			क 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
ख	धारा 80झक के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 + क2)					ख

अनुसूची-80-झख धारा 80झख के अधीन कटौतियां						
धारा 80झख के अधीन कटौतियां	क	ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ कर देते हैं कटौतियाँ [धारा 80झख(9)]	क1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			क2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	ख	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं [धारा 80झख(10)]	ख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			ख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	ग	ऐसे उपक्रमों, जो कि फलों, सब्जियों, मांस, मांस उत्पादों, पोल्ट्री, डेयरी उत्पादों, समुद्री खाद्य के प्रसंस्करण संरक्षण	ग1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	

	एवं पैकेजिंग में संलग्न है की दशा में कटौतियाँ [धारा 80- झख (11क)]	ग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
घ	खाद्यानों,उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की दशा कटौती [धारा 80झख(11 क)]	घ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
		घ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
ड	धारा 80झख के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 सेघ2 कायोग)				ड

अनुसूची-80-झड			धारा 80झड के अधीन कटौतियाँ			
धारा 80झख के अधीन कटौतियाँ	घ	पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ				
	कक	असम	कक1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
			कक2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कख	अरुणचल प्रदेश	कख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
			कख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कग	मणिपुर	कग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
			कग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कघ	मिजोरम	कघ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
			कघ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कड	मेघालय	कड 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
			कड 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कच	नागालैंड	कच1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
			कच2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कछ	त्रिपुरा	कछ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
			कछ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कज	सिक्किम	कज1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
			कज2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कझ पूर्वोत्तर में अवस्थित कुल कटौतियाँ (कक 1 से कछ 2 का योग)					कझ
	ख	धारा 80झड. के अधीन कुल कटौतियाँ (कज)				ख

अनुसूची-VI क		अध्याय 6 क के अधीन कटौतियाँ		
	1	भाग ख-कतिपय संदायों की बावत कटौती		
	क	80ग (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्राप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		80गगग(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्राप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)

ग	80गगघ(1) (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		घ	80गगघ(1ख) (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		
ङ	80गगघ(2) (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		च	80घ(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		
छ	80घघ		ज	80घघख(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		
झ	80ङ(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		ञ	80ङ-ङ(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		
ट	80ङ-ङक(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		ठ	80ङ-ङख(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		
ड	80छ		ढ	80छछ(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		
ण	80छछक		णा	80छछग		
भाग ख के अधीन कुल कटौती (क से णा का योग)						1
2 भाग ग-कतिपय आय की बावत कटौती						
	त 80- झक	(अनुसूची 80 झककाख)	थ	80- झकख		
	द 80- झख	(अनुसूची 80 झखकाङ)	ध	80- झखक		
	न 80झङ	(अनुसूची 80झङ का ड)	प	80जजक		
	फ 80जजकक	प्रपत्र 10 घक में अनुसूची में क्रम सं. 5/(अiv) +5//	ब	80थथख (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		
	भ 80 ददख(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)					
भाग ग के अधीन कुल कटौती (त से भ का योग)						2
3 भाग गक और घ अन्य आय/अन्य कटौती के संदर्भ में कटौती						
	i 80 ननक		ii 80ननख			
	iii 80प		iv 80गगज			
	v ई फाईलिंग यूटिलिटी के अनुसार कोई अन्य कटौती (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)					
भाग गक और घ के अधीन कुल कटौती (i, ii, iii, iv और v का योग)						3
4 अध्याय 6 क के अधीन कुल कटौतियाँ (1+2+3 का योग)						4

अनुसूची-अनुकल्पिक निम्नतर कर धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना			
कुल कटौतियाँ	1	भाग-ख-कुल आय के मद 14 के अनुसार कुल आय	1
	2	धारा 115जग(2)के अनुसार समायोजन	
	क	शीर्ष ई के अधीन "कतिपय आय की बाबत कटौतियों "अध्याय ख-अ में किसी भी धारा के अधीन कटौती का दावा सम्मिलित है	2क
	ख	धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा	2ख
	ग	धारा 35कघ के अधीन आस्तियों पर अवक्षयण की रकम, जिस पर कटौती का दावा किया गया है, के रूप में की गई है	2ग
	घ	कुल समायोजन(2क + 2ख + 2ग)	2घ
	3	धारा 115जग(1)केअधीन समायोजित कुल आय(1 + 2घ)	3
	3क	धारा 115जग(1)के अधीन आई एफ एस सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	3क
	3ख	धारा 115जग(1)के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय	3ख
	4	धारा 115जग(1)के अधीन देय कर [(9% of (3क) + 18.5% of (3ख)] (अगर 3 बड़ा हो. 20 लाख रू. से)	4

अनुसूची-अनुकल्पिक निम्नतर कर धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना						
1	निर्धारण वर्ष 2026-27 (भाग-ख-टीटीआई कुल कर आय का 1घ) में धारा 115जग केअधीन कर					1
2	निर्धारण वर्ष 2026-27 (भाग-ख- टीटीआई कुल कर आय का 2आई) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर					2
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1)को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें					3
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)					
	क्र.सं	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा			चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग
			सकल(ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा(ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ)=(ख3)-(ग)
	I	2013-14				
	II	2014-15				
	III	2015-16				
	IV	2016-17				
	V	2017-18				
	VI	2018-19				
	VII	2019-20				
	VIII	2020-21				
	IX	2021-22				
	X	2022-23				
	xi	2023-24				
	xii	2024-25				
	xiii	2025-26				
	Xiv	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2, 1 से				

		अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)					
	xv	योग					
5	वर्ष के दौरान धारा 115अघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मदसं. 4(ग) का कुल					5	
6	पश्चात्कर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल					6	

अनुसूची – विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय		विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय (पति/पत्नी, अव्यस्क बालक आदि) निधारितियों की धारा 64 के अनुसार आय में शामिल					
क्रमसं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी लेखा सं./ आधार संख्या	नातेदारी	रकम	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित है		
1							
2							
3							

अनुसूची विशेषदर					
क्रमसं.	धारा	☑	विशेषदर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
1	111- पूर्व के वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष	☐		(अनुसूची ओ.एस का 2गiii)	(अनुसूची ओ.एस का 2गiv)
2	115कघ(1)(ख)(ii)-परंतुक (शेयर यूनिटों पर एस.टी.सी.जी जिस पर जहा एस.टी.टी पेय संदत्त है)	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi का भाग)	
3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहा एस.टी.सी.जी संदत्त नहीं है)	☐	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग)	
4	112(1) परन्तुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी)	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
5	112(1)(ग)(iii) (गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
6	115कग (बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)		12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
7क	115कग (विदेशी करसी में क्रम किए गए बंधपत्रों या जी.डी.पी आर से अनिवासी की आय	☐	10	(अनुसूचि ण ध के 2घ का भाग)	
7ख	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जी.डी.आर के लाभांश पर आय	☐	10	(अनुसूचि ण ध के 2घ का भाग)	
8	115कगक (जी.डी.आर पर विनिर्दिष्ट कम्पनी के किसी कर्मचारी के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
9	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
10	115ड (विदेशी विनिमय आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
11	112(अन्य पर एल.टी.सी.जी) और और अनुसूची गछ के क्रम सं. ख1(ज) को हिसाब में लेते हुए उस पर कर, यदि कोई हो	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
				[अनुसूची सीजी के ख1ज द्वारा घटाया गया]	
12	112क या धारा 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर या इकाईयां जिन पर एस.टी.टी संदत्त है के विक्रय पर एल.टी.सी.जी	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एस.टी.सी.जी	☐		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ix का भाग)	
14	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एल.टी.सी.जी	☐		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xi का भाग)	

15क	115खख (लाटरी,वर्गपहेली,दौड़,खेलआदिसेजीत)	□	30	(अनुसूची ओ एस के 2क का भाग)	
15ख	15खखख(ऑनलाईन गेम में जीत)	□	30	(अनुसूची ओ एस के 2क का भाग)	
16	115खखड(धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन)	□	60	(अनुसूची ओ एस के 2ख का भाग)	
17	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)	□			
	क कारबार या वृत्ति से आय	□	30	(अनुसूची बीपी का क3छ)	
	ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन आय	□	30	(अनुसूची सीजी का ग2)	
18	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)	□			
	क कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय	□	10	(अनुसूची बीपी का 3ड)	
	ख अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय	□	10	(अनुसूची ओ एस का 2घ)	
19	115खखछ(कार्बन प्रत्यय के अंतरण से आय पर कर)	□			
	क मुख्य कारबार या वृत्ति के अधीन आय	□	10	(अनुसूची बीपी का 3च)	
	ख अन्य मुख्य स्रोतों के अधीन आय	□	10	(अनुसूची ओ एस का 2घ)	
20	115क(1)(ख) (क) & 115क(1)(ख)(ख) (रोयलिटी और तकनीकी सेवा के लिए फीस से अनिवासी की आय)	□	20	(अनुसूची ण.दके 2घ का भाग)	
21	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्तों से आय	□		(अनुसूची बीईएलए का 5xv का भाग)	
22	20% की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी आय	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi का भाग)	
23	30% की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	□	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग)	
24	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
25	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
26	विशेष दर पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में डाउन डाउन दिया जाना है)	□		(अनुसूची ओ.एस का 2ड)	
27	अन्य स्तों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्य होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में डाउन-डाउन दिया जाएगा)	□		(अनुसूची ओ एस का 2ड)	
			योग		

अनुसूची-आईएफ		उन भागीदारी फर्मों के विषय में जानकारी जिन में आप भागीदार हैं							
फर्म जिनमें भागीदार हैं	फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हैं								
	फर्म का नाम	फर्म का स्थायी लेखा संख्याक	क्या फर्म लेखा परीक्षक के लिए दायी है (हां/ नहीं)	क्या धारा 92ड फर्म पर लागू है? (हां/ नहीं)	फर्म के लाभ में शेयरों की प्रतिशतता	लाभ में शेयरों की रकम	देय या प्राप्ति के ब्याज की रकम	देय या प्राप्ति के पारिश्रमिक	31 मार्च को फर्म में पूंजी अतिशेष
						i	ii	iii	iv
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6	योग							

अनुसूची-छूट प्राप्त आय		छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय या जो कर के लिए प्रभार्य न हो)(केवल अनिवासियों के लिए लागू)			
1	ब्याज से आय		1		
2	i शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	i			

		ii	कृषि पर उपगत व्यय					ii			
		iii	पूर्व आयकर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि					iii			
		iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 (अनुसूची बीपी की क्र.सं. 38)					iv			
		v	वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)							2	
		vi	5लाख रू. से अधिक की शुद्ध कृषि आय होने की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरें दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथकतया ब्यौरे भरें)								
		क	जिले का नाम पिन कोड सहित जिसमें कृषि भूमि स्थित है								
ख	एकड़ में कृषि भूमि की पैमाइश										
		ग	क्या कृषि भूमि स्वामित्व में है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)								
		घ	क्या कृषि भूमि सिचाई पर है या वर्षा के पानी पर निर्भर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)								
छूट प्राप्त आय	3	अन्य छूट प्राप्त आय (नाबालिग बच्चे की आय पर छूट भी सम्मिलित है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)							3		
	4	डीटीए के अनुसार आय जो कर दावाकृत प्रभार्य नहीं है (केवल अनिवासियों के लिए लागू)									
		क्रम. सं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष	क्या टी आर सी अभिप्रमाणित किया गया है (हां/नहीं)			
		I									
		II									
		III	डीटीए से कुल आय जो कर दावाकृत प्रभार्य नहीं है					4			
5	कोई और आय कर दावाकृत प्रभार्य नहीं है, (अनुसूची पीटीआई)							5			
6	योग (1+2+3+4+5)							6			

अनुसूचीपीटीआई		धारा 115प, धारा 115पक और धारा 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे							
क्र म	धारा धारा 115प/ 115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्र म	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि(7-8=9)	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
पास के माध्यम से आय	1. (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)			i	गृहसंपत्ति				
				ii	पूंजी अभिलाभ				
				क	अल्पकालिक अवधि				
					क। धारा 111क				
					कii अन्य				
					ख दीर्घकालिक अवधि				
					ख। धारा 112क				
					खii धारा 112क के अलावा अन्य				
				iii	अन्य स्त्रोत				
				क	लाभांश				

					ख	अन्य				
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
					क	धारा 10(23 चखख)के अधीन				
					ख	धारा के अधीन				
					ग	धारा.....के अधीन				
2.					i	गृहसंपत्ति				
					ii	पूँजी अभिलाभ				
					क	अल्पकालिक अवधि				
					क।	धारा 111क				
					कii	अन्य				
					ख	दीर्घकालिक अवधि				
					ख।	धारा 112क				
					खii	धारा 112क के अलावा अन्य				
					iii	अन्यस्त्रोत				
					क	लाभांश				
					ख	अन्य				
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
					क	धारा 10(23 चखख)के अधीन				
					ख	धारा के अधीन				
					ग	धारा.....के अधीन				

अनुसूची टी.पी.एस.ए

ई फाइलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार-, धारा खड 92(2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण

धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है					
	2	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा				
		ख	“क” पर 12% की दर से अधिभार				
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर				
		घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)				
	3	भुगतान किए गए कर					
	4	निवल देय कर (घ-3)					
5	धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	तारीख 1	तारीख 2	तारीख 3	तारीख 4	तारीख 5	तारीख 6
		(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)
6	बैंक और शाखा का नाम						

	7	बीएसआर कोड						
	8	चालान की क्रम संख्या						
	9	जमा की गई राशि						

अनुसूची-आय के विदेशी स्रोत				भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)						
भारत से बाहर आय और कर राहत	क्र.सं.	देश का कोड(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित डाउन में ब्यौरा को भरा जाए)	करदाता की पहचान संख्या	क्र.सं.	आयकाशीर्ष	भारत से बाहर आय भाग ख-टी आई में सम्मिलित	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड)= (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	डीटी ए ए का सुसंगत अनुच्छेद यदि धारा 90 या 90 क के अधीन राहत का दावा किया गया है
					(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(घ)	(च)
	1			i	वेतन					
				ii	गृहसंपत्ति					
				iii	कारबार या वृत्ति					
				iv	पूजी अभिलाभ					
				v	अन्य स्रोत					
				योग						
	2			i	वेतन					
				ii	गृहसंपत्ति					
iii				कारबार या वृत्ति						
iv				पूजी अभिलाभ						
v				अन्य स्रोत						
योग										

अनुसूची- टि.आर		भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दावाकृत कर राहत सार का ब्यौरा (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)			
भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत	1	दावाकृत कर राहत के ब्यौरे			
		देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत के बाहर कुल संदत्त कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड) का योग)
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)
	2	उस देश की बाबत जहां डीटीए लागू है, उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90 / 90 क) (1 घ) के योग का भाग)			
	3	उस देश की बाबत जहां डीटीए लागू नहीं है, उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 91)((1 घ) के योग का भाग)			
	4	क्या भारत के बाहर किसी संदत्त कर जिस पर भारत में कर रहात अनुज्ञात की गई है, वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा प्रतिदाय/जमा की गई है ? यदि हां तो नीचे ब्यौरे दें			
		क कर प्रतिदाय की रकम		ख निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है	

अनुसूची- वि.आ.		भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा												
विदेशी आस्तियों के ब्यौरे	अ1	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी ब्याज शामिल)												
	क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	(i)													
	(ii)													
	अ2	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)												
	क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	(i)													
	(ii)													
	अ3	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)												
	क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	(i)													
	(ii)													
अ4	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)													
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
(i)														
(ii)														
ख	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)													
	क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति- सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागतपर) (रु.में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज राशि		जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
	(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	

[illegible]

अनुसूची क.ठ		वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (भाग क-खध में अधीन से भिन्न)(उस दशा में जहां कुल आय 1 करोड़ रु० से अधिक है, लागू होती है)		
आस्ति और दायित्व के विवरण	क	स्थायर आस्ति का ब्यौरा		
	क्रम सं०	विवरण	पता	पिनकोड
	(1)	(2)	(3)	(4)
	(i)			
	(ii)			
	ख	जंगम आस्ति का ब्यौरा		
	क्रम सं०	विवरण	रकम (लागत) रु० में	
	(1)	(2)	(3)	
	(i)	आभूषण, बुलियन आदि		
	(ii)	पुरातात्विक संग्रहण, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कोई कलाकृति		
	(iii)	वाहन, नौका, नाव और वायुयान		
	(iv)	वित्तीय आस्ति	रकम (लागत) रु० में	
		(क) बैंक (जिसके अधीन सभी जमा रशियां)		
		(ख) शेयर और प्रतिभूतियां		
		(ग) बीमा पॉलिसी		
		(घ) ऋण और दिए गया अग्रिम धन		
		(ङ) हाथ नकदी		
	ग	भागीदार या सदस्य के रूप में किसी फर्म या व्यक्तियों का संगम (एओपी) की आस्तियों में धारित ब्याज		
	क्रम सं०	फर्मों / एओपी का नाम और पता	फर्म / एओपी का स्थायी खाता संख्या	लागत के आधार पर फर्म / एओपी में निर्धारित का विनिवेश
	(1)	(2)	(3)	(4)
(i)				
(ii)				
घ	आस्तियों (क +ख +ग) के संबंध में दायित्व			
अनुसूचि जी.एस.टी		जी.एस.टी के लिए रिपोर्टित आवर्त/ सकल प्राप्तियों के संबंध में सूचना		
ए.एस.टी का क्र. सं.	क्रम. सं.	जी.एस.टी आई एन संख्या	फाईल की गई जी.एस.टी विवरणी के अनुसार बाह्य पूर्ति का वार्षिक मूल्य	
	(1)	(2)	(3)	
टिप्पण		कृपया प्रत्येक जी.एस.टी.आई.एन सं. के लिए पृथक रूप से उपर सूचना प्रस्तुत करें।		

अनुसूची: ई.एस.ओ.पी पर कर स्थगन		कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-इकग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते					
विवरण	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि आगे लायी गई	गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं?			अगले निर्धारण वर्षों में कर स्थगन की शेष राशि
				ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर बेचे गए (i)पूर्णतया (ii)आंशिक (iii)नहीं बेचे गए स्तंभ 3के ऐसे बिक्री का कर गुण का तारीख व राशि का वर्णन करें (उपयोगिता के अनुसार प्रदत्त विवरण)	नियोक्ता के कर्मी होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर को आबंटित या हस्तांतरित किया ? ० हां ० नहीं	उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आबंटित किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, आबंटन की तारीख स्पष्ट करें	
				चालू निर्धारण वर्ष में कर योग्य राशि (स्तंभ 3 या 4 से कलन जैसा भी मामला हो)	स्तंभ (3-7)		

					यदि हां, तारीख बताएं			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2021-22	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8			(निर्धारण वर्ष 2027-28 में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में देय)		
	2	2022-23	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
	3	2023-24	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
	4	2024-25	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
	5	2025-26	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
	6	2026-27						

भाग-ख

भाग ख-कुल आय		कुल आय की संगणना	
कुल आय	1	वेतन(अनुसूची ध का 6)	1
	2	गृह संपत्ति से आय(अनुसूची-गृहसंपत्ति का 3)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2
	3	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ	
	i	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-का.व.का.क37)	3i
	ii	सट्टे के कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (ii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची गचठ से अंक लें)	3ii
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (iii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3iii
	iv	विशेष दरों पर कर प्रभार्य आय (अनुसूचि ख.त. के 3ड, 3च और 3छ)	3iv
	V	योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (यदि 3v हानि है तो शून्य लिखें)	3v
	4	पूँजीअभिलाभ	
	क	अल्पकालिक	
	i	अल्पकालिक प्रभार्य @ 20% (अनुसूची सीजी की मद ड का 8ii)	क i
	ii	अल्पकालिक प्रभार्य @ 30% (अनुसूची सीजी की मद ड का 8iii)	क ii
	iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य(अनुसूची सीजी की मद ड का 8iv)	क iii
	iv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि सीजीके मद ड का 8v)	क iv
	v	अल्पकालिक योग (क i + क ii + क iii + क iv)(यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4क v
	ख	दीर्घकालिक	
	i	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 12.5% (अनुसूची सीजी की मद ड का 8vi)	ख i
	ii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजीके मद ड का 8vii)	ख ii
	iii	दीर्घकालिक योग (ख i + ख ii) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	4ख iii
	ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ की राशि (4क v + 4ख iii) (यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)	4ग
	घ	धारा 115खखज के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूँजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)	4घ
	ङ	कुल पूँजीगत अभिलाभ (4ख + 4घ)	4ङ
	5	अन्य स्रोतों से आय	
	क	अन्य स्रोतों से शुद्ध आय सामान्य लागू दरों पर कर प्रभार्य (अनुसूची ण घ का 6 शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	5 क
	ख	विशेष दर पर कर को प्रभार्य आय(अनुसूची णध का 2)	5 ख
	ग	घुडदोड के स्वामिस्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से आय (अनुसूची णध का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	5 ग
	घ	कुल (5 क + 5 ख + 5 ग) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	5 घ
	6	शीर्ष क्रय के अनुसार आय का कुल (1 + 2 + 3v + 4ङ + 5 घ)	6
	7	6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां(अनुसूची गमठक चालू वर्ष की हानि के 2xvi, 3xvi और 4xvi कायोग)	7
	8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात बकाया (6 – 7) (अनुसूची सीवाईएलएके स्तंभ 5 के क्रम संख्या (ii) से (xv)का योग + 5ख + 3iv)	8

9	8 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रणीत हानियां (अनुसूची खचठक के 2xv,3xv और 4xv का योग)	9	
10	सकल कुल आय(8-9) (और अनुसूची बीएफएलए के स्तंभ 5 के क्रम संख्या (i) से (xiii) का योग+ 5ख + 3iv)	10	
11	धारा 111क, धारा 112, धारा 112क के अधीन विशेष दर पर कर प्रभार्य में 10 सम्मिलित है	11	
12	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ		
	क अनुसूची 6क का भाग ख,गक और घ [अनुसूची 6कका (1+3) और (बीएफएलए के स्तंभ 5 का i + ii + iii + iv + v + viii + xii + xiii)तक सीमित]	12क	
	ख अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का 2 और बीएफएलए का iii5 तक सीमित]	12ख	
	ग कुल(12क + 12ख)(10-11) तक सीमित)	12ग	
13	धारा 10 कक के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची 10 कक का ग)	13	
14	कुल आय (10 -12ग -13)	14	
15	आय जो 14 में सम्मिलित है और विशेष दर पर कर प्रभार्य है (अनुसूची विशेष दर के (i) का योग)	15	
16	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/ कोई अन्य आय (अनुसूची इआई का 3)	16	
17	कुल आय (14-15+16)(लागू होगा यदि(14-15)अधिकतम रकम, जो कर प्रभार्य नहीं है)	17	
18	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां(अनुसूची गचठ की पंक्ति xix का योग)	18	
19	धारा 115जग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एएमटी का 3)	19	

भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व			कुल आय पर कर दायित्व की संगणना				
कर दायित्व की संगणना	1	क	धारा 115 जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित कर का 4)			1क	
		ख	(क) पर अधिभार (यदि लागू है)			1 ख	
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क +1ख) 3 पर			1 ग	
		घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर(ह)उ पर(1क +1ख +1 ग)			1 घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर					
		क	भाग ख-टी आई कुल आय के 17 पर सामान्य दरों पर कर	2क			
		ख	विशेष दरों पर कर(अनुसूची दझ का (ii) का योग)	2ख			
		ग	कृषि आय पर रिबेट (लागू होगा यदि (भाग ख-टी आई कुल आय का(14-15)अधिकतम रकम अधिक नहीं है जिस पर प्रभार्य नहीं है)	2ग			
		घ	कुल आय पर संदेय कर(2क + 2ख- 2ग)			2घ	
		ड	धारा 87क के अधीन रिबेट			2ड	
		च	रिवेट के पश्चात संदेय कर (2घ - 2 ड)			2च	
		छ	अधिभार	उपांतिक राहत से पूर्व परिकल्पित अधिभार	उपांतिक राहत के बाद अधिभार	2छ	
		i	अनुसूची धझ के 16(ii) का @25 प्रतिशत	2छi	iक		
		ii	10% या 15% पर लागू	2छ ii	iiक		

			अनुसूची एस.आई का 2च- iii 16(ii) उपर्युक्त 2छ(ii) में संदर्भित आय पर कर)	2छ iii					
			iv कुल(iक + iiक)					2छiv	
		ज	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (2 च + 2 छiii)					2ज	
		झ	कुल कर दायित्व (2च + 2छiv + 2ज)					2झ	
		3	कुल कर संदेय (1घ और 2i से उच्चतर)					3	
		3क	धारा 17(2)(vi)में संदर्भित 80 आईएसी(3-3ख) अनुसूची वेतन में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर					3क	
		3ख	धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2)(vi)में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर					3ख	
		4	पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115जघ के अधीन जमा (लागू यदि 2i, 1घ से अधिक है) (अनुसूची एएमटीसी का 5)					4	
		5	धारा 115जघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (3क - 4)					5	
		6	कर राहत						
		क	धारा 89 (कृपया इस राहत का दावा करने के लिए फॉर्म 10ड जमा करना सुनिश्चित करें)	6क					
		ख	धारा 90 या धारा 90क(अनुसूची टीआर का 2)	6ख					
		ग	धारा 91 (अनुसूची टीआर का 3)	6ग					
		घ	कुल (6क + 6ख + 6ग)					6घ	
		7	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6 घ) (शून्य भरे यदि नकारात्मक है)					7	
		8	ब्याज और फीस देय						
		क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज(धारा 234क)	8क					
		ख	अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख					
		ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग					
		घ	आय की विवरणी देने में अतिक्रम करने के लिए फीस (धारा 234च)	8घ					
		घक	आय की पुनरीक्षित विवरणी भरने के लिए फीस (धारा	8घक					
		ड	कुल ब्याज और फीस देय (8क + 8ख + 8ग + 8घ + 8घक)					8ड	
		9	औसत दायित्व (7 + 8ड)					9	
		10	संदत्त कर						
		क	अग्रिम कर(17 क के स्तंभ 5 से)	10क					
		ख	स्रोत पर कर की कटौती (17ख के स्तंभ 5 और 17 ग के स्तंभ 9 का कुल)	10ख					
		ग	टी.सी.एस (17घ का स्तंभ 7(i))	10ग					
		घ	स्वतःनिर्धारण कर(17कस्तंभ 5 से)	10घ					
		ड	संदत्त कुल कर (10क + 10ख + 10ग + 10घ)					10ड	

	11	संदेय रकम (यदि 10ड से अधिक है तो 9 प्रविष्ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें)				11		
	12	प्रतिदाय (यदि 10ड 9 से अधिक है) (प्रतिदाय यदि कोई है, तो सीधे बैंक खाते में जोड़ दिया जायेगा)				12		
	13	क्या भारत में आपका बैंक खाता है (जिसका भारत में बैंक खाता नहीं है नहीं का चयन कर सकते हैं)				हां या नहीं का चयन करें		
	i.	क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों के अतिरिक्त)						
बैंक खाता		क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खाते की दशा में बैंक का आई.एफ.एस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	खाता का प्रकार (ई फाईलिंग द्वारा उपबंधित ड्रापडाउन)	प्रत्यय वापसी के लिए खाता चयन करें	
	i							
	ii							
		नोट: 1. सभी बैंक खाते, सिवाय निष्क्रिय खाता के, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी चाहिए। 2. बहुविध खातों का चयन करने के मामले में, प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के पश्चात् विधिमाम्य खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा।						
		आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती है						
	ii.	ख) गैर-निवासी, उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, विकल्प में एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा दे सकते हैं						
		क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आईबीएएन		
		1.						
	14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अधीन किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें)					□हां□नहीं	
	15	यदि विवरणीकर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:						
	कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.			कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम		कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर		
	यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम					16		
17	अनुसूची-आयकर							
	क	आय-करकेअग्रिमकर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे						
कर संदाय		क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम(रू.)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	i							
	ii							
	iii							
	iv							

ccc cc		गc cc स्त्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टी.डी.एस) प्ररूप 16 कया प्ररूप 16ख/16ग/16घ/ 16ङ के अनुसार]															
ccc टी.सी.एस cc		क्रम. सं.	स्वयं /अन्य व्यक्ति के संबंध में प्रत्यय टी.डी.एस.(धारा 5 क के अनुसार पति का पत्नी/नियम 37 ख क (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति	अन्य व्यक्ति का पैन/आ धार संख्या(यदि टी.डी.एस प्रत्यय अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	वह धारा जिस के अधीन टीडी एस की कटौ ती की जाती है	कटौतीकर् ता का टैन/किरार दार या क्रेता का पैन/आधार संख्या	आगे लाया गया अदावकृत टी.डी.एस	मौजूदा वित्त वर्ष का टी.डी.एस (वित्त वर्ष 2025-64 के दौरान टी.डी.एस कटौती)	इस वर्ष जमा टी.डी.एस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194ढ के अधीन काटा गया।	प्रस्तावित समान रसीद/ आहरण	टी.डी. एस प्रत्यय अग्रनी त किया जा रहा						
							वित्तीय वर्ष जिस में कटौ ती की गई	आगे लाया गया टी.डी. एस	स्वयं द्वारा कटौ ती	धारा 5 क के अनुसार पति /पत्नी या नियम 37ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों कटौती (यदि लागू हो)	स्व यं के हा थों दा वा	धारा 5 क के अनुसार पति /पत्नी या नियम 37 ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों दावा (यदि लागू हो)	सक ल रक म	आ य का शी र्ष			
		(1)	(2)	(3)	(4क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(1 2)	(13)		
											आ य टी.डी. एस		आ य टी.डी. एस	पैन/आ धार संख्या			
		i															
टिप्पण► कृपया स्तंभ 9 का कुल भाग – ख –टी टी आई के 10 ख में प्रविष्ट करें।																	

घ स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)										
क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस [धारा 5क के अनुसार पति/ पत्नी धारा 37i(1) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	संग्राहक का कर कटौती और कर संग्रहण खाता संख्यांक)	अन्य व्यक्ति का पैना(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	अग्रणीत किया गया अदावाकृत टी.सी.एस	वित्तीय वर्ष जिस में संग्रहण किया गया	रकम बी/एफ	स्वयं संग्रहित किया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा संग्रहित अथवा नियम 37i(1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा(यदि लागू हो)	इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस	टी.सी.एस जमा आगे लाया गया
(1)	(2i)	(2ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	(6ii)	(7i)	(7ii)	(8)
i									टी.सी.एस	पैन
ii										
टिप्पण ► कृपया भाग ख-टी.टी.आई के 10ग में स्तम्भ (7) का योग प्रविष्ट करें ।										

सत्यापन	
मैं.....पुत्र / पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं / करती हूं कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण है और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है । मैं यह और घोषणा करता / करती हूं कि मैं..... (ड्राप डाउन उपबंधित किया गया है) की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूं / रही हूं और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं। मैं स्थायी खाता संख्या.....का धारक हूं (यदि आबंटित किया गया हो) मैं यह और घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हो)	
तारीख	स्थान
	हस्ताक्षर "":।

[सं. 47/2026/फा.सं. 370142/7/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : आयकर नियम, 1962, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.कानि., 227(अ) तारीख 30 मार्च, 2026 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2026

G.S.R. 228(E).—In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely: -

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fourth Amendment) Rules, 2026;
 (2) They shall come into force with effect from the 31st day of March, 2026 and shall apply in respect of returns filed for A.Y. 2026-27.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II, for FORM ITR-3, the following FORM shall be substituted, namely: —

FORM ITR- 3	INDIAN INCOME TAX RETURN (For individuals and HUFs having income from profits and gains of business or profession) (Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)	Assessment Year					
		2	0	2	6	-	2

PERSONAL INFORMATION	(A1) First name		(A2) Middle name		(A3) Last name		(A4) PAN						
	Addresses to be provided for communication purposes:							(A14) Status (Tick) ☐					
	Primary Address: (A5a) Flat/Door/Block No. (A6a) Name Of Premises/Building/Village (A7a) Road/Street/Post Office (A9a) Area/locality (A10a) Town/City/District (A11a) State (A12a) PIN code/ZIP code (A13a) Country Secondary Address: (A5b) Flat/Door/Block No. (A6b) Name Of Premises/Building/Village (A7b) Road/Street/Post Office (A9b) Area/locality (A10b) Town/City/District (A11b) State (A12b) PIN code/ZIP code (A13b) Country							☐ Individual ☐ HUF					
								(A15) Date of Commencement of Business (DD/MM/YYYY)					
								(A16) Aadhaar Number (12 digits)					
	Details to be provided for communication purposes:												
	(A17) Residential/Office Phone Number with STD code/Primary Mobile No. of the taxpayer							(A8) Date of Birth/Formation (DD/MM/YYYY)			Secondary Mobile No.		
(A18) Primary Email ID of the taxpayer							Secondary Email ID						
Due Date for filing return of income [Dropdown to be provided] :													
A(19) (ai) 1. 31st August 2. 31st October 3. 30th November													
FILING STATUS	(A19) (aai)		Filed u/s (Tick)		☐ 139(1)- On or Before due date, ☐ 139(4)- After due date, ☐ 139(5)- Revised Return, ☐ 92CD-Modified return, ☐ 119(2)(b)- After condonation of delay								
			Or Filed in response to notice u/s		☐ 139(9) ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153C								
	A19(b)		Do you have income from business or profession for current Assessment Year? (Tick) ☐ Yes ☐ No (I) If answer to A19(b) is Yes, have you filed ITR 3/4 and have filed form 10IEA within due date for any earlier assessment year for choosing old tax regime? (Tick) ☐ Yes ☐ No (A) If answer to (I) is yes, then i. Furnish form 10IEA acknowledgement number and assessment year for which this form for choosing old tax regime was filed. ii. Have you filed ITR 3/4 in past and have re-entered new tax regime by filing form 10IEA for any assessment year subsequent to assessment year in which first form 10IEA was filed for choosing old tax regime? (Tick) ☐ Yes ☐ No										

		(a) If answer to (I)(A)(ii) is Yes, provide the acknowledgement number of second form 10IEA and assessment year for which this form for choosing new tax regime was filed, and furnish ITR in new tax regime. (b) If answer to (I)(A)(ii) is No, have you furnished form 10IEA for re-entering in new tax regime in current assessment year? (Tick) ☐ Yes ☐ No (b)(i) If yes, then provide the acknowledgement number of form 10IEA and furnish ITR in new tax regime, (b)(ii) If No, then furnish ITR in old tax regime. (B) If answer to (I) is No, have you furnished form 10IEA within due date for current assessment year for choosing old tax regime? (Tick) ☐ Yes ☐ No i. If answer to (I)(B) is Yes, provide the acknowledgement number of form 10IEA, and then furnish return in old tax regime, ii. If answer to (I)(B) is No, furnish ITR in new tax regime. (II) If answer to A19(b) is No, do you wish to opt for old tax regime for the current Assessment Year? (Tick) ☐ Yes ☐ No Note- The default regime under section 115BAC(1A) is the 'new regime'. 'Old regime' can be chosen by opting out of new regime u/s. 115BAC(6) by filing form 10IEA, which should be exercised on or before the due date for furnishing the return of income u/s 139(1).														
	(c)	Are you filing return of income under seventh proviso to Section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? – (Tick) ☐ Yes ☐ No If yes, please furnish following information [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]														
	(ci)	Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)						Amount (Rs) (If Yes)								
	(cii)	Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakh for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/No)						Amount (Rs) (If Yes)								
	(ciiii)	Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)						Amount (Rs) (If Yes)								
	(civ)	Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)						(Tick) o Yes o No								
	(d)	If revised/Defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)													/	/
	(e)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b), enter Unique Number/Document Identification Number and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement						(unique number)		/ /						
	(f)	Residential Status in India (for individuals) (Tick applicable option)	A. Resident	☐ You were in India for 182 days or more during the previous year [section 6(1)(a)]												
				☐ You were in India for 60 days or more during the previous year, and have been in India for 365 days or more within the 4 preceding years [section (6)(1)(c)] [where Explanation 1 is not applicable]												
				☐ You are a citizen of India, who left India, for the purpose of employment, as a member of the crew of an Indian ship and were in India for 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years [Explanation 1(a) of section (6)(1)(c)]												
				☐ You are a citizen of India or a person of Indian origin and have come on a visit to India during the previous year and were in India for a) 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years; or												

				b) 120 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years if the total income, other than income from foreign sources, exceeds Rs. 15 lakh. [Explanation 1(b) of section (6)(1)(c)]									
			B. Resident but not Ordinarily Resident	☐ You have been a non-resident in India in 9 out of 10 preceding years [section 6(6)(a)]									
				☐ You have been in India for 729 days or less during the 7 preceding years [section 6(6)(a)]									
				☐ You are a citizen of India or person of Indian origin, who comes on a visit to India, having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh and have been in India for 120 days or more but less than 182 days during the previous year [section 6(6)(c)]									
				☐ You are a citizen of India having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh during the previous year and not liable to tax in any other country or territory by reason of your domicile or residence or any other criteria of similar nature [section 6(6)(d) rws 6(1A)]									
			C. Non-resident	☐ You were a non-resident during the previous year.									
				(i) Please specify the jurisdiction(s) of residence during the previous year -									
				S.No.	Jurisdiction of residence				Taxpayer Identification Number				
				1									
				2									
				(ii) In case you are a Citizen of India or a Person of Indian Origin (POI), please specify -									
				Total period of stay in India during the previous year (in days)					Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)				
			Residential Status in India (for HUF) (Tick applicable option)	☐ Resident ☐ Resident but not Ordinarily Resident ☐ Non-resident									
(g)	Do you want to claim the benefit under section 115H? (applicable in case of resident)										☐ Yes ☐ No		
(h)	Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? (Tick) ☐										☐ Yes ☐ No (If "YES" please fill Schedule 5A)		
(i)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) ☐										☐ Yes ☐ No If yes, furnish following information -		
	(1)	Name of the representative assessee											
	(2)	Email-ID of the representative assessee											
	(3)	Contact number of the representative assessee											
(j)	Whether you were Director in a company at any time during the previous year? (Tick) ☒										☐ Yes ☐ No		
	If yes, please furnish following information -												
	Name of Company	Type of Company	PAN	Whether its shares are listed or unlisted		Director Identification Number (DIN)							
(k)	Whether you are Partner in a firm? (Tick) ☒										☐ Yes ☐ No If yes, please furnish following information		
	Name of Firm			PAN									

(l)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No If yes, please furnish following information in respect of equity shares													
	Name of company	Type of Company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year					Shares transferred during the year		Closing balance	
				No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(m)	In case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No													

	In the case of non-resident, is there a Significant Economic Presence (SEP) in India (Tick) ☐ Yes ☐ No please provide details of		
(n)	(a) aggregate of payments arising from the transaction or transactions during the previous year as referred in Explanation 2A(a) to Section 9(1)(i) (b) number of users in India as referred in Explanation 2A(b) to Section 9(1)(i).		
(o)	Whether assessee has a unit in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? ☐ Yes ☐ No		
(p)	Whether you are an FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No		
(q)	Legal Entity Identifier (LEI) details (mandatory if refund is 50 Crores or more)		
	LEI Number		Valid upto date

AUDIT INFORMATION	A20	a1	Are you liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) ☒ Yes ☐ No		
		a2	Whether assessee is declaring income only under section 44AE/44B/44BB/44AD/44ADA/44BBA/44BBC/44BBD ☐ Yes ☐ No		
		a2i	Please select the range of total sales/turnover/gross receipts of business ☐ Up to Rs. 1 crore ☐ More than Rs. 1 crore and up to Rs. 10 crores ☐ More than Rs. 10 crores		
		a2ii	If "More than Rs. 1 crore and up to Rs. 10 crores" option is selected at a2i, please select the percentage of amounts received in cash & non a/c payee cheque/ bank draft out of the aggregate receipts during the previous year ☐ Up to 5% ☐ More than 5% (Note: If this percentage is more than 5%, you are liable for audit u/s. 44AB)		
		a2iii	If "More than Rs. 1 crore and up to Rs. 10 crores" option is selected at a2i, please select the percentage of payments made in cash & non a/c payee cheque/ bank draft out of the aggregate payments made during the previous year ☐ Up to 5% ☐ More than 5% (Note: If this percentage is more than 5%, you are liable for audit u/s. 44AB)		
		(b)	Are you liable for audit under section 44AB? (Tick) ☒ Yes ☐ No		
			If Yes is selected at (b), mention by virtue of which of the following conditions:		
		(bi)	Sales, turnover or gross receipts exceeds the limits specified under section 44AB (Tick) ☒		
		(bii)	Assessee falling u/s 44AD/44ADA/44AE/44BB but not offering income on presumptive basis (Tick applicable section) ☒ ☐ 44AD, ☐ 44ADA, ☐ 44AE, ☐ 44BB		
		(biii)	Others (Tick) ☒		
		(c)	If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) ☒ Yes ☐ No If Yes, furnish the following information below		
			(1)	Date of furnishing of audit report (DD/MM/YYYY)	
			(2)	Acknowledgement number of the audit report	
			(3)	Name of the auditor (proprietorship/ firm)	
			(4)	PAN/ Aadhaar No. of the proprietorship/ firm	
		(di)	Are you liable for Audit u/s 92E? ☐ Yes ☐ No		
		(dii)	If (di) is Yes, Whether the accounts have been audited u/s 92E? ☐ Yes ☐ No		Date of furnishing the audit report? DD/MM/YY Acknowledgement number
		(diii)	If liable to furnish other audit report, mention whether have you furnished such report. If yes, please provide the details as under:		
		Sl. No.	Section Code	Date (DD/MM/YYYY)	Acknowledgement number
	(e)	If liable to audit under any Act other than the Income-tax act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report?			
		Act and section		(DD/MM/YY)	Act and section (DD/MM/YY)

NATURE OF BUSINESS		NATURE OF BUSINESS OR PROFESSION, IF MORE THAN ONE BUSINESS OR PROFESSION INDICATE THE THREE MAIN ACTIVITIES/ PRODUCTS (OTHER THAN THOSE DECLARING INCOME UNDER SECTIONS 44AD, 44ADA AND 44AE)		
S.No.	Code	Trade name of the proprietorship, if any	Description	
(i)				
(ii)				
(iii)				

Part A-BS		BALANCE SHEET AS ON 31 ST DAY OF MARCH, 2026 OF THE PROPRIETORY BUSINESS OR PROFESSION (fill items below in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill item 6)			
SOURCES OF FUNDS	1	Proprietor's fund			
	a	Proprietor's capital			a
	b	Reserves and Surplus			
	i	Revaluation Reserve	bi		
	ii	Capital Reserve	bii		
	iii	Statutory Reserve	biii		
	iv	Any other Reserve	biv		
	v	Total (bi + bii + biii + biv)			bv
	c	Total proprietor's fund (a + bv)			1c
	2	Loan funds			
	a	Secured loans			
	i	Foreign Currency Loans	ai		
	ii	Rupee Loans			
	A	From Banks	iiA		
	B	From others	iiB		
	C	Total (iiA + iiB)			iiC
	iii	Total (ai + iiC)			aiii
	b	Unsecured loans (including deposits)			
	i	From Banks	bi		
	ii	From others	bii		
	iii	Total (bi + bii)			biii
	c	Total Loan Funds (aiii + biii)			2c
	3	Deferred tax liability			3
	4	Advances			
	i	From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act	i		
	ii	From others	ii		
	iii	Total Advances (i + ii)			4iii
	5	Sources of funds (1c + 2c + 3 + 4iii)			5

APPLICATION OF FUNDS

APPLICATION OF FUNDS	1 Fixed assets									
	a	Gross: Block	1a							
	b	Depreciation	1b							
	c	Net Block (a – b)	1c							
	d	Capital work-in-progress	1d							
	e	Total (1c + 1d)			1e					
	2 Investments									
	a	Long-term investments								
		i	Government and other Securities - Quoted	ai						
		ii	Government and other Securities – Unquoted	aii						
		iii	Total (ai + aii)				aiii			
	b	Short-term investments								
		i	Equity Shares, including share application money	bi						
		ii	Preference Shares	bii						
		iii	Debentures	biii						
		iv	Total (bi + bii + biii)				biv			
	c	Total investments (aiii + biv)			2c					
	3 Current assets, loans and advances									
	a	Current assets								
		i	Inventories							
			A	Stores/consumables including packing material			iA			
			B	Raw materials			iB			
			C	Stock-in-process			iC			
			D	Finished Goods/Traded Goods			iD			
			E	Total (iA + iB + iC + iD)			iE			
		ii	Sundry Debtors				aii			
	iii	Cash and Bank Balances								
		A	Cash-in-hand	iiiA						
		B	Balance with banks	iiiB						
		C	Total (iiiA + iiiB)				iiiC			
	iv	Other Current Assets					aiv			
	v	Total current assets (iE + aii + iiiC + aiv)					av			
	b	Loans and advances								
		i	Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received	bi						
		ii	Deposits, loans and advances to corporates and others	bii						
		iii	Balance with Revenue Authorities	biii						
		iv	Total (bi + bii + biii)				biv			
	c	Total of current assets, loans and advances (av + biv)					3c			
	d	Current liabilities and provisions								
		i	Current liabilities							
			A	Sundry Creditors					iA	
			B	Liability for Leased Assets					iB	
			C	Interest Accrued on above					iC	
			D	Interest accrued but not due on loans	iD					

Part A- Trading Account		Trading Account for the financial year 2025-26 (fill items 4 to 12 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 61 to 65 as applicable)			
CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations			
	A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)			
		i	Sale of goods	i	
		ii	Sale of services	ii	
		iii	Other operating revenues (specify nature and amount)		
		a		iiia	
		b		iiib	
		c	Total (iiia + iiib)	iiic	
	iv	Total (i + ii + iiic)			Aiv
	B	Gross receipts from Profession			B
	C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied			
		i	Union Excise duties	i	
		ii	Service tax	ii	
		iii	VAT/ Sales tax	iii	
iv		Central Goods & Service Tax (CGST)	iv		
v		State Goods & Services Tax (SGST)	v		
vi		Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi		
vii		Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii		
viii		Any other duty, tax and cess	viii		
ix	Total (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)			Cix	
D	Total Revenue from operations (Aiv + B + Cix)			4D	
5	Closing Stock of Finished Goods			5	
6	Total of credits to Trading Account (4D + 5)			6	
DEBITS TO TRADING ACCOUNT	7	Opening Stock of Finished Goods			7
	8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			8
	9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)			9
	i	Carriage inward	9i		
		ii	Power and fuel	9ii	
		iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	9iii	
	10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased			
	i	Custom duty	10i		
	ii	Counter veiling duty	10ii		
	iii	Special additional duty	10iii		
	iv	Union excise duty	10iv		
	v	Service tax	10v		
	vi	VAT/ Sales tax	10vi		
	vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	10vii		
viii	State Goods & Services Tax (SGST)	10viii			
ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	10ix			
x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	10x			
xi	Any other tax, paid or payable	10xi			

	xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)	10xii	
11		Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account	11	
12		Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)	12	
12a		Turnover from Intraday Trading	12a	
12b		Income from Intraday Trading - transferred to Profit and Loss account	12b	
12c		Turnover from Futures & Options Trading	12c	
12d		Income from Futures & Options Trading - transferred to Profit and Loss account	12d	

Part A-P & L		Profit and Loss Account for the financial year 2025-26 (fill items 13 to 60 & 66 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 61 to 65 as applicable)			
CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account (12+12b+12d)			13
	14	Other income			
		i	Rent	i	
		ii	Commission	ii	
		iii	Dividend income	iii	
		iv	Interest income	iv	
		v	Profit on sale of fixed assets	v	
		vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi	
		vii	Profit on sale of other investment	vii	
		viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii	
		ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion)	ix	
		x	Agricultural income	x	
		xi	Any other income (specify nature and amount)		
		a		xia	
DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT		b		xib	
		C	Total (xia + xib)	xic	
	xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)			14xii
	15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)			15
	16	Freight outward			16
	17	Consumption of stores and spare parts			17
	18	Power and fuel			18
	19	Rents			19
	20	Repairs to building			20
	21	Repairs to machinery			21
	22	Compensation to employees			
		i	Salaries and wages	22i	
		ii	Bonus	22ii	
		iii	Reimbursement of medical expenses	22iii	
		iv	Leave encashment	22iv	
		v	Leave travel benefits	22v	
		vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi	
		vii	Contribution to recognised provident fund	22vii	
		viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii	
		ix	Contribution to any other fund	22ix	

	x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x		
	xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)			22xi
	xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xiia	Yes / No	
		If Yes, amount paid to non-residents	xiib		
23	Insurance				
	i	Medical Insurance	23i		
	ii	Life Insurance	23ii		
	iii	Keyman's Insurance	23iii		
	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv		
	v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			
24	Workmen and staff welfare expenses				24
25	Entertainment				25
26	Hospitality				26
27	Conference				27
28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)				28
29	Advertisement				29
30	Commission				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)			
31	Royalty				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)			
32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)			
33	Hotel, boarding and Lodging				33
34	Traveling expenses other than on foreign traveling				34
35	Foreign travelling expenses				35
36	Conveyance expenses				36
37	Telephone expenses				37
38	Guest House expenses				38
39	Club expenses				39
40	Festival celebration expenses				40
41	Scholarship				41
42	Gift				42
43	Donation				43
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)				
	i	Union excise duty	44i		
	ii	Service tax	44ii		

	iii	VAT/ Sales tax	44iii			
	iv	Cess	44iv			
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)	44v			
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)	44vi			
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	44vii			
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	44viii			
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT	44ix			
	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)	44x			
45	Audit fee			45		
46	Other expenses (specify nature and amount)					
	i		i			
	ii		ii			
	iii	Total (i + ii)	46iii			
47	Bad debts (specify PAN/Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)					
	i1			47 i1		
	i2			47 i2		
	i3			47 i3		
	i	Rows can be added as required Total (47i1+47i2+47i3)	47i			
	ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)	47ii			
	iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)	47iii			
	iv	Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii)	47iv			
48	Provision for bad and doubtful debts			48		
49	Other provisions			49		
50	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47 iv + 48 + 49)]			50		
51	Interest					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)	51iii			
PROVISION FOR TAX AND APPROPRIATIONS	52	Depreciation and amortization			52	
	53	Net profit before taxes (50 – 51iii – 52)			53	
	54	Provision for current tax			54	
	55	Provision for Deferred Tax			55	
	56	Profit after tax (53 - 54 - 55)			56	
	57	Balance brought forward from previous year			57	
	58	Amount available for appropriation (56 + 57)			58	
	59	Transferred to reserves and surplus			59	
60	Balance carried to balance sheet in proprietor's account (58 – 59)			60		
PRESUMPTIVE INCOME CASES	61	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD				
		SR.NO	Name of Business	Business code	Description	
	(i)	Gross Turnover or Gross Receipts (iA + iB + iC) (61i limited to Rs.2 Crores, however if 61iB + 61iC is less than or equal to 5% of 61i then the limit under 61i is extended to Rs.3 Crores.)			61i	

		A	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or other prescribed electronic modes before specified date	iA			
		B	Receipts in Cash	iB			
		C	Any mode other than A and B	iC			
	(ii)	Presumptive Income under section 44AD (iiA + iiB)				61ii	
		A	6% of 61iA, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	iiA			
		B	8% of (61iB+61iC), or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	iiB			
NOTE—If income is less than the above percentage of Gross Receipts/Turnover, it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB							
	62	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA					
		SR.NO	Name of Business/Profession	Business code	Description		
	(i)	Gross Receipts (62i limited to Rs.50 Lakh, however if 62iB + 62iC is less than or equal to 5% of 62i then limit under 62i is extended to Rs.75 Lakh)				62i	
		A	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or prescribed electronic modes received before specified date	iA			
		B	Receipts in Cash	iB			
		C	Any mode other than A and B	iC			
	(ii)	Presumptive Income under section 44ADA (50% of 62i, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher)				62ii	
NOTE—If income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB							
	63	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE					
		SR.NO	Name of Business	Business code	Description		
		<u>Registration No. of goods carriage</u>	<u>Whether owned/leased/hired</u>	<u>Tonnage capacity of goods carriage (in MT)</u>	<u>Number of months for which goods carriage was owned/leased/hired by assessee</u>	<u>Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher</u>	
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	(a)						
	(b)						
Add row options as necessary (At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles)							
		Total					
	(ii)	Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 63(i)]				63(ii)	
NOTE— If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned / leased / hired at any time during the year exceeds 10, then , it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB							
NO ACCOUNT CASE	64	IF REGULAR BOOKS OF ACCOUNT OF BUSINESS OR PROFESSION ARE NOT MAINTAINED, furnish the following information for previous year 2025-26 in respect of business or profession -					
	(i)	For assessee carrying on Business					
	a	Gross receipts (a1 + a2)			ia		
	1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or other prescribed electronic modes before specified date			a1		
	2	Any other mode			a2		
	b	Gross profit			ib		
	c	Expenses			ic		
	d	Net profit				64i	

		(ii) For assessee carrying on Profession			
		a	Gross receipts (a1 + a2)	iiia	
		1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or other prescribed electronic modes before specified date	a1	
		2	Any other mode	a2	
		b	Gross profit	iib	
		c	Expenses	iic	
		d	Net profit		64ii
		(iii) Total profit (64i + 64ii)			64iii
	65	i	Turnover from speculative activity		65i
		ii	Gross Profit		65ii
		iii	Expenditure, if any		65iii
		iv	Net income from speculative activity (65ii-65iii)		65iv
	66	In case of Non-Resident, if the total income comprises of profits and gains from business referred to in sections 44B, 44BB, 44BBA, 44BBC, 44BBD, furnish the following information			
		i	Gross receipts / Turnover		66i
		ii	Net profit		66ii

Part A-OI		Other Information (mandatory if liable for audit under section 44AB; for others, fill if applicable)				
OTHER INFORMATION	1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) ☒ ☐ mercantile ☐ cash				
	2	Is there any change in method of accounting (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No				
	3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column XI (3) of Schedule ICDS]		3a		
	3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column XI(4) of Schedule ICDS]		3b		
	4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year				
	a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)			☐	
	b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)			☐	
	c	Is there any change in stock valuation method (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No				
	d	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A		4d		
	e	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A		4e		
	5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -				
	a	the items falling within the scope of section 28	5a			
	b	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b			
	c	escalation claims accepted during the previous year	5c			
	d	any other item of income	5d			
	e	capital receipt, if any	5e			
	f	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)			5f	
	6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of conditions specified in relevant clauses				
a	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a				
b	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b				

	c	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c		
		d Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d		
		e Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iii a)]	6e		
		f Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f		
		g Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g		
		h Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iv a)]	6h		
		i Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i		
		j Amount of contributions to any other fund	6j		
		k Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k		
		l Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l		
		m Provision for bad and doubtful debts [36(1)(vii a)]	6m		
		n Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n		
		o Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o		
		p Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p		
		q Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)]	6q		
		r Any other disallowance	6r		
		s Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6r)	6s		
	7	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37			
		a Expenditure of capital nature [37(1)]	7a		
		b Expenditure of personal nature [37(1)]	7b		
		c Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)]	7c		
		d Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d		
		e Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e		
		f Any other penalty or fine	7f		
		g Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g		
		h Amount of any liability of a contingent nature	7h		
		i Any other amount not allowable under section 37	7i		
		j Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7i)	7j		
	8	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40			
	A	a Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa		
		b Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab		

		c	Amount disallowable under section 40(a)(ib), on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac		
		d	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad		
		e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae		
		f	Amount paid as wealth tax [40(a)(iia)]	Af		
		g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag		
		h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member inadmissible under section [40(b)/40(ba)]	Ah		
		i	Any other disallowance	Ai		
		j	Total amount disallowable under section 40 (total of Aa to Ai)		8Aj	
		B	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year		8B	
		9	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A			
		a	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a		
		b	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic mode as may be prescribed, disallowable under section 40A(3)	9b		
		c	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c		
		d	Any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d		
		e	Any other disallowance	9e		
		f	Total amount disallowable under section 40A (total of 9a to 9e)		9f	
		10	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year			
		a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a		
		b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b		
		c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c		
		d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d		
		da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from such class of non-banking financial companies as may be notified by the Central Government, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	10da		
		e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e		
		f	Any sum payable towards leave encashment	10f		
		g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g		
		h	Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006	10h		
		i	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10h)		10i	

11	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a	
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b	
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c	
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d	
	da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from such class of non-banking financial companies as may be notified by the Central Government, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	11da	
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e	
	f	Any sum payable towards leave encashment	11f	
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g	
	h	Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006	11h	
	i	Total amount disallowable under Section 43B (total of 11a to 11h)		11i
12	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of			
	a	Union Excise Duty	12a	
	b	Service tax	12b	
	c	VAT/sales tax	12c	
	d	Central Goods & Service Tax (CGST)	12d	
	e	State Goods & Services Tax (SGST)	12e	
	f	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	12f	
	g	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	12g	
	h	Any other tax	12h	
	i	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)		12i
13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA			13
14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41			14
15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)			15
16	Amount of expenditure disallowed u/s 14A			16
17	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006			17
18	Whether assessee is exercising option under subsection 2A of section 92CE Tick) ☒ Yes ☐ No [If yes, please fill schedule TSPA]			18

Part A – QD		Quantitative details (mandatory if liable for audit under section 44AB)	
QUANTITATIVE DETAILS	(a)	In the case of a trading concern	
	1	Opening stock	1
	2	Purchase during the previous year	2
	3	Sales during the previous year	3
	4	Closing stock	4
	5	Shortage/ excess, if any	5
	(b)	In the case of a manufacturing concern	
6	Raw materials		

			a	Opening stock	6a	
			b	Purchases during the previous year	6b	
			c	Consumption during the previous year	6c	
			d	Sales during the previous year	6d	
			e	Closing stock	6e	
			f	Yield finished products	6f	
			g	Percentage of yield	6g	
			h	Shortage/ excess, if any	6h	
		7	Finished products/ By-products			
			a	opening stock	7a	
			b	purchase during the previous year	7b	
			c	quantity manufactured during the previous year	7c	
			d	sales during the previous year	7d	
			e	closing stock	7e	
			f	shortage/ excess, if any	7f	

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule S		Details of Income from Salary			
SALARIES	Name of Employer		Nature of employer (Tick) ☒ Drop down to be provided		TAN of Employer (mandatory if tax is deducted)
	Address of employer		Town/City	State	Pin code/Zip code
	1 Gross Salary (1a + 1b + 1c+1d+1e+1f)		1		
	a	Salary as per section 17(1) (drop down to be provided)	1a		
	b	Value of perquisites as per section 17(2) (drop down to be provided)	1b		
	c	Profit in lieu of salary as per section 17(3) (drop down to be provided)	1c		
	d	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A	1d		
	e	Income from retirement benefit account maintained in a country 'other than notified country' u/s 89A	1e		
	f	Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year	1f		
	(Add multiple rows for Gross Salary in case of more than one employer)				
2	Total Gross Salary (from all employers)			2	
2a	Income claimed for relief from taxation u/s 89A			2a	
3	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop-down to be provided in e-filing utility) (Note-Ensure that it is included in Total Gross salary in (2) above)			3	
4	Net Salary (2 – 2a – 3)			4	
5	Deduction u/s 16 (5a + 5b + 5c)			5	
a	Standard deduction u/s 16(ia)	5a			
b	Entertainment allowance u/s 16(ii)	5b			
c	Professional tax u/s 16(iii)	5c			
6	Income chargeable under the Head 'Salaries' (4 - 5)			6	

Schedule HP		Details of Income from House Property (Drop down to be provided indicating ownership of property)				
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1	Town/ City	State	Country	PIN Code/ Zip Code
	Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details)					
	Your percentage of share in the property (%)					
	Name of Co-owner(s)		PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)		Percentage Share in Property	
	I					
	II					
	[Tick ☒ the applicable option] ☐ Let out ☐ Self-occupied ☐ Deemed let out		Name(s) of Tenant(s) (if let out)		PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)	
	I					
	II					
	a	Gross rent received or receivable or lettable value				1a
b	The amount of rent which cannot be		1b			
c	Tax paid to local authorities		1c			
d	Total (1b + 1c)		1d			
e	Annual value (1a – 1d) (nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the				1e	
f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)				1f	

	g	30% of 1f	1g		
	h	Interest payable on borrowed capital (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	1h		
	i	Total (1g+ 1h)	1i		
	j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%	1j		
	k	Income from house property 1 (1f – 1i + 1j) (fill up details separately for each property)	1k		
2	Pass through income/Loss if any *			2	
3	Income under the head “Income from house property” (Σ1k + 2) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)			3	
NOTE ▶	Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI and Pass-through income referred to in schedule PTI while computing the income under this head				
NOTE ▶	Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.				

Schedule BP		Computation of income from business or profession			
INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	A	From business or profession other than speculative business and specified business			
	1	Profit before tax as per profit and loss account (item 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii), 65(iv) and 66(ii) of P&L)			1
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss) [Sl.no.12b of Trading account + Sl.no 65iv of Schedule P&L]			2a
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)			2b
	3	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income or chargeable u/s 115BBF or chargeable u/s 115BBG or chargeable u/s 115BBH	a	Salaries	3a
			b	House property	3b
			c	Capital gains	3c
			d	Other sources	3d
			di	Dividend income	3di
			dii	other than Dividend income	3dii
			e	u/s 115BBF	3e
			f	u/s 115BBG	3f
			g	u/s 115BBH (net of Cost of Acquisition)	3g
	4a	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA/44BBC/44BBD/44DA (drop down to be provided)			4a
	4b	Profit from activities covered under rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided and capture as individual line item)			4b
	5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt			
		a	Share of income from firm(s)	5a	
		b	Share of income from AOP/ BOI	5b	
		c	Any other exempt income (specify nature and amount)		
		i		ci	
		ii		cii	
		iii	Total (ci + cii)	5ciii	
	d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)			5d
5A	Income or receipts credited to Profit and Loss account but not chargeable to tax under the Act			5A	
6	Balance (1– 2a – 2b – 3a – 3b – 3c – 3d – 3e – 3f –3g– 4a–4b– 5d–5A)				6
7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of	a	Salaries	7a	
		b	House property	7b	
		c	Capital gains	7c	
		d	Other sources	7d	

		income/related to income chargeable u/s 115BBF or u/s 115BBG or u/s 115BBH	e	u/s 115BBF	7e	
			f	u/s 115BBG	7f	
			g	u/s 115BBH (other than Cost of Acquisition u/s 115BBH)	7g	
	8a	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income			8a	
	8b	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI)				8b
	9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 7f + 7g + 8a + 8b)				9
	10	Adjusted profit or loss (6+9)				10
	11	Depreciation and amortization debited to profit and loss account				11
	12	Depreciation allowable under Income-tax Act				
	i	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(iia) (item 6 of Schedule-DEP)			12i	
	ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)			12ii	
	iii	Total (12i + 12ii)				12iii
	13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10 + 11 – 12iii)				13
	14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6 s of PartA-OI)				14
	15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7j of PartA-OI)				15
	16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of PartA-OI)				16
	17	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9f of PartA-OI)				17
	18	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11i of PartA-OI)				18
	19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (17 of Part A-OI)				19
	20	Deemed income under section 41				20
	21	Deemed income under section 32AD/ 33AB/ 33ABA/ 35ABA /35ABB/ 40A(3A)/ 72A/80HHD/ 80-1A				21
	22	Deemed income under section 43CA				22
	23	Any other item of addition under section 28 to 44DA				23
	24	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which individual/HUF/prop. concern is a partner)				24
	25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A - OI)				25
	26	Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)				26
	27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)				27
	28	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)				28
	29	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year (8B of PartA-OI)				29
	30	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year (10i of PartA-OI)				30
	31	Any other amount allowable as deduction				31
	32	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)				32
	33	Total (27+28+29+30+31+32)				33
	34	Income (13+26-33)				34
	35	Profits and gains of business or profession deemed to be under -				
	i	Section 44AD (61(ii) of schedule P&L)			35i	
	ii	Section 44ADA (62(ii) of schedule P&L)			35ii	
	iii	Section 44AE (63(ii) of schedule P&L)			35iii	
	iv	Section 44B			35iv	

	v	Section 44BB	35v		
	via	Section 44BBA	35via		
	vib	Section 44BBC	35vib		
	vic	Section 44BBD	35vic		
	vii	Section 44DA	35vii	(item 4 of Form 3CE)	
	viii	Total (35i to 35vii)	35viii		
36		Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (34 + 35viii)	36		
37		Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 36) (If loss take the figure to 2i of item E) (37a+ 37b + 37c + 37d + 37e + 37f)		A37	
	a	Income chargeable under Rule 7	37a		
	b	Deemed income chargeable under Rule 7A	37b		
	c	Deemed income chargeable under Rule 7B(1)	37c		
	d	Deemed income chargeable under Rule 7B(1A)	37d		
	e	Deemed income chargeable under Rule 8	37e		
	f	Income other than Rule 7A, 7B & 8 (Item No. 36)	37f		
38		Balance of income deemed to be from agriculture, after applying Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and Rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4b-(37a+37b+37c+37d+37e)]		38	
B Computation of income from speculative business					
39		Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account (Item No. 2a)		39	
40		Additions in accordance with section 28 to 44DA		40	
41		Deductions in accordance with section 28 to 44DA		41	
42		Income from speculative business (39+ 40 – 41) (if loss, take the figure to 6xix of schedule CFL)		B42	
C Computation of income from specified business under section 35AD					
43		Net profit or loss from specified business as per profit or loss account		43	
44		Additions in accordance with section 28 to 44DA		44	
45		Deductions in accordance with section 28 to 44DA (other than deduction under section, (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)		45	
46		Profit or loss from specified business (43 + 44 -45)		46	
47		Deductions in accordance with section 35AD(1)		47	
48		Income from Specified Business (46-47) (if loss, take the figure to 7xix of schedule CFL)		C48	
49		Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)		C49	
D		Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A37+B42+C48)		D	
E Intra head set off of business loss of current year					
	Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off	Business income remaining after set off
			(1)	(2)	(3) = (1) – (2)
	i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A37)	
	ii	Income from speculative business	(B42)		
	iii	Income from specified business	(C48)		
	iv	Total loss set off (ii + iii)			
	v	Loss remaining after set off (i – iv)			
NOTE Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head					

Schedule DPM		Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)			
DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY	1	Block of assets	Plant and machinery		
	2	Rate (%)	15	30	40
			(i)	(ii)	(iii)
	3a	Written down value on the first day of previous year			
	3b	Adjustment as per second proviso to sub-section (3) of section 115BAC (Refer to rule 5)			
	3	Total (3a + 3b)			

	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year					
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4					
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 - 5) (enter 0, if result is negative)					
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year					
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7					
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)					
	10	Depreciation on 6 at full rate					
	11	Depreciation on 9 at half rate					
	12	Additional depreciation, if any, on 4					
	13	Additional depreciation, if any, on 7					
	14	Additional depreciation relating to immediately preceding year on asset put to use for less than 180 days					
	15	Total depreciation (10+11+12+13+14)					
	16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 15)					
	17	Net aggregate depreciation (15-16)					
	18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)					
	19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets					
	20	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 19) (enter negative only if block ceases to exist)					
	21	Written down value on the last day of previous year (6+ 9 -15) (enter 0 if result is negative)					

Schedule DOA		Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)							
DEPRECIATION ON OTHER ASSETS	1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
	2	Rate (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	Written down value on the first day of previous year							
4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year								

5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 - 5) (enter 0, if result is negative)							
7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
10	Depreciation on 6 at full rate							
11	Depreciation on 9 at half rate							
12	Total depreciation (10+11)							
13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12)							
14	Net aggregate depreciation (12-13)							
15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
17	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
18	Written down value on the last day of previous year (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)							

Schedule DEP		Summary of depreciation on assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)						
SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery						
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM -17i or 18i as applicable)	1a					
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable)	1b					
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable)	1c					
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 17iv or 18iv as applicable)	1d					
	e	Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c+1d)					1e	
	2	Building (not including land)						
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	2a					
	B	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	2b					
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)	2c					
	d	Total depreciation on building (total of 2a + 2b + 2c)					2d	
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 14v or 15v as applicable)					3	
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 14vi or 15vi as applicable)					4	
	5	Ships (Schedule DOA- 14vii or 15vii as applicable)					5	

6	Total depreciation (1e+2d+3+4+5)	6	

Schedule DCG		Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets	
DEEMED CAPITAL GAINS	1	Plant and machinery	
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 20i)	1a
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 20ii)	1b
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1c
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 20iv)	1d
	e	Total (1a + 1b + 1c + 1d)	1e
	2	Building (not including land)	
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)	2a
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)	2b
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)	2c
	d	Total (2a + 2b + 2c)	2d
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 17v)	3
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)	4
	5	Ships (Schedule DOA- 17vii)	5
	6	Total (1e+2d+3+4+5)	6

Schedule ESR		Expenditure on scientific Research etc. (Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD)		
Sl No	Expenditure of the nature referred to in section (1)	Amount, if any, debited to profit and loss account (2)	Amount of deduction allowable (3)	Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ia)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2AA)			
vii	35(2AB)			
viii	35CCC			
ix	35CCD			
X	Total			
NOTE	In case any deduction is claimed under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA), please provide the details as per Schedule RA.			

Schedule CG		Capital Gains	
CAPITAL GAINS	A	Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 and 5 are not applicable for residents)	
	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)	
		Date of purchase/ acquisition DD/MM/YYYY	Date of sale/transfer DD/MM/YYYY
	a	i	Full value of consideration received/receivable
		ii	Value of property as per stamp valuation authority
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains () [in case (a) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (a)]
	b	Deductions under section 48	

			i	Cost of acquisition without indexation				bi				
			ii	Cost of Improvement without indexation				bii				
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii				
			iv	Total (bi + bii + biii)				biv				
			c	Balance (aiii – biv)				1c				
			d	Deduction under section 54B/54G/54GA (Specify details in item D below)				1d				
			e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)				A1e				
			f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)								
				S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code		Pin code	State
		NOTE	Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.									
		2	From slump sale									
			a	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)			2ai				
			ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)			2aii					
			iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)			2aiii					
			b	Net worth of the undertaking or division(6(e) of Form 3CEA)			2b					
			c	Short term capital gains from slump sale (2aiii-2b)			A2c					
		3	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII) (where A4 is not applicable)									
			a	Full value of consideration			3a					
			b	Deductions under section 48								
			i	Cost of acquisition without indexation			bi					
				Cost of Improvement without indexation			bii					
				Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii					
				Total (bi + bii + biii)			biv					
			c	Balance (3a – 3biv)			3c					
			d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)			3d					
			e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c + 3d)			A3e					
			4	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)								
a	STCG on transactions covered u/s 111A			A4a								
b	STCG from sale of shares not covered in sl.no. 4a or sale of debentures			A4b								
		5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD									
			a	i In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details								
				a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares		ia					
				b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner		ib					

				c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic						
				ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	ii						
				iii	Total (ic + ii)	aiii						
			b	Deductions under section 48								
				i	Cost of acquisition without indexation	bi						
				ii	Cost of improvement without indexation	bii						
				iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii						
				iv	Total (bi + bii + biii)	biv						
			c	Balance (5aiii – biv)				5c				
			d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)				5d				
			e	Short-term capital gain on sale of securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)						A5e		
6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above											
		a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details								
				a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia						
				b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib						
				c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic						
				ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii						
				iii	Total (ic + ii)	aiii						
			b	Deductions under section 48								
				i	Cost of acquisition without indexation	bi						
				ii	Cost of Improvement without indexation	bii						
				iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii						
				iv	Total (bi + bii + biii)	biv						
			c	Balance (6aiii – biv)				6c				
			d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)				6d				
			e	Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule- DCG)				6e				
			f	Deduction under section 54G/54GA				6f				
			g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e -6f)						A6g		
7	Amount deemed to be short term capital gains											
	a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? o Yes o No o Not applicable. If yes, then provide the details below										
		Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed				Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)			
					Previous year in which asset acquired/ constructed	Amount utilized out of Capital Gains account						
		i	2022-23	54G/54GA								

Long-term Capital Gains	B Long-term capital gain (LTCG) <i>(Sub-items, 5, 6, 7 & 8 are not applicable for residents)</i>				
	1 From sale of land or building or both <i>(fill up details separately for each property from a to f)</i>				
	Date of purchase/ acquisition		DD/MM/YYYY	Date of sale/transfer	DD/MM/YYYY
	a	i	Full value of consideration received/receivable		ai
		ii	Value of property as per stamp valuation authority		aii
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]		aiii
	b Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition without indexation		bi
		ii	Cost of acquisition with indexation (Applicable only for Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before 23rd July 2024)		biia
		iiib	Total cost of improvement		b
			(a) Cost of improvement without indexation		biib(a)
			(b) Year of improvement		
			(c) Cost of Improvement with indexation (b & c applicable only for Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before 23rd July 2024)		biib(c)
			Add row		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		biib
		iv	Total		biv
		iva	Total (only for the purpose of computing eiB)(biia + Σbiib(c) + biib) (Applicable for Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before 23 rd July 2024)		biva
	c	Balance (aiii – biv)			1c

		Balance (aiii – biva) (Applicable for Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before 23 rd July 2024) (only for the purpose of computing eiB) (In case of negative, to be considered as nil)					1ca		
d		Deduction under section 54/54B/54D/54EC/54F/54G/54GA (Specify details in item D below)					1d		
e		Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)					B1e		
ea		Long term Capital Gains on Immovable property (1ca – 1d) (Applicable for Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before 23 rd July 2024) (only for the purpose of computing eiB) (In case of negative, to be considered as nil)					B1ea		
ei		Where acquisition is before 23 rd July 2024 (for residents only) A. <u>Tax as per 112(1)(a)(ii)(B) (1e*12.5%)</u> B. <u>Tax for the purposes of second proviso to section 112(1)(a) (1ea*20%)</u> (Note : Tax computed at (ei) is for determining 'excess amount to be ignored in e(ii)')					B1ei(A) B1ei(B)		
eii		Excess amount, if any, that is required to be ignored as per second proviso to section 112(1)(a) (for residents only) [B1ei(A)- B1ei(B)]					B1eii		
f		In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)							
	S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	Pin code and state		
NOTE ▶		Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.							
g		Total Long-term Capital Gains on all Immovable properties (ΣB1e)					B1g		
h		Total excess tax to be ignored (ΣB1eii)					B1h		
2		From slump sale							
a	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)			2ai				
	ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)			2aii				
	iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)			2aii				
	b	Net worth of the undertaking or division(6(e) of Form 3CEA)			2b				
	c	Balance (2aiii – 2b)			2c				
	d	Deduction u/s 54EC /54F (Specify details in item D below)			2d				
e		Long term capital gains from slump sale (2c-2d)					B2e		
3		From sale of (i) listed securities (other than a unit) or zero coupon bond as per Section 112(1); (ii) GDR of an Indian company referred in sec. 115ACA (applicable only for resident individuals)							
a	Full value of consideration			3a					
b	Deductions under section 48								
i	Cost of acquisition without indexation			bi					
ii	Cost of improvement without indexation			bii					
iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii					
iv	Total (bi + bii + biii)			biv					
c	Balance (3a – biv)			3c					
d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)			3d					

	e	Long-term Capital Gains on assets at B3 (3c – 3d)			B3e		
4	From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A						
	a	LTCG u/s 112A (column 14 of Schedule 112A)		4a			
	b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)		4b			
	c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B4 (4a – 4b)				B4c	
5	For NON-RESIDENTS- from sale of unlisted shares or listed debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)						
	a	LTCG computed without indexation benefit in respect of unlisted shares or listed debentures		5a			
	b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)		5b			
	c	LTCG on unlisted shares or listed debentures (5a-5b)			B5c		
6	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iii) securities by FII as referred to in sec. 115AD (other than securities referred to in section 112A for which column B7 is to be filled up)						
	a	i In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details					
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia			
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib			
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic			
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii			
		iii	Total (ic + ii)	aiii			
	b	Deductions under section 48					
		i	Cost of acquisition without indexation	bi			
		ii	Cost of improvement without indexation	bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
		iv	Total (bi + bii + biii)	biv			
	c	Balance (aiii – biv)		6c			
	d	Deduction under section 54F (Specify details in item D below)		6d			
	e	Long-term Capital Gains on assets at B6 in case of NON-RESIDENT (6c – 6d)				B6e	
7	For FII/FPI(NON-RESIDENTS) - From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A read with section 115AD						
	a	LTCG u/s 112A [Column 14 of Schedule 115AD(1)(b)(iii) proviso]		7a			
	b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)		7b			
	c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B7 (7a – 7b)				B7c	
8	From sale of foreign exchange asset by NON-RESIDENT INDIAN (If opted under chapter XII-A)						
	a	LTCG on sale of foreign exchange asset (as per section 115F)(computed without indexation)		8a			
	b	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)		8b			
	c	Balance LTCG on sale of foreign exchange asset (8a- 8b)				B8c	
9	From sale of assets where B1 to B8 above are not applicable						
	a	i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details					

		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia							
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib							
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic							
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii							
		iii	i. Total (ic + ii)	aiii							
		b	Deductions under section 48								
		i	Cost of acquisition without indexation	bi							
		ii	Cost of improvement without indexation	bii							
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii							
		iv	Total (bi + bii+biii)	biv							
		c	Balance (9aiii – biv)	9c							
		d	Deduction under section 54D//54F/54G/54GA (Specify details in item D below)	9d							
		e	Long-term Capital Gains on assets at B9 above (9c-9d)		B9e						
10			Amount deemed to be long-term capital gains								
		a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? o Yes o No o Not applicable. If yes, then provide the details below								
		Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed	Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)					
					Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilized out of Capital Gains account					
		i	2022-23	54/54D/54F/54G/ 54GA							
		ii	2023-24	54/54B/54D/54F/54G/54GA/ 54GB							
		iii	2024-25	54/54B/54D/54F/54G/54GA							
		b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'								
			Total amount deemed to be long-term capital gains (aXi + aXii + aXiii + b)				B10				
11			Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain (Fill up schedule PTI) (B11a1+B11a2)				B11				
		a1	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% u/s 112A				B11a1				
		a2	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% under sections other than u/s 112A				B11a2				
12			Amount of LTCG included in items B1 to B11 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA (Applicable for non-residents only)								
		Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B11 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		I									
		II									
		a	Total amount of LTCG claimed as not chargeable to tax as per DTAA							B12a	
		b	Total amount of LTCG claimed as chargeable to tax at special rates as per DTAA							B12b	
B(A)			Capital Loss on buy back of shares (Long Term Capital loss @12.5%) (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered in 1aiii or sl.no.2d/2e of schedule OS)							B(A)	

	13	Total long term capital gain chargeable under I.T. Act (B1g + B2e + B3e + B4c + B5c + B6c + B7c + B8c + B9e + B10 + B11 – B12a + B(A))				B13		
	C1	Sum of Capital Gain Incomes (8ii + 8iii + 8iv + 8v + 8vi + 8vii of table E below)					C1	
	C2	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Item No. B of Schedule VDA)					C2	
	C3	Income chargeable under the head “CAPITAL GAINS” (C1 + C2)					C3	
	D	Information about deduction claimed against Capital Gains						
	1	In case of deduction u/s 54/54B/54D/54EC /54F/54G/54GA/115F give following details						
		a	Deduction claimed u/s 54					
			i	Date of transfer of original asset	ai	dd/mm/yyyy		
			ii	Cost of new residential house	aii			
			iii	Date of purchase /construction of new residential house	aiii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	aiv			
			(iva) Date of deposit		(ivb) Account number	(ivc) IFS code		
			dd/mm/yyyy					
		v	Amount of deduction claimed			av		
		b	Deduction claimed u/s 54B					
			i	Date of transfer of original asset	bi	dd/mm/yyyy		
			ii	Cost of new agricultural land	bii			
			iii	Date of purchase of new agricultural land	biii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	biv			
			(iva) Date of deposit		(ivb) Account number	(ivc) IFS code		
			dd/mm/yyyy					
		v	Amount of deduction claimed			bv		
		c	Deduction claimed u/s 54D					
			i	Date of acquisition of original asset	ci	dd/mm/yyyy		
			ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking	cii			
			iii	Date of purchase of new land or building	ciii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	civ			
			(iva) Date of deposit		(ivb) Account number	(ivc) IFS code		
			dd/mm/yyyy					
		v	Amount of deduction claimed			cv		
		d	Deduction claimed u/s 54EC					
			i	Date of transfer of original asset	di	dd/mm/yyyy		
			ii	Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)	dii			
			iii	Date of investment	diii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount of deduction claimed	div			
		e	Deduction claimed u/s 54F					
			i	Date of transfer of original asset	ei	dd/mm/yyyy		
			ii	Cost of new residential house	eii			
			iii	Date of purchase/construction of new residential house	eiii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	eiv			
			(iva)Date of deposit		(ivb) Account number	(ivc) IFS code		
			dd/mm/yyyy					
		v	Amount of deduction claimed			ev		
		f	Deduction claimed u/s 54G					
			i	Date of transfer of original asset from urban area	fi	dd/mm/yyyy		
			ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	fii			
			iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area	fihi	dd/mm/yyyy		

		iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date		fiv			
			(iva) Date of deposit		(ivb) Account number	(ivc) IFS code		
			dd/mm/yyyy					
		v	Amount of deduction claimed		fv			
	g	Deduction claimed u/s 54GA						
			i	Date of transfer of original asset from urban area		gi	dd/mm/yyyy	
			ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset		gii		
			iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ		giii	dd/mm/yyyy	
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date		giv		
			(iva) Date of deposit		(ivb) Account number	(ivc) IFS code		
			dd/mm/yyyy					
			v	Amount of deduction claimed		gv		
h	Deduction claimed u/s 115F (for Non-Resident Indians)							
		i	Date of transfer of original foreign exchange asset		hi	dd/mm/yyyy		
		ii	Amount invested in new specified asset or savings certificate		hii			
		iii	Date of investment		hiii	dd/mm/yyyy		
		iv	Amount of deduction claimed		hiv			
		i	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f + 1g + 1h)		1i			

E	Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A9a & B13a which is chargeable under DTAA)									
	S. N o.	Type of Capital Gain	Capital Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss				Long term capital Loss		Current year's capital gains remaining after set off (8=1-2-3-4-5-6-7)*
				20%	30 %	Applicable rate	DTA A rate	12.5%	DTA A rate	
			1	2	3	4	5	6	7	8
	i	Capital Loss to be set off (Fill this row only, if figure computed is negative)		(A3e* + A4a* + A8a* + A(A))	(A3e* + A5e* + A8b* + A(A))	(A1e* + A2c* + A4b* + A6g* + A7* + A8c* + A(A))	A9b	(B1g* + B2e* + B3e* + B4c* + B5c* + B6e* + B7c* + B8c* + B9e* + B10* + B11a1* + B11a2* + B(A))	B12b	
	ii		20%	(A3e* + A4a* + A8a* + A(A))						

	iii		30%	$(A5e^{*+}$ $A8b^{*+}$ $A(A))$						
	iv		Applicable rate	$(A1e^{*+}$ $A2c^{*+}$ $A4b^{*+}$ $A6g^{*+}$ $A7^{*+}$ $A8c^{*+}$ $A(A))$						
	v		DTAA rates	$A9b$						
	vi		12.5%	$(B1g^{*+}$ $B2e^{*+}$ $+B3e^{*+}+B$ $4c^{*+}$ $B5c^{*+}$ $B6e^{*+}$ $B7c^{*+}$ $B8c^{*+}$ $B9e^{*+}$ $B10^{*+}$ $B11a1^{*+}$ $B11a2^{*+}$ $B(A))$						
	vii		DTAA rates	$B12b$						
	vii i	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii)								
	ix	Loss remaining after set off (i- viii)								
The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) is after setoff with similar securities and as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.										
The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B11) is after setoff with similar securities and as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.										

F Information about accrual/receipt of capital gain							
		Type of Capital gain / Date	Upto 15/6	16/6 to 15/9	16/9 to 15/12	16/12 to 15/3	16/3 to 31/3
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1		Short-term capital gains taxable at the rate of 20% Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any.					
2		Short-term capital gains taxable at the rate of 30% Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any.					
3		Short-term capital gains taxable at applicable rates Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any.					
4		Short-term capital gains taxable at DTAA rates Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.					
5		Long- term capital gains taxable at the rate of 12.5%					

[illegible]

Schedule 115AD(1)(b)(iii) proviso				For NON-RESIDENTS – From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A rws 115AD(1)(b)(iii) proviso											
Sl. No.	Share/Unit Acquired (On or before 31 st Jan 2018)	ISIN Code	Name of the Share /Unit	No. of Shares/Units	Sale - price per Share/Unit	Full value of consideration -If shares are acquired on or before 31.01.2018 (Total Sale Value) (4*5) - If shares are Acquired after 31 st January 2018 – Please enter Full Value of Consideration	Cost of acquisition without indexation (higher of 8 or 9)	Cost of acquisition	If the long-term capital asset was acquired before 01.02.2018, - Lower of 6 and 11	Fair Market Value per share/unit as on 31 st January, 2018	Total Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(a)-(4*10)	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Total deductions (7+12)	Balance (6-13) -Item 8 (a) of LTCG Schedule of ITR3	
(Col 1)	(Col 1a)	(Col 2)	(Col 3)	(Col 4)	(Col 5)	(Col 6)	(Col 7)	(Col 8)	(Col 9)	(Col 10)	(Col 11)	(Col 12)	(Col 13)	(Col 14)	
1															
2															
3															
4															
Add rows															
Total															

Schedule VDA	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Note: Details of every transaction are to be filled, wherein every ‘transfer’ is a transaction)					
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Business/Capital Gain)	Cost of Acquisition (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col. 5)
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)
Add Rows						
A. Total (Sum of all Positive Incomes of Business Income in Col. 7)						(Item No. A3g of Schedule BP)
B. Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)						(Item No. C2 of Schedule CG)

Schedule OS		Income from other sources					
OTHER SOURCES	1	Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)				1	
	a	Dividends, Gross (ai+aii+aiii)			1a		
	i	Dividend income other than ii and iii	ai				
	ii	Dividend income u/s 2(22)(e)	aii				
	iii	Dividend income u/s 2(22)(f)	aiii				
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv + bv + bvi + bvii + bviii + bix)			1b		
	i	From Savings Bank	bi				
	ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative) Society/)	bii				
	iii	From Income-tax Refund	biii				
	iv	In the nature of Pass-through income/Loss	biv				
	v	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(11)	bv				
	vi	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per Second proviso to section 10(11)	bvi				
	vii	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(12)	bvii				
	viii	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per second proviso to section 10(12)	bviii				
	ix	Others including interest from Companies, NBFCs & HFCs	bix				
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross			1c		
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)			1d		
	i	Aggregate value of sum of money received without consideration			di		
	ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property			dii		
	iii	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration			diii		
	iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property			div		
	v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration			dv		
	e	Any other income (please specify nature)			1e		
	Sl. No.	Nature				Amount	
	1	Family Pension					
	2	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A					
	3	Income from retirement benefit account maintained in a country other than notified country u/s 89A					
	4	Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year					
5	Any specified sum received by a unit holder from a business trust during the previous year referred to in section 56(2)(xii)						
6	Any sum is received, including the amount allocated by way of bonus, at any time during a previous year, under a life insurance policy referred to in section 56(2)(xiii)						
Rows can be added as required							
2	Income chargeable at special rates (2ai+2aii+ 2b+ 2c+ 2d + 2e + 2f related to Sl. No. 1)				2		
ai	Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, card games etc. chargeable u/s 115BB			2ai			

			aii	Income by way of winnings from online games chargeable u/s 115BBJ			2aii			
			b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)			2b			
				i	Cash credits u/s 68	bi				
				ii	Unexplained investments u/s 69	bii				
				iii	Unexplained money etc. u/s 69A	biii				
				iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv				
				v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv				
				vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D	bvi				
			c	Accumulated balance of recognised provident fund taxable u/s 111			2c			
				S.No.	Assessment Year	Income benefit	Tax benefit			
				(i)	(ii)	(iii)	(iv)			
			d	Any other income chargeable at special rate (total of di to dxxi)			2d			
				i	Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A)	di				
				ia	Dividend received by non-resident (not being company) or foreign company from a unit in an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA chargeable under proviso to section 115A(1)(a)(A)	dia				
				ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	dii				
				iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	diii				
				iv	Interest referred to in section 194LC (1)-chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)@5%	div				
				v	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	dv				
				vi	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)	dvi				
	vii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)	dvii							
	viii	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B)	dviii							
	ix	Income by way of interest on bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	dix							
	x	Income by way of dividend on GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	dx							
	xi	Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115ACA	dxii							
	xii	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	dxiii							
	xiii	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD – chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)	dxiv							
	xiv	Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA								

			xv	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC						dxv																																												
			xvi	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1)-chargeable u/s 115A(1)(a)(iaa)@4%						dxvi																																												
			xvii	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF						dxvii																																												
			xviii	Income by way of transfer of carbon credits-chargeable u/s 115BBG						dxviii																																												
			xix	Income being dividend received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)						dxix																																												
			xx	Investment Income of a Non-Resident Indian - chargeable u/s 115E						dxx																																												
			xxi	Income received by non-resident as referred in second proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iaa) @ 9%						dxxi																																												
			e	Pass through income in the nature of income from other sources claimed as chargeable at special rates (drop down to be provided)										2e																																								
			f	Amount included in 1 and 2 above, which is claimed as chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below) (Applicable for non-residents only)										2f																																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl. No.</th> <th>Amount of income</th> <th>Item No.1ai, 1aii,1b to 1d & 2 in which included</th> <th>Country name & Code</th> <th>Article of DTAA</th> <th>Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)</th> <th>Whether TRC obtained (Y/N)</th> <th>Section of I.T. Act</th> <th>Rate as per I.T. Act</th> <th>Applicable rate [lower of (6) or (9)]</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> <th>(7)</th> <th>(8)</th> <th>(9)</th> <th>(10)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Sl. No.	Amount of income	Item No.1ai, 1aii,1b to 1d & 2 in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	I										II									
			Sl. No.	Amount of income	Item No.1ai, 1aii,1b to 1d & 2 in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]																																										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)																																													
I																																																						
II																																																						

3	Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b, 2d, 2e & 2f)											
		a(i)	Expenses / Deductions other than entered in "C" (in case of other than family pension)						3a(i)			
		a(ii)	Deduction u/s 57(ia) (in case of family pension only)						3a(ii)			
		b	Depreciation (available only if income offered in 1.c of "Schedule OS")						3b			
		c	Interest expenditure on dividend u/s 57(1)(Available only if income offered in 1a(i) and/ or 1a(ii))						3c			
		ci	Eligible Interest expenditure u/s 57(1) – computed value						3ci			
		d	Total						3d			
4	Amounts not deductible u/s 58										4	
5	Profits chargeable to tax u/s 59										5	
5a	Income claimed for relief from taxation u/s 89A										5a	
6	Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates (1 (after reducing income related to DTAA portion) – 3 + 4 + 5-5a) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)										6	
7	Income from other sources (other than from owning race horses) (2 +6) (enter 6 as nil, if negative)										7	
8	Income from the activity of owning and maintaining race horses											
		a	Receipts						8a			
		b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only						8b			
		c	Amounts not deductible u/s 58						8c			
		d	Profits chargeable to tax u/s 59						8d			
		e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 10xvi of Schedule CFL)						8e			
9	Income under the head "Income from other sources" (7 + 8e) (take 8e as nil, if negative)										9	
10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources											

S.No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3	
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)						
2	Income by way of winnings from online games u/s 115BBJ						
3a	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(i)						
3b	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(iii)						
4	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI Income)						
5	Dividend income under proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 10% (Including PTI Income)						
6	Dividend Income u/s 115AC @ 10% (Including PTI Income)						
7	Dividend Income u/s 115ACA (1)(a) @ 10% (Including PTI Income)						
8	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)						
9	Income from retirement benefit account maintained in a country specified u/s 89A but not claimed for relief from taxation u/s 89A						
10	Dividend income chargeable at DTAA Rates						

NOTE ►

Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.

Schedule CYLA		Details of Income after set-off of current years losses					
CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation loss or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from owning race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
	i	Loss to be set off → (Fill this row only if computed figure is negative)		(3 of Schedule HP)	(2v of item E of Schedule BP)	(6 of Schedule-OS)	
	ii	Salaries	(6 of Schedule S)				
	iii	House property	(3 of Schedule HP)				
	iv	Income from Business (excluding speculation profit and income from specified business) or profession	(A37 of Schedule BP)				
	v	Speculative Income	(3ii of item E of Schedule BP)				
	vi	Specified Business Income	(3iii of item E of Schedule BP)				
	vii	Short-term capital gain taxable @ 20%	(8ii of item E of Schedule CG)				
	viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(8iii of item E of Schedule CG)				
	ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(8iv of item E of Schedule CG)				
	x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(8v of item E of Schedule CG)				
	xi	Long term capital gain taxable @ 12.5%	(8vi of item E of Schedule CG)				
	xii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(8vii of item E of Schedule CG)				
	xiii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of Schedule OS)				
	xiv	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of Schedule OS)				
	xv	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2f of Schedule OS)				
	xvi	Total loss set off					
	xvii	Loss remaining after set-off (i – xv)					

Schedule BFLA		Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years					
BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
			1	2	3	4	5
	i	Salaries	(5ii of Schedule CYLA)				
	ii	House property	(5iii of Schedule CYLA)	(B/f house property loss)			
	iii	Business (excluding speculation income and income from specified business)	(5iv of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss) (Note: B/F loss set off will be restricted to business income excluding income u/s 44BB, 44BBD)	(Note: B/F depreciation set off will be restricted to business income excluding income u/s 44BB, 44BBD)		

iv	Speculation Income	(5v of Schedule CYLA)	(B/f normal business or speculation loss)			
v	Specified Business Income	(5vi of Schedule CYLA)	(B/f normal business or specified business loss)			
vi	Short-term capital gain taxable @ 20%	(5vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
vii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(5viii of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
viii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(5ix of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
ix	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(5x of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
x	Long-term capital gain taxable @ 12.5%	(5xi of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xi	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(5xii of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(5xiii of Schedule CYLA)				
xiii	Profit from owning and maintaining race horses	(5xiv of Schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)			
xiv	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(5xv of Schedule CYLA)				
xv	Total of brought forward loss set off (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2x + 2xi + 2xiii)					
xvi	Current year's income remaining after set off	Total of (5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii + 5xiv)				

[illegible]

xvii	Total of earlier year losses b/f									
xviii	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2ii of Schedule BFLA)		(2iii of Schedule BFLA)	(2iv of Schedule BFLA)	(2v of Schedule BFLA)			(2xiii of Schedule BFLA)
xix	2026-27 (Current year losses to be carried forward)		(2xvii of Schedule CYLA)		(3xvii of Schedule CYLA)	(B42 of Schedule BP, if -ve)	(C48 of Schedule BP, if -ve)	(2ix+3ix+4ix+5ix) of item E of Schedule CG)	(6ix + 7ix) of item E of Schedule CG)	(8e of Schedule OS, if -ve)
xx	Total loss Carried forward to future years									

Schedule UD		Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)						
Sl No	Assessment Year	Depreciation				Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount as adjusted on account of opting for taxation u/s 115BAC(1A)	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Current Assessment Year							
II								
III								
IV								
V	Total			(3xv of BFLA)			(4xv of BFLA)	

Schedule ICDS		Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit			
Sl. No.	ICDS	Increase in profit (Rs.)	Decrease in profit (Rs.)	Net effect (Rs.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I	Accounting Policies				
II	Valuation of Inventories (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)				
III	Construction Contracts				
IV	Revenue Recognition				
V	Tangible Fixed Assets				
VI	Changes in Foreign Exchange Rates				
VII	Government Grants				
VIII	Securities (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)				
IX	Borrowing Costs				
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets				
XI.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)				

Schedule 10AA		Deduction under section 10AA					
DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone						
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl	Amount of deduction		
	a	Undertaking No.1		a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)		
	b	Undertaking No.2		b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)		
	c	Total deduction under section 10AA (a + b)					

Schedule 80G		Details of donations entitled for deduction under section 80G									
DETAILS OF DONATIONS	A	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit									
		Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank	
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation					
	i										
	ii										
	iii	Total									
	B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit									
		Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank	
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation					
	i										
	ii										
	iii	Total									
	C	Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit									
		Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank	
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation					
	i										
	ii										
	iii	Total									
	D	Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit									
		Name and address of donee		PAN of Donee	ARN (Donation Reference Number)	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank
						Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation			
	i										
	ii										

Schedule 80GGA (applicable in the case of a partner of firm deriving only profit from the firm)		Details of donations for scientific research or rural development					
S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (<i>drop down to be provided</i>)	Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i							
ii							
	Total donation						

Schedule 80GGC		Details of contributions made to political parties							
S. No.	Date	Amount of contribution			Eligible amount of contribution	Name of the political party	PAN of the political party	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank
		Contribution in cash	Contribution in other mode	Total Contribution					
i									
	(add rows)								
	Total contribution								

Schedule 80DD		Details of deduction in respect of maintenance including medical treatment of a dependent who is a person with disability								
Nature of disability	Type of disability	Type of dependent	PAN of the dependent	Aadhaar of the dependent	Date of filing of Form 10IA	Ack. No. of Form 10IA filed	Ack No of Form as per Rule 11A(2)(ii) (if available)	UDID Number (If available)	Amount	
1. Dependent person with disability 2. Dependent person with severe disability	(1) blindness; (2) low vision; (3) leprosy-cured; (4) hearing impairment; (5) locomotor disability; (6) mental retardation; (7) mental illness; (8) autism (9) cerebral palsy (10) multiple disability	1. Spouse 2. Son 3. Daughter 4. Father 5. Mother 6. Brother 7. Sister 8. Member of the HUF (in case of HUF)								

Schedule 80U		Details of deduction in case of a person with disability					
Nature of disability	Type of disability	Date of filing of Form 10IA	Ack. No. of Form 10IA filed	Ack No of Form as per Rule 11A(2)(ii) (if available)	UDID Number (If available)	Amount	
1. Self with disability 2. Self with severe disability	(1) blindness; (2) low vision; (3) leprosy-cured; (4) hearing impairment; (5) locomotor disability; (6) mental						

	retardation; (7) mental illness; (8) autism (9) cerebral palsy (10) multiple disability					

Schedule RA		Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]				
Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i						
ii						
iii	Total					

Schedule 80-IA					
a	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	a1	Undertaking No. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking No. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
b	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2)			b	

Schedule 80-IB		Deductions under section 80-IB			
a	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
b	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
c	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
d	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	d1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		d2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
e	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to d2)				e

Schedule 80-IE		Deductions under section 80-IE			
a	Deduction in respect of undertaking located in North-East				
	aa Assam	aa1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		aa2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	ab Arunachal Pradesh	ab1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		ab2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	ac Manipur	ac1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		ac2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	ad Mizoram	ad1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	

		ad2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		ae1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		ae2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		af1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		af2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		ag1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		ag2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		ah1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		ah2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	ai	Total deduction for undertakings located in North-east (total of aa1 to ah2)			ai
	b	Total deduction under section 80-IE (ai)			b

Schedule VI-A			Deductions under Chapter VI-A					
TOTAL DEDUCTIONS	1	Part B- Deduction in respect of certain payments						
	a	80C (Details are to be filled in the dropdown to be provided in the e-Filing utility)		b	80CCC (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)			
	c	80CCD(1) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		d	80CCD(1B) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)			
	e	80CCD(2) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		f	80D (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)			
	g	80DD		h	80DDDB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)			
	i	80E(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		j	80EE (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)			
	k	80EEA (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		l	80EEB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)			
	m	80G		n	80GG (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)			
	o	80GGA		o(i)	80GGC			
	Total Deduction under Part B (total of a to o(i))						1	
	2	Part C- Deduction in respect of certain incomes						
	p	80-IA	(b of Schedule 80-IA)	Q	80-IAB			
	r	80-IB	(E of Schedule 80-IB)	s	80-IBA			
	t	80-IE	(e of Schedule 80-IE)	U	80JJA			
	v	80JJAA	[Sl.no. 5I(eiv) +5II of Annexure to Form 10DA]	w	80QQB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)			

	x	80RRB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)					
	Total Deduction under Part C (total of p to x)						2
3	Part CA and D- Deduction in respect of other incomes/other deduction						
	i	80TTA		ii	80TTB		
	iii	80U		iv	80CCH		
	v	Any other Deduction as per the e-filing utility (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)					
	Total Deduction under Part CA and D (total of i, ii, iii, iv and v)						3
4	Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2 + 3)						4

Schedule AMT Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC							
1	Total Income as per item 14 of PART-B-TI				1		
2	Adjustment as per section 115JC(2)						
	a	Deduction claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"	2a				
	b	Deduction claimed u/s 10AA	2b				
	c	Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed	2c				
	d	Total Adjustment (2a+ 2b+ 2c)	2d				
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2d)				3		
	a	Adjusted Total Income u/s 115JC from units located in IFSC, if any	3a				
	b	Adjusted Total Income u/s 115JC from other Units (3-3a)	3b				
4	Tax payable under section 115JC [(9% of (3a)+ 18.5% of (3b)] (if 3 is greater than Rs. 20 lakh)				4		

Schedule AMTC Computation of tax credit under section 115JD							
1	Tax under section 115JC in assessment year 2026-27(1d of Part-B-TTI)					1	
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2026-27 (2i of Part-B-TTI)					2	
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]					3	
4	Utilization of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)						
	S. No.	Assessment Year (A)	AMT Credit			AMT Credit Utilized during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C)
			Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)		
	i	2013-14					
	ii	2014-15					
	iii	2015-16					
	iv	2016-17					
	v	2017-18					
	vi	2018-19					
	vii	2019-20					
	viii	2020-21					

	ix	2021-22					
	x	2022-23					
	xi	2023-24					
	xii	2024-25					
	xiii	2025-26					
	xiv	Current AY (enter 1 - 2, if 1>2 else enter 0)					
	xv	Total					
5	Amount of tax credit under section 115JD utilized during the year [total of item no 4 (C)]						5
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]						6

Schedule SPI Income of specified persons (spouse, minor child etc.) includable in income of the assessee as per section 64					
Sl No	Name of person	PAN/Aadhaar No. of person (optional)	Relationship	Amount (Rs)	Head of Income in which included
1					
2					
3					

Schedule SI						
SPECIAL RATE	Sl No	Section	☒	Special rate (%)	Income(i)	Tax thereon (ii)
	1	111- Accumulated balance of recognised provident for prior years	☐		(2ciii of Schedule OS)	(2civ of Schedule OS)
	2	111A or section 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STCG on shares units on which STT paid)	☐	20	(part of 5vi of Schedule BFLA)	
	3	115AD(STCG for FIIs on securities where STT not paid)	☐	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)	
	4	112(1) (LTCG on listed securities/ units)	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	5	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	7a	115AC (Income by way of interest received by non-resident on bonds purchased in foreign currency)	☐	10	(part of 2d of Schedule OS)	
	7b	115AC (Income by way of Dividend received by non-resident from GDR purchased in foreign currency)	☐	10	(part of 2d of Schedule OS)	
	8	115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR)	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	9	115AD (LTCG for FIIs on securities)	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	10	115E (LTCG for non-resident Indian on foreign exchange asset)	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	11	112 (LTCG on others) and tax thereon after taking into account Sl. no. B1h of Schedule CG, if any.	☐	12.5(as reduced by B1h of Schedule CG, if any)	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	12	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid)	☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	13	STCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 5ix of Schedule BFLA)	
	14	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 5xi of Schedule BFLA)	
	15a	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	☐	30	(2ai of Schedule OS)	
	15b	115BBJ (Winning from online games)	☐	30	(2aii of Schedule OS)	
	16	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	☐	60	(2b of Schedule OS)	

17	115BBH (Tax on income from virtual digital asset)					
	A	Income under head business or profession	☐	30	(A3g of Schedule BP)	
	B	Income under head Capital Gain	☐	30	(C2 of Schedule CG)	
18	115BBF (Tax on income from patent)					
	A	Income under head business or profession	☐	10	(3e of Schedule BP)	
	B	Income under head other sources	☐	10	(2d of Schedule OS)	
19	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)					
	A	Income under head business or profession	☐	10	(3f of Schedule BP)	
	B	Income under head other sources	☐	10	(2d of Schedule OS)	
20	115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B) (Income of a non-resident from Royalty & Fees for technical services)		☐	20	(part of 2d of Schedule OS)	
21	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA		☐		(part of 5xv of Schedule BFLA)	
22	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 20%		☐	20	(part of 5vi of Schedule BFLA)	
23	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%		☐	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)	
24	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% u/s 112A		☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
25	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% under sections other than u/s 112A		☐	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
26	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates (Drop down to be provided in e-filing utility)		☐		(2e of Schedule OS)	
27	Any other income chargeable at special rate (Drop down to be provided in e-filing utility)		☐		(2d of Schedule OS)	
				Total		

Schedule IF Information regarding partnership firms in which you are partner									
Number of firms in which you are partner									
Sl. No.	Name of the Firm	PAN of the firm	Whether the firm is liable for audit? (Yes/No)	Whether section 92E is applicable to firm? (Yes/ No)	Percentage Share in the profit of the firm	Amount of share in the profit i	Amount of interest due or received ii	Amount of remuneration due or received iii	Capital balance on 31 st March in the firm iv
1									
2									
3									
4	Total								

Schedule EI Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)									
EXEMPT INCOME	1	Interest income						1	
	2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)			i			
		i	Expenditure incurred on agriculture			ii			
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years			iii			
		iv	Agricultural income portion relating to Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl. No. 38 of Sch. BP)			iv			
		v	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii + iv) (enter nil if loss)						2
		vi	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)						
		a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located						
		b	Measurement of agricultural land in Acre						

		c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)					
		d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)					
	3	Other exempt income (including exempt income of minor child) (please specify)						3
	4	Income claimed as not chargeable to tax as per DTAA (Applicable for non-residents only)						
	Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)	
	I							
II								
	III	Total Income from DTAA claimed as not chargeable to tax						4
5	Pass through income claimed as not chargeable to tax (Schedule PTI)						5	
6	Total (1+2+3+4+5)						6	

Schedule PTI		Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115U, 115UA and 115UB										
Sl .	Investment entity covered by section 115U/ 115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl .	Head of income	Current Year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income / Loss 9=7-8	TDS on such amount , if any			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
PASS THROUGH INCOME	1.	(drop down to be provided)		i	House property							
				ii	Capital Gains							
				a	Short term							
				a1	Section 111A							
				b	Long term							
				b1	Section 112A							
				B 2	Sections other than 112A							
				iii	Other Sources							
				a	Dividend							
				b	Others							
				iv	Income claimed to be exempt							
				A	u/s 10(23FBB)							
				B	u/s							
				C	u/s							
				2.				i	House property			
				ii	Capital Gains							
	A	Short term										
	a1	Section 111A										
	B	Long term										
	b1	Section 112A										
	b2	Sections other than 112A										
	iii	Other Sources										
	1	Dividend										
	2	Others										
iv	Income claimed to be exempt											

						a	u/s 10(23FBB)				
						b	u/s				
						c	u/s				

Schedule- TPST		Details of Tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A) as per the schedule provided in e-filing utility										
TAX ON SECONDARY ADJUSTMENTS AS PER SECTION 92CE(2A)	1	Amount of primary adjustments on which option u/s 92CE(2A) is exercised & such excess money has not been repatriated within the prescribed time (please indicate the total of adjustments made in respect of all the AYs)										
	2	a	Additional Income tax payable @ 18% on above									
		b	Surcharge @ 12% on "a"									
		c	Health & Education cess on (a + b)									
		d	Total Additional tax payable (a + b + c)									
	3	Taxes paid										
	4	Net tax payable (2d-3)										
	5	Date(s) of deposit of tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	Date 3 (DD/MM/YYYY)	Date 4 (DD/MM/YYYY)	Date 5 (DD/MM/YYYY)	Date 6 (DD/MM/YYYY)				
	6	Name of Bank and Branch										
	7	BSR Code										
8	Serial number of challan											
9	Amount deposited											
Schedule FSI		Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)										
INCOME FROM OUTSIDE INDIA	Sl.	Country Code (dropdown to be provided in the e-filing utility)	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A		
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
	1			i	Salary							
				ii	House Property							
				iii	Business or Profession							
				iv	Capital Gains							
				v	Other sources							
					Total							
	2			i	Salary							
				ii	House Property							
				iii	Business or Profession							
				iv	Capital Gains							
				v	Other sources							
					Total							

Schedule TR		Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)				
TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1	Details of Tax relief claimed				
		Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

		Total				
2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (<i>Part of total of 1(d)</i>)				2	
3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (<i>Part of total of 1(d)</i>)				3	
4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below				4	Yes/No
a	Amount of tax refunded		b	Assessment year in which tax relief allowed in India		

Schedule FA		Details of Foreign Assets and Income from any source outside India											
DETAILS OF FOREIGN ASSETS	A1	Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December 2025											
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross interest paid/credited to the account during the period	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	(i)												
	(ii)												
	A2	Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December 2025											
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period <i>(drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	(i)												
	(ii)												
	A3	Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the calendar year ending as on 31 st December 2025											
	Sl No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period	Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(i)												
	(ii)												
	A4	Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December 2025											
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held	Address of financial institution	ZIP code	Date of contract	The cash value or surrender value of the contract	Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
	(i)												
	(ii)												
	B	Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December 2025											
	Sl No	Country Name	Zip Code	Nature of entity	Name and Address	Nature of Interest-		Total Investment	Income accrued	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		

NOTE In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.

Schedule 5A		Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code			
Name of the spouse					
PAN/Aadhaar No. of the spouse					
Whether books of account of spouse is audited u/s 44AB or under any other provisions (other than u/s 92E) of this Act or under any other Acts? or Whether your spouse is a partner of a firm whose accounts are required to be audited u/s 44AB under this Act or under any other provisions (other than u/s 92E) of this Act or under any other Acts?		Yes/No			
Whether books of account of spouse is audited u/s 92E? or Whether your spouse is a partner of a firm whose accounts are required to be audited u/s 92E under this Act?		Yes/No			
	Heads of Income	Receipts received under	Amount apportioned in the hands of the spouse	Amount of TDS deducted on income at	TDS apportioned in the hands of spouse
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	House Property				
2	Business or profession				
3	Capital gains				
4	Other sources				
5	Total				

Schedule AL		Assets and Liabilities at the end of the year (other than those included in Part A- BS) (applicable in a case where total income exceeds Rs. 1 crore)			
DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES	A Details of immovable assets				
	Sl. No.	Description	Address	Pin code	Amount (cost) in Rs.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	B Details of movable assets				
	Sl. No.	Description			Amount (cost) in Rs.
	(1)	(2)			(3)
	(i)	Jewellery, bullion etc.			
	(ii)	Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art			
	(iii)	Vehicles, yachts, boats and aircrafts			
	(iv)	Financial assets			Amount (cost) in Rs.
	(a)	Bank (including all deposits)			
	(b)	Shares and securities			
	(c)	Insurance policies			
	(d)	Loans and advances given			
	(e)	Cash in hand			
	C Interest held in the assets of a firm or association of persons (AOP) as a partner or member thereof				
	Sl. No.	Name and address of the firm(s)/ AOP(s)	PAN of the firm/ AOP		Assessee's investment in the firm/ AOP on cost basis
	(1)	(2)	(3)		(4)
(i)					
(ii)					
D Liabilities in relation to Assets at (A + B + C)					

Schedule GST		INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST	
DETAILS OF GST	Sl. No.	GSTIN No(s).	Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed
	(1)	(2)	(3)
NOTE		Please furnish the information above for each GSTIN No. separately	

Schedule : Tax deferred on ESOP			Information related to Tax deferred - relatable to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC					
PAN of the employer being an eligible startup								
DPIIT registration number of the employer								
DETAILS	Sl. No.	Assessment Year	Amount of Tax deferred brought forward	Has any of the following events occurred during the previous year relevant to current assessment year			Amount of tax payable in the current Assessment Year (to be populated from col. 3 or 4 as the case maybe)	Balance amount of tax deferred to be carried forward to be next Assessment years Col (3- 7)
				Such specified security or sweat equity shares were sold (i)Fully (ii)Partly (iii)Not sold Specify the date and amount of tax attributed to such sale out of Col 3 (Details to be provided as per utility)	Ceased to be the employee of the employer who allotted or transferred such specified security or sweat equity share? o Yes o No If yes, specify date	Forty-eight months have expired from the end of the relevant assessment year in which specified security or sweat equity shares referred to in the said *clause were allotted. If yes, specify date of allotment		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2021-22	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year					
	2	2022-23	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year					
	3	2023-24	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year					
	4	2024-25	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year					
	5	2025-26	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year					
	6	2026-27						

(To be enabled from AY 2027-28)
(Payment to be made in FY 2026-27)

PART-B

Part B – TI Computation of total income			
TOTAL INCOME	1	Salaries (6of Schedule S)	1
	2	Income from house property (3of Schedule-HP) (enter nil if loss)	2
	3	Profits and gains from business or profession	
	i	Profit and gains from business other than speculative business and specified business (A37of Schedule BP) (enter nil if loss)	3i
	ii	Profit and gains from speculative business (3(ii) of Table E of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	3ii
	iii	Profit and gains from specified business (3(iii)of Table E of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	3iii
	iv	Income chargeable to tax at special rates(3e, 3f& 3g of Schedule BP)	3iv
	v	Total (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (enter nil if 3v is a loss)	3v
	4	Capital gains	
	a	Short term	
	i	Short-term chargeable @ 20% (8ii of item E of schedule CG)	ai
	ii	Short-term chargeable @ 30% (8iii of item E of schedule CG)	a ii
	iii	Short-term chargeable at applicable rate (8iv of item E of schedule CG)	a iii
	iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA(8v of item E of Schedule CG)	a iv
	v	Total Short-term (ai + a ii + a iii + a iv) (enter nil if loss)	4av
	b	Long-term	
	i	Long-term chargeable @ 12.5% (8vi of item E of schedule CG)	bi
	ii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8vii of item E of schedule CG)	b ii
	iii	Total Long-term (bi + b ii)(enter nil if loss)	4biii
	c	Sum of Short-term/Long-term capital gains (4av+4biii) (enter nil if loss)	4c
d	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)	4d	
e	Total capital gains (4c + 4d)	4e	
5	Income from other sources		
a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	5a	
b	Income chargeable to tax at special rates (2 of Schedule OS)	5b	
c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS)(enter nil if loss)	5c	
d	Total (5a + 5b + 5c) (enter nil if loss)	5d	
6	Total of head wise income (1 + 2 + 3v +4e +5d)	6	
7	Losses of current year to be set off against 6 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule CYLA)	7	
8	Balance after set off current year losses (6 – 7) (total of serial number (ii) to (xv) column 5 of Schedule CYLA+5b+3iv)	8	
9	Brought forward losses to be set off against 8 (total of 2xv, 3xv and 4xv of Schedule BFLA)	9	
10	Gross Total income (8-9) (also total of serial no (i) to (xiii) of column 5 of Schedule BFLA+ 5b+ 3iv)	10	
11	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 10	11	
12	Deductions under Chapter VI-A		
a	Part-B, CA and D of Chapter VI-A [(1 + 3) of Schedule VI-A and limited upto (total of i,ii,iii,iv,v,viii,xii,xiii) of column5 of BFLA]	12a	
b	Part-C of Chapter VI-A [2 of Schedule VI-A]	12b	
c	Total (12a + 12b)/limited upto (10-11)]	12c	
13	Deduction u/s 10AA (c of Sch. 10AA)	13	
14	Total income (10 -12c-13)	14	

15	Income which is included in 14 and chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)	15	
16	Net agricultural income/ any other income for rate purpose (2v of Schedule EI)	16	
17	Aggregate income (14-15+16)[applicable if (14-15) exceeds maximum amount not chargeable to tax]	17	
18	Losses of current year to be carried forward (total of row xix of Schedule CFL)	18	
19	Deemed income under section 115JC (3 of Schedule AMT)	19	

Part B – TTI		Computation of tax liability on total income					
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax payable on deemed total income under section 115JC (4 of Schedule AMT)		1a		
		b	Surcharge on (a) (if applicable)		1b		
		c	Health and Education Cess @ 4% on (1a+1b) above		1c		
		d	Total Tax Payable on deemed total income (1a+1b+1c)		1d		
	2	Tax payable on total income					
		a	Tax at normal rates on 17 of Part B-TI		2a		
		b	Tax at special rates (total /of col. (ii) of Schedule-SI)		2b		
		c	Rebate on agricultural income [applicable if (14-15) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]		2c		
		d	Tax Payable on Total Income (2a + 2b – 2c)		2d		
		e	Rebate under section 87A		2e		
		f	Tax payable after rebate (2d – 2e)		2f		
		g	Surcharge		Surcharge computed before marginal relief	Surcharge after marginal relief	
			i	@ 25% of 16(ii) of Schedule SI	2gi	ia	
			ii	@10% or 15%, as applicable	2gii	iaa	
			iii	On [(2f) – 16(ii) of Schedule SI- tax on income referred in 2g(ii)above]]	2giii		
			iv	Total (ia + iia)		2giv	
			h	Health and Education Cess @ 4% on (2f + 2giii)		2h	
			I	Gross tax liability (2f+ 2giv + 2h)		2i	
	3	Gross tax payable (higher of 1d and 2i)				3	
	3a	Tax on income without including income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC(3-3b)				3a	
	3b	Tax deferred - relatable to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC				3b	
	3c	Tax deferred from earlier years but payable during current AY (total of col 7 of schedule Tax deferred on ESOP)				3c	
	4	Credit under section 115JD of tax paid in earlier years (applicable if 2i is more than 1d) (5 of Schedule AMTC)				4	
	5	Tax payable after credit under section 115JD (3a+3c - 4)				5	
	6	Tax relief					
			a	Section 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)		6a	
			b	Section 90/ 90A (2 of Schedule TR)		6b	
			c	Section 91 (3 of Schedule TR)		6c	
			d	Total (6a + 6b+ 6c)		6d	
	7	Net tax liability (5 – 6d) (enter zero if negative)				7	
8	Interest and fee payable						
		a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)		8a		
		b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)		8b		
		c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)		8c		
		d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)		8d		
		da	Fee for furnishing revised return of income (section 234-I)		8da		
		e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d+8da)		8e		

9		Aggregate liability (7 + 8e)				9		
TAXES PAID	10		Taxes Paid					
	a	Advance Tax (from column 5 of 17A)		10a				
	b	TDS (total of column 5 of 17B and column 9 of 17C)		10b				
	c	TCS (column 7(i) of 17D)		10c				
	d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 17A)		10d				
	e	Total Taxes Paid (10a+10b+10c+10d)		10e				
11		Amount payable (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)				11		
12		Refund (If 10e is greater than 9) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)				12		
BANK ACCOUNT	13		Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)				Select Yes or No	
	i.		a) Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)					
	Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Number	Type of account (Dropdown to be provided by e-filing utility)	Select Account for refund credit (tick at least one account ✓)		
	I							
	II							
Note: 1. All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c. 2. In case multiple accounts are selected, the refund will be credited to one of the validated accounts after processing the return.								
		Rows can be added as required						
		ii. b) Non- residents, not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:						
	Sl. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location		IBAN		
	1							
14		Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]				OYes ONo		

15		If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:															
Identification No. of TRP		Name of TRP				Counter Signature of TRP											
If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof		16															
17		TAX PAYMENTS															
A		Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax															
ADVANCE/ SELF ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code				Date of Deposit (DD/MM/YYYY)				Serial Number of Challan				Amount (Rs)			
	(1)	(2)				(3)				(4)				(5)			
	i																
	ii																
	iii																
	iv																
NOTE ►		Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl. No. 10a & 10d of Part B-TTI															
B		Details of Tax Deducted at Source from Salary [As per Form 16 issued by Employer(s)]															
TDS ON SALARY	Sl No	Tax Deduction Account Number (TAN) of the Employer				Name of the Employer				Income chargeable under Salaries				Total tax deducted			
	(1)	(2)				(3)				(4)				(5)			
	I																
	II																
NOTE ►		Please enter total of column 5 in 10b of Part B-TTI															

C	Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C /16D/16E furnished by Deductor(s)]														
SI No	TDS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/other person as per rule 37BA(2)]	PAN/Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/ Aadhaar No. of Tenant/ Buyer	Section under which TDS is deducted	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS Deducted during the FY 2025-26)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)			Corresponding Receipt/withdrawals offered		TDS credit being carried forward	
					Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)		Gross Amount	Head of Income		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4a)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
								Income	TDS		Income	TDS	PAN/ Aadhaar No.		
i															

D Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]										
Sl. No.	TCS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/ other person as per rule 37-I(1)]	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	PAN of other Person (if TCS credit related to other person)	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current fin. Year		TCS credit being claimed this Year		TCS credit being carried forward
				Fin. Year in which collected	Amount b/f	Collected in own hands	Collected in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37-I(1) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37-I(1) (if applicable)	
(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)	(7)(ii)	(8)
									TCS	PAN
i										
NOTE ► Please enter total of column (7)(i) in 10c of Part B-TT										

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and schedules thereto is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making returns in my capacity as _____ (drop down to be provided) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) . I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable in a case where return is furnished under section 92CD)

Date

Place

Sign here ➡".

[No. 47 /2026/F. No. 370142/7/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy., Tax Policy and Legislation

Note:- The Income-tax Rules, 1962 rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Par II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification GSR 227(E), dated the 30th March, 2026



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271435
CG-DL-E-31032026-271435

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 208]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सा.का.नि. 227(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये 31 मार्च, 2026 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2026-27 के लिए फाइल किए गए विवरणी पर लागू होंगे।।

2. आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट-2 में, क प्ररूप आ.क.वि.-2 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

(घ)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153 ग के अधीन नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई- यूनिफ संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें या यदि 92 गघ के अधीन फाइल की गई अग्रिम कीमत करार की तारीख प्रविष्ट करें				(यूनिफ नंबर)	/	/
(ङ)	भारत में निवासीय प्राप्ति (लागू विकल्प का चयन करें)	अ. निवासी	☐ पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 182 या अधिक दिन थे [धारा 6(1)(क)] ☐ पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 60 या अधिक दिन थे, और पिछले 4 वर्षों के भीतर भारत में 365 दिन रहे हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहां स्पष्टीकरण 1 लागू नहीं होता है] ☐ आप भारत के नागरिक हैं जो रोजगार के प्रयोजनार्थ, भारतीय जहाज कर्मियों के सदस्य के रूप में भारत के बाहर गए तथा पूर्ववर्ती वर्ष में भारत में 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4 वर्षों में 365 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे [धारा (6)(1)(क) के स्पष्टीकरण 1(क)] ☐ आप भारत के नागरिक हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और भारत में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आए हैं (क) 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4 वर्षों में 365 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे या उससे अधिक; या (ख) 120 दिन या इससे अधिक तथा गत 4 वर्षों में 365 दिनों या इससे अधिक के लिए, यदि कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रू. से अधिक हो [धारा (6)(1)(ग) के स्पष्टीकरण 1(ख)]				
		आ. निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं	☐ आप पिछले 10 वर्षों में से 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] ☐ आप पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत में 729 दिन या उससे कम भारत में रहे हैं [धारा 6(6)(क)] ☐ आप भारत के नागरिक हैं, या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो भारत में आया है जिसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रू. से अधिक है तथा भारत में गत वर्ष के दौरान 120 दिनों से अधिक किंतु 182 दिनों से कम रहा है [धारा 6(6)(ग)] ☐ आप भारत के नागरिक हैं जिसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त गत वर्ष के दौरान 15 लाख रू. से अधिक है और किसी अन्य देश या क्षेत्र में कर प्रभार्य नहीं आपके अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण [धारा (6)(6)(घ) धारा 6(1क)] के साथ पठित				
		इ. अनिवासी	☐ पिछले वर्ष के दौरान आप अनिवासी थे (ii) कृपया पिछले वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं) विनिर्दिष्ट करें -				
			क्र.स.	निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं)	करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)		
			1				
			2				
			(ii) भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति (पीओआई) होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करें- पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)				
			पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)				
	भारत में निवासीय प्राप्ति (हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के लिए) (लागू विकल्प का चयन करें)	ई. ☐ निवासी ☐ निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं ☐ अनिवासी					
(च)	क्या आप धारा 115 ज के अधीन फायदे का दावा करना चाहते हैं (निवासी की दशा में लागू) ☐ हां ☐ नहीं						
(छ)	क्या धारा 5क के अनुसार आप पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किए जाते हैं? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं (यदि "हां" कृपया अनुसूची 5क भरें)						
(ज)	क्या आप एफ.पी.आई हैं? हां/नहीं यदि हां, सेबी रजिस्ट्रार प्रदान करें						
(झ)	विधिक इकाई पहचानकर्ता (एल.ई.आई) ब्यौरे (अनिवार्य है यदि प्रतिदाय 50 करोड़ रूपए या अधिक है)						
	एल ई आई सं. तक वैध है						
(ञ)	क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा दायर की जा रही है? (✓) ☒ हां ☐ नहीं यदि हां तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें -						
	(1)	प्रतिनिधि निर्धारिती का नाम					
	(2)	प्रतिनिधि निर्धारिती का ई-मेल आईडी					
	(3)	प्रतिनिधि निर्धारिती का संपर्क संख्या					
(ट)	क्या आप पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय आप किसी कंपनी के निदेशक थे? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं यदि हां, तो निम्नलिखित सूचना दे -						
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	क्या उसके शेयर सूचीबद्ध हैं या असूचीबद्ध		निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	
		(डाप डाउन प्रदान किया जाना है)					

(ठ)	क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी समय आपके पास असूचीबद्ध साधारण शेयर थे ? (सही का निशान लगाये) ☒ हाँ ☐ नहीं यदि हाँ, तो साधारण शेयरों के संबंध में निम्नलिखित सूचना दे												
कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	आरंभिक अधिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित शेयर		अंतिम अधिशेष	
	(झाप डाउन प्रदान किया जाना है)		शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गम मूल्य (नये निर्गम की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत
1क	1ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची वेतन		वेतन से आय का ब्यौरा	
वेतन	नियोजक का नाम		नियोक्ता की प्रकृति (टिक) ☒ करें (झाप डाउन प्रदान किया जाना)
	नियोजक का पता		नगर / शहर
			राज्य
			पिनकोड / ज़िप कोड
1	सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च)		1
	क धारा 17(1) के अनुसार वेतन (झाप डाउन उपबंधित किया जाए)	1क	
	ख धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (झाप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ख	
	ग धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (झाप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ग	
	घ धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1घ	
	ङ धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1ङ	
	च किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें धारा 89क के अधीन गत वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर छूट का दावा किया गया।	1च	
(एक से अधिक नियाजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़े)			
2	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)		2
3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाईलिंग उपयोगिता में झापडाउन उपबंधित किया जाए) (नोट: यह सुनिश्चित करे कि इसे उपरोक्त (2) में कुल निवल वेतन में शामिल किया गया है)		3
3(क)	घटाएं: धारा 89क के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय		
4	कुल वेतन (2 - 2क - 3क)		4
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)		5
	क धारा 16(क) के अधीन मानक कटौती	5क	
	ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख	
	ग धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	5ग	
6	वेतन शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)		6

अनुसूची गृह संपत्ति		गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (संपत्ति के स्वामित्व को उपदर्शित करते हुए डाउनलोड का उपबंध करें)।				
गृहसंपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	देश	पिनकोड/जिप कोड
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)				
		संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)				
		सहस्वामी (स्वामियों) का नाम	सहस्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या.	संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता		
		I				
		II				
		[लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं)	किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार (कृपया नोट देखें)	किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)	
		☒ यदि किराए पर हो	I			
		☐ स्वयं के उपभोग में	II			
		☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया				
		क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य	1क		
		ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख		
		ग	स्थानीय प्राधिकारियों को सौंपकर	1ग		
		घ	योग (1ख + 1ग)	1घ		
		ङ	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ) - (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)	1ङ		
	च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)	1च			
	छ	1च का 30%	1छ			
	ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज (ब्यौरे ई-फाइलिंग में टिप जानने वाले डाउनलोड में भरे जाएंगे)	1ज			
	झ	योग (1छ + 2ज)	1झ			
	ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया	1ञ			
	ट	गृहसंपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ज)	1ट			
		(प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथकतः भरें)				
	2	आय/क्षति के जरिए पास यदि कोई हो *				2
	3	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (Σ1ट + 2) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2i अंक लें)				3
	टिप्पण	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।				
	टिप्पण	किराएदार का पैन/ आधार संख्या. दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है				

अनुसूची पूंजी अभिलाभ		पूंजी अभिलाभ		
पूंजी अभिलाभ	अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अपूअ)(उप-मद 3 और 4 निवासी के लिए लागू नहीं है)		
	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक ब्यौरे भरें)		
		1	क्रय/अर्जन की तारीख/मास/वर्ष	क्रय/अंतरण की तारीख/मास/वर्ष
			क	i प्राप्त/प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य
		ii स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	कii	

ख	क्र.सं. 3क के अंतर्गत न आने वाले शेयरों के विक्रय से या डिबेंचरों के विक्रय से एसटीसीजी	अ3ख
4	अनिवासी के लिए-धारा 115कघ के अनुसार एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों (जो अ2 से भिन्न हैं) के विक्रय से	
क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें ।	
	क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क
	ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख
	ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग
	ii कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii
	iii कुल (ग + ii)	क iii
ख	धारा 48 के अधीन कटौती	
	i सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi
	ii सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii
	iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii
	iv कुल (i + ii + iii)	खiv
ग	अतिशेष (4क iii - खiv)	4ग
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश/आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	4घ
ङ	एफआईआई (जो अ2 से भिन्न हैं) द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (4ग + 4घ)	अ4ङ
5	उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से	
क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें ।	
	क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क
	ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख
	ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग
	ii कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii
	iii कुल (ग + ii)	क iii
ख	धारा 48 के अधीन कटौती	
	i सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi
	ii सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii
	iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii
	iv कुल (i + ii + iii)	खiv
ग	अतिशेष (5क iii - खiv)	5ग
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति (प्रतिभूति/यूनिट) अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश/आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	5घ
ङ	उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों पर अ.पू.अ (5ग + 5घ)	अ5ङ
6	लघु अवधिपूँजी अभिलाभ समझी गई राशि	

		क क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? □हां □नहीं □ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं									
		क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूर्व वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई अधिक राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभखाता(x)में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि			
		i	2023-24	54ख							
		ii	2024-25								
ख		क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
		लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi + कxii+ख)						क6			
7		अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे) (क7क+क7ख+क7ग)						अ 7			
		क	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के प्रकृति की आय/हानि जो 20 प्रतिशत पर प्रभार्य है , से पास ध्रो			क7क					
		ख	30 प्रतिशत की दर से प्रभार्य, अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास			क 7ख					
		ग	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास			क 7ग					
8		क1-क7 में सम्मिलित एसटीसीजी की रकम, किंतु दावा किया गया है कि कर से प्रभार्य नहीं है या डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य है(केवल अनिवासियों के लिए लागू)									
		क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. क1 से क7, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधिके अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसीअभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		I									
		II									
		क	डीटीए के अनुसार भारत में एसटीसीजी की कुल राशिदावा किया गया है कि जो कर प्रभार्य नहीं है						क8क		
		ख	डीटीए के अनुसार भारत में एसटीसीजी की कुल राशि दावा किया गया है कि विशेष दरों पर कर प्रभार्य है						क8ख		
अ(अ)		शेयरों के वापसी क्रय पर पूंजी हानि [अल्पकालिक 20 प्रतिशत या 30 प्रतिशत या लागू दर] केवल तभी दावा किया जा सकता है जब धारा 2(22) (च) के अधीन संबंधित लाभार्श आयअनुसूची ओएस के 1कiii या क्र.सं 2घ/2ड. में की प्रस्थापना की जाती है ।						अ(अ)			
9		आयकर अधिनियम के अधीन कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ प्रभार्य (क1ड + क2ड + क3क + क3ख + क4ड + क5ड + क6 + क7 – क8क)						क 9			

	आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासी के लिए उप-मद 4, 5, 6, और 7 लागू नहीं हैं)					
दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से/क से च तक प्रत्येक संपदा के लिए पृथक ब्यौरे भरें)					
		अर्जन/क्रय करने की तारीख दिन/मास/वर्ष			विक्री/अंतरण की तारीख दिन/मास/वर्ष		
	क	i	प्राप्त/प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य		कi		
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य		कii		
		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य यदि (काi),(काi) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो अंक (काi) या अन्यथा (काii) लेंगे।		कiii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती					
		i	सूचीकरण रहित अधिग्रहण की लागत		खi		
	ii	सूचीकरण सहित अधिग्रहण की लागत		खii			

					(निम्नलिखित के लिए लागू होता है: 23जुलाई 2024 से पहले वहां धारा 112 (1) (क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणातमक प्रयोजनों के लिए निवासी					
		iiख	सूचीकरण के साथ संशोधन की लागत							
			(क)	सूचीकरण के बिना संशोधन की लागत			खाiiख(क)			
			(ख)	संशोधन वर्ष						
			(ग)	सूचीबद्ध के साथ सुधार की लागत						
				निम्नलिखित के लिए ख और ग लागू होता है: 23जुलाई 2024 से पहले वहां धारा 112 (1) (क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणातमक प्रयोजनों के लिए निवासी			खाiiख(ग)			
			पंक्ति जोड़े							
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय			खाiii				
		iv	कुल + खाi+Σखाiiख(क)+ खाiii)			खाiv				
			योग (ड.िअ की संगणना करने के प्रयोजन के लिए ही) (खाiiक+Σखाiiख(ग)+ खाiii)			ख ivक				
		ivक	जहां अधिग्रहण 23 जुलाई, 2024 से पहले है वहां धारा 112(1) (क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणात्मक प्रयोजनों के लिए निवासियों को लागू होना)							
		ग	अतिशेष (काiii – खाiv)			1ग				
		गक	अतिशेष (काiii – खाivक) 23जुलाई 2024 से पहले वहां धारा 112(1) (क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणात्मक प्रयोजनों के लिए निवासियों को लागू होना) (केवल ड. iआ की संगणना करने के प्रयोजन के लिए) (नकारात्मक की दशा में शून्य समझा जाए)							
		घ	धारा 54 / 54ख/ 54ङग/ 54च के अधीन कटौती(नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			1घ				
		ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ(1ग- 1घ)						आ1ङ	
		ङ क	अचल संपत्ति पर दीर्घकालीन पूंजी अभिलाभ (1गक)-(1घ) जहां अधिग्रहण 23 जुलाई, 2024 से पहले है वहां धारा 112(1) (क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणात्मक प्रयोजनों के लिए निवासियों को लागू होना) (केवल ड. iआ की संगणना करने के प्रयोजन के लिए) (नकारात्मक की दशा में शून्य समझा जाए)						आ 1 ङ क	
		ड. i	जहां अर्जन 23 जुलाई, 2024 से पहले होता है (केवल निवासियों के लिए) अ- धारा 112 (i) (क) (ii) (1ड. 12.5 प्रतिशत) के अनुसार कर आ- धारा 112(1) (क) (ड.क 20 प्रतिशत) के दूसरे परंतुक के अनुसार कर (टिप्पण) ड. (इइ) में उपेक्षित की जाने वाली आधिक्य रकम'का अवधारण करने के लिए है)						आ 1ड.ि(अ) आ 1ड.ि(आ)	
		ड.ii	ऐसी आधिक्य रकम, यदि कोई हो, जिसकी धारा 112 (1)(क) (केवल निवासियों के लिए) के दूसरे परंतुक के अनुसार उपेक्षा की जाती है ।						आ 1ड. ii	
			[ख 1 ड.इ(अ)-ख 1ड.इ (आ)]							
		च	कृपया अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में निम्नलिखित ब्यौरेप्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)							
			क्र. सं.	क्रेता (क्रेताओं का नाम	क्रेता (क्रेताओं का पैन्/ आधार	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता देश कोड़, ज़िप कोड़	पिन कोड	राज्य
			टिप्पण► पैन्/आधार सं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा194-इक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें ।							
		छ	सभी अचल संपत्ति (Σख 1ड.) पर कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ:						आ1छ	
		ज	कुल आधिकय की उपेक्षा की जाए (Σआ 1ड.ii)						आ1ज	
		2	विक्रय से, (i)सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्र धारा 112(1) के अनुसार;(ii) धारा 115कगक में निर्दिष्ट भारतीय कंपनी की जीडीआर(केवल निवासी व्यष्टियों के लिए लागू)							
		क	प्रतिफल का कुल मूल्य			2क				
		ख	धारा 48 के अधीन कटौती			ख				
		i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत			खाi				
		ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत			खाii				

			iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii			
			iv	कुल (खi+खii+खiii)	खiv			
		ग	अतिशेष (2क-खiv)		2ग			
		घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)		2घ			
		ड.	उपर्युक्त आ2 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (2ग-2घ) था				आ2ड.	
		3	कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबारन्यास जिस पर धारा112क के अधीन एसटीटीसंदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से					
			क	धारा 112क के अधीन एलटीसीजी (अनुसूची 112क का स्तंभ 14 (iii))	3क			
			ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	3ख			
			ग	उपर्युक्त आ 3 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (3क - 3ख)			ख3ग	
		4	अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के असूचीबद्ध शेयरों या सूचीबद्ध डिबेंचर का विक्रय से (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)					
			क	असूचीबद्ध शेयरों या सूचीबद्ध डिबेंचरों की बाबत सूचीबद्ध फायदों के बिना संगणित एलटीसीजी	4क			
			ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	4ख			
			ग	असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर पर एलटीसीजी (4क- 4ख)	आ4ग			
		5	अनिवासियों के लिए-(i) धारा 112(1)(ग) के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्र या ग्लोबल निक्षेपागार रसीद, (iii) धारा 115कघ में निर्दिष्ट च2 द्वारा प्रतिभूतियां (धारा 112 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न जिसके लिए स्तंभ आ 6 भरा जाना चाहिए)					
			क	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें ।				
			क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i क			
			ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ii ख			
			ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iii ग			
			ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii			
			iii	कुल (iग + ii)	क iii			
			ख	धारा 48 के अधीन कटौती				
			i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi			
			ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii			
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii			
			iv	कुल (खi + खii + खiii)	खiv			
			ग	अतिशेष (क iii - खiv)	5ग			
			घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	5घ			
			ड.	अनिवासियों की दशा में उपर्युक्त 5 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (5ग- 5घ)			आ 5ड.	
		6	एफआईआई / एफपीआई के लिए (अनिवासियों के लिए)- कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा115कघ के साथ पठित धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से					
			क	धारा 112क के अधीन एलटीसीजी [अनुसूची 115कघ(1)ख(iii) परंतुक के स्तंभ 14]	6क			
			ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	6ख			
			ग	उपर्युक्त आ 7 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (6क -6ख)			आ6ग	
		7.	अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय से (यदि अध्याय 12-क के अधीन विकल्प दें)					
			क	विदेशी मुद्रा आस्ति (सूचीबद्ध के बिना संगणित) के विक्रय पर एलटीसीजी (धारा 115च के अनुसार)	7क			
			ख	धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	7ख			
			ग	विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष एलटीसीजी जहां अंतरण था (7क- 7ख)			आ 7ग	

		8. जहाँ उपर्युक्त आ1 से आ7 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विक्रय से				
		क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।		
				क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i	
			ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ii	
			ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iii	
		ii		कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii	
			iii	कुल (iग + ii)	कiii	
		ख धारा 48 के अधीन कटौती				
		i		सूचीबद्ध सहित अर्जन की लागत	खा	
			ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii	
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii	
			iv	कुल (खा + खii + खiii)	खiv	
		ग अतिशेष (कiii - खiv)			8ग	
		घ धारा 54घ के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			8घ	
		ङ उपर्युक्त आ8 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (8ग - 8घ) जहाँ अंतरण (9ग-9घ) था		आ 8ङ		

		9. दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ समझी गई रकम						
		क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्ववर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूँजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी रकम को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूँजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?					
			□ हाँ □ नहीं □ लागू नहीं होता, यदि हाँ, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं					
			क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियाँ अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया	नई अर्जित/निर्मित की गई है पूर्व वर्ष जिसमें आस्तियाँ अर्जित / निर्मित की गई हैं	आस्तियाँ पूँजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			i	2022-23	54/54घ			
			ii	2023-24	54/54ख/54घ			
			iii	2024-25	54/54ख/54घ			
		ख 'क' से भिन्न, दीर्घ अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई रकम						
		दीर्घ अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई कुल राशि (कxi + कxii + कxiii + ख)						ख 9
		10. दीर्घावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/हानि के जरिए पास थ्रू (अनुसूची पीटीआई भरें) (ख10क1 + ख10क2)						ख 10
		क1	धारा 112क के अधीन 12.5% की दर से प्रभाय दीर्घावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास				ख 10क1	
		क2	धारा 112क के अधीन से भिन्न 12.5% की दर से प्रभाय दीर्घावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/ हानि के जरिए पास				ख10क2	

11.	एलटीसीजी की रकम ख1-ख10 में शामिल की गई परन्तु दावा किया गया कि कर के लिए प्रभार्य नहीं अथवा डीटीए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य नहीं (अनिवासियों के लिए लागू)										
	क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. ख 1 से ख 10, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	डीटीए की मद	क्या टीआरसीअभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	I										
	II										
	क	एल टी सी जी की कुल रकम जिसका दावा किया गया कि डीटीए के अनुसार कर के लिए प्रभार्य नहीं								ख11क	
	ख	एल टी सी जी की कुल रकम जिसका दावा किया गया कि डीटीए के अनुसार विशिष्ट दरों पर कर के लिए प्रभार्य नहीं								ख11ख	
	ख(क)	शेयरों की क्रय वापसी पर पूंजीगत हानि [दीर्घकालिक 12.5 %] (केवल तब दावा किया जा सकता है जब धारा 2(22), (च) के अधीन संबंधित लाभान्श आय की अनुसूची ओएस के 1क iii या क्र.सं. 2घ/2ड. में प्रस्थापना की जाती है)								ख (अ)	
	12.	आयकर अधिनियम के अधीन प्रभार्य कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (आ1छ. +आ2ड.+आ3ग + आ4ग+ आ5ड.+आ6ग. + आ7ग + आ 8ड. + आ 9.+ आ 10 + आ 11क +ख(अ))								ख13	
	इ1	पूंजीगतअभिलाभ की राशि-आय (नीचे सारणी ड. के 8ii+8iii+ 8iv+8v+8vi+8vii								इ1	
	इ2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (अनुसूची वीडिए के स्तंभ 7)								इ2	
	इ3	पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (इ1+ इ2)								इ3	
	ई	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावा की गई कटौती के संबंध में सूचना									
	धारा 54 / 54ख/ 54डग/ 54घ/ 115घकेअधीन निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए										
	क	धारा 54 के अधीन दावा की गई कटौती									
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख				क i	दिन / मास / वर्ष			
		ii	नए आवासीय घर की लागत				क ii				
		iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख				क iii	दिन / मास / वर्ष			
		iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम				क iv				
		(ivक) निक्षेप की तारीख		(ivख) लेखा संख्याक			(ivग)आईएफएस कोड				
		दिदि/मामा/वाईवाई 2									
		v दावा की गई कटौती की रकम				क v					
	ख	धारा 54ख के अधीन दावा की गई कटौती									
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख				ख i	दिन / मास / वर्ष			
		ii	नई कृषि भूमि की लागत				ख ii				
		iii	नए कृषि भूमि के क्रय करने की तारीख				ख iii	दिन / मास / वर्ष			
		iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम				ख iv				
		(ivक) निक्षेप की तारीख		(ivख) लेखा संख्याक			(ivग)आईएफएस कोड				
		दिदि/मामा/वाईवाई									
		v दावा की गई कटौती की रकम				ख v					
	ग	धारा 54डग के अधीन दावा की गई कटौती									
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख				ग i	दिन / मास / वर्ष			
		ii	विनिर्दिष्ट / अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम(पचास लाख रुपए से अनधिक)				ग ii				
		iii	विनिधान की तारीख				ग iii	दिन / मास / वर्ष			
		iv	दावा की गई कटौती की रकम				ग iv				
	घ	धारा 54घके अधीन दावा की गई कटौती									
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख				घ i	दिन / मास / वर्ष			
		ii	नए आवासीय घर की लागत				घ ii				
		iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख				घ iii	दिन / मास / वर्ष			
		iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम				घ iv				

			(ivक) निक्षेप की तारीख	(ivख) लेखा संख्याक	(ivग) आईएफएस कोड	
			दिदि/मामा/वाईवाई			
		v	दावा की गई कटौती की रकम	घv		
		ड	धारा 115च के अधीन दावा की गई कटौती (अनिवासी भारतीयों के लिए)			
		i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अंतरण की तारीख	डि	दिन / मास / वर्ष	
		ii	नई विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाणपत्र में विनिधान की गई रकम	डिी		
		iii	विनिधान की तारीख	डिीी	दिन / मास / वर्ष	
		iv	दावा की गई कटौती की रकम	डिीव		
		च	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ड)	च		

उ चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ष की पूंजी हानि का मुजरा (अ8क और आ12क में शामिल रकमों को छोड़कर, जो डीटीए के तहत चार्जबल नहीं हैं।)

क्र.सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष का पूंजी अभिलाभ (इस स्तंभ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि		मुजराई के पश्चात चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ 8= 1-2-3-4-5-6-7)
			20%	30%	लागू दर	डी टी ए दर	12.5%	डी टी ए दर	
		1	2	3	4	5	6	7	8
i	मुजराई की जाने वाली पूंजी हानि (इस स्तंभ को केवल तभी भरें, जब संगणित अंक सकारात्मक हो)		(अ2ड.*+अ3क*+अ7क*+अ(अ))	(अ4ड*+अ7ख*+अ(अ))	(अ1ड.*+अ3ख*+अ5ड.*+अ6*+अ7ग*+अ(अ))	अ8ख	(आ1ख*+आ2ड*+आ3ग*+आ4ग*+आ5ड*+आ6ग*+आ7ग*+आ8ड*+आ9*+आ10क1*+आ10क2*+अ(अ))	आ1ख	
ii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	20%	(अ2ड.*+अ3क*+अ7क*+अ(अ))						
iii		30%	(अ4ड*+अ7ख*+अ(अ))						
iv		लागू दर	(अ1ड.*+अ3ख*+अ5ड.*+अ6*+अ7ग*+अ(अ))						
v		डी टी ए दर	अ8ख						
vi	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	12.5%	(आ1ख*+आ2ड*+आ3ग*+आ4ग*+आ5ड*+आ6ग*+आ7ग*+आ8ड*+आ9*+आ10क1*+आ10क2*+अ(अ))						
vii	डी टी ए दर	आ11ख							

इस सारणी में एसटीसीजी के आंकड़े(अ1ड.*आदि) संबंधित स्तंभ (अ1-अ7) में संगणित एसटीसीजी की रकम हैं वैसी ही प्रतिभूतियों के साथ मुजरा किए जाने के पश्चात् आता है और जो डीटीएस के अनुसार एसटीसीजी की रकम को घटा कर आता है जो कर से प्रभार्य नहीं है या विशेष दरों पर प्रभार्य हैं, जिसे इसमें सम्मिलित किया गया है, यदि कोई हो।

इस सारणी में एसटीसीजी के आंकड़े(अ1ड.*आदि) संबंधित स्तंभ (आ1- आ10) में संगणित एसटीसीजी की रकम हैं वैसी ही प्रतिभूतियों के साथ मुजरा किए जाने के पश्चात् आता है और जो डीटीएस के अनुसार एसटीसीजी की रकम को घटा कर आता है जो कर से प्रभार्य नहीं है या विशेष दरों पर प्रभार्य हैं, जिसे इसमें सम्मिलित किया गया है, यदि कोई हो।

टिप्पण▶ कृपया इस शीर्ष के अधीन आय को प्रगणित करते समय एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें

अनुसूची 112क		एक कंपनी में इकिटी शेयर की बिक्री अथवा निधो उन्मुख इकिटी की यूनिट अथवा एक कारबार न्यास की यूनिट से जिन पर धारा 112क के अधीन एसटीटी का संदत्त किया गया												
क्र म सं.	अर्जित शेयर/ यूनिट 31 जनवरी, 2018 को या उसके पहले या पश्चात्	आईएस आईएन कोड	शेयर/यूनिट का नाम	प्रति शेयर/ यूनिट की संख्या	प्रति शेयर / यूनिट बिक्री मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य, - यदि शेयर्स 31.01. 2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5)	8 एवं 9 के उच्चतर इंडेक्स सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत संपत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	31 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रति शेयर यूनिट उचित बा	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजीगत संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य - (4*10)	अंतरण के संबंध में पूर्णतः विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+ 12)	शेष (6-13)आई टीआर की एलटीसी जी अनुसूची की मद 4(क)

						यदि शेयर्स 31.01. 2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं।				जार मूल्य				
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 1क)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)	(स्तंभ 8)	(स्तंभ 9)	(स्तंभ 10)	(स्तंभ 11)	(स्तंभ 12)	(स्तंभ 13)	(स्तंभ 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़े														
कुल														

115कघ(1)(ख)(iii) परन्तुक		अनिवासियों के लिए-एक कंपनी में इक्विटी शेयर अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट की बिक्री से जिन पर धारा 115कघ (1)(ख)(iii) परन्तुक के साथ पठित धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया गया												
क्रम सं.	अर्जित शेयर / इकाई 31 जनवरी, 2018 को या उसके पहले या पश्चात्	आईएसआईएन कोड	शेयर/यूनिट का नाम	शेयर/यूनिटों की संख्या	प्रति शेयर/यूनिट बिक्री मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य, - यदि शेयर्स 31.01. 2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	8 एवं 9 के उच्चतर इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत संपत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	31 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रति शेयर यूनिट उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(क) के अनुसार पूंजीगत संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य - (4*10)	अंतरण के संबंध में पूर्णतः विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+ 12)	शेष (6-13)आईटीआर की एलटीसी जी अनुसूची की मद 4(क)

(स्तंभ 1)	(स्तंभ 1क)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)	(स्तंभ 8)	(स्तंभ 9)	(स्तंभ 10)	(स्तंभ 11)	(स्तंभ 12)	(स्तंभ 13)	(स्तंभ 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़े														
कुल														

अनुसूची वीडिए		आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (टिप्पण: ऐसे प्रत्येक संव्यवहार के ब्यौरे भरे जाएं जिसमें प्रत्येक 'अंतरण' एक संव्यवहार				
क्रम सं.	अधिग्रहण की तारीख	अंतरण की तारीख	पूँजी अभिलाभ का प्रकार (अल्पकालिक/ दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा (2)56x के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम(हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 - स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
सम्मिलित पंक्तियाँ						
कुल (स्तंभ 7 की समस्त सकारात्मक आय की राशि)						(अनुसूची सी.जी का मद सं. ग2)

अनुसूची-अन्य स्रोत		अन्य स्रोतों से आय	
1	सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
	क लाभांश, सकल (क + क ii + क iii)	1क	
	i (i) और (iii) से भिन्न लाभांश आय	का	
	ii धारा 2(22)(ड़)के अधीनलाभांश आय	क ii	
	iii धारा 2(22)(च)के अधीनलाभांश आय	क iii	
	ख ब्याज, सकल (खा + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii + खix)	1ख	
	i बचत बैंक से नीचे	खा	
	ii निक्षेप (बैंक/पोस्ट आफिस/कापरेटिव) से	खii	
	iii आयकर प्रतिदाय से	खiii	
	iv आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खiv	
	v धारा 10(11)के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खv	
	vi धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खvi	
	vii धारा 10(12)के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खvii	
	viii धारा 10(12)के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खviii	
	ix अन्य जिसके अंतर्गत कंपनियाँ, एनबीएफसी और एचएफसी भी है	खix	
	ग मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
	घ अन्य, सकल (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से हुई आय को छोड़कर) स्त्रोत का उल्लेख करें (घा + घii + घiii + घiv + घv)	1घ	
	घा प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घा	

		ii यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii			
		iii यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii			
		iv प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv			
		v यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv			
		ङ कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)			1ङ	
		क्र सं.	प्रकृति	राशि		
		1	पारिवारिक पेंशन			
		2	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय			
		3	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय			
		4	धारा 89क के अधीन गत वर्ष के दौरान प्रभार्य आय पर अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में छूट का दावा किया गया			
		5	पूर्व वर्ष के दौरान धारा 56(2) (xiii) में निर्दिष्ट किसी कारबार न्यास के किसी यूनिट धारा द्वारा प्राप्त हुई कोई विनिर्दिष्ट राशि			
		6	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय धारा 56(2) (xiii) में निर्दिष्ट किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त हुई कोई राशि, जिसके अंतर्गत लाभांश के रूप में आबंटित रकम भी			
		यथा अपेक्षित पक्तियां जोड़ी जा सकती हैं				
		2 विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2कi + 2कii + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं.1 से संबंधित तत्व)			2	
		कi	लाटरी, क्रास वर्ड, पहेली, दौड़, कार्ड खेल आदि से जीत, धारा 115खख के अधीन प्रभार्य	2कi		
		कii	धारा 115खख के अधीन प्रभार्य ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय	2कii		
		ख	धारा 115खखड. के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)	2ख		
		i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi		
		ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii		
		iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii		
		iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv		
		v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
		vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
		ग	धारा 111 के अधीन कराधेयमान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित अधिशेष	2ग		
		क्र सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ	
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
		घ विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय, (घi से घxx का योग)			2घ	
		i	अनिवासी (कंपनी नहीं होते हुए) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश कंपनी धारा 115 क(1) (क) (i), धारा 115 क(1) (क) (अ) के परंतुक के सिवाय अधीन प्रभार्य	घi		
		ik	अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी यूनिट, विदेशी कंपनी जो धारा 80 ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है, धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन प्रभार्य, प्राप्त हुआ लाभांश	घik		
		ii	सरकार या विदेशी करेंसी ऋणों पर भारतीय समुत्पन्न से प्राप्त ब्याज धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य	घ ii		
		iii	अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य	घ iii		
		iv	धारा 194 ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115 क (1)(क)(iiकक) @ 5% के अधीन प्रभार्य	घ iv		

[illegible]

II									
3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)								
	क।	व्यय/कटौतियां क। से भिन्न (पारिवारिक पेंशन से भिन्न मामले में)	3क।						
	क.ii	धारा 57(i) के अधीन लाभांश पर ब्याज व्यय (यदि आय 1क(i) और /या 1क (ii) में प्रस्तुत केवल तभी उपलब्ध)	3क.ii						
	क.ii.क	धारा 57(1) के अधीन योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि	3क.ii.क						
	क.ii.ii	धारा 57(ii.क) के अंतर्गत कटौती (केवल पारिवारिक पेंशन के मामले में)	3क.ii.ii						
	ख	अवक्षयण (सभी उपलब्ध यदि आय अनुसूची ओएस की 1ग में प्रस्तुत की गई)	3ख						
	ग	योग	3ग						
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम								4
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ								5
5क	धारा 89 क के अधीन कराधान से राहत हेतु आय का दावा								5क
6	[1 (डीटीए से संबंधित आय कम करने के बाद) - 3 + 4 + 5 - 5क] सामान्यता लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए की 3i का अंक लें)								6
7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि हो तो 6 को शून्य लिखें)								7
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से आय								
	क	प्राप्तियां	8क						
	ख	केवल 8 क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन	8ख						
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग						
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ						
	ड	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xii के अंक प्रविष्ट करे)	8ड						
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ड) (यदि ऋणात्मक है तो 8ड में शून्य लिखें)								9
10	अन्य स्रोतों से आय के प्रोद्भव या प्राप्तियों के बारे में सूचना								
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक		
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)		
1		धारा 2(24)(ix) में संदर्भित लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुड़दौड़ खेल, जुआ, सट्टाबाजी से जीत पर आय							
2		धारा 115खखज के अधीन ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय							
3क		क्रम सं. में संदर्भित लाभांश पर आय							
3ख		क्रम सं. 1क(iii) में संदर्भित लाभांश पर आय							
4		धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन, धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक से भिन्न, 20% की दर से लाभांश आय (पीटीआई आय शामिल)							
5		धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन 10% की दर से लाभांश आय (जिसके अंतर्गत पीटीआई आय भी सम्मिलित है)							

6	धारा 115कगके अधीन 10% की दर से लाभांश आय								
7	धारा 115कगक (1)(क) के अधीन 10%की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)								
8	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 20% की दर से धारा 115कघ (1)(i)में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)								
9	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय								
10	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवा निवृत्ति लाभ खाते से आय (धारा 89 क के अधीन राहत घटाने के पश्चात् कर योग्य भाग)								
टिप्पण ▶		कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें।							

अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन			चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा			
चालू वर्ष की हानि समायोजन	क्रम सं.	आय का शीर्ष/ स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष की गृहसंपत्ति की हानि को छोड़ना	सामान्य लागू दरों से प्रभार्यअन्य स्रोतों से कुल हानि (रेस के घोड़ों से हानि से भिन्न) का वर्तमान वर्ष में मुजरा	मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय
			1	2	3	4=1-2-3
	i	हानि छोड़ना → (इस पंक्ति को भरे यदि प्रगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची गृहसंपत्ति का 3)	(अनुसूची अन्य स्रोत का 6)	
	ii	वेतन	(अनुसूची वेतन का 6)			
	iii	गृहसंपत्ति	(अनुसूची गृहसंपत्ति का 3)			
	iv	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड. का 8 ii)			
	v	30% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड. का 8iii)			
	vi	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड. का 8iv)			
	vii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड. का 8v)			
	viii	12.5% की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड. का 8vi)			
	ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड. का 8vii)			
	x	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्यअन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची ओएस का 6)			

	xi	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची ओएस का 8ड)			
	xii	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस का 2च)			
	xiii	मुजरा की कुल हानि (ii+iii+ iv+v+vi+vii+ viii+ix+x+xi+xii)				
	xiv	मुजरा करने के पश्चात बाकी हानि (i - xiii)				

अनुसूची - अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन			पूर्ववर्षों की अग्रनीत की गई हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्योरा		
अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन	क्रमसं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची-चालू वर्ष की हानियों का समायोजन के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात आय	अग्रनीत की गई हानियों का मुजरा	मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय
			1	2	3
	i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ii)		
	ii	गृहसंपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iii)	(अग्रनीत यदि गृहसंपत्ति हानि है)	
	iii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iv)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
	iv	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4v)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
	v	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vi)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
	vi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
	vii	12.5 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4viii)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
	viii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ix)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
	ix	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 4x)		
	x	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xi)	(अग्रनीत यदि घुड़ दौड़ से हानि है)	
	xi	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर अन्य कराधेय स्रोतों से आय	(अनुसूची सीवाईएलए की 4xii)		
	xii	अग्रनीत की गई कुल हानि मुजरा (2ii + 2iii 2iv + 2v+ 2vi + 2vii+ 2viii+2x)			
	xiii	मुजरे के पश्चात शेष चालू वर्ष की आय-योग (3i + 3ii + 3iii+3iv + 3v+ 3vi + 3vii +3viii+ 3ix + 3x + 3xi)			

अनुसूची- अग्रनीत हानि		आगामी वर्षों के लिए अग्रनीत की जाने वाली हानियों का ब्योरा				
क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	गृहसंपत्ति हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
	1	2	3	4	5	6
I	2018-19					
li	2019-20					
iii	2020-21					
iv	2021-22					
v	2022-23					
vi	2023-24					
vii	2024-25					
viii	2025-26					

ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग					
x	अनुसूची अग्रणीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएलएका 2ii)			(अनुसूची बीएफएलए का 2x)
xi	2026-27 (चालू वर्ष की हानियां)		(अनुसूची सीवाईएलए का 2xiv)	(अनुसूची सीजी के मद ड) (2ix + 3ix + 4ix + 5ix)	अनुसूची सीजी की मद ड का (6ix + 7ix)	(अनुसूची ओएस का 8ड, यदि - नकारात्मक)
xii	आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत कुल हानि					

अनुसूची- VI क		अध्याय VI- क के अधीन कटौतियां				
कुल कटौतियां	1	भाग ख- कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
	क	80ग (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)		ख	80गग (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	
	ग	80 गगघ(1) (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)		घ	80 गगघ(1ख) (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	
	ङ	80 गगघ(2) (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)		च	80घ(ब्यौरों को ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित नीचे की और भरा जाएगा)	
	छ	80घघ		ज	80घघख 80घ (ब्यौरों को ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित नीचे की और भरा जाएगा)	
	झ	80ङ(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)		ञ	80ङङ(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	
	ट	80ङङक(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)		ठ	80ङङख(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	
	ड	80छ		ढ	80छछ(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	
	ण	80छछक		त	80छछग	
	2	भाग ग-कतिपय आयों की बाबत कटौती				
	थ	80थथख(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)		द	80ददख(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)	
	ध	80ननक		न	80ननख	
	प	80प		पक	80गगज	

	ई-फाइलिंगअपयोजित के अनुसार कोई अन्य कटौती(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)					
फ	अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतियां (क से पख का योग)					फ

अनुसूची 80छ		धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदारदानों के ब्यौरे						
दान के ब्यौरे	क	बिनाअर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान						
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए पात्र रकम	यूपीआई अंतरण या चेक सं./आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ सं.	बैंक का आईएफसी कोड
				नकद में दान	अन्य रीति में दान	कुल दान		
	i							
	ii							
	iii	कुल						
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान						
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए पात्र रकम	यूपीआई अंतरण या चेक सं./आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ सं.	बैंक का आईएफसी कोड
				नकद में दान	अन्य रीति में दान	कुल दान		
	i							
	ii							
	iii	कुल						
	ग	अर्हता सीमा के अधधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान						
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए पात्र रकम	यूपीआई अंतरण या चेक सं./आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ सं.	बैंक का आईएफसी कोड
				नकद में दान	अन्य रीति में दान	कुल दान		
	i							
	ii							
	iii	कुल						
	घ	अर्हता सीमा के अधधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान						
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	ए.आर.एन (दान संदर्भ संख्या)	दान की रकम		दान के लिए पात्ररकम	यूपीआई अंतरण या चेक सं./आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ सं.
					नकद में दान	अन्य रीति में दान	कुल दान	बैंक का आईएफसी कोड
	i							

ii									
iii कुल									
ड कुल दान (कiii + खाiii + गाiii + घiii)									

अनुसूची 80 छछक वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान के ब्यौरे

क्र. सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैन	दान की रकम			दान के लिए पात्र रकम
				नकद में दान	अन्य रीति में दान	कुल दान	
i							
ii							
	कुल दान						

अनुसूची 80 छछग राजनैतिक दलों द्वारा किए गए अभिदाय का ब्यौरा

क्र. म. सं.	तारीख	अभिदाय की रकम			अभिदायपात्र रकम	राजनीतिक पार्टी का नाम	राजनीतिक पार्टी का पैन	यूपीआई अंतरण या चेक संख्या/आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ संख्या	बैंक का आईएफएस कोड
		नकद में अभिदाय	अन्य माध्यम में अभिदाय	कुल अभिदाय					
i									
	(पंक्ति जोड़े)								
	कुल अभिदाय								

अनुसूची 80 घघ आश्रित का चिकित्सकीय उपचार जो नियोग्य व्यक्ति हैं, सहित अनुरक्षण के संबंध में कटौती का ब्यौरा

नियोग्यता की प्रकृति	आश्रित का प्रकार	आश्रित का पैन	आश्रित का आधार	प्ररूप 10।क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10।क की अभिस्वीकृति संख्या	नियम 11क (2) (ii) (यदि लागू हो) के अनुसार प्ररूप अभिस्वीकृति संख्या	यूडीआईडी संख्या (यदि उपलब्ध हो)	रकम
1. नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति 2. गंभीर नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति	1. पति या पत्नी 2. पुत्र 3. पुत्री 4. पिता 5. माता 6. भाई 7. बहन 8. एचयूएफ का सदस्य (एचयूएफ की दशा में)							

अनुसूची 80 प अयोग्य व्यक्ति की दशा में कटौती का ब्यौरा

नियोग्यता की प्रकृति	प्ररूप 10।क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10।क की अभिस्वीकृति संख्या	नियम 11क (2) (ii) (यदि लागू हो) के अनुसार प्ररूप अभिस्वीकृति संख्या	यूडीआईडी संख्या (यदि उपलब्ध हो)	रकम
1. स्वयं से नियोग्यता 2. स्वयं की गंभीर अयोग्यता					

अनुसूची-अनुकल्पिक न्यूनतम कर		धारा 115जघ के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना	
1	भाग-ख- कुल आय के मद 12 के अनुसार कुल आय	1	
2	धारा 115ग(2)के अनुसार समायोजन		
क	शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियाँ" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कतिपय कटौती		
3	धारा 115जग(1)के अधीन समायोजित कुल आय(1 + 2क)	3	
4	धारा 115जग के अधीन कर संदेय [(3) का 18.5%] (यदि 3, 20 लाख रुपए से अधिक है)	4	

अनुसूची-अनुकल्पिक न्यूनतम कर प्रत्यय		धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना				
1	निर्धारणवर्ष 2026-27(भाग-ख-कुल करआय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर					1
2	निर्धारणवर्ष 2026-27(भाग-ख-कुल करआय का 7) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर					2
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें]					3
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतम कर से अधिक नहीं हो सकेगा)					
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा			चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ)=(ख3)-(ग)
		सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)		
I	2013-14					
ii	2014-15					
iii	2015-16					
iv	2016-17					
v	2017-18					
Vi	2018-19					
Vii	2019-20					
Viii	2020-21					
ix	2021-22					
x	2022-23					
xi	2023-24					
xii	2024-25					
Xiii	2025-26					
xiv	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 1,2 सेअधिक है नहीं तो शून्य लिखें)					
xiv	योग					
5	वर्ष के दौरान धारा 115जघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट					5
6	पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का योग]					6

अनुसूची-विनिर्दिष्ट व्यक्ति की आय		विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक, आदि) की आय जो धारा 64 के अनुसार निर्धारिती की आय में सम्मिलित करने योग्य है												
क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या										संबंध	रकम(रु.)	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित किया गया
1														
2														
3														

अनुसूची-विशेष आय						
विशेष आय	क्रमसं.	धारा	☒	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
	1	111-पूर्व वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य का संचयित शेष	☐		(अनुसूची ओ.एस का 2गiii)	(अनुसूची ओ.एस का 2गiv)

	2	धारा 111क या धारा 115कघ 115कघ(1)(ख)(iii) - परन्तुक (उन शेष पर एस.टी.सी.जी जिन पर एस.टी.टी भुगतान किया गया)	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का3iii का भाग)	
	3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहां एस.टी.टी का संदाय नहीं किया गया है)	□	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3iv)	
	4	112 (1) (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के3vii का भाग)	
	5	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों या सूचीबद्ध प्रतिभूति से भिन्न पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के3vii का भाग)	
	6	115कग (बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के3vii का भाग)	
	6क	115कग(विदेशी करेंसी में खरीदे गए बंधपत्र पर अनिवासियों द्वारा प्राप्त ब्याज के माध्यम से आय)	□	10	(अनुसूची ओएस का 2घ का भाग)	
	6ख	115कग(विदेशी करेंसी में खरीदे गए जी.डी.आर से अनिवासियों द्वारा प्राप्त लाभांश के माध्यम से आय)	□	10	(अनुसूची ओएस का 2घ का भाग)	
	7	115कगक (विनिर्दिष्ट कंपनी के किसी कर्मचारी के लिए जीडीआर पर एलटीसीजी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii का भाग)	
	8	115कघ(प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के3vii क का भाग)	
	9	115ड विनिर्दिष्ट विदेशी विनिमय आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के3vii ख क का भाग)	
	10	112 (अन्य के लिए एल.टी.सी.जी)	□	12.5 (अनुसूची गछ का आ1जसे घटाकर आय के अनुसार, यदि कोई हो)	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के3vii का भाग)	
	11	112क या धारा 115कघ(1)(iii)- परन्तुक(शेयरों या इकाइयों जिस पर एसटीटी सदत्त किया जाता है के विक्रय पर एलटीसीजी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के3vii का भाग)	
	12	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एसटीसीजी	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के3vi का भाग)	
	13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एलटीसीजी	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के3(viii) का भाग)	
	14क	115खख (लाटरी, वर्गपहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	□	30	(अनुसूचीओ.एस का 2क(i)का भाग)	
	14ख	115खखज(आनलाइन गेम से जीत)	□	30	(अनुसूचीओ.एस का 2कii)	
	15	115खखड(धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या धारा 69घ के अधीन आय)	□	60	(अनुसूची ओ.एस का 2ख)	
	16	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)	□	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)	
	17	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)	□	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घका भाग)	
	18	115खखझ (कार्बन प्रत्ययों के अंतरण से आय पर कर)	□	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)	
	18क	115क(1)(ख)(अ) और 115क(1)(ख)(आ) (तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामित्व और फीस से अनिवासियों की आय)	□	20	(अनुसूची ओ एस के 2घ का भाग)	
	19	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (ई - फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित करें)	□		(अनुसूची ओ.एस का 2घका भाग)	

20	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य आय के अन्य स्रोत	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3xii का भाग)	
21	20% की दर पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii ख का भाग)	
22	30% की दर पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3iv का भाग)	
23	धारा 112क के अधीन 12.5 प्रतिशत की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय		12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii ख का भाग)	
24	धारा 112क के अधीन से भिन्न धारा के अधीन 12.5 प्रतिशत की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii ख का भाग)	
25	विशेष दर पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन दिया जाना है)	□		(अनुसूची ओ.एस का 2ड)	
कुल					

अनुसूची-छूट प्राप्त आय		छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से अप्रभार्य आय)				
छूट प्राप्त आय	1	ब्याज से आय				1
	2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	i		
		ii	कृषि पर उपगत व्यय	ii		
		iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेहित कृषि हानि	iii		
		iv	वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)			2
		v	यदि किसी वर्ष के लिए कुल कृषि आय पांच लाख से अधिक है, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)			
		क	पिन कोड के साथ जिले का नाम जहां कृषि भूमि अवस्थित है			
		ख	कृषि भूमि का एकड़ में माप			
		ग	क्या कृषि भूमि पट्टे पर स्वामित्वाधीन या धारित है ((ड्राप डाउन उपबंधित करें)			
		घ	क्या कृषि भूमि सिंचित है या वर्षा द्वारा पोषित है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)			
	3	अन्य छूट प्राप्त आय (जिसके अंतर्गत अवयस्क बालक की छूट प्राप्त आय भी सम्मिलित है)				3
	4	डीटीए के अनुसार कर पर अप्रभार्य दावा की गई आय (अनिवासीयों के लिए लागू)				
		क्रमसं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए की मदें
						आय के शीर्ष
						क्या टीआरसी प्राप्त किया गया है (हां/नहीं)
		I				
		II				
		III	कर से अप्रभार्य दावा किए गए डीटीए से कुल आय			
	5	कर पर दावा किए गए अप्रभार्य निकासी आय (पीटीआई अनुसूची)				5
	6	योग (1+2+3+4+5)				6
	7					7

अनुसूची पीटीआई		धारा 115 प, धारा 115पक, और 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पासथू से आय के ब्यौरे								
पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा 115प, 115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश	कारबार न्यास / विनिवेश निधिका नाम	कारबार न्यास / विनिधान निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा	शुद्ध आय/क्षति (7-8)	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			i	गृह संपत्ति				
					ii	पूंजी अभिलाभ				
					क	अल्पकालिक अवधि				
					क	धारा 111क				

						kii	अन्य				
						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खi	धारा 112क				
						खii	धारा 112क के अतिरिक्त				
						iii	अन्य स्त्रोत				
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
						iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
						क	धारा 10(23चखख)के अधीन				
						ख	धारा के अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				
						i	गृह संपत्ति				
						ii	पूँजी अभिलाभ				
						क	अल्प कालिक अवधि				
2.						का	धारा 111क				
						kii	अन्य				
						ख	दीर्घ कालिक अवधि				
						खi	धारा 112क				
						खii	धारा 112क के अतिरिक्त				
						iii	अन्य स्त्रोत				
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
						iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
						क	धारा 10(23चखख)के अधीन				
						ख	धारा के अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				

अनुसूची एफएसआई			भारत के बाहर से आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)								
क्रम सं.	देश का कोड (ई फाइलिंग में उपबंधित प्रदान किया जाना है)	कर दाता की पहचान संख्या	क्रमसं.	आय के शीर्ष	भारत के बाहर से आय (भागख-न। में शामिल)	भारत के बाहर संदत्त कर	भारत में साधारण उपबंधोंके अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (च)=(ग) या (घ)इनमें से जो भी कम हो	यदि राहत का दावा धारा 90 या 90क के अधीन किया गया है तो डीटीए का सुसंगत अनुच्छेद		
				)क(	)ख(	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)		
1			i	वेतन							
			ii	गृह संपत्ति							
			iii	पूँजी अभिलाभ							
			iv	अन्यस्रोत							
			कुल								
2			i	वेतन							
			ii	गृह संपत्ति							
			iii	पूँजी अभिलाभ							
			iv	अन्यस्रोत							
			कुल								

अनुसूची टी.आर		भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दावा की गई कर राहत का सारांश (निवासी के मामले में उपलब्ध)			
1	दावा की गई कर राहत का सारांश				
	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	कुल उपलब्ध कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड) का योग)	धारा के अधीन दावा की गई कर राहत(धारा 90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
	कुल				
2	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डीटीएए लागू होता है (धारा 90 / 90क)(1(घ)योग का भाग)				2
3	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डीटीएए लागू होता है(धारा 91)(1(घ)योग का भाग)				3
4	क्या भारत से बाहर किसी कर का संदाय किया गया है, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई थी,का प्रतिदाय/प्रत्यय विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान किया गया है ? यदि हां, तो नीचे ब्यौरे दें।				4
	क	प्रतिदाय किए गए कर की रकम	ख	वह निर्धारण वर्ष, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ड 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।													
क्र.सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम तथा कोड	जिप कोड	खाता धारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु.में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय	क्र.सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(3)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)													
(ii)													
च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासी का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हैं।													
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	वस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)													
(ii)													
छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरे जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च													
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(1)	(2)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)													
(ii)													
टिप्पण व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, कोइ स अनुसूची में रिपोर्ट करना आज़ापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई													

अनुसूची-5क		पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति या पत्नी की आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी			
पति/पत्नी की नाम					
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्या / आधार संख्या					
आय के शीर्ष		शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां	पति/ पत्नी में रकम का प्रभाजन	(ii) पर आय पर कटौती किया गया टीडीएस की रकम	पति या पत्नी द्वारा प्रभाजित टीडीएस
(i)		(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	गृह संपत्ति				

2	पूँजीलाभ				
3	अन्य स्तोत				
4	कुल				

अनुसूची कठ		वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (यह उस दशा में लागू होगा जहां कुल आय 1 करोड़ से अधिक हो)			
आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे	क	स्थावर आस्ति के ब्यौरे			
	क्र. सं.	वर्णन	पता	पिनकोड	रकम (लागत) में रुपए
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	ख	जंगम आस्ति के ब्यौरे			
	क्र. सं.	वर्णन			रकम (लागत) में रुपए
	(1)	(2)			(3)
	(i)	आभूषण, सोना-चांदी, आदि			
	(ii)	पुरातत्वीय संग्रह, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कला का कोई कार्य			
	(iii)	यान, क्रीड़ा-नौका, नौका और वायुयान			
	(iv)	वित्तीय आस्ति			रकम (लागत) में रुपए
		(क) बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमा राशि भी है)			
		(ख) शेयर और प्रतिभूति			
		(ग) बीमा पालिसी			
		(घ) दिए गए ऋण और अग्रिम			
		(ङ) हाथ में नकदी			
ग	आस्ति के संबंध में दायित्व (क+ख)				

अनुसूची: ई.एस.ओ.पी पर कर स्थगन	कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-दकग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते
संदाय स्टार्टअप होने पर नियोक्ता का पैना	
नियोक्ता का डीपीआईआईटी रजिस्ट्रीकरण संख्या	

विवरण	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि पूर्ववर्ती निर्धारण से आगे लायी गई	गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं?				अगले निर्धारण वर्ष में कर स्थगन की शेष राशि
				ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इकिटी शेयर बेचे गए (i) पूर्णतया (ii) आंशिक (iii) नहीं बेचे गए स्तंभ 3 के ऐसे बिक्री का कर गुण का तारीख व राशि का वर्णन करें (उपयोगिता के अनुसार प्रदत्त विवरण)	नियोक्ता के कर्म होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इकिटी शेयर को आबंटित या हस्तांतरित किया ? o हां o नहीं यदि हां, तारीख विनिर्दिष्ट करें	उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इकिटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आबंटित किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, तो आबंटन की तारीख विनिर्दिष्ट करें	चालू निर्धारण वर्ष में कर योग्य राशि (यथास्थिति स्तंभ 3 या 4 से कलन)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2021-22	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8			(निर्धारण वर्ष 2027-28 में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में देय)		
	2	2022-23	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					

3	2023-24	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
4	2024-25	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
5.	2025-26	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
6.	2026-27	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					

भाग-ख

भाग ख- कुल आय		कुल आय की संगणना			
कुल आय	1	वेतन(अनुसूची वेतन का 6)			1
	2	गृहसंपत्ति से आय(अनुसूची गृ.सं. का 3)(यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)			2
	3	पूँजी अभिलाभ			
	क लघुअवधि				
	i	लघु अवधि प्रभार्य @ 20% (अनुसूची पू.अ.का मदड का8ii)	का		
	ii	लघु अवधि प्रभार्य @ 30% (अनुसूची पू.अ.का मदड का8iii)	काii		
	iii	लागू दर पर लघु अवधि प्रभार्य(अनुसूची पू.अ.का मदड का8iv)	काiii		
	iv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 8v)	काiv		
	v	कुल लघु अवधि (का +काii +काiii+काiv) (शून्य हानि प्रविष्ट करें)	3कv		
	ख दीर्घ अवधि				
	i	दीर्घ अवधिप्र भार्य @ 12.5% (अनुसूची पू.अ.का मदडका8vi)	खi		
	ii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 8vii)	खii		
	iii	कुल दीर्घ अवधि (खi+खii) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	3खiii		
	ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ की राशि (3कv + 3खiii)(यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)			3ग
	घ	धारा 115खखज के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सीजी का ग2)			3घ
	ङ	कुल पूंजीगत अभिलाभ(3ग + 3घ)			3ङ
	4	अन्य स्रोतों से आय			
	क	सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्यअन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसुचीणध का 6) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4क		
	ख	प्रभार्य योग्य आयपर विशेष दर पर कर(अनुसूची असो का 2)	4ख		
	ग	दौड़ के घोड़े के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलापों से आय(अनुसुची णध का 8ड) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4ग		
घ	योग (4क + 4ख + 4ग)(यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)			4घ	
5	शीर्षवार कुल आय (1+2+3ङ+4घ)			5	
6	5 के विरूद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां(अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा.के 2xiiiऔर 3xiiiकायोग)			6	
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6)(अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन +2 अनुसूची सीवाईएलएस्तंभ 4 का योग)			7	
8	7 के सामने मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानियां(अनुसूची अग्रनीत हानि समा. का 2xii)			8	
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची अग्रनीत हानि समा.+ 2का 3iii)			9	
10	धारा 111क, 112, 112क आदि के अधीन आय प्राभार्य के लिए विशेष दर पर कर में 9 सम्मिलित है			10	
11	अध्याय 6कके अधीन कटौतियां(अनुसूची VIककाब और 9-10 के लिए सीमित)			11	
12	कुल आय(9-11)			12	
13	आय जो 12 में सम्मिलित है और विशेष दरों पर कर से प्राभार्य(अनुसूची धझ में स्तंभ(झ)का योग)			13	

14	शुद्ध कृषि आय/दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय(अनुसूची छूट प्राप्त आय का 3)	14	
15	संकलित आय' (12-13+14)[लागू होगा यदि(12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्रभार्य न हो, से अधिक हो]	15	
16	अग्रणीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियां(अनुसूची अग्रणीत हानि का xi कुल पक्तियां)	16	
17	धारा 115ज ग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एमएमटी का 3)	17	

भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व कुल आय पर कर दायित्व की संगणना									
करदायित्व की संगणना	1	क	धारा 115 जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर(अनुसूची का अनुकल्पितभूततर कर का 4)	1क					
		ख	(क) परअधिभार (यदि लागू है)	1 ख					
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क + 1ख) उपर	1 ग					
		घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर (1क + 1ख + 1 ग)					1 घ	
	2		कुल आय पर संदेय कर						
		क	भाग ख-कुल आय के 15 पर सामान्य दरों पर कर	2क					
		ख	विशेष दरों पर कर(अनुसूची विशेष आय का (ii)का कुल)	2ख					
		ग	कृषि आय पर छूट [लागू होगा यदि भाग ख कुल आय के (12-13)अधिकतम रकम जिस पर कर प्राभार्य न हो,से अधिक हो]	2ग					
		घ	कुलआय पर संदेय कर (2क + 2ख - 2ग)					2घ	
	3		धारा 87क के अधीन रिबेट					3	
	4		रिबेट के पश्चात संदेय योग्य कर(2घ- 3)					4	
	5	अधिभार			उपांतिक राहत से पूर्व परिकलित अधिभार	उपांतिक राहत के बाद अधिभार			
		i	अनुसूची धझ के 15(ii) के 25%	5i			iक		
		ii	10% या 15% पर लागू	5ii			iiक		
		iii	अनुसूची धझ के [(4) - 15(ii) पर उपर्युक्त 5(ii) में संदर्भित आय पर कर)]	5iii					
		iv	कुल (iक+iiक)					5iv	
	6		(3 + 4iv) पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा सेस(3 + 5iv)					6	
	7		सकल कर दायित्व (4 + 5iv + 6)					7	
	8		कुल कर संदेय(1घ और 7 से कुछ कम)					8	
	8क		धारा 17(2)(vi)में संदर्भित 80आई.ए.सी.में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर (8 - 8ख)					8क	
	8ख		धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर					8ख	
	8ग		गत वर्षों से कर स्थगन किंतु चालू नि.व. के दौरान देय (ई.एस.ओ.पी. पर अनुसूची कर स्थगन का स्तंभ 7 का कुल योग)					8ग	
	9		पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115जघ के अधीन जमा (केवल तभी लागू होगा यदि 7, 1घ से उच्चतम हो) (अनुसूची एएमटी की पंक्ति 5)					9	
	10		धारा 115 जघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (8क - 9)					10	
	11		कर राहत						
		क	धारा 89 (कृपया फार्म 10ड प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें)	11क					
		ख	धारा 90 या 90क(अनुसूची टीआर का 2)	11ख					
		ग	धारा 91 (अनुसूची टीआर का 3)	11ग					
		घ	योग (11क + 11ख + 11ग)					11घ	
	12		सकल कर दायित्व (10 - 11घ) (यदि नकारात्मक है तो शून्य लिखें)					12	
	13		ब्याज और संदेय फीस						
		क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	13क					
		ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यति क्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	13ख					
		ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234 ग)	13ग					
		घ	आय की विवरणीप्र स्तुत करने में व्यति क्रम के लिए (धारा 234घ)	13घ					
		घक	पुनरीक्षित आय की विवरणी प्रदान करने के लिए फीस(धारा 234झ)	13घक					
		ड	कुल संदेय ब्याज (13क + 13ख + 13ग + 13घ+ 13घक)					13ड	

14		संकलित दायित्व (12+ 13ड)				10	
संदत्त कर	15	संदत्त कर					
	क	अग्रिम कर (20क के स्तंभ 5 से) टीडीएस			15क		
	ख	स्रोत पर कटौती किया गया कर (20ख के स्तंभ 5 और 20ग के स्तंभ 9 का योग)			15ख		
	ग	स्रोत पर कर कटौती (20घ के स्तंभ 7(i) का योग)			15ग		
	घ	स्वनिर्धारण कर (20क के स्तंभ 5 से)			15घ		
ड	संदत्त कुल कर (15क + 15ख + 15ग + 15घ)				15ड		
16		संदेय कर (यदि 14, 15ड से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें)				16	
17		प्रतिदाय (यदि 15ड, 14 से अधिक है) (प्रतिदाय, यदि कोई हो, सीधे बैंक खाते में जमा होगा)				17	
बैंक खाता	18	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी जिनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, नहीं का चयन कर सकते हैं।)				हां. अथवा नहीं का चयन करें	
		क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	खाता का प्रकार (ई फाइलिंग द्वारा उपबंधित ड्रापडाउन)	पुनःवापसी प्रत्यय के लिए खाते का चयन करें (कम से कम एक खाते पर सही का निशान बनाएं)
	i						
	ii						
	नोट: 1. सभी बैंक खाते, सिवाय निष्क्रिय खाता के, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी चाहिए। 2. यदि बहुविध खातों का चयन किया जाता है, प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के पश्चात् विधिमान्य खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती						
	ii	ख) अनिवासी, जिनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:					
		क्रम सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश का स्थान		आई.बी.ए.एन
	यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं						
	19	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय,- (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें)				□हां □नहीं	

20	अनुसूची-आयकर				
क	आय-करके अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे				
अग्रिम/स्व निर्धारण	क्रम सं.	बी एस आर कोड	निक्षेप की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम(रु.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
टिप्पण▶ भाग ख-टी टी आई की क्रमसं. 15 क और 15घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।					
ख	वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक(नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]				
वेतन से स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या(टैन)	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभाष्य आय	कटौती किया गया कुल कर
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
टिप्पण▶ कृपया भाग ख-टीटीआई के कॉलम 5 से 15ख का योग भरें					

घ

स्तौत पर कर संग्रहण का विवरण(टी.सी.एस) [समाहर्ता द्वारा जारी प्रपत्र 27घ के अनुसार]

अन्य आय पर टी.डी.एस	क्रम सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस [धारा 5क के अनुसार पति/ पत्नी धारा 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	समाहर्ता का कर संग्रहण खाता संख्या तथा कर कटौती	अन्य व्यक्ति का पैना यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित)	आगे लाया गया अदावाकर टी.सी.एस	चालू वित्त वर्ष की टीसीएस		इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		टी.सी.एस जमा आगे लाया गया	
					वित्त वर्ष जिसमें संग्रह किया गया	राशिबी/एफ	स्वय संग्रहित किया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा संग्रहित अथवा नियम 37आई (1)के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि अनुप्रयोज्य हो)	स्वयं दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा दावा किया गया अथवा नियम 37 आई (1)के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि अनुप्रयोज्य हो)	
(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)	(7)(ii)	(8)	
									टी.सी.एस	पैना	
i											

टिप्पणी कृपया भाग ख-ननझ के 15ग में स्तंभ 7(i) का कुल मांग दर्ज करें

2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix-II, for FORM ITR-2, the following FORM shall be substituted, namely:—

FORM	ITR-2	INDIAN INCOME TAX RETURN				Assessment Year					
		[For Individuals and HUFs not having income from profits and gains of business or profession] (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962) (Please refer instructions)				2	0	2	6	-	2
Part A-GEN		GENERAL									
PERSONAL INFORMATION	(A1) First name	(A2) Middle name	(A3) Last name				(A4) PAN				
	Addresses to be provided for communication purposes:						(A5) Status (Tick) ☒				
	Primary Address: (A6a) Flat/Door/Block No. (A7a) Name of Premises/Building/Village (A8a) Road/Street/Post Office (A9a) Area/locality (A10a) Town/City/District (A11a) State (A12a) Country (A13a) PIN code/ZIP code.						☐ Individual ☐ HUF				
	Secondary Address: (A6b) Flat/Door/Block No. (A7b) Name of Premises/Building/Village (A8b) Road/Street/Post Office (A9b) Area/locality (A10b) Town/City/District (A11b) State (A12b) Country (A13b) PIN code/ZIP code.						(A14) Date of Birth/ Formation (DD/MM/YYYY)				
	Details to be provided for communication purposes:						(A15) Aadhaar Number (12 digit)				
	(A16) Residential/Office Phone Number with STD code/ Primary Mobile No. of the taxpayer						(A17) Secondary Mobile No.				
	(A18) Primary Email ID of the taxpayer						(A19) Secondary Email ID				
	(A20)	(a1i) Filed u/s (Tick) ☐				☐ 139(1)-On or before due date, ☐ 139(4)-After due date, ☐ 139(5)-Revised Return, ☐ 92CD-Modified return, ☐ 119(2)(b)-After condonation of delay					
		(a1ii) Or filed in response to notice u/s ☐				☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153C					
	(a2)	Do you wish to exercise the option u/s 115BAC(6) of Opting out of new tax regime? (default is "No") ☐ Yes ☐ No Note- For Opting out, option should be exercised along with the return of income filed u/s 139(1)									
(b)	Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? - (Tick) ☐ Yes ☐ No If yes, please furnish following information [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]										
(bi)	Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current accounts during the previous year? (Yes/No)						Amount (Rs) (If Yes)				
(bii)	Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/No)						Amount (Rs) (If Yes)				
(biii)	Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)						Amount (Rs) (If Yes)				
(biv)	Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)						(Tick) ☐ Yes ☐ No				
(c)	If Revised/Defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)						/ /				
(d)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b) enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) and date of such Notice/Order, or if filed u/s 92CD, enter date of Advance Pricing Agreement						(Unique Number) /				
(e)	Residential Status in India (for individuals) (Tick applicable option)	A. Resident ☐ You were in India for 182 days or more during the previous year [section 6(1)(a)] ☐ You were in India for 60 days or more during the previous year, and have been in India for 365 days or more within the 4 preceding years [section (6)(1)(c)] [where Explanation 1 is not applicable] ☐ You are a citizen of India, who left India, for the purpose of employment, as a member of the crew of an Indian ship and were in India for 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years [Explanation 1(a) of section (6)(1)(c)] ☐ You are a citizen of India or a person of Indian origin and have come on a visit to India during the previous year and were in India for a) 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years; or b) 120 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years if the total income, other than income from foreign sources, exceeds Rs. 15 lakh. [Explanation 1(b) of section (6)(1)(c)] B. Resident but not ☐ You have been a non-resident in India in 9 out of 10 preceding years [section 6(6)(a)] ☐ You have been in India for 729 days or less during the 7 preceding years [section 6(6)(a)]									

			Ordinarily Resident ☐ You are a citizen of India or person of Indian origin, who comes on a visit to India, having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh and have been in India for 120 days or more but less than 182 days during the previous year [section 6(6)(c)] ☐ You are a citizen of India having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh during the previous year and not liable to tax in any other country or territory by reason of your domicile or residence or any other criteria of similar nature [section 6(6)(d) rws 6(1A)]									
			C. Non-resident ☐ You were a non-resident during the previous year. (i) Please specify the jurisdiction(s) of residence during the previous year -									
			<table border="1"> <tr> <th>S. No.</th> <th>Jurisdiction(s) of residence</th> <th>Taxpayer Identification Number(s)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	S. No.	Jurisdiction(s) of residence	Taxpayer Identification Number(s)	1			2		
			S. No.	Jurisdiction(s) of residence	Taxpayer Identification Number(s)							
			1									
			2									
			(ii) In case you are a Citizen of India or a Person of Indian Origin (POI), please specify - <table border="1"> <tr> <th>Total period of stay in India during the previous year (in days)</th> <th>Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Total period of stay in India during the previous year (in days)	Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)							
			Total period of stay in India during the previous year (in days)	Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)								
			Residential Status in India (for HUF) <i>(Tick applicable option)</i> D. ☐ Resident ☐ Resident but not Ordinarily Resident ☐ Non-resident									
(f) Do you want to claim the benefit under section 115H? <i>(applicable in case of resident)</i> ☐ Yes ☐ No												
(g) Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? <i>(Tick)</i> ☒ ☐ Yes ☐ No (If "YES" please fill Schedule 5A)												
(h) Whether you are an FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No												
(i) Legal Entity Identifier (LEI) details (mandatory if refund is 50 Crores or more) <table border="1"> <tr> <th>LEI Number</th> <th>Valid upto date</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	LEI Number	Valid upto date										
LEI Number	Valid upto date											
(j) Whether this return is being filed by a representative assessee? <i>(Tick)</i> ☒ ☐ Yes ☐ No If yes, please furnish following information - <table border="1"> <tr> <td>(1)</td> <td>Name of the representative assessee</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>E-mail ID of the representative assessee</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>Contact number of the representative assessee</td> </tr> </table>	(1)	Name of the representative assessee	(2)	E-mail ID of the representative assessee	(3)	Contact number of the representative assessee						
(1)	Name of the representative assessee											
(2)	E-mail ID of the representative assessee											
(3)	Contact number of the representative assessee											
(k) Whether you were Director in a company at any time during the previous year? <i>(Tick)</i> ☒ ☐ Yes ☐ No If yes, please furnish following information - <table border="1"> <tr> <th>Name of Company</th> <th>Type of company</th> <th>PAN</th> <th>Whether its shares are listed or unlisted</th> <th>Director Identification Number (DIN)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>(Drop down to be provided)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Name of Company	Type of company	PAN	Whether its shares are listed or unlisted	Director Identification Number (DIN)		(Drop down to be provided)					
Name of Company	Type of company	PAN	Whether its shares are listed or unlisted	Director Identification Number (DIN)								
	(Drop down to be provided)											

		(l) Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? <i>(Tick)</i> ☒ ☐ Yes ☐ No If yes, please furnish following information in respect of equity shares																																																																						
		<table border="1"> <tr> <th>Name of comp any</th> <th>Type of Comp any</th> <th>PA N</th> <th>Opening balance</th> <th colspan="6">Shares acquired during the year</th> <th colspan="2">Shares transferred during the year</th> <th colspan="2">Closing balance</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(Drop down to be provided)</th> <th></th> <th>No. of sha res</th> <th>Cost of acquisition</th> <th>No. of sha res</th> <th>Date of subscrip tion / purchas e</th> <th>Face value per share</th> <th>Issue price per share (in case of fresh issue)</th> <th>Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)</th> <th>No. of sha res</th> <th>Sale consideration</th> <th>No. of sha res</th> <th>Cost of acquisition</th> </tr> <tr> <th>1a</th> <th>1b</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Name of comp any	Type of Comp any	PA N	Opening balance	Shares acquired during the year						Shares transferred during the year		Closing balance			(Drop down to be provided)		No. of sha res	Cost of acquisition	No. of sha res	Date of subscrip tion / purchas e	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of sha res	Sale consideration	No. of sha res	Cost of acquisition	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																												
		Name of comp any	Type of Comp any	PA N	Opening balance	Shares acquired during the year						Shares transferred during the year		Closing balance																																																										
			(Drop down to be provided)		No. of sha res	Cost of acquisition	No. of sha res	Date of subscrip tion / purchas e	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of sha res	Sale consideration	No. of sha res	Cost of acquisition																																																									
		1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																									

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule S		Details of Income from Salary	
SALARIES	Name of Employer	Nature of employer (Tick) ☒ (drop down to be provided)	TAN of Employer (mandatory if tax is deducted)
	Address of employer	Town/City	State
			PIN code/ ZIP code
1	Gross Salary (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f)		1
	a Salary as per section 17(1) (drop down to be provided)	1a	
	b Value of perquisites as per section 17(2) (drop down to be provided)	1b	
	c Profit in lieu of salary as per section 17(3) (drop down to be provided)	1c	
	d Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (choose country from drop down menu)	1d	
	e Income from retirement benefit account maintained in a country "other than notified country u/s 89A"	1e	
	f Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year.	1f	
	(Add multiple rows for Gross Salary in case of more than one employer)		
2	Total Gross Salary (from all employers)		2
3	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) (Note: Ensure that it is included in Total Gross salary in (2) above)		3
3(a)	Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A		3a
4	Net Salary (2 – 3 – 3a)		4
5	Deduction u/s 16 (5a + 5b + 5c)		5
	a Standard deduction u/s 16(ia)	5a	
	b Entertainment allowance u/s 16(ii)	5b	
	c Professional tax u/s 16(iii)	5c	
6	Income chargeable under the head 'Salaries' (4 - 5)		6

Schedule HP		Details Of Income From House Property (Drop down to be provided indicating ownership of property)					
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1	Town/ City	State	Country	PIN Code/ ZIP Code	
		Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details)					
		Your percentage of share in the property (%)					
		Name of Co-owner(s)	PAN/Aadhaar No. of Co-owner(s)	Percentage Share in Property			
		I					
		II					
		[Tick ☒ the applicable option] ☐ Let out ☐ Self-occupied ☐ Deemed let out	Name(s) of Tenant(s) (if let out) I II	PAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)	PAN/TAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)		
		a	Gross rent received or receivable or lettable value				1a
		b	The amount of rent which cannot be realized				1b
		c	Tax paid to local authorities				1c
		d	Total (1b + 1c)				1d
		e	Annual value (1a – 1d) (nil if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act)				1e
		f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)				1f
		g	30% of 1f				1g
		h	Interest payable on borrowed capital (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)				1h

	i	Total (1g + 1h)	1i	
	j	Arrears/Unrealized rent received during the year less 30%	1j	
	k	Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)	1k	
		(fill up details separately for each property)		
2		Pass through income/loss if any *	2	
3		Income under the head “Income from House Property” (Σ1k + 2) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)	3	
NOTE ► Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI and Pass through income referred to in schedule PTI while computing the income under this head.				
NOTE ► Furnishing of PAN/ Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.				

Schedule CG			Capital Gains													
CAPITAL GAINS	CAPITAL GAINS	A	Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 3 and 4 are not applicable for residents)													
			1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)												
				Date of purchase/ acquisition DD/MM/YYYY					Date of sale/transfer DD/MM/YYYY							
				a	i	Full value of consideration received/receivable				ai						
					ii	Value of property as per stamp valuation authority				aii						
						iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]				aiii					
			b	Deductions under section 48												
				i	Cost of acquisition without indexation				bi							
					ii	Cost of Improvement without indexation				bii						
					iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii						
					iv	Total (bi + bii + biii)				biv						
				c	Balance (aiii – biv)				1c							
				d	Deduction under section 54B (Specify details in item D below)				1d							
				e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)										A1e	
				f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)											
					S. No.	Name of buyer(s)	PAN/ Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, country code, ZIP code	Pin code	State				
			NOTE ►		Furnishing of PAN/ Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.											
			2	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII) (where A3 is not applicable)												
				a	Full value of consideration				2a							
				b	Deductions under section 48											
				i	Cost of acquisition without indexation				bi							
					ii	Cost of Improvement without indexation				bii						
					iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii						
					iv	Total (i + ii + iii)				biv						
				c	Balance (2a – biv)				2c							

	6	Amount deemed to be short term capital gains										
	a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below										
	Sl. No.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)						
				Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account							
				i	2023-24				54B			
	ii	2024-25	54B									
	b	Amount deemed to be short term capital gains, other than at 'a'										
	Total amount deemed to be short term capital gains (aXi + aXii + b)										A6	
	7	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A7a + A7b + A7c)								A7		
		a	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 20%			A7a						
b		Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%			A7b							
c		Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates			A7c							
8	Amount of STCG included in A1 – A7 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA (Applicable for Non-Residents only)											
	Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A7 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	I											
	II											
Long-term Capital Gains	a	Total amount of STCG claimed as not chargeable to tax in India as per DTAA								A8a		
	b	Total amount of STCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA								A8b		
	A(A)	Capital Loss on buy back of shares [Short Term 20% or 30% or applicable rate] (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered in 1aiii or sl.no.2d/2e of schedule OS)								A(A)		
	9	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2e+ A3a+ A3b+ A4e+ A5e+A6 + A7 - A8a + A(A))								A9		
	B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items, 4, 5 , 6 & 7 are not applicable for residents)										
	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property from a to f)										
		Date of purchase/ acquisition DD/MM/YYYY				Date of sale/transfer DD/MM/YYYY						
		a	i	Full value of consideration received/receivable				ai				
			ii	Value of property as per stamp valuation authority				aii				
			iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]				aiii				
b		Deductions under section 48										
		i	Cost of acquisition without indexation				bi					
		iia	Cost of acquisition with indexation (Applicable only for: Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before 23rd July 2024)				biia					
	iib	Total cost of improvement										

				(a) Cost of improvement without indexation	biib(a)						
				(b) Year of Improvement							
				(c) Cost of Improvement with indexation (b & c applicable only for: Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before 23rd July 2024)	biib(c)						
				Add row							
				iii Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii						
				iv Total bi + Σ biib(a) + biii)	biv						
				iva Total (only for the purpose of computing eiB) (biia + Σ biib(c) + biii) (Applicable for Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before 23rd July 2024)	biva						
				c Balance (aiii – biv)	1c						
				ca Balance (aiii- biva) (Applicable for Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before 23rd July 2024) (only for the purpose of computing eiB) (In case of negative, to be considered as nil)	1ca						
				d Deduction under section 54/54B/54EC/54F (Specify details in item D below)	1d						
				e Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)	B1e						
				ea Long-term Capital Gains on Immovable property (1ca – 1d) (Applicable for Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before after 23rd July 2024) (only for the purpose of computing eiB) (In case of negative, to be considered as nil)	B1ea						
				ei Where acquisition is before 23rd July 2024 (for residents only) A. Tax as per section 112(1)(a)(ii)(B) (1e*12.5%) B. Tax for the purposes of second proviso to section 112(1)(a) (1ea*20%) (Note : Tax computed at (ei) is for determining 'excess amount to be ignored in e(ii)')	B1ei(A) B1ei(B)						
				eii Excess amount, if any, that is required to be ignored as per second proviso to section 112(1)(a) (for residents only) [B1ei(A)- B1ei(B)]	B1eii						
				f In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)							
	S.No.	Name of buyer(s)	PAN/ Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, country code, ZIP code	Pin code	State			
			NOTE ►	Furnishing of PAN/ Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.							
			g	Total Long-term Capital Gains on all Immovable properties (Σ B1e):					B1g		
			h	Total excess tax to be ignored (Σ B1eii)					B1h		
2			From sale of, (i) listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds as per Section 112(1); (ii) GDR of an Indian company referred in sec. 115ACA (applicable only for resident individuals)								
			a	Full value of consideration				2a			
			b	Deductions under section 48				b			
			i	Cost of acquisition without indexation				bi			
			ii	Cost of improvement without indexation				bii			
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii			

			iv	Total (bi + bii +biii)	biv				
			c	Balance (2a – biv)	2c				
			d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	2d				
			e	Long-term Capital Gains on assets at B3 above where transfer was (2c – 2d)			B2e		
			3	From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A					
			a	LTCG u/s 112A (column 14 of Schedule 112A)	3a				
			b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	3b				
			c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B3 above (3a – 3b)			B3c		
			4	For NON-RESIDENTS- from sale of unlisted shares or listed debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)					
						a	LTCG computed without indexation benefit in respect of unlisted shares or listed debentures	4a	
b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	4b							
c	LTCG on unlisted shares or listed debentures (4a-4b)						B4c		
5	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iii) securities by FII as referred to in sec. 115AD (other than securities referred to in section 112A for which column B6 is to be filled up)								
a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details							
	a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares				ia			
	b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner				ib			
	c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)				ic			
	ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares				aii			
	iii	Total (ic + ii)				aiii			
	b	Deductions under section 48							
	i	Cost of acquisition without indexation	bi						
	ii	Cost of improvement without indexation	bii						
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii						
	iv	Total (bi + bii +biii)	biv						
	c	Balance(aiii – biv)	5c						
	d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	5d						
	e	Long-term Capital Gains on assets at 5 above in case of NON-RESIDENT (6c - 6d)			B5e				
			6	For FII/ FPI (NON-RESIDENTS) - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A read with section 115AD					
			a	LTCG u/s 112A (column 14 of Schedule 115AD(1)(b)(iii) proviso)	6a				
			b	Deduction under section 54F (Specify details in item D below)	6b				
			c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B6 (6a – 6b)			B6c		
			7	From sale of foreign exchange asset by NON-RESIDENT INDIAN (If opted under chapter XII-A)					

			a	LTCG on sale of foreign exchange asset (as per section 115F) (computed without indexation)		7a			
			b	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)		7b			
			c	Balance LTCG on sale of foreign exchange asset (7a – 7b)					B7c
		8	From sale of assets where B1 to B7 above are not applicable						
			a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
					a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib				
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic				
				ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii			
				iii	Total (ic + ii)	aiii			
				b	Deductions under section 48				
				i	Cost of acquisition without indexation	bi			
				ii	Cost of improvement without indexation	bii			
				iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
				iv	Total (bi + bii + biii)	biv			
			c	Balance (aiii – biv)		8c			
			d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)		8d			
			e	Long-term Capital Gains on assets at B8 above (8c – 8d)		B8e			
					9	Amount deemed to be long-term capital gains			
			a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below					
				Sl. No.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)
							Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account	
				i	2022-23	54/54F			
				ii	2023-24	54/54B/54F			
				iii	2024-25	54/54B/ 54F			
			b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'.					
				Total amount deemed to be long-term capital gains (aXi + aXii + aXiii + b)					B9
				10 Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B10a1+ B10a2)					B10
				a1	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% u/s 112A			B10a1	
a2	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% other than u/s 112A			B10a2					

11	Amount of LTCG included in B1- B10 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA (Applicable for Non-Residents only)										
	Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B10 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (Enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	a	Total amount of LTCG claimed as not chargeable to tax as per DTAA									B11a
	b	Total amount of LTCG claimed as chargeable to tax at special rates as per DTAA									B11b
B(A)	Capital Loss on buy back of shares [Long term 12.5%] (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered in 1a iii or sl.no.2d/2e of schedule OS)										B(A)
12	Total long term capital gain chargeable under I.T. Act (B1g+B2e+B3c+B4c+B5e+B6c+B7c+ B8e+B9+ B10-B11a+B(A))										B12
C1	Sum of Capital Gain Incomes (8ii +8iii + 8iv +8v + 8vi + 8vii of table E below)										C1
C2	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Col. 7 of Schedule VDA)										C2
C3	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (C1 + C2)										C3
D	Information about deduction claimed against Capital Gains										
1	In case of deduction u/s 54/54B/54EC/54F/115F give following details										
a	Deduction claimed u/s 54										
i	Date of transfer of original asset						ai	dd/mm/yyyy			
ii	Cost of new residential house						aii				
iii	Date of purchase/construction of new residential house						aiii	dd/mm/yyyy			
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date						aiv				
	(iva) Date of deposit				(ivb) Account number			(ivc) IFS code			
	dd/mm/yyyy										
v	Amount of deduction claimed						av				
b	Deduction claimed u/s 54B										
i	Date of transfer of original asset						bi	dd/mm/yyyy			
ii	Cost of new agricultural land						bii				
iii	Date of purchase of new agricultural land						biii	dd/mm/yyyy			
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date						biv				
	(iva) Date of deposit				(ivb) Account number			(ivc) IFS code			
	dd/mm/yyyy										
v	Amount of deduction claimed						bv				
c	Deduction claimed u/s 54EC										
i	Date of transfer of original asset						ci	dd/mm/yyyy			
ii	Amount invested in specified/notified bonds (Not exceeding fifty lakh rupees)						cii				
iii	Date of investment						ciii	dd/mm/yyyy			
iv	Amount of deduction claimed						civ				
d	Deduction claimed u/s 54F										
i	Date of transfer of original asset						di	dd/mm/yyyy			
ii	Cost of new residential house						dii				
iii	Date of purchase/construction of new residential house						diii	dd/mm/yyyy			
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date						div				
	(iva) Date of deposit				(ivb) Account number			(ivc) IFS code			
	dd/mm/yyyy										
v	Amount of deduction claimed						dv				
e	Deduction claimed u/s 115F (for Non-Resident Indians)										
i	Date of transfer of original foreign exchange asset						e i	dd/mm/yyyy			
ii	Amount invested in new specified asset or savings certificate						e ii				
iii	Date of investment						e iii	dd/mm/yyyy			
iv	Amount of deduction claimed						e iv				
f	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d + 1e)						f				

E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A8a & B12a which is not chargeable under DTAA)										
Sl.	Type of Capital Gain	Capital Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss				Long term capital loss		Current year's capital gains remaining after set off	
			20%	30%	applicable rate	DTA A rates	12.50%	DTA A rates	(8=1-2-3-4-5-6-7-)	
			1	2	3	4	5	6	7	8
i	Capital Loss to be set off		$(A2e^* + A3a^* + A7a^* + A(A))$	$(A4e^* + A7b^* + A(A))$	$(A1e^* + A3b^* + A5e^* + A6^* + A7c^* + A(A))$	A8b	$(B1g^* + B2e^* + B3c^* + B4c^* + B5e^* + B6c^* + B7c^* + B8e^* + B9^* + B10a1^* + B10a2^* + B(A))$	B11b		
	(Fill this row only if computed figure is negative)									
ii	20%	$(A2e^* + A3a^* + A7a^* + A(A))$								
iii	30%	$(A4e^* + A7b^* + A(A))$								
iv	applicabl e rate	$(A1e^* + A3b^* + A5e^* + A6^* + A7c^* + A(A))$								
v	DTAA rates	A8b								
vi	12.50%	$(B1g^* + B2e^* + B3c^* + B4c^* + B5e^* + B6c^* + B7c^* + B8e^* + B9^* + B10a1^* + B10a2^* + B(A))$								
vii	DTAA rates	B11b								
viii	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii)									
ix	Loss remaining after set off (i – viii)									
The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A7) is after setoff with similar securities and as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.										
The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B10) is after setoff with similar securities and as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.										

[illegible]

115AD(1)(b)(iii) proviso			For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A rws 115AD(1)(b)(iii) proviso												
Sl. No.	Share/ Unit Acquired (On or before / after 31 st January 2018)	Share / Unit transferred (Before or after 23 rd July 2024)	ISIN Code	Name of the Share/ Unit	No. of Shares/ Units	Sale-price per Share/ Unit	Full Value of Consideration -If shares are acquired on or before 31.01.2018 (Total Sale Value) (4*5) -If shares are Acquired after 31 st January 2018 - Please enter Full Value of Consideration	Cost of acquisition with out indexation Higher of 8 and 9	Cost of acquisition	If the long-term capital asset was acquired before 01.02.2018, Lower of 6 and 11	Fair Market Value per share/ unit as on 31 st January, 2018	Total Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(ac) - (4*10)	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Total deductions (7+12)	Balance (6-13) Item 7 (a) of LT CG Schedule of ITR 2
(Col 1)	(Col 1a)	(Col 1b)	(Col 12)	(Col 3)	(Col 4)	(Col 5)	(Col 6)	(Col 7)	(Col 8)	(Col 9)	(Col 10)	(Col 11)	(Col 12)	(Col 13)	(Col 14)
1															
2															
3															
4															
	Add Rows														
	Total														

Schedule VDA	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Note: Details of every transaction are to be filled, wherein every 'transfer' is a transaction)					
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Capital Gain)	Cost of Acquisition (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col. 5)
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)
Add Rows						
	Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)					(Item No. C2 of Schedule CG)

Schedule OS		Income from Other Sources						
OTHER SOURCES	1	Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)				1		
	a	Dividends, Gross (ai+aii+aiii)				1a		
		i	Dividend income other than (ii) and (iii)	ai				
		ii	Dividend income u/s 2(22)(e)	aii				
		iii	Dividend income u/s 2(22)(f)	aiii				
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv + bv + bvi + bvii + bviii + bix)				1b		
		i	From Savings Bank	bi				
		ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative) Society/)	bii				
		iii	From Income-tax Refund	biii				
		iv	In the nature of Pass through income/ loss	biv				
		v	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(11)	bv				
		vi	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per second proviso to section 10(11)	bvi				
		vii	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(12)	bvii				
		viii	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per second proviso to section 10(12)	bviii				
		ix	Others including interest from Companies, NBFCs & HFCs	bix				
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross				1c		
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)				1d		
		i	Aggregate value of sum of money received without consideration	di				
		ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property	dii				
		iii	In case immovable property is received for inadequate consideration stamp duty value of property in excess of such consideration	diii				
	iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property	div					
	v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration	dv					
	e	Any other income (please specify nature)				1e		
	Sl. No.	Nature					Amount	
	1	Family Pension						
	2	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (choose country from drop down menu)						
	3	Income from retirement benefit account maintained in a country "other than notified country u/s 89A"						

	4	Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year.							
	5	Any specified sum received by a unit holder from a business trust during the previous year referred to in section 56(2)(xii)							
	6	Any sum received, including the amount allocated by way of bonus, at any time during a previous year, under a life insurance policy referred to in section 56(2)(xiii)							
	Rows can be added as required								
2	Income chargeable at special rates (2ai+2aii+ 2b+ 2c+ 2d + 2e +2f elements related to Sl. No.1)			2					
	ai	Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, card games etc. chargeable u/s 115BB			2ai				
	aii	Income by way of winnings from online games chargeable u/s 115BBJ			2aii				
	b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)			2b				
	i	Cash credits u/s 68	bi						
	ii	Unexplained investments u/s 69	bii						
	iii	Unexplained money etc. u/s 69A	biii						
	iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv						
	v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv						
	vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D	bvi						
	c	Accumulated balance of recognised provident fund taxable u/s 111			2c				
		S.No.	Assessment Year	Income benefit	Tax benefit				
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)				
	d	Any other income chargeable at special rate (total of di to dxx)			2d				
	i	Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A)		di					
	ia	Dividend received by non-resident (not being company) or foreign company from a unit in an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA, chargeable under proviso to section 115A(1)(a)(A)		dia					
	ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)		dii					
	iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)		diii					
	iv	Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 5%		div					
	v	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)		dv					
	vi	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)		dvi					
	vii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)		dvii					
	viii	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B)		dviii					

		ix	Income by way of interest on bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	dix							
		x	Income by way of Dividend on GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	dx							
		xi	Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115ACA	dxii							
		xii	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	dxiii							
		xiii	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD – chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)	dxiv							
		xiv	Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA	dxv							
		xv	Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC	dxvi							
		xvi	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iaa) @ 4%	dxvii							
		xvii	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF	dxviii							
		xviii	Income by way of transfer of carbon credits - chargeable u/s 115BBG	d xix							
		xix	Investment Income of a Non-Resident Indian - chargeable u/s 115E								
		xx	Income being dividend received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)								
		xxi	Income received by non-resident as referred in second proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iaa) @ 9%								
	e	Pass through income in the nature of income from other sources claimed as chargeable at special rates (drop down to be provided)									2e
	f	Amount included in 1 and 2 above, which is claimed as chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below) (Applicable for Non-Residents only)									2f
		Sl. No.	Amount of income	Item No.1 ai, 1aiii, 1b to 2 in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		I									
		II									
3	Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b & 2d)										
	ai	Expenses / Deductions other than “aii”(in case other than family pension)						3ai			
	aii	Interest expenditure on dividend u/s 57(i) (available only if income offered in 1a(i) and / or 1a(ii))						3aii			
	aiia	Eligible Interest expenditure u/s 57(1) – Computed Amount						3aiia			
	aiii	Deduction u/s. 57(ia) (in case of family pension only)						3aiii			

	b	Depreciation (available only if income offered in 1c of Schedule OS)		3b					
	c	Total		3c					
4	Amounts not deductible u/s 58						4		
5	Profits chargeable to tax u/s 59						5		
5a	Income claimed for relief from taxation u/s 89A						5a		
6	Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates (1(after reducing income related to DTAA portion) – 3 + 4 + 5-5a) (If negative take the figure to 3i of schedule CYLA)						6		
7	Income from other sources (other than from owning race horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)						7		
8	Income from the activity of owning and maintaining race horses								
	a	Receipts		8a					
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only		8b					
	c	Amounts not deductible u/s 58		8c					
	d	Profits chargeable to tax u/s 59		8d					
	e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 6xii of Schedule CFL)						8e	
9	Income under the head “Income from Other Sources” (7 + 8e) (take 8e as nil if negative)						9		
10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources								
	S.No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3		
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)		
	1	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)							
	2	Income by way of winnings from online games u/s 115BBJ							
	3a	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(i)							
	3b	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(iii)							
	4	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) other than as per proviso to sec 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI Income)							
	5	Dividend income under proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 10% (Including PTI Income)							
	6	Dividend Income u/s 115AC @ 10%							

	7	Dividend Income u/s 115ACA (1)(a) @ 10% (Including PTI Income)						
	8	Dividend Income of FII (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)						
	9	Dividend income chargeable at DTAA Rates						
	10	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (Taxable portion after reducing relief u/s 89A)						
NOTE ►		Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.						

Schedule CYLA		Details of Income after Set off of Current Year Losses				
CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Net loss from Other sources chargeable at normal applicable rates (other than loss from race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
			1	2	3	4=1-2-3
	i	Loss to be set off (Fill this row only if computed figure is negative)	→	(3 of Schedule HP)	(6 of Schedule-OS)	
	ii	Salaries	(6 of Schedule S)			
	iii	House property	(3 of Schedule HP)			
	iv	Short-term capital gain taxable @ 20%	(8ii of item E of Schedule CG)			
	v	Short-term capital gain taxable @ 30%	(8iii of item E of Schedule CG)			
	vi	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(8iv of item E of Schedule CG)			
	vii	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(8v of item E of Schedule CG)			
	viii	Long term capital gain taxable @ 12.5%	(8vi of item E of Schedule CG)			
	ix	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(8vii of item E of Schedule CG)			
	x	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of Schedule OS)			
	xi	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of Schedule OS)			
	xii	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2f of Schedule OS)			
	xiii	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xi + xii)				

xiv	Loss remaining after set-off (i – xiii)		

Schedule BFLA		Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years			
BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 4 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Current year's income remaining after set off
			1	2	3
	i	Salaries	(4ii of schedule CYLA)		
	ii	House property	(4iii of schedule CYLA)	(B/f house property loss)	
	iii	Short-term capital gain taxable @ 20%	(4iv of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
	iv	Short-term capital gain taxable @ 30%	(4v of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
	v	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(4vi of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
	vi	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(4vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
	vii	Long-term capital gain taxable @ 12.5%	(4viii of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
	viii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(4ix of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
	ix	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(4x of schedule CYLA)		
	x	Profit from owning and maintaining race horses	(4xi of schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)	
	xi	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(4xii of Schedule CYLA)		
	xii	Total of brought forward loss set off (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2x)			
	xiii	Current year's income remaining after set off Total of (3i + 3ii + 3iii + 3iv + 3v + 3vi + 3vii + 3viii+ 3ix + 3x + 3xi)			

Schedule CFL		CARRY FORWARD OF LOSS					
CARRY FORWARD OF LOSS		Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses
		1	2	3	4	5	6
	i	2018-19					
	ii	2019-20					
	iii	2020-21					
	iv	2021-22					
	v	2022-23					
	vi	2023-24					
	vii	2024-25					
	viii	2025-26					
	ix	Total of earlier year losses					
	x	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2ii of Schedule BFLA)			(2x of Schedule BFLA)

	xi	2026-27 (Current year losses)		(2xv of Schedule CYLA)	(2ix+3ix+4ix+5ix) of item E of Schedule CG	(6ix+7ix) of item E of Schedule CG	(8e of Schedule OS, if -ve)
	xii	Total loss carried forward to future years					

Schedule VI-A		Deductions under Chapter VI-A					
TOTAL DEDUCTIONS	1	Part B- Deduction in respect of certain payments					
	a	80C (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		b	80CCC (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
	c	80CCD(1) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		d	80CCD(1B) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
	e	80CCD(2) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		f	80D (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
	g	80DD		h	80DDB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
	i	80E (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		j	80EE (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
	k	80EEA (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		l	80EEB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
	m	80G		n	80GG (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
	o	80GGA		p	80GGC		
	2	Part C, CA and D- Deduction in respect of certain incomes/other deduction					
	q	80QQB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		r	80RRB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
	s	80TTA		t	80TTB		
	u	80U		ua	80CCH		
	ub	Any other deduction as per the e-filing utility (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)					
	v	Total deductions under Chapter VI-A (Total of a to ub)					v

Schedule 80G		Details of donations entitled for deduction under section 80G												
DETAILS OF DONATIONS	A		Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit											
	Name and address of Donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/ IMPS/ NEFT/ RTGS	IFS code of Bank					
										Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation		
										i				
										ii				
										iii	Total			
	B		Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit											
	Name and address of Donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/ IMPS/ NEFT/ RTGS	IFS code of Bank					
										Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation		
										i				
										ii				
										iii	Total			
	C		Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit											
	Name and address of Donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/ IMPS/ NEFT/ RTGS	IFS code of Bank					
										Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation		
										i				
										ii				
										iii	Total			
	D		Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit											
	Name and address of Donee		PAN of Donee	ARN (Donation Reference Number)	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/ IMPS/ NEFT/ RTGS	IFS code of Bank				
Donation in cash											Donation in other mode	Total Donation		
i														
ii														
iii											Total			
E		Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)												

Schedule 80GGA		Details of donations for scientific research or rural development					
S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (<i>drop down to be provided</i>)	Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation

					Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i							
	ii							
		Total donation						

Schedule 80GGC		Details of contributions made to political parties							
S. No.	Date	Amount of contribution			Eligible amount of contribution	Name of the political party	PAN of political party	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/ NEFT/ RTGS	IFS code of Bank
		Contribution in cash	Contribution in other mode	Total Contribution					
i									
	(add rows)								
	Total contribution								

Schedule 80DD		Details of deduction in respect of maintenance including medical treatment of a dependent who is a person with disability							
Nature of disability	Type of dependent	PAN of the dependent	Aadhaar of the dependent	Date of filing of Form 10IA	Ack. No. of Form 10IA filed	Form Ack. No. as per Rule 11A(2)(ii) (if applicable)	UDID Number (If available)	Amount	
1. Dependent person with disability 2. Dependent person with severe disability	1. Spouse 2. Son 3. Daughter 4. Father 5. Mother 6. Brother 7. Sister 8. Member of the HUF (in case of HUF)								

Schedule 80U		Details of deduction in case of a person with disability				
Nature of disability	Date of filing of Form 10IA	Ack. No. of Form 10IA filed	Form Ack. No. as per Rule 11A(2)(ii) (if applicable)		UDID Number (If available)	Amount
1. Self with disability 2. Self with severe disability						

Schedule AMT		Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC					
	1	Total Income as per item 12 of PART-B-TI				1	
	2	Adjustment as per section 115JC(2)					
	a	Deduction claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading “C.—Deductions in respect of certain incomes”		2a			
	3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2a)				3	
4	Tax payable under section 115JC [18.5% of (3)] (if 3 is greater than Rs. 20 lakhs)				4		

Schedule AMTC		Computation of tax credit under section 115JD			
1	Tax under section 115JC in assessment year 2026-27 (1d of Part-B-TTI)	1			

2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2026-27 (7 of Part-B-TTI)				2	
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]				3	
4	Utilization of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)					
S. No.	Assessment Year (A)	AMT Credit			AMT Credit Utilized during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) – (C)
		Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)		
I	2013-14					
ii	2014-15					
iii	2015-16					
iv	2016-17					
V	2017-18					
vi	2018-19					
vii	2019-20					
viii	2020-21					
ix	2021-22					
x	2022-23					
xi	2023-24					
xii	2024-25					
xiii	2025-26					
xiv	Current AY (enter 1-2, if 1>2 else enter 0)					
xv	Total					
5	Amount of tax credit under section 115JD utilized during the year [total of item No. 4 (C)]				5	
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]				6	

Schedule SPI		Income of specified persons (spouse, minor child etc.) includable in income of the assessee as per section 64												
SI No	Name of person	PAN/ Aadhaar No. of person (optional)										Relationship	Amount (Rs)	Head of Income in which included
1														
2														
3														

Schedule SI						
SPECIAL RATE	SI No	Section	☒	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
	1	111- Accumulated balance of recognized provident for prior years	☐		(2ciii of Schedule OS)	(2civ of Schedule OS)
	2	111A or section 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STCG on shares units on which STT paid)	☐	20	(part of 3iii of Schedule BFLA)	
	3	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	☐	30	(3iv of Schedule BFLA)	
	4	112(1) (LTCG on listed securities/ units)	☐	12.5	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
	5	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	☐	12.5	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
	6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	☐	12.5	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
	6a	115AC (Income by way of interest received by non-resident on bonds purchased in foreign currency)	☐	10	(part of 2d of Schedule OS)	
	6b	115AC (Income by way of Dividend received by non-resident from GDR purchased in foreign currency)	☐	10	(part of 2d of Schedule OS)	
	7	115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR)	☐	12.5	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
	8	115AD (LTCG for FIIs on securities)	☐	12.5	(part of 3vii of Schedule BFLA)	

9	115E (LTCG for non-resident Indian on foreign exchange asset)	☐	12.5	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
10	112 (LTCG on others) and tax thereon after taking into account Sl. no. B1h of Schedule CG, if any.	☐	12.5 (as reduced by B1h of Schedule CG, if any)	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
11	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid)]	☐	12.5	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
12	STCG Chargeable at special rates in India as per DTAA			(part of 3vi of Schedule BFLA)	
13	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA			(part of 3viii of schedule BFLA)	
14a	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	☐	30	(part of 2a(i) of Schedule OS)	
14b	115BBJ (Winnings from online games)	☐	30	(2a(ii) of Schedule OS)	
15	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	☐	60	(2b of Schedule OS)	
16	115BBH (Income from transfer of Virtual Digital Asset)	☐	30	(C2 of Schedule CG)	
17	115BBF (Tax on income from patent)	☐	10	(part of 2d of Schedule OS)	
18	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)	☐	10	(part of 2d of Schedule OS)	
18a	115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B) (Income of a non-resident from Royalty & Fees for Technical Services)	☐	20	(part of 2d of Schedule OS)	
19	Any other income chargeable at special rate (Drop down to be provided in e-filing utility)	☐		(part of 2d of Schedule OS)	
20	Other source of income chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 3xi of Schedule BFLA)	
21	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 20%	☐	20	(part of 3iii of Schedule BFLA)	
22	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	☐	30	(part of 3iv of Schedule BFLA)	
23	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% u/s 112A	☐	12.5	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
24	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% under sections other than u/s 112A	☐	12.5	(part of 3vii of Schedule BFLA)	
25	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates (Drop down to be provided in e-filing utility)	☐		(2e of Schedule OS)	
			Total		

Schedule EI		Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)								
EXEMPT INCOME	1	Interest income						1		
	2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)				i			
		ii	Expenditure incurred on agriculture				ii			
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years				iii			
		iv	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii) (enter nil if loss)					2		
		v	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)							
			a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located						
			b	Measurement of agricultural land in Acre						
			c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)						
			d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)						
	3	Other exempt income (including exempt income of minor child)						3		
	4	Income claimed as not chargeable to tax as per DTAA (Applicable for Non-Residents only)								
		Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)		
		I								
	II									
	III	Total Income from DTAA claimed as not chargeable to tax						4		
5	Pass through income claimed as not chargeable to tax (Schedule PTI)						5			
6	Total (1+2+3+4+5)						6			

Schedule PTI					Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115U, 115UA and 115UB										
PASS THROUGH INCOME	Sl.	Investment entity covered by section 115U/ 115UA/ 115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Current year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/ Loss (7-8)	TDS on such amount, if any					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
	1.	(Dropdown to be provided)				I	House property								
ii						Capital Gains									
a						Short term									
ai						Section 111A									
aii						Others									
b						Long term									
bi						Section 112A									
bii						Other than Section 112A									
iii						Other Sources									
A						Dividend									
B						Others									
iv						Income claimed to be exempt									
a						u/s 10(23FBB)									
b						u/s									
c						u/s									
2.										I	House property				
										ii	Capital Gains				
										a	Short term				
										ai	Section 111A				
										aii	Others				
										b	Long term				
										Bi	Section 112A				
										Bii	Other than Section 112A				
										iii	Other Sources				
										a	Dividend				
										B	Others				
										iv	Income claimed to be exempt				
										a	u/s 10(23FBB)				
	b	u/s													
	c	u/s													

Schedule FSI		Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)							
Sl.	Country Code (dropdown to be provided in the e-filing utility)	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1			i	Salary					
			ii	House Property					
			iii	Capital Gains					
			iv	Other sources					
				Total					
2			i	Salary					
			ii	House Property					
			iii	Capital Gains					

			iv	Other sources					
				Total					

Schedule TR		Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)			
1 Summary of Tax relief claimed					
Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Tax Relief Claimed under section (specify 90, 90A or 91)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
Total					
2 Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))			2		
3 Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))			3		
4 Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below			4	Yes/No	
a	Amount of tax refunded	b	Assessment year in which tax relief allowed in India		

Schedule FA		Details of Foreign Assets and Income from any source outside India										
DETAILS OF FOREIGN	A 1	Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2025										
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross interest paid/credited to the account during the period
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
	A 2	Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2025										
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period (drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
A 3	Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2025											
Sl No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period	Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
A Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2025												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held	Address of financial institution	ZIP code	Date of contract	The cash value or surrender value of the contract	Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2025												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	2a	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2025												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Address of the Property	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	2a	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2025												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Nature of Asset	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	2b	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2025 and which has not been included in A to D above.												
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Country Name and Code	ZIP Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor												
	Country Name	ZIP Code			Name and		Name and address of	Date since	Whether	If (8) is yes,	If (8) is yes, Income offered in this return	

Sl No	and code		Name and address of the trust	address of trustees	Name and address of Settlor	Beneficiaries	position held	income derived is taxable in your hands?	Income derived from the trust	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(2a)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in, - (i) items A to F above												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return					
(1)	(2)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule			
(i)												
(ii)												
NOTE ▶ In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.												

Schedule 5A		Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code					
Schedule 5A	Name of the spouse						
	PAN/ Aadhaar No. of the						
	Heads of Income	Receipts under the head	Amount apportioned in the hands of the spouse	Amount of TDS deducted on income at (ii)	TDS apportioned in the hands of spouse		
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)		
	1	House Property					
	2	Capital gains					
	3	Other sources					
4	Total						

Schedule AL		Assets and Liabilities at the end of the year (applicable in a case where total income exceeds Rs. 1 Crore.)			
DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES	A Details of immovable assets				
	Sl. No.	Description	Address	Pin code	Amount (cost) in Rs.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	B Details of movable assets				
	Sl. No.	Description	Amount (cost) in Rs.		
	(1)	(2)	(3)		
	(i)	Jewellery, bullion etc.			
	(ii)	Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art			
	(iii)	Vehicles, yachts, boats and aircrafts			
	(iv)	Financial assets	Amount (cost) in Rs.		
		(a)	Bank (including all deposits)		
		(b)	Shares and securities		
		(c)	Insurance policies		
		(d)	Loans and advances given		
		(e)	Cash in hand		
	C	Liabilities in relation to Assets at (A + B)			

Schedule: Tax deferred on ESOP	Information related to Tax deferred - relatable to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC
PAN of the employer being an eligible startup	

DPIIT registration number of the employer								
DETAILS	Sl. No.	Assessment Year	Amount of Tax deferred brought forward	Has any of the following events occurred during the previous year relevant to current assessment year			Amount of tax payable in the current Assessment Year (to be populated from col. 3 or 4 as the case maybe)	Balance amount of tax deferred to be carried forward to the next Assessment years Col (3- 7)
				Such specified security or sweat equity shares were sold (i) Fully (ii) Partly (iii) Not sold Specify the date and amount of tax attributed to such sale out of Col 3 (Details to be provided as per utility)	Ceased to be the employee of the employer who allotted or transferred such specified security or sweat equity share? o Yes o No If yes, specify date	Forty-eight months have expired from the end of the relevant assessment year in which specified security or sweat equity shares referred to in the said *clause were allotted. If yes, specify date of allotment		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2021-22	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year			(To be enabled from AY 2027-28) (Payment to be made in FY 2026-27)		
	2	2022-23	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year					
	3	2023-24	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year					
	4	2024-25	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year					
	5	2025-26	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year					
	6	2026-27	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year					

PART-B

Part B – TI		Computation of total income				
TOTAL INCOME	1	Salaries (6 of Schedule S)			1	
	2	Income from house property (3 of Schedule HP) (enter nil if loss)			2	
	3	Capital gains				
	a	Short term				
	i	Short-term chargeable @ 20% (8ii of item E of schedule CG)		ai		
	ii	Short-term chargeable @ 30% (8iii of item E of schedule CG)		aii		
	iii	Short-term chargeable at applicable rate (8iv of item E of schedule CG)		aiii		
	iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8v of item E of Schedule CG)		aiv		

		v	Total Short-term (ai + aii + aiii + aiv) (enter nil if loss)	3av	
		b	Long-term		
		i	Long-term chargeable @ 12.5% (8vi of item E of schedule CG)	bi	
		ii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8vii of item E of schedule CG)	bii	
		iii	Total Long-term (bi+ bii) (enter nil if loss)	3biii	
		c	Sum of Short-term/Long-term capital gains (3av + 3biii) (enter nil if loss)	3c	
		d	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)	3d	
		e	Total capital gains (3c + 3d)	3e	
	4		Income from other sources		
		a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a	
		b	Income chargeable to tax at special rates (2 of Schedule OS)	4b	
		c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c	
		d	Total (4a + 4b + 4c) (enter nil if loss)	4d	
	5		Total of head wise income (1+2+3e+4d)	5	
	6		Losses of current year set off against 5 (total of 2xiii and 3xiii of Schedule CYLA)	6	
	7		Balance after set off current year losses (5-6) (total of column 4 of Schedule CYLA+ 2 of Schedule OS)	7	
	8		Brought forward losses set off against 7 (2xii of Schedule BFLA)	8	
	9		Gross Total income (7-8) (3xiii of Schedule BFLA + 2 of Schedule OS)	9	
	10		Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9	10	
	11		Deductions under Chapter VI-A [w of Schedule VIA and limited to (9-10)]	11	
	12		Total income (9 - 11)	12	
	13		Income which is included in 12 and chargeable to tax at special rates (total of column (i) of schedule SI)	13	
	14		Net agricultural income/ any other income for rate purpose (3 of Schedule EI)	14	
	15		Aggregate income (12-13+14) [applicable if (12-13) exceeds maximum amount not chargeable to tax]	15	
	16		Losses of current year to be carried forward (total of row xi of Schedule CFL)	16	
	17		Deemed income under section 115JC (3 of Schedule AMT)	17	

Part B –TTI		Computation of tax liability on total income				
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax payable on deemed total income u/s 115JC (4 of Schedule AMT)	1a		
		b	Surcharge on (a) (if applicable)	1b		
		c	Health and Education Cess @ 4% on (1a + 1b) above	1c		
		d	Total tax payable on deemed total income (1a + 1b + 1c)	1d		
	2		Tax payable on total income			
		a	Tax at normal rates on 15 of Part B-TI	2a		
		b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule SI)	2b		
		c	Rebate on agricultural income [applicable if (12-13) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	2c		
		d	Tax Payable on Total Income (2a + 2b - 2c)	2d		
	3		Rebate under section 87A	3		
	4		Tax payable after rebate (2d - 3)	4		
	5		Surcharge	Surcharge computed before marginal relief	Surcharge after marginal relief	
		i	@ 25% of 15(ii) of Schedule SI	5i	ia	
		ii	@10% or 15%, as applicable	5ii	iaa	
		iii	On [(4) – 15(ii) of Schedule SI – tax on incomes referred in 5(ii) above)]	5iii		
		iv	Total ia + iia	5iv		
	6		Health and Education Cess @ 4% on (4 + 5iv)	6		
	7		Gross tax liability (4 + 5iv + 6)	7		
	8		Gross tax payable (higher of 1d and 7)	8		
	8a		Tax on income without including income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC (8-8b)	8a		
	8b		Tax deferred - relatable to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC	8b		
	8c		Tax deferred from earlier years but payable during current AY (total of col 7 of schedule Tax deferred on ESOP	8c		

	9	Credit u/s 115JD of tax paid in earlier years (applicable only if 7 is higher than 1d) (row 5 of Schedule AMTC)					9	
	10	Tax payable after credit u/s 115JD (8a + 8c - 9)					10	
TAXES PAID	11	Tax relief						
		a	Section 89(Please ensure to submit Form 10E)	11a				
		b	Section 90/ 90A (2 of Schedule TR)	11b				
		c	Section 91 (3 of Schedule TR)	11c				
		d	Total (11a + 11b + 11c)			11d		
	12	Net tax liability (10 – 11d) (enter zero if negative)					12	
	13	Interest and fee payable						
		a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	13a				
		b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	13b				
		c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	13c				
		d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	13d				
		da	Fee for furnishing revised return of income (section 234-I)	13da				
		e	Total Interest and Fee Payable (13a+13b+13c+13d+13da)			13e		
	14	Aggregate liability (12 + 13e)					14	
	TAXES PAID	15	Taxes Paid					
		a	Advance Tax (from column 5 of 20A)	15a				
		b	TDS (total of column 5 of 20B and column 9 of 20C)	15b				
		c	TCS (total of column 7(i) of 20D)	15c				
		d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 20A)	15d				
		e	Total Taxes Paid (15a + 15b + 15c + 15d)			15e		
16	Amount payable (Enter if 14 is greater than 15e, else enter 0)					16		
17	Refund (If 15e is greater than 14) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)					17		
BANK ACCOUNT	18	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)						Select Yes or No
		Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Number	Type of account (Dropdown to be provided by e-filing utility)	Select Account for refund credit (tick at least one account ✓)	
		i					☐	
		ii					☐	
		Note: 1. All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c. 2. In case multiple accounts are selected, the refund will be credited to one of the validated accounts after processing the return.						
	Rows can be added as required							
	ii.	b) Non- residents, not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:						
		Sl. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location	IBAN		
	Rows can be added as required							
	19	Do you at any time during the previous year, (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]						☐ Yes ☐ No

20	TAX PAYMENTS																
A	Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax																
ADVANCE/SELF	SI No	BSR Code						Date of Deposit (DD/MM/YYYY)				Serial Number of Challan			Amount (Rs)		
	(1)	(2)						(3)				(4)			(5)		
	i																
	ii																
	iii																
	iv																
NOTE ►		Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in SI No. 15a & 15d of Part B-TTI															
B	Details of Tax Deducted at Source from Salary [As per Form 16 issued by Employer(s)]																
TDS ON SALARY	SI No	Tax Deduction Account Number (TAN) of the Employer						Name of the Employer				Income chargeable under Salaries			Total tax deducted		
	(1)	(2)						(3)				(4)			(5)		
	I																
	II																
NOTE ►		Please enter total of column 5 in 15b of Part B-TTI															
C	Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C/16E furnished by Deductor(s)]																
1	SI No	TDS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/other person as per rule 37BA(2)]	PAN/ Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/ Aadhaar No. of Tenant/ Buyer	Section under which TDS is deducted	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS deducted during FY 2025-26)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)		Corresponding Receipt/withdrawals offered		TDS credit being carried forward			
						Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Gross Amount	Head of Income				
	(1)	(2)	(3)	(4)	4a	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)		
									Incom e	TD S	Incom e	TD S	PAN/ Aadhaar No.				
I																	
D	Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]																

VERIFICATION

[No. 46/2026/F. No. 370142/6/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy., Tax Policy and Legislation

Note.- The Income-tax Rules, 1962 rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* notification GSR. 226(E), dated the 30th March, 2026



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032026-271423
CG-DL-E-30032026-271423

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 207]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सा.का.नि. 226(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये 31 मार्च, 2026 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष (नि. व.) 2026-27 के लिए फाइल किए गए विवरणी पर लागू होंगे।
2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है),--
(अ) नियम (12) में,--
(i) उप-नियम(I) में,--
(क) प्रारम्भिक भाग में, "2025" अंक के स्थान पर, "2026" अंक रखा जाएगा ;
(ख) खंड (क) में, उपखंड (ii) में, "एक से अधिक गृह संपत्ति" शब्दों के स्थान पर "दो से अधिक गृह संपत्ति" शब्द रखे जाएंगे;
(ग) खंड (गक) में, मद (झछ) के परंतुक में, एक से अधिक शब्दों "एक से अधिक गृह संपत्ति" शब्दों के स्थान पर "दो से अधिक गृह संपत्ति" शब्द रखे जाएंगे;
(ii) उप-नियम (5) "2024" के स्थान पर "2025" अंक रखे जाएंगे।
3. उक्त नियमों के परिशिष्ट- 2 में,--

(क) प्ररूप आईटीआर-1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

पृष्ठ " "	आईटीआर -1 सहज	भारतीय आय-कर विवरणी ऐसे व्यक्ति के लिए, जो निवासी (मामूली तौर पर निवासी से भिन्न) है, जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिसकी वेतन, दो गृह संपत्तियां, अन्य स्रोतों (ब्याज आदि), धारा 112क के अधीन 1.25 लाख रुपये तक दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ और 5 हजार रुपये तक की कृषि आय से आय है। ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं, जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है या जिसने गैर-सूचीबद्ध साम्य शेषों में निवेश किया है या ऐसी दशाओं में, जहां 1946 के अधीन स्रोत पर कर काटा गया है या यदि ईएसओपी पर आय-कर स्थगित है) या जिसकी भारत से बाहर अवस्थित संपत्ति (जिसमें किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) (पात्रता के लिए नियम देखें)	निर्धारण वर्ष					
			2	0	2	6	-	2

भाग क साधारण जानकारी

(क1) स्थायी खाता संख्या	(क2) प्रथम नाम	(क4) जन्म तारीख	(क5) आधार नंबर (12 अंक)
	(क2क) मध्य नाम		
	(क3) अंतिम नाम		
		ता	मा
		वर्ष	वर्ष
संसूचना के प्रयोजनों के लिए ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं			
(क6)(क) करदाता का प्राथमिक मोबाइल नंबर	(क6)(ख) दूसरा मोबाइल नं.	(क7)(क) करदाता की प्रमुख ईमेल आईडी	(क7)(ख) दूसरी ईमेल आईडी
प्राथमिक पता (क8क) फ्लैट /द्वार /ब्लाक सं. (क9क) परिसर का नाम/भवन/ग्राम का नाम (क10क) सड़क/गली /डाकघर क्षेत्र/अवस्थिति (क11क) शहर/नगर/जिला (क12क) राज्य (क13क) देश (क14क) पिनकोड		द्वितीयक पता (क8ख) फ्लैट /द्वार /ब्लाक सं. (क9ख) परिसर का नाम/भवन/ग्राम का नाम (क10ख) सड़क/गली /डाकघर क्षेत्र/अवस्थिति (क11ख) शहर/नगर/जिला (क12ख) राज्य (क13ख) देश (क14ख) पिनकोड	
(क15) धारा के अधीन फाइल (टिक) /कृपया निर्देश देखें/	☐ 139(1) -- नियत तारीख पर या उससे पूर्व, ☐ 139(4) - विलंबित, ☐ 139 (5) - पुनर्निर्धारित, ☐ 119 (2) (ख) - देरी की माफी के पश्चात्		(क17) रोजगार की प्रकृति - ☐ केंद्रीय सरकार ☐ राज्य सरकार ☐ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, ☐ पेंशनभोगी-सीजी ☐ पेंशनर-एसजी ☐ पेंशनभोगी -पीएसयू ☐ पेंशनभोगी-अन्य ☐ अन्य ☐ लागू नहीं (जैसे कुटुंब पेंशन आदि)
(क16) या धारा के अधीन नोटिस के उत्तर में फाइल किया गया	☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153ग		
(क18) यदि पुनर्निर्धारित/ दोषपूर्ण है, तो मूल विवरणी की रसीद संख्या और फाइल करने की तारीख दर्ज करें। (तारीख/माह/वर्ष)			/ /
(क19) यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अधीन नोटिस है या धारा 119(2)(ख) के अधीन आदेश के उत्तर में फाइल किया जाता है - यूनीक संख्या / दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) और ऐसे नोटिस या आदेश की तारीख दर्ज करें			/ /
(क20) क्या आप नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के लिए धारा 115 खकग (6) के अधीन विकल्प का उपयोग करना चाहते हैं? (डिफॉल्ट "नहीं" है) ☐ हाँ ☐ नहीं			
(क21) क्या आप धारा 139(1) के सातवें परंतुक के अधीन आय-कर विवरणी फाइल कर रहे हैं, लेकिन अन्यथा आय-कर विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है? - (टिक) ☐ हाँ ☐ नहीं			

यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें [टिप्पण: केवल तभी भरा जाना चाहिए, जब किसी व्यक्ति द्वारा धारा 139(1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, लेकिन धारा 139(1) के सातवें परंतुक में उल्लिखित एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण वह आय का विवरणी फाइल कर रहा है]	
(i) क्या आपने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है? (हां नहीं)	धनराशि (रु) (यदि हाँ है)
(ii) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान बिजली की खपत पर 1 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है? (हां नहीं)	धनराशि (रु) (यदि हाँ है)
(iii) क्या आपको धारा 139(1) के सातवें उपबंध के खंड (iv) के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार विवरणी फाइल करना आवश्यक है (यदि हां, तो कृपया ड्रॉप डाउन मेनू से सुसंगत शर्त का चयन करें)	(टिक) ☐ हाँ ☐ नहीं
(क22) क्या यह विवरणी निर्धारिती प्रतिनिधि के द्वारा फाइल की जा रही है। निशान लगाएं ☐ हाँ ☐ नहीं यदि हां, कृपया निम्नलिखित जानकारी दें	
(1) निर्धारिती प्रतिनिधि का नाम	
(2) निर्धारिती प्रतिनिधि का ईमेल आईडी	
(3) निर्धारिती प्रतिनिधि का संपर्क नंबर	

भाग ख सकल कुल आय				केवल पूरा रुपया (₹)	
ख1	i	सकल वेतन (iक + iख + iग)		i	
वेतन/पेंशन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन	iक		
	ख	धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभों का मूल्य	iख		
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	iग		
	ii	धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक कम भत्ते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन) (सुनिश्चित करें कि यह वेतन आय में सम्मिलित है) 17(1)/17(2)/17(3)		ii	
	iii	शुद्ध वेतन (i - ii)		iii	
	iv	धारा 16 के अधीन कटौती (ivक + ivख + ivग)		iv	
	क	धारा 16 (iक) के अधीन मानक कटौती	ivक		
	ख	16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख		
	ग	धारा 16(iii) के अधीन व्रत्तिक कर	ivग		
	v	'वेतन' मद के अधीन प्रभारित आय (iii - iv)		ख1	

ख2	गृह संपत्ति से आय के ब्यौरे (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्रॉप डाउन उपलब्ध कराया जाना है)																									
	संपत्ति का पता 1					नगर/शहर					राज्य					देश					पिन कोड/जिप कोड					
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्व में है? ☐ हां ☐ नहीं (यदि हां तो निम्नलिखित ब्यौरे दें) संपत्ति में आपका प्रतिशत(%) भाग ☐																									
	सहस्वामी(यों) का नाम										सहस्वामी(यों) का स्थायी खाता संख्या/आधार										संपत्ति का प्रतिशत भाग					
	I																									
	II																									
	लागू विकल्प पर टिक करें		किरायेदार(रों) का नाम (यदि किराये पर हो)					किरायेदार(रों) का स्थायी खाता संख्या/आधार(कृपया टिप्पण देखें)										किरायेदार(रों) का स्थायी खाता संख्या/ कर कटौती संख्यांक /आधार संख्या(यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)								
	☐ स्व-कब्जे		I																							
☐ किराए पर		II																								
☐ किराए पर समझा गया																										
गृह संपत्ति	क वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य/अनुपयोज्य/अनुमति योग्य मूल्य																				1क					
	ख किराये की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती																				1ख					
	ग स्थानीय प्राधिकारियों को कर का भुगतान किया गया															1ग										
	घ कुल(1ख+1ग)															1घ										
	ड. वार्षिक मूल्य (1क - 1घ)(कुछ नहीं, यदि स्वयं के अधिभोग में है अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार)																				1ड.					
	च स्वामित्व की संपत्ति का वार्षिक मूल्य(स्वयं का प्रतिशत भाग*1ड.																				1च					
	छ वार्षिक मूल्य का 30%															1छ										
	ज उधार ली गई पूंजी पर देय ब्याज (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)															1ज										
	झ कुल योग(1छ+1ज)															1झ										
	ञ वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया/अवसूल किराया 30% से कम															1ञ										
ट गृह संपत्ति से आय 1(1च-1झ+1ञ)															1ट											
गृह संपत्ति ' 1ट (यदि हानि हो, तो आंकड़े को नकारात्मक में रखें) के अधीन प्रभारित आय टिप्पण: - गृह संपत्ति से अधिकतम नुकसान जो मुजरा किया जा सकता है वह 2,00,000 रुपये है। अग्रणीत और मुजरा हानि का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -2 का उपयोग करें																				ख2						
(दो संपत्तियों तक प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें)																										
टिप्पण: किरायेदार का स्थायी खाता संख्यांक/आधार संख्यांक प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यदि कर की कटौती धारा 194झख के अधीन की गई है।																										

	किरायेदार का टैन संख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यदि कर की कटौती धारा 194इ के अधीन की गई है।		
	अन्य स्रोतों से आय (बचत खाते, जमा आदि से ब्याज जैसे बचत खाते, जमा आदि को ई-फाइलिंग उपयोगिता में आय की प्रकृति को निर्दिष्ट करते हुए प्रदान किया जाना है लाभांश आय के मामले में, धारा 234 ग से लागू राहत की अनुमति देने के लिए तिमाही विवरण का उल्लेख करें)	ख3	
	कटौती: धारा 57 (ii क) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन के मामले में)		
ख4	सकल कुल आय (ख1 + ख2 + ख3 + ग3 (क)(iii) (यदि हानि हो, तो आंकड़े को नकारात्मक में रखें) टिप्पण: हानि के अग्रेषण व समुच्चयन का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -2 का उपयोग करें	ख4	

भाग ग – कटौती और कर योग्य कुल आय

80ग (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80गग (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80गगघ(1) (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80गगघ(1ख) (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80गगघ(2) (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80गगज	80घ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80घघ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80घघख (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80ङ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80ङङ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)
80ङङक (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80ङङख (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80छ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80छछ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80छछक (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80छछग (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80ननक	80ननख	80प (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार कोई अन्य कटौती (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	
कुल कटौती					ग1				कुल आय (बी4-ग1)	ग2

टिप्पण: कुल आय क्षेत्र के अंतर्गत धारा 112क के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ भी सम्मिलित है, तथापि उक्त आय पर कोई आय संदेय नहीं होगा

ग(3)	रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए छूटप्राप्त आय और आय, जिस पर कोई कर संदेय नहीं है	ई-फाइलिंग उपयोगिता में छूटप्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत खंड और धारा का उल्लेख करते हुए ड्रॉप डाउन प्रदान किया जाना चाहिए
ग(3)क	धारा 112क के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर आयकर नहीं लगता है	
	i. कुल विक्रय प्रतिफल ii. अर्जन की कुल लागत iii. धारा 112क के अनुसार दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	

भाग घ - संदेय देय कर की संगणना							
घ1	कुल आय पर देय कर		घ2	धारा 87क के अधीन छूट		घ3	छूट के पश्चात कर
घ4	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ घ3 पर 4%		घ5	कुल कर और उपकर		घ6	धारा 89 के अधीन राहत (कृपया इस राहत का दावा करने के लिए प्ररूप 10ड जमा करना सुनिश्चित करें)
घ7	धारा 234क के अधीन ब्याज		घ8	धारा 234ख के अधीन ब्याज		घ9	धारा 234ग के अधीन ब्याज
घ10	234च के अधीन शुल्क		घ10(क)	पुनरीक्षित आय कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए फीस(धारा 234-1)			
घ11	कुल कर, शुल्क और ब्याज (घ5 + घ7 + घ8 + घ9 + घ10 + घ10(क) - घ6)						
घ12	भुगतान किए गए कुल कर		घ13	देय राशि (घ11-घ12) (यदि घ11>घ12)		घ14	प्रतिदाय (घ12-घ11) (यदि घ12>घ11)

भाग ड - अन्य जानकारी					
पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का विवरण (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)					
क्र. सं.	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	खाते का प्रकार (ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा प्रदान किया जाने वाला ड्रॉपडाउन)	धनवापसी उधार के लिए खाते का चयन करें
I					
1. निष्क्रिय खातों को छोड़कर, किसी भी समय खोले गए सभी बैंक खातों की रिपोर्ट देनी होगी। 2. उधार प्रतिदाय के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए। 3. यदि एक से अधिक खाते चुने गए हैं तो विवरणी की प्रक्रिया के बाद भी सीपीसी द्वारा तय किए गए मान्य खातों में से एक में प्रतिदाय का भुगतान कर दिया जाएगा।					

अनुसूची-आईटी अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर भुगतान का विवरण																			
				बीएसआर कोड				जमा करने की तारीख (ता/माह/वर्ष)				चालान का सीरियल नंबर				कर का भुगतान			
				स्तंभ (1)				स्तंभ (2)				स्तंभ (3)				स्तंभ (4)			
आर1																			
आर 2																			

अनुसूची-टीडीएस -- टीडीएस/टीसीएस का विवरण [कटौतीकर्ता(ओं)/नियोक्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 16/16क/16ग/27घ के अनुसार]							
	कटौतीकर्ता/कलेक्टर का टैन या किरायेदार की पैन/आधार संख्या	कटौतीकर्ता/कलेक्टर/ किरायेदार का नाम	धारा, जिसके अधीन स्रोत पर कर कटौती की गई है	सकल भुगतान/प्राप्ति जो कर कटौती/संग्रह के अधीन हो।	कर कटौती/संग्रहण का वर्ष	कटौती/संगृहीत किया गया कर	(5) में से इस वर्ष दावा किए गए टीडीएस/टीसीएस जमा
	स्तंभ (2)	स्तंभ (3क)	स्तंभ (3ख)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)	स्तंभ (6)	स्तंभ (7)
टी							
टी							

सत्यापन

प्राप्तकर्ता पदधारी की
स्टाम्प रसीद संख्या,
मुहर, तारीख और
हस्ताक्षर

मैं,..... पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, विवरणी में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं _____ के प्ररूप में अपनी क्षमता में यह विवरणी दे रहा हूँ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किया जाने वाला डॉप डाउन) और मैं इस विवरणी को बनाने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मेरे पास स्थायी खाता संख्या है। (कृपया निर्देश देखें)।

तारीख:

हस्ताक्षर:

। यदि विवरणी कर विवरणी तैयार करने वाले (टीआरपी) द्वारा तैयार किया गया है, तो नीचे और विवरण दें :

टीआरपी की पहचान संख्या	टीआरपी का नाम	टीआरपी के काउंटर हस्ताक्षर
यदि टीआरपी सरकार से किसी प्रतिपूर्ति की हकदार है, तो उसकी राशि :		

(ख) प्ररूप आईटीआर -4 सुगम के लिए, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

प्ररूप	आईटीआर -4 सुगम	भारतीय आय-कर विवरणी	निर्धारण वर्ष						
		[ऐसे व्यक्ति, एचयूएफ और फर्मों (एलएलपी से भिन्न), के लिए, जो निवासी है, जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिसकी कारबार और वृत्ति से आय है, जो धारा 44कघ, धारा 44कघक या धारा 44कड के अधीन संगणित है, और जिसको धारा 112क के अधीन 1.25 लाख रुपए तक दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ है] [ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं, जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है या जिसने गैर-सूचीबद्ध साम्य शेयरों में निवेश किया है या यदि ईएसओपी पर आय-कर स्थगित है या जिसकी 5000 रुपये से अधिक कृषि आय है या जिसकी भारत से बाहर अवस्थित संपत्ति (जिसमें किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी हैं) है (पात्रता के लिए नियम देखें)	2	0	2	6	-	2	7

भाग क साधारण जानकारी														
(क1) प्रथम नाम			(क2) मध्य नाम				(क3) अंतिम नाम			(क4) स्थायी खाता संख्या				
(क5) जन्म तारीख/ गठन (ता./माह/वर्ष)							संरचना के प्रयोजनों के लिए पता उपलब्ध कराया जाए प्राथमिक पता (क6क) फ्लैट /द्वार /ब्लॉक सं. (क7क) परिसर का नाम/भवन/ग्राम का नाम (क8क) सड़क/गली /डाकघर (क9क) क्षेत्र/अवस्थिति (क10क) शहर/नगर/जिला (क11क) राज्य (क12क) देश (क13क) पिनकोड							
							द्वितीयक पता (क6ख) फ्लैट /द्वार /ब्लॉक सं. (क7ख) परिसर का नाम/भवन/ग्राम का नाम (क8ख) सड़क/गली /डाकघर (क9ख) क्षेत्र/अवस्थिति (क10ख) शहर/नगर/जिला (क11ख) राज्य (क12ख) देश (क13ख) पिनकोड							
(क14) आधार नंबर (12 अंक)										(क15) प्राप्ति व्यक्ति ☐ एचयूएफ ☐ फर्म (एलएलपी के अलावा) ☐				
संरचना के प्रयोजनों के लिए ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं (क16) करदाता का प्रमुख मोबाइल नंबर सहित एसटीडी कोड के साथ आवासीय/कार्यालय फोन नंबर							(क17) दूसरा मोबाइल नंबर			(क18) करदाता का प्रमुख ईमेल पता (स्वयं) (क18ख) दूसरा ईमेल पता				

(क19) रोजगार की प्रकृति - ☐ केंद्रीय सरकार ☐ राज्य सरकार ☐ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ☐ पेंशनभोगी-सीजी ☐ पेंशनभोगी-एसजी ☐ पेंशनभोगी-पीएसयू ☐ पेंशनभोगी- अन्य ☐ अन्य ☐ लागू नहीं (उदा. कुटुंब पेंशन आदि.)	
(क20)(क) यू/एस द्वारा फाइल (टिक) [कृपया निर्देश देखें]-	☐ 139(1)- नियत तारीख पर या उससे पूर्व , ☐ 139(4)- नियत तारीख के पश्चात , ☐ 139(5)- संशोधित विवरणी , ☐ 119(2)(ख)- देरी की माफी के पश्चात
(ख) या धारा के अधीन नोटिस के उत्तर में फाइल किया गया	☐ 139(9) ☐ 142(1) ☐ 148 ☐ 153ग
(क21) यदि पुनर्ीक्षित/दोषपूर्ण है तो मूल विवरणी की रसीद संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (ता./माह/वर्ष) दर्ज करें।	
(क22) यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अधीन नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अधीन आदेश के उत्तर में फाइल किया जाता है दिया जाता है - विशिष्ट संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) और ऐसे नोटिस या आदेश की तारीख दर्ज करें।	
(क23) क्या आपने पुरानी कर पद्धति का चयन करते हुए किसी पूर्व निर्धारण वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर प्ररूप 10 झडक फाइल किया है ? निशान लगाएं ☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता	
(क) यदि क23 का उत्तर हां है, तो,-- (i) प्ररूप 10 झडक की अभिस्वीकृति संख्यांक और वह निर्धारण वर्ष, जिसके लिए पुरानी कर पद्धति का चयन करके फाइल किया गया था, प्रस्तुत करें (ii) क्या आपने पूर्व में आईटीआर 3/4 फाइल की है और पश्चात्कर्ती किसी निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके लिए पहले प्ररूप 10 झडक पुरानी कर पद्धति का चयन करके फाइल किया गया था, प्ररूप 10 झडक फाइल करके नई कर पद्धति में पुनः प्रवेश किया गया है। निशान लगाएं ☐ हां ☐ नहीं (क) यदि क23(क)(ii) का उत्तर हां है, तो उस दूसरे प्ररूप 10 झडक की अभिस्वीकृति संख्यांक और वह निर्धारण वर्ष, जिसके लिए नई कर पद्धति चयन करके प्ररूप फाइल किया गया था, प्रस्तुत करें और नई कर पद्धति में आईटीआर प्रस्तुत करें-- (ख) यदि क23(क)(ii) का उत्तर नहीं है, तो क्या आपने चालू निर्धारण वर्ष के लिए नई कर पद्धति में पुनः प्रवेश करने के लिए प्ररूप 10 झडक प्रस्तुत किया है ? निशान लगाएं ☐ हां ☐ नहीं (ख)(i) यदि हां, तो 10 झडक की अभिस्वीकृति संख्यांक उपलब्ध कराएं और नई कर पद्धति में आईटीआर प्रस्तुत करें। (ख)(ii) यदि नहीं, तो पुरानी कर पद्धति में आईटीआर प्रस्तुत करें।	
(ख) यदि क23 का उत्तर नहीं है : क्या आपने पुरानी कर पद्धति का चयन करने के लिए चालू निर्धारण वर्ष के लिए नियत तारीख के भीतर प्ररूप 10 झडक प्रस्तुत किया है ? निशान लगाएं ☐ हां ☐ नहीं (i) यदि क23(ख) का उत्तर हां है, तो 10 झडक की अभिस्वीकृति संख्यांक उपलब्ध कराएं और तब पुरानी कर पद्धति में विवरणी प्रस्तुत करें, (ii) यदि क23(ख) का उत्तर नहीं है, तो नई कर पद्धति में आईटीआर प्रस्तुत करें।	
टिप्पण —धारा 115खकग(1क) के अधीन डिफाल्ट पद्धति “नई कर पद्धति” है, तो “पुरानी पद्धति” का चयन धारा 115खकग(6) के अधीन नई पद्धति के विकल्प के चयन से निकल कर प्ररूप 10 झडक भरकर किया जा सकता है, जिसका प्रयोग धारा 139(1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को या उसके पूर्व किया जाना चाहिए।	
(क24) क्या आप धारा 139(1) के सातवें परंतुक के अधीन आय-कर विवरणी फाइल कर रहे हैं, लेकिन अन्यथा आय-कर विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है? (फर्म के मामले में लागू नहीं) - (टिक) ☐ हाँ ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान की गई निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें [टिप्पण: केवल तभी भरा जाना चाहिए, जब किसी व्यक्ति द्वारा धारा 139(1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, लेकिन धारा 139(1) के सातवें परंतुक में उल्लिखित एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण वह आय का विवरणी फाइल कर रहा है।]	
(i) क्या पिछले वर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में आपने 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि जमा की है ? (हां नहीं)	धनराशि (रु) (यदि हाँ है)
(ii) क्या आपने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है।? (हां नहीं)	धनराशि (रु) (यदि हाँ है)
(iii) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान बिजली की खपत पर 1 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है। (हां नहीं)	धनराशि (रु) (यदि हाँ है)

(iv) क्या आपको धारा 139(1) के सातवें उपबंध के खंड (iv) के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार विवरणी फाइल करना आवश्यक है (यदि हाँ, तो कृपया ड्रॉप डाउन मेनू से सुसंगत शर्त का चयन करें)		(टिक) ☐ हाँ ☐ नहीं
(क25) क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि द्वारा फाइल की जा रही है ? (टिक) ☐ हाँ ☐ नहीं (यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें)-		
(1)	निर्धारित प्रतिनिधि का नाम	
(2)	निर्धारित प्रतिनिधि की ईमेल आइडी	
(3)	निर्धारित प्रतिनिधि का संपर्क नंबर	

भाग ख सकल कुल आय										केवल पूरे - रुपया (₹)															
ख1	व्यवसाय और पेशे से आय (टिप्पण-अनुसूची बीपी के ई 8 से मूल्य दर्ज करें)															ख1									
ख2	i सकल वेतन (iक+iख+iग)															i									
वेतन/पेंशन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन										iक													
	ख	धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभों का मूल्य										iख													
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ										iग													
	ii	धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक कम भत्ते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन) [सुनिश्चित करें कि यह 17 (1)/17 (2)/17 (3) के अधीन वेतन आय में सम्मिलित है।]										ii													
	iii	शुद्ध वेतन (i – ii)										iii													
	iv	धारा 16 के अधीन कटौती (ivक + ivख+ivग)										iv													
	क	धारा 16(आईए) के अधीन एक मानक कटौती										ivक													
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता										ivख													
	ग	धारा 16(iii) के अधीन व्यावसायिक कर										ivग													
	v	वेतन 'शीर्षक के अधीन प्रभारित आय (iii – iv)										ख2													
ख3	गृह संपत्ति से आय के ब्यौरे (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्रॉप डाउन उपलब्ध कराया जाना है)																								
	संपत्ति का पता			नगर/शहर			राज्य			देश			पिन कोड/जिप कोड												
	क्या संपत्ति सह स्वामित्व में है ☐ हाँ ☐ नहीं (यदि "हां", कृपया निम्नलिखित ब्यौरे भरें)।																								
	संपत्ति में आपके भाग का प्रतिशत %																								
	सह-स्वामी का नाम (सह-स्वामियों के नाम)					सह-स्वामी का (स्वामियों के) स्थायी खाता संख्यांक/आधार संख्यांक					संपत्ति में भाग प्रतिशतता														
	I.																								
	II.																								
	लागू विकल्प पर निशान लगाएं ☐ किराये पर ☐ स्वयं के अधिभोग में ☐ किराये पर समझा गया।		किरायेदार का(रों के) नाम, यदि किराए पर दिया गया है			किरायेदार का(रों के) स्थायी खाता संख्यांक/ आधार संख्यांक			किरायेदार का(रों के) स्थायी खाता संख्यांक/कर कटौती संख्यांक/आधार संख्यांक (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)																
			I.																						
			II.																						
	गृह संपत्ति	क	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्त/अनुपयोज्य/अनुमति योग्य मूल्य										1क												
	ख	किराये की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती										1ख													

ग	स्थानीय प्राधिकारियों को कर का भुगतान किया गया	ग		
घ	कुल(1ख+1ग)	1घ		
ड.	वार्षिक मूल्य (1क - 1घ)(कुछ नहीं, यदि स्वयं के अधिभोग में है अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार)	1ड.		
च	स्वामित्व की संपत्ति का वार्षिक मूल्य(स्वयं का प्रतिशत भाग*1ड.	1च		
छ	वार्षिक मूल्य का 30%	1छ		
ज	उधार ली गई पूंजी पर देय ब्याज (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	1ज		
झ	कुल योग(1छ+1ज)	1झ		
ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया/अवसूल किराया 30% से कम	1ञ		
ट	गृह संपत्ति से आय 1(1च-1झ+1ज)	1ट		
	'गृह संपत्ति' 21ट (यदि हानि हो, तो आंकड़े को नकारात्मक में रखें) शीर्षक के अधीन प्रभाष्य आय: - गृह संपत्ति से अधिकतम नुकसान जो मुजरा किया जा सकता है वह 2,00,000 रुपए है। अग्रणीत और मुजरा हानि का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -3/5 का उपयोग करें।	ख 3		
टिप्पण:	(दो संपत्तियों तक प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें) किरायेदार का स्थायी खाता संख्यांक/आधार संख्यांक प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यदि कर की कटौती धारा 194झख के अधीन की गई है। किरायेदार का टैन संख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यदि कर की कटौती धारा 194झ के अधीन की गई है।			
ख4	आय की प्रकृति को निर्दिष्ट करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान की जाने वाली बचत खाते, जमा आदि से ब्याज जैसे अन्य स्रोतों से आय में कमी आती है और धारा 234ग टिप्पण से लागू राहत की अनुमति देने के लिए तिमाही विवरण का उल्लेख करें- टिप्पण - यदि लागू हो तो "एसएच टीडीएस 2" भरें।	ख4		
	कम: धारा 57 (ii) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन के मामले में)			
ख5	सकल कुल आय (ख1 + ख2 + ख3 + ख4+घ20(क)(iii)) नुकसान के सेट और आगे बढ़ने का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -3/5 का उपयोग करें।	ख5		

भाग ग- कटौती और कर योग्य कुल आय								
ग1	80ग	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग2	80गग	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग3	80गगघ (1)	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)
ग4	80गगघ (1ख)	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग5	80गगघ (2)	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग6	80घ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)
ग7	80घघ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग8	80घघख	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग9	80ड	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)
ग10	80डड	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग11	80डडक	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग12	80डडख	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)

		डाउन में विवरण भरा जाना है)			डाउन में विवरण भरा जाना है)			डाउन में विवरण भरा जाना है)	
ग13	80छ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग14	80छछ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग15	80छछग (विवरण ई- फाइलिंग यूटिलिटी में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	
ग16	80ननक		ग17	80ननख		ग18	80प	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	
ग18क	80गगज		ग18ख	ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार कोई अन्य कटौती	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)				
ग19	कुल कटौतियां (ग1 से ग18ख तक मद जोड़ें)								ग19
ग20	कराधेय कुल आय (ख5 - ग19)								ग20
टिप्पण:- कुल आय के अंतर्गत धारा 112क के अधीन दीर्घकालिक अभिलाभ सम्मिलित है तथापि, उक्त आय पर कोई कर संदाय नहीं होगा।									

भाग घ - कर संगणना और कर प्राप्ति

घ1	कुल आय पर देय कर (ग20)	घ1	
घ2	87क पर छूट	घ2	
घ3	छूट के पश्चात् देय कर (घ1-घ2)	घ3	
घ4	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ [(घ3 का 4%]	घ4	
घ5	कुल कर, और उपकर (घ3 + घ4)	घ5	
घ6	धारा 89 के अधीन अनुतोष (कृपया इस अनुतोष का दावा करने के लिए प्ररूप 10 ड जमा करना सुनिश्चित करें)	घ6	
घ7	अनुतोष के पश्चात् शेष कर (घ5 - घ6)	घ7	
घ8	धारा 234क के अधीन कुल ब्याज	घ8	
घ9	धारा 234ख के अधीन कुल ब्याज	घ9	
घ10	धारा 234ग के अधीन कुल ब्याज	घ10	
घ11	धारा 234च के अधीन फीस	घ11	
घ11क	पुनरीक्षित आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए फीस (धारा 234-झ)	घ11क	
घ12	कुल कर, फीस और ब्याज (घ7 + घ8 + घ9 + घ10 + घ11+ घ11क)	घ12	
घ13	कुल अग्रिम कर का संदाय	घ13	
घ14	कुल स्व- निर्धारण कर का संदाय	घ14	
घ15	कुल दावाकृत टीडीएस (अनुसूची-टीडीएस 1 के स्तंभ 4 और अनुसूची-टीडीएस 2 के स्तंभ 6 का कुल योग)	घ15	
घ16	कुल संगृहीत टीसीएस (अनुसूची-टीसीएस के स्तंभ (5) का कुल)	घ16	
घ17	संदाय किए गए कुल कर (घ13 + घ14 + घ15 + घ16)	घ17	
घ18	देय रकम (घ12 - घ17, यदि घ12 > घ17)	घ18	
घ19	प्रतिदाय (घ17 - घ12, यदि घ17 > घ12)	घ19	
घ20	केवल रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए छूटप्राप्त आय (यदि कृषि आय 5,000/- रुपये से अधिक है, तो आईटीआर 3/5 का उपयोग करें) और आय, जिस पर कोई कर संदेय नहीं है (छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत खंड और धारा का उल्लेख करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान की जाने वाली ड्रॉप डाउन)	घ20	

घ20क	धारा 112क के अनुसार दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है		
	i. कुल विक्रय प्रतिफल		
	ii. अर्जन की कुल लागत		
	iii. धारा 112क के अनुसार दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ		

बैंक खाता	घ21 पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का विवरण (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)					
	क्र.सं.	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	बैंक खाते का प्रकार (ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा प्रदान किया जाने वाला ड्रॉपडाउन)	प्रतिदाय जमा के लिए खाते का चयन करें
	i					
	ii					
1. निष्क्रिय खातों को छोड़कर, किसी भी समय धारित सभी बैंक खातों की रिपोर्ट करनी होगी। 2. प्रतिदाय जमा के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए। 3. यदि एक से अधिक खाते चुने गए हैं तो विवरणी की प्रक्रिया के बाद भी सीपीसी द्वारा तय किए गए मान्य खातों में से एक में प्रतिदाय का भुगतान कर दिया जाएगा।						

अनुसूची बीपी – कारबार या वृत्ति से आय का विवरण				
धारा 44कघ के अधीन उपधारित कारबार आय की संगणना				
क्र.सं.	व्यवसाय का नाम		व्यवसाय कोड	विवरण:
(i)				
ड1	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियां (ड1 2 करोड़ रु. तक सीमित है, तथापि यदि [ड1ख + ड1ग], ड1 के 5% से कम या बराबर है तो ड1 के अधीन सीमा 3 करोड़ रु. तक बढ़ा दी जाती है।			
	क	आदाता चेक या आदाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त या निर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त या निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से	ड1क	
	ख	नकद में प्राप्तियां	ड1ख	
	ग	क और ख से भिन्न किसी अन्य पद्धति	ड1ग	
ड2	धारा 44कघ के अधीन उपधारित आय			
	क	ड1क का 6% या अर्जित की गई रकम, जो भी अधिक हो,	ड2क	
	ख	(ड1ख + ड1ग) का 8% या अर्जित की गई रकम का दावा किया गया है, जो भी अधिक हो।	ड2ख	
	ग	कुल (क + ख)	ड2ग	
	टिप्पण- यदि आय सकल प्राप्तियों के उपरोक्त प्रतिशत से कम है, तो 44कख के अधीन कर लेखा परीक्षा करना अनिवार्य है और लागू अन्य आईटीआर फाइल किया जाना चाहिए।			
धारा 44कघक के अधीन कारबार से उपधारित आय की संगणना				
क्र.सं.	व्यवसाय का नाम/वृत्ति का नाम		व्यवसाय कोड	विवरण:
(i)				
ड3	सकल प्राप्तियां (ड3 50 लाख रु.तक सीमित है, तथापि यदि ड3ख + ड3ग ड3 के 5% से कम या बराबर है तो ड3 के अधीन सीमा 75 लाख रुपये तक बढ़ा दी जाती है।			ड3
	क	आदाता चेक या आदाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त या निर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त या निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से	ड3क	
	ख	नकद में प्राप्तियां	ड3ख	
	ग	क और ख से भिन्न किसी अन्य पद्धति	ड3ग	
ड4	धारा 44कघक के अधीन उपधारित आय (ई 3 का 50%) या अर्जित की गई रकम, जो भी अधिक हो। टिप्पण- यदि आय सकल प्राप्तियों के 50% से कम है, तो 44कख के अधीन कर लेखा परीक्षा करना अनिवार्य है और लागू अन्य आईटीआर फाइल किया जाना चाहिए।			ड4

धारा 44कड के अधीन माल गाड़ियों से उपधारित आय की संगणना					
क्र.सं.	व्यवसाय			व्यवसाय कोड	विवरण:
(i)					
	माल गाड़ियों की रजिस्ट्रीकरण संख्या	चाहे स्वामित्व/पट्टे पर लिया गया हो / किराए पर लिया गया हो	माल ढुलाई की टन क्षमता (मीट्रिक टन में)	उन महीनों की संख्या जिनके लिए मालगाड़ी का स्वामित्व/पट्टे/निर्धारिती द्वारा किराए पर लिया गया था	माल ढुलाई के लिए धारा 44कड के अधीन अनुमानित आय (12 मीट्रिक टन से अधिक टन भार होने पर प्रति माह @ 1000 रुपये प्रति टन या फिर @ 7500 रुपये प्रति माह) या वास्तव में अर्जित करने का दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)					
(ख)					
आवश्यकतानुसार पंक्ति विकल्प जोड़ें (वर्ष के दौरान किसी भी समय यानों की संख्या 10 यानों से अधिक नहीं होनी चाहिए)					
ड5	धारा 44कड [स्तंभ (5)] के अधीन माल ढुलाई से अनुमानित आय टिप्पण- यदि लाभ धारा 44 कड के अधीन निर्धारित से कम है या किसी भी समय स्वामित्व वाले यानों की संख्या 10 से अधिक है, तो अन्य आईटीआर, जैसा भी लागू हो, दाखिल करना होगा।				ड5
ड6	भागीदारों को संदाय किया गया वेतन और ब्याज टिप्पण - यह केवल फर्मों द्वारा भरा जाना है				ड6
ड7	44कड के अधीन उपधारित आय (ड5-ड6)				ड7
ड8	'व्यवसाय या वृत्ति' (ड2ग + ड4 + ड7) शीर्ष के अधीन प्रभारित आय				ड8
जीएसटी के लिए सूचित कारोबार/सकल प्राप्ति के बारे में जानकारी					
टिप्पण - कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन संख्या के लिए नीचे दी गई जानकारी पृथक से प्रस्तुत करें।					
ड9	जीएसटीआईएन संख्या (संख्याएं).				ड9
ड10	फाइल की गई जीएसटी विवरणी के अनुसार बाहरी आपूर्ति का वार्षिक मूल्य				ड10
कारबार का वित्तीय विवरण					
टिप्पण- ड11 से ड25 के लिए 31 मार्च, 2025 तक की जानकारी प्रस्तुत करें।					
ड11	भागीदारों / सदस्यों की अपनी पूंजी				ड11
ड12	सुरक्षित ऋण				ड12
ड13	असुरक्षित ऋण				ड13
ड14	अग्रिम				ड14
ड15	विविध लेनदार				ड15
ड16	अन्य दायित्व				ड16
ड17	कुल पूंजी और दायित्व (ड11 + ड12 + ड13 + ड14 + ड15 + ड16)				ड17
ड18	अचल संपत्तियां				ड18
ड18क	विनिधान				ड18क
ड19	सूची				ड19
ड20	विविध देनदार				ड20
ड21	बैंकों के साथ शेष रकम				ड21
ड22	कैश-इन-हैंड				ड22
ड23	ऋण और अग्रिम				ड23
ड24	अन्य संपत्तियां				ड24
ड25	कुल संपत्ति (ड18+ ड18क+ड19+ड20+ड21+ड22+ड23+ड24)				ड25
टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें (ड15, ड19, ड20, ड21, ड22 अनिवार्य हैं और अन्य यदि उपलब्ध हैं)					

अनुसूची आईटी अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर संदाय का विवरण

	बीएसआर कोड					जमा करने की तारीख (ता/मा/वर्ष)					चालान नं.				कर का संदाय				
	स्तंभ (1)					स्तंभ (2)					स्तंभ (3)				स्तंभ (4)				
द1																			
द2																			
द3																			

टिप्पण ▶ घ 13 और घ 14 में अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर के योग दर्ज करें

अनुसूची टीसीएस स्रोत पर एकत्र किए गए कर का विवरण [कलेक्टर(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार]					
क्र.सं.	संग्रहकर्ता का कर संग्रहण खाता संख्यांक	संग्रहकर्ता का नाम	प्ररूप 26 कथ में उल्लिखित संदाय की गई रकम का विवरण	कर संग्रह	दावा की जा रही (4) रकम में से
(1)	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)
i					
ii					

टिप्पण ► कृपया घ 16 में अनुसूची-टीसीएस के स्तंभ (5) का कुल योग दर्ज करें

अनुसूची टीडीएस-1 वेतन से स्रोत पर काटे गए कर का विवरण [नियोक्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 16 के अनुसार]				
	टैन	नियोक्ता का नाम	वेतन के अधीन आय	कर में कटौती
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)
घ1				
घ2				
घ3				
टिप्पण ▶ घ15 में अनुसूची-टीडीएस 1 के स्तंभ 4 और अनुसूची-टीडीएस 2 के स्तंभ 6 का कुल योग दर्ज करें				

अनुसूची टीडीएस-2 वेतन से भिन्न आय से स्रोत पर काटे गए कर का विवरण : [कटौतीकर्ता(ओं) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16क या प्रस्तुत किए गए प्ररूप 16ग या प्ररूप 16घ के अनुसार]									
क्र.सं.	कटौतीकर्ता का टेन/ किराएदार का पेन/ आधार संख्या	धारा, जिसके अधीन स्रोत पर कर कटौती की गई है	अदावाकृत टीडीएस अग्रणीत किया गया		वर्तमान वित्तीय वर्ष का टीडीएस	टीडीएस जमा, जिसका इस वर्ष दावा किया जा रहा है (केवल यदि इस वर्ष कर के लिए संबंधित प्राप्ति की कर के लिए पेशकश की जा रही है, यदि टीडीएस धारा 194ढ के अधीन काटा जाता है तो लागू नहीं)	पेशकश की गई तदनुरूपी प्राप्ति/ निकासी		टीडीएस जमा को अग्रणीत किया जा रहा है
			वित्तीय वर्ष, जिसमें कटौती की गई	अग्रेषित टीडीएस	कटौती किया गया टीडीएस	दावा किया गया टीडीएस	सकल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i									
ii									

टिप्पण घ15 में अनुसूची टीडीएस 2 के स्तंभ 6 और अनुसूची टीडीएस 1 के स्तंभ 4 का योग दर्ज करें ।

सत्यापन

मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____ अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं मेरी _____ की हैसियत से (ई-फाइलिंग यूटिलिटी में डाउन डाउन प्रदान किया जाए) विवरणी प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को प्रस्तुत करने और सत्यापन करने के लिए भी समर्थ हूँ। मैं स्थायी खाता संख्यांक _____ धारक हूँ। (कृपया निर्देश देखें)												
स्थान:	यहाँ हस्ताक्षर करें→											
तारीख:												
यदि विवरणी एक टैक्स विवरणी तैयार करने वाले (टीआरपी) द्वारा तैयार की गई है, तो निम्नानुसार और ब्यौरे दें:												
टीआरपी पिन (10 अंक)	टीआरपी का नाम	टीआरपी के प्रति हस्ताक्षर										
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												
टीआरपी को संदत्त की जाने वाली रकम।।												

[सं. 45 /2026/फा0सं0 370142/5/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : आयकर नियम, 1962, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का0आ0 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा0कानि0 158(अ), तारीख 05 मार्च, 2026 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2026

G.S.R. 226(E).— In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Second Amendment) Rules, 2026.
 (2) They shall come into force with effect from the 31st day of march, 2026 and shall apply in respect of returns filed for A.Y. 2026-27.
2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules),—
 - (a) in rule 12, —
 - (i) in sub-rule (1),—
 - (A) in the opening portion, for the figure “2025”, the figure “2026” shall be substituted;
 - (B) in clause (a), in sub-clause (ii), for the words “one house property”, the words “two house properties” shall be substituted;
 - (C) in clause (ca), in proviso, in item (IG), for the words “one house property”, the words “two house properties” shall be substituted;
 - (ii) in sub-rule (5), for the figure “2024”, the figure “2025” shall be substituted.
3. In the said rules, in Appendix— II,
 - (a) for FORM ITR-1, the following FORM shall be substituted, namely: —

FORM	ITR-1 SAHAJ	INDIAN INCOME TAX RETURN [For individuals being a resident (other than not ordinarily resident) having total income upto Rs.50 lakh and having Income from Salaries, two house properties, other sources (Interest etc.), long-term capital gains under section 112A up to Rs. 1.25 lakh, and agricultural income up to Rs.5 thousand] [Not for an individual who is either Director in a company or has invested in unlisted equity shares or in cases where TDS has been deducted u/s 194N or if income-tax is deferred on ESOP or has assets (including financial interest in any entity) located outside India] <i>(Refer rules for eligibility)</i>	Assessment Year					
			2	0	2	6	-	2

PART A GENERAL INFORMATION																															
(A1) PAN										(A2) First Name		(A4) Date of Birth						(A5) Aadhaar Number (12 digits)													
										(A2a) Middle Name																					
										(A3) Last name																					
												D	D	M	M	Y	Y	Y	Y												
Details to be provided for communication purposes:																															
(A6)(a) Primary Mobile No. of the taxpayer		(A6)(b) Secondary Mobile No.		(A7)(a) Primary Email ID of the taxpayer		(A7)(b) Secondary Email ID		Primary Address: (A8a) Flat/Door/Block No. (A9a) Name of Premises/Building/Village (A10a) Road/Street/Post Office Area/Locality (A11a) Town/City/District (A12a) State (A13a) Country (A14a) PIN code Secondary Address: (A8b) Flat/Door/Block No. (A9b) Name of Premises/Building/Village (A10b) Road/Street/Post Office Area/Locality (A11b) Town/City/District (A12b) State (A13b) Country (A14b) PIN code																							
(A15) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]				☐ 139(1)-On or before due date, ☐ 139(4)-Belated, ☐ 139(5)-Revised, ☐ 119(2)(b)- After Condonation of delay														(A17) Nature of employment- ☐ Central Govt. ☐ State Govt. ☐ Public Sector Undertaking ☐ Pensioners-CG ☐ Pensioners-SG ☐ Pensioners-PSU ☐ Pensioners- Others ☐ Others ☐ Not Applicable (e.g. Family Pension etc.)													
(A16) Or Filed in response to notice u/s				☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153C																											
(A18) If revised/defective, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)																															
(A19) If filed in response to notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b)- enter Unique Number/Document Identification Number (DIN) & Date of such Notice or Order																														/	/
(A20) Do you wish to exercise the option u/s 115BAC(6) of Opting out of new tax regime? (default is "No") ☐ Yes ☐ No																															
(A21) Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? - (Tick) ☐ Yes ☐ No																															
If yes, please furnish following information																															
[Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]																															
(i) Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/ No)																						Amount (Rs) (If Yes)									
(ii) Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)																						Amount (Rs) (If Yes)									
(iii) Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)																						(Tick) ☐ Yes ☐ No									
(A22) Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No																															
If yes, please furnish following information -																															
(1) Name of the representative assessee																															
(2) Email-ID of the representative assessee																															
(3) Contact number of the representative assessee																															

PART B GROSS TOTAL INCOME**Whole- Rupee () only**

B1	i	Gross Salary (ia + ib + ic)	i	
SALARY / PENSION	a	Salary as per section 17(1)	ia	
	b	Value of perquisites as per section 17(2)	ib	
	c	Profit in lieu of salary as per section 17(3)	ic	
	ii	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) (Ensure that it is included in salary income u/s 17(1)/17(2)/17(3))	ii	
	iii	Net Salary (i – ii)	iii	
	iv	Deductions u/s 16 (iva + ivb + ivc)		
	a	Standard deduction u/s 16(ia)	iva	
	b	Entertainment allowance u/s 16(ii)	ivb	
	c	Professional tax u/s 16(iii)	ivc	
	v	Income chargeable under the head 'Salaries' (iii – iv)	B1	
B2	Details of Income from House Property (Drop down to be provided indicating ownership of property)			
Address of property 1		Town/ City	State	Country
				Pin Code/ ZIP Code
Is the property co-owned? o Yes o No (if "YES" please enter following details)				
Your percentage of share in the property (%)				
Name of Co-owner(s)		PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)		Percentage Share in Property
I				
II				
/Tick the applicable option]		Name(s) of Tenant(s) (if let out)	PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)	
☐ Let out				
☐ Self-occupied		I		
☐ Deemed let out		II		
a	Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year			1a
b	The amount of rent which cannot be realized			1b
c	Tax paid to local authorities			1c
d	Total (1b + 1c)			1d
e	Annual Value (1a – 1d) (nil, if self -occupied etc. as per section 23(2) of the Act)			1e
f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)			1f
g	30% of Annual Value			1g
h	Interest payable on borrowed capital (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)			1h
i	Total (1g+ 1h)			1i
j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%			1j
k	Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)			1k
	Income chargeable under the head 'House Property' (Σ1k) (If loss, put the figure in negative) Note: - Maximum loss from House Property that can be set-off is INR 2, 00,000. To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -2			B2
(fill up details separately for each property for up to 2 properties)				
NOTE ►	Furnishing of PAN/ Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.			
	Income from Other Sources (drop down like interest from saving account, deposit etc. to be provided in e-filing utility specifying nature of income and in case of dividend income, please mention quarterly breakup for allowing applicable relief from section 234C)			B3
	Less: Deduction u/s 57(ia) (in case of family pension only)			
B4	Gross Total Income (B1+B2+B3+C3(a)(iii)) (If loss, put the figure in negative) Note: To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -2			B4

PART C – DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME

80C (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80CCC (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80CCD(1) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80CCD(1B) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80CCD(2) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80CCH (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80D (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80DD (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80DDB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80E (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80EE (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
80EEA (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80EEB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80G (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80GG (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80GGA (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80GGC (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80TTA (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80TTB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80U (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	Any other Deduction as per the e-filing utility (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
Total deductions						C1			Total Income (B4-C1)	C2	
Note: The Total Income Field includes LTCG u/s 112A. However, no tax would be payable on the said income.											
C3	Exempt Income For reporting purpose and Income on which no tax is payable							Drop down to be provided in e-filing utility mentioning nature of exempt income, relevant clause and section			
C3(a)	Long Term capital gains u/s 112A not chargeable to Income-tax										
	i. Total sale consideration ii. Total cost of acquisition iii. Long term capital gains as per sec 112A										

PART D – COMPUTATION OF TAX PAYABLE

D1	Tax payable on total income		D2	Rebate u/s 87A		D3	Tax after Rebate	
D4	Health and education Cess @ 4% on D3		D5	Total Tax and Cess		D6	Relief u/s 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)	
D7	Interest u/s 234A		D8	Interest u/s 234B		D9	Interest u/s 234C	
D10	Fee u/s 234F		D10(a)	Fee for furnishing revised return of income (section 234-I)				
D11	Total Tax, Fee and Interest (D5+D7+D8+D9+D10+D10(a)-D6)							
D12	Total Taxes Paid		D13	Amount payable (D11-D12) (if D11>D12)		D14	Refund (D12-D11) (if D12>D11)	

PART E – OTHER INFORMATION

Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)

Sl.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank	Account Number	Type of account (Dropdown to be provided by E-filing utility)	Select Account for Refund Credit
I					
1. All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c. 2. Minimum one account should be selected for refund credit. 3. In case multiple accounts are selected, refund will be credited to one of the validated accounts decided by CPC after processing the return.					

Schedule-IT Details of Advance Tax and Self-Assessment Tax payments																												
				BSR Code				Date of Deposit				Serial Number of				Tax paid												
				Col (1)				Col (2)				Col (3)				Col (4)												
R1																												
R2																												

Schedule-TDS Details of TDS/TCS [As per Form 16/16A/16C/27D issued by the Deductor(s)/ Employer(s)/ Payer(s)/ Collector(s)]							
S. No.	TAN of deductor/Collector or PAN/ Aadhaar No. of the Tenant	Name of the Deductor/ Collector/Tenant	Section under which TDS is deducted	Gross payment/ receipt which is subject to tax deduction /collection	Year of tax deduction/ collection	Tax Deducted/ collected	TDS/TCS credit out of (6) claimed this Year
Col (1)	Col (2)	Col (3a)	Col (3b)	Col (4)	Col (5)	Col (6)	Col (7)
T1							
T2							

VERIFICATION

Stamp Receipt No., Seal, Date & Sign of Receiving Official	I, _____ son/ daughter of _____	solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided in e-filing utility) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____. (Please see instruction).
	Date: _____	Signature: _____

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:		
Identification No. of TRP	Name of TRP	Counter Signature of TRP
If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof :		

(b) for FORM ITR-4, the following FORM shall be substituted, namely: —

FORM	ITR-4 SUGAM	INDIAN INCOME TAX RETURN [For Individuals, HUFs and Firms (other than LLP) being a resident having total income upto Rs.50 lakh and having income from business and profession which is computed under sections 44AD, 44ADA or 44AE, and having long-term capital gains under section 112A upto Rs. 1.25 lakh] [Not for an individual who is either Director in a company or has invested in unlisted equity shares or if income-tax is deferred on ESOP or has agricultural income more than Rs. 5000 or has assets (including financial interest in any entity) located outside India)] (Refer rules for eligibility)	Assessment Year					
			2 0 2 6 - 2 7					

PART A GENERAL INFORMATION													
(A1) First Name				(A2) Middle Name				(A3) Last Name				(A4) Permanent Account Number	
(A5) Date of Birth/Formation (DD/MM/YYYY)				Addresses to be provided for communication purposes:									
				Primary Address: (A6a) Flat/Door/Block No. (A7a)Name of Premises/Building/Village (A8a) Road/Street/Post Office (A9a) Area/Locality (A10a) Town/City/District (A11a) State (A12a) Country (A13a) PIN code									
				Secondary Address: (A6b) Flat/Door/Block No. (A7b)Name of Premises/Building/Village (A8b) Road/Street/Post Office (A9b) Area/Locality (A10b) Town/City/District (A11b) State (A12b) Country (A13b) PIN code									
(A14) Aadhaar Number (12 digits)										(A15) Status			

										Individual ☐ HUF ☐ Firm (other than LLP) ☐	
Details to be provided for communication purposes:											
(A16) Residential/Office Phone Number with STD code/ Primary Mobile number of the taxpayer						(A17) Secondary Mobile number			(A18a) Primary Email ID of the taxpayer		
									(A18b) Secondary Email ID		
(A19) Nature of employment - ☐ Central Govt. ☐ State Govt. ☐ Public Sector Undertaking ☐ Pensioners-CG ☐ Pensioners-SG ☐ Pensioners-PSU ☐ Pensioners- Others ☐ Others ☐ Not Applicable (e.g. Family Pension etc.)											
(A20)(a) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]-				☐ 139(1)-On or before due date, ☐ 139(4)-After due date, ☐ 139(5)-Revised Return, ☐ 119(2)(b)- After Condonation of delay							
(b) Or Filed in response to notice u/s				☐ 139(9) ☐ 142(1) ☐ 148 ☐ 153C							
(A21) If revised/defective then enter Receipt No. and Date of filing of original return (DD/MM/YYYY)								/ /			
(A22) If filed in response to notice u/s 139(9) /142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b)- enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) & Date of such Notice or Order									/ /		
(A23) Have you filed form 10IEA within due date for any earlier assessment year for choosing old tax regime? (Tick) ☐ Yes ☐ No ☐ Not Applicable											
(A) If answer to A23 is yes, then i. Furnish form 10IEA acknowledgement number and assessment year for which this form for choosing old tax regime was filed. ii. Have you filed ITR 3/4 in past and have re-entered new tax regime by filing form 10IEA for any assessment year subsequent to assessment year in which first form 10IEA was filed for choosing old tax regime? (Tick) ☐ Yes ☐ No (a) If answer to A23(A)(ii) is Yes, provide the acknowledgement number of second form 10IEA and assessment year for which this form for choosing new tax regime was filed, and furnish ITR in new tax regime. (b) If answer to A23(A)(ii) is No, have you furnished form 10IEA for re-entering in new tax regime in current assessment year? (Tick) ☐ Yes ☐ No (b)(i) If yes, then provide the acknowledgement number of form 10IEA and furnish ITR in new tax regime, (b)(ii) If No, then furnish ITR in old tax regime. (B) If answer to A23 is No: Have you furnished form 10IEA within due date for current assessment year for choosing old tax regime? (Tick) ☐ Yes ☐ No i. If answer to A23(B) is Yes, provide the acknowledgement number of form 10IEA, and then furnish return in old tax regime, ii. If answer to A23(B) is No, furnish ITR in new tax regime.											
Note- The default regime under section 115BAC(1A) is the 'new regime'. 'Old regime' can be chosen by opting out of new regime u/s. 115BAC(6) by filing form 10IEA, which should be exercised on or before the due date for furnishing the return of income u/s 139(1).											
(A24) Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? (Not applicable in case of firm) - (Tick) ☐ Yes ☐ No											
If yes, please furnish following information as provided in e-filing utility											
[Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]											
(i) Have you deposited one or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)									Amount (Rs) (If Yes)		
(ii) Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/ No)									Amount (Rs) (If Yes)		
(iii) Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)									Amount (Rs) (If Yes)		
(iv) Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)									(Tick) ☐ Yes ☐ No		
(A25) Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No											
If yes, please furnish following information -											
(1)	Name of the representative assessee										
(2)	Email-ID of the representative assessee										

(3)	Contact Number of the representative assessee

PART B GROSS TOTAL INCOME				Whole - Rupee () only	
B1	Income from Business & Profession (NOTE-Enter value from E8 of Schedule BP)			B1	
B2	i Gross Salary (ia + ib + ic)			i	
SALARY /	a	Salary as per section 17(1)		ia	
	b	Value of perquisites as per section 17(2)		ib	
	c	Profit in lieu of salary as per section 17(3)		ic	
	ii	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) (Ensure that it is included in salary income u/s 17(1)/17(2)/17(3))		ii	
	iii	Net Salary (i – ii)		iii	
	iv	Deductions u/s 16 (iva + ivb + ivc)			
	a	Standard deduction u/s 16(ia)		Iva	
	b	Entertainment allowance u/s 16(ii)		ivb	
	c	Professional tax u/s 16(iii)		ivc	
	v	Income chargeable under the head 'Salaries' (iii – iv)			B2

B3		Details of Income from House Property (Drop down to be provided indicating ownership of property)													
Address of property 1				Town/ City				State		Country		Pin Code/ ZIP Code			
Is the property co-owned? o Yes o No (if "YES" please enter following details)															
Your percentage of share in the property (%)															
Name of Co-owner(s)				PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)				Percentage Share in Property							
I															
II															
HOUSE PROPERTY	[Tick the applicable option]		Name(s) of Tenant(s) (if let/tenanted)		PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)				PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)						
	☐ Let out		I												
	☐ Self-occupied		II												
	☐ Deemed let out														
	a Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year				1a										
	b The amount of rent which cannot be realized				1b										
	c Tax paid to local authorities				1c										
	d Total (1b + 1c)				1d										
	e Annual Value (1a – 1d) (nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act)				1e										
	f Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)				1f										
g 30% of Annual Value				1g											
h Interest payable on borrowed capital (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)				1h											
i Total (1g+ 1h)				1i											
j Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%				1j											
k Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)				1k											
Income chargeable under the head 'House Property' (Σ1k) (If loss, put the figure in negative) Note:-Maximum loss from house property that can be set-off is INR 2,00,000. To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -3/5.				B3											
(fill up details separately for each property for up to 2 properties)															
NOTE ► Furnishing of PAN/ Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.															
B4 Income from Other Sources drop down like interest from saving account, deposit etc. to be provided in e-filing utility specifying nature of income and in case of dividend and, please mention quarterly breakup for allowing applicable relief from section 234C				B4											

	NOTE- Fill “Sch TDS2” if applicable.		
	Less: Deduction u/s 57(iia) (in case of family pension only)		
B5	Gross Total Income (B1+B2+B3+B4+D20(a)(iii)) To avail the benefit of carry forward and set off loss, please use ITR -3/5.	B5	

PART C—DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME

C1	80C	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C2	80CCC	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C3	80CCD (1)	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
C4	80CCD(1B)	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C5	80CCD(2)	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C6	80D	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
C7	80DD	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C8	80DDB	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C9	80E	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
C10	80EE	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C11	80EEA	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C12	80EEB	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
C13	80G	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C14	80GG	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C15	80GGC	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
C16	80TTA		C17	80TTB		C18	80U	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
C18a	80CCH		C18b	Any Other deduction as per the e-filing utility	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)				
C19	Total deductions (Add items C1 to C18b)								C19
C20	Taxable Total Income (B5 - C19)								C20

Note: The Total Income Field includes LTCG u/s 112A. However, no tax would be payable on the said income.

PART D – TAX COMPUTATIONS AND TAX STATUS

D1	Tax payable on total income (C20)	D1	
D2	Rebate on 87A	D2	
D3	Tax payable after Rebate (D1-D2)	D3	
D4	Health and Education Cess @ 4% on (D3)	D4	
D5	Total Tax, and Cess (D3+D4)	D5	
D6	Relief u/s 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)	D6	
D7	Balance Tax after Relief (D5 – D6)	D7	
D8	Total Interest u/s 234A	D8	
D9	Total Interest u/s 234B	D9	
D10	Total Interest u/s 234C	D10	
D11	Fee u/s 234F	D11	
D11a	Fee for furnishing revised return of income (section 234-I)	D11a	
D12	Total Tax, Fee and Interest (D7+ D8 + D9 + D10 + D11+D11a)	D12	
D13	Total Advance Tax Paid	D13	
D14	Total Self-Assessment Tax Paid	D14	
D15	Total TDS Claimed (total of column 4 of Schedule-TDS1 and, column 6 of Schedule-TDS2)	D15	
D16	Total TCS Collected (total of column (5) of Schedule-TCS)	D16	
D17	Total Taxes Paid (D13+ D14 + D15 + D16)	D17	

D18	Amount payable (D12 – D17, If D12 > D17)	D18	
D19	Refund (D17 – D12, If D17 > D12)	D19	
D20	Exempt income only for reporting purposes (If agricultural income is more than Rs. 5,000/-, use ITR 3/5) and Income on which no tax is payable (Drop down to be provided in e-filing utility mentioning nature of exempt income, relevant clause and section)	D20	
D20(a)	Long Term capital gains under section 112A not chargeable to Income-tax i. Total sale consideration ii. Total cost of acquisition iii. Long term capital gains as per section 112A		

BANK ACCOUNT	D21	Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)				
	Sl.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank	Account Number	Type of bank account (Dropdown to be provided by E-filing utility)	Select Account for Refund Credit
	i					
	ii					
1. All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c. 2. Minimum one account should be selected for refund credit. 3. In case multiple accounts are selected, refund will be credited to one of the validated accounts decided by CPC after processing the return.						

SCHEDULE BP – DETAILS OF INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION						
COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD						
S. No.	Name of Business		Business code		Description	
(i)						
E1	Gross Turnover or Gross Receipts (E1 limited to Rs.2 Crores, however if [E1b+ E1c] is less than or equal to 5% of E1 then the limit under E1 is extended to Rs.3 Crores.)					
	a	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or prescribed electronic modes received before specified date			E1a	
	b	Receipts in Cash			E1b	
	c	Any mode other than a and b			E1c	
E2	Presumptive Income under section 44AD					
	a	6% of E1a or the amount claimed to have been earned, whichever is higher			E2a	
	b	8% of (E1b+E1c) or the amount claimed to have been earned, whichever is higher			E2b	
	c	Total (a + b)			E2c	
	NOTE—If Income is less than the above percentage of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & other ITR as applicable has to be filed.					
COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA						
S. No.	Name of Business/Profession		Business code		Description	
(i)						
E3	Gross Receipts (E3 limited to Rs.50 Lakhs, however if [E3b + E3c] is less than or equal to 5% of E3 then limit under E3 is extended to Rs.75 Lakhs.)				E3	
	a	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or prescribed electronic modes received before specified date			E3a	
	b	Receipts in Cash			E3b	
	c	Any mode other than a and b			E3c	

E4	Presumptive Income under section 44ADA (50% of E3) or the amount claimed to have been earned, whichever is higher NOTE—If Income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & other ITR as applicable has to be filed				E4	
COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE						
S. No.	Name of Business			Business code		Description
(i)						
	<u>Registration No. of goods carriage</u>	<u>Whether owned/ leased/ hired</u>	<u>Tonnage capacity of goods carriage (in MT)</u>	<u>Number of months for which goods carriage was owned/ leased/hired by assessee</u>	<u>Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher</u>	
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(a)						
(b)						
Add row options as necessary (At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles)						
E5	Presumptive Income from Goods Carriage under section 44AE [total of column (5)] NOTE—If the profits are lower than prescribed under section 44AE or the number of Vehicles owned at any time exceed 10 then other ITR, as applicable, has to be filed				E5	
E6	Salary and interest paid to the partners NOTE – This is to be filled up only by firms				E6	
E7	Presumptive Income u/s 44AE (E5-E6)				E7	
E8	Income chargeable under the head 'Business or Profession' (E2c+E4+E7)				E8	
INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST Note – Please furnish the information below for each GSTIN No. separately						
E9	GSTIN No(s).				E9	
E10	Annual value of outward supplies as per the GST returns filed				E10	
FINANCIAL PARTICULARS OF THE BUSINESS Note—For E11 to E25 furnish the information as on 31 st day of March, 2026						
E11	Partners/ Members own capital				E11	
E12	Secured loans				E12	
E13	Unsecured loans				E13	
E14	Advances				E14	
E15	Sundry creditors				E15	
E16	Other liabilities				E16	
E17	Total capital and liabilities (E11+E12+E13+E14+E15+E16)				E17	
E18	Fixed assets				E18	
E18a	Investments				E18a	
E19	Inventories				E19	
E20	Sundry debtors				E20	
E21	Balance with banks				E21	
E22	Cash-in-hand				E22	
E23	Loans and advances				E23	
E24	Other assets				E24	
E25	Total assets (E18+E18a+E19+E20+E21+E22+E23+E24)				E25	
NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule (E15, E19, E20, E21, E22 are mandatory and others if available)						

SCHEDULE IT DETAILS OF ADVANCE TAX AND SELF ASSESSMENT TAX PAYMENTS

	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Challan No.	Tax paid
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)
R1				
R2				
R3				

Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in D13 & D14

Schedule TCS Details of Tax Collected at Source [As per Form 27D issued by the Collector(s)]

Sl No.	Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Details of amount paid as mentioned in Form 26AS	Tax Collected	Amount out of (4) being claimed
(1)	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)	Col (5)
I					
ii					

NOTE ► Please enter total of column (5) of Schedule-TCS in D16

SCHEDULE TDS-1 DETAILS OF TAX DEDUCTED AT SOURCE FROM SALARY**[As per Form 16 issued by Employer(s)]**

	TAN	Name of the Employer	Income under Salary	Tax deducted
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)
S1				
S2				
S3				

NOTE ► Enter the total of column 4 of Schedule-TDS1 and column 6 of Schedule-TDS2 in D15

SCHEDULE TDS-2 DETAILS OF TAX DEDUCTED AT SOURCE ON INCOME OTHER THAN SALARY**[As per Form 16 A issued or Form 16C or Form 16D furnished by Deductor(s)]**

Sl. No.	TAN of the Deductor/ PAN/ Aadhaar No. of Tenant	Section under which TDS is deducted	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Fin. Year	TDS credit being claimed this Year (only if corresponding receipt is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)	Corresponding Receipt/ withdrawals offered		TDS credit being carried forward
			Fin. Year in which deducted	TDS b/f	TDS Deducted	TDS Claimed	Gross Amount	Head of Income	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i									
ii									
Enter the total of column 6 of Schedule TDS2 and column 4 of Schedule-TDS1 in D15									

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____
solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making returns in my capacity as _____ (drop down to be provided in e-filing utility) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____. (Please see instruction)

Place:

Signature here ➔

Date :

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details as below:

TRP PIN (10 Digit)	Name of TRP	Counter Signature of TRP										
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>												
Amount to be paid to TRP: ₹.												

[No. 45 /2026/F. No. 370142/5/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy., Tax Policy and Legislation

Note:- The Income-tax Rules, 1962 rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification GSR 158(E), dated the 05th March, 2026.